नवम माला, खण्ड 8, अंक 5

गुरुवार, 16 अगस्त, 1990
25 श्रावण, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(नौवीं लोक सभा)

(खंड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

ा पटल पर ...

*किसी सदस्य के नाम पर अंकि० ,
ा ही सदस्य ने पूछा था ।

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हि
हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका

विषय-सूची

नवम माला, खण्ड 8, तीसरा सत्र, 1990/1912 (शक)

अंक 5, गुरूवार, 16 अगस्त, 1990/25 श्रावण, 1912 (शक)

विषय		पृष्ठ
"आकाश" प्रक्षेपास्त्र का सफल प्रक्षेपण		1
जाम्बिया के संसदीय शिष्टमण्डल का स्वागत		1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		2—22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 102, 103, 106 और 107		
प्रश्नों के लिखित उत्तर		22—489
तारांकित प्रश्न संख्या :	81 से 100 (13 अगस्त, 1990) और 101, 104, 105 और 108 से 122 (16 अगस्त, 1990)	
अतारांकित प्रश्न संख्या :	938 से 971, 973, से 986, 988 से 1083, 1085 से 1109, 1111, से 1122, 1124 से 1132 और 1134 से 1172 (13 अगस्त, 1990), 1173 से 1319 और 1321 से 1413 (16 अगस्त, 1990)	
कुवैत में भारतीयों की स्थिति के बारे में		489—507
14 अगस्त, 1990 को दिल्ली में हुए बम विस्फोट के बारे में		507—516
सभा पटल पर रखे गए पत्र		517—518

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
प्राक्कलन समिति		51
आठवां और दसवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत		
समिति के लिए निर्वाचन		519—521
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति		
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण		522—53
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कर्मचारियों के आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति		
श्री पी० आर० कुमारमंगलम		522—525
श्री इन्द्रजीत गुप्त		525—529
श्री रशीद मसूद		529—535
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1990-91		535
विवरण प्रस्तुत		
संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक		536—538
(नौवीं अनुसूची में संशोधन)		
पुरःस्थापित		
श्री शरद यादव		536
श्री पी० आर० कुमारमंगलम		536—538
बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक		539
पुरःस्थापित		
श्री नीतीश कुमार		539
नियम 377 के अधीन मामले		539—556
(एक) कश्मीर घाटी से आए विस्थापितों को समुचित सुविधाएं प्रदान किए जाने की मांग		
श्री जनक राज गुप्त...		339
(दो) चक्रवातों के बारे में अध्ययन करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने हेतु विशाखापत्तनम में एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाने की मांग		
श्रीमती उमा गजपति राजू		540

विषय पृष्ठ

(तीन) आन्ध्र प्रदेश के मेडक जिले में सिद्दीपेट में एक कम शक्ति वाला टी० वी० ट्रांसमीटर लगाए जाने की मांग

श्री नन्दी येल्लैया 540

(चार) मध्य प्रदेश के रीवा जिले में डाकुओं द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को जलाया जाना

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री 541

(पांच) कोटा होते हुए इटावा और भिण्ड-ग्वालियर-शिवपुर सैक्शन के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाई जाने की मांग

श्री छविराम अर्गल 541

(छः) ग्वार और मोठ के समर्थन मूल्य घोषित किये जाने की मांग

श्री शोपत सिंह मक्कासर 541

(सात) नीलकंठ और ऋषिकेश में भूस्खलन की घटना की जांच किए जाने और उसमें मारे गए लोगों के परिवारों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि बढ़ाये जाने तथा ऐसी दुर्घटनाओं की आवृत्ति रोकने हेतु स्वर्गाश्रम से नीलकंठ तक पक्की सड़क बनाए जाने की मांग

श्री अशोक आनन्द राव देशमुख 542

(आठ) पुणे स्थित रजनीश आश्रम को बन्द किए जाने की मांग

श्री राम लाल राही 542—543

(नौ) सकरी-हसनपुर रेल लाइन, जिसका सर्वेक्षण 1975-76 में हुआ था, का निर्माण किए जाने की मांग

श्री दसई चौधरी 543

नियम 193 के अधीन चर्चा ... ... 556—683

देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर निरन्तर हो रहे अत्याचार

श्री अमर राय प्रधान ... ... 557—560

श्री चांद राम ... ... 561—564

श्री राम लाल राही ... ... 564—567

श्री हरीश रावत ... ... 567—571

विषय		पृष्ठ
श्री राम कृष्ण यादव		571
श्री सन्तोष मोहन देव		571—572
श्री हरि शंकर महाले		572—573
श्री दसई चौधरी		573—574
श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा		574—575
डा० बंगाली सिंह		575—576
श्री गोपी नाथ गजपति		576—577
श्री प्रेम प्रदीप		577—578
श्री छेदी पासवान		578—579
श्री राम धन		579—580
श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद		580—582
जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प तथा सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प और		
सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां विधेयक		583—586
श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद		584—586
श्री जसवन्त सिंह		586—587
कार्य मन्त्रणा समिति		587
चौदहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत		
सदस्यों की गिरफ्तारी, रिमांड और उन्हें बन्दी बनाए जाने के बारे में सूचना		587—590

लोक सभा

गुरुवार, 16 अगस्त, 1990/25 श्रावण, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

"आकाश" प्रक्षेपास्त्र का सफल प्रक्षेपण

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अपने वैज्ञानिकों को "आकाश" प्रक्षेपास्त्र के सफल प्रक्षेपण पर बधाई देने में यदि हम भी आपके साथ सम्मिलित हों तो सभा के किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इस प्रक्षेपास्त्र को सफलतापूर्वक छोड़े जाने पर पूरे देश को गर्व है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसे आपके राज्य से छोड़ा गया था।

अध्यक्ष महोदय : इसका श्रेय महान वैज्ञानिक डा० कलाम को है। इस सभा को अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हम जाम्बिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत करेंगे।

जाम्बिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सबसे पहले मुझे एक घोषणा करनी है।

अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से मुझे जाम्बिया की नेशनल असेम्बली के अध्यक्ष, महामहिम श्री एफ० एम० मुलिकीटा और जाम्बिया के संसदीय शिष्टमंडल के माननीय सदस्यों का, जो हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर आए हैं, स्वागत करते हुए बड़ी प्रसन्नता है।

शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्य हैं :

1. माननीय श्री वी० आर० जी० चांदो, सांसद

2. श्री एम० नकुनिका, सांसद

3. श्री जे० सिचोंगा, सांसद

यह शिष्टमंडल 14 अगस्त, 1990 को अपराह्न में दिल्ली पहुंचा था। वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हम अपने देश में उनके सुखद और लाभप्रद प्रवास की कामना करते हैं। हम उनके माध्यम से नेशनल असेम्बली के प्रेजीडेंट, सरकार और जाम्बिया गणराज्य की मित्र जनता को अपनी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पाकिस्तान द्वारा सोवियत संघ से हथियारों की खरीद

[हिन्दी]

*102. श्री गुलाब चन्द कटारिया :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सोवियत संघ से 72 एम टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, भारी मात्रा में गोला-बारूद और विभिन्न वाहनों और विमानों से छोड़ी जा सकने वाली मिसाइलें खरीद रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान सोवियत संघ से हथियार खरीदने के लिए कोई कार्रवाई कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया कि यूनिवार्ता के 29 तारीख के आपके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक संवाददाता सम्मेलन में इस बात की जानकारी दी कि पाकिस्तान रूस के बने हुए हथियारों को पूर्वी देशों के माध्यम से खरीद रहा है, जिसकी मैंने सारी जानकारी इसमें दी है। क्या यह सच है कि आपके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस प्रकार की कोई जानकारी दी है ? अखबारों में आया है कि पाक द्वारा रूस से शस्त्रों की खरीद से भारत चिन्तित है, क्या यह सही है ?

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि सरकार के पास कोई निश्चित जानकारी है कि पाकिस्तान को सोवियत संघ किसी तरह का हथियार नहीं दे रहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हमें इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है।

श्री हरि किशोर सिंह : सरकार को निश्चित जानकारी है कि सोवियत संघ से पाकिस्तान को किसी तरह का कोई हथियार नहीं मिला है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर सरकार का यह मानस नहीं था तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस प्रकार की न्यूज संवाददाताओं को किसके माध्यम से और किस अधिकार से, इस प्रकार की न्यूज मिली थी जो सारे अखबारों में आई।

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष महोदय, सोवियत संघ के अलावा पाकिस्तान की कोशिश बराबर रही है कि दूसरे देशों से खास करके पूर्वी यूरोप के देशों से हथियार खरीदे, लेकिन अभी तक की जो हमारी जानकारी है उस जानकारी के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि सोवियत संघ के अलावा पूर्वी यूरोप के किसी भी देश से रूस के बने हथियार पाकिस्तान को उपलब्ध कराने में पाकिस्तान को कोई सफलता नहीं मिली है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया, लेकिन प्रश्न बिल्कुल सीधा था कि टी 72 टैंक्स और ए०पी०सी० की खरीदारी के बारे में पाकिस्तान क्या कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान हिन्दुस्तान से लड़ाई का मंसूबा बना रहा है, यह इससे भी जाहिर है कि वह दुनिया भर के देशों से बहुत तेजी से हथियारों की खरीद कर रहा है, आस्ट्रेलिया वगैरह से। रशिया से तो हमारे संबंधों के कारण उसको सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, इराक, सीरिया इनके पास टैंक और दूसरी चीजें हैं, हमारी जानकारी है कि इन देशों से पाकिस्तान हथियार खरीदने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहा है। वस्तुस्थिति क्या है, इसको आप लाइटली मत लीजिए, पार्लियामेंट को इसके बारे में कान्फीडेंस में लेना जरूरी है। आज पाकिस्तान का जिस तरह का बर्ताव हो रहा है, कश्मीर में जो गड़बड़ी वह करवा रहा है, तोड़फोड़ की कोशिश कर रहा है, इन सब चीजों को देखते हुए इसकी सीरियसनेस बहुत ज्यादा है। आप स्पष्ट बताएं कि इस बारे में आपका इंटेलीजेंस है या नहीं, यदि है, तो आपके पास क्या जानकारी है कि पाकिस्तान हथियारों की खरीद के लिए क्या-क्या प्रयत्न कर रहा है। आज पाकिस्तान हथियारों के मामले में हिन्दुस्तान पर हावी होना चाहता है, लेटेस्ट सोवियत वेपन्स खरीदने की कोशिश वहां जोर-शोर से चल रही है, इसकी जानकारी आप दीजिए, किसी जानकारी को छिपाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जानकारी को छिपाने वाली कोई बात नहीं है, माननीय सदस्य की चिन्ता से सरकार एकदम सहमत है। प्रश्न बहुत सीमित है कि पाकिस्तान सोवियत संघ से हथियारों का सौदा करने की जो कोशिश कर रहा है, उसमें उसको सफलता मिली है या नहीं। मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक पाकिस्तान को कोई सफलता नहीं मिली है और सोवियत संघ से इस बारे में हमें पूरा आश्वासन भी दिया गया है।

जैसाकि मैंने शुरू में कहा कि पूर्वी यूरपो के देशों से पाकिस्तान हथियार खरीदने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान के इस प्रयास की हमको जानकारी है। इस बारे में हमने कूटनीतिक चेष्टा की है और इसमें हमको सफलता मिली है और अभी तक पाकिस्तान को पूर्वी यूरोप के किसी भी देश से हथियार खरीदने में सफलता नहीं मिली है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह तो ठीक है कि रूस से पाकिस्तान को हथियार

खरीदने में सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में पाकिस्तान ने हथियारों का जो जखीरा इकट्ठा किया है, उसकी क्या वजह है। विदेश मंत्रीस्तरीय वार्ता में क्या विदेश सचिव को यह दिशा-निर्देश दिया गया है कि पाकिस्तान आखिरकार इतनी बड़ी तादाद में शस्त्रों की खरीद क्यों कर रहा है, जबकि आज सब यह महसूस कर रहे हैं कि कश्मीर इशू को लेकर पाकिस्तान का आक्रमण किसी भी क्षण हो सकता है। मंत्री महोदय कृपा करके यह स्पष्ट करें कि पाकिस्तान यदि रूस से सीधे तौर पर नहीं खरीद रहा है तो यह तो संभव हो सकता है कि अन्य मित्र राष्ट्रों से बड़ी तादाद में हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर रहा हो।

यह भी समाचारपत्रों के माध्यम से पता चल रहा है कि पाकिस्तान अणुबम बना रहा है, यदि पाकिस्तान ने अणुबम बना लिया है तो क्या भारत भी अणुबम बनाने की स्थिति में है, यदि नहीं है, तो कृपया सदन को इस बारे में जानकारी दें और विश्वास में लें।

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल उत्पन्न नहीं होता, पहले भाग का जवाब दीजिए।

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान की हमेशा हथियार खरीदने की कोशिश रही है और यह कोशिश रही है कि उन देशों से हथियार खरीदे जाएं, जिनसे हमारे मित्रवत संबंध हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान को सफलता नहीं मिली है।

जहां तक पाकिस्तान की दृष्टि का सवाल है भारत के प्रति, वह तो जग-जाहिर है और सरकार उसका मुकाबला करने के लिए हमेशा दृढ़ संकल्प है।

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि रूस ने पाकिस्तान को किसी टैंक, हथियार और गोला-बारूद की सप्लाई नहीं की है। परन्तु माननीय प्रधानमंत्री और गृह-मंत्री महोदय ने बार-बार आरोप लगाया है कि पाकिस्तान कश्मीर और पंजाब के आतंकवादियों को सहायता दे रहा है। यह भी ज्ञात तथ्य है कि विगत हाल का मुझे पता नहीं है — इन आतंकवादियों ने कुछ रूसी राकेटों और हथियारों का प्रयोग किया है और अर्धसैनिक बलों और सेना ने इन्हें उनसे बरामद किया था। इस तथ्य को देखते हुए कि भारत सरकार ने कहा है कि पाकिस्तानी सरकार आतंकवादियों को प्रशिक्षण और पनाह दे रही है, तो पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों को रूसी हथियार किस प्रकार मिल रहे हैं? एक बार यह बताया गया था कि ये अफगान विद्रोहियों के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। यदि यह सच है तो भारत सरकार ने इसे रोकने के लिए कौन से कदम उठाए हैं?

श्री हरि किशोर सिंह : प्रश्न विशिष्ट था। परन्तु माननीय सदस्य बड़े अनुभवी सांसद हैं। और यह संभव है कि आतंकवादियों को कुछ हथियार अफगान विद्रोहियों से मिले हों। हम इसे रोक नहीं सकते हैं। लेकिन सरकार आतंकवादियों को सीमा पार से हथियारों की सप्लाई रोकने के लिए यथासम्भव सभी कदम उठा रही है और हम हाल ही के महीनों में ऐसा करने में काफी सफल रहे हैं।

श्रीमती उमा गजपति राजू : अध्यक्ष महोदय, हमें बहुत अधिक मात्रा में हथियारों की सप्लाई सोवियत संघ से होती है। परन्तु रूस और पूर्वी यूरोप, दोनों की राजनैतिक स्थिति में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए यदि रूस विश्व की राजनीति में अपनी भूमिका का पुनः मूल्यांकन कर

रहा है तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि यदि संकट अथवा युद्ध की स्थिति में इन हथियारों की सप्लाई बन्द हो जाय तो क्या पूर्वी यूरोपियन देशों और रूस ने हमें ऐसा कोई आश्वासन दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा ?

श्री हरि किशोर सिंह : महोदय, जी हां। हमारे मित्रों, विशेषतः सोवियत रूस ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हमारे संबंध पूर्ववत रहेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, सोवियत रूस से पाकिस्तान को हथियार मिल रहे हैं, क्या इसके बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ? सरकार को इतना मालूम है कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट कितना है ? उसमें से विदेशों से अस्त्र लेने के लिए इस साल के बजट में उन्होंने कितनी रकम रखी है ? ऐसे विदेशी अस्त्र वहां न आयें इसके लिए डिप्लोमैटिक लेवल पर सरकार क्या कोशिश कर रही है, इसकी जानकारी क्या मिलेगी ?

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस बात की निश्चित जानकारी है कि सोवियत संघ से या पूर्वी यूरोप के देशों से कोई हथियार पाकिस्तान को नहीं मिला है और उसे अपने प्रयास में असफलता मिली है। जहां तक जानकारी का प्रश्न है पाकिस्तान के 1989-90 के बजट में 3 बिलियन डॉलर का रक्षा बजट में प्रावधान है। पाकिस्तान दुनियां में कहां से हथियार खरीदता है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, हम तो अपने दोस्तों पर दबाव डाल सकते हैं कि उन्हें हथियार न दें।

श्री वसन्त साठे : अध्यक्ष जी, मैं इस संबंध में प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं। कल उन्होंने लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, प्लीज, आप बैठ जाइए। अग्निहोत्री जी आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : राष्ट्र को संबोधित करते समय उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया लेकिन कहा कि हमारी सीमा पर केवल हमारी फौज और पुलिस देश की रक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है, बाकी के देशवासियों की भी जिम्मेदारी है। भावनात्मक ढंग से उन्होंने कल कहा कि 80 करोड़ लोग यदि वहां जा कर दीवार बना देंगे तो मैं उनकी अगुवाई करूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान जो अपनी ताकत बढ़ा रहा है, क्या इन्हें सचमुच ऐसा अंदेशा है कि पाकिस्तान से भारत को युद्ध का खतरा है जिसके लिए सारे देशवासियों को वहां दीवार बनानी पड़े। (व्यवधान) अध्यक्ष जी, पाकिस्तान आर्म्स मंगवा रहा है, वह किस लिए मंगवा रहा है खिलौना करने के लिए मंगवा रहा है ? इन्होंने जवाब दिया कि दूसरे देशों से मंगवा रहा है। अभी मंत्री जी ने जवाब दिया कि सोवियत यूनियन से नहीं, अन्य देशों से मंगवा रहा है। कई अन्य देशों से मिल रहा है। ऐसे जवाब मे मंत्री जी ने कहा और क्यों मिल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अंदेशा है इस देश को पाकिस्तान से और बिल्कुल ताजी बात है और प्रधान मंत्री जी ने देश को कहा है, उसमें कुछ बात होगी। किस तरह हमारी सीमाओं पर खतरा है, या चीन से खतरा है। अगर पाकिस्तान से खतरा है और देश के लिए चिंता नहीं है तो अलग बात है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाए। इससे प्रश्न नहीं होता है।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : पाकिस्तान का आर्म्स होने से देश को डर है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह जनरल सवाल है।

श्री वसंत साठे : अगर आप इसे रोकना चाहते हैं तो कह दीजिए कि देश को खतरा नहीं है।

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष जी, साठे साहब इस सदन के बड़े सदस्य हैं। जहां तक प्रधान मंत्री जी के कहने का सवाल है तो प्रधान मंत्री जी की तारीफ करनी चाहिए। देश पर खतरा हो तो उसकी अगुवाई करेंगे। (व्यवधान) आपको तारीफ करनी चाहिए।

श्री यादवेन्द्र दत्त : अध्यक्ष महोदय, विदेश मंत्री जी ने कहा कि रूस या उसके पुराने मित्र देशों से हथियार नहीं लिया गया। क्या इसकी यह जानकारी है कि वह सारे ईस्टर्न यूरोप के देशों के ओपन इंटरनेशनल मार्किट में आर्म्स मार्किट में हथियार दे रहे हैं और वहां से हथियार पाकिस्तान में आ रहे हैं। अगर यह सच है तो क्या कदम उठाया है।

श्री हरि किशोर सिंह : इसकी जानकारी हमें नहीं है।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने रूसी नेताओं के साथ हाल ही की बातचीत में यह प्रश्न उठाया है कि पाकिस्तान और भारत के बीच व्याप्त वातावरण और स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान को ऐसे सामरिक हथियार बेचना उचित नहीं है ?

श्री हरि किशोर सिंह : महोदय, मैंने पहले ही बता दिया है कि वे पाकिस्तान को ये हथियार नहीं बेच रहे हैं। हमें केवल सोवियत संघ ही ने नहीं, बल्कि अनेक यूरोपीय देशों ने पक्का आश्वासन दिया है कि उन्होंने इन हथियारों की बिक्री नहीं की है और न वे ऐसा करने को तैयार हैं।

आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान से प्रभावित लोगों को केन्द्रीय सहायता

[अनुवाद]

*103. **डा० असीम बाला** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में हाल ही में आए अभूतपूर्व समुद्री तूफान और बाढ़ से जान-माल का कितना नुकसान होने का अनुमान लगाया है;

(ख) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई वित्तीय एवम् अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रभावित लोगों को खाद्य सामग्री, पेयजल, दवाइयां और आवास की पर्याप्त सहायता दी जाये ?

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने 2247.76 करोड़ रुपये की कुल क्षति तथा 928 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना दी है। भारत सरकार ने जन और सम्पत्ति की हानि की मात्रा का अलग से मूल्यांकन नहीं किया है। तथापि 15—19 जुलाई, 1990 के मध्य एक केन्द्रीय दल को वांछित केन्द्रीय सहायता के परिमाण के मूल्यांकन हेतु आंध्र प्रदेश भेजा गया था। दल के दौरे के दौरान राज्य सरकार ने 867 करोड़ रुपये की सहायता की मांग की।

(ख) नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर प्रत्येक राज्य में एक निश्चित आवंटित धनराशि से प्रत्येक राज्य के लिए एक आपदा सहायता निधि की स्थापना की गई जिसका कि 75% केन्द्र सरकार द्वारा चार किश्तों में गैर-योजना अनुदान के रूप में योगदान किया जाना है और शेष 25% का योगदान राज्य सरकार को अपने स्वयं के संसाधनों से वहन किया जाना है। आपदा निधि की स्थापना के फलस्वरूप राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह सभी राहत उपाय तथा प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप आवश्यक व्यय वहन करे। आपदा राहत-निधि के अन्तर्गत 1990-91 के लिए आंध्र प्रदेश को 86 करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं। मई, 1990 में आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में चक्रवात द्वारा पैदा स्थिति की भयावहता और उसके बाद की भीषण वर्षा को दृष्टिगत रखते हुए 1990-91 के लिए आपदा राहत निधि को केन्द्रीय सरकार के 64.50 करोड़ रुपये के सम्पूर्ण अंश को राज्य सरकार को मई, 1990 में निर्मुक्त कर दिया गया। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने 867 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता इस तर्क पर मांगी है कि यह आपदा असाधारण रूप से भयानक है जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर रखरखाव की आवश्यकता होनी है। इस अनुरोध के आधार पर आंध्र प्रदेश का दौरा करने के लिए एक केन्द्रीय दल तैनात किया गया तथा इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। 9वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार दल की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है। राज्य की आपदा राहत निधि के लिए केन्द्र के भाग की निर्मुक्ति के अलावा केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित राहत भी दिए गए हैं :—

(1) 64.50 करोड़ रुपये के बराबर आपदा राहत निधि का समस्त केन्द्रीय भाग से दे दिया गया है।

(2) प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 करोड़ की धनराशि दी गई है।

(3) मृतकों के निकटतम संबंधी को अनुग्रहपूर्वक भुगतान के लिए इंडियन पीपुल्स राष्ट्रीय आपदा न्यास से अब तक 70 लाख रुपये की धनराशि दी गई है।

(4) असहाय लोगों के बचाव के लिए सशस्त्र सेना द्वारा आवश्यक सहायता दी गई तथा अगम्य क्षेत्रों में खाद्य पैकेट, दवा तथा पेय जल, वायुयान द्वारा उपलब्ध कराए गए।

(5) रेल द्वारा प्राथमिकता के आधार पर राहत सामग्री जल्द से जल्द भेजने के लिए प्रबंध किए गए।

(6) दूर संचार की क्षतिग्रस्त संस्थापनाओं, सड़क, पुल, बिजली तथा रेलवे के त्वरित मरम्मत तथा सुधार के लिए विशेष कार्यकारी दल तैनात किए गए।

(7) बीमा एजेंसियों को सभी बीमा दावों के त्वरित निपटान के लिए कहा गया।

(8) दवाओं की अपेक्षित मात्रा उपलब्ध कराई गई।

(9) भारतीय खाद्य निगम ने वर्षा से भीगा हुआ/मलिन धान और चावल खरीदा है जिसके लिए मापदंड शिथिल किया गया था।

(10) बिजलीघरों को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति की गई।

(11) बैंक को पूर्व निर्धारित बैंक ऋण को आस्थगित करने के निदेश दिए गए तथा किसानों को नए खपत ऋण देने के लिए कहा गया।

(12) कृषि आदानों की खरीद और वितरण के लिए खरीफ, 1990 के लिए 3.00 करोड़ रुपये के अल्पावधि ऋण का आबंटन किया गया।

(13) राज्य द्वारा यथापेक्षित आवश्यक जिंसों की अपेक्षित मात्रा आबंटित की गई।

(14) राष्ट्रीय बीज निगम तथा राज्य फार्म निगम ने बीजों की उपलब्ध किस्में दी हैं।

(15) शहरी आवास विकास निगम (हुडको) 99 करोड़ रुपये की लागत पर एक लक्का पक्का घरों के निर्माण का कार्य शुरू करेगी। यह परियोजना शहरी भू-आवास विकास निगम के सहयोग से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की जा रही है।

(16) केन्द्र सरकार के निदेशक आंध्र प्रदेश में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ने प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए क्षेत्रों/गांवों/शहरों को चुना है।

(ग) मुख्यत: यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को पर्याप्त राहत प्रदान करे। तथापि भारत सरकार ने यह देखने के लिए तत्काल कार्रवाई की है कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा यथापेक्षित सभी संभाव्य सहायता उन्हें दी जाए।

[अनुवाद]

डा० असीम बाला : महोदय, आन्ध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र अभूतपूर्व तूफान और बाढ़ से पीड़ित हैं। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार 928 लोगों की मृत्यु हो गयी है और 2247.76 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त, इन क्षेत्रों में लाखों लोग बेघर हो गए, बहुत बड़ी मात्रा में सम्पत्ति का नुकसान हुआ, बागवानी की 45000 हैक्टेयर भूमि का भी नुकसान हुआ तथा पशुधन और मुर्गी पालन का भी नुकसान हुआ है। यह बाढ़ और तूफान प्रवण क्षेत्र है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 9 वर्षों से अर्थात 1979 से 1988 तक वहां विभिन्न तीव्रता के तूफान आए हैं और व्यापक नुकसान हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिये। आपको अपना प्रश्न पूछना है।

डा० असीम बाला : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भीषण तूफान से मुकाबला करने के लिए कोई योजना बना रही है। मैंने सुना है कि स्थायी उपायों के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी

थी और सिफारिश भी की गयी थी। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का प्रभावित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बचाने के लिए कौन से स्थायी उपाय करने का विचार है ?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बर्बादी का उल्लेख किया है, उसका विवरण सरकार ने अपने उत्तर में दिया है कि बहुत बड़ी बर्बादी हुई है और कोस्टल एरिया में साइक्लोन का असर होता है, कभी कम होता है और कभी ज्यादा होता है। जहां तक पर्मानेंट मैजर्स का सवाल है सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है, लेकिन इस प्रश्न से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है और पर्मानेंट मैजर्स लेने का जहां तक संबंध है उसका बहुत हद तक कृषि मन्त्रालय से संबंध नहीं है।

[अनुवाद]

डा० असीम बाला : इस संबंध में यह सिफारिश की गयी है कि उन्हें कृषि उत्पादन बचाने के लिए स्थायी उपाय करने चाहिए। मंत्री महोदय को इन सिफारिशों के बारे में सभा को सूचित करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : पर्मानेंट मैजर्स के लिए रिकमंडेशंस आपने दी हैं कि किस प्रकार से बांध बांधे जायें, कैसे लोगों को तूफान आने की सूचना दी जाये, सूचना दी जाती है, लेकिन कृषि मंत्रालय से केलेमिटी रिलीफ फण्ड जो रिलीज करते हैं उससे संबंध है, पर्मानेंट मैजर्स के लिए अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं।

[अनुवाद]

डा० असीम बाला : यही प्रश्न 9 अगस्त को कल्याण मंत्रालय से पूछा गया था, परन्तु उस समय मुझे उचित जवाब नहीं मिला था। अब मैं जानना चाहता हूं कि धन और अन्य सामग्री के रूप में केन्द्र और राज्य सरकार ने कुल कितनी राहत दी है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : राज्य सरकार ने जो रिपोर्ट भेजी है उसके हिसाब से उन्होंने राहत, पुनर्वास और दूसरे कार्यों पर लगभग 16 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। केन्द्र का केलेमिटी रिलीफ फण्ड 86 करोड़ रुपये का है उसमें से 75 फीसदी राशि यानि 64 करोड़ 50 लाख रुपये दे दिये हैं।

[अनुवाद]

डा० असीम बाला : आन्ध्र प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों को कितनी राहत दी गई है ?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : दूसरे राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश से 50 लाख रुपये इंडियन नेशनल विपल्स केलेमिटी रिलीफ ट्रस्ट है उसने दिये हैं और कुछ हरियाणा सरकार की तरफ से मिलने की आशा थी। लेकिन अभी 50 लाख रुपये उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं।

[अनुवाद]

श्री पी० नरसा रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि राज्य सरकार ने 867 करोड़ रुपये की और राहत राशि की मांग की है जिसके लिए एक केन्द्रीय दल भेजा गया था और उसकी सिफारिशों पर नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों की दृष्टिकोण से विचार किया जा रहा है। नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर आपने पहले ही धनराशि दे दी है। यदि नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों को ही माना जाए तो उस आधार पर राज्य सरकारों को कुछ भी सहायता प्राप्त नहीं होगी। राज्य के दौरे के दौरान प्रधान मंत्री ने कहा था कि यह राष्ट्रीय विपदा है। अत: इसे ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह आगे और भी राहत दिये जाने के बारे में सदन को आश्वासन देंगे ?

इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा था कि गीले धान को भारतीय खाद्य निगम ने खरीद लिया है परन्तु निगम द्वारा केवल दस प्रतिशत गीला चावल ही खरीदा गया है और शेष धान को नष्ट होने व सूखने के लिए छोड़ दिया गया है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भारतीय खाद्य निगम को समस्त गीले धान की खरीद का निर्देश देने जा रही है ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो केन्द्रीय टीम गई थी 15 से 19 जुलाई के बीच, उसने अपनी रिपोर्ट 30 जुलाई को दी है। वित्त मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाया जा रहा है। प्रधान मंत्री ने उस इलाके का दो बार दौरा किया था और उसके बाद यह कहा था कि यह बहुत बड़ी विपदा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए केन्द्रीय टीम वहां गई। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। राज्य सरकार ने कहा है कि 2247 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और केन्द्रीय सहायता की मांग की है 867 करोड़ रुपये की, लेकिन जो केन्द्रीय टीम गई उसने सेंट्रल नार्म्स के आधार पर रिकमंडेशंस दी हैं वह 168 करोड़ रुपये की हैं। उसमें 86 करोड़ रुपये रिलीफ फण्ड का खर्च किया जा चुका है। बाकी के लिए कितना दिया जा सकता है, उस पर अभी विचार हो रहा है। माननीय सदस्य ने नाइन्थ फाइनेंस कमीशन की चर्चा की। नाइन्थ फाइनेंस कमीशन की रिकमैन्डेशन्स के हिसाब से कैलेमिटी रिलीफ फण्ड का निर्माण किया गया था, लेकिन नाइन्थ फाइनेंस कमीशन ने यह भी कहा है कि अगर इसके बाद भी कोई भयानक विपदा आती है तो उसके संबंध में केन्द्र सरकार अलग से सहायता देने पर विचार कर सकती है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री जी ने वहां कहा था और वित्त मंत्रालय इस बारे में विचार कर रहा है। जहां तक माननीय सदस्य के दूसरे सवाल का ताल्लुक है, इन्होंने परचेज के नोर्म्स में ढिलाई किए जाने का जिक्र किया, मैं बताना चाहता हूं कि 30 जुलाई तक 64,854 मीट्रिक टन धान की खरीद की गयी और 1,46,600 मीट्रिक टन चावल खरीदा गया।

[अनुवाद]

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ने तूफान और बाढ़ पीड़ित आन्ध्र प्रदेश का दो बार दौरा करके बड़ी कृपा की तथा वहां जाकर राहत की घोषणा कर उन्होंने केन्द्रीय सरकार के सकारात्मक रवैय्या का परिचय दिया है। लेकिन जहां तक इस दिशा में की गई कार्यवाही का संबंध है, मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने इस दिशा में जो गंभीर अवरोध है उस पर ध्यान दिया है अथवा नहीं क्योंकि तटवर्ती जिलों मे अक्सर तूफान और बाढ़ आती रहती है। जबकि हम स्वयं ही पेय जल, दवाइयां

और भोजन जैसी विशिष्ट वस्तुओं की व्यवस्था कर रहे हैं तो हमें यातायात की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

यदि राज्य सरकार ने समय पर आवश्यक कार्रवाई न की होती तो तटवर्तीय क्षेत्रों में रहने वाले अधिकतर व्यक्ति मारे जाते। इसलिए वहां रहने वाले मछुआरों को आप पक्के मकान उपलब्ध कराएं तथा तटवर्ती इलाकों में सड़कों की भी व्यवस्था की जाए। चूंकि इसे राष्ट्रीय विपदा घोषित किया गया है, इसलिए सरकार को इसपर ध्यान देना होगा। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या योजना बनाई गई है और क्या कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : राज्य सरकार ने इस मामले को उठाया था और विश्व बैंक के साथ बातचीत भी हुई है। विश्व बैंक की टीम वहां विजिट भी कर चुकी है। विश्व बैंक के साथ राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों की अन्तिम बातचीत 27 से 31 अगस्त, 1990 के बीच होने वाली है। प्रारम्भिक रूप से उन्होंने 660 करोड़ रुपये का आंकलन किया है कि इतनी वे एसिस्टैंस दे सकते हैं। इससे काफी रैस्टोरेशन और वे सारे कार्य हो जायेंगे, जिनका अभी माननीय सदस्य ने जिक्र किया है।

श्री राम कृष्ण यादव : माननीय अध्यक्ष जी, जब आन्ध्र प्रदेश में समुद्री तूफान आया तो उन दिनों मैं भी वहां गया हुआ था। मैंने देखा कि लोगों के सामने सबसे बड़ी परेशानी पीने के पानी की समस्या थी। खारा पानी उनके खेतों में चला गया था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उनके खेतों में घुसे खारे पानी को निकालने के लिए और गड्ढों, खोपरों या पीने के पानी के दूसरे साधनों में जो खारा पानी चला गया था, उसे निकालने के लिए शासन की ओर से अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है, क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री नीतीश कुमार : उसी समय पीने के पानी का तत्काल प्रबंध किया गया था, माननीय सदस्य को स्मरण होगा कि यहां जो मैंने स्यूओ मोटो स्टेटमैंट दिया था, उसमें इसका भी स्पष्ट उल्लेख किया था।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, जहां तक आंध्र के तूफान का संबंध है, प्रधानमंत्री के अनुसार यह राष्ट्रीय विपदा नहीं है, तो राष्ट्रीय विपदा किसे कहा जाएगा ? निःसन्देह वित्त आयोग ने जोरदार सिफारिशें नहीं की हैं। लेकिन आंध्र सरकार तूफान और बाढ़ के परिणामस्वरूप हुए विनाश की क्षति-पूर्ति नहीं कर पाएगी। जहां कहीं भी यह जरूरी और अत्यावश्यक हो, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की सहायता अवश्य की जानी चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं, केन्द्रीय दल ने प्रभावित स्थानों का दौरा करने के बाद सिफारिशें की हैं। लेकिन उन्हें यहां प्रस्तुत नहीं किया गया है।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इसे विशेष मामला मानकर इस पर विचार करेगी और वित्त आयोग की सिफारिशों से अधिक कुछ करने जा रही है ?

दूसरी बात यह है कि इसमें अधिकतर निर्माण और बचाव के कार्य हैं। चूंकि यहां अक्सर तूफान आया करते हैं इसलिए सरकार कुछ ऐसे स्थायी कार्य क्यों नहीं करती ताकि तूफान से होने वाले विनाश से बचा जा सके ? क्या भारत सरकार आंध्र प्रदेश सरकार को सहायता देने के लिए ऐसी कोई

योजना तैयार कर रही है जिससे कि वहां के लोग निर्माण कार्य शुरू कर सकें तथा उन्हें रोजगार मिल सके जिससे वहां के लोगों का पुनर्वास किया जा सके। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार तूफान के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए कोई स्थाई कदम उठा रही है ताकि बड़े पैमाने पर विनाश नहीं हो सके। उड़ीसा में तूफान आया था और इतना विनाश हुआ कि वहां धान की फसल बर्बाद हो गयी। भारतीय खाद्य निगम धान नहीं खरीद रही है। आंध्र प्रदेश की सरकार उड़ीसा से खरीद नहीं कर रही है। उड़ीसा में चावल 90 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है।

इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जहां तूफान के कारण फसल बर्बाद हो गई है, वहां किसानों को तबाही से बचाने के लिए उन इलाकों से धान खरीदने के लिए क्या सरकार कोई विशेष कदम उठा रही है ?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है कि इस पर एक स्पेशल केस के रूप में सरकार विचार करना चाहती है या नहीं, अगर इस पर सरकार स्पेशल केस के रूप में विचार नहीं करती, तो प्रधान मंत्री दो बार वहां नहीं जाते और उनके निर्देश के आलोक में केन्द्रीय टीम वहां गई, उसने जांच की और जो रिपोर्ट दी, उस पर वित्त मंत्रालय में विचार हो रहा है, यह मैंने पहले ही कह दिया है। जहां तक परमानेन्ट साल्यूशन के बारे में है, लोक सभा के पिछले सत्र में उस पर बहस हुई थी उसमें सारे बिन्दुओं पर चर्चा हुई थी और सरकार ने सब कुछ कहा था, उसमें अब कोई नई बात नहीं है। तीसरी बात उड़ीसा के सम्बन्ध में कही है, तो उड़ीसा के लिए कैलेमिटी रिलीफ फण्ड बना हुआ है 54 करोड़ रुपए का। उड़ीसा में साइक्लोन से जो लोग मरे थे, उनको तत्काल जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश में सहायता पहुंचाई गई थी, जो तत्कालीन उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री ने घोषणा की थी कि 25 हजार रुपए इंडियन पीपुल्स ट्रस्ट से दिया जाएगा, उसी प्रकार उड़ीसा के सभी मृतकों को रुपया दिया गया। राज्य सरकार जो रिपोर्ट भेजती है केन्द्रीय सरकार उस पर कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहती है। वह पिछले बार भी कहा गया था और वही स्थिति अब है।

[अनुवाद]

श्री ए० एन० सिंह देव : यद्यपि प्रश्न आंध्र प्रदेश के विषय में है लेकिन यह तूफान किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। उड़ीसा भी तूफान और बाढ़ से प्रभावित हुआ है, विशेषकर गंजम जिला। मैं यह जानना चाहता हूं कि गंजम जिले के लिए सरकार द्वारा कितनी राहत दी गई है।

दूसरी बात यह है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा द्वारा संयुक्त रूप से कदम उठाए जाएं। एक सुझाव यह दिया गया है कि गोपालपुर — बालासोर से आंध्र प्रदेश तक तटबंध बनाया जाए। क्या सरकार इस परियोजना को कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है ?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया है, स्थायी उपाय का जहां तक सवाल है, मैंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि विश्व बैंक से जो सहायता मिलने वाली है, उससे स्थायी उपाय पर भी ध्यान दिया जाएगा और प्लान स्कीम के तहत भी स्थायी उपाय पर ध्यान दिये जाने पर विचार किया जाएगा।

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान और वर्षा से पीड़ित लोगों को हुए नुकसान का जायजा लेकर सहायता प्रदान की गई, उसी प्रकार अन्य किसी राज्य में आने वाले प्राकृतिक प्रकोप से मुक्ति दिलाने के लिए क्या केन्द्र सरकार ने कोई मानदण्ड निर्धारित कर रखे हैं और राजस्थान में अभी जो बाढ़ आई और जिससे लगभग 140 लोग मर गए, उसके लिए सरकार सहायता देने पर विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह आंध्र प्रदेश से सम्बन्धित सवाल है।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, इसका सीधा सम्बन्ध इस प्रश्न से नहीं है, लेकिन कैलेमिटी रिलीफ फण्ड, नाइन्थ फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर बना हुआ है, उस हिसाब से सहायता हर राज्य को दी जाती है। जहां तक प्राकृतिक प्रकोप का सवाल है जहां भी यह आता है उस राज्य के लिए इस फण्ड में से सहायता दी जाती है। उस फण्ड में केन्द्र का नान प्लान के तहत 75 परसेंट अनुदान है और 25 प्रतिशत राज्यों का है। इसलिए राजस्थान में या कहीं भी कोई प्राकृतिक प्रकोप होता है, उस राज्य को उस फण्ड के तहत मदद दी जा सकती है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती उमा गजपति राजू : आंध्र प्रदेश के तूफान को 'राष्ट्रीय विपदा' घोषित किया गया है, वह भी देश के प्रधान मंत्री के द्वारा जो देश का सर्वोच्च पद है। इसका मतलब यह है कि इसमें नियमों, विनियमों और आयोगों द्वारा निर्धारित मानदण्डों से अधिक सहायता की आवश्यकता है। इसलिए आंध्र प्रदेश को अधिक धन मिलना चाहिए। आज हमारे मुख्य मंत्री विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने गये हैं। मैं एक बात विशेषकर मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं। उनके कहने का मतलब यह निकलता है कि प्रश्न (क) का उत्तर वित्त मंत्रालय देगा और प्रश्न (ख) का उत्तर कोई अन्य मंत्रालय देगा। मैं यह कहना चाहती हूं कि ऐसा लगता है कि आंध्र प्रदेश में बाढ़ हर वर्ष ही आती है। मैं यह जानना चाहती हूं कि कृषि मंत्रालय तूफान से पूरी तरह बचने के दीर्घकालीन उपाय के तौर पर क्या कर रहा है अथवा क्या सोच रहा है। दूसरी बात यह है कि श्री देवीलाल जी ने एकबार वायदा किया था कि मृतक के निकटतम संबंधी को 25,000/- रुपये दिए जाएंगे। मैं यह जानना चाहती हूं। कि कितने लोगों को यह राशि दी गई है और इस सम्बन्ध में अब तक कितनी राशि दी जा चुकी है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्या ने उठाया है, इसका उत्तर मैं पूर्व के प्रश्नों में दे चुका हूं। यदि सरकार को चिन्ता नहीं होती तो प्रधानमंत्री दो बार नहीं जाते, केन्द्रीय टीम दौरा नहीं करती और उसके सुझावों पर यहां नाइन्थ फाईनैंस कमीशन का विचार नहीं होता। (व्यवधान) जहां तक स्थायी उपायों के बारे में सवाल है, 15 से 19 जुलाई के बीच केन्द्रीय टीम ने दौरा किया, 30 जुलाई को उसने अपनी रिपोर्ट दी है और आज 16 अगस्त को इस पर विचार हो रहा है। सरकार हर सम्भव मदद करेगी यह बार-बार सदन को सूचित किया जा चुका है। दूसरा सवाल यह है कि तत्कालीन उपप्रधान मंत्री श्री देवीलाल ने यह कहा था कि पच्चीस हजार रुपये मृतक परिवार के नजदीकी संबंधी को दिया जायगा। जब यह घोषणा उस समय की गई उसके बाद से अब तक 78 लाख रुपये उस मद में आंध्र प्रदेश सरकार को दिया जा चुका है। प्रधान मंत्री राहत कोष से दो करोड़ रुपये की घोषणा हुई है। इस प्रकार दस हजार रुपये प्रधानमंत्री कोष से दिलाकर प्रति

परिवार को पचास हजार रुपये देने के लिए सरकार वचनबद्ध घोषित है। 78 लाख रुपए आन्ध्र प्रदेश सरकार को ट्रस्ट के द्वारा दिया जा चुका है और उसके बारे में सूचना नहीं मिली है कि अब कितने लोग बचे हुए हैं और कितनी राशि की जरूरत है। आंध्र प्रदेश से सूचना मिलेगी तो हम लोग देने के लिए वचनबद्ध हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्रीमती उमा गजपति राजू : वह मसले को उलझा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बेंजामिन मैंने आपको बोलने को नहीं कहा है।

श्रीमती उमा गजपति राजू : महोदय, मुख्यमंत्री ने अधिक धनराशि की मांग की है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री युवराज : मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने जो टीम भेजी थी और उस टीम के सामने राज्य सरकार ने डिमांड किया है कि उनको 867 करोड़ रुपये चाहिएं। जो डिमांड किया है उसका दसवां हिस्सा दिया गया यानि कुल 86 करोड़ रुपये दिए गए। हम कैटेगौरीकली जानना चाहते हैं कि जो राशि दी गई है, चाहे प्रधानमंत्री कोष के दो करोड़ रुपये उसमें शामिल किए जाएं या 75 फीसदी नौवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार जो पैसा दिया गया है, यह बिल्कुल अपर्याप्त राशि दी गई है। क्या सरकार इसपर विचार करना चाहती है कि 86 करोड़ रुपये की जो राशि दी गई है वह अपर्याप्त है और डिमांड का वन टैन्थ दिया गया है? और रुपये देकर पानी पीने का सवाल, हरिजन, आदिवासियों के मकान बनाने के सवाल पर मदद मिल सके, क्या इसपर सरकार विचार करना चाहती है?

श्री नीतीश कुमार : इसके संबंध में मैं बता चुका हूं। राज्य सरकार की मांग है लेकिन केन्द्रीय टीम ने रिलीज की जो अनुशंसा की है वह केन्द्र सरकार के नार्म्स से की है क्योंकि सारे देश के नार्म्स का मामला है और उस हिसाब से 168 करोड़ रुपये रिकमैंड किए हैं। बाकी राशि के लिए विचार हो रहा है, यह मैंने पहले ही बता दिया है।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : अध्यक्ष महोदय, यह कुछ सांत्वना की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री ने उस दुर्भाग्यपूर्ण क्षेत्र का दौरा किया है जो बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लेकिन यहां कुछ गड़बड़ है। मैं चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री और अन्य संबंधित मंत्री इस ओर ध्यान दें। जो अध्ययन दल उन्होंने आंध्र प्रदेश भेजा है वह अध्ययन करने में विशेषज्ञ माना जाता है। उन्होंने 867 करोड़ रुपये की क्षति का अनुमान लगाया है। जबकि स्थानीय शासन के विशेषज्ञों जिसमें आई० ए० एस० अफसर,

अनुभवी लोग, जिन्हें विशेषज्ञ समझा जाता है उन्होंने भी 2247 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है। इसके अलावा स्वयं प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्रीय आपदा और संकट के रूप में स्वीकारा है जो अन्य किसी संकट से भिन्न है। अन्य अनुमानों से भी उन्होंने केवल 64 करोड रुपये का प्रस्ताव किया है। क्या इस प्रकार के अपर्याप्त और अस्वीकार्य दृष्टिकोण से वह अनभिज्ञ हैं? इस आपदा के पश्चात् कितने महीने गुजर चुके हैं। वह अभी भी अध्ययन कर रहे हैं। जिन लोगों ने नकसान उठाया है उन लोगों को संकट में दी जाने वाली सहायता कब दी जायेगी? इनमें से अधिकांश हरिजन हैं यह सभी सताये हुए वर्ग के लोग हैं। उन्हें किस प्रकार की सहायता दी गई है? दूसरी ओर सरकार को उन हरिजनों और पिछड़े वर्गों द्वारा दर्शाई गई आत्मनिर्भरता की भावना की सराहना करनी चाहिए जिनकी झोपड़ियां नष्ट हो गईं, और ऋण के रूप में जो थोड़ी बहुत बचत, उनके पास थी वह भी नष्ट हो गई। उनका सब कुछ नष्ट हो गया।··· (व्यवधान) यहां तक की उनके तार्बे के बर्तन और अन्य वस्तुएं भी नष्ट हो गईं। पीड़ित व्यक्तियों द्वारा अपने पुनर्वास के लिए किए गए प्रयत्नों की प्रशंसा करने की बजाए उन्हें उनको संकट के समय कुछ सहायता दी जानी चाहिए थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो कुछ किया वह ठीक होते हुए भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में स्थानीय शासन द्वारा लोगों की मदद पहुंचाने के लिए किए जा रहे प्रयत्नों के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा क्या सहायता देने का प्रस्ताव है? मुख्यमंत्री ने विश्व बैंक को मनाने का कुछ प्रयास किया है। क्या भारत सरकार भी विश्व बैंक को मनाने का प्रयास कर रही है?

अब झोपड़ियों और हटमेंट्स के बारे में, हुडको को उनके मकानों को बनाने में सहायता देने के लिए कहा गया था। इस संबंध में क्या किया गया? इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। यहां अनेक वस्तुओं की आवश्यकता है। लोगों को वास्तविक सहायता, पर्याप्त सहायता की आवश्यकता है। लेकिन भारत सरकार इस दिशा में पर्याप्त कार्य नहीं कर रही है। यहां उत्तर देने के लिए एक कनिष्ठ मंत्री मौजूद है। यह सौभाग्य की बात होगी कि प्रधानमंत्री यहां मौजूद हों और इच्छा बिना इच्छा के वह अपने मंत्री, कनिष्ठ मंत्री की सहायता करे और जबकि सामाजिक अर्थव्यवस्था इस हद तक प्रभावित है उसे नुकसान हुआ है, तो स्थानीय शासन को पर्याप्त सहायता देकर उन्हें सदन को आश्वस्त करना चाहिए··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बेंजामिन, आप क्या कर रहे हैं? कृपया बैठ जाईये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं रंगा जी की बहुत इज्जत करता हूं। आजादी की लड़ाई में इनका योगदान रहा है। उत्तर देने के अधिकार को उन्होंने चुनौती दी है। मैं नहीं समझता कि यह कानूनी और संवैधानिक रूप से सही है ·· (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बुलाया है, आप जवाब दें।

श्री नीतीश कुमार : इनकी उम्र के आदमी को हम कहां से लायेंगे यहां पर खड़ा करने के लिए। अब रही बात डैमेज ऐस्सेसमेंट की। केन्द्रीय टीम ने डैमेज को ऐस्सेस नहीं किया है। राज्य सरकार ने डैमेज के बारे में जो ब्यौरा दिया है, हम लोगों ने उसको मान लिया है। राज्य सरकार ने डैमेज के बारे में 868 करोड़ रुपये की हमें रिपोर्ट नहीं दी है, उसने तो डैमेज के बारे में 2247 करोड़ 76 लाख रुपये का ब्यौरा दिया है जिसको हम लोगों ने कोई चुनौती नहीं दी है। राज्य सरकार ने

रिलीफ की मद में 868 करोड़ रुपये के करीब मांगा है। हम लोगों ने नार्म्स के मुताबिक सजेस्ट किया है, रिकमण्ड किया है, केन्द्रीय टीम ने 168 करोड़ रुपया लेकिन राज्य सरकार ने 867 करोड़ की मांग करके अब तक कुल 116 करोड़ रुपया खर्च किया है, वह भी फीगर दिया गया है। जहां तक सवाल है, इसके बारे में मैंने बार-बार कहा कि सरकार उसपर विचार कर रही है और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, वह अपनी जगह पर है। विश्व बैंक से···(व्यवधान)···अभी 16 दिन बीते हैं, जरा पिछले दिनों की याद करिए। यह जितनी जल्दी हुआ है, आन्ध्र प्रदेश में जो तूफान आया है वह अब तक का बिल्कुल अलग किस्म का है और अब तक इतनी तेजी से पहले नहीं उठा करता था और इस बार जो किया गया है, पहली बार किया गया है। जहां तक असिस्टेंस दिलाने का सवाल है, वर्ल्ड बैंक से भी बातचीत हो रही है और वर्ल्ड बैंक ने प्रिलिमिनरी असेसमैण्ट मान लिया है, 660 करोड़ रुपये का, उसमें भी सारी मदद दिलाई जायेगी। जहां तक अभी माननीय रंगा साहब ने कहा कि घर बर्बाद हुए हैं तो एक लाख पक्के घर बनाने के लिए हुडको ने कबूल कर लिया है, इसकी योजना को और एक लाख पक्के घर बनाये जायेंगे जिसपर 99 करोड़ रुपया खर्च होगा। इस प्रकार अलग-अलग जो पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग्स हैं उनको कहा गया है कि वे गांव सलैक्ट करके उसको डवलप करें, उसको रैस्टोर करें। हर प्रकार से जितनी मदद हो सकती है, आज तक जितनी मदद नहीं की जाती रही है, उतनी मदद इस बार की गई है।

"फिश टेल" वृक्ष से शीतल पेय

106. **श्री अरविन्द नेताम :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में "फिश टेल" वृक्ष से शीतल पेय तैयार किया जाता है जो कि आदिवासियों में लोकप्रिय पेय पदार्थ है;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि गत कुछ वर्षों से "फिश टेल" वृक्ष किसी अज्ञात रोग के कारण नष्ट होते जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का "फिश टेल" वृक्षों को बचाने हेतु विशेष उपाय करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) सूचना मिली है कि "फिश टेल" वृक्षों का उपयोग ताड़ी बनाने के लिए किया जाता है।

(ख) और (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भेजे गए एक विशेषज्ञ दल ने दिसम्बर, 1987 में बस्तर क्षेत्र का दौरा किया और सूचित किया कि पाम वृक्षों के लगातार उपयोग से वे पूर्ण रूप से क्षीण हो जाते हैं जिससे उनमें मूरझान रोग हो जाता है और अन्ततः ये पाम वृक्ष सूख जाते हैं। इस दल ने इस रोग के प्रबंध के लिए कुछ सिफारिशें कीं। यह रिपोर्ट कलक्टर और जिला-धीश, बस्तर और बागवानी तथा फार्म वानिकी निदेशक, मध्य प्रदेश सरकार को फरवरी, 1988 में भेजी गई। राज्य सरकार ने विशेषज्ञ दल द्वारा सुझाए गए उपायों का किसानों में प्रचार किया है जिससे इस रोग की घटना में कमी हुई है।

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष जी, यह जो फिश टेल वृक्ष है, जिसको बस्तर में सल्फी कहते हैं,

यह बहुत लोकप्रिय पेय है। जो दूसरे समाज में बीयर का स्थान है वह इस पेय का स्थान बस्तर के ट्राइबल, आदिवासी समाज में है और बस्तर के परिवार में वह सम्पन्नता का प्रतीक भी है। जिस समाज में यह वृक्ष ज्यादा होता है, वह ज्यादा सम्पन्न माना जाता है और इस वृक्ष के कारण हत्याएं भी जरूर होती हैं, यह भी सही है। मन्त्री महोदय ने कहा कि वृक्षों के लगातार उपयोग से वे पूर्ण रूप से क्षीण हो जाते हैं जिससे उनमें मुरझान रोग हो जाता है, यह बात तो सही है पर जिन वृक्षों का उपयोग नहीं हुआ है, वह भी आज मरते जा रहे हैं तो इसका कारण क्या है। आपके अध्ययन दल ने जो सिफारिशें की हैं, उसमें पर्टिकुलर किसी रोग की बात की गई है? वह कौन-कौन सी सिफारिशें हैं, यह बताने की कृपा करें?

श्री नीतीश कुमार : जो टीम गई थी उसने कुछ सिफारिशें की हैं, अपनी रिपोर्ट में। माननीय सदस्य ने इस सवाल को आई०सी०ए०आर० के तहत उठाया था उसी के बाद यह सब कुछ हुआ था, उसमें यह उपाय सुझाए थे, प्रबन्ध के लिए कि दो वृक्षों के बीच 5 मीटर का अन्तर रखा जाय, उर्वरक और आर्गेनिक का वार्षिक प्रयोग किया जाय जिसमें 5 किलोग्राम नीम की खली शामिल है, विशेषकर गर्मी के दौरान सिंचाई की जाय, फफूंदीनाशी रोग निरोधक का छिड़काव किया जाए, उसके बाद फाइसो सेनीटेशन का इस्तेमाल किया जाय, उस विशेषज्ञ दल ने मोटी-मोटी यह सिफारिशें की हैं।

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने या भारत सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट का जो हार्टीकल्चर और फार्म फोरेस्ट्री डिपार्टमेंट है उसको रिपोर्ट भेजी है और कलेक्टर बस्तर को भी भेजी है परन्तु मेरी जो जानकारी है, इसकी रोकथाम के उपाय के लिए किसानों में सही ढंग से इसका प्रोपेगण्डा नहीं किया गया, उसका प्रयास नहीं किया गया है तो मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि फिर से किसानों में प्रचार करने के लिए छोटी-सी टीम भेजें और उसकी सुपर-वीजन में इसका प्रचार हो, क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में विचार करेंगे? मध्य प्रदेश में बागवानी विभाग कोई सक्षम विभाग नहीं है। मैं इसे बहुत निकम्मा विभाग मानता हूं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि एक टीम वहां पर जानी चाहिए जो इन सब बातों की जानकारी प्राप्त करे।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह एक लोकलाइस प्रोब्लम है और उस इलाके का यह एक लोकप्रिय पेय है। जिस प्रकार से ताड़ी बहुत सी जगहों पर लोकप्रिय है, उस ताड़ी की तरह ही वह पेड़ है। अभी तक इसके बारे में जो सर्वे किया गया है उसके हिसाब से वहां पर मात्र 30 हजार वृक्ष हैं। यह राज्य सरकार और जिला प्रशासन का काम है कि वह इस कार्य को करें। माननीय सदस्य के अनुरोध पर एक टीम वहां गई थी और उन्होंने इसकी जांच भी की थी। कलेक्टर को भी कहा गया है कि वह इन सब चीजों का प्रचार करे ताकि इस पर नियंत्रण पाया जा सके। यह इतना लोकलाइस प्रोब्लम है कि इस पर कोई स्पेसिफिक और बड़ा रिसर्च चला पाना, इन सीमित साधनों को देखते हुए सम्भव नहीं हो पाता।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दन मैं समझता हूं, आपको मुख्य प्रश्न की जानकारी है।

श्री कावम्बुर एम० आर० जनार्दनन : जी हां, मुझे प्रश्न मालूम है और इसीलिए मैं अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ताड़ के वृक्ष तमिलनाडु में उगाए जाते हैं। वानस्पतिक शास्त्र के अनुसार फिश टेल वृक्ष और ताड़ के वृक्ष एक ही श्रेणी के हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ताड़ और नारियल वृक्षों पर एक प्रकार के रोग का असर है और क्या सरकार उसे दूर करने का प्रयास कर रही है। हमें ताड़ के वृक्षों से ताड़ी मिलती है। तमिलनाडु

में ताड़ी के श्रमिक प्रभावित हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्रीय सरकार को ताड़ के वृक्षों पर किसी रोग के लगने की कोई जानकारी मिली है और क्या 'पॉमयरा कल्याण योजना' के अन्तर्गत इस रोग के निदान का कोई प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, वनस्पति विज्ञान की भाषा में कस्विोटा के नाम से जाना जाता है और तमिल में क्या होता है उसके बारे में व्यक्तिगत रूप से कोई जानकारी नहीं है।

महाराष्ट्र के गांवों में डाकघर खोलना

[अनुवाद]

*107. श्री सुधाम वत्ताश्रेय देशमुख :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जिले-वार, ऐसे कितने गांव हैं जहां ग्राम पंचायत केन्द्र तो हैं लेकिन डाकघर नहीं हैं;

(ख) अखिल भारतीय आधार पर, गांवों में डाकघरों की सुविधा की दृष्टि से महाराष्ट्र का कौन सा स्थान है;

(ग) क्या सरकार ने आठवीं योजना अवधि के दौरान गांवों में डाकघर खोलने की कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) डाकघरों में, विशेषकर महाराष्ट्र में, डाक सेवा में सुधार करने हेतु आठवीं योजना अवधि के दौरान कौन-सी नई प्रौद्योगिकियों को उपलब्ध कराया जायेगा ?

[हिन्दी]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

महाराष्ट्र में उन ग्राम पंचायतों की जिलेवार संख्या निम्नानुसार है, जिनमें डाकघर नहीं हैं :

क्र०सं०	जिला	पंचायतों की संख्या
1	2	3
1.	मालवन	90
2.	कोल्हापुर	479
3.	नासिक	732

1	2	3
4.	पुणे	626
5.	सांगली	262
6.	रत्नागिरी	230
7.	सतारा	671
8.	रायगढ़	333
9.	शोलापुर	497
10.	थाने	534
11.	लत्तूर	393
12.	उसमानाबाद	272
13.	नान्देड़	897
14.	परभनी	846
15.	जलगांव	554
16.	धूले	568
17.	बीड़	606
18.	जालना	391
19.	औरंगाबाद	414
20.	अहमदनगर	563
21.	अकोला	624
22.	वर्धा	336
23.	यवतमाल	794
24.	अमरावती	404
25.	भण्डारा	735
26.	नागपुर	506

2. महाराष्ट्र में 10,321 ग्रामीण डाकघर हैं और इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार के बाद इसका चौथा स्थान है हालांकि ग्रामीण जनसंख्या के हिसाब से इसका पांचवां स्थान है।

3. नियोजन के इन्स्टीट्यूट आफ एप्लाइड डिमनफर्मेंट के सहयोग से सातवीं योजना के कार्यक्रम का मूल्यांकन करने का काम शुरू किया है जिसके आधार पर आठवीं योजना के दौरान अपनाये जाने वाले

मानदण्ड निर्धारित किए जाने हैं। इस कार्य के भाग के रूप में एक दीर्घकालिक योजना पर भी विचार किए जाने की संभावना है।

4. विभाग की आठवीं मसौदा योजना की जिसमे पोस्टल टेक्नालॉजी का उन्नयन भी शामिल है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। तथापि, दक्षिण बंबई में आठवीं योजना अवधि के दौरान पूरे किए जाने वाले आटोमेटिक मेल सार्टिंग प्रोजेक्ट को सरकार ने पहले ही मंजूरी दे दी है।

श्री सुदाम दत्तात्रेय देशमुख : अध्यक्ष महोदय, यह जो ब्यौरा दिया गया है इससे साफ जाहिर है कि महाराष्ट्र के कई गांवों में डाकघर केन्द्र नहीं हैं। यहां तक मुसीबत है कि वहां पर एक प्राइवेट पोस्टल एजेंसी काम कर रही है। गवर्नमेंट के रहते हुए वहां पर दूसरे लोग डाक सेवा चला रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सेवायें उपलब्ध न होने के कारण इस प्रकार के कार्य वहां पर हो रहे हैं। ऐसा होना हमारे डाकसेवाओं के ऊपर एक धब्बा है। इसके बारे में आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे कि देहातों और शहरों का फर्क दूर करने के लिए आप देहातों में भी टी०वी० ला रहे हैं, लेकिन डाक सेवा अभी तक वहां उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसके बारे मे मेरा कहना यह है कि आठवीं योजना मे मैंने पूछा है उसका इसमें जवाब नहीं है। आठवीं योजना के अंतर्गत आप कितने डाकघर खोलने वाले हैं और इसके लिए क्या-क्या इन्तजाम करने जा रहे है, इसका भी उत्तर आपने नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न करिए।

श्री सुदाम दत्तात्रेय देशमुख : मेरे प्रश्न का इसमें जवाब ही नहीं है, महाराष्ट्र के कितने गावों में, जहां पर कि एक हजार के करीब जनसंख्या है, वहां पर डिलीवरी सर्विस प्राप्त है ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, सवाल ग्राम पंचायतों के बारे में पूछा गया है। ग्राम पंचायतों का पैमाना अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है, जनसंख्या के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी। महाराष्ट्र में पैमाना बहुत छोटा है, 1600 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत है। उस हिसाब से हमने सूची दे दी है, उसको अब दोहराने की जरूरत नहीं है। करीब 26 जिलों में ग्राम पंचायतें हैं जहां पर डाकघर नहीं है उनकी सूची दे दी है और जितने भी डाकघर खोले गए हैं वह जनता की उपयुक्त सेवा कर रहे हैं।

श्री सुदाम दत्तात्रेय देशमुख : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या आठवीं योजना के अंतर्गत इन सभी गावों को डाकसेवा से जोड़ने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री जनेश्वर मिश्र : आठवीं योजना के दौरान जो नए डाकघर खोले जाने हैं, उनके बारे में इंस्टीट्यूट आफ रूरल डेवलपमेंट की मदद से मानदन्ड तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। जब योजना बन जाएगी तो उसकी जानकारी दी जाएगी।

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, छतरपुर जिले में सैंकड़ों गांव ऐसे हैं जहां पर डाकघर नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न महाराष्ट्र के बारे में है।

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, कृपया प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए। अध्यक्ष महोदय, कुछ गांवों की आबादी 3-4 हजार और वहां तक कि 5 हजार भी है। जब मैंने वहां पर संबंधित अधिकारियों से जानकारी चाही तो बताया गया कि डाकखाने का खर्च चलाने की व्यवस्था गांव की तरफ से नहीं हो पाती है, इसलिए इन गांवों में डाकखाने नहीं खुले हैं। मैं पूछना चाहती हूं

कि पिछड़े क्षेत्रों में जो ऐसे गांव हैं, जहां डाकघर नहीं हैं, क्या उनके लिए कुछ रियायत के तौर पर अलग तरह के नियम बनाए हुए हैं, यदि हां, तो उनके अन्तर्गत जहां-जहां पर इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं, क्या उनकी सूची देने की कृपा करेंगे ?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में 1500 की मिलीजुली जनसंख्या वाले गांव समूह के लिए एक डाकघर खोला जा सकता है और प्रस्तावित डाकघर की संभावित आय भी यदि लागत का 15 प्रतिशत है, तब भी वहां पर डाकखाना खोला जा सकता है, इस तरह की सुविधा है।

[अनुवाद]

श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ : सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य के अनुसार, जिस जिले से मैं आया हूं, उसमें 473 ग्राम पंचायतों में डाकखाने नहीं हैं। प्रत्येक 473 ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत दो से तीन गांव है। इनमें से अधिकांश पहाड़ी क्षेत्रों, दूरदराज के स्थानों और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में हैं।

क्या सरकार ग्राम पंचायतों को डाकघर देने के लिए इन गांवों को प्राथमिकता देगी।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, पिछड़े और पहाड़ी इलाकों के बारे में मैं उमा जी के प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं, ऐसे क्षेत्रों में डाकघर खोलने के बारे में नार्म्स बहुत लिबरल हैं। माननीय सदस्य ने जिस इलाके की चर्चा की है, उस क्षेत्र में यदि ऐसी ग्राम पंचायतें होंगी और वहां पर डाकघर नहीं हैं तो उनके बारे में विचार किया जाएगा।

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय द्वारा जो उत्तर दिया गया है, उसी दृष्टि से मैं जानना चाहती हूं कि मुंबई महानगर की बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए कई क्षेत्रों में जैसे अंधेरी, न्यू लोखंडवाला काम्प्लेक्स, जहां पर करीबन 60,000 आबादी है, लेकिन एक भी पोस्टआफिस नहीं है। गांवों में और पिछड़े तथा पहाड़ी इलाकों में डाकखाने खोलने की कठिनाइयां आपने बताईं, लेकिन मुंबई जैसे महानगर में जहां आबादी इस क्षेत्र में करीब 60,000 से अधिक है और एक भी डाकघर नहीं है, इसके बारे में मंत्री महोदय क्या करने जा रहे हैं।

इसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न है कि मुंबई में जितने डाकघर हैं, उनमें से 50 प्रतिशत पुरानी जगहों पर किराए की इमारतों में चल रहे हैं। कई जगहों पर उचित मरम्मत का काम और यहां तक कि व्हाइट-वाश भी समय से नहीं हो पाता है। क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस स्थिति में सुधार किया जाएगा, ताकि पोस्टआफिस अच्छी तरह से काम कर सकें।

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, महानगरों और 20 लाख की आबादी वाले शहरों के लिए नियम है कि डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर डाकखाना खोला जाएगा। आपने जिस इलाके की तरफ इशारा किया है उसके बारे में विचार होगा। विचार हो भी रहा है। डाकखाने की इमारत की पुताई नहीं होती या इमारत किराए पर है, यह सही है। डाक विभाग घाटे का विभाग है। यह पोस्ट कार्ड और अन्तर्देशीय आदि सारी सेवा देता है। पोस्ट कार्ड छपने से लेकर पहुंचने तक 92 पैसे खर्चा आता है और 15 पैसे में मिलता है। इसलिए हम अपनी इमारत की पुताई नहीं कर सकते। जिस

विभाग में घाटा हुआ करता है, वहां पर कलई और पुताई नहीं कर सकते।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नवोदय विद्यालय खोलना

*81. श्री राम प्रसाद चौधरी :

श्री राजबीर सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1990 तक राज्य-वार कितने नवोदय विद्यालय खोले गए; और

(ख) उनमें से कितने विद्यालयों के लिए समुचित भवनों का निर्माण किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जून, 1990 तक राज्यवार खोले गए नवोदय विद्यालयों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इनमें से जिन विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण कर दिया गया है, उनकी संख्या 75 (पिच्छत्तर) है।

विवरण

नवोदय विद्यालय समिति

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	विद्यालयों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2
2.	आंध्र प्रदेश	20
3.	अरुणाचल प्रदेश	5
4.	बिहार	24
5.	चंडीगढ़	1
6.	दमन और द्वीव	2
7.	दिल्ली	1
8.	दादर और नगर हवेली	1
9.	गुजरात	7

1	2	3
10.	गोवा	2
11.	हरियाणा	9
12.	हिमाचल प्रदेश	8
13.	जम्मू और काश्मीर	14
14.	कर्नाटक	18
15.	केरल	10
16.	लक्षद्वीप	1
17.	मध्य प्रदेश	28
18.	महाराष्ट्र	19
19.	मणिपुर	7
20.	मिजोरम	2
21.	मेघालय	3
22.	नागालैंड	1
23.	उड़ीसा	12
24.	पांडिचेरी	4
25.	पंजाब	8
26.	राजस्थान	20
27.	सिक्किम	1
28.	त्रिपुरा	1
29.	उत्तर प्रदेश	30
		261

संशोधित वन संरक्षण अधिनियम, के अन्तर्गत खनन कार्य पर निर्बन्धन

*82. श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) वन क्षेत्रों में भूमिगत उपयोगी पत्थरों और खनिजों के खनन हेतु जिला प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त पट्टाधारियों पर संशोधित वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत क्या निर्बन्धन लगाने का विचार है;

(ख) क्या पट्टाधारियों को इस शर्त पर खनन की अनुमति दी जा सकती है कि वे क्षतिग्रस्त भूमि के क्षेत्र से दुगुनी भूमि पर वनरोपण करेंगे;

(ग) क्या इस उपबंध के अन्तर्गत वन क्षेत्रों में खनिजों का खनन और पत्थर के लिए खुदाई का कार्य रोक देने के कारण उत्पन्न दुष्प्रभाव से बचने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो वन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों के खनन हेतु क्या तरीके अपनाए जाएंगे ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और इसके संशोधन (1988) के उपबंधों के अन्तर्गत वन भूमि को वनेत्तर प्रयोजन के लिए उपयोग में लाने तथा वन भूमि को प्राइवेट लोगों को पट्टे पर देने/सौंपने पर प्रतिबंध है। अधिनियम में इन प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेने की शर्त रखी गयी है। अतः, वन भूमि पर सतही और भूमिगत खनन द्वारा खनिजों के दोहन के लिए तथा वन भूमि को प्राइवेट लोगों और पट्टाधारकों को पट्टे पर देने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेनी होती है। इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को पट्टे और प्रस्तावित खनन कार्य के संबंध में सभी सम्बद्ध विवरणों सहित प्रस्तावों को निर्धारित प्रपत्र में भेजना होता है। तत्पश्चात प्रत्येक मामले पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। वन क्षेत्रों में खनन की अनुमति पर्यावरण संबंधी पर्याप्त सुरक्षोपाय सुनिश्चित करने के पश्चात ही दी जाती है और इन सुरक्षोपायों में खोदे गये क्षेत्रों का पुनरुद्धार भी शामिल होता है। वन क्षेत्रों में खनन कार्य की अनुमति देते समय समान वनेत्तर भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एक महत्वपूर्ण शर्त है। केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त हो जाने और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट आदेश जारी किये जाने के बाद पट्टा धारक खनन कार्य आरम्भ कर सकते हैं।

(ग) और (घ) वन क्षेत्रों में खनन कार्य रुक जाने से होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए राज्य सरकारों से खनन पट्टों के नवीकरण के संबंध में प्रस्ताव खनन पट्टे की अवधि समाप्त होने की तारीख से कम से कम तीन महीने पहले भेजने की अपेक्षा की जाती है, ताकि उन प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्रवाई करके समय रहते निर्णय लिया जा सके।

कारवाड़ कर्नाटक में नौसेना अड्डा/नौसेना कालेज

[अनुवाद]

*83. **श्री सी० पी० मुद्दालगिरियप्पा :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का सबसे बड़ा और आधुनिकतम नौसेना अड्डा कर्नाटक में कारवाड़ में स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त नौसेना अड्डे के लिए अपेक्षित तकनीकी कार्मिकों

को प्रशिक्षण देने के लिए अकोला अथवा कारवाड़ में नौसेना कालेज स्थापित करने का भी विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधानमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सरकार ने कर्नाटक में कारवाड़ में नौसेना अड्डा स्थापित किए जाने की स्वीकृति दे दी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में छोटानागपुर का विकास

*84. श्री कड़िया मुण्डा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार के छोटानागपुर क्षेत्र के लिए एक विशेष योजना तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने वर्ष 1990-91 के दौरान बिहार के छोटानागपुर क्षेत्र के विकास के लिए कोई धनराशि मंजूर की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागेय गोवर्धन) : (क) भारत सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) योजना आयोग ने वर्ष 1990-91 के लिए इस क्षेत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित दो स्वायत्त प्राधिकरणों के लिए 264 लाख रु० के परिव्यय का अनुमोदन किया है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

स्वायत्तशासी विकास प्राधिकरण

बिहार में छोटानागपुर और संथाल परगना नामक जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए वर्ष 1971 में एक स्वायत्तशासी विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। 1978 में छोटानागपुर और संथाल परगना स्वायत्तशासी विकास प्राधिकरणों को तीन स्वायत्तशासी विकास प्राधिकरणों में बांट दिया गया, एक दक्षिणी छोटानागपुर खण्ड के लिए, दूसरा उत्तरी छोटानागपुर खण्ड के लिए और तीसरा संथाल परगना खण्ड के लिए। इन तीन प्राधिकरणों में से दक्षिणी छोटानागपुर स्वायत्तशासी विकास प्राधिकरण और संथाल परगना स्वायत्तशासी विकास प्राधिकरण मुख्यत: जनजातीय उप-योजना क्षेत्र

में आते हैं। यद्यपि इन दोनों प्राधिकरणों का अधिकार क्षेत्र, दक्षिण छोटानागपुर खण्ड के पलामऊ जिला और संथाल परगना के गोड्डा और देवघर जिलों से थोड़ा आगे तक जाता है।

63.2 इन स्वायत्तशासी विकास प्राधिकरणों का प्राथमिक लक्ष्य यही था कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में विकास के लिए सरकार के प्रयासों का अनुपूरण, पर्यवेक्षण और समन्वय करें। इन्हें स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं तथा अपनी ही धनराशि से इन्हें क्रियान्वित करने के लिए उपयुक्त उपाय करने के लिए दीर्घावधिक और अल्पावधिक प्रादेशिक विकास योजनाएं बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी ताकि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास कार्यों और अन्य विकासात्मक प्रयासों की अनुपूर्ति हो सके। प्रादेशिक विकास आयुक्त, रांची, अपने पद की वजह से इन सभी विकास प्राधिकरणों के उभयनिष्ठ सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं। इन प्राधिकरणों को सांविधिक रूप से शक्तियां भी दी गई हैं ताकि ये जिला आयोजना परिषदों द्वारा निरुपित विकास योजनाओं का अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में अनुमोदन कर सकें। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये स्वायत्तशासी विकास प्राधिकरण समय-समय पर क्षेत्रकीय स्कीमों के कार्यान्वयन का अवलोकन और समीक्षा करते हैं।

63.3 वर्ष 1985—90 के लिए 807.50 लाख रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था जिसमें से 466.50 लाख रुपए सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के अन्त तक खर्च किए गए। शेष धनराशि चालू वित्त वर्ष के अन्त तक पूरी तरह से खर्च कर दिए जाने की संभावना है। इस राशि की सहायता से जनजातीय उप योजना क्षेत्र में दोनों प्राधिकरण, स्थानीय महत्व की छोटी स्कीमों के साथ-साथ अधिकांशतः पूरक प्रकृति की अन्तरः जिला महत्व की स्कीमें चलाने में सक्षम हैं, प्राधिकरण, संबंधित जिला परिषदों, मेसो परियोजनाओं और ब्लाकों के माध्यम से स्कीमों की स्वीकृति और कार्य अधिशासन करते हैं। इन प्राधिकरणों की आयोजना और कार्य अधिशासन में अभी तक विकास नहीं हुआ है। आई० टी० डी० पी० के लिए उप-खण्डात्मक स्तर पर परियोजना प्रशासन स्थापित किया गया है। गृह कार्य मंत्रालय ने इन तीनों प्राधिकरणों को एकीकृत करके एक संगठन में परिवर्तित करने के लिए विचार का समर्थन किया है, जिस पर अभी निर्णय लिया जाना है। इसके अतिरिक्त सरकार आयोजना प्रक्रिया को जिला स्तर तक विकेन्द्रीकृत कर रही है जिसकी वजह से इन प्राधिकरणों द्वारा निभाई जा रही भूमिका का पुनः परीक्षण आवश्यक हो गया है। ये प्राधिकरण क्या रूप ग्रहण करेंगे यह निर्णय लिया जाना है लेकिन यह कल्पना की जाती है कि ये प्राधिकरण किसी न किसी रूप में अपनी भूमिका निभाना जारी रखेंगे और तदनुसार ही प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।

63.4 सदस्य सचिव इन तीनों स्वायत्तशासी विकास प्राधिकरणों के मुख्य अधिशासी हैं। प्रभावी पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन और इन प्राधिकरणों के प्रकार्यों के नियंत्रण के लिए यह अपेक्षित है कि सदस्य सचिव को पर्याप्त स्टाफ की मदद दी जाए। इस समय इनकी सहायता के लिए कनिष्ठ चयन ग्रेड के ओहदे का केवल एक अधिकारी उनके सचिव के रूप में कार्य करता है। यद्यपि इन सभी प्राधिकरणों के उभयनिष्ठ प्रशासनिक मामलों और नीति संबंधी मामलों का निपटान सदस्य सचिव द्वारा किया जाता है लेकिन इन मामलों की जांच या आवश्यक पत्राचार इत्यादि के लिए कोई सचिवालय नहीं है। अतः एक सामान्य सचिवालय की न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, एक सहायक, एक टाइपिस्ट और एक चपरासी के अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव है। दक्षिणी छोटानागपुर स्वायत्तशासी विकास प्राधिकरण के उप सचिव, अपने कार्य के अतिरिक्त सदस्य सचिव के कार्यालय में उप-सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे तदनुसार, प्रस्तावित अतिरिक्त पदों का सृजन करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 5.00 लाख रुपए की राशि प्रदान करने का प्रस्ताव था। वर्ष 1990-91 के दौरान 50,000.00 रुपए की राशि के व्यय का प्रस्ताव है।

63.5 स्वायत्तशासी विकास प्राधिकरण बिना अपने कार्यालय भवनों और स्टाफ क्वार्टरों के कार्य करते हैं। इन प्राधिकरणों को सहजता और प्रभावी ढंग से कार्य करने के साथ-साथ अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को आवास सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए विकास धन-राशि में से 35.00 लाख रुपए की राशि प्रदान करने का प्रस्ताव है ताकि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दक्षिणी छोटानागपुर और संथाल परगना विकास प्राधिकरणों के कार्यालय भवनों और स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया जा सके।

63.6 प्राधिकरण के विकास कार्यों के प्रभावी पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए दक्षिणी छोटा-नागपुर और संथाल परगना स्वायत्तशासी विकास निकायों के उप सचिवों के लिए एक-एक डीजल जीप खरीदने की व्यवस्था का प्रस्ताव है। इस समय दोनों प्राधिकरणों में प्रत्येक के पास एक-एक स्टाफ कार है जो कि उपाध्यक्ष के पास रहती है। दो ड्राइवरों के पदों के सृजन की भी आवश्यकता होगी। प्राधिकरणों के विकास क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए अनुसचिवीय स्टाफ के कुछ पदों के सृजन की भी आवश्यकता होगी। इस कार्य के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 4.00 लाख रुपए की धनराशि निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

63.7 ऊपर उठाए गए मुद्दों के हल होने तक आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उप योजना क्षेत्र में आने वाले इन विकास प्राधिकरणों के लिए 1000.00 लाख रुपए की एक मुश्त धनराशि का प्रावधान रखा गया है, इससे से 250.00 लाख रुपए 1990-91 के दौरान खर्च करने का प्रस्ताव है।

सार

क्र० सं०	स्कीम	टी एस पी परिव्यय 1990-91	टी एस पी परिव्यय 1990.91 (लाख रुपए में) टी०एस०पी०	एस०सी०पी०	कुल जोड़
1.	दक्षिणी छोटानागपुर स्वायत्तशासी विकास प्राधिकरण को अनुदान	700.00	180.00	—	180.00
2.	संथाल-परगना स्वायत्त-शासी विकास प्राधिकरण को अनुदान	300.00	70.00	—	70.00
	जोड़ :	1000.00	250.00		250.00

एझीमला नौसेना अकादमी

*85. प्रो० पी० जे० कुरियन :

श्री एस० कृष्ण कुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एझीमला में नौसेना अकादमी का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए कोई संशोधित समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो मूल और संशोधित समय-सीमा का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना का प्रथम चरण मूलरूप से 1992 तक पूरा किए जाने की योजना थी। परन्तु वास्तुकार के चयन के लिए वास्तुशिल्प प्रतियोगिता आयोजित करने तथा डिजाइन को अन्तिम रूप देने में लगने वाले समय और धन की कमी के कारण अब परियोजना का प्रथम चरण वर्तमान योजना (1990-95) के अंत तक पूरा किए जाने की संभावना है बशर्ते इसके लिए धन उपलब्ध हो। परियोजना का द्वितीय चरण इसके बाद शुरू किया जाएगा।

(ग) केन्द्र सरकार ने परियोजना पर अब तक लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है।

गाडगिल फार्मूला में संशोधन

*86. श्री बनवारीलाल पुरोहित :

श्री हरीश रावत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्तमान गाडगिल फार्मूला में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या उक्त गाडगिल फार्मूला के बारे में कोई अन्तिम निर्णय लेने से पहले राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया जायेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय चौधरी) : (क) से (ग) जी हां। योजना आयोग आशोधित गाडगिल फार्मूले में संशोधन पर विचार कर रहा है। संशोधन के बारे में कोई भी निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद् मुख्य मन्त्री जिसके सदस्य हैं, के अनुमोदन से ही लिया जाएगा।

मांट्रियल, प्रोटकाल के सदस्य देशों की बैठक

*87. श्री कल्पनाथ राय :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में पर्यावरण के बारे में लंदन में हाल ही में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई;

(ख) इस सम्मेलन में किन-किन देशों ने भाग लिया;

(ग) मांट्रियल प्रोटकाल पर हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में मतैक्य संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस सम्मेलन में वर्ष 1977 तक क्लोरोफ्लोरो कार्बन को क्रमिक रूप से समाप्त करने के प्रस्ताव का किन-किन देशों ने विरोध किया था;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) मांट्रियल प्रोटकाल समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या प्रोटकाल पर हस्ताक्षर करने के प्रयोजनार्थ उन उपबंधों को निकाल दिया गया है जिनके कारण विकासशील देशों के प्रति भेदभाव होता था ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों पर मांट्रियल प्रोतोकाल में संशोधनों पर चर्चा करने के लिए मांट्रियल प्रोतोकाल के पक्षकार देशों की दूसरी बैठक 27—29 जून, 1990 को लंदन में हुई।

(ख) एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) मांट्रियल प्रोतोकाल एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता हैं जिसमें देश और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन हस्ताक्षर कर सकते हैं और उसका समर्थन कर सकते हैं। प्रोतोकाल पर हस्ताक्षर करने के लिए किसी मतैक्य पर पहुंचने का कोई प्रश्न नहीं है।

(घ) और (ङ) 1997 तक क्लोरोफ्लूरोकार्बनों को पूरी तरह समाप्त करने के प्रस्ताव का कुछ देशों ने विरोध किया क्योंकि उनके मत से इस प्रकार इनको समाप्त करना व्यवहार्य नहीं है।

(च) मांट्रियल प्रोतोकाल का उद्देश्य ओजोन परत का ह्रास करने वाले पदार्थों की खपत को कम करना और उनको समाप्त करना है। प्रोतोकाल पर हस्ताक्षर करने वाले देश चरण-बद्ध तरीके से ओजोन का ह्रास करने वाले प्रमुख पदार्थों के उत्पादन और खपत में कमी लाने पर सहमत हो गए हैं। माननीय संसद सदस्यों के संदर्भ के लिए मांट्रियल प्रोतोकाल तथा लंदन में आयोजित प्रोतोकाल के पक्षकार देशों की दूसरी बैठक की रिपोर्ट की एक प्रति संसद के पुस्तकालय में रखी गई है।

(छ) लंदन सम्मेलन में इस बात पर सहमति हुई थी कि विकासशील देशों के खिलाफ भेद-भावपूर्ण वाले उपबन्धों के खंडों में उपयुक्त संशोधन किया जाए ताकि विकासशील देश इसमें भाग ले सकें।

विवरण

मांट्रियल प्रोतोकाल के पक्षकार देशों की दूसरी बैठक में भाग लेने वाले देशों/राज्यों की सूची

निम्नलिखित देश/राज्य, जो मांट्रियल प्रोतोकाल के पक्षकार हैं, ने इसमे भाग लिया :—

आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, बाइलोरसिया, एस० एस० आर० कैमरून, कनाडा, चिल्ली, डेनमार्क, मिश्र, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मन गणतन्त्र, जर्मन संघीय गणतन्त्र, घाना, ग्रीस, ग्वाटेमाला, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, जापान, जोर्डन,

कीनिया, लियटनस्टेन, लक्षमबर्ग, मलेशिया, मालद्वीव, माल्टा, मेक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, नार्वे, पनामा, पुर्तगाल, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, स्वीडन, स्विटजरलैंड, सीरिया अरब गणराज्य, थाइलैंड, त्रिनिदाद तथा टोबागो, तुनिसिया, उगांडा, उक्रेनियन एस०एस० आर०, रूस, इंगलैंड, अमरीका, वेनुजुला और जाम्बिया।

निम्नलिखित देश/राज्य जो प्रोतोकाल के पक्षकार देश नहीं हैं, ने भी भाग लिया :

अल्जीरिया, अंगोला, एंटीगुआ और बारबुदा, अर्जेंटीना, बंगलादेश, बारबाडोस, बोत्सवाना, बुनी दारूसेलम, बल्गेरिया, बुशंडी, चीन, कोलम्बिया, कांगो, कोट-डी-आइवोरी, चेकोस्लोवाकिया, डोमिनिका, इक्वेडोर, एल सल्वाडोर, भारत, कुवैत, मालावी, मोरक्को, माइनमार, परागुवे, पेरू, फिलीपीन, पोलैंड, क्वतार, कोरिया गणराज्य, रोमानिया, सऊदी अरब, सेनेगाल, सोमालिया, सूडान, स्वाजीलैंड, टोगो, तुर्की, उरूग्वे, यमन युगोसलाविया जाइरे और जिम्बाववे।

अपर वर्धा सिंचाई परियोजना, महाराष्ट्र

*88. **प्रो० रामगणेश कापसे :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्यों ने हाल ही में अपर वर्धा सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन में वन विभाग द्वारा डाली गई रुकावटों के बारे में प्रधानमन्त्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख) स्थिति का पता लगाया जा रहा है। ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों, ज्ञापन की तारीख, ज्ञापन प्रस्तुत करने के तरीके आदि जैसी बातों के बारे में विशिष्ट जानकारी न होने के कारण ज्ञापन का स्पष्टत: पता लगाना सम्भव नहीं हो पाया है इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि महाराष्ट्र विधान सभा के माननीय सदस्यों द्वारा प्रधान मन्त्री जी को कोई ऐसा ज्ञापन भेजा गया था या नहीं।

एशियन एण्ड पेसिफिक सेंटर फार ट्रान्सफर आफ टैकनोलोजी का कार्यालय बंगलौर से नई दिल्ली लाना

*89. **श्री एस० सी० श्रीकान्तय्या :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियन एण्ड पेसिफिक सैंटर फार ट्रान्सफर आफ टैकनोलोजी का कार्यालय बंगलौर से नई दिल्ली लाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसे कब स्थानान्तरित किया गया था और इसका स्थानान्तरण करने का क्या कारण था ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) इकोनोमिक एवं सोशल कमीशन फार द एशिया एण्ड स्पेसिफिक (ई० एस० सी० ए० पी०) के तत्वाधान में एशियन एण्ड पैसिफिक सैंटर फार ट्रांसफर आफ टैकनोलोजी इस समय बंगलौर

से कार्य संचालन कर रहा है। तथापि, भारत सरकार ने "ई० एस० सी० ए० पी०" के अनुरोध पर केन्द्र को दिल्ली में स्थानान्तरित करना स्वीकार कर लिया है। बंगलौर में अवस्थित होने के कारण केन्द्र के सामने आने वाली कठिनाइयों की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया है जिसमें साथ-साथ सदस्य देशों के दूतावास यू० एन० डी० पी० एवं हमारी सरकार के मन्त्रालयों के साथ केन्द्र की अन्योन्य क्रियाओं की कठिनाइयां सदस्य देशों से केन्द्र तक यात्रा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अतिरिक्त ठहराव सहित होने वाली कठिनाइयां तथा अन्य सदस्य देशों ने केन्द्र की अवस्थिति को केन्द्र के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध न हो सकने के लिए उत्तरदायी ठहराने की समस्याएं सम्मिलित हैं।

प्रौद्योगिकी भवन के समीप सांस्थानिक क्षेत्र, केन्द्र के भवन निर्माण का कार्य 1991 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

"इन्सैट" कार्यक्रम

[हिन्दी]

*90. श्री रेशम लाल जाँगड़े :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 से अब तक "इन्सैट" तथा अन्य उपग्रहों को छोड़ने के संबंध में कितने परीक्षण किए गए हैं और उनमें से कितने सफल रहे तथा कितने उपग्रह अभी भी अपनी कक्षा में हैं;

(ख) उपग्रहों के निर्माण, रख-रखाव, छोड़ने और उन्हें कक्षा में स्थापित करने के लिए उपग्रह-वार अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) वर्ष 1990 में इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(घ) इन्सैट-1 डी० का अधिकतम उपयोग करने के लिए "एन्टीना" और "डिस्क" की दिशा में कितनी डिग्री परिवर्तन किया गया; और

(ङ) इन्सैट-1 डी० का कुल कितना कार्यकाल होगा ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (ग)

परियोजना	प्रमोचन वर्ष/तारीख	उसके परिणाम उद्देश्य	अनुमोदित परिव्यय/व्यय	वित्त व्यवस्था 1990-91	स्थिति/टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
उपग्रह शैक्षणिक दूरदर्शन परीक्षण (साईट)	1975-76 (अमरीकी उपग्रह ए०टी०एस०-6 से परीक्षण किया गया)	इस परीक्षण से उपग्रह आधारित शैक्षणिक संबंधी दूरदर्शन प्रणाली, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में, का विकास, जांच और प्रबन्ध में और इष्टतमी प्रणाली के प्राचलों की अवधारणा के सम्बन्ध में अनुभव, विकासशील देशों में प्रभावी जन संचार के तीव्र विकास में उपग्रह प्रौद्योगिकी की सम्भाव्य उपयोगिता का प्रदर्शन ग्रामीणों की व्यवहारिक शिक्षा में उपग्रह	परिव्यय 9.86 करोड़ रुपये	शून्य	परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण। परियोजना बंद कर दी गई।

1	2	3	4	5	6
		आधारित टी०वी० प्रसारण की संभाव्य उपयोगिता का प्रदर्शन, और महत्वपूर्ण प्रबन्धकीय, आर्थिक, प्रौद्योगिकीय और सामाजिक निहितार्थों सहित भारत में राष्ट्रीय विकास का अनुकार करना संभव हुआ।			
उपग्रह दूरसंचार परीक्षण परियोजना (स्टेप)	1977—79 (यह परीक्षण फ्रांस, पश्चिम जर्मनी उपग्रह, सिम्फोनी का प्रयोग करते हुए किया गया।	स्टेप के उद्देश्यों में शामिल दूर-संचार के लिए भू-स्थिर उप-ग्रह प्रणाली की जांच उपलब्ध कराना, उपग्रह संचार प्रणालियों के अन्तर्ग्रस्त विविध भू-खण्ड सुविधाओं के डिजाइन, विकास, निर्माण और प्रचालन में भारत की क्षमता और अनुभव को बढ़ाना और तकनीक का चयन करने के लिए अपेक्षित स्वदेशी क्षमता का निर्माण करना तथा भारत के लिए भावी प्रचालनात्मक दूरसंचार	परिव्यय 2.40 करोड़ रुपये	शून्य	परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण। परियोजना बंद कर दी गई।

1	2	3	4	5	6
		उपग्रह प्रणाली के लिए इष्टतमी प्राचलों को प्राप्त करना, शामिल था।			
आर्यभट्ट	19.4.1975 (सोवियत रूस से इंटरकास्मॉस राकेट द्वारा)	एक अन्तरिक्ष-अर्ह उपग्रह प्रणाली का देश में डिजाइन और निर्माण करना और कक्षा में इसके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना; उपग्रह पर उसके कक्षीय चरण में अटिल प्रचालनों की एक शृंखला का संचालन करते हुए विधिक्षेत्र का विकास करना; भू-आधारित अभिग्रहण, सम्प्रेषण और अनुवर्तन प्रणालियों की स्थापना करना; तथा अन्तरिक्षयान प्रणाली के निर्वाण के लिए अवसंरचना की स्थापना करना।	परिव्यय 5.09 करोड़ रुपये	शून्य	अभी कक्षा में है। मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है और परियोजना बंद कर दी गई है।

1	2	3	4	5	6
भास्कर-I भास्कर-II	7.6.1979 20.11.1981 (सोवियत संघ से इंटरकॉस्मॉस रॉकेट द्वारा)	ये उपग्रह स्वदेशी रूप में डिजाइन और संविरचित किए गए। इनका उद्देश्य भू-पर्यवेक्षण संबंधी परीक्षण करना तथा प्रत्यक्ष और निकट अवरक्त तरंगदैर्ध्यों में परिचालित दो दूरदर्शन कैमरों का उपयोग करते हुए जलविज्ञान, वानिकी और भू-विज्ञान से संबंद्ध क्षेत्रों में आंकड़ों का संकलन, संसाधन, विश्लेषण और प्रकीर्णन करना, और दो आवृत्ति माइक्रोवेव रेडियोमीटर का प्रयोग करते हुए समुद्री अवस्था का अध्ययन करना था। दोनों भास्कर मिशनों से प्राप्त अनुभव से देश के प्रचालनात्मक सुदूर संवेदन उपग्रह को महत्वपूर्ण निवेशों की उपलब्धि हुई है।	परिव्यय 7.95 करोड़ रुपये	शून्य	भास्कर-I, कक्षा में नहीं है। वायुमंडल में पुनः प्रविष्ट। भास्कर-II, अभी कक्षा में है। मिशन के उद्देश्य प्राप्त। परियोजना बंद कर दी गई है।

1	2	3	4	5	6
एरियन पैसेंजर नीतभार परीक्षण (एप्पल)	19.6.1981	इस उपग्रह का डिजाइन और निर्माण स्वदेशी रूप में किया गया। इसका उद्देश्य संचार उपग्रहों के लिए प्रौद्योगिकी का अर्जन करना था।	परिव्यय 17.97 करोड़ रुपये	शून्य	अभी तक कक्षा में है। मिशन के उद्देश्य प्राप्त हो गए हैं। परियोजना बंद कर दी गई है।
रोहिणी	दो प्रायोगिक (1979/80) और दो विकासात्मक (1981/82)	इन उपग्रहों का डिजाइन और निर्माण स्वदेशी रूप में किया गया। इसका उद्देश्य प्रमोचक राकेट के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन तथा वैज्ञानिक परीक्षण करना था।	परिव्यय प्रत्येक की 2.00 करोड़ रुपए	शून्य	परियोजना पूरी हुई। एक प्रायोगिक और एक विकासात्मक उड़ान एस० एल० बी०-3 के माध्यम से सफल।
भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट-I ए और I बी०)	I ए० 8.4.82 I बी० 30.8.83	टी० वी० प्रसारण, मौसम विज्ञान और संचार के क्षेत्रों में प्रचालनात्मक सेवाएं उपलब्ध कराना।(**)	परिव्यय 122.29 करोड़ रुपये/ 31.3.90 तक व्यय 136.92 करोड़ रुपये	0.42 करोड़+ 3.27 करोड़ रुपये	I ए० मिशन असफल। यद्यपि इन्सैट-I ए० उपग्रह अभी भी कक्षा में है, I बी० पूर्णतया सफल रहा और सात वर्ष की अवधि के बाद अभी भी कार्य कर रहा है।

1	2	3	4	5	6
इन्सैट-1 सी०	22.7.1988	टी० वी० प्रसारण, मौसम विज्ञान और संचार के क्षेत्रों में प्रचालनात्मक सेवाएं उपलब्ध कराना। (**)	परिव्यय 154.09 करोड़ रुपये/ 31.3.90 तक व्यय 146.30 करोड़ रुपये	0.23 करोड़ रुपये	उपग्रह अभी भी कक्षा में है। मिशन को बंद कर दिया गया है।
इन्सैट-1 डी०	12.6.90	इन्सैट-1 बी० के स्थान पर कार्य करने के लिए।	परिव्यय 192.19 करोड़ रुपये/ 31.3.90 तक व्यय : 178.60 करोड़ रुपये	11.76 करोड़ रुपये	कक्षा में है और उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध करा रहा है।
भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई०आर०एस०-1 ए० और 1 बी०)	17.3.1988 (आई० आर० एस० 1ए० सोवियत प्रमोचक वोस्ताक द्वारा प्रमोचित)	आई० आर०एस०-1 ए० देश की राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली (एन०एन०आर० एम०एस०) के अंतरिक्ष खण्ड के निर्धारण के लिए सुदूर संवेदन उपग्रहों की शृंखला में पहला उपग्रह है।	परिव्यय 74.75 करोड़ रुपये	अनुवर्तन सहायता के लिए 8.35 करोड़ रुपये	आई०आर०एस०-1ए० कक्षा में है और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्ध के लिए उपयोगी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। (आई० आर०एस०-1 बी०का प्रमोचन 1991-92

1	2	3	4	5	6
					के लिए निर्धारित है)।

(घ) इन्सैट-1 डी०अन्तरिक्षयान की एंटेना भारत के इष्टतमी आच्छादन को उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है।

(ङ) इन्सैट-1 डी० से सात वर्ष से अधिक समय तक प्रचालनात्मक सेवाएं उपलब्ध कराने की आशा है।

सभी इन्सैट-1 (ए०बी०सी०डी०) उपग्रहों का निर्माण संयुक्त राज्य अमरीका की फोर्ड एयरोस्पेस कार्पोरेशन द्वारा किया गया है, लेकिन इनकी प्रणाली संरूपण और विनिर्देशन भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किया था। इनका प्रमोचन-1 ए० (यू०एस०ए० के डेल्टा-3910 प्रमोचक राकेट), 1 बी० (अमरीकी अन्तरिक्ष-शटल), 1 सी० (यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन राकेट), 1 डी० (संयुक्त राज्य अमरीका के डेल्टा प्रमोचक राकेट) द्वारा किया गया था।

(**) (इन्सैट-1 ए० और 1 सी० की असफलता के कारण बीमा और अन्य वसूलियों के रूप में 200.30 करोड़ रुपये की राशि वसूल कर ली गई है)।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन

[अनुवाद]

* 91. डा० वेंकटेश काबडे :

श्री टी० बशीर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय कार्यालय कब खोलेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ आयोग की संगठनात्मक संरचना, कार्मिक नीतियों, तथा प्रशासनिक पद्धतियों और कार्यविधियों की समीक्षा करने के लिए जून, 1985 में भारतीय शैक्षिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद को एक अध्ययन कार्य सौंपा है। स्टाफ कालेज से यह रिपोर्ट अभी प्राप्त की जानी है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने सैद्धांतिक रूप से आयोग के क्षेत्रीय केन्द्र खोलना स्वीकार कर लिया है। तथापि, आयोग ने क्षेत्रीय केन्द्रों की भूमिका, विशेष रूप से राज्य उच्च शिक्षा परिषदों की तुलना में उनकी भूमिका की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है।

साक्षरता अभियान (आपरेशन ब्लेक बोड)

*92. श्री चित्त महांता :

श्री चित्त बसु :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि साक्षरता अभियान की राज्य-वार प्रगति का ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : केन्द्रीय सरकार ने 30 सितम्बर, 1986 की यथा स्थिति के अनुसार सभी विद्यमान प्राइमरी स्कूलों को (i) एक शिक्षक वाले स्कूलों में एक अतिरिक्त शिक्षक; (ii) एक बड़े बरामदे; लड़के तथा लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय सम्बन्धी सुविधाओं सहित सभी मौसमों में प्रयोग आने वाले दो पर्याप्त रूप से बड़े कमरे; (iii) ब्लैक बोर्ड, नक्शे, चार्ट, लघु पुस्तकालय, खिलौने, खेल और कार्य अनुभव के लिए एक उपस्कर सहित अनिवार्य शिक्षण, अध्यापन सामग्री जैसी न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से वर्ष 1987-88 में आपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक योजना चलायी थी। शिक्षकों के वेतन तथा शिक्षण अध्यापन सामग्री के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कूल भवनों के निर्माण के लिए धन जुटाना राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों का उत्तरदायित्व है। आपरेशन ब्लैक बोर्ड के कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रगति विवरण संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

1987—90 में राज्यों/संघ शासित प्रशासनों में आपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	शामिल किए गए स्कूलों की संख्या	संस्वीकृत किए गए अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या	नियुक्त किए गए अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या	टी० एल० ई० के लिए मंजूर की गई राशि (रु० लाख में)	तैयार किए जाने वाले कमरों की संख्या	स्कूल भवनों का निर्माण	
							पूरा किया गया	निर्माणाधीन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	26158	11282	9861	1 830.82	32911	3701	8000
2.	अरुणाचल प्रदेश	597	292	292	41.75	200	1200	262
3.	असम	14895	2065	2065	1367.64	36504	1200	2827
4.	बिहार	24754	8418	8418	1729.24	36506	5152	3802
5.	गोवा	775	108	106	50.59	415	98	67
6.	गुजरात	5214	2374	2050	391.53	8345	550	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	हरियाणा	3869	302	65	269.22	1266	214	124
8.	हिमाचल प्रदेश	6934	1010	1010	550.72	2453	644	327
9.	जम्मू और कश्मीर	5478	1741	573	403.55	4306	251	455
10.	कर्नाटक	14080	9326	1219	908.31	17890	962	6528
11.	केरल	3710	—	—	530.67	1821	0	205
12.	मध्य प्रदेश	33012	10274	3897	2364.32	31792	1785	3207
13.	महाराष्ट्र	7951	3294	3101	501.47	21923	111	1188
14.	मणिपुर	1495	44	44	179.06	314	1077	—
15.	मेघालय	766	348	330	70.02	2503	105	—
16.	मिजोरम	493	88	88	31.99	255	20	—
17.	नागालैण्ड	1190	25	25	88.42	3	185	92
18.	उड़ीसा	20156	7366	7366	1531.29	17647	448	1524
19.	पंजाब	8610	757	639	676.10	3155	577	137
20.	राजस्थान	17207	9816	9816	1716.44	13836	4299	1128
21.	सिक्किम	509	45	45	40.41	59	—	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	तमिलनाडु	29135	1829	1300	2306.66	11346	368	87
23.	त्रिपुरा	922	70	39	90.31	709	318	128
24.	उत्तर प्रदेश	65388	7224	5468	4956.22	34679	2742	2200
25.	पश्चिम बंगाल	11139	323	—	366.90	17499	0	943
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	182	7	—	7.34	30	5	22
27.	चंडीगढ़	23	—	—	1.17	2	0	0
28.	दादर नगर हवेली	17	17	15	1.19	105	0	0
29.	दमन और द्वीव	323	—	—	1.19	2	0	0
30.	दिल्ली	668	—	—	32.39	13	0	0
31.	लक्षद्वीप	19	—	—	0.48	—	0	0
32.	पांडिचेरी	243	47	47	19.28	78	0	99
	भारत	305567	78492	57880	23052.89	298587	24907	32875

कर्नाटक भूमि सौदे के बारे में कुलदीप सिंह आयोग की रिपोर्ट

*93. **श्री आर० गुंडू राव :**

श्री जनार्दन पुजारी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक भूमि सौदे के बारे में कुलदीप सिंह आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(ग) क्या सरकार का यह रिपोर्ट और इसके सम्बन्ध में टिप्पणियां सभा पटल पर रखने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) कुलदीप सिंह जांच आयोग एक ऐसा आयोग था जिसका गठन सरकार द्वारा जांच आयोग अधिनियम 1952 के उपबन्धों के अन्तर्गत किया गया था। जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 (4) के अनुसार आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत किए जाने की 6 महीने की अवधि के भीतर आयोग की रिपोर्ट को उस पर की गई कार्रवाई से सम्बन्धित एक ज्ञापन सहित, संसद में रखा जाना होता है। इस उपबन्ध के अनुसरण में कार्रवाई की जा रही है। तथापि, आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति माननीय संसद सदस्यों की सूचना के लिए पहले ही संसद पुस्तकालय में रख दी गई है।

पालिटेक्नीक कालेजों के लिए विश्व बैंक से सहायता

*94. **डा० असीम बाला :**

श्री आर०एन० राकेश :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक पालिटेक्नीक कालेजों की स्थापना करने तथा मौजूदा पालिटेक्नीक कालेजों का आधुनिकीकरण करने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सहायता का किस प्रकार उपयोग करेगी, और राज्यवार तथा श्रेणीवार प्राथमिकताओं सहित तत्संबन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को कार्यान्वित करने में पिछड़े क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का है; और

(घ) इस योजना को किस वर्ष से कार्यान्वित करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) विश्व बैंक देश में क्षमता, कोटि और दक्षता में तकनीशियन (पालिटेक्नीक) शिक्षा को प्रोन्नत करने की एक परियोजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है। परियोजना के चरण-1 के लिए जिसकी 800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत का अनुमान है, बिहार, गुजरात, कर्नाटक,

केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में लगभग 280 पालिटेक्नीकों को शामिल करने के लिए 260 अमरिकी डालर में विश्व बैंक की सहायता का प्रावधान है। विश्व बैंक से मांगी गई राज्यवार और घटकवार सहायता के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) मुख्य रूप से यह एक राज्य क्षेत्र की परियोजना है और राज्य सरकारों ने अपनी श्रेणी-वार और क्षेत्रवार प्राथमिकताओं पर विचार करते हुए अपने प्रस्ताव तैयार किये हैं।

(घ) परियोजना का चरण-I 1990—1997 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा।

विवरण

तकनीकी शिक्षा परियोजना (भारत)

राज्यों द्वारा प्रस्तावित परियोजना के संघटक

घटक	बिहार	गुजरात	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	उड़ीसा	राजस्थान	उत्तर प्रदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्षमता विस्तार								
नवीन डिप्लोमा और उत्तर डिप्लोमा पाठ्य-क्रम (विभिन्न स्वरूप के)	12	25	8	6	4	26	13	30
नई सह-शिक्षा पोलिटेक्नीक	3	1	2	1	8	—	3	2
हाल के स्थापित नई पोलिटेक-निकों को सुदृढ़ बनाना	3	5	—	9	—	1 (म)	1 (म)	16
सामुदायिक पोलिटेक्नीक	3	—	4	6	5	3	—	—
आवासीय पोलिटेकनिक और महिलाओं के लिए खंड	1	4	1	1	6	2	3	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
लड़कों/ महिलाओं के लिए छात्रावास	1500	1330	940	1180	490	770	500	3480
संकाय/स्टाफ के लिए घर	335	276	80	146	1036	91	105	805
कोटि सुधार								
प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण (पोलिटेक्निकों की संख्या)	20	15	27	28	6	9	17	80
शिक्षा के स्रोत के प्रयोक्ता और विकास केन्द्र	16	18	2	31	11	11	1	72
संगणक केन्द्र	17	16	12	24	17	7	4	50
लचीलेपन को लागू करना (बहुउद्देशीय प्रवेश और क्रेडिट)	3	4	1	2	5	1	1	4
अतिरिक्त संकाय सदस्य	392	170	324	183	302	240	177	1051
संकाय विस्तार (प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या)	610	1590	200	1000	806	550	94	2947
कार्य दक्षता में सुधार								
(क) अतिरिक्त मुख्य (स्टाफ) कर्मचारी								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्य परियोजना कार्यान्वयन इकाई	8	20	2	3	5	5	1	7
राज्य निदेशालय (डी० टी०ई०एस०) और राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (एस०बी० टी०ई०)	19	6	5	3	5	12	7	18
(ख) उद्योग संस्थान अन्योन्य क्रिया प्रकोष्ठ	9	14	1	30	43	13	9	77
(ग) स्वायत्त पोलिटेकनिक	12	2	1	—	5	1	1	2
(घ) रख रखाव सेल (खंड)	25	27	30	33	45	14	23	82
(ङ) महिला पालिटेकनिक								

तकनीकी शिक्षा

[हिन्दी]

*95. श्री फूल चन्द वर्मा :

श्री संजय लाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने हाल ही में प्रस्ताव किया है कि देश में तकनीकी शिक्षा और अधिक महंगी बनाई जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तकनीकी शिक्षा को अधिक महंगा बनाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की कार्यकारी समिति ने दिनांक 6 जुलाई, 1990 को हुई अपनी बैठक में यह नोट किया है कि तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में वर्तमान शुल्क ढांचा अधिकतर

स्वतंत्रता से पूर्व स्तर का है और इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। एक इंजीनियर तथा एक डिप्लोमाधारी के प्रशिक्षण पर अनुमानित वार्षिक आवर्ती व्यय क्रमशः 12,000/-रु० तथा 8,000/-रु० होता है। एक इंजीनियरी कालेज की स्थापना के लिए कम से कम तथा वांछनीय गैर-आवर्ती व्यय क्रमशः 6.65 करोड़ रु० तथा 7.59 करोड़ रु० आता है। एक पोलिटेकनिक की स्थापना के लिए तदनुरूपी राशि क्रमशः 3.87 करोड़ रु० तथा 4.91 करोड़ रु० है। आठवीं योजना के दौरान तकनीकी संस्थाओं के आधुनिकीकरण के लिए अनुमानित अपेक्षित राशि, 3,000 करोड़ रु० है। समिति का यह मत था कि तकनीकी संस्थाओं में शिक्षण शुल्क को और अधिक वास्तविक स्तर तक लाने की आवश्यकता है ताकि लिए जाने वाले शुल्क तथा प्रशिक्षण की वास्तविक लागत पर कुछ उचित ताल मेल हो। तथापि, कठिनाई यह है कि एक औसत भारतीय की अदायगी क्षमता काफी सीमित है और यदि शिक्षण शुल्क पर्याप्त रूप से बढ़ जाता है तो छात्रों को ऋण देने के लिए कुछ प्रबंध किए जाने चाहिएं जिसे वे रोजगार प्राप्त करने के पश्चात् कुछ समयावधि के बाद वापस कर दें। इससे उन मेधावी छात्रों को भी अवसर मिलेगा और न केवल उनको जो कि अधिक शिक्षण शुल्क दे सकते हैं।

मिलिट्री रेलगाड़ी से टैंक मिसाइलों की चोरी

[अनुवाद]

*96. श्री मुक्तापल्ली रामचन्द्रन :

श्री के० एस० राव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 7 जून, 1990 को पश्चिम बंगाल से पंजाब ले जाई जा रही 105 मि० मी० टैंक मिसाइलों के गायब होने के बारे में कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या स्पेशल मिलिट्री ट्रेन की सुरक्षा की जिम्मेवारी रेलवे सुरक्षा बल की या सैनिक अधिकारियों को सौंपी गई थी;

(घ) क्या लापता मिसाइलों का इस बीच पता लगाया गया है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी चोरियां रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

प्रधानमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) रेल मार्ग से 105 मि० मी० भारतीय फील्ड तोप का गोलाबारूद ले जाते समय रास्ते में हुई चार गोलों की चोरी के संबंध में जांच अदालत बिठाने के आदेश दे दिए गए हैं। जांच-अदालत के परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) गाड़ी के साथ सेना मार्गरक्षी दल के जवान भी थे।

(घ) चोरी हुए गोलाबारूद का अभी तक पता नहीं चला है।

(ङ) ऐसी चोरियों की रोकथाम के लिए विस्तृत अनुदेश पहले से ही विद्यमान हैं। लेकिन विस्तृत जांच परिणामों के आधार पर ऐसी वारदातों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए यथावश्यक और उपाय किए जाएंगे

राष्ट्रीय संग्रहालय में कॉकटेल पार्टी

*97. श्री यादवेन्द्र दत्त :

श्री कमल नाथ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक को हाल ही में राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में एक कॉकटेल पार्टी आयोजित करने की अनुमति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और पार्टी किस तारीख को आयोजित की गई थी;

(ग) क्या सरकारी भवनों में कॉकटेल पार्टियों की अनुमति दी जाती है;

(घ) यदि नहीं, तो यह पार्टी आयोजित करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं और इस कार्य के लिए कौन-कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं;

(ङ) इस चूक के लिए दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि मैसर्स मेरिल लिन्च आफ न्यूयार्क, संयुक्त राज्य अमरीका को एशियाई विकास बैंक के सहभागियों के लिए स्वागत-समारोह आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। स्वागत-समारोह राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रांगण में 3 मई, 1990 की शाम को आयोजित किया गया था।

(ग) सरकारी स्तर पर अतिथि-सत्कार सामान्यतः होटलों अथवा सरकारी अतिथिगृहों में आयोजित किए जाते हैं।

(घ) राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक ने अगस्त 1989 में विभाग की मौखिक सहमति प्राप्त करने के उपरान्त एक व्यापक जन-संपर्क कार्यक्रम आरम्भ करने और राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से इसकी अनुमति दी थी।

(ङ) इस विभाग के समस्त कार्यालयों को इस आशय के अनुदेश जारी कर दिए गये हैं कि संग्रहालयों अथवा ऐसे ही अन्य परिसरों में आयोजित समारोहों में मदिरा पेश न की जाए।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की पुस्तकों की कमी

*98. श्री लालगोपाल मिश्र :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की पुस्तकों की बहुत बड़ी संख्या में प्रतियां अन्य राज्यों को भेज दिये जाने के कारण दिल्ली में इनकी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी कमी दूर करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) जी, नहीं। दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पुस्तकों के वितरण का कार्य

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा नियुक्त 13 निजी थोक एजेंटों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक थोक एजेन्ट के वितरण का क्षेत्र स्पष्ट रूप से निर्धारित है और वह अपने निर्धारित क्षेत्र से बाहर पुस्तकों की बिक्री के लिए अधिकृत नहीं हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति सम्बन्धी पुनरीक्षा समिति में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व

*99. डा० सुधीर राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति सम्बन्धी पुनरीक्षा समिति में आल इंडिया फेडरेशन आफ यूनिवर्सिटी एंड कालेज टीचर्स आर्गेनाईजेशन्स, सेकेंडरी टीचर्स फेडरेशन अथवा प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन जैसे शिक्षक संघों का कोई प्रतिनिधि शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की समीक्षा करने के लिए गठित समिति के सदस्यों को शिक्षा के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता के आधार पर चुना गया था। समिति संबंधित ग्रुपों अथवा व्यक्तियों के साथ उचित ताल-मेल के साथ समीक्षा करेगी।

पाठ्यक्रम और शिक्षा प्रणाली

[हिन्दी]

*100. श्री मित्रसेन यादव :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पाठ्यक्रम और शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और सरल बनाने के लिए कोई प्रभावशाली कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) 1. स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 1988 में प्रारम्भिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा तैयार किया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे में दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए रा० शै० अ० प्र० प० ने स्कूल पाठ्य-विवरणों में संशोधन किया है और कक्षा-I से XII तक के लिए पाठ्यपुस्तकों में संशोधन किया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे और रा० शै० अ० प्र० प० पाठ्यविवरणों/पाठ्य पुस्तकों के आधार पर

अधिकांश राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए पाठ्यचर्या के नवीकरण तथा नई पाठ्यपुस्तकों के विकास और चरणबद्ध ढंग से स्कूल पद्धति में उन्हें लागू करने के लिए भी उपाय किए हैं।

2. अब सभी राज्यों ने स्कूल शिक्षा का 10+2 ढांचा अपना लिया है। स्कूलों को प्रभावी प्रशिक्षण तथा शैक्षिक सहयोग प्रदान करने के लिए शिक्षक शिक्षा को पुनर्गठित करने और उसे पुनर्गठित करने की योजना भी शुरू की गई है।

3. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सामान्य शिक्षा में अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों को पुनर्गठित करने की योजना प्रारम्भ की गई है ताकि प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों को वातावरण, समुदाय की विकास आवश्यकताओं, क्षेत्र अनुभव और उत्पादकता से और अधिक संगत बनाया जा सके। वि०अ०आ० ने 27 पाठ्यचर्या विकास केन्द्र स्थापित किए हैं। 10 विज्ञानों में तथा 17 मानविकी/सामाजिक विज्ञान में। इन केन्द्रों ने अब तक 23 विषयों में माडल पाठ्यचर्याएं तैयार की हैं जिनमें से 19 विश्वविद्यालयों को उनके मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संगणकों, जीव प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण विज्ञान जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उभरते हुए क्षेत्रों में पाठ्यक्रम शुरू करने के भी उपाय किए हैं। नव नियुक्त तथा कालेज/विश्वविद्यालय के सेवाकालीन लेक्चरारों के अनुस्थापन के लिए शैक्षिक स्टाफ अनुस्थापन योजना के अन्तर्गत 45 विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक स्टाफ कालेज स्थापित किए गए हैं।

4. तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, कोटि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य शुरू करने के लिए केन्द्रीय सरकार से प्राप्त संपूर्ण वित्तीय सहायता से 11 पाठ्यचर्या विकास कक्ष कार्य कर रहे हैं :—

(i) माडल पाठ्यचर्याओं, पाठ्य पुस्तकों, मोनोग्राफों, प्रयोगशाला नियमावलियों तथा श्रव्य-दृश्य सहायक सामग्री का विकास;

(ii) पाठ्यचर्या की कारगरता का मूल्यांकन;

(iii) उपयुक्त प्रयोगशाला अनुभव प्रदान करना;

(iv) संगठनों और तकनीकी संस्थाओं में औद्योगिक अनुसंधान के बीच पारस्परिक कार्रवाई की प्रोन्नति;

(v) परीक्षा सुधार और संकाय सुधार कार्यक्रम।

5. डिग्री स्तर पर पाठ्यचर्या विकास कक्षों ने अब तक 270 पाठ्यपुस्तकों, 160 मोनोग्राफ, 122 शिक्षक नियमावलियां प्रकाशित की हैं। 1979-80 के दौरान 200 कार्यशालाएं और सेमिनार भी आयोजित किए गए थे।

टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

[अनुवाद]

*101. डा० दौलतराव सोनूजी अहेर :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में नासिक और अन्य जिलों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं; और

(ख) प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) खास नासिक शहर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में 8826 आवेदक प्रतीक्षारत हैं। महाराष्ट्र की जिलावार प्रतीक्षा सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) आठवीं योजना का उद्देश्य वर्तमान मांगों के आधार पर 8वीं योजना के अंत तक 5000 लाइनों से कम क्षमता वाले एक्सचेंजों में मांगने पर टेलीफोन उपलब्ध कराना और 5000 तथा इससे अधिक लाइनों की क्षमता वाले एक्सचेंजों में प्रतीक्षा सूची को एक वर्ष तक सीमित रखना है। इस उद्देश्य को लेकर, आठवीं योजना अवधि के दौरान वर्तमान प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों को क्रमिक रूप से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए विस्तार योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

विवरण

31.3.1990 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र की जिला वार प्रतीक्षा सूची

1.	अहमदनगर	5141
2.	अकोला	2719
3.	अमरावती	3584
4.	औरंगाबाद	9077
5.	बीड	1008
6.	भन्दारा	1377
7.	बुल्धाना	1044
8.	चन्द्रपुर	2033
9.	धुले	2089
10.	गदचिरोली	93
11.	जलगांव	4421
12.	जालना	1543
13.	कोल्हापुर	8667

14.	लातूर	1913
15.	नागपुर	17621
16.	नान्देड	3170
17.	नासिक	10305
18.	उस्मानाबाद	401
19.	परभनी	1033
20.	पुणे	41160
21.	रायगढ़	1490
22.	रत्नागिरी	1642
23.	सांगली	4176
24.	सतारा	3795
25.	सिंध दुर्ग	348
26.	शोलापुर	4891
27.	थाणे	26289
28.	वर्धा	917
29.	यवतमाल	909
30.	बम्बई	222953

कपास उत्पादकों को अच्छी किस्म के बीजों की उपलब्धता

*104. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मदट्ट :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास उत्पादकों को अच्छी किस्म के बीजों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कपास का निर्यात बढ़ाने में कहां तक सहायता मिलेगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। देश में कपास के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उत्पादकों को अच्छी क्वालिटी के

बीज उपलब्ध कराने तथा उनके उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए प्रजनक, आधारी और प्रमाणित बीजों का उत्पादन आयोजित करने हेतु कार्रवाई की जाती है। वर्ष 1990-91 के दौरान 9 महत्वपूर्ण कपास उत्पादक राज्यों में 295 क्विंटल प्रजनक बीजों, 4600 क्विंटल आधारी बीजों तथा 69,500 क्विंटल प्रमाणित बीजों के उत्पादन तथा छिलका रहित प्रमाणित बीजों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए 1300 है० क्षेत्र में प्रदर्शन आयोजित करने के लिए सहायता सुलभ कराने हेतु सहन कपास विकास कार्यक्रम नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना में व्यवस्था की गई है।

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन से राज्यों को कपास के उत्पादन में वृद्धि हेतु जिसमें बढ़िया लम्बे रेशे वाली तथा छोटे रेशे वाली देशी कपास शामिल है, तथा निर्यात क्षमता में वृद्धि करने में मदद मिलती है।

दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को आवास का आबंटन

*105. श्री राम सागर (संबपुर) :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष की रिपोर्ट (1990 की संख्या 3) के पैरा 10 में दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को क्वार्टरों के आबंटन के सम्बन्ध में उल्लिखित टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्वार्टरों के आबंटन और अनधिकृत कब्जाधारियों को हटाने में विलम्ब के परिणामस्वरूप राजस्व की कितनी हानि हुई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिहाइशी आवास (मकान) के आबंटन के बारे में 31.3.1990 (1990 का 3) को समाप्त होने वाले वर्ष की रिपोर्ट दिल्ली प्रशासन को भी भेजी गई है। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ मकानों का आबंटन करने में हुए विलम्ब के कारण राजस्व संबंधी घाटे का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट की जांच करने के बाद उस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजना दिल्ली प्रशासन के लिए अपेक्षित है।

जालना टेलीफोन एक्सचेन्ज में मैक्स-1 (क्रास-बार) प्रणाली की स्थापना

[हिन्दी]

*108. श्री पुण्डलिक हरी दानवे :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान जालना टेलीफोन एक्सचेंज में मैक्स-1 (क्रास-बार) प्रणाली की स्थापना में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) नई प्रणाली के कब तक शुरू होने की सम्भावना है;

(ग) क्या जालना नगर में एक अतिरिक्त टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ध) यदि हां, तो किस प्रकार के एक्सचेंज की स्थापना की जाएगी और यह कब तक कार्य करना शुरू कर देगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) जालना में नए एम०ए० एक्स-1 (क्रासबार टाइप) टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना करने के लिए एक भवन का निर्माण किया गया है। टेलीफोन एक्सचेंज के लिए उपस्कर प्राप्त कर लिया गया है और इसे लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ख) 1991-92 के दौरान।

(ग) जी, हां।

(घ) सी-डाट टाइप का इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज आबंटित किया गया है और यदि उपस्कर उपलब्ध हुआ तो 8वीं योजना के दौरान इसे चालू करने का कार्यक्रम है।

यूनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट आफ असम को हथियारों का स्रोत

[अनुवाद]

*109. श्री कैलाश मेघवाल :

डा० सुधीर राय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अलगाववादी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम के इस दावे की विस्तृत जांच की है कि वे अपने हथियार क्षेत्र में तैनात अर्ध-सैन्य बलों से प्राप्त करते हैं;

(ख) यदि हां, तो की गई जांच के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार को इन अफवाहों की भी जानकारी है कि ये अर्ध-सैन्य बल क्षेत्र में नशीली औषधियों की अवैध बिक्री के कार्य में भी संलग्न हैं;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई जांच की गई है तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम ने देश के अन्य भागों में सक्रिय उग्रवादी ताकतों के साथ सम्पर्क स्थापित कर लिए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनकी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) इस दावे की कोई पुष्टि नहीं होती है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) यह रिपोर्ट मिली है कि यू० एल० एम० ए० ने यह दावा किया है कि

अखिल भारतीय सिख विद्यार्थी संघ के एक गुट के साथ उनके संबंध हैं। असम सरकार ने यू० एल० एफ० ए० से संबंधित आतंकवादी विरोधी उपाय शुरू कर दिये हैं। भारत सरकार राज्य सरकार को सहायता उपलब्ध करा रही है।

हैंडपम्प लगाने के लिए बिहार को वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

*110. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :**

श्री रामदास सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पेय जल उपलब्ध कराने के लिए हैंडपम्प लगाने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) क्या सरकार को इस संबन्ध में कुछ कमियों तथा अनियमितताओं की कोई जानकारी प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम और प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत हैंडपम्पों सहित विभिन्न तरीकों से ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार को दी गई वित्तीय सहायता निम्न प्रकार है :—

वर्ष	रिलीज (ए० आर० डब्ल्यू० एस० पी०) (करोड़ रु० में)	रिलीज (प्रो० मि०) (करोड़ रु० में)
1987-88	14.99	1.40
1988-89	29.42	3.50
1989-90	27.12	1.51

इन निधियों में से क्रमशः लगभग 85 प्रतिशत और 50 प्रतिशत हैंडपम्पों पर खर्च की गई है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बसावटों को पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराने के एक केश कार्यक्रम के अंतर्गत 2000 हैंडपम्पों की स्वीकृति दी है और मार्च, 1990 में 3.60 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई थी। इसके अलावा, एक विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत गया, जहानाबाद और औरंगाबाद के जिलों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के लिए 1988-89 के दौरान 2100 हैंडपम्पों और 1989-90 के दौरान 3915 हैंडपम्पों की स्वीकृति भी दी गई थी।

(ख) जी हां।

(ग) भारत सरकार को बिहार के जहानाबाद क्षेत्रों में हैंडपम्पों के लगाने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव स्तर पर एक अधिकारी द्वारा एक प्रारम्भिक जांच की गई है। पूरी रिपोर्ट मिल जाने के बाद ही कार्यवाही की जायेगी।

(घ) भारत सरकार ने राज्य सरकार को वैज्ञानिक तरीकों से हैंडपम्प लगाने की भी सलाह दी है। देश में और विशेष रूप से बिहार में हैंडपम्प की खुदाई और उसे लगाने की क्वालिटी में सुधार करने के लिए विशेष पाठ्यक्रमों, सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया गया था।

श्रीलंका के एक उच्च स्तरीय शिष्ट मण्डल की भारत की यात्रा

[अनुवाद]

*111. श्री पी० आर० कुमार मंगलम् :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में श्रीलंका के एक उच्च स्तरीय शिष्टमण्डल ने भारत की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो उससे किस प्रकार की बातें की गई तथा उसके क्या परिणाम रहे ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) श्रीलंका के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने उन घटनाओं के संबंध में सरकार को बताया था जिनकी वजह से श्रीलंका में सशस्त्र संघर्ष पुनः शुरू हुआ; उन्होंने बलपूर्वक यह भी कहा कि उनकी कार्रवाई तमिलों के विरुद्ध नहीं है बल्कि "आतंकवाद" के विरुद्ध है। सरकार ने श्रीलंका में असैनिकों के मारे जाने पर, तमिलनाडु में भारी संख्या में शरणार्थियों के आने और श्रीलंका के जातीय संघर्ष में बाहरी हस्तक्षेप पर अपनी चिन्ता व्यक्त की। विचार-विमर्श के दौरान श्रीलंका द्वारा श्रीलंका में ही शरणार्थी शिविरों की स्थापना की बात भी आई थी।

दिल्ली में बम विस्फोटों में मारे गये व्यक्ति

*112. श्री कमल चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जनवरी से जुलाई, 1990 के बीच बम विस्फोटों तथा अन्य आतंकवादी कार्यवाहियों में मारे गये और घायल हुए व्यक्तियों की संख्या का मास-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इससे कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ है; और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली में बम विस्फोट की घटनायें रोकने तथा अन्य आतंकवादी कार्यवाहियों पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और अब तक कितने मामलों में अपराधियों का पता लगा लिया गया है या गिरफ्तार कर लिया गया है ?

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) :

(क) महीना	मारे गये व्यक्ति	घायल हुए व्यक्ति
जनवरी, 1990	--	—
फरवरी, 1990	—	--
मार्च, 1990	1	16
अप्रैल, 1990	12	102
मई, 1990	—	—
जून, 1990	—	6
जुलाई, 1990	—	—
	13	124

(ख) प्रस्तुत की गई सूचना नीचे दी गई है :—

19-3-90 को सब्जी मण्डी में हुए विस्फोट में लगभग 2,000/ रु० मूल्य की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा।

10-4-90 को हुए एक बम विस्फोट में तिलक नगर पुलिस स्टेशन के भवन के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा तथा करीब 2,000/-रु० मूल्य के सामान का नुकसान हुआ। उसी दिन राजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन में हुए एक बम विस्फोट में पुलिस उप-आयुक्त (पश्चिम) के कार्यालय भवन को करीब 10,000/- रु० मूल्य का नुकसान पहुंचा।

13-4-90 को प्रेमबारी पुल पर हुए बम विस्फोट से एक बस की बाडी उड़ गई तथा एक जिप्सी वाहन को नुकसान पहुंचा। इस बस को करीब 50,000/- रु० का तथा जिप्सी वाहन को करीब 2000/- रु० का नुकसान पहुंचा।

28-4-90 को खानपुर बस टर्मिनल पर हुए एक विस्फोट में एक बस के एक हिस्से को, लगभग 500/- रु० का नुकसान पहुंचा।

30-4-90 को उत्तम नगर से अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनस को जा रही एक बस में हुए विस्फोट से उस बस की बाडी को करीब 50,000/- रु० का नुकसान पहुंचा इसके अतिरिक्त, एक टैम्पो को भी 500/- रु० का नुकसान पहुंचा।

1-6-90 को मोती नगर मार्किट की एक दुकान के निकट खड़े एक स्कूटर में हुए विस्फोट के कारण चार दुकानों को नुकसान पहुंचा तथा करीब 10,000/- रु० के मूल्य का नुकसान बताया गया।

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये :—

(i) आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में आसूचना एकत्र करने के लिए प्रत्येक पुलिस

जिले में एक आतंकवादी-विरोधी कक्ष का गठन किया गया हैं।

(ii) अतिसंवेदनशील स्थानों पर सशस्त्र टुकड़ियां तैनात की जा रही हैं।

(iii) गहन गश्त लगायी जा रही है।

(iv) स्टाफ को आतंकवादियों के फोटो दिखाए गये हैं तथा उनको ब्रीफ किया गया है।

(v) सावधान रहने के लिए लोगों में पर्चे बांटे जा रहे हैं। सावधानी बरतने के लिए पुलिस वाहनों से तथा रेडियो/टेलीविजन और प्रेस के माध्यम से घोषणायें की जाती हैं।

(vi) अतिसंवेदनशील स्थानों पर पता लगाने वाले व्यक्ति तैनात किये गए हैं।

(vii) संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की नियमित रूप से जांच की जा रही है।

(viii) सार्वजनिक स्थानों पर ज्ञात आतंकवादियों के चित्र प्रदर्शित किये गये हैं।

दिनांक 10-4-1990 को पुलिस स्टेशन, तिलक नगर तथा पुलिस स्टेशन राजौरी गार्डन में हुए विस्फोट में फंसे एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। 13-4-1990 तथा 30-4-1990 को बसों में हुए बम विस्फोटों के मामलों के बारे में उन व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है, जिन पर विस्फोटक यन्त्र रखने का शक किया गया है।

कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत निकालने सम्बन्धी प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित समिति की रिपोर्ट

*113. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :**

श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत निकालने संबंधी प्रणाली की पुनरीक्षा करने के लिए गठित हनुमन्तराव समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट दे दी है; यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा किन-किन सिफारिशों को स्वीकृत किया गया है और उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार ने किन-किन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है और इसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नितीश कुमार) : (क) से (ग) जी हां। समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिस पर सरकार विचार कर रही है।

महाराष्ट्र और गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

[हिन्दी]

*114. श्री हरिशंकर महाले :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और महाराष्ट्र में वर्ष 1989-90 के दौरान अलग-अलग कितने राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया गया और कितनों की मरम्मत की गई; और

(ख) इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) गुजरात से छह राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं और महाराष्ट्र से ग्यारह। 1989-90 के दौरान उनमें से सभी पर विकास/मरम्मत कार्य किये गए हैं। इसके अलावा गुजरात से बदोदरा और अहमदाबाद के बीच एक एक्सप्रेस-वे निर्माणाधीन है।

(ख) ऊपर संदर्भित राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे पर 1989-90 के दौरान विकास और मरम्मत कार्यों के लिए किया गया कुल खर्च निम्नलिखित है:—

	गुजरात	महाराष्ट्र
	(लाख रुपये)	
1. विकास कार्य	3150	2013
2. मरम्मत कार्य	1108	1379

पाकिस्तान का कश्मीर के मसले को संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यसूची में रखने के प्रयास

[अनुवाद]

*115. श्री कमल नाथ :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के मसले को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की इस वर्ष सितम्बर में होने वाली बैठक की कार्यसूची में शामिल कराने हेतु कई देशों से समर्थन प्राप्त करने के प्रयास तेज कर दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ख) पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मसले को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने की कोशिशें शिमला समझौते का उल्लंघन है जिसमें यह कहा गया है कि दोनों देश अपने आपसी मतभेदों को द्विपक्षीय तरीके से और शांतिपूर्वक सुलझाएंगे। विश्व समुदाय को इस स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

जवाहर रोजगार योजना की पुनरीक्षा

*116. श्री जी० एम० बनातवाला :

श्री यादवेन्द्र दत्त :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर रोजगार योजना अथवा पंचायतों को धन आवंटित करने के मानदण्ड में हाल ही में कोई परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आवंटित धनराशि में से कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया, उसके क्या कारण हैं और इस संबंध में, विशेषकर प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने में होने वाले विलम्ब को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि इस योजना का लाभ जनता को मिल सके ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (घ) वर्ष, 1989-90 में जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०) के कार्यान्वयन के अनुभव और कार्यान्वयन एजेंसियों सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सुझावों के आधार पर ग्राम पंचायतों को निधियों के आवंटन के मानदण्ड सहित जवाहर रोजगार योजना की केन्द्रीय मार्गदर्शिकाओं में संशोधन किए गए हैं और उन्हें चालू वर्ष अर्थात् 1990-91 से लागू किया गया है। लागू किए गए मुख्य परिवर्तनों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है।

तत्कालीन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की उपयोग में न लाई गई बकाया राशि सहित 1989-90 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों की कुल उपलब्धता 3109.67 करोड़ रुपए थी। 1989-90 के दौरान राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार खर्च के अंनतिम आंकड़े 2432.00 करोड़ रुपए थे। जो कि कुल उपलब्ध संसाधनों का 78.2। प्रतिशत है। 875.72 मिलियन मानस दिवस जुटाने के लक्ष्य की तुलना में, अनन्तिम आंकड़ों से पता चलता है कि 859.90 मिलियन मानस दिवस जुटाए गए थे। यह लक्ष्य का 98.19 प्रतिशत था। इस प्रकार, उपलब्ध निधियों के उपयोग और रोजगार सृजन में उपलब्धि की स्थिति सन्तोषजनक है।

जवाहर रोजगार योजना निधियों से किए जाने वाले प्रस्तावित काम की मदों का निर्णय ग्राम पंचायत और जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी/जिला परिषद द्वारा निधियों में उनके अंश के संबंध में, लिया जाता है। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्यों के प्रस्तावों की स्वीकृति में विलम्ब का कोई मामला केन्द्र सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन को जिला तथा ग्राम स्तर पर पूरी तरह विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है। जारी की गई केन्द्रीय मार्गदर्शिकाओं में यह व्यवस्था है कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सृजित की जाने वाली परिसम्पत्तियां ऐसी होनी चाहिए जिससे ग्रामीण आर्थिक ढांचा सुदृढ़ बने और ऐसी परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाए जो ग्रामीण गरीबी के प्रत्यक्ष और निरन्तर लाभ के साधन हों।

विवरण

1989-90 की तुलना में 1990-91 में केन्द्रीय मार्गदर्शिकाओं में परिवर्तन

(1) जवाहर रोजगार योजना के 6 प्रतिशत संसाधन राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा आवास योजना के लिए निर्धारित किए जाएंगे और राज्यों को उनका वितरण एक राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रही कुल गरीब जनसंख्या में से अनुसूचित जातियों/जनजातियों और मुक्त बंधुआ मजदूरों में से गरीबों के अनुपात के आधार पर किया जाएगा। इंदिरा आवास योजना निधियों के जिलावार आवंटन जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की संख्या के आधार पर किए जाएंगे।

(2) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल संसाधनों के 20 प्रतिशत को 10 लाख कुओं की योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर निर्धारित किया जाएगा जिसे जिलों के बीच आवंटित किया जाएगा। राज्य सरकारें 10 लाख कुओं की योजना के संसाधनों को जिलों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा धारित कुएं से सिंचाई की संभाव्यता वाली असिंचित भूमि के संदर्भ में बांटेगीं। जहां भू-वैज्ञानिक कारणों से कुएं खोदना संभव नहीं है, वहां दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत आवंटित राशि को लघु सिंचाई की अन्य योजनाओं जैसे सिंचाई तालाब, पानी एकत्र करने के ढांचों और साथ ही अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुक्त बंधुआ मजदूरों की जमीनों (अधिकतम सीमा से फालतू भूमि और भूदान भूमि आदि, जो उन्हें आवंटित की गई है, सहित) के विकास के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इस राशि को न तो किन्हीं अन्य योजनाओं पर खर्च किया जा सकता है और न ही अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और मुक्त बंधुआ मजदूरों के अलावा अन्य श्रेणियों पर खर्च किया जा सकता है। इन निधियों को जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों द्वारा संचलित किया जाएगा।

(3) 1989-90 में मजदूरी और गैर-मजदूरी घटक 50 : 50 के अनुपात में था। 1990-91 में इसे बदल कर 60 : 40 के अनुपात में कर दिया गया है।

(4) ग्राम पंचायतों को निधियों के आवंटन के लिए प्रत्येक गांव पंचायत की जनसंख्या को यदि वह 1000 से कम है तो उसे 1000 और यदि 10,000 से अधिक है तो उसे 10,000 माना जाएगा। ग्राम पंचायतों के लिए निर्धारित संसाधनों के 60 प्रतिशत भाग को समायोजित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर और 40 प्रतिशत भाग को समायोजित कुल जनसंख्या के आधार पर बांटा जाएगा।

(5) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदें, जिला/ब्लाक/ग्राम पंचायत स्तर पर जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन में लगे सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों के प्रशिक्षण खर्च को पूरा करने के लिए अधिकतम 50 हजार रुपए की राशि खर्च कर सकती हैं, बशर्ते कि इसको कम से कम 50 प्रतिशत राशि गैर-सरकारी व्यक्तियों के प्रशिक्षण पर खर्च की जानी चाहिए।

(6) जवाहर रोजगार योजना के उद्देश्य के लिए वर्तमान वन बस्तियों जो कि वर्तमान ग्राम

पंचायत की भाग नहीं हैं, को ग्राम पंचायत के रूप में माना जाएगा। जिलों में वन विभाग वन बस्तियों में जवाहर रोजगार योजना के कार्यक्रम को जवाहर रोजगार योजना की मार्गदर्शिकाओं और समय-समय पर यथा संशोधित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को ध्यान में रखते हुए संबंधित वन बस्तियों के लोगों से परामर्श करके कार्यान्वित करेगा।

प्राइवेट अनुसंधान संगठनों को अनुदान

[हिन्दी]

*117. **श्री हुकमदेवनारायण यादव :**

क्या कृषि मंत्री प्राइवेट अनुसंधान संगठनों को अनुदान के बारे में 24 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10362 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से सहायता प्राप्त प्राइवेट अनुसंधान संगठनों द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संगठनों को दी गई अनुदान राशि की लेखापरीक्षा की जाती है;

(घ) यदि हां, तो उन संगठनों के नाम क्या हैं, जिनमें इस धनराशि का ठीक उपयोग नहीं किया गया; और

(ङ) इन मामलों में क्या कार्यवाही की गई है या करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शासी निकाय के अनुमोदन से गठित वैज्ञानिक पैनल प्रत्येक योजना की प्रगति की समीक्षा करते हैं और यदि आवश्यक हुआ तो उस कार्य में सुधार लाने या तकनीकी कार्यक्रम में संशोधन के लिए निश्चित सिफारिशें करते हैं। यदि पैनल योजना को समाप्त करने की सिफारिश करता है, तो उसे समाप्त भी किया जा सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक भी कार्यक्रमों की निगरानी (मोनिटर) के लिए सम्बन्धित अनुसधान संस्थाओं का दौरा करते हैं।

(ग) हां।

(घ) ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पारादीप पत्तन न्यास के संबंध में ऋण अदायगी को स्थगित करने की घोषणा

[अनुवाद]

*118. श्री लोक नाथ चौधरी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन न्यास ने केन्द्रीय सरकार से ऐसी घोषणा करने का अनुरोध किया है कि उक्त पत्तन को अपना ऋण का भुगतान करने के लिए अधिक समय दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो उस अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या ऋण अदायगी के स्थगन की ऐसी सुविधा अन्य प्रमुख पत्तनों को भी दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

(ग) जी हां। कलकत्ता और न्यू मंगलूर पत्तन न्यासों के सम्बन्ध में ऋण अदायगी के लिए स्थगन (मोराटोरियम) दिया गया था।

(घ) हल्दिया गोदी परियोजना के निर्माण के लिए और नौवहन चैनल के निकर्षण के लिए सरकार द्वारा 31-3-1977 तक 164.03 करोड़ रु० की राशि के ऋण संस्वीकृत किए गए थे। इन ऋणों की वापस अदायगी के सम्बन्ध में स्थगन 31-3-1990 तक के लिए दिया गया है। न्यू मंगलूर पत्तन के सम्बन्ध में, लौह अयस्क की हैंडलिंग के लिए भवन सुविधाओं के प्रयोजनार्थ लिए गए 12.72 करोड़ रु० के ऋण पर ब्याज की अदायगी सम्बन्धी स्थगन 31-3-1986 तक के लिए संस्वीकृत किया गया था।

दूरसंचार कर्मचारियों की मांगें

[हिन्दी]

*119. श्री हरीश रावत :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग के कर्मचारी यूनियनों की विचाराधीन मांगों के संबंध में उनके साथ कोई बातचीत की गई है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) क्या इस संबंध में वर्ष 1990-91 के दौरान कोई समझौता किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर शिश्र) : (क) यूनियनों की मांगों पर संयुक्त सलाहकार तंत्र (जे० सी० एम०) की बैठकों में विचार किया जाता है। कुछ उप समितियों की बैठकों,

जिनमें एक 7-8-90 को आयोजित की गई थी, के अलावा विभागीय परिषद् (जे० सी० एम०) की पिछली बैठक 12-6-90 को आयोजित की गई थी।

(ख) आम तौर पर उनकी मांगें कार्य की बेहतर परिस्थितियों, संभावनाओं और वेतन तथा भत्तों से संबंधित हैं। उनकी मुख्य मांग द्वितीय समयबद्ध पदोन्नति से संबंधित है।

(ग) इस मांग के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय 1990-91 के दौरान लिए जाने की संभावना है।

गोसंवर्धन समिति

[अनुवाद]

*120. कुमारी उमा भारती :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोसंवर्धन समिति पिछले अनेक वर्षों से उनके मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के गठन से लेकर अब तक इसकी क्या उपलब्धियां रहीं हैं;

(ग) क्या इसने अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां। वर्ष 1969 के दौरान गठित गौसंवर्धन सलाहकार परिषद् कृषि मन्त्री की अध्यक्षता में कार्य करती रही है।

(ख) यह परिषद् निम्नलिखित उद्देश्यों से गठित की गई थी :—

(1) समय-समय पर मवेशियों के संरक्षण, विकास प्रजनन, पोषण तथा विपणन से सम्बन्धित योजनाओं की संवीक्षा करना,

(2) केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा उनके पास भेजे गए उपरोक्त किसी भी मामले पर उनको सलाह देना,

(3) पशुधन विकास विशेषकर उचित तरीके से गौशालाओं के विकास से संबंधित मामलों के बारे में राज्य गौसंवर्धन परिषद् गौशाला संघ तथा पिंजरापौल जैसे पशुधन विकास से सम्बन्धित विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों के कार्यकलापों की समीक्षा करना तथा इनका समन्वयन करना,

(4) मवेशियों के विकास के लिए विशेषकर उन स्थानों पर जहां गैर-सरकारी संस्थानों का सहयोग अपेक्षित है, संवर्धनात्मक कार्यकलाप शुरू करना, तथा

(5) देश के किसी भी क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पशुधन के विकास के लिए अपेक्षित कोई भी अन्य कार्य शुरू करना।

यह परिषद् 1971 से अध्यक्ष की सुविधानुसार समय-समय पर अपनी बैठकें करती रही है। इस परिषद् द्वारा अपनी बैठकों में दिए गए कई सुझाव अर्थात् गौ-पशुओं की स्वदेशी नस्लों का परिरक्षण और विकास, गायों तथा गौ-पशुओं के आहार के निर्यात पर रोक, गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग तथा गोबर गैस प्लांटों की स्थापना, गौशालाओं को दिए जाने वाले दान पर आय कर से छूट, गौशालाओं के कब्जे वाली भूमि को भूमि परिसीमन अधिनियम से छूट, गाय के दूध का निर्धारण ठोस पदार्थों के आधार पर किया जाये, केवल वसा की प्रतिशतता के आधार पर नहीं, सरकार द्वारा स्वीकृत करके लागू किए जा चुके हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में वेश्यावृत्ति के अड्डे

*121. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

श्री आर० एन० राकेश :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली में वेश्यावृत्ति के अनेक अड्डे पकड़े गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) छापों के दौरान कितनी वेश्यायें गिरफ्तार की गईं; और

(घ) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन 1989 के दौरान 27 मामले और 1990 (31-7-1990 तक) के दौरान 33 मामले दर्ज किये गए।

(ग) 1989 के दौरान 88 महिलाएं और 1990 (31-7-1990 तक) के दौरान 99 महिलाएं गिरफ्तार की गईं।

(घ) अपराधियों के खिलाफ आपराधिक मामले चलाये गए हैं।

बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए समन्वय एकक की स्थापना

*122. **श्री बी० राजरवि वर्मा :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में किये जा रहे बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान के सम्बन्ध में कोयम्बटूर में एक समन्वय एकक स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितीश कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जल प्रदूषण रोकने के लिए राजस्थान को सहायता

[हिन्दी]

938. **श्री गुलाब चन्द कटारिया :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान को जल प्रदूषण रोकने के लिये विशेष सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब और कितनी ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउतराय) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदूषण नियन्त्रण के लिए सहायता अनुदान के रूप में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को 27·1 लाख रुपये और राजस्थान के पर्यावरण विभाग को 1.8 लाख रुपये दिये हैं। इसके अलावा, सातवीं योजना अवधि के दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संसाधनों के विस्तार हेतु भी 85,54, 619 रुपये दिये गये। यह सहायता सामान्यतः प्रदूषण नियंत्रण के लिये दी गई है, जल प्रदूषण का नियंत्रण जिसका एक भाग है। इस सहायता को आठवीं योजना अवधि के दौरान जारी रखने का प्रस्ताव है, सहायता की राशि को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

भारतीय नौसेना द्वारा द्वारिका के फोटोग्राफ

*939. **श्री मोगेन्द्र झा :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना के समुद्री गोताखोरों ने समुद्र में जलमग्न प्राचीन द्वारिका नगर के लगभग तीन वर्ष पहले फोटोग्राफ लिये थे;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) दूरदर्शन फिल्मों तथा अन्य माध्यमों से भारतीयों तथा विश्व को ये फोटोग्राफ दिखाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों का सहयोग भी मांगा जा रहा है तथा क्या इनकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता, सुरक्षा और उपयोगिता के बारे में कोई निश्चित साक्ष्य मिले हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एन० आई० ओ०), गोआ का समुद्री पुरातत्व यूनिट जो द्वारिका के समुद्र जल के अन्दर गवेषणा आयोजित कर रहा है के द्वारा लगाये गये अथवा नियुक्त किये गये

और प्रशिक्षित किए गए गोताखोरों द्वारा वर्ष 1983 से दिसम्बर 1989 तक जलमग्न द्वारिका के फोटोग्राफ लिए गये थे। भारतीय नौसेना के गोताखोरों को इस कार्य में नहीं लगाया गया था। दूरदर्शन के फोकस कार्यक्रम में इनमें से कुछ महत्वपूर्ण फोटोग्राफों को दिखाया गया है। इन फोटोग्राफों और अन्य विश्लेषणों को उपयुक्त मीडिया द्वारा द्वारिका की कहानी को दिखाने के लिए और आगे उपाय किये जायेंगे।

(घ) और (ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक सेवानिवृत्त अनुभवी पुरातत्ववेत्ता द्वारा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एन० आई० ओ०) के समुद्री पुरातत्व यूनिट को सलाह दी जाती है। प्राचीन द्वारिका के भवनों के प्रमाण के अतिरिक्त पुरातन सामग्रियों यथा मुद्राओं बर्तनों, लिपियों और धातु तथा सीपियों से अनेक ग्रन्थों में उद्धृत एक प्राचीन समुद्रतटीय शहर द्वारिका के जलमग्न होने की ऐतिहासिक प्रमाणिकता की पुष्टि होती है। इन खोजों से प्राप्त वैज्ञानिक आंकड़े समुद्र स्तरीय अस्थिरता, समुद्रतटीय अपरदन और जलवायु भी अध्ययन के लिए उपयोगी हुए हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

940. **श्री कपिल देव शास्त्री :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण और शहरी पृष्ठभूमि वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की, राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार, अलग-अलग संख्या कितनी है; और

(ख) दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारी तैनात हैं और इन नगरों से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अलग-अलग कितने अधिकारियों का चयन किया गया है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और समेकित होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कर्नाटक राज्य के लोगों की जीवन यापन स्थिति के बारे में मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा कराया गया अध्ययन

[अनुवाद]

941. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र तथा सहकारिता में स्नातकोत्तर अध्ययन और शोध विभाग के योजना फोरम द्वारा कर्नाटक राज्य के लोगों की जीवन यापन स्थिति का सर्वेक्षण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उनके इस अध्ययन से किन तथ्यों का पता चला है;

(ग) लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में किन-किन परिस्थितियों ने योगदान दिया है; और

(घ) राज्य के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने में राज्य सरकार की सहायता हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

अवकाश यात्रा रियायत के बदले एक मुश्त राशि का भुगतान

[हिन्दी]

942. श्री हरिशंकर महाले :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी होम टाऊन अवकाश यात्रा रियायत और अखिल भारत अवकाश यात्रा रियायत क्रमश: 2/4 वर्ष के आधार पर पाने के अधिकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और कार्यालयों में काफी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जो इस सुविधा का लाभ बिल्कुल नहीं उठाते हैं और उन्हें इसके बदले में कोई लाभ नहीं मिलता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस यात्रा भत्ते के स्थान पर एक मुश्त राशि नकद देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

प्रधानमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि सरकारी कर्मचारियों के अवकाश यात्रा रियायत संबंधी दावों पर कार्रवाई तथा स्वीकृति विभिन्न मन्त्रालयों तथा विभागों के अधीन विभिन्न स्तरों पर संबंधित नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा की जाती है अत: ऐसे कर्मचारी जो इस सुविधा का लाभ नहीं उठाते, की संख्या से संबंधित सूचना कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग में केन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत की स्कीम को संशोधित करने के लिए विभिन्न सुझावों, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत के किसी भी स्थान की यात्रा के लिए अवकाश यात्रा रियायत का नकदीकरण किए जाने से सम्बन्धित एक प्रस्ताव भी शामिल था, पर विचार किये जाने के बाद चतुर्थ वेतन आयोग ने विद्यमान स्कीम में किसी प्रकार के संशोधन की सिफारिश नहीं की। सरकार ने आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

सौन आधुनिकीकरण परियोजना को स्वीकृति

943. श्री रामेश्वर प्रसाद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 247 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर प्रायोगिक परियोजना के रूप में आरंभ की गई सोन आधुनिकीकरण परियोजना को वित्तीय स्वीकृति के लिए योजना आयोग के पास भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना आयोग ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो योजना आयोग द्वारा इस संबंध में कब तक कोई निर्णय लिया जायेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मागेय गोबर्धन) : (क) जी, हां।

(ख) सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना फेज-I आधुनिकीकरण की एक प्रायोगिक परियोजना है, जिसके अंतर्गत 30,000 हैक्टेयर खेती-योग्य कमान क्षेत्र आयेगा और नहर-प्रणाली का पुनर्प्रतिरूपण तथा सुधार भी किया जायेगा। विद्यमान प्रणाली की अनिवार्य मरम्मत और संचार प्रणाली का सुधार भी फेज-I में शामिल हैं। इस परियोजना की अनुमानित लागत 247 करोड़ रुपये हैं।

(ग) और (घ) इस परियोजना में ग्रस्त बड़ी निवेश राशि को देखते हुए, राज्य सरकार को आठवीं योजना को अंतिम रूप देने तक इंतजार करने की सलाह दी गई है, जब राज्य के पास आठवीं योजना के लिए कुल संसाधनों की उपलब्धता की स्पष्ट स्थिति और इस परियोजना को दी जाने वाली सापेक्ष प्राथमिकता का पता चल पायेगा।

टैंक-रोधी मिसाइलों के लिए "फ्लाइट टेस्ट"

[अनुवाद]

944. श्री एन० डेनिस :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में टैंक-रोधी मिसाइलों के लिए "फ्लाइट टेस्ट" किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) टैंक-रोधी मिसाइल "नाग" का 7 और 8 फरवरी, 90 को अंतरिम परीक्षण रेंज से प्रक्षेपण परीक्षण किया गया है। इस प्रकार से किये गये परीक्षण प्राक्षेपिक किस्म के थे। इनकी अनेक उप प्रणालियों के परीक्षण सफल रहे हैं। विकसित की जा रही मिसाइल तीसरी पीढ़ी की टैंक-रोधी मिसाइल है जिसकी उच्च प्रहार शक्ति और निश्चित रूप से लक्ष्य भेदने की (फायर एण्ड फारगेट) क्षमता है। यह मिसाइल अब तक विकसित किसी भी टैंक-रोधी मिसाइल की तुलना में अधिक उन्नत किस्म की है और औद्योगिक दृष्टि से कुछ उन्नत देशों में विकसित की जा रही मिसाइलों के मुकाबले की है।

मिशनरी स्कूल

945. श्री जे० पी० अग्रवाल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक मिशनरी स्कूल कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या कोई नीति है, जिससे कि ये स्कूल, राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए सरकार की नीतियों के अधीन कार्य करें;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई मार्ग निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अनुसार, अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म पर आधारित हों, अथवा भाषा पर, अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थायें स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। प्रवेश की मांग रखने के उद्देश्य से धार्मिक अल्पसंख्यकों अथवा मिशनरियों द्वारा संचालित स्कूलों सहित सभी स्कूलों को संबंधित राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। बोर्ड परीक्षाओं के लिए छात्र भेजने वाले स्कूलों सहित सभी स्कूलों को संबंधित राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद, जैसा भी मामला हो, के साथ सम्बद्धन की भी आवश्यकता है। संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा मान्यता प्रदान करने के लिए पात्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी स्कूलों को, चाहे वे मिशनरी स्कूल, हों, अथवा न हों, प्रशासनिक विषयों की कई बुनियादी शर्तों का अनुसरण करना होगा। इसी प्रकार, संबद्धन की पद्धति के माध्यम से, राज्य बोर्ड तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या भारतीय स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा परिषद, स्कूलों में, जिनमें उनसे संबद्ध मिशनरी स्कूल भी शामिल हैं, दी जाने वाली शिक्षा की कोटि और स्तर का विनियमन करते हैं।

विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास

946. श्री मानवेन्द्र सिंह मेवाड़ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों के आधुनिकीकरण पर वर्तमान समय में अधिक ध्यान दिए जाने को देखते हुए, तिलहनों का उत्पादन और उनकी पिराई, खाद्य मदों का फसलोत्तर प्रसंस्करण और पैकेजिंग, ताप और सौर ऊर्जा, लघु उद्योगों, जल-भूतल परिवहन और सूचना-विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास योजना संबंधी कोई नीति तय की गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में इन योजनाओं के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) सरकार का आवश्यक स्वदेशी अनुसंधान और विकास संबंधी समर्थन के बिना, गुणवत्ता में सुधार लागत में कमी तथा उच्च उत्पादकता के लिए प्रौद्योगिकी की कमी को किस प्रकार दूर करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय निवेश

947. श्री हाराधन राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1989 की स्थिति के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में वर्षवार कितना केन्द्रीय पूंजी निवेश किया गया;

(ख) किन-किन राज्यों में केन्द्रीय पूंजी निवेश की प्रतिशतता में लगातार वृद्धि हुई है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों में केन्द्रीय पूंजी निवेश की प्रतिशतता में कमी आई है और इन राज्यों में प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोन्धन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए समस्त देश के लिए समग्र रूप से केन्द्रीय योजना निवेश निर्धारित किया जाता है। अधिकांश मामलों में ये कार्यक्रम/परियोजनाएं राज्य की सीमाओं को पार कर जाते हैं। इन कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लाभ भी सभी प्रदेशों को मिलते हैं। समग्र केन्द्रीय निवेश के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में के उद्यमों में सकल ब्लाक के रूप मे निवेश की प्रतिशतता से संबंधित सूचना 31-3-1989 तक उपलब्ध है। संदर्भ के लिए सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित लोक उद्यम सर्वेक्षण 1988-99 के खण्ड-I में प्रकाशित तालिका 1.28 विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 1988-89 के खण्ड-1 का उद्धरण (पृष्ठ 22)

तालिका—1.28

सकल ब्लाक तथा रोजगार का राज्यवार वितरण

(सकल ब्लाक-करोड़ रुपए में रोजगार संख्या लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.4.1985 को		31.3.88 को		31.3.89 को		सातवीं योजना के प्रथम 4 वर्षों		31.3.89 को % ता अंश		31.3.89 को सैक्टिंग	
		सकल ब्लाक	रोजगार	सकल ब्लाक	रोजगार	सकल ब्लाक	रोजगार	सकल ब्लाक	रोजगार	सकल ब्लाक	रोजगार	सकल ब्लाक	रोजगार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	4058.78	0.92	8262.10	0.96	9907.32	0.99	5848.54	0.07	10.26	4.32	3	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	52.47	0.01	41.26	0.01	41.26	0.01	0.04	0.04	23	26
3.	असम	2451.15	0.54	4260.37	0.57	4729.42	0.56	2278.27	0.02	4.90	2.44	10	11
4.	बिहार	5833.77	4.55	7609.00	4.50	8438.97	4.40	2605.20	0.15	8.74	19.19	4	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	गोवा	17.79	0.03	45.74	0.03	523.22	0.03	84.53	—	0.05	0.13	22	20
6.	गुजरात	1771.77	0.51	4193.16	0.51	5071.10	0.51	3299.38	—	5.25	2.23	8	12
7.	हरियाणा	411.80	0.15	751.88	0.17	813.08	0.18	401.28	0.03	0.84	0.78	17	16
8.	हिमाचल प्रदेश	211.05	0·04	709.08	0.07	951.59	0.05	740.54	0.01	0.99	0.22	15	18
9.	जम्मू और कश्मीर	48.28	0.04	173.99	0.06	873.56	0.09	825.28	0.05	0.90	0.39	16	17
10.	कर्नाटक	1327.53	1.19	1925.64	1.18	2180.71	1.17	853.18	0.02	2.26	5.10	12	7
11.	केरल	831.22	0.31	1297.96	0.32	1520.40	0.33	689.18	0.02	1.57	1.44	13	14
12.	मध्य प्रदेश	5396.12	2.85	10229.22	2.83	11340.10	2.81	5943.98	0.04	11.74	12.26	2	3
13.	महाराष्ट्र	7601.81	1.72	13941.18	2.25	16127.06	2.17	8525.25	0.45	16.70	9.46	1	4
14.	मणिपुर	131.32	0.03	139.11	0.03	149.59	0.02	18.27	(—)0.01	0.15	0.09	20	23
15.	मेघालय	1.89	0.01	1.77	0.01	2.72	0.01	0.83	—	—	0.04	29	28
16.	मिजोरम	—	—	5.10	0.01	21.63	0.01	21.63	0.01	0.02	0.04	24	27
17.	नागालैंड	72.98	0.01	83.71	0.02	93.91	0.02	20.93	0.01	0.10	0.09	21	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	उड़ीसा	2997.74	0.30	5101.66	0.75	5667.93	0.75	2670.19	0.05	5.87	3.27	7	10
19.	पंजाब	563.62	0.24	718.53	0.23	802.35	0.23	238.73	(—)0.01	0.83	1.00	18	15
20.	राजस्थान	647.62	0.35	1113.69	0.37	1399.49	0.39	751.87	0.04	1.45	1.70	14	13
21.	सिक्किम	—	—	2.61	—	4.21	—	4.21	—	0.01	—	28	29
22.	तमिलनाडु	2548.86	0.82	4046.19	0.88	4924.90	0.88	2376.04	0.06	5.10	3.84	9	9
23.	त्रिपुरा	93.38	0.01	232.59	0.02	295.07	0.02	201.69	0.01	0.31	0.09	19	24
24.	उत्तर प्रदेश	2532.77	1.13	6096.77	1.30	8297.95	1.32	5765.18	0.19	8.59	5.76	5	6
25.	पश्चिम बंगाल	2345.37	4.20	5080.13	4.17	5726.55	4.13	2381.18	(—)0.07	5.93	18.01	6	2
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6.21	0.02	11.01	0.02	11.39	0.02	5.18	—	0.01	0.09	26	21
27.	चंडीगढ़	3.52	0.01	5.86	0.01	8.35	0.01	4.83	—	0.01	0.04	27	25
28.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	दमन और द्वीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	दिल्ली	1238.83	1.01	2424.16	1.26	2943.38	1.33	1704.55	0.32	3.05	5.80	11	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32.	पांडिचेरी	7.66	0.03	9.65	0.05	11.73	0.04		4.07	0.01	0.01	0.18	25 19
33.	अन्य और अनावंटित	3170.43	0.39	3675.92	0.35	4172.48	0.45	100	2.05	0.06	4.32	1.96	— —
	योग	47323.27	21.81	82188.25	22.94	96580.52	22.93	49	257.25	1.12	100.00	100.00	— —

आदिवासी क्षेत्र भत्ता

948. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारी गण आदिवासी क्षेत्र भत्ता लेने के अधिकारी हैं और यह भत्ता मार्च, 1990 से देना बन्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों को जनजातीय क्षेत्र के भत्ते की अदायेगी से सम्बन्धित सरकारी आदेश 28-2-90 तक बैंध थे। इस विषय पर और आगे आदेश जारी करने का प्रश्न वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है।

आंध्र प्रदेश में शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े जिले

949. श्री राज मोहन रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में शिक्षा की दृष्टि से सबसे अधिक पिछड़े हुए कौन-कौन से जिले हैं;

(ख) इस पिछड़ेपन के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) प्रतिकूल सामाजार्थिक स्थितियां तथा अपर्याप्त अवस्थापना शैक्षिक पिछड़ापन के कारण हो सकते हैं।

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं आप्रेशन ब्लैक बोर्ड, शिक्षक शिक्षा, गैर-औपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शैक्षिक विकास के लिए राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राज्य/संघ शासित प्रदेशों को पिछड़े जिलों में ध्यान देने के लिए सलाह दी गई है।

विवरण

उन जिलों की सूची जिनकी साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता की दर 39.23 (सभी से कम है)।

राज्य का नाम	क्रम संख्या	जिलों के नाम	साक्षरता दर
आन्ध्र प्रदेश	1.	अदीलाबाद	18.79
	2.	महबूब नगर	19.42
	3.	करीम नगर	21.50
	4.	मेडक	21.53
	5.	निजामाबाद	21.73
	6.	विजय नगरम्	21.74
	7.	नालागोण्डा	22.44
	8.	श्रीकाकुलम्	22.72
	9.	वारांगल	23.55
	10.	खम्मम्	25.59
	11.	विशाखापट्टनम्	27.83
	12.	कारनूल	28.73
	13.	अनन्तपुर	29.02
	14.	प्रकाशम्	29.39
	15.	रंगारेड्डी	29.41
	16.	कुड्डापाह	31.11
	17.	चित्तूर	31.85
	18.	नेल्लोर	32.16
	19.	पूर्वी गोदावरी	35.31
	20.	गुन्टूर	36.06

केरल में केन्द्रीय विद्यालयों में "मलयालम" को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना

950. **श्री ए० विजया राघवन :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के केन्द्रीय विद्यालयों में कुल कितने छात्र पढ़ रहे हैं;

(ख) केरल में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में केरल राज्य के कितने छात्र हैं;

(ग) क्या केरल में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में मलयालम भाषा पढ़ने की सुविधा उपलब्ध है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का केरल राज्य में केन्द्रीय विद्यालयों में मलयालम भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) केरल में विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों में 31-7-90 तक अध्ययन कर रहे कुल 17040 छात्रों में से 13177 छात्र केरल राज्य के थे।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषा के शिक्षण का प्रावधान है बशर्ते कि संबन्धित विद्यालय में उस भाषा को अध्ययन करने के लिए 20 अथवा इससे अधिक छात्र इच्छुक हों।

माध्यस्थम बोर्ड के पंचाटों पर निर्णय

951. **श्री मदन लाल खुराना :**

क्या प्रधान मंत्री माध्यस्थम बोर्ड के पंचाटों के कार्यान्वयन के बारे में 14 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8479 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माध्यस्थम बोर्ड द्वारा अर्जित अवकाश का नकद भुगतान और सवारी भत्ता मंजूर करने के बारे में दिये गए पंचाटों पर कोई निर्णय ले लिया गया है;

(ख) उन पंचाटों का ब्यौरा क्या है जिस पर कार्यान्वयन हेतु निर्णय ले लिया गया है परन्तु वित्तीय बाधाओं के कारण जिन्हें कार्यान्वित नहीं किया जा सका है तथा इन पंचाटों को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) अन्य पंचाटों का ब्यौरा क्या है जो कार्यान्वयन के लिए लम्बित पड़े हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऐसा कोई अधिनिर्णय नहीं है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अधिनिर्णय संदर्भ संख्या	संक्षिप्त विषय	संबंधित मंत्रालय/ विभाग	अधिनिर्णय का सार
1	2	3	4
सी० ए० संदर्भ संख्या 3/80	संसद सत्र के दौरान केन्द्रीय सचिवालय तथा संबद्ध कार्यालयों में कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता दिया जाना।	कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग	(i) "संसद सत्र के दौरान केन्द्रीय सचिवालय तथा संबद्ध कार्यालयों में कर्मचारियों को दिए जाने वाले समयोपरि भत्ते को सीमित करने के लिए मासिक परिलब्धियों का एक/तिहाई भाग दिए जाने की विद्यमान सीमा को एक माह में कुल काम के घंटे के 1/3 तक सीमित कर दिया जाए।" (ii) समयोपरि भत्ते की गणना के तरीके तथा दरें विद्यमान प्रचलित नियमों के अनुसार ही रहेंगे और यह कि समयोपरि भत्ते के प्रथम घंटे को समयोपरि भत्ते तथा 1/3 घंटे की सीमा दोनों में शामिल नहीं किया जाएगा।

1	2	3	4
सी० ए० संदर्भ संख्या-6/81	गैर-राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के लिए समयोपरि भत्ते की अनुज्ञेयता के लिए ऊपरी वेतन सीमा को 750/-रु० से 990/-रु० (पूर्व संशोधित) तक बढ़ा दिया जाए तथा समयोपरि भत्तों की दरों का नकदीकरण।	कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग	(क) इस संदर्भ के अन्तर्गत आने वाले गैर-राजपत्रित पदधारित सरकारी कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की अनुज्ञेयता के लिए ऊपरी वेतन सीमा को 750/-रु० प्रतिमाह से बढ़ाकर 900/-रु० प्रतिमाह किया जाएगा सिवाए ऐसे कर्मचारियों के मामले में जो मूल रूप से पर्यवेक्षण का कार्य करते हैं और स्पेशल चार्ज भत्ता प्राप्त करते हैं। (ख) इसके अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए समयोपरि भत्ते की दरें परिलब्धियों की दर का $1\frac{1}{4}$ (एक तथा चौथाई) होंगी। (ग) समयोपरि घंटे के प्रथम घंटे का समयोपरि भत्ते में शामिल नहीं किया जाएगा और इस सम्बन्ध में विद्यमान प्रचलित नियम ही जारी रहेंगे।
सी० ए० संदर्भ सं० 1/86	कर्मचारी पक्ष ने यह मांग की कि केन्द्रीय सरकारी	कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग	(i) अधिवर्षता की तारीख पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के खाते

1	2	3	4
	कर्मचारियों को उनकी अधिवर्षता की तारीख पर उनके खाते में जमा अर्द्ध वेतन छुट्टियों के समतुल्य नकद भुगतान की अनुमति दी जाए।		में जमा समस्त अर्द्ध-वेतन छुट्टियों के नकदीकरण की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि पेंशन तथा पेंशन समनुदेय अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं की, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली 1972 के नियम 39 के उपनियम (5) में किए गए प्रावधान के अनुसार उसमें से कटौती कर ली जाएगी। (ii) यह अधिनिर्णय, 14 जुलाई, 1982 से प्रभावी होगा।
सी० ए० संदर्भ सं० 1/86	डाक व तार विभाग में ओपरेटिव कार्यालयों के कार्य के घंटों को कम किया जाना तथा डाक व तार के प्रशासनिक कार्यालयों के कार्य के घंटों के समतुल्य लाया जा सके।		

1	2	3	4
सी० ए० संदर्भ संख्या 9 (क)/80	डाक व तार विभाग के ओपरेटिव कार्यालयों के कार्य के घंटों को कम किया जाना ताकि उन्हें डाक व तार के प्रशासनिक कार्यालयों के कार्य के घंटों के समतुल्य लाया जा सके।	डाक व तार विभाग	ओपरेटिव स्टाफ के कार्य के घण्टे जो कि अब प्रति सप्ताह 48 घंटे हैं, को प्रतिदिन आधा घंटा कम कर दिया जाना चाहिए और अतः उनके लिए सामान्य भोजनावकाश के आधे घण्टे के साथ प्रति सप्ताह 45 घण्टे होंगे। स्टाफ की पद संख्या निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए, प्रति सप्ताह 48 घण्टों की विद्यमान पद्धति को लागू रहने दिया जाए। प्रति सप्ताह 45 घण्टों के पश्चात् किए गए कार्य के लिए समयोपरि भत्ता दिया जाएगा समयोपरि भत्ते की संगणना के प्रयोजन के लिए परिलब्धियों का प्रति घण्टा दर निकालने के लिए, साप्ताहिक परिलब्धियों को 45 द्वारा विभाजित किया जाना चाहिए। यह अधिनिर्णय 1 अप्रैल, 1983 से प्रभावी होगा।

"उड़ीसा में प्रदूषण"

952. श्री डी० अमात :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में प्रदूषण के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन जिलों और नगरों का ब्यौरा क्या है जहां यह सर्वेक्षण कराया गया था; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी हां। बड़े उद्योगों द्वारा फैलाये गये प्रदूषण के सम्बन्ध में उड़ीसा में एक सर्वेक्षण किया गया है।

(ख) और (ग) अंगुल, तलचर जैसे शहरी केन्द्रों और तलचर ताप बिजली घर, फर्टीलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया, नैशनल एलुमीनियम कम्पनी और धनकनाल जिले में डेरा जैसी बस्तियों सहित अंगुल-तलचर औद्योगिक काम्प्लेक्स का एक विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण से इस क्षेत्र में प्रदूषण भार और प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख स्रोतों का पता चला है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों द्वारा एसोसिएशन का गठन

953. श्री गिरिधर गोमांगो :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी अपने कल्याण, विकास तथा सेवा मामलों के लिए विद्यमान कानून और नियमों के अनुसार एसोसिएशन बना सकते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की इन विद्यमान एसोसिएशनों को सरकार द्वारा कानूनी एसोसिएशन के रूप में मान्यता दी जा सकती है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) वे सेवा एसोसिएशन/यूनियन, जो केन्द्रीय सिविल सेवा, सेवा एसोसिएशन की मान्यता नियमावली 1959 में निर्धारित मानदण्ड को पूरा करती हैं, उन्हें सेवा मामलों को उठाने के प्रयोजन से मान्यता दी जाती है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापन

954. श्री कैलाश मेघवाल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, उन पर निगरानी रखी है और उपक्रमों द्वारा प्राप्त लक्षित दावों का कोई नमूना सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आगेय गोबर्धन) : (क) से (ग) चूंकि समझौता ज्ञापन सम्बद्ध मंत्रालय/विभाग तथा सरकारी क्षेत्र के किसी एकक के बीच बातचीत से तय एक दस्तावेज है, अत: इसकी रूपात्मकता और परिवीक्षण के अन्तराल के बारे में भी दोनों के बीच परस्पर विचार-विमर्श के बाद सहमति होती है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन का नियमित परिवीक्षण सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा किया जा रहा है। इसलिये कोई नमूना सर्वेक्षण नहीं किया जाता है।

औद्योगिक विष-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र द्वारा पेयजल संबंधी अनुसंधान कार्य

955. श्रीमती सुमित्रिनंदन अली :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विष-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ ने पेयजल में "कोलीफोर्म" की एन्टीबायोटिक-रोधी क्षमता के संबंध में कोई अनुसंधान कार्य किया है;

(ख) क्या औद्योगिक विष-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत मिट्टी और जल में पाये जाने वाले आम कीटनाशकों के बारे में भी इस तरह का कार्य किया गया है/करने का विचार किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० ओ० के० अेमन) : (क) जी, हां। औद्योगिक विष-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ ने मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों के कई समस्या जिलों में पेय जल स्रोतों में कॉलीफार्मों के अध्ययन का आयोजन किया है, जिससे विभिन्न एन्टीबायोटिकों में भिन्न-भिन्न मात्राओं में रोधी क्षमताओं का पता लगा है।

(ख) गंगा, यमुना, हुगली के जल सहित कुछ पेय जल नमूनों में नाशकमार अवशिष्टों के आंकड़ों से आमतौर पर प्रयोग किये जाने वाले नाशकमारों जैसे बी०डी०टी०, एच०सी०ए०च, एंडोसल-फेन की उपस्थिति का कुछ नमूनों में संकेत मिलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं से सामान्यतौर पर उनका स्तर कम था।

मुम्बई और नासिक के बीच राजमार्ग को चार लेनों वाला बनाना

956. श्री राम नाईक :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कसादा घाट से होते हुए मुम्बई और नासिक के बीच के राजमार्ग को चार लेनों वाला बनाने तथा "वन्य भूमि" से एक वैकल्पिक सड़क बनाने का महाराष्ट्र सरकार का एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था और इस पर स्वीकृति कब तक दे दी जाएगी;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त, घाट सड़कों के बारे में कोई अन्य प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 31.7.1990 तक केन्द्र सरकार के पास मार्ग निर्माण के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने से सम्बन्धित महाराष्ट्र का कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बच्चों के लिए एक समान शिक्षा

957. श्री बलवन्त मनवर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) राज्यवार, केन्द्रीय विद्यालयों सहित स्कूलों की संख्या क्या है और उनके कितने-कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का देश में कम से कम बारहवीं कक्षा तक एक समान शिक्षा देने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का तथाकथित "पब्लिक स्कूलों" को बन्द करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करने का विचार है;

(घ) यदि हाँ, तो कब से; और

(ङ) क्या सरकार का विचार, माध्यमिक स्तर तक शिक्षा को मौलिक अधिकारों में शामिल करने का है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मन भाई मेहता) : (क) 1987-88 से सम्बन्धित ये आंकड़े दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) देश में प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के ढांचे के आधार पर संशोधित पाठ्यचर्या और पाठ्य-पुस्तकें लागू करके कक्षा XII तक स्कूल प्रणाली में एक व्यापक एकरूपता प्राप्त की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालयों सहित स्कूलों का राज्य/संघ शासित प्रदेश वार विवरण (1987-88 के दौरान) और उनमें अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या

राज्य/संघ शासित प्रदेश	स्कूलों की संख्या	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या (ये आंकड़े कालम (2) में शामिल हैं)	कुल नामांकन
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	57,687	36	10277011
अरूणाचल प्रदेश	1,318	6	122936
असम	34,602	38	4774883
बिहार	67,298	46	11215056
गोवा	1,445	4	276518
गुजरात	33,696	32	7657000
हरियाणा	8,364	20	2668058
हिमाचल प्रदेश	9,014	12	1097812
जम्मू और कश्मीर	11,970	24	1164455
कर्नाटक	43,990	23	7829641
केरल	12,190	20	6003696
मध्य प्रदेश	82,308	60	10438161
महाराष्ट्र	64,450	43	15279580
मणिपुर	3,597	5	382750

1	2	3	4
मेघालय	5,120	6	340529
मिजोरम	1,672	1	147763
नागालैण्ड	1,728	4	210196
उडीसा	35,127	20	4820364
पंजाब	16,446	35	3334487
राजस्थान	39,930	40	6107702
सिक्किम	680	1	83447
तमिलनाडु	39,597	26	11666494
त्रिपुरा	2,726	4	532843
उत्तर प्रदेश	96,799	95	19471905
पश्चिम बंगाल	61,775	43	12819912
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	281	2	64060
चंडीगढ़	138	6	90738
दादर और नगर हवेली	169	—	20965
दमन और दीव	74	—	233221
दिल्ली	3196	29	1616575
लक्षद्वीप	34	—	13012
पांडिचेरी	545	2	165332
कुल	755996	683	140717102

स्कूलों में सुविधाएं

958. श्री शांति लाल पुरुषोत्तम दास पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साक्षरता दर और जनसंख्या में वृद्धि के कारण, पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कूलों में

सुविधाओं की आवश्यकताओं में अनुमानतया कितनी वृद्धि हुई;

(ख) इसी अवधि के दौरान शैक्षणिक आधार भूत ढांचे में तत्संबंधी कितनी वृद्धि हुई; और

(ग) शैक्षणिक आधार-भूत ढांचे में वृद्धि के लिए सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र का कितना-कितना योगदान है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान, स्कूलों में सुविधाओं की आवश्यकता में वृद्धि, स्कूल प्रणाली में शैक्षिक अवस्थापना में तदनुरूपी वृद्धि और तदनुरूपी वृद्धि के लिए सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के योगदान के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ वर्ष 1978—86 के दौरान वृद्धि की प्रतिशतता की सूचना, जो चौथे अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण (1978) और पांचवें अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण (1986) के दौरान एकत्रित की गई थी, संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

1978—86 की अवधि के दौरान स्कूलों की संख्या में वृद्धि

संस्थाएं/विद्यालय	विद्यालयों की सं० 1978	1986	1978—86 के दौरान स्कूलों में वृद्धि की प्रतिशतता
1. प्राथमिक विद्यालय	474636	529892	11.64
2. उच्च प्राथमिक विद्यालय	112404	138687	23.38
3. माध्यमिक विद्यालय	36675	42208	42.35
4. उच्च माध्यमिक विद्यालय	10429	15498	48.60
कुल	634144	735785	16.03

मध्य प्रदेश स्थित ग्रीन बेंडलैंड को स्वीकृति

[हिन्दी]

959. श्री एस० सी० वर्मा :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भोज वैटलैंड के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की कुल लागत कितनी है और केन्द्रीय सरकार ने इस उद्देश्य हेतु मध्य प्रदेश सरकार को अब तक कितनी धनराशि दी है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु भविष्य में आवंटन किस प्रकार किया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना पर कुल 65.73 करोड़ रुपये लागत आयेगी। इसमें जापान की मदद मांगी गई है। इस बीच, पिछले दो वर्षों के दौरान 8,63,100 रुपये की लागत वाली चुनिन्दा स्कीमों को मंत्रालय के नम भूमि कार्यक्रम के तहत धन दिया गया है।

(ग) नम भूमि कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत सहायता दी जाती है।

राजस्थान में परती भूमि के लिए योजनाएं

960. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कुल कितना क्षेत्र परती भूमि के रूप में है;

(ख) इसके उपयोग, इसे, खेती योग्य बनाने तथा वनरोपण के लिए विचारित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं पर कुल कितनी लागत आयेगी;

(घ) क्या परती भूमि के विकास में गैर-सरकारी संगठनों अथवा व्यक्तियों के सहयोग की कोई गुंजाइश है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में नियमों, विनियमों, उपबन्धों और हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) राजस्थान में परती भूमि का कुल अनुमानित क्षेत्र 199.84 लाख हैक्टेयर है।

(ख) और (ग) राजस्थान में केन्द्र और राज्य क्षेत्रों में, विदेशी सहायता प्राप्त राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी प्रायोजना सहित परती भूमि विकास परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन परियोजनाओं पर हुए व्यय और उनके अन्तर्गत शामिल किया गया क्षेत्र निम्न प्रकार है :—

किया गया व्यय :	125.79 करोड़ रुपए
शामिल किया गया क्षेत्र :	2.84 लाख हैक्टेयर

(घ) और (ङ) सरकार की नीति वनीकरण और परती भूमि विकास में स्वैच्छिक संगठनों

तथा स्थानीय लोगों को शामिल करना है। स्थानीय जन-सहयोग के माध्यम से वनीकरण और परती भूमि विकास हेतु प्रायोजनाएं चलाए जाने के लिए अनुदान सहायता परियोजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक एजेंसियों को भी सहायता दी जाती है। 1985-86 से शुरू की गई अनुदान सहायता परियोजना में अब तक राजस्थान में 39 स्वैच्छिक एजेंसियों को वनीकरण और परती भूमि विकास हेतु प्रायोजनाएं चलाए जाने के लिए 36.21 लाख रुपए सहायता के रूप में दिए गए हैं।

सामुदायिक और निजी स्वामित्व वाली परती भूमि के विकास में स्थानीय जन सहयोग प्राप्त करने के लिए राजस्थान में 29वृक्ष उत्पादन सहकारिताएं गठित की गई हैं।

विश्वविद्यालयों में समान पाठ्यक्रम

[अनुवाद]

961. **श्री पलाई के० एम० मैथ्यू :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों में समान पाठ्यक्रम लागू करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग ने 1986 में विभिन्न विषयों में आदर्श पाठ्यचर्या तैयार करने के लिए पाठ्यचर्या विकास केन्द्र योजना शुरू की। इसका मुख्य उद्देश्य माड्यूलर रूप में पाठ्यचर्या पैकेज का विकास करना था ताकि देश भर में पाठ्यक्रमों की विषय सूची में एकरूपता का तत्व हो, जो छात्रों की गतिशीलता को भी सुकर बनाएगी। आयोग द्वारा इस प्रकार के 27 केन्द्र, विज्ञान में 10 और मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में 17, स्थापित किए गए थे। अवर स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 24 विषयों के लिए अब तक आदर्श पाठ्यचर्याएं तैयार की गई हैं और 19 पाठ्यचर्याएं विश्वविद्यालयों के विचारार्थ तथा कार्यान्वयन के लिए भेज दी गई हैं।

केरल के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिए वित्तीय सहायता

962. **श्री कोडी कुन्नील सुरेश :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से केरल के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन देने के संबंध में विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) मार्च, 1989 में केरल सरकार ने प्रारम्भिक स्कूलों में "मध्याह्न भोजन के लिए" राज्यों को पर्याप्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुरोध किया था। इसके प्रत्युत्तर मे, मई, 1989 में उन्हें यह सूचित किया गया था कि मध्याह्न भोजन राज्य क्षेत्र का कार्यक्रम है और इसके लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक अभिन्न भाग के रूप में खंड अनुदानों के माध्यम से केन्द्रीय सहायता दी गयी थी।

परती भूमि पर पेड़ लगाना

[हिन्दी]

963. **श्री एम० एस० पाल :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 में राष्ट्रीय परती भूमि विकास मिशन ने कितने लाख हैक्टेयर परती भूमि पर पेड़ लगाए हैं; और

(ख) वर्ष 1989 में पेड़ लगाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख) वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों, जिनमें परती भूमि का विकास शामिल है, के लिए वर्ष 1989-90 के दौरान 336.86 करोड़ पौद लगाने का लक्ष्य था। इस लक्ष्य की तुलना में वर्ष 1989-90 के दौरान 341·40 करोड़ पौद लगाई। यह वृक्षारोपण लगभग 17 लाख हैं। भूमि पर वृक्षारोपण के बराबर है।

कडईरूप्पु, केरल में कारखाना स्थापित करने के विरुद्ध अभ्यावेदन

[अनुवाद]

964. **श्री पी० सी० थामस :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के एर्णाकुलम जिले के कुन्नाथुनाड तालुक के कडईरूप्पु में एक रसायन कारखाना स्थापित करने के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या इससे इसके निकट स्थित पिरगारा नदी में प्रदूषण फैलने की कोई आशंका है;

(ग) यदि हां, तो क्या उपरोक्त कारखाने में प्रदूषण नियंत्रण करने वाले समुचित उपाय कर दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां, । यदि शोधन की समुचित सुविधाएं मुहैया नहीं की जाती हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। केरल के इरनाकुलम जिले में कडाइरूप्पू स्थित लेमिना रेनफोर्स्ड स्पास्टिक प्राइवेट लिमिटेड प्रोसेस लिकर का पुनर्चक्रीयन करेगी और इस फैक्टरी से किसी प्रकार के विषैले बहिस्राव के विसर्जन की उम्मीद नहीं है। अपशिष्ट जल का शोधन किया जायेगा और उसका प्रक्रिया में यथासम्भव अधिकतम पुनर्प्रयोग किया जायेगा और बकाया पानी के बागवानी के लिए इस्तेमाल किया जायेगा। केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस एकक को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर दिया है और यह शर्त लगायी है कि फैक्टरी संस्थापित करने से पहले बहिस्राव के समुचित शोधन और ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए उक्त उपाय किये जायें।

साधारण बीमा निगम में व्यावसायिक पाठ्यक्रम

965. प्रो० यदुनाथ पाण्डेय :

क्या प्रधान मंत्री साधारण बीमा निगम में रोजगारोन्मुख व्यावसायिक पाठ्यक्रम के बारे में 30 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6950 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में स्कूल-वार कितने छात्रों को साधारण बीमा निगम में प्रशिक्षण के लिए चुना गया है;

(ख) इसमें प्रशिक्षण शुरू करने की सम्भावना कब से हैं;

(ग) ऐसे केन्द्र कहां-कहां स्थित हैं, जहां उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा;

(घ) इस प्रशिक्षण के बाद उन्हें साधारण बीमा निगम की नियमित सेवा में खपाने के लिए क्या मानदंड अपनाने का विचार किया गया है; और

(ङ) प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद साधारण बीमा निगम में उनकी नियुक्ति हो जाने पर उन्हें देय वेतन और भत्तों का ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) दिल्ली में स्कूल-वार उन छात्रों की संख्या निम्नलिखित है जो साधारण बीमा निगम में प्रशिक्षु सहायक के रूप में नियुक्ति संबंधी मानदण्ड को पूरा करते हैं, बशर्ते कि वे साक्षात्कार और चिकित्सा परीक्षा में उत्तीर्ण हों :—

स्कूल	उम्मीदवारों की संख्या
1	2
1. राजकीय सीनियर माध्यमिक बालिका विद्यालय, किदवई नगर	32
2. राजकीय सीनियर माध्यमिक बाल विद्यालय, चंदन नगर	27
3. राजकीय सीनियर माध्यमिक बालिका विद्यालय, जनकपुरी	36

1	2
4. राजकीय सीनियर माध्यमिक बाल विद्यालय, कुतुब रोड	34
5. राजकीय सीनियर माध्यमिक बाल विद्यालय, गुलाबी बाग	31
6. बाल भारती पब्लिक स्कूल, राजेन्द्र नगर	21

(ख) और (ग) दिल्ली और इसके आसपास के केन्द्रों में प्रशिक्षण कार्य दिनांक 1.10-1990 से प्रारंभ होने की आशा है।

(घ) साधारण बीमा निगम में उम्मीदवारों को नियमित रूप से खपाने के लिए उन्हें संतोषजनक ढंग से प्रशिक्षुता प्रशिक्षण तथा 18 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी।

(ङ) साधारण बीमा निगम में नियमित नियुक्ति होने पर उन्हें महंगाई भत्ते, मकान किराया भत्ते, शहर प्रतिपूरक भत्ते आदि, जो भी लागू हों, सहित 1000—2850 रुपए का वेतनमान अनुमत्य होगा।

आधुनिक वन अग्नि नियंत्रण परियोजना

966. **श्री शांताराम पोटदुखे :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान जंगलों में अचानक आग लगने की घटनाओं में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रारम्भ की गई आधुनिक वन अग्नि नियंत्रण परियोजना को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का अपने निर्णय पर पुनः विचार करने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एजेंसी द्वारा प्रायोजित परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त "फिक्स्ड विंग पाइपर सेनेका" एयरक्राफ्ट, एक लामा हेलीकाप्टर, दो टोयटा कारों, चार बुलडोजर युक्त ट्रकों का किस प्रकार उपयोग करने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 31 मार्च, 1989 को परियोजना के 5 वर्ष पूरे हो गए थे। परियोजना की बढ़ाई गई अवधि 30 जून, 1990 को समाप्त हुई। अब 31 अगस्त, 1990 तक 2 महीने की अवधि और बढ़ायी गयी है।

(घ) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की परियोजना के अंतर्गत प्राप्त एक "फिक्स्ड विंग पाइपर सेनेका" एयरक्राफ्ट, एक लामा हैलीकाप्टर तथा दो टोयटा कारों को वापस करने का प्रस्ताव है। चार

बुलडोजर युक्त ट्रकों को अग्नि-रेखा बनाने के लिए रखा जाएगा।

घाटे में चलने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

967. **श्री बी० एन० रेड्डी :**

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन का ध्यान रखा जाता है और प्रत्येक उपक्रम के बारे में विशेष मासिक रिपोर्ट भेजी जाती है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से सरकारी क्षेत्र के उपक्रम घाटे में चल रहे हैं और उनके घाटे में चलने के मुख्य कारण क्या-क्या हैं; और

(ग) उनके कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेश गोवर्धन) : (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के कार्य-निष्पादन की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम, जिन्होंने लेखा परीक्षित लेखों के आधार पर वर्ष 1988-89 के दौरान घाटा उठाया है, 15-3-1990 को सभा पटल पर रखे गये लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1988-89 के खण्ड-I के पृष्ठ संख्या 187 से 189 पर दिये गये हैं। विभिन्न उद्यमों के घाटे के कारण भिन्न-भिन्न हैं। सामान्यत: क्षमता का कम उपयोग, बाधित विद्युत आपूर्ति, बकाया ऋणों पर ब्याज की उच्च लागत, काम में आने वाली सामग्री की कीमतों में वृद्धि होना, तथा मांग में कमी-बेशी होना आदि घाटे के कुछ मुख्य कारण हैं।

(ग) उद्यमों के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम हैं— उद्यमों का पुनर्गठन, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण तथा उसे समुन्नत बनाना, उत्पाद-मिश्र में परिवर्तन करना, बेहतर अनुरक्षण प्रबंध, प्रशिक्षण दिलाना, प्रबंधन का व्यवसायीकरण आदि।

सरकारी उपक्रमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का चयन

968. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यम चयन बोर्ड ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के चयन के लिए जून, 1990 के दौरान कई साक्षात्कार लिए थे; और

(ख) जून, 1990 में सरकारी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का चयन किया गया ?

प्रधान मंत्री ((श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। मुख्य कार्यकारियों के चयन के लिए जून, 1990, के दौरान जिन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए विचार किया गया था

उनके नाम निम्न प्रकार हैं :—

1. अध्यक्ष-एवं प्रबन्ध निदेशक, पवन हंस लि०

2. प्रबन्ध निदेशक, फेरो स्क्रेप निगम लि०

3. प्रबन्ध निदेशक, लगन जूट मशीनरी कम्पनी लि०

4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, ओ० एन० जी० सी० विदेश लि०

5. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम।

6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन।

7. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि०

8. प्रबन्ध निदेशक, इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०

मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

969. **श्री माधवराव सिंधिया :**

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री कल्पनाथ सोनकर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के कौन-कौन से उपक्रम मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के बिना ही काय कर रहे हैं और इन उपक्रमों में ये पद कब से रिक्त हैं;

(ख) इन महत्वपूर्ण पदों के भरने में बिलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों की एक सूची जो 31-7-1990 की स्थिति के अनुसार, मुख्य कार्यकारियों के बिना ही कार्य कर रहें हैं। विवरण के रूप में संलग्न है। यह उल्लेखनीय है कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, जिसमें रिक्तियों का परिचालन, उम्मीदवारों की जांच परख, साक्षात्कार का कार्यक्रम बनाना, चरित्र तथा पूर्व वृत्तों का सत्यापन तथा नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए व्यक्तियों की सतर्कता सम्बन्धी क्लियरेंस प्राप्त करना भी शामिल है। नियमित नियुक्तियां होने तक अंतरिम व्यवस्था की जाती है। इस प्रक्रिया में निश्चित रूप से समय लगता है तथा निम्नलिखित कारणों से देरी हो जाती है:—

(i) जहां नियुक्त किए जाने वाला व्यक्ति कार्यभार ग्रहण करने के लिए समय लेता है अथवा अन्ततः कार्यभार ग्रहण नहीं करता है जिसके परिणामस्वरूप नया चयन करना पड़ता है;

(ii) विशिष्ट पदों के लिए विशिष्ट प्रतिभावत व्यक्तियों की खोज करना जिसके लिए

कभी-कभी देश के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन देने होते हैं ।

(iii) जहां त्यागपत्र, मृत्यु, सेवा की समय पूर्व समाप्ति एक उद्यम से दूसरे उद्यम में व्यक्तियों के आने जाने आदि के कारण रिक्तियों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है ।

(ग) सरकार रिक्तियों को यथाशीघ्र भरने के सतत प्रयास करती रहती है तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्यवाही की जाती है । यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों में अंशकालिक अध्यक्ष, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों के पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया के सम्बन्ध में अनुदेश जारी किए हैं तथा इस सम्बन्ध में समय सीमा भी निर्धारित की गई है ।

विवरण

31-7-1990 की स्थिति अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों में मुख्य कार्य-कारियों के खाली पद

क्रम सं०	उद्यम का नाम	खाली पद का पदनाम	रिक्ति की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	विदेश संचार निगम लिमिटेड	अध्यक्ष एवं प्र० निदेशक	17.10.89
2.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	अध्यक्ष एवं प्र० निदेशक	11.8.89
3.	इण्डो-बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी लि०	अध्यक्ष एवं प्र०निदेशक	1.5.90
4.	पवन हंस लिमिटेड	प्रबन्ध निदेशक	26.10.89
5.	ऑयल इण्डिया लिमिटेड	अध्यक्ष एवं प्र० निदेशक	22.4.90
6.	फैरो स्क्रेप निगम लिमिटेड	प्रबन्ध निदेशक	21.2.90
7.	इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कं० लि०	प्रबन्ध निदेशक	9.6.90
8.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	प्रबन्ध निदेशक	12.1.90
9.	इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	17.2.90
10.	सेमी कण्डक्टर कम्पलेक्स लि०	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	1.7.89
11.	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड	प्रबन्ध निदेशक	10.7.90
12.	शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया	अध्यक्ष	21.12.89
13.	दिल्ली परिवहन निगम	अध्यक्ष एवं प्र० निदेशक	28.6.90

1	2	3	4
14.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर (आई०) लि०	अध्यक्ष एवं प्र० निदेशक	4.6.90
15.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डवलपमेंट्स (इण्डिया) लिमिटेड	अध्यक्ष एवं प्र० निदेशक	1.12.90
16.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन	अध्यक्ष एवं प्र० निदेशक	21.3.90
17.	तुंगभद्रा स्टील प्राडेक्ट्स लि०	प्रबन्ध निदेशक	3.2.90
18.	बर्न स्टेण्डर्ड कम्पनी लि०	प्रबन्ध निदेशक	21.6.90
19.	ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन	अध्यक्ष एवं प्र० निदेशक	10.7.90
20.	एन० टी० सी० (होल्डिंग कम्पनी) लि०	अध्यक्ष एवं प्र० निदेशक	1.5.90
21.	माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज लि०	प्रबन्ध निदेशक	21.6.90
22.	ओ० एन० जी० सी० विदेश लि०	प्रबन्ध निदेशक	1.5.90
23.	इण्डियन रोड कन्सट्रक्शन कारपो० लि०	अध्यक्ष एवं प्र० निदेशक	1.2.90
24.	हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कारपो०	अध्यक्ष एवं प्र० निदेशक	1.27.90
25.	नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपो०	अध्यक्ष एवं प्र० निदेशक	11.8.90
26.	टी० ट्रेडिंग कारपोरेशन लि०	प्रबन्ध निदेशक	1.9.89
27.	इण्डियन आयल कारपोरेशन	अध्यक्ष	4.6.90
28.	इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलाजी डवलपमेंट कारपोरेशन	प्रबन्ध निदेशक	24.4.88
29.	मणिपुर ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०	प्रबन्ध निदेशक	नया पद
30.	हिंदुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	3.7.90
31.	एन० टी० सी० (एम० पी०) लि०	अध्यक्ष एवं प्र० निदेशक	17.11.88
32.	एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० एण्ड ओ०) लिमिटेड	अध्यक्ष एवं प्र० निदेशक	1.5.90
33.	यू० पी० ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०	प्रबन्ध निदेशक	7.4.88
34.	एन० टी० सी० (यू० पी०) लि०	अध्यक्ष एवं प्र० निदेशक	28.11.85

1	2	3	4
35.	इंडियन मेडिसन्स फार्मास्यूटिकल्स लि०	प्रबन्ध निदेशक	21.5.90
36.	नेशनल पावर ट्रान्समिशन कारपो०	अध्यक्ष एवं प्र० निदेशक	नया पद
37.	एयर इण्डिया	अध्यक्ष एवं प्र० निदेशक	12.7.90
38.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लि०	अध्यक्ष एवं प्र० निदेशक	23.7.90

बेरोजगारी समाप्त करना

[हिन्दी]

970. **श्री मंजय लाल :**

श्री फूल चन्द वर्मा :

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "इस शताब्दी के अन्त तक लगभग पूर्ण रोजगार" के लक्ष्य को प्राप्त करने की बहुउद्देशीय नीति के सम्बन्ध में योजना आयोग के प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में यदि कोई कदम उठाया गया है, तो वह क्या है?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेश गोवर्धन) : (क) से (ग) आठवीं योजना दृष्टिकोण दस्तावेज में रोजगार को योजना के केन्द्रीय बल के रूप में रखने का प्रस्ताव रखा गया है। आगामी दशक तक रोजगार में औसतन 3% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य होगा।

इस उद्देश्य के लिए, दृष्टिकोण पत्र में यह सुझाव दिया गया है कि जो क्षेत्रक तथा कार्यकलाप उत्पादन की प्रति यूनिट में कम पूंजी का प्रयोग करते हुए अधिक श्रम प्रयोग करते हैं, निवेश की पद्धति को उनके पक्ष में करना आवश्यक होगा। कार्यनीति में विकास की सामान्य प्रक्रिया में बढ़ते हुए व्यापक स्तर पर रोजगार अवसरों के सृजन पर जोर दिया गया है। साथ ही यह अंतरिम उपाय के रूप में जरूरतमंदों के लिए प्रत्याभूत काम देने के लिए विशेष कार्यक्रम की अभिकल्पना करने की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करती है। प्रस्तावित कार्यनीति का सरकार और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा समर्थन किया गया है। ब्यौरों का विवरण और अधिक विस्तार आठवीं पंच-वर्षीय योजना दस्तावेज में शामिल किए जाएंगे।

प्रबंधकों और मजदूर संघों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर को मंत्रिमण्डल की स्वीकृति

[अनुवाद]

971. **प्रो० के० वी० थामस :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस शिकायत की जानकारी है कि प्रबन्धकों और सरकारी क्षेत्र के मजदूर संघों के बीच मसौदा समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात केन्द्रीय मंत्रिमण्डल से स्वीकृति मिलने में लम्बी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और अधिक समय लगता है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया को सरल बनाने और मन्त्रिमण्डल द्वारा समझौते पर स्वीकृति प्रदान करने में लगने वाले समय में कटौती करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के केवल उन मजूरी प्रस्तावों के सम्बन्ध में मन्त्रिमण्डल की स्वीकृति के लिए कार्रवाई की जानी अपेक्षित होती है जिनमें सरकार द्वारा निर्धारित मार्ग-निर्देशों का उल्लंघन होता हो। ऐसे प्रस्तावों पर स्वीकृति के लिए मन्त्रिमण्डल में प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व सम्बद्ध मन्त्रालय/विभागों द्वारा कागजातों पर सरकारी उद्यम विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई की जानी होती है। ऐसे सभी प्रस्तावों में, जो सरकार द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुकूल होते हैं, किसी प्रकार का कोई विलम्ब नहीं होता है क्योंकि वे सम्बद्ध मन्त्रालय द्वारा सरकारी उद्यम विभाग से परामर्श करने के पश्चात् स्वीकृत किये जाते हैं।

औपचारिक शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं को अनुदान

973. श्री राघवजी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के रायसेन तथा विदिशा जिलों में औपचारिक शिक्षा प्रदान करने हेतु किन-किन गैर-सरकारी संस्थाओं और व्यक्तियों को अनुदान दिया गया है और उनमें से प्रत्येक को कितनी-कितनी धनराशि का अनुदान दिया गया है;

(ख) अनुदान देने के लिए संस्थाओं और व्यक्तियों का चयन करते समय क्या मानदण्ड अपनाये गए;

(ग) क्या इन व्यक्तियों और संस्थाओं का चयन करने से पहले कोई सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यक्तियों और निजी संस्थाओं को सीधे कोई अनुदान नहीं देती।

सीमा सड़क संगठन में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या

[हिन्दी]

974. श्री नंदलाल मीणा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सड़क संगठन में विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितने प्रतिशत है;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या उनके लिए निर्धारित प्रतिशतता से कम है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार सीमा सड़क संगठन में विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की प्रतिशतता इस प्रकार है:--

समूह	विद्यमान प्रतिशतता		निर्धारित प्रतिशतता	
	अनु० जाति	अनु० जनजाति	अनु० जाति	अनु० जनजाति
"क"	6.70	1.61	15	7.5
"ख"	11.21	—	15	7.5
"ग"	14.90	1.89	16·67	7.5
"घ"	19.76	3.49	16.67	7.5

(ख) जी, हां। समूह "घ" में अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित पदों को छोड़कर।

(ग) (एक) ब्यौरे ऊपर (क) में दिए अनुसार हैं।

(दो) समूह "क" के पदों पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है जिसके लिए आयोग को मांग भेज दी गई है। समूह "ख" पदों पर सीधी भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है। समूह "ग" श्रेणियों में ऐसे पात्र व्यक्तियों की संख्या पर्याप्त नहीं है जो समूह "ख" पदों पर पदोन्नति के लिए विचाराधीन हों।

जहां तक समूह "ग" और "घ" पदों का सम्बन्ध है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती के लिए "इम्पलायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार" में विज्ञापन दे दिए गए हैं। साथ ही कुछ राज्यों में विशेष भर्ती दल भी भेजे गए थे ताकि समूह "ग" और "घ" के पदों पर भर्ती के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवारों का उसी स्थान पर चयन किया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर अधिक से अधिक संख्या में इन्हीं वर्गों के उम्मीदवार भर्ती किए जायें।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किए गए मामले

975. **प्रो० महादेव शिवनकर** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 (जून मास तक) के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ख) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें जांच रिपोर्ट के आधार पर और आगे कार्यवाही की गई और कितने मामले वापस लिए गए और कितने मामलों में अभी तक जांच की जा रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 528 मामले।

(ख) उपर्युक्त 528 मामलों में से 46 मामलों के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कर ली गई है। दिनांक 30-6-1990 की स्थिति के अनुसार 4 मामले पर्याप्त साक्ष्य के अभाव मे वापिस ले लिए गए हैं तथा शेष 478 मामलों पर जांच कार्रवाई लम्बित है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षार्थियों को प्रशिक्षण

[अनुवाद]

976. **श्री बबनराव ढाकणे** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षार्थियों को महिलाओं और बच्चों की समस्याओं से सम्बन्धित विषयों में शिक्षा देने की कोई योजना आरम्भ की है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई विशेष प्रयास किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या परिवीक्षार्थियों को अपने प्रशिक्षण की अवधि के दौरान स्वयंसेवी एजेंसियों से सम्बद्ध किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी स्वयंसेवी एजेंसियों के नाम क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षार्थियों को उनके व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं और बच्चों की समस्याओं से सम्बन्धित विषयों में शिक्षा देने की कार्रवाई पहले ही प्रारम्भ की जा चुकी है।

(ग) इस विषय को शामिल करने के लिए हाल ही में अकादमी द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं :

(1) महिलाओं से सम्बन्धित विषयों पर एक सेमिनार;

(2) यूनीसेफ की सहायता से पीने के पानी तथा महिला तथा बाल विकास पर एक मॉड्यूल; तथा

(3) प्रतिरक्षण तथा पीने के पानी आदि पर तकनीकी मिशन के सम्बन्ध में एक सेमिनार।

(घ) और (ङ) जी हां; स्वयंसेवी एजेंसियां निम्नलिखित हैं :—

(1) सेवा ग्रामीण, झगादिया, जिला बड़ोच (गुजरात)।

(2) सेवा अहमदाबाद (गुजरात)।

(3) सेवा मन्दिर उदयपुर (राजस्थान)।

(4) एस० डब्ल्यू० आर० सी० तिलोनिया, जिला—अजमेर (राजस्थान)।

(5) एकलव्य भोपाल (मध्य प्रदेश)।

(6) चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट (24 परगना) पश्चिम बंगाल।

(7) ग्रामीण विकास टैगोर समिति (24 परगना) दक्षिण अलीपुर (पश्चिम बंगाल)।

(8) मोहुदा स्थित ग्राम विकास बरहामपुर उड़ीसा।

(9) एस० डब्ल्यू० आर० सी० काशीपुर, जिला—कोरापुट (उड़ीसा)।

करीमगंज बाइपास

977. **श्री सन्तोष मोहन देव :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर करीमगंज में एक बाइपास बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस बाइपास का कार्य इस समय किस चरण में प्रगति पर है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) स्थानीय निवासियों की आपत्तियों और न्यायालय में दायर मामलों के कारण 1988 में मंजूर प्रस्तावित सड़क के बाइपास के निर्माण में प्रगति नहीं हो सकी। बाइपास के लिए एक नया प्रस्ताव रखा गया है और इसका सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है तथा इस परियोजना के लिए अनुमानित व्यय की रूप रेखा को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए आवंटन

978. **श्री के० प्रधानी :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कृषि के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने का विचार है;

(ख) कृषि के किन-किन भागों अथवा क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक धनराशि खर्च करने की आवश्यकता है; और

(ग) सरकार उक्त धनराशि को किस प्रकार खर्च करेगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेश गौवर्धन) : (क) सरकार, यह सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है कि पूंजी निवेश योग्य

संसाधनों का 50 प्रतिशत कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए लगाया जाए। आठवीं योजना के क्षेत्रकवार व्यापक आवंटन अभी तैयार किए जाने हैं। तथापि, यह उम्मीद है कि आठवीं योजना में धनराशियों के आवंटन सातवीं योजना के आवंटनों से अधिक होंगे।

(ख) कृषि के अन्तर्गत आने वाले लगभग सभी क्षेत्रों की पूंजीनिवेश योग्य संसाधनों के बढ़े हुए आवंटन से लाभ हो सकता है, लेकिन संसाधन संबंधी समग्र बाधाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिन पर आठवीं योजना में विशेष बल दिया जायेगा, वे हैं—वर्षा सिंचित कृषि का विकास; लघु सिंचाई का संवर्धन; ऋण सहित फार्म निवेशों का वितरण प्रणाली में सुधार, कृषि का बागवानी, रेशम के कीड़ों का पालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, डेयरी उद्योग तथा पशुपालन जैसे और ज्यादा लाभदायक उद्यमों में विविधीकरण को प्रोत्साहन देना तथा सुदृढ़ीकरण, विपणन तथा कृषि-प्रसंस्करण सुविधाएं। कृषीय अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से बल दिए जाने वाले क्षेत्रों से संबंधित तथा जैव-प्रौद्योगिक कृषि-जलवायु विज्ञान तथा दूरस्थ-संवेदी जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आवश्यक समर्थन दिया जाएगा।

(ग) कृषि तथा सहायक क्षेत्रकों के लिए आबंटित योजना संसाधनों को उपयुक्त स्कीमों तथा कार्यक्रमों के जरिए जिन्हें राज्य सरकारों की सहायता से कार्यान्वित किया जाएगा, चैनलबद्ध किया जाएगा।

कड़ी सुरक्षा वाले क्षेत्रों में तथाकथित जासूसी गतिविधियां

979. **श्री राम सागर (सैदपुर) :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों में दिल्ली में कड़ी सुरक्षा वाले क्षेत्रों में कुछ व्यक्ति जासूसी करते हुए पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है/करने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

जम्मू—पुंछ राजमार्ग को चौड़ा किया जाना

980. **श्री जनक राज गुप्त :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू—पुंछ राजमार्ग पर भारी यातायात रहता है और इसके बावजूद यह सड़क एकपथीय (सिंगल लेन) है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस सड़क को चौड़ा करके द्विपथीय (डबल लेन) बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) जम्मू—पुंछ राजमार्ग तीन मुख्य खण्डों से मिलकर बना है : -

एक) जम्मू — अखनूर

दो) अखनूर — राजौरी

तीन) राजौरी — पुंछ

जम्मू—अखनूर खण्ड पहले ही दो लेन वाली सड़क है। रक्षा की दृष्टि से अखनूर से आगे के खण्ड को दो लेन की विशिष्टियों के अनुरूप बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि राजौरी तथा पुंछ जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हैं।

आदिवासी लोगों को स्वामित्व का अधिकार

981. कुमारी उमा भारती :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में विशेषकर मध्य प्रदेश में आदिवासी लोगों को उस भूमि का स्वामी बनाने का निर्णय लिया है जिस पर उनका पिछले कई वर्षों से कब्जा है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब तक कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ग) मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ और छतरपुर जिले में इससे कितने आदिवासी लोगों को लाभ पहुंचेगा ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) से (ग) भारत सरकार ने पात्र अवैध कब्जाधारियों द्वारा अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में 1,03,874 हेक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाने की स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय की सूचना मध्य प्रदेश सरकार को इस मंत्रालय के दिनांक 5-7-1990 तथा 6-7-1990 के पत्र संख्या 11-27/88-एफ० सी० के द्वारा दे दी गई है। इसमें छतरपुर जिले में 146 आदिवासियों और टीकमगढ़ जिले में 191 आदिवासियों द्वारा वन भूमि पर अवैध कब्जों को नियमित करना भी शामिल है।

"इन्टैलसैट" उपग्रह और 'अरबसैट' उपग्रह के माध्यम से रिले सुविधा संबंधी व्यय

[हिन्दी]

982. श्री दिलीप सिंह भूरिया :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान "इन्टैलसैट"

उपग्रह और अरबसैट उपग्रह के माध्यम से रिले सुविधा प्राप्त करने में कुल कितनी धनराशि खर्च हुई और उक्त सुविधा के लिए प्रति मास कितनी धनराशि खर्च की जा रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : भारत सरकार ने अरबसैट उपग्रह पर 12 सी-बैण्ड प्रेषानुकर (प्रत्येक 36 मेगाहर्त्स का), इन्टैलसैट उपग्रह पर 2 प्रेषानुकर (प्रत्येक 72 मेगाहर्त्स का) और इन्टरस्पुतनिक उपग्रह पर एक प्रेषानुकर (34 मेगाहर्त्स का) लीज पर लिए हैं। लीज प्रभार निम्न प्रकार हैं :

अरबसैट लीज प्रभार-प्रत्येक प्रेषानुकर के लिए लगभग 66,000 अमरीकी डालर प्रतिमाह। इन्टेलसैट लीज प्रभार-प्रत्येक प्रेषानुकर के लिए लगभग 113,000 अमरीकी डालर प्रतिमाह।

इन्टरस्पुतनिक प्रेषानुकर लीज प्रभार-प्रत्येक प्रेषानुकर के लिए 62,000 अमरीकी डालर प्रतिमाह (प्रतिदिन 12.5 घंटे के लिए ही उपलब्ध)।

चालू वित्तीय वर्ष (01.04.1990 से 30.06.1990 तक) के दौरान अदा किया गया लीज प्रभार निम्न प्रकार है :

अरबसैट-1 बी०	2,400,000 अमरीकी डालर
इन्टेलसैट	680,000 अमरीकी डालर
इन्टरस्पुतनिक	186,000 अमरीकी डालर
	3,266,000 अमरीकी डालर

अरबसैट और इन्टरस्पुतनिक लीज पर भारतीय रुपये में अतिरिक्त 30% कर भारत में आय कर के रूप में देय है।

बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चम्पारन जिलों में पुरातत्वीय स्थलों की खोज

[अनुवाद]

983. श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चम्पारन जिलों में बौद्धवादी, मौर्यवादी, गांधीवादी तथा अन्य राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के अनेक पुरातत्वीय स्थल हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चम्पारन जिलों में पुरातत्वीय स्थलों की खोज करने तथा इतिहासकारों, मानव-विज्ञानियों और पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु इन स्थलों का विकास करने के लिए पुरातत्व विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्मय भाई मेहता) : (क) बिहार

के पूर्व और पश्चिम चम्पारन जिलों में कई प्राचीन स्थल हैं, जिन में बुद्ध और गौर्य काल से सम्बन्धित स्थल भी शामिल है।

(ख) इन जिलों के पुरातत्वीय स्थलों जिनका पहले ही पता लगाया गया है और सूची बद्ध किया जा चुका है, की आगे खोज करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों/स्थलों का अनुरक्षण और परिरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में मेडिकल और इंजीनियरी कालेज

[हिन्दी]

984. **श्री अरविन्द नेताम :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ मेडिकल और इंजीनियरी कालेज खोले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का किन-किन मैदानी स्थानों पर ऐसी संस्थाएं खोलने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (ग) दो नए इंजीनियरी कालेज अर्थात् कुमाऊ इंजीनियरी कालेज तथा जी० बी० पन्त इंजीनियरी कालेज उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों क्रमशः द्वारहाट, अल्मोड़ा तथा पौढ़ी गढ़वाल में खोले गए हैं। द्वारहाट तथा अल्मोड़ा इंजीनियरी कालेजों में प्रत्येक पाठ्यक्रम में 30 छात्रों के दाखिले सहित इलैक्ट्रानिक्स तथा संचार इंजीनियरी और विज्ञान इंजीनियरी के पाठ्यक्रम प्रदान करने का प्रस्ताव है। पौढ़ी गढ़वाल स्थित इंजीनियरी कालेज में क्रमशः 30, 30 तथा 15 छात्रों के दाखिले सहित सिविल इंजीनियरी, जैव-प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण इंजीनियरी में पाठ्यक्रम प्रदान करने का प्रस्ताव है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कोई भी मेडिकल कालेज नहीं खोला गया है और न ही इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव है।

पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमता

[अनुवाद]

985. **श्रीमती बासव राजेश्वरी :**

श्री पी० एम० सईद :

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान को भारत की नौसैनिक युद्ध व्यवस्था को भारी क्षति पहुंचाने के लिए भूमि से और वायु में प्रहार करने की न्यूनतम क्षमता प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सुरक्षा मामलों संबंधी अमरीकी पत्रिका में भी यह समाचार प्रकाशित हुआ है तथा 16 जून, 1990 के हिन्दुस्तान टाइम्स में भी यह प्रकाशित हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने प्रेस समाचार की जांच की है;

(घ) यह तथ्य कहां तक ठीक है; और

(ङ) पाकिस्तानी खतरे से निपटने हेतु हमारे नौसैनिक बलों में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सरकार के पास इस आशय की सूचना उपलब्ध है कि पाकिस्तान की नौसेना ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से नौसेना उपस्कर/शस्त्रास्त्र/सेंसर अर्जित किए हैं/अर्जित कर रही है। इससे युद्ध होने पर भारतीय नौसेना को जोखिम में डालने के लिए पाकिस्तानी नौसेना की क्षमता में वृद्धि होगी।

(ख) और (ग) सरकार ने "द नेवल बैलेंस 1990" नामक अमरीकी पत्रिका में "न्यू एक्वीजिशन ऑन दि इंडियन सब-कन्टिनेन्ट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित रिपोर्ट देखी है। इसमें पाकिस्तानी नौसेना द्वारा हाल ही में अर्जित साज-सामान से भारतीय नौसेना को होने वाले सम्भावित खतरों का विश्लेषण किया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार देश की सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सभी गतिविधियों पर बराबर नजर रखती है और हर समय पूरी रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए उचित कार्रवाई करती है। भारतीय नौसेना को होने वाले सम्भावित खतरों का मूल्यांकन करते समय पाकिस्तानी नौसेना द्वारा सतत रूप से अधिग्रहीत किए जा रहे नौसेना साज-सामान को भी ध्यान में रखा जाता है।

सुपोल (सहरसा) में नवोदय विद्यालय खोलना

[हिन्दी]

986. श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपोल (सहरसा) में नवोदय विद्यालय खोलने की स्वीकृति दो वर्ष पहले दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए अपेक्षित भूमि भी अधिग्रहीत कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो भूमि अधिग्रहण के पश्चात भी अब तक नवोदय विद्यालय न खोलने के कारणों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) स्कूल वर्ष 1987-88 में खोला गया था।

सी० एस० डी० और ए० एस० सी० को मिलावटी वनस्पति तेल की सप्लाई

[अनुवाद]

988. श्री मान्धाता सिंह :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं में एक "कंपोजिट" खाद्य प्रयोगशाला है, जो उनको सप्लाई किये जाने वाले खाद्य पदार्थों की गहन जांच के लिए जिम्मेदार होती है;

(ख) क्या सी० एस० डी० और ए० एस० सी० को सप्लाई किये गये "हाइड्रोजेनेटिड" वनस्पति तेल में निकल के विषाणु कणों की मिलावट पाई गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में की गई कार्यवाही सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वीर सावरकर की वर्षगांठ मनाना

989. श्री शंकर सिंह वघेला :

डा० ए० के० पटेल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का वीर सावरकर की वर्षगांठ मनाने हेतु किसी स्वैच्छिक संगठन को वित्तीय सहायता देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चालू वर्ष के दौरान, शताब्दियों और जयंती (वर्षों) के लिए ही अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है।

मिग-21 लड़ाकू विमान का लापता होना

990. **डा० सी० सिल्वेरा :**

श्री जी० एस० वासवराज :

श्री प्रकाश कोको ब्रह्ममट्ट :

श्री ई० एस० एम० पाकीर मोहम्मद :

प्रो० यदुनाथ पांडेय :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि भारतीय वायु सेना का एक मिग-21 लड़ाकू विमान चालक सहित 1 जुलाई, 1990 से लापता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) विमान तथा इसके चालक को खोजने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) जी, हाँ। 25 जून, 1990 को भारतीय वायुसेना का मिग-21 विमान चालक सहित लापता घोषित कर दिया गया था। जब विमान लापता घोषित किया गया था उस समय चालक समुद्र के ऊपर प्रशिक्षण अभ्यास कर रहा था। दुर्घटना क्षेत्र में विमानों और पोतों द्वारा की गई व्यापक खोज के बावजूद अभी तक लापता विमान और उसके मलबे का पता नहीं चला है।

(घ) जी, हां। कोई ठोस प्रमाण न मिलने के कारण इस दुर्घटना के लिए गठित जांच अदालत अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति संबंधी नियमों में छूट

991. **श्री परसराम भारद्वाज :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति से सम्बन्धित नियमों में छूट देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) विद्यमान अनुदेशों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों से सम्बन्धित उम्मीदवारों को कुछ छूट/रियायतें अनुज्ञेय है। इस स्तर पर अनुसूचित जातियों

और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति से सम्बन्धित नियमों में और कोई छूट देने का प्रस्ताव नहीं है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में संशोधन

992. **श्री बी० राज रवि वर्मा :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिंडीगुल पर्यावरण परिषद ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में समुचित संशोधन करने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है;

(ख) क्या परिषद ने इस प्रक्रिया में पर्यावरणविदों और पर्यावरणीय संगठनों को शामिल करने का भी अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) से (ग) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को डिंडीगुल पर्यावरणीय परिषद से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए प्रतीत नहीं होते हैं।

इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड में आरक्षित पद

993. **श्री अनादि चरण दास :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड में 30 जून, 1989 और 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार समूह "क" और "ख" के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछले बकाया कितने आरक्षित पद खाली पड़े थे;

(ख) 30 जून, 1989 से बकाया पड़े आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाने का विचार है; और

(ग) इन पिछले पदों को कब तक भरने का प्रस्ताव है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जून, 1989 और जून, 1990 को समूह "क" और "ख" में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों में से खाली पड़े पदों की संख्या निम्नलिखित है : —

	1989		1990	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
समूह "क"	03	02	04	01
समूह "ख"	38	17	07	18
कुल	41	19	11	19

(ख) बकाया पड़े आरक्षित पदों को भरने के लिए जून, 89 में अखिल भारतीय आधार पर एक विज्ञापन जारी किया गया था तथा 31-3-90 तक कुल 33 पद भरे जा चुके थे शेष पदों को, जिनमें वर्तमान आरक्षण भी शामिल है, भरने के लिए जून, 1990 में एक विज्ञापन जारी किया गया है।

(ग) बकाया पड़े सभी आरक्षित पदों को यथासम्भव शीघ्र भरने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा कार्मिकों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

महाराष्ट्र में स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन सम्बन्धी कार्यक्रम

994. **श्री सुवाम देशमुख :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 में महाराष्ट्र में जिलाबार कितने स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन (क्लास) सम्बन्धी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं; वर्ष 1990-91 में यह कार्यक्रम कितने नए स्कूलों में शुरू किया जा रहा है;

(ख) महाराष्ट्र में इस कार्यक्रम की कितनी कक्षाओं में किन-किन स्थानों पर "कलर मानीटर्स" का उपयोग किया जाता है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के निष्पादन का पर्यवेक्षण करने के लिए कोई स्थायी पुनरीक्षा की गयी है अथवा निगरानी एजेंसी नियुक्त की गयी है; यदि हां, तो क्या अपने शिक्षा विभागों के माध्यम से सम्बन्धित राज्य सरकार इसका प्रतिनिधित्व करती है;

(घ) क्या निगरानी एजेंसी की पुनरीक्षा की सिफारिशों के कारण इन कार्यक्रमों में कोई बड़ा परिवर्तन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) 1989-90 तक क्लास सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र से 236 स्कूलों को चुना गया है, जिनमें से अब तक 162 स्कूलों में कम्प्यूटर लगाए गए हैं। राज्य सरकार से जिलेवार स्कूलों का जिलावार ब्यौरा प्राप्त किया जा रहा है। 1990-91 के दौरान अब तक कोई नए स्कूल नहीं चुने गए हैं।

(ख) जहां यह प्रणाली लगाई गई है वहां इस परियोजना के अन्तर्गत सभी स्कूलों द्वारा रंगीन मानीटरों का प्रयोग किया जाता है।

(ग) जी, नहीं। यह परियोजना 1986 में अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा विकसित की गई थी। अक्तूबर, 1986 में सरकार द्वारा गठित एक कार्यकारी वर्ग द्वारा इस परियोजना की समीक्षा भी की गई थी।

(घ) और (ङ) कार्यकारी दल ने इस परियोजना को जारी रखने की जोरदार वकालत की और उसकी यह राय थी कि इस परियोजना ने भारत के स्कूलों में शिक्षा को आधुनिक और उन्नतशील बनाने में सराहनीय शुरूआत की है। इसमें शिक्षकों/छात्रों में सृजनात्मक और विश्लेषणात्मक क्षमता और नवपरिवर्तनता को प्रोत्साहित और प्रोन्नत करने की क्षमता है। इससे छात्र

कम्प्यूटरों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और तेजी से बढ़ते हुए प्रौद्योगिकी उन्मुख समाज का सामना कर सकेंगे। कार्यकारी दल की सिफारिशों पर छात्रों के नामांकन के आधार पर प्रति स्कूल कम्प्यूटरों की संख्या 2 से बढ़ाकर 5 कर दी गई है। चूंकि इसके अतिरिक्त शिक्षकों के लिए पुनः अनुस्थापन पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।

प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली

[हिन्दी]

995. **श्री राम लाल राही :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चलाई गई प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली वांछित परिणाम प्राप्त करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस योजना में कुछ संशोधन करने के लिए इसकी पुनरीक्षा करने का है;

(ग) क्या सरकार का अशिक्षित ग्रामीण लोगों को शिक्षा देने हेतु कुछ ठोस कदम उठाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (ङ) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जनवरी, 1988 से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। यह एक सामाजिक मिशन है जो समाज के सभी वर्गों को गतिशील बनाना और शामिल करना चाहता है। यह मिशन ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी गंदी बस्तियों में, विशेष रूप से महिलाओं, अनु० जाति तथा अनु०ज०जा० समुदायों के बीच 15—35 आयु वर्ग में निरक्षर प्रौढ़ों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना चाहता है। इन वर्गों को गतिशील बनाने के लिए एक जन अभियान का शुभारंभ 5-5-1988 को किया गया था। तभी से, देश के विभिन्न भागों में जो एक निर्धारित समय अवधि के अंदर प्रौढ़ निरक्षरता उन्मूलन की ओर उन्मुख हैं, अनेक रुचिकर विकास हुए हैं और हो रहे हैं। गुजरात में साक्षरता अभियान, 1988-89 में कर्नाटक के 20 तालुकों में, संपूर्ण साक्षरता जन अभियान, और 90-91 में बीजापुर तथा दक्षिण कन्नड़ में सम्पूर्ण साक्षरता जन-अभियान, पश्चिम बंगाल के 20 सी० डी० खण्डों में संपूर्ण साक्षरता की निष्पादन अभिमुख योजनाएं, समूचे केरल राज्य में कोट्टायम शहर और एर्नाकुलम जिले को छोड़कर जो पहले ही साक्षर बन गए हैं। गोवा, पांडिचेरी संघशासित क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिला में संपूर्ण साक्षरता जन अभियान, ऐसे कुछ उदाहरण हैं।

चूंकि प्रत्येक राज्य, प्रत्येक क्षेत्र और यहां तक कि उसी क्षेत्र के अंदर भी स्थितियां व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न होती है, अतः समूचे राष्ट्र में कार्यान्वयन के लिए किसी एक समान माडल अथवा पद्धति या कार्यविधि की सिफारिश करना कठिन है। इसे देखते हुए, किसी विशेष क्षेत्र की आवश्य-

कताओं के अनुरूप अनेक नीतियों और पद्धतियों को अपनाया और कार्यान्वित किया जा रहा है। यद्यपि चालू कार्यक्रमों में त्रुटियों तथा कमियों का पता लगाने के लिए और उनमें कोटि परक परिवर्तन तथा सुधार लाने की दृष्टि से उपचारी उपाय करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, तथापि अध्ययन की गति, विषय वस्तु तथा अवधि सुधारने शिक्षकों तथा शिक्षुओं के प्रोत्साहन में सुधार करने, और दीर्घावधि के लिए शिक्षुओं, जिनका इस कार्यक्रम में नामांकन किया जाता है, के कार्यात्मक साक्षर स्तर को बनाये रखने के लिए अनेक नये उपाय भी किए जा रहे हैं। यह इसी संदर्भ में है कि संपूर्ण निरक्षरता उन्मूलन के लिए क्षेत्र विशिष्ट और समय विशिष्ट योजनाएं कार्यान्वयन के लिए तैयार की जा रही हैं। वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुसंधान के निष्कर्षों को, जिनकी जांच की गई है और सिद्ध किया गया है, शिक्षण अध्ययन वातावरण में सुधार करने के लिए, काम में लाया जा रहा है।

सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की समीक्षा करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। इस समिति की एक उप-समिति प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की समीक्षा कर रही है।

पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी सिंचाई परियोजनाएं

[अनुवाद]

996. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

श्री जे० चोक्का राव :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जाने वाली अनेक लघु, मध्यम वर्ग की और बड़ी सिंचाई परियोजनाएं पर्यावरण की दृष्टि से मंजूरी हेतु लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के राज्य-वार नाम क्या हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख) जी, नहीं। निम्नलिखित केवल चार सिंचाई परियोजनाओं को पर्यावरण की दृष्टि से मंजूरी दी जानी है :—

(1) जामरानी बहुउद्देशीय परियोजना, उत्तर प्रदेश।

(2) लोअर वुन्ना सिंचाई परियोजना, महाराष्ट्र।

(3) बाघुर सिंचाई परियोजना, महाराष्ट्र।

(4) केलो परियोजना, मध्यप्रदेश।

(ग) प्रत्येक परियोजना का पूरा विवरण भेजे जाने पर उसके सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने में अधिकतम तीन महीने का समय लगता है। इन परियोजनाओं के संबंध में पहले भेजी गयी सूचना के आधार पर मूल्यांकन समिति की आगामी बैठक में इन पर चर्चा की जाएगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए आरक्षण

997. **श्री राम सजीवन :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय से कितने नेत्रहीन व्यक्तियों ने पी० एच० डी०, एम० फिल० पूरा किया है;

(ख) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति में नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए कोई विशेष रियायत अथवा आरक्षण की व्यवस्था की जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, छात्रों के नामांकन प्रपत्र में ऐसा कोई कालम नहीं है, जिसमें यह बताया गया हो कि क्या छात्र आंखों से विकलांग है अथवा नहीं, अत: विश्वविद्यालय के पास उन नेत्रहीन छात्रों की संख्या के संबंध में कोई सूचना नहीं है। जिन्होंने पी० एच० डी० अथवा एम० फिल० पूरा कर लिया है।

(ख) और (ग) लेक्चरार के रूप में नियुक्ति के लिए नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। तथापि, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने 1980 में एक संकल्प पारित किया जिसमें यह उल्लेख है कि अन्य बातें समान होने पर विश्वविद्यालय और कालेजों में लेक्चरार के पद पर नियुक्ति के लिए चयन करने में आंखों से विकलांग छात्रों को वरीयता दी जाए।

"वन भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को नियमित करना"

998. **श्री मनोरंजन भक्त :**

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार ने 31 अगस्त, 1978 तक अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में राजस्व और वन क्षेत्रों में अवैध कब्जे को नियमित करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1978 के पहले के कब्जे की स्थिति के अनुसार, निर्धारित किये गये राजस्व और वन क्षेत्र सम्बन्धी ऐसे मामलों की संख्या क्या है; और

(ग) क्या इन्हें नियमित करने के सम्बन्ध में उन्हें आवश्यक दस्तावेज देने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है तथा नियमित करने सम्बन्धी कितने मामले लम्बित हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अण्डमान और निकोबार प्रशासन ने 1987 और 1989 में क्रमश: 1367 और 89 परिवारों के पक्ष में 1367 हेक्टेयर और 89 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि पर अवैध कब्जों के नियमन के दो मामले प्रस्तुत किए थे। 1367 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जे को नियमन हेतु

मंजूरी दे दी गई है और अण्डमान और निकोबार प्रशासन को मंजूरी के संबंध में सूचित कर दिया गया है। 89 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जा जिसे बाद में प्रस्तुत किया गया था, अण्डमान और निकोबार प्रशासन द्वारा सूचना न भेजे जाने के कारण नामंजूर कर दिया गया है। मंजूर किए गए मामलों के सम्बन्ध में नियमन संबंधी जरूरी कागजात उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई करने की जिम्मेदारी अण्डमान और निकोबार प्रशासन की है।

20-सूत्री कार्यक्रम को फिर से तैयार करना

999. **श्री पी० नरसा रेड्डी :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20-सूत्री कार्यक्रम को अधिक गतिशील बनाने तथा गरीबी दूर करने में सहायक बनाने के लिए इसमें संशोधन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो 20-सूत्री कार्यक्रम को पूरी तरह सफल बनाने के लिए जोर देने हेतु यदि किसी विशिष्ट मुद्दों का पता लगाया गया है और देश के किसी भाग से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सातवीं योजना अवधि में 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए कोई समिति गठित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेश गोवर्धन) : (क) और (ख) 20-सूत्री कार्यक्रम के संशोधन/पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रश्न 8वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देते समय उठाया जाएगा।

(ग) और (घ) सातवीं योजना अवधि में 20-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन की जांच-पड़ताल करने के लिए कोई समिति नियुक्त नहीं की गई है। फिर भी सातवीं योजना अवधि के दौरान राज्य/जिला और तालुक/ब्लाक स्तरों पर कार्यान्वयन के लिए समितियां गठित की गई। कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भी राज्य सरकारों से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्टों के आधार पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यों को प्रबोधित किया।

केन्द्रीय विद्यालयों में उप-प्रधानाचार्यों की पदोन्नति

[हिन्दी]

1000. **प्रो० प्रेम कुमार धूमल :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में उप-प्रधानाचार्यों को प्रधानाचार्यों के पद पर पदोन्नत करते समय वरिष्ठता को वरीयता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के ध्यान में कुछ ऐसे मामले आये हैं, जहां वरिष्ठ उम्मीदवारों

का अतिक्रमण करके कनिष्ठ उप उम्मीदवारों को पदोन्नत किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) यदि वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति नहीं की जाती है, तो इसके क्या कारण हैं और किस आधार पर पदोन्नति दी जाती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में उप-प्रधानाचार्य से प्रधानाचार्य की पदोन्नति प्रासंगिक भर्ती नियमावली के अनुसार प्रवरण-प्राविधि के अनुसार की जाती है।

उप-प्रधानाचार्य के रूप में वरीयता विचारणीय क्षेत्र में शामिल करने का आधार है। वरीयता के अनुसार इस विचारणीय क्षेत्र में आने वाले उम्मीदवारों को तब वर्गबद्ध किया जाता है और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा यथा-मूल्यांकित योग्यता के अनुसार उसका पेनल बनाया जाता है। इस प्रकार की प्रवरण प्रक्रिया में एक कनिष्ठ व्यक्ति, मात्र विचारणीय क्षेत्र के अन्दर योग्यता के आधार पर अपने से वरिष्ठ व्यक्ति का स्थान ले सकता है। सरकार में भी ऐसे पदों के लिए यही सम्भाव्य प्रक्रिया है जिनके लिए भर्ती नियमावली के अन्तर्गत प्रवरण प्राविधि निर्धारित होती है। और इसे एक असंगति के रूप में वर्णित किया जा सकता।

सरकारी क्षेत्र की निर्माणाधीन परियोजनाएं

[अनुवाद]

1001. श्री रामबहादुर सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की उन परियोजनाओं की (क्षेत्रवार) संख्या कितनी है जो अभी भी निर्माणाधीन हैं;

(ख) इन परियोजनाओं की लागत में इनके आरम्भिक अनुमान की तुलना मे कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य आरम्भ किए जाने के समय तक इनकी लागत में कितनी और वृद्धि होने की संभावना है;

(ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान कौन-कौन सी परियोजनाओं का निर्माण कार्य आरम्भ करने का विचार है; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं का किस प्रकार वित्त पोषण किए जाने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आनेय गोचर्धन) : (क) योजना आयोग को उन विभिन्न परियोजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है जो विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों के अन्तर्गत निर्माणाधीन हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) आठवीं योजना के लिए विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों के परियोजना प्रस्ताव योजना आयोग में अभी प्राप्त नहीं हुए है। उनके वित्त पोषण के तरीके के बारे में निर्णय आठवीं योजना में शामिल करने हेतु इन परियोजनाओं को अंतिम रूप देते समय लिया जाएगा, जिसे यथा समय संसद के समक्ष रखा जाएगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय और कालेजों में प्रवेश से संबंधित मार्ग-निर्देश

1102. **श्री हेत राम :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश संबंधी सलाहकार समिति को दिल्ली के विभिन्न कालेजों में प्रवेश देने के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की थीं;

(ख) यदि हां, तो कालेजों को क्या-क्या मार्ग निर्देश जारी किये गये थे;

(ग) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय और इससे सम्बद्ध कालेजों द्वारा इन मार्ग-निर्देशों का पालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि इन दिशा-निर्देशों का पालन किया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) मार्ग दर्शी रूपरेखाओं में यह निर्धारित है कि अहर्क परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर योग्यता पर दाखिले किये जाने चाहिए और निम्नलिखित के लिए भी व्यवस्था है :

(I) विभिन्न श्रेणियों के छात्रों के लिए कालेजों में अवरस्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए विस्तृत पद्धति और मानदंड;

(II) अनु०जा०/अनु० ज० जा० के उम्मीदवारों, खिलाडियों, शारीरिक विकलांग और नेत्रहीन उम्मीदवारों, युद्ध में मारे गये अथवा विकलांग सैनिकों/अर्द्ध सैनिक बलों के कार्मिकों के बच्चों/विधवाओं के लिए आरक्षण/रियायत;

(III) छात्रावासों में अनु० जा०/अनु० ज० जा० के लिए स्थान का आरक्षण।

(ग) और (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, कालेज इन मार्ग-दर्शी रूपरेखाओं का अनुपालन कर रहे हैं। तथापि; विभिन्न कालेजों में दाखिला न देने के सम्बन्ध में, अलग-अलग छात्रों की शिकायतों के मामले हैं। विश्वविद्यालय ने कालेजों में दाखिला देने के सम्बन्ध में छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए शिकायत समिति गठित की है। समिति के सामने लाये गये मामलों की नियमों के संगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जांच की गई है और अधिकतर शिकायतों को दूर किया गया है। जब कभी दाखिला देने के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती हैं तो सरकार विश्व-विद्यालय का ध्यान इस ओर दिलाती है और उसे उपयुक्त उपचारी कार्रवाई करने के लिए अनुरोध करती है।

इंजीनियरिंग कालेजों में छात्र

[हिन्दी]

1003. श्री बृज भूषण तिवारी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरिंग और उच्च प्रौद्योगिकी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या कितनी है और कुल जनसंख्या की तुलना में उनका अनुपात क्या है;

(ख) पूर्वी उत्तर प्रदेश (गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, देवरिया आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर) में ऐसी संस्थाओं की संख्या कितनी है और प्रति लाख जनसंख्या के पीछे इन पाठ्यक्रमों के लिए कितने स्थान हैं;

(ग) क्या सरकार को किसी क्षेत्रीय असन्तुलन का पता लगा है; और

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) देशभर में इस समय लगभग पांच लाख छात्र इंजीनियरी कालेजों तथा पालिटेक्निकों में अध्ययनरत हैं। जनसंख्या का प्रति लाख अनुपात लगभग 60 छात्र है।

(ख) से (घ) गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती देवरिया, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर और मिर्जापुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक इंजीनियरी कालेज तथा नौ पालिटेक्निक हैं। क्षेत्र में जनसंख्या के प्रति लाख पर सीटों की संख्या 22 है। इस क्षेत्र में सुविधाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से दो और पालिटेक्निक स्थापित किए जा रहे हैं।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की साहित्य कला परिषद् संबंधी रिपोर्ट

[अनुवाद]

1004. श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने केन्द्रीय सरकार (दिल्ली प्रशासन) से सम्बन्धित 1990 की अपनी रिपोर्ट संख्या 3 में दिल्ली प्रशासन के एक निकाय साहित्य कला परिषद की, जिसे कला और संस्कृति को प्रोत्साहन देने का कार्य सौंपा गया है, इस बात के लिए आलोचना की है कि उसने बिना लेखे का, बिना उपयोग किया हुआ और अनुचित व्यय किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सरकारी धन का दुरुपयोग किए जाने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) नियंत्रक एवं महालेखाकार की रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संस्कृति विभाग में प्राप्त हो गई

है। नियंत्रक एवं महालेखाकार की रिपोर्ट दिल्ली प्रशासन द्वारा उठाए गए सुधारात्मक/उपचारात्मक कदमों के माध्यम से की गई कार्रवाई सहित नियंत्रक एवं महालेखाकार को भेज दी गई है। दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई पर नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियों की प्रतीक्षा की जा रही है। पूरी रिपोर्ट शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"अजमेर रेजीमेंट" का भंग किया जाना

[हिन्दी]

1005. प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश शासन काल में भारतीय सेना में "अजमेर रेजीमेन्ट" नामक एक रेजीमेन्ट थी;

(ख) यदि हां, तो इस रेजीमेन्ट को भंग करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या अब सरकार का इस रेजीमेन्ट का पुनर्गठन करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1942 में खड़ी की गई अजमेर रेजीमेंट को 1946 में भंग कर दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् भारतीय सेना में कटौती करने का निर्णय लिया गया था और परिणामस्वरूप सेना की लगभग आठ हजार यूनिटें भंग कर दी गई थीं। अजमेर रेजीमेंट भी भंग की गई यूनिटों में से एक थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यद्यपि ऐतिहासिक और अन्य कारणों की वजह से कुछ रेजीमेंटों के नामों को बनाए रखा गया लेकिन विद्यमान नीति के अनुसार कोई भी रेजीमेंट किसी वर्ग, समुदाय, धर्म या क्षेत्र के आधार पर खड़ी नहीं की जा रही है।

"तमिलनाडु में नौसेना हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहीत भूमि से विस्थापित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना"

[अनुवाद]

1006. श्री आर० जोवरत्नम् :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में अर्नाकुलम में नौसेना हवाई अड्डे का निर्माण कार्य इस समय किस चरण में है;

(ख) क्या नौसेना हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि मालिकों के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को हवाई अड्डे में उपयुक्त रोजगार उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इसका लाभ कितने परिवारों को मिला और कितने परिवारों को अब तक कोई रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया और इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) नौसेना हवाई अड्डे का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है।

(ख) जी, नहीं। लेकिन जिन लोगों की भूमि अधिगृहीत की गई है उनके परिवारों के सदस्यों को रोजगार देने के मामले में समुचित रूप से विचार किया जाएगा बशर्ते वे जिन पदों के लिए आवेदन करते हैं उनके लिए निर्धारित अर्हताएं और पात्रता सम्बन्धी अन्य मानदन्ड पूरा करते हों।

(ग) परियोजना के अन्तर्गत अब तक तत्कालीन भूमि मालिकों के परिवारों के सात व्यक्तियों को रोजगार दिया जा चुका है और 16 व्यक्तियों को नौसेना में भर्ती किया जा चुका है। परियोजना के लिए अधिकृत कार्मिकों की स्वीकृति मिलने के बाद ही और व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा।

पंजाब सरकार के कार्यालयों में भ्रष्टाचार

1007. **बाबा सुच्चा सिंह :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रेणी-I और श्रेणी-II के पदों पर कार्यरत पंजाब सरकार के कर्मचारियों के बारे में भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) पंजाब सरकार ने कार्यालयों से भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु कौन से उपचारात्मक उपाय किए है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रदूषण रोकने हेतु कदम

[हिन्दी]

1008. **श्री दौलत राम सारण :**

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के विरुद्ध राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) उन सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के नाम क्या हैं जहां प्रदूषण-रोधी यंत्र लगाए गए हैं और

उन उद्योगों के नाम क्या हैं जहां ये यंत्र नहीं लगाए गए हैं; और

(ग) जिन सरकारी क्षेत्र के जिन उद्योगों ने अपशिष्ट निस्स्राव संयंत्र नहीं लगाए हैं, उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के तहत संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के उपबन्धों के तहत केन्द्र सरकार और सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ताप विद्युत संयंत्रों, सीमेंट संयंत्रों, तेल शोधशालाओं, उर्वरक संयंत्रों और एकीकृत इस्पात संयंत्रों में प्रदूषण की स्थिति की नियमित रूप से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निगरानी की जाती है और अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इन इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण यंत्रों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) दोषी इकाइयों के खिलाफ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित कृतक दलों के जरिये अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है। मामले को सम्बन्धित मन्त्रालयों के साथ भी उठाया गया है। कुछ मामलों में पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत भी कार्रवाई की गई है।

विवरण

1. उन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के नाम जहां प्रदूषण नियंत्रण संत्र लगाए गए हैं :—

(1) ताप विद्युत संयंत्र

राज्य	ताप विद्युत संयंत्रों के नाम
उत्तर प्रदेश	1. सिंगरौली (एन०टी०पी०सी०) (मिर्जापुर)
	2. रिहन्द (एन०टी०पी०सी०) (मिर्जापुर)
मध्य प्रदेश	3. कोरबा (एन०टी०पी०सी०) (कोरबा)
	4. कोरबा (डब्ल्यू ई०एस०टी०) (कोरबा)
दिल्ली	5. इन्द्रप्रस्थ
	6. राजघाट
पंजाब	7. गुरुनानक देव; भटिण्डा
	8. रोपड़

राजस्थान	9. कोटा
कर्नाटक	10. रायचुर
तमिलनाडु	11. एन्नोर
	12. तुतिकोरिन
	13. मेट्टुर
बिहार	14. मुजफ्फरपुर
आन्ध्र प्रदेश	15. विजयवाड़ा
	16. रामागुंडम (एन०टी०पी०सी०)
	17. रामगुंडम
गुजरात	18. उत्रान
	19. वनाकबोरी
	20. गांधी नगर
मध्य प्रदेश	21. सतपुरा
	22. विंध्याचल

(2) सीमेंट संयंत्र

1. सी०सी०आई० तंदुर (आन्ध्र प्रदेश)
2. गुजरात सीमेंट कारपोरेशन लि०, वेरावल

(3) तेल शोधनशालाएं

राज्य	तेल शोधन शालाओं के नाम
आंध्र प्रदेश	1. एच०पी०सी०एल०-विशाखापटनम
आसाम	2. आई०ओ०सी०-डिगबोई
आसाम	3. आई०ओ०सी०-गुवाहाटी
आसाम	4. बी०आर०पी०एल०-बोंगाइगांव
बिहार	5. आई०ओ०सी०-बारौनी
गुजरात	6. आई०ओ०सी०-बरोडा
केरल	7. सी०आर०एल०-कोचीन

महाराष्ट्र	8. बी०पी०सी०एल०-बम्बई
महाराष्ट्र	9. एच०पी०सी०एल०-बम्बई
तमिलनाडु	10. एम०आर०एल०-मद्रास
उत्तर प्रदेश	11. आई०ओ०सी०-मथुरा
पश्चिम बंगाल	12. आई०ओ०सी०-हल्दिया

(4) उर्वरक संयंत्र

1. एफ०ए०सी०सी०

(क) अलवे (केरल)

(ख) अम्बालामेदु, कोचीन (केरल)

2. एफ०सी०आई०
तलचर (उड़ीसा)

3. एच०एफ०सी० :

क. दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)

ख. नामरूप 1 और 2 (आसाम)

ग. नामरूप 3 (आसाम)

4. एन०एफ०एल० :

क. नंगल 1 और 2 (पंजाब)

ख. पानीपत (हरियाणा)

5. पाराडीपफासफेटेस 1 और 2 पाराडीप (उड़ीसा)

6. आर०सी०एफ०एल० :

क. थाल

ख. ट्राम्बे (1 से 4) महाराष्ट्र)

7. एस० ए० आई० एल०
राउरकेला (उर्वरक संयंत्र (उड़ीसा)

5. एकीकृत लोहा और इस्पात संयंत्र

1. विशाखापट्नम इस्पात संयंत्र

2. भारतीय लौह और इस्पात कम्पनी

6. लुगदी और कागज उद्योग

1. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि०
(भारत सरकार का उपक्रम)

क. नावगांव पेपर मिल, असम

ख. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि०, केरल

2. नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल लि०, नेपानगर
(सार्वजनिक क्षेत्र)

3. नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी लि०
(नागालैण्ड सरकार और हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि० का उद्यम)

4. तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर लि०
(तमिलनाडु सरकार का उद्यम)

2. उन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के नाम जहां प्रदूषण नियंत्रण यंत्र नहीं लगाए गए हैं।

(i) ताप विद्युत संयंत्र :—

राज्य	ताप विद्युत संयंत्र के नाम
असम	1. बोंगाईगांव
	2. नामरूप
	3. चन्द्रपुर
हरियाणा	4. फरीदाबाद
	5. पानीपत
जम्मू और कश्मीर	6. कालकोट
मध्य प्रदेश	7. अमरकंटक
गुजरात	8. उकाई
	9. साबरमति
महाराष्ट्र	10. बाल्लारशाह
	11. पारस
	12. चाला
बिहार	13. चन्द्रपुर (डी०वी०सी०)
	14. बोकारी (डी०वी०सी०)

पश्चिम बंगाल	15. दुर्गापुर (डी०वी०सी०)
उत्तर प्रदेश	16 पंकी
	17. परिचा
पश्चिम बंगाल	18. बंडेल
	19. संथाडीलह
	20. कोलाघाट
	21. फरक्का (एन० टी० पी० सी०)
	22. डी० पी० एल०

(2) सीमेंट संयंत्र

1. सी० सी० आई० येरागुन्टारमा (आन्ध्र प्रदेश)
2. सी० सी० आई० आदिलाबाद (आन्ध्र प्रदेश)
3. सी० सी० आई० बोकाजन (असम)
4. सी० सी० आई० चरखी-दादरी (हरियाणा)
5. सी० सी० आई० राजवन (हिमाचल प्रदेश)
6. सी० सी० आई० कुरकुन्ति (कर्नाटक)
7. सी० सी० आई० मन्धार (मध्य प्रदेश)
8. सी० सी० आई० अकालतारा (मध्य प्रदेश)
9. सी० सी० आई० मायागांव (मध्य प्रदेश)
10. उड़ीसा का आई० डी० सी, (उड़ीसा हीरा सीमेंट)
11. टी० एन० एस० सी० सी०—अलंगलम (तमिलनाडु)
12. टी० एन० एस० सी० सी०—अरियालुर (तमिलनाडु)
13. यू० पी० एस० सी० सी०—चुर्क (उत्तर प्रदेश)
14. यू० पी० एस० सी० सी०—दाह (उत्तर प्रदेश)
15. यू० पी० एस० सी० सी०—चुनार (उत्तर प्रदेश)
16. यू० पी० एस० सी० सी०—के० सी० सी० (उत्तर प्रदेश)

(3) एकीकृत लौह और सीमेंट संयंत्र :—

1. बोकारो इस्पात संयंत्र

2. राउरकेला इस्पात संयंत्र

3. भिलाई इस्पात संयंत्र

4. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

अनुसंधान और विकास पर ध्यान केन्द्रित करना

[अनुवाद]

1009. श्री इरा अम्बारासु :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश की रक्षा अनुसंधान और विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : रक्षा अनुसंधान और विकास सम्बन्धी आधारभूत सुविधाओं और क्षमता को सुदृढ़ करना एक सतत प्रक्रिया है। रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए पिछली योजना से ही और इस वर्ष भी वित्तीय आबंटनों में बढ़ोत्तरी की गई है। अत्याधुनिक रक्षा शस्त्र प्रणालियों, प्लेटफार्मों, सेंसरों और उपस्करों के लिए प्रारम्भ से ही अनेक नई विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं। अनेक नई विकसित हो रही/फ्रन्टियर रक्षा प्रौद्योगिकियों में भी अनुसंधान और विकास कार्य चल रहा है। भारत और विदेश में विकसित हो रही अत्याधुनिक नई प्रौद्योगिकियों में वैज्ञानिकों को सतत प्रक्रिया के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। अनुसंधान और विकास कार्मिकों को पदोन्नति के बेहतर अवसर प्रदान करने और उन्हें इस कार्य के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से सरकार एक गतिशील कार्मिक नीति अपना रही है। इसके अतिरिक्त, अनुसंधान और विकास कार्यक्रम को देश के सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थाओं में उपलब्ध विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी आधारभूत सुविधाओं का अधिकाधिक उपयोग करते हुए कार्यान्वित किया जा रहा है।

हिमालय क्षेत्र में वनों का संरक्षण

1010. श्री नन्दू बाबा :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने प्राकृतिक वनों, विशेष रूप से हिमालय क्षेत्र के वनों पर दबाव कम करने और इन क्षेत्रों में लोगों के लिए वनों से प्राप्त होने वाली ईंधन और चारे की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ताकि वनों का वास्तविक रूप में संरक्षण किया जा सके;

(ख) क्या सरकार का प्राकृतिक वनों को सरकार के राजस्व के स्रोत के रूप में न मानने की बात को ध्यान में रखते हुए वन नीति में संशोधन करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो वन नीति में किस प्रकार का संशोधन किया जाएगा; और

(घ) हिमालय क्षेत्र में रक्षा प्रतिष्ठानों से सम्बन्धित स्थिति और वनों की कटाई को देखते हुए इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) प्राकृतिक वनों, विशेष रूप से हिमालय क्षेत्र के वनों पर दबाव कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

1. राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं, जो इस प्रकार हैं:—

(1) प्राकृतिक वनों की कटाई न की जाये और जहां इस प्रकार की कटाई फसलों की बहाली या अन्य वनवर्धन कार्यों के लिये जरूरी है, वहां कटाई पहाड़ियों में 10 हेक्टेयर और मैदानों में 25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में नहीं की जानी चाहिए।

(2) कम से कम कुछ वर्षों के लिए पहाड़ियों में 1000 मीटर से ऊपर पेड़ों की कटाई पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करना।

(3) पहाड़ियों और पर्वतों में उन नाजुक क्षेत्रों का पता लगाना जिनमें वनों की सुरक्षा तथा तत्काल तेजी से वनरोपण किये जाने की आवश्यकता है।

2. राज्य सरकारों को निम्नलिखित उपाय करने की सलाह दी गई हैं: —

(1) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों और ईंधन की लकड़ी बचाने वाले यन्त्रों, जैसे बायोगैस संयंत्र की स्थापना और सुधरे हुए चूल्हों का वितरण, को लोकप्रिय बनाना।

(2) बेहतर शवदाह गृहों आदि की स्थापना।

(3) पशुओं को खूंटे पर बांध कर खिलाने की पद्धति और वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन को बढ़ावा देना।

(4) चराई को नियंत्रित और विनियमित करना।

(5) लोगों को वन क्षेत्रों की सुरक्षा, उनको पुनर्जनन और पुनर्वनरोपण में वन उत्पाद आदि से हिस्सा देने जैसे प्रोत्साहन देकर शामिल करना।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में यह निर्धारित किया गया है कि वन नीति का प्रमुख लक्ष्य वातावरण के संतुलन सहित पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना होना चाहिए जो सभी जीवन स्वरूपों, मानव, पशु और पौधों के पोषण के लिये अनिवार्य है। सीधी आर्थिक लाभ की उत्पत्ति को इस लक्ष्य से नीचे माना जाना चाहिए।

(घ) हिमालय में रक्षा प्रतिष्ठानों का होना सामरिक महत्व की बात है। इनमें से कुछ वन क्षेत्रों में हैं। ऐसे किसी प्रतिष्ठान को स्थापित करने की अनुमति देने से पूर्व वन विभाग सावधानी पूर्वक जांच करता है। रक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा वनों की कटाई के मामलों को जब भी वन विभाग के ध्यान में लाया जाता है तो वन विभाग ऐसे मामलों को स्थानीय रक्षा अधिकारियों के साथ उठाता है।

प्रदूषण-रोधी कानूनों को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उन्हें सुदृढ़ करना

1011. **श्री डी० एम० पुट्टे गौड़ा :**

श्री पी० एम० सईद :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रदूषण-रोधी कानूनों को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उन्हें सुदृढ़ बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किए जाने वाले परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे कानूनों को कड़ाई से लागू करने के लिए सरकार के पास कोई उचित तन्त्र नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उचित कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख) कानूनों को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए जल और वायु अधिनियमों में हाल ही में संशोधन किया गया है। तथापि, बदलती हुई परिस्थितियों और प्राप्त अनुभव के आधार पर कानूनों में संशोधन और उन्हें सुदृढ़ बनाना एक अनवरत प्रक्रिया है।

(ग) प्रदूषण-रोधी कानूनों के क्रियान्वयन के लिए एक उपयुक्त मशीनरी कार्यरत है। यह कार्य केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, जो कि सांविधिक निकाय है, और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अधीन अधिसूचित एजेंसियों द्वारा भी किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

शत-प्रतिशत साक्षरता

[हिन्दी]

1012. **श्री बालेश्वर यादव :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अपील की है कि वे वर्ष 1990 में अपने यहां कम से कम एक जिले में शत-प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करें;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में अब तक कोई सूचना दी है;

(ग) किसने राज्यों ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने का आश्वासन दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इसे कार्यान्वित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (घ) वार्षिक योजना विचार-विमर्श के समय पर राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के साथ योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा किए गए विचार-विमर्श के अनुसरण में सचिव, योजना आयोग ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेश के मुख्य सचिवों को यह सुझाव देते हुए लिखा था कि प्रत्येक विशेष रूप से 15—35 आयु वर्ग में पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए वर्ष 1990-91 में एक जिले का चयन कर सकता है।

2. इसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री ने सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेश के शिक्षा मन्त्रियों को पत्र लिखा, जिसमें उनसे वर्ष 1990-91 के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कम से कम एक जिले के सम्बन्ध में निरक्षरता का पूर्ण उन्मूलन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया। इसके प्रत्योत्तर में, कुछ राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने निम्नलिखित जिले निर्धारित किए हैं :

राज्य	जिला
1. आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद, चित्तौड़ और पश्चिम गोदावरी
2. गुजरात	भावनगर
3. हरियाणा	यमुना नगर
4. महाराष्ट्र	वर्धा
5. नागालैंड	वोखा
6. पश्चिम बंगाल	मिदनापुर
7. चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश	चंडीगढ़
8. लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश	कलपनी द्वीप समूह

3. जब कभी प्रस्ताव प्राप्त होंगे, उन पर केन्द्रीय सरकार से सम्भव सहायता के लिए विधिवत विचार किया जाएगा।

4. केन्द्रीय सरकार ने केरल के सम्पूर्ण राज्य, कर्नाटक में बीजापुर और दक्षिण कन्नड के जिलों पश्चिम बंगाल में मिदनापुर के साथ-साथ पांडिचेरी और गोवा संघ शासित प्रदेश में पहले से ही सहायता प्रदान की है।

इन्सैट-1 डी० छोड़ा जाना

1013. **श्री हरि केवल प्रसाद :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उपग्रह इन्सैट-1 डी० के निर्माण और उसे छोड़ने पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ख) इस उपग्रह में कितने प्रतिशत भारतीय और कितने प्रतिशत विदेशी संघटक लगाए गए है; और

(ग) इस उपग्रह का जीवन काल कितना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम०जी०के० मेनन) : (क) इन्सैट-1 डी० के निर्माण और उसे छोड़ने पर 192.19 करोड़ रुपए की राशि के स्वीकृत परिव्यय की तुलना में मार्च 31, 1990 तक 178.60 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है।

(ख) इन्सैट-1 शृंखला में अन्य अन्तरिक्ष यानों की तरह इन्सैट-1 डी० को विदेश से प्राप्त किया गया है। इन्सैट-1 डी० में भारत द्वारा निर्मित कोई भी संघटक नहीं लगाया गया है।

(ग) इन्सैट-1 डी० से सात वर्ष से अधिक समय तक प्रचालनात्मक सेवाएं उपलब्ध होने की आशा है।

"चीता" हैलीकाप्टर का लापता होना

[अनुवाद]

1014. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना के अधिकारियों ने 14 जुलाई, 1990 से जम्मू-कश्मीर से लापता आर्मी एविएशन कोर के "चीता" हैलीकाप्टर का पता लगाने में पाकिस्तानी सेना से सहायता मांगी है;

(ख) क्या हैलीकाप्टर में एक अग्रिम डिवीजन के मुख्य कमान अधिकारी उड़ान पर थे;

(ग) क्या पाकिस्तानी सरकार ने हैलीकाप्टर का पता लगाने में मदद की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) भूमि पर गश्त करने वाली टुकड़ी ने 26-7-1990 को भारतीय सीमाओं के भीतर हैलीकाप्टर के मलबे का पता लगा लिया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विश्वविद्यालय में नए पाठ्यक्रम

1015. श्री ई० एस० एम० पाकीर मोहम्मद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय का विचार चालू शैक्षिक सत्र के दौरान कोई नए पाठ्यक्रम शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) चालू शैक्षिक सत्र के दौरान दिल्ली के विभिन्न कालेजों में शुरू करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित नए पाठ्यक्रमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

शैक्षिक सत्र, 1990-91 में दिल्ली के विभिन्न कालेजों में शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित नये पाठ्यक्रमों का ब्यौरा

I. 15 छात्रों की दाखिला क्षमता सहित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

क्रम सं०	कालेज का नाम	अनुमोदित पाठ्यक्रम
1	2	3
1.	लक्ष्मीबाई कालेज	संस्कृत
2.	दौलत राम कालेज	मनोविज्ञान
3.	जानकी देवी महाविद्यालय	गणित
4.	श्री वेंकटेश्वर कालेज	अंग्रजी
5.	जेसस एण्ड मेरी कालेज	अंग्रेजी

II. 20 छात्रों की दाखिला क्षमता सहित विज्ञान विषयों में आनर्स पाठ्यक्रम

1.	कालिन्दी कालेज	वनस्पति विज्ञान
2.	एस० जी० टी० बी० कालेज (दिन)	रसायन विज्ञान
3.	दयाल सिंह कालेज (दिन)	वनस्पति विज्ञान
4.	देश बन्धु कालेज	रसायन विज्ञान

III 30 छात्रों की दाखिला क्षमता सहित मानविकी और विज्ञान विषयों में आनर्स पाठ्यक्रम

1.	स्वामी श्रृद्धा नन्द कालेज	इतिहास
2.	शिवाजी कालेज	इतिहास
3.	सत्यवती सह शिक्षा कालेज (दिन)	हिन्दी
4.	एस० जी० टी० बी० कालेज (शाम)	राजनीति विज्ञान

1	2	3
	5. विवेकानन्द महिला कालेज	अर्थशास्त्र
	6. जाकिर हुसैन कालेज (शाम)	फारसी
	7. राजधानी कालेज	गणित
	8. मैत्रेयी कालेज	समाज शास्त्र
	9. भारती महिला कालेज	इतिहास
	10. जानकी देवी महा विद्यालय	संगीत
	11. सत्यवती सहशिक्षा कालेज (शाम)	राजनीति विज्ञान
	12. माता सुन्दरी कालेज	मनोविज्ञान
	13. श्री वेंकटेश्वर कालेज	हिन्दी
	14. श्री अरविन्द कालेज (शाम)	अंग्रेजी
	15. श्री अरविन्द कालेज (शाम)	हिन्दी
	16. पी० जी० डी० ए० वी० कालेज (दिन)	अंग्रेजी
IV.	30 छात्रों की दाखिला क्षमता सहित विज्ञान विषयों में आनर्स पाठ्यक्रम	
	1. रामजस कालेज	गणित सांख्यिकी
V.	30 छात्रों की दाखिला क्षमता सहित बी० एस० सी० सामान्य	
	1. दौलत राम कालेज	पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा
VI.	30 छात्रों की दाखिला क्षमता सहित मानविकी और सामाजिक विज्ञान और वाणिज्य विषयों में पास पाठ्यक्रम	
	1. श्याम प्रसाद मुखर्जी कालेज	समाज शास्त्र
	2. विवेकानन्द महिला महाविद्यालय	संगीत
	3. लेडी श्रीराम महिला कालेज	बी० काम
	4. राम लाल आनन्द कालेज (दिन)	संस्कृत
	5. कमला नेहरू कालेज	शिक्षा
	6. जेसस एण्ड मेरी कालेज	संगीत

कश्मीरी प्रवासी छात्रों को सहायता

1016. **डा० ए० के० पटेल :**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कश्मीरी प्रवासी छात्रों को उनकी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, तकनीकी संस्थाओं सहित शिक्षा किन्हीं अन्य संस्थाओं में उनके अध्ययन को पूरा करने के लिए सहायता करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कितने छात्रों को अपना अध्ययन जारी रखने के लिए सहायता की आवश्यकता है;

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनमें से कितने छात्रों ने मेडिकल कालेज/संस्थाओं में प्रवेश/स्थानांतरण की मांग की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (घ) कश्मीर घाटी में लम्बे समय से व्याप्त अशान्ति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर के छात्रों को देश के अन्य इंजीनियरी कालेजों में स्थानान्तरित करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है। दिल्ली सहित सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से यह अनुरोध किया गया था कि वे क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर में पढ़ने वाले छात्रों को अपने इंजीनियरी कालेजों में खपाएं। विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को यह सलाह दी गई थी कि वे क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर में पढ़ने वाले जम्मू और कश्मीर, विदेश। छात्रो और शैक्षिक रूप से कम विकसित राज्यों से सम्बन्धित छात्रों को खपाएं। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।

2. राजकीय मेडिकल कालेज, श्रीनगर के छात्रों के सम्बन्ध में सरकार ने पहले उन्हें जम्मू तथा ऐसा न होने पर दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में प्रवेश देने के प्रयास का निर्णय लिया। तदनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों तथा स्नातकोत्तर संस्थान चण्डीगढ़ से अनुरोध किया गया है कि वे छात्रों को खपाएं।

पारादीप में तटरक्षकों का मुख्यालय स्थापित करना

1017. **लोकनाथ चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप में तटरक्षकों का मुख्यालय स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया था; और

(ग) इस निर्णय को कार्यान्वित करने में विलम्ब होने के क्या कारण है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। लेकिन सितम्बर, 1989 में यह निर्णय ले लिया गया है कि उड़ीसा के लिए तटरक्षक संगठन का जिला मुख्यालय पारादीप में स्थापित किया जाए।

(ग) योजना के अनुसार यह जिला मुख्यालय मार्च, 1991 तक कार्य आरम्भ कर देगा तथा इस संबंध में कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है।

पन्हाला किले की मरम्मत

1018. **श्री उदयसिंह राव नानासाहेब गायकवाड़** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विख्यात ऐतिहासिक किला पन्हाला की जर्जर होती जा रही स्थिति के बारे में पन्हाला नगरपालिका तथा अन्य व्यक्तियों की ओर से कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या पुरातत्व विभाग ने इन शिकायतों पर कोई ध्यान दिया है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष, इसकी मरम्मत पर विभाग द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) जी, हां। पन्हाला गिरीस्थान नगरपालिका, पन्हाला से 1985 में एक शिकायत आई थी।

(ख) जी हां। वर्ष 1985-86 और 1986-87 के लिए लगभग 19,994/-रु० मरम्मत कार्य पर लगे।

(ग) पिछले तीन वर्षों में कोई संरक्षण कार्य नहीं किया गया। यद्यपि वर्ष 1990-91 के दौरान किले के संरक्षण के लिए एक लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

नई औद्योगिक नीति

[हिन्दी]

1019. **श्री प्यारे लाल खण्डेलवाल** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग देश में संतुलित औद्योगिकीकरण के लिए कोई नई औद्योगिक नीति तैयार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेश गोयलीय) : (क) जी नहीं। योजना आयोग आठवीं योजना के लिए दृष्टिकोण के रूप में समग्र आर्थिक नीति तैयार करता है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

उद्योगों की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी

[अनुवाद]

1020. **श्री नकुल नायक :**

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों की स्थापना करने संबंधी कुछ प्रस्ताव पर्यावरण संबंधी मंजूरी के लिए काफी लम्बे समय से केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख) 13 प्रस्ताव तीन माह से अधिक समय से पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लम्बित पड़े हुए हैं। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए इस विभाग को पूरी सूचना उपलब्ध कराए जाने की शर्त रखी गई है कि अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनमें पाई जाने वाली कमियों को तत्काल परियोजना प्रस्तावकों के ध्यान में लाया जाता है जिन्हें अपेक्षित सूचना भेजने के लिए समय निर्धारित किया जाता है। निर्धारित समय के भीतर सूचना प्राप्त न होने पर सूचना न भेजे जाने के आधार पर प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया जाता है।

विवरण

31 जुलाई, 1990 तक की स्थिति के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लम्बित औद्योगिक परियोजनाओं की सूची

आंध्र प्रदेश :

1. विशाखापटनम में हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड का एन-पैराफिन प्रोजेक्ट।

बिहार :

2. स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड का बोकारो इस्पात संयंत्र के कनवर्टरों का पुनर्निर्माण।

गुजरात :

3. नलधारी, भड़ौंच में पेट्रोफिल्स कार्पोरेशन लिमिटेड के 8000 टी० पी० ए० पालिस्टर फिलामेंट की स्थापना।

केरल :

4. उद्योग मंडल में फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर का अमोनिया प्लांट रिप्लेसमेंट।

उड़ीसा :

5. इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड का उड़ीसा सैन्ड्स काम्प्लेक्स ।

6. अंगुल में नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड का स्मेल्टर प्लांट ।

कर्नाटक :

7. मंगलौर में मंगलौर रिफायनरी एण्ड पेट्रो-कैमिकल्स लिमिटेड का रिफायनरी और पेट्रो-कैमिकल्स काम्पलेक्स ।

महाराष्ट्र :

8. थाल में राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का डिमिथाइल फोर्माइड ।

9. रसायनी में हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड की एम०डी०आई० परियोजना ।

10. बाम्बे हाई तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की एन०क्यू०पी० विकास परियोजना ।

तमिलनाडु :

11. कावेरी बेसिन में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पी०वाई०-3 तेल/गैस क्षेत्र का विकास ।

12. साउथ इंडिया विसकास लिमिटेड का विसकास स्टेपल फाइबर एक्सपैंशन ।

पश्चिम बंगाल :

13. दामोदर सीमेंट एंड स्लैग लिमिटेड की मधुकुण्ड में सीमेंट ग्राइण्डिग प्लांट और बर्नपुर में स्लैग रिनोवेशन ।

दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालय

[हिन्दी]

1021. श्री जनार्दन तिवारी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं और प्रत्येक विद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन छात्रों के लिए भवनों और अध्यापकों की उचित व्यवस्था है; और

(ग) यदि हां, तो इन विद्यालयों में भवनों और अध्यापकों की कमी दूर करने के लिए क्या प्रबन्ध किए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (ग) दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या, इनमें से प्रत्येक विद्यालय में दाखिल छात्रों की संख्या तथा स्कूल भवन की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

उन केन्द्रीय विद्यालयों को, जिनके पास स्थायी भवन नहीं है, स्थायी भवन प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है। जब तक रिक्त पद नियमित आधार पर भरे नहीं जाते हैं जब तक तदर्थ/अल्पकालिक आधार पर शिक्षकों का प्रावधान करने की भी व्यवस्था है। यदि तदर्थ शिक्षक आसानी से उपलब्ध नहीं होते तो विद्यालयों के शिक्षकों की भागीदारी के अनुसरण की पद्धति अपनायी जाती है।

विवरण

दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालयों में 31-7-90 की यथा स्थिति के अनुसार नामांकन तथा भवन की स्थिति से सम्बन्धित ब्यौरे

क्रमांक	केन्द्रीय विद्यालय	कक्षा तक	नामांकन	भवन की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	नं० 1, दिल्ली छावनी	12	3534	स्थायी भवन
2.	नं० 2, दिल्ली छावनी	12	2851	—वही—
3.	झाड़ोदाकलान	12	1698	—वही—
4.	एन्ड्रूज गंज	12	2166	—वही—
5.	लारेन्स रोड़	12	1445	—वही—
6.	टैगोर गार्डन	12	2163	—वही—
7.	गोल मार्केट	12	2239	—वही—
8.	न्यू महरौली रोड	12	3242	—वही—
9.	आई०एन०ए० कालोनी	12	1677	—वही—
10.	एन०टी०पी०सी० बदरपुर	12	1170	—वही—
11.	मस्जिद मोठ	12	1248	—वही—
12.	सेक्टर II, आर० के० पुरम	12	2003	—वही—
13.	सेक्टर IV, आर० के० पुरम	12	1301	—वही—
14.	सेक्टर VIII, आर०के० पुरम	12	1952	—वही—
15.	शालीमार बाग	12	1212	—वही—
16.	जनकपुरी	12	2591	—वही—
17.	नं० 3, दिल्ली छावनी	11	1610	अस्थायी भवन/किराये

1	2	3	4	5
18.	एस० पी० मार्ग	10	882	अस्थायी भवन/बैरक
19.	घोगा	10	404	—वही—
20.	ए०एफ०एस० राजोकरी	10	774	—वही—
21.	तुगलकाबाद	12	1518	—वही—
22.	अजेनगढ़	10	530	—वही—
23.	ए०जी०सी०आर० कालोनी	12	1752	अंशत अस्थायी भवन/टेन्ट
24.	छावला	9	569	—वही—
25.	पुष्प विहार	10	1443	टेन्ट
26.	सैनिक विहार	11	835	—वही—
27.	पीतम पुरा	10	689	—वही—
28.	न्यू फ्रेंड्स सेन्टर	11	1355	—वही—
29.	विकास पुरी	10	791	—वही—
30.	प्रगति विहार	10	773	—वही—

जिला मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) में परमाणु ऊर्जा एकक

[अनुवाद]

1022. श्री सत्यगोपाल मिश्र :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में परमाणु ऊर्जा एकक स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव उनके मन्त्रालय के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) निर्णय लेने में बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम०जी०के० मेनन) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में परमाणु विद्युत संयंत्र लगाने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है। पूर्वी विद्युत क्षेत्र में जिसका पश्चिम बंगाल भी एक हिस्सा है, कोयले के भंडार उपलब्ध होने की वजह से उस क्षेत्र में परमाणु विद्युत संयंत्र लगाने के मामले में अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दी जाती है।

केन्द्रीय हिन्दी अनुसंधान संस्थान के छात्रों को छात्रवृत्ति

[हिन्दी]

1023. **श्री हुकमदेव नारायण यादव :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हिन्दी अनुसंधान संस्थान के छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में अनुसंधान कर रहे अनुसंधान छात्रों के बराबर छात्रवृत्ति देने की मांग की गई है;

(ख) क्या सरकार का सभी को समान दर पर छात्रवृत्ति देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (घ) "केन्द्रीय हिन्दी अनुसंधान संस्थान" नाम की कोई संस्था नहीं है। हिन्दी के प्रोत्साहन और अनुसंधान में व्यस्त केन्द्रीय हिन्दी संस्थान नाम की एक संस्था है । इस आशय की कोई मांग नहीं है कि इस संस्थान के छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्येताओं के समान छात्रवृत्ति प्रदान की जानी चाहिए। केन्द्रीय हिन्दी संस्थान में अनुसंधान कर रहे छात्रों की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शिक्षावृत्ति सम्बन्धी अनुसंधान अध्येताओं के साथ कोई तुलना नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्येता अखिल भारतीय प्रतिस्पर्धा परीक्षा के माध्यम से अर्हता प्राप्त करते हैं।

विभिन्न पर्यावरणीय अधिनियमों में संशोधन

[अनुवाद]

1024. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन अधिनियमों में किए जाने वाले संभावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित संशोधनों से पर्यावरण नियंत्रण तथा वन संरक्षण में किस सीमा तक सहायता मिलेगी ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) से (ग) मौजूदा कानूनों के

कार्यान्वयन के अनुभव और बदलती हुई परिस्थितियों के संदर्भ में भी उनकी जांच एक अविरल प्रक्रिया है। परिवर्तनों और उनके उद्देश्यों के ब्यौरे को जब अन्तिम रूप दे दिया जाता है तो उन्हें संसद के विचारार्थ विधायी प्रस्तावों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

काकड़ापार परमाणु विद्युत संयंत्र से प्रभावित व्यक्तियों के लिए राहत उपाय

[हिन्दी]

1025. **श्री सी० डी० गामित :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काकड़ापार (गुजरात) परमाणु विद्युत संयन्त्र के लिए कितने आदिवासियों की भूमि अधिग्रहीत की गई है और इसके लिए कितने एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) क्या उक्त भूमि के अधिग्रहण के समय प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने का आश्वासन दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) ककरापार परमाणु बिजलीघर के लिए जिन आदिवासी किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गई है उनकी संख्या राज्य सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार लगभग 1040 है। ऐसे किसानों से 15.69 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई है।

(ख) भूमि का अधिग्रहण करते समय लोगों को यह सूचित किया गया था कि प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार के मामले में प्राथमिकता दी जाएगी बशर्ते कि उनके पास अपेक्षित अर्हताएं हों।

(ग) प्रभावित परिवारों में से अब तक 102 व्यक्तियों को रोजगार दिया जा चुका है।

मध्य प्रदेश में ताप बिजलीघरों से प्रदूषण

1026. **श्री सुबेदार प्रसाद सिंह :**

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में सुपर ताप परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख) सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं के कारण उत्पन्न वायु प्रदूषण के नियन्त्रण हेतु कोई विशिष्ट स्कीम नहीं बनाई गई है। सभी यूनिटों को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (सुरक्षा अधिनियम, 1986 के तहत निर्धारित मानकों के अनुकूल प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण लगाने होते है।

राजस्थान के किसानों को उनकी भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजा

10 7. **श्री शोपत सिंह मक्कासर :**

क्या प्रधान मन्त्री बीकानेर और गंगानगर जिलों में रक्षा के प्रयोजन से अधिग्रहीत भूमि के लिए किसानों को मुआवजा के बारे में 26 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2104 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीकानेर जिले के उदासर गांव की कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई है और इसके कारण कितने किसान प्रभावित हुए हैं;

(ख) क्या इस बीच उक्त भूमि का मुआवजा दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो कब और मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है और यह मुआवजा किस दर से दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 222 बीघा और 7 विस्वा भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है तथा 3014 बीघा और 18 विस्वा भूमि राज्य सरकार से हस्तान्तरण पर ले ली गई है। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) राज्य सरकार को मुआवजा अदा कर दिया गया है।

(ग) मार्च 1982 और नवम्बर, 1983 के बीच राजस्थान सरकार को 15.00 रुपए प्रति वर्ग गज की दर पर 3151 बीघा तथा 12 विस्वा भूमि के लिए मुआवजा अदा किया गया। शेष 85 बीघा और 13 विस्वा भूमि के लिए दिसम्बर, 1983, मार्च, 1986 तथा मार्च, 1989 के महीनों में 25.00 रुपए प्रति वर्ग गज की दर पर अदायगी की गई। उदासर गांव में अधिग्रहीत/हस्तानांतरित समस्त भूमि के लिए कुल 14, 94, 58, 443.00 रुपए का मुआवजा अदा किया गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

"रम" की खरीद में तथाकथित घोटाला

[अनुवाद]

1028. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मन्त्रालय के अधीन कैन्टीन स्टोर्स डिपो, बम्बई में "रम" की खरीद के ठेके में गड़बड़ी/घपला किए जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। रक्षा मन्त्रालय को कैन्टीन

स्टोर विभाग द्वारा किए गए "रम" के सौदे के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों को जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया गया है। ब्यूरो ने इस सम्बन्ध में कैन्टीन स्टोर विभाग के पूर्व महा प्रबन्धक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

रोहतांग पास में सुरंग

[हिन्दी]

1029. **श्री महेश्वर सिंह :**

क्या प्रधान मन्त्री रोहतांग पास में सुरंग के निर्माण के बारे में दिनांक 9 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3943 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में अब तक आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : सुरंग के बारे में व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए 25-5-1990 को मैसर्स राइट्स के साथ एक संविदा करार किया गया था। संविदाकार ने विभिन्न फील्ड कार्य कलाप शुरू करने के लिए अपने कार्मिकों को वहां भेज दिया है।

केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों को उच्च वेतनमान

[अनुवाद]

1030. **श्री सूर्य नारायण सिंह :**

श्री रामजी लाल सुमन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों को उच्च वेतनमान नहीं दिया जा रहा है जो कि उन्हें 1-1-1986 से देय है;

(ख) यदि हां, तो क्या संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षकों को उपरोक्त वेतनमान दे दिया गया है और क्या उन्हें बकाया धनराशि का भुगतान भी कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों को उनकी बकाया धनराशि देय ब्याज सहित कब तक दे दी जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों को सीनियर वेतनमान सहित 1-1-1986 से निर्धारित संशोधित वेतनमानों की अदायगी की जा रही है। यही वेतनमान चंडीगढ़ को छोड़कर सभी संघ शासित प्रदेशों के लिए लागू कर दिए गए है। जिनके वेतनमान निर्धारित कर दिए गए हैं उन्हें बकाया राशि का भी भुगतान कर दिया गया है।

मोर पंखों का निर्यात

1031. **श्री आनन्द सिंह :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोर पंखों के निर्यात की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख) मोर पंखों के निर्यात को आयात और निर्यात नीति के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वर्तमान नीति के अधीन हस्तशिल्प के रूप में सीमित सीलिंग आधार पर मोर-पंखों के निर्यात की अनुमति दी जाती है। 1990-91 के लिए निर्यात की सीमा 20 लाख मोर-पंख निर्धारित की गई है।

चकेरी हवाई अड्डा, कानपुर से मिग-21 के कुछ पुर्जों की चोरी

[हिन्दी]

1032. **श्री संतोष कुमार गंगवार** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चकेरी हवाई अड्डा, कानपुर से मिग-21 लड़ाकू विमान के कुछ मूल्यवान पुर्जे चोरी हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) पिछले वर्ष इस प्रकार की कितनी घटनाओं की जानकारी मिली ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शून्य।

विश्वविद्यालयों के गैर शिक्षण कर्मचारियों के वेतनमानों और सेवा शर्तों में एक समानता

[अनुवाद]

1033. **श्री भवानी शंकर होटा** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के विश्वविद्यालयों के गैर शिक्षण कर्मचारियों के वेतनमानों और उनकी सेवा शर्तों में एक समानता लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार, इस संबंध में विस्तृत जानकारी एकत्र करने के लिए कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की एक समिति के गठन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, सभी विश्वविद्यालयों में गैर शिक्षण कर्मचारियों के वेतनमान—और सेवा शर्तों में एक रूपता लाने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। राज्य विश्वविद्यालयों के गैर शिक्षण कर्मचारियों के वेतनमान और सेवा शर्तें सामान्यतः संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गैर शिक्षण कर्मचारियों के वेतनमान मे एकरूपता लाने के संबंध में कुछ प्रस्ताव तैयार किये हैं।

वरिष्ठ अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्टों और सम्पत्ति विवरणिका का रख रखाव

1034. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :

श्री के० राममूर्ति :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के सचिव और कैबिनेट सचिव पद के सभी अधिकारीगण, जो भारत की संचित निधि से अपना वेतन प्राप्त करते हैं, चल और अचल सम्पत्ति संबंधी विवरणिका प्रस्तुत करनी होती है ;

(ख) यदि हां, तो इन विवरणिकाओं को प्रस्तुत करने की अवधि क्या है और किस सक्षम अधिकारी के संरक्षण में ये विवरणिकाएं रखी जाती हैं जिससे ये अपरिवर्तनीय रहें और इनमें कोई हेराफेरी न की जा सके;

(ग) क्या उक्त अधिकारियों के कार्य और व्यवहार संबंधी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों का भी रिकार्ड रखना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी रिपोर्ट लिखने के लिए कौन अधिकारी सक्षम है और किस अधिकारी के संरक्षण में ये रिपोर्ट रखी जाती है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारियों तथा मंत्रिमण्डल सचिव से अचल सम्पत्ति की वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है जबकि चल सम्पत्ति के लिए कोई ऐसी निर्धारित विवरणियां नहीं हैं, फिर भी ऐसे अधिकारियों से 10,000 रुपये तथा उससे अधिक मूल्य की किसी एक चल सम्पत्ति के लेन-देन की सूचना दिए जाने की अपेक्षा की जाती है। जब ऐसे अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा से संबंधित हों, तो उनकी इन विवरणियों को क्रमशः कार्मिक; गृह; तथा पर्यावरण और वन मंत्रालयों द्वारा रखा जाता है। इनकी एक-एक प्रति संबंधित राज्य संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा भी रखी जाती है। जब ये अधिकारी अखिल भारतीय सेवाओं को छोड़कर किन्हीं अन्य सेवाओं के हों तो संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी ही इन विवरणियों का रिकार्ड रखते हैं। ये विवरणियां वर्गीकृत दस्तावेज हुआ करते हैं और इस तरह वे गोपनीयता तथा सुरक्षा के अपेक्षित स्तरों पर बनाए रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) मंत्रिमण्डल सचिव के लिए कोई गोपनीय रिपोर्टें रिकार्ड करने की आवश्यकता

नहीं होती है। सामान्यत: वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को लिखा जाता है, उनका पुनरीक्षण किया जाता है तथा उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है तथापि भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं होती है।

भारत सरकार के सचिवों की उस स्थिति में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट राज्य मंत्री द्वारा लिखी जाती हैं और मंत्रिमण्डल स्तर का मंत्री इनका पुनरीक्षण करता है जबकि मंत्रालय/विभाग में मंत्रि-मण्डल स्तर का मंत्री तथा राज्य मंत्री दोनों ही विद्यमान हों। यदि मंत्रालय/विभाग में केवल एक ही मंत्री हो तो मंत्री द्वारा रिपोर्ट लिखी जाने के बाद उसका पुनरीक्षण नहीं किया जाता है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा के सचिवों की गोपनीय रिपोर्टें क्रमश: कार्मिक, गृह तथा पर्यावरण और वन मंत्रालयों के पास रखी जाती हैं। इनकी एक-एक प्रति संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा भी रखी जाती है। अन्य सेवाओं के सचिवों के ये रिकार्ड संबंधित संवर्ग नियंत्रक मंत्रालयों द्वारा तथा भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा के अधिकारियों के ये रिकार्ड भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा रखे जाते हैं।

1035. डा० दौलत राव सोनुजी अहेर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों के संतुलित औद्योगिक विकास के लिए अहमद नगर जिले (महाराष्ट्र) के अकोला ताल्लुक में कोई विशिष्ट उद्योग स्थापित करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानेष गोवर्धन) : (क) जी, नहीं। योजना आयोग किसी राज्य विशेष के ताल्लुका/जिला विशेष के लिए ऐसी कोई सिफारिश नहीं करता है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

चिल्का झील की गाद निकालना

1036. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का चिलका झील, उड़ीसा की गाद निकालने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एशिया के इस विशालतम समुद्री भाग की पारिस्थितिकी बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य सरकार

ने चिलका झील से गाद निकालने के लिए भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था, जिस पर पांच वर्ष की अवधि में अनुरक्षण सहित कुल 12.60 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। यह प्रस्ताव दो निकर्षण पोत तथा दो "कट" प्राप्त करने के लिए भेजा गया।

(ग) जी, हां।

(घ) चिलका झील के संरक्षण और विकास पर राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी परियोजना पर 50 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। मुख्य घटक इस प्रकार हैं : —

क्षेत्र	रुपये लाखों में
1. मगरमुख क्षेत्र तथा अन्य परिधीय क्षेत्रों का तलमार्जन	1600
2. मत्स्य विकास	2074
3. पर्यटन विकास	600
4. मृदा संरक्षण उपाय	325
5. मौसम-विज्ञान यूनिट सहित बहु-विषयक अनुसंधान यूनिटें	100
6. अन्य	301
कुल	5000

विदेशी रक्षा सौदों में रक्षा उपकरणों का कतिपय प्रतिशत भारत में निर्माण करने संबंधी उपबन्ध

1037. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों के साथ होने वाले बड़े रक्षा सौदों में ऐसा भी कोई उपबन्ध होता है जिसके अनुसार कुछ प्रतिशत रक्षा उपकरणों का निर्माण भारत में करना होगा;

(ख) यदि हां, तो संबंद्ध देशों के साथ हुए करारों के ऐसे उपबन्धों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि हमारे रक्षा उत्पादन एकक आयातित अत्यधिक आधुनिक रक्षा उपकरणों के लिए अपेक्षित पुर्जों का निर्माण करने का अनुभव प्राप्त कर सकें और इस प्रकार दुर्लभ विदेशी मुद्रा बचायी जा सके ?

प्रधानमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) रक्षा उपस्करों के आयात के लिए विदेशी स्रोतों के साथ किए गए बड़े समझौतों में सदैव ही यह शर्त जोड़ी जाती है कि उन उपस्करों की

टैक्नोलाजी भारत को स्थानांतरित की जाए और/अथवा उनमें से कुछ का उत्पादन लाइसेंस के अंतर्गत भारत में किया जाए। उनका देश में ही उत्पादन किए जाने का कार्य केवल तब हाथ में लिया जाता है, जब कि तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से इसकी व्यवहार्यता पर पूरी तरह विचार कर लिया गया हो। इस आधार पर किसी प्रणाली के ऐसे हिस्से-पुर्जों का आयात किया जाता है जिनका कि स्वीकृति लागत पर अपेक्षित समय-सीमा के भीतर देश में निर्माण नहीं किया जा सकता है।

छात्रों के लिए राष्ट्रीय रक्षा कार्यक्रम

1038. **श्री उत्तम राठौड़ :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवाओं संबंधी कार्यकारी दल ने छात्रों के लिए राष्ट्रीय रक्षा कार्यक्रम तैयार किया है, जिससे कि उनमें संविधान में उल्लिखित सिद्धान्तों, मूल्यों और अधिकारों तथा दायित्वों के प्रति सम्मान की भावना जागृत की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को समाप्त करना

1039. **श्री ए० के० राय :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार की, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को समाप्त करने और दून संस्कृति के स्थान पर वर्धा संस्कृति लाने के लिए पाठ्यक्रम में शारीरिक श्रम सम्मिलित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को समाप्त करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, शिक्षण प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में आयोजित सोद्देश्य तथा सार्थक शारीरिक श्रम के रूप में परिकल्पित तथा समुदाय के लिए लाभदायक वस्तुएं अथवा सेवाएं प्रदान करने वाले कार्य अनुभव को स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर पाठ्यक्रम के अनिवार्य घटक के रूप में शामिल किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व सैनिकों की नई बटालियन

[हिन्दी]

1040. श्री तेज नारायण सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भूतपूर्व सैनिकों की एक नयी बटालियन बनाने का विचार है;

(ख) क्या इस बटालियन में भर्ती किये जाने हेतु भूतपूर्व सैनिकों का, राज्यवार, कोई सर्वेक्षण कराया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक सरकार को भूतपूर्व सैनिकों से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) एक समर्पित एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित सैन्य बल का गठन किए जाने की आवश्यकता को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया है। इस सैन्य बल में भूतपूर्व सैनिक और सेवारत कार्मिक होंगे।

(ख) और (ग) अभी तक इस सैन्य बल का ब्यौरा अंतिम रूप से तैयार नहीं किया गया है इसलिए भूतपूर्व सैनिकों का राज्यवार सर्वेक्षण अथवा भर्ती के लिए भूतपूर्व सैनिकों से आवेदन-पत्र मंगाने की कार्रवाई नहीं की गई है।

सहायक ग्रेड परीक्षा 1984

[अनुवाद]

1041. श्री रवि नारायण पांडे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984 से 1986 तक केन्द्रीय सरकार के व्यय में मितव्ययता के उपाय के रूप में केन्द्रीय सरकार में सहायक ग्रेड परीक्षा और सिविल सेवा परीक्षाओं से होने वाली सीधी भर्ती सहित सभी प्रकार की सीधी भर्ती से रिक्त पदों को भरने पर प्रतिबन्ध लगा था;

(ख) यदि हां, तो इन प्रतिबंध आदेशों का उल्लंघन करके वर्ष 1984, 1985 और 1986 में सीधी भर्ती के लिए सिविल सेवा परीक्षाएं कैसे ली गई;

(ग) सिविल सेवा परीक्षाओं को उक्त प्रतिबन्ध से मुक्त करके केवल सहायक ग्रेड परीक्षा, 1984 के उत्तीर्ण उम्मीदवारों की भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाने का क्या औचित्य है जबकि "सहायक" के रिक्त पदों की संख्या काफी थी; और

(घ) सहायक ग्रेड परीक्षा, 1984 के उत्तीर्ण उम्मीदवारों को न्याय दिलाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) वित्त मन्त्रालय द्वारा जनवरी, 1984 में एक मितव्यता उपाय के रूप में नान आपरेशनल पदों की रिक्तियों के भरने पर प्रारम्भ में 9 महीने

की अवधि के लिए अर्थात् सितम्बर, 1984 तक प्रतिबंध लगाया गया था और पहले इसे 31 मार्च, 1985 तक और बाद में "अगले आदेशों तक" इसको आगे बढ़ाया गया इन प्रतिबंधों में उक्त निर्देशों से उस स्थिति में छूट दी जा सकती है जहां वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से इसे न्यायोचित ठहराया गया हो। वित्त मन्त्रालय ने इसके बाद मई, 1986 में संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए थे जिनमें पदोन्नति, सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु के परिणामस्वरूप होने वाली रिक्तियों को भरे जाने की अनुमति दे दी थी।

(ख) सिविल सेवा परीक्षा में भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा जैसी ऐसी अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती शामिल है जो कि अनिवार्य रूप में राज्यों के लिए ही होती है। इन सेवाओं की भर्ती में कोई प्रतिबंध नहीं था। प्रतिबंध की अवधि के दौरान सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से उन्हीं केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती की गयी थी जिनकी रिक्तियों पर या तो प्रतिबंध आदेश लागू नहीं होते थे अथवा जहां इन रिक्तियों को भरे जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से छूट प्राप्त कर ली गई थी।

(ग) वित्त मंत्रालय मई, 1986 में संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए जाने तक सहायक ग्रेड परीक्षा, 1984 के आधार पर रिक्तियों के भरे जाने में छूट दिए जाने के लिए सहमत नहीं हुआ था। अतः संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए जाने तक भर्ती को आस्थगित कर दिया गया था। सहायक ग्रेड ही केवल एक श्रेणी नहीं थी जहां प्रतिबन्ध के कारण भर्ती को आस्थगित कर दिया गया था। केन्द्रीय सचिवालय में जिन अन्य श्रेणियों के लिए भर्ती आस्थगित कर दी गयी थी उनमें निम्न श्रेणी लिपिक, आशुलिपिक ग्रेड "घ" तथा आशुलिपिक ग्रेड "ग" शामिल थे।

(घ) चूंकि मई, 1986 में वित्त मन्त्रालय से संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त प्राप्त होने के साथ ही सहायक ग्रेड परीक्षा, 1984 में सफल हुए उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव भेज दिए गए थे और साथ ही किसी सफल उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए इन्कार नहीं किया गया है अतः उनके साथ कोई अन्याय किया गया है ऐसा प्रतीत नहीं होता।

वर्ष 1990-91 के दौरान वृक्षारोपण लक्ष्य

1042. श्री के० डी० सुल्तानपुरी :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्ष 1990-91 के दौरान वृक्षारोपण के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) सरकार ने इस प्रयोजन के लिये राज्य-वार कितनी-कितनी धनराशि दी है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख) सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के लिए वनीकरण/वृक्षारोपण हेतु 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 990-91 का कुल लक्ष्य निजी भूमि पर पौद रोपण के लिए 25000 लाख पौद उगाना तथा उसका वितरण करना और कार्यक्रम के अन्तर्गत 550000 हैक्टेयर वन तथा गैर वन सार्वजनिक भूमि शामिल करना है। इस उद्देश्य के लिए राज्यवार आवंटन संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण हेतु 1990-91 के लिए धनराशि का राज्यवार आबंटन

(लाख रुपयों में)

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कुल आवंटन
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2167.16
2.	अरुणाचल प्रदेश	518.13
3.	असम	1848.77
4.	बिहार	3621.88
5.	गोवा	127.62
6.	गुजरात	3508.00
7.	हरियाणा	2389.85
8.	हिमाचल प्रदेश	2136.86
9.	जम्मू और कश्मीर	1299.60
10.	कर्नाटक	2464.67
11.	केरल	1542.84
12.	मध्य प्रदेश	4363.07
13.	महाराष्ट्र	4059.77
14.	मणिपुर	465.52
15.	मेघालय	577.57
16.	मिजोरम	496.71
17.	नागालैंड	444.41
18.	उड़ीसा	3617.55
19.	पंजाब	574.85
20.	राजस्थान	4023.02

1	2	3
21.	सिक्किम	271.36
22.	तमिलनाडु	2979.98
23.	त्रिपुरा	502.44
24.	उत्तर प्रदेश	6680.87
25.	पश्चिम बंगाल	2409.15
26.	अडंमान और निकोबार द्वीप समूह	293.16
27.	चण्डीगढ़	163.92
28.	दादर और नगर हवेली	110.11
29.	दमन और द्वीव	18.75
30.	दिल्ली	176.36
31.	लक्षद्वीप	3.08
32.	पाण्डिचेरी	38.62
	योग	53895.60*

निर्धारित समय से पूर्व सेवा निवृत्ति मांगने वाले कर्मचारी के परिवार के किसी एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराना

1043. श्री प्रहलाद सिंह पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धारित समय से पूर्व सेवानिवृत्ति मांगने वाले कर्मचारी के परिवार के किसी एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। फिर भी आपवादिक मामलों में जब कोई विभाग इस बात से संतुष्ट हो कि परिवार की हालत दयनीय है और वह

*इसमें राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड को दिए बजट में 4192 लाख रुपये शामिल नहीं हैं, जो कि विशिष्ट परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्यों से प्राप्त प्रायोजना प्रस्तावों के निधियन के लिए तथा बोर्ड के स्थापना तथा कार्यालय खर्चों को पूरा करने के लिए निर्धारित किए जाते हैं।

परिवार बड़ी ही कठिनाई से गुजर रहा है तो अनुकम्पा पर आधारित नियुक्ति की प्रसुविधा, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 38 के अन्तर्गत अथवा केन्द्रीय सिविल सेवा विनियमावली के तदनरूपी उपबन्धों के अन्तर्गत 55 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले मेडिकल आधार पर सेवानिवृत हुए किसी सरकारी कर्मचारी के किसी पुत्र/पुत्री/नजदीकी सम्बन्धी को प्रदान की जा सकती है। समूह "घ" के ऐसे कर्मचारियों के मामले में जिनकी अधिवर्षता की सामान्य आयु 60 वर्ष की होती है उनके सम्बंध में उस स्थिति में अनुकम्पा पर आधारित नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है जहां वह 57 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले अस्वस्थ्यता के आधार पर सेवानिवृत्त किए जाते हैं।

पंजाब में केन्द्रीय पूंजी निवेश

1044. **श्री कमल चौधरी :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में पंजाब में केन्द्रीय पूंजी निवेश का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सभी पंचवर्षीय योजनाओं में अन्य राज्यों में किए गए प्रति व्यक्ति केन्द्रीय पूंजी निवेश की तुलना में पंजाब में प्रति व्यक्ति कितना केन्द्रीय पूंजी निवेश किया गया; और

(ग) पंजाब के विकास हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानेय गोबर्धन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए समग्र देश के लिए केन्द्रीय योजना निवेश निर्धारित किया जाता है। अधिकांश मामलों में ये कार्यक्रम/परियोजनाएं राज्य की सीमाओं को पार कर जाती हैं। इन कार्यक्रमों/परियोजनाओं का लाभ समस्त देश में वितरित होता है। क्षेत्रकीय ब्यौरे, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार केन्द्रीय निवेश से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं है; हालांकि छठी पंचवर्षीय योजना और सातवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों अर्थात 1985-86 (वास्तविक आंकड़े), 1986-87 (स० अ०) और 1987-88 (व० अ०) के लिए केन्द्रीय योजना के राज्यवार व्यय के आकलन मंत्रालयों के साथ परामर्श से तैयार किये गए हैं और संलग्न विवरण में दर्शाये गये हैं।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए पंजाब के विकास के लिए योजना परियोजनाओं/कार्यक्रमों/स्कीमों को पंजाब सरकार के साथ परामर्श से अंतिम रूप दिया जायेगा।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना (1980—85) के दौरान केन्द्रीय योजना व्यय और इसका प्रति व्यक्ति राज्यवार विवरण

(करोड़ रु० में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय योजना व्यय		प्रति व्यक्ति व्यय (रुपये)
	राशि	प्रतिशत	
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	5404.57	9.37	1010.2
2. असम	2190.07	3.80	1100.5
3. बिहार	4162.40	7.22	595.5
4. गुजरात	3130.33	5.43	918.0
5. हरियाणा	618.63	1.07	479.6
6. हिमाचल प्रदेश	368.46	0.64	856.9
7. जम्मू व कश्मीर	501.58	0.87	836.0
8. कर्नाटक	1999.47	3.47	538.9
9. केरल	1346.22	2.33	527.9
10. मध्य प्रदेश	4710.56	8.17	902.4
11. महाराष्ट्र	4901.16	8.50	780.4
12. मणिपुर	125.20	0.22	894.3
13. मेघालय	71.01	0.12	546.2
14. नागालैंड	87.92	0.15	1099.0
15. उड़ीसा	2855.08	4.95	1081.5
16. पंजाब	656.67	1.14	390.9
17. राजस्थान	1675.35	2.91	488.4
18. सिक्किम	34.47	0.06	1149.0
19. तमिलनाडु	3167.09	5.49	654.4
20. त्रिपुरा	135.93	0.23	647.3

1	2	3	4
21. उत्तर प्रदेश	4302.20	7.46	388.0
22. पश्चिम बंगाल	3480.04	6.04	637.4
23. कुल राज्य	45924.41	79.64	680.0

(करोड़ रु० में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि	प्रतिशत	प्रति व्यक्ति व्यय
1. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	30.21	0.05	1510.5
2. अरुणाचल प्रदेश	50.69	0.09	844.8
3. चंडीगढ़	52.86	0.09	1057.2
4. दादर व नागर हवेली	3.65	0.01	365.0
5. दिल्ली	1170.95	2.03	1888.6
6. गोवा, दमन और द्वीव	162.04	0.28	1473.1
7. लक्षद्वीप	4.04	0.01	1010.0
8. मिजोरम	30.13	0.05	602.6
9. पांडिचेरी	30.63	0.05	510.5
कुल संघ राज्य क्षेत्र	1535.20	2.66	1582.7
अनावंटित	10204.26	17.70	
जोड़ (क + ख)			
राज्य व संघ राज्य क्षेत्र	57663.87	100.00	841.6

टिप्पणी (1) अनावंटित राशि (10204 करोड़ रु०) में पैट्रोलियम क्षेत्रक में 5500 करोड़ रु० के अप तटीय और अन्य निवेश शामिल हैं।

(2) छठी योजना के दौरान कुल केन्द्रीय योजना व्यय 57800 करोड़ रुपए का था। विवरण में उपलब्ध ब्यौरा (अनावंटित भाग सहित) 57664 करोड़ रुपये के बारे में है।

(3) आंकड़े अनेक स्रोतों से अल्पावधि में संकलित करने पड़े हैं। अधिक सुनिश्चित तथा

विस्तृत योजनावार संकलन का काम मन्त्रालयों से परामर्श करके हाथ में लिया गया है, जिसमें काफी समय लगेगा।

(4) चूंकि केन्द्रीय योजना निवेश का राज्यवार आयोजन या हिसाब नहीं रखा जाता इस लिए इन ब्यौरों को तैयार करने के लिये कुछ संकल्पनाएं की गई हैं। हालांकि इस प्रकार के प्रयत्न के आधार के लिए ये यथा सम्भव सर्वोत्तम संकल्पनाएं प्रतीत होती है, लेकिन उनकी प्रामाणिकता निश्चय ही सीमित प्रकार की है। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं।

(क) नई लाइनों, गैज परिवर्तन तथा विद्युतीकरण पर रेलवे का निवेश का राज्यवार ब्यौरा प्रत्येक राज्य में पूरी की गई सदृश लम्बाई पर आधारित है।

(ख) रेलवे की योजना का शेष 80 प्रतिशत भाग प्रत्येक राज्य में पड़ने वाले रूट कि० मी० के आधार पर विभिन्न राज्यों को आवंटित किया गया है।

(ग) प्रत्येक राज्य में, लैंडिंग (हवाई पत्तनों) की संख्या के आधार पर वायुयानों (नागर उड्डयन योजना) के क्रय पर होने वाले व्यय का आवंटन किया गया है।

(घ) चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों द्वारा सम्भाले जाने वाले यातायात के आधार पर, इन हवाई अड्डों को वायुयानों के अधिग्रहण के सम्बन्ध में एयर इंडिया का व्यय आवंटित कर दिया गया है।

(ङ) नौवहन के सम्बन्ध में, प्रत्येक समुद्रवर्ती राज्य में प्रमुख पत्तनों द्वारा अर्जित यातायात आय के आधार पर राज्यवार आवंटन किया गया है।

(5) चूंकि परियोजनाओं में केन्द्रीय निवेश अधिकांशत उन क्षेत्रों में किया गया है जहां आवश्यक आर्थिक संघटक इष्टतम मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए ऐसे मामलों में क्षेत्रीय संतुलन का उद्देश्य ही केवल सीमित प्रासंगिकता है।

(6) आवास तथा शहरी विकास में केवल छः स्कीमों के लिए ही प्रावधान है। हुडको के लिए 50 करोड़ रु० का कुल योजना परिव्यय था। वास्तविक रूप में रिलीज की गई धनराशि 675.87 करोड़ रुपये थी। ऐसा हुडको द्वारा बाजार ऋण लिए जाने के कारण हुआ। इसके अलावा, लेखन सामग्री तथा मुद्रण के सम्बंध में सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

केन्द्रीय योजना व्यय राज्यवार ब्यौरा 1985-86 से 1987-88 तक

(करोड़ रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक व्यय 1985-86	संशोधित अनुमान 1986-87	बजट अनुमान 1987-88	तीन वर्षों का जोड़	तीन वर्षों के लिए प्रति व्यक्ति व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आंध्र प्रदेश	2105.90 (13.07)	2156.22 (11.23)	2321.37 (11.44)	6583.49 (11.84)	1230.56

1	2	3	4	5	6
अरुणाचल प्रदेश	15.97	28.62	54.49	99.08	1651.33
	(0.10)	(0·15)	(0.27)	(0.18)	
असम	713.69	621.80	730.50	2065.99	1038.19
	(4.43)	(3.24)	(3.60)	(3.72)	
बिहार	1133.68	1384.45	1393.82	3911.95	559.65
	(7.04)	(7.21)	(6.87)	(7.04)	
गुजरात	1109.99	1573.98	1585.63	4269 60	1252.08
	(6.89)	(8.20)	(7.81)	(7.68)	
हरियाणा	252.14	249.46	329.64	832.24	645.15
	(1.57)	(1.30)	(1.62)	(1.50)	
हिमाचल प्रदेश	200.71	298.54	325.79	825.04	1918.70
	(1.25)	(1.56)	(1.61)	(1.48)	
जम्मू व कश्मीर	197.11	167.02	230.64	594.77	991·28
	(1.22)	(0.87)	(1.14)	(1.07)	
कर्नाटक	558.13	687.32	809.89	2055.34	554.00
	(3.47)	(3.58)	(3.99)	(3.70)	
केरल	441.61	529.34	531·66	1502.61	589.26
	(2.74)	(2.76)	(2.62)	(2.70)	
मध्य प्रदेश	1976.29	2508.83	1895.79	6380.91	1222.40
	(12.27)	(13.07)	(9.34)	(11.48)	
महाराष्ट्र	1302.28	1522.80	2020.66	4845.74	771.61
	(8.09)	(7.93)	(9.95)	(8.72)	
मणिपुर	34.33	50.21	69.04	153.58	1097.00
	(0.21)	(0.26)	(0.34)	(0.28)	
मेघालय	24.50	26.49	34.36	85.35	656.54
	(0.15)	(0.14)	(0.17)	(0.15)	

1	2	3	4	5	6
मिजोरम	13.38	22.13	16.45	51.96	1039.20
	(0.08)	(0.12)	(0.08)	(0.09)	
नागालैंड	27.60	30.08	55.46	113.14	1414.25
	(0.17)	(0.16)	(0.27)	(0.20)	
उड़ीसा	1176.75	951.76	1126.29	3254.80	1232.88
	(7.31)	(4.96)	(5.55)	(5.85)	
पंजाब	254.87	326.03	473.79	1054.69	727.79
	(1.58)	(1.70)	(2.33)	(1.90)	
राजस्थान	532.23	648.12	773.42	1953.77	569 71
	(3.30)	(3.38)	(3.81)	(3 51)	
सिक्किम	7.16	7.62	34.56	49.34	1644.67
	(0.04)	(0.04)	(0.17)	(0.09)	
तमिलनाडु	827.80	964.75	1069.64	2862.19	591.36
	(5.14)	(5.03)	(5.27)	(5.15)	
त्रिपुरा	56.82	54.75	58.23	169.80	808.57
	(0.35)	(0.29)	(0.29)	(0.31)	
उत्तर प्रदेश	1702.30	2568.40	2452.45	6723.15	606.24
	(10.57)	(13.38)	(12.08)	(12.09)	
पश्चिम बंगाल	974.70	1234.13	1288.73	3497.56	640 58
	(6.05)	(6.43)	(6.35)	(6.29)	
जोड़ राज्य	15640.94	18612.85	19682.30	53936.09	
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	16.62	63.62	18.63	98.87	4943.50
	(0.10)	(0.33)	(0.09)	(0.18)	
चंडीगढ़	13.50	12.19	11.58	37.27	745.40
	(0.08)	(0.06)	(0.06)	(0.07)	

1	2	3	4	5	6
दादरा व नगर हवेली	1.79	2.10	1.70	5.59	559.00
	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	
दिल्ली	366.14	442.38	528.19	1336.71	2155.98
	(2.27)	(2.30)	(2.60)	(2.40)	
गोवा दमन व द्वीप	56.58	53.10	39.42	149.10	1355.45
	(0.35)	(0.28)	(0.19)	(0.27)	
लक्षद्वीप	1.69	2.43	9.29	13.41	3352.50
	(0.01)	(0.01)	(0.05)	(0.02)	
पांडिचेरी	7.64	9.74	7.00	24.38	406.32
	(0.05)	(0.05)	(0.03)	(0.04)	
जोड़ (स०रा०क्षे०)	463.96	585.56	615.81	1668.33	
कुछ आबंटन योग राशि	16104.90	19198.41	20298.11	55601.42	
आबंटन योग राशि	3003.58	4467 82	4977.43	12448.83	
कुल जोड़	19 08.48 (क)	23666.23 (ख)	25 :75.54 (ग)	68050.25	993 .14

नोट : कोष्ठकों में आंकड़े कुल आबंटन योग्य राशि के प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

जनसंख्या का स्रोत : सांख्यिकीय सार, भारत 1986

1981 जनसंख्या (करोड़ों में) दो अंकों में पूर्णांकित।

पाद-टिप्पणी

(क) "ग्रामीण विकास" के संबंध में वास्तविक व्यय (1985-86) के आंकड़े भुगतान और लेखा कार्यालय द्वारा दिए गए थे।

(ख) कुल जोड़ में :

(I) "संचार" के लिए वर्ष 1986-87 के वास्तविक व्यय, और,

(II) ग्रामीण विकास पर केन्द्र द्वारा किए जाने वाले प्रशासनिक व्यय के वर्ष 1986-87 के संशोधित अनुमान शामिल हैं।

(ग) कुल जोड़ में :

(I) संचार के लिए वर्ष 1987-88 के संशोधित अनुमान, और

(II) "ग्रामीण विकास" पर केन्द्र द्वारा किए जाने वाले प्रशासनिक व्यय के वर्ष 1987-88 के बजट अनुमान शामिल हैं।

टिप्पणी

चूंकि केन्द्रीय योजना निवेश का राज्यवार नियोजन या हिसाब नहीं लगाया जाता इसलिए ये ब्यौरे तैयार करने में कुछ कल्पनाएं की गई हैं। इस प्रकार के प्रयोग के लिए आधारस्वरूप ये परिकल्पनाएं यथासंभव उत्तम प्रतीत होती है। परन्तु उनकी वैधता निश्चित ही एक समिति स्वरूप की है। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं :

(1) रेलवे के मामले में जहां चालू स्टाक किसी वर्ष के परिव्यय का महत्वपूर्ण भाग है, वहां वितरण का अनुमान किसी राज्य विशेष से गुजरने वाले ट्रैफ के रूट/कि०मी० के आधार पर लगाया जाता है।

(2) उसी प्रकार विमानन के संबंध में जहां 'एअर' क्राफ्टों के लिए भारी राशि की आवश्यकता होती है, वितरण का आकलन किसी राज्य विशेष के क्षेत्र में उतरने वाले एअर क्राफ्टों की संख्या के हिसाब से किया जाता है।

(3) डाक सेवाओं में व्यय के ब्यौरे का आकलन सर्किलवार किया जाता है।

परियोजनाओं में केन्द्रीय निवेश प्रायः उन्हीं क्षेत्रों में है जहां आवश्यक आर्थिक घटकों की इष्टतम उपलब्धता ही ऐसे मामलों में क्षेत्रीय संतुलन का उद्देश्य सीमित रूप से ही संगत हो सकता है।

वनों की कटाई को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार के अधीन संगठन की स्थापना

1045. डा० विश्वनाथम :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के सभी प्रमुख वनों को केन्द्रीय सरकार के अधीन एक संगठन के अन्तर्गत लाने का विचार है ताकि विभिन्न राज्यों में इस समय वनों के महत्व को कम न होने दिया जाए तथा इसकी कटाई को रोका जा सके और सभी वनों का समान रूप से विकास किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) से (ग) देश के सभी प्रमुख वनों को केन्द्रीय सरकार के अधीन एक संगठन के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान लागू करने के लिए मार्गनिर्देश

1046. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान लागू किए जाने हेतु बनाए गए मार्गनिर्देशों की अनदेखी की गई थी और उन्हें ये वेतनमान शैक्षिक अर्हताओं और निर्धारित सेवाकाल पूरा करने से संबंधित मानदण्डों का पालन किए बिना ही दिए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो निर्धारित मार्ग निर्देशों और मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) 22-7-88 को राज्य सरकारों को भेजी गई विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन की योजना एक संयुक्त योजना है जिसमें व्यावसायिक विकास, सतत शिक्षा और कार्य-मूल्यांकन आदि से सम्बद्ध संशोधित वेतनमानों, योग्यताओं, आजीविका उन्नति का प्रावधान है। उन राज्य सरकारों को, जो यह योजना लागू करती हैं, अतिरिक्त व्यय वहन करने के लिए 80% सहायता प्रदान की जाती है। वेतनमानों में संशोधन के लिए राज्य सरकारों के आदेशों/योजनाओं की, केन्द्रीय सहायता की मंजूरी से पूर्व केन्द्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की जाती है कि ये प्रावधान केन्द्रीय योजना के अनुरूप है। अब तक 17 राज्यों को केन्द्रीय सहायता जारी की गई है। शिक्षा विभाग के पास योजना के कार्यान्वयन में शैक्षिक योग्यताओं, योग्यता सेवा आदि से संबंधित मानदण्डों में ढीलापन के बारे में सूचना नहीं है।

धूम्रपान पर प्रतिबन्ध

1047. **श्री अशोक आनंदराव देशमुख :**

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार धूम्रपान न करने वालों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सभी सरकारी कार्यालयों में धूम्रपान पर प्रतिबन्ध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या लगातार धूम्रपान करने वाले सरकारी कर्मचारियों ने सरकार के इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख) सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों के सम्मेलन कक्षों सहित कुछ चुनिन्दा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध के सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये हैं।

(ग) जी, नहीं।

गोवा में सरकारी क्षेत्र की परियोजना

1048. प्रो० गोपालराव मायकर :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोवा में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का गोवा में रोजगार के अवसर जुटाने हेतु सरकारी क्षेत्र की कोई परियोजना शुरू करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए राज्य की सहायता करने हेतु क्या-क्या उपाय करने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेश गोवर्धन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) योजना आयोग ने हाल ही में उदुपी से रोहा तक की नई रेल लाइन के निर्माण का अनुमोदन किया है जो गोवा से होकर जाएगी और इससे वहां रोजगार के सृजित होने की आशा है।

(घ) विकास कार्यक्रमों के अलावा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०) शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार, (एस०ई०पी०यू०पी०) शिक्षित बेरोजगार युवकों के स्व रोजगार की योजना (एस०ई०ई०यू०वाई०) और नेहरू रोजगार योजना (एन०आर०वाई०) जैसे रोजगार वृद्धि कार्यक्रम से पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित होने की आशा है।

तक्षशिला स्थित पाकिस्तान का रक्षा परिसर

1049. श्री एम० रमन्ना राय :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान सरकार ने टैंक, फील्ड गन और बख्तरबंद सैनिक गाड़ियों के उत्पादन हेतु तक्षशिला स्थित 25 बिलियन लागत के रक्षा परिसर के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) क्या यह भारत की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है; और

(ग) देश की सुरक्षा के हित में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) रक्षा उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त

करने के लिए पाकिस्तान द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में प्रकाशित रिपोर्टें सरकार ने देखी हैं।

(ख) और (ग) हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सभी गतिविधियों पर सरकार बराबर नजर रखती है और हर समय पूरी रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए सही समय पर कारगर उपाय करती है।

बी० ई० एम० एल० की नई परियोजना

1050. **श्री एस० बी० घोरट :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को डम्परों आदि के निर्माण हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की एक नई परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की विद्यमान स्थापित क्षमता और इन मदों की मौजूदा मांग को देखते हुए अन्यत्र नई सुविधाएं स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

विभिन्न केंद्रीय परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

1051. **श्री आर० प्रभु :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कार्यान्वित की जा रही उन केंद्रीय परियोजनाओं के नाम क्या-क्या हैं जिनमें से प्रत्येक की लागत 100 करोड़ रुपये से अधिक है और नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार जिनकी लागत में वृद्धि और उनका निर्माण कार्य देर से पूरा होने की सम्भावना है;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना के संबंध में उनकी मूल अनुमानित लागत, संशोधित अनुमानित लागत, उनका निर्माण कार्य पूरा होने का अनुमानित मूल समय तथा इनमें से प्रत्येक के पूरा होने के सम्भावित समय का ब्योरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए कार्य में गति लाने हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मागेय गोवर्धन) : (क) कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की प्रवीक्षण प्रणाली के अनुसार दिनांक 30.6.90 को लागत और समय वृद्धि के अधीन ऐसी केंद्रीय परियोजनाओं जिनमें प्रत्येक की लागत 100 करोड़ रु० से अधिक है, को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) प्रत्येक ऐसी परियोजना के संबंध में मूल अनुमानित लागत, संशोधित अनुमानित

लागत, परियोजना के पूरा होने के मूल तथा सम्भावित तारीख का ब्यौरा उपरोक्त उल्लिखित विवरण में दिया गया है।

(ग) कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के प्रबोधन कार्य को और तीव्र कर दिया है। यह निर्णय लिया गया है कि अधिक लागत और समय वृद्धि से संबंधित ऐसी परियोजनाओं को समीक्षा के लिए और इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाली अन्तर-मंत्रालीय समस्याओं के समाधान के लिए सचिवों की समिति के समक्ष लाया जाये। इस विषय पर सचिवों की समिति की दो बैठकें पहले ही आयोजित हो चुकी हैं। हाल ही में प्रधान मन्त्री महोदय ने स्वयं संबंधित मंत्रियों के साथ समय वृद्धि और लागत वृद्धि से प्रभावित ऐसी परियोजनाओं की समीक्षा आरम्भ कर दी है।

विवरण

दिनांक 30-06-90 की स्थिति के अनुसार समय तथा लागत वृद्धि वाली प्रत्येक 100 करोड रुपये तथा उससे अधिक लागत वाली केंद्रीय परियोजनाओं की क्षेत्र-वार सूची

क्र० सं०	परियोजना	अभिकरण	अनुमोदन की तारीख मूल	चालू होने की तारीख संशोधित	लागत (करोड़ रुपये) मूल	संशोधित	प्रत्याशित	मूल के संदर्भ में (%) समय वृद्धि	लागत मूल	संशोधित	प्रत्याशित	मूल (%) के संदर्भ में लागत वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	परमाणु ऊर्जा											
1.	भारी जल परियोजना, मानुगूरू	डी०ए०ई०	8209	8904	8804	—	9011	46.27	421.60	661.58	661.58	56.92
2.	भारी जल परियोजना, हजीरा	डी०ए०ई०	8604	—	9011	—	9011	0 00	222.71	—	264.39	18.71
3.	नरोरा परमाणु विद्युत	एन०पी०सी०	7401	8304	8203	8810	9011	106.12	209.89	399.64	640.00	204.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	ककरापार परमाणु विद्युत नागर विमानन	एन०पी०सी०	8107	—	9112	—	9112	0.00	382.52	—	745.00	94.76
5.	आई०ए० फ्लीट वृद्धि	आई०ए०सी०	8602	—	9003	—	9012	0.00	1238	—	1444.02	16.61
6.	2 एयर बस ए 320 का अधिग्रहण	आई०ए०सी०	8906	—	9201	—	9201	0.00	958	—	1070.30	11.63
7.	दो ए 310 एयर सी०आर०एफ०टी० का अधिग्रहण कोयला	आई०ए०सी०	8907	—	9008	—	9008	0.00	217.81	—	245.09	12.52
8.	झरिया ब्लाक-2 ओ०सी०	ओ०सी०सी०-एल०	8206	—	8703	—	9103	84.21	112.05	—	173.82	55.13
9.	पुतकी बलिहारी यू०जी०	बी०सी०सी०-एल०	8312	—	9403	—	9512	—	199.87	—	237.64	18.90
10.	झंझरा यू०जी०	ई०सी०एल०	8212	—	9403	—	9403	0.00	184.55	—	480.00	160.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	सोनपुर बाजारी ओ०सी०	ई०सी०एल०	8507	—	9103	—	9703	105.88	192.96	—	400.00	107.30
12.	कलेश्वरी-ओ०सी०	एन०सी०एल०	8206	—	9003	—	9303	38.71	323.32	—	527.11	63.03
13.	बीना ओ०सी०	एन०सी०एल०	7905	8906	8603	8703	9103	73.17	56.91	168.64	168 64	196.33
14.	बुधीबुहा-ओ०सी०	एन०सी०एल०	8402	—	9403	—	9303	0.00	289.68	—	347.00	19.79
15.	काकरी-ओ०सी०	एन०सी०एल०	8010	8909	8703	9103	9103	62.34	50.54	—	137.80	172.66
16.	खादिया-ओ०सी०	एन०सी०एल०	8509	—	9403	—	9409	5.88	400.00	—	540.10	135.02
17.	निधाई-ओ०सी०	एन०सी०एल०	8711	—	9411	—	9411	0.00	462.39	—	488.90	5.73
18.	400 के०वी०-संचरण लाईन एस०टी०-2	एन०एल०सी०	8608	—	9102	—	9108	11.11	250.71	—	367.74	46.68
19.	द्वितीय खान-विस्तार	एन०एल०सी०	8302	8702	9003	9003	9101	11.76	334.77	762.13	1065.40	213.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	मंचेरी एस०टी०पी०एस०टी-आई०ओ०एफक	एन०एल०सी०	8903	—	9303	—	9303	0.00	474.63	—	500.92	5.54
21.	द्वितीय टी०पी०एस०एस०टी०-2	एन०एल०सी०	8302	8702	8906	9302	9302	57.89	638.95	1016.80	1363.24	113·36
22.	मानुगूरू-2 ओ०सी०	एस०सी०सी०-एल०	8503	—	9003	—	9103	20.00	132.00	—	192.00	45.45
23.	रामागुडम-2 ओ०सी०	एस०सी०सी०-एल०	8701	—	9203	—	9403	38.71	147.16	—	249.40	69·48
	उर्वरक											
24.	कैप्रोलैक्टम-अमोनिया सल्फेट परियोजना	एफ०ए०सी०-टी०	8204	8810	8807	8907	9008	33.33	147.94	315.00	375.00	153.48
25.	हल्दीया उर्वरक परियोजना	एच०एफ०सी०	7111	8107	7610	8204	9210	325.42	88.03	281.96	624.00	608.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26.	पाराद्वीप उर्वरक परियोजना-2	पी०पी०एल०	8201	8407	8711	8711	9008	47.14	183.64	386.77	630.82	243.51
	खाने											
27.	रामपुरा विस्तार हाचिन्देरी	एच०जैड०-एल०	8811	—	9105	—	9105	0.00	585.33	—	617·20	5.44
28.	उड़ीसा एल्म्यूनियम काम्पलैक्स	एन०ए०एल०-सी०ओ०	8011	8406	8710	8809	9103	49.40	1242.40	2408.14	2476.90	99.36
	इस्पात एवं लौह अयस्क											
29.	बिजाग इस्पात परियोजना	आर०आई०-एन०एल०	7906	8207	8712	9006	9208	54.90	2256.00	6849.70	7332.77	225.03
30.	भिलाई 4 एम०टी०वाई० विस्तार	एस०ए०-आई०एल०	7802	8612	8306	8803	9007	132.81	937.70	2145.50	2288·63	144.07
31.	बोकारो 4 एम०टी०वाई विस्तार	एस०ए०-आई०एल०	7805	8212	8212	8412	9009	169.09	947.24	1637.55	2198.40	132.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	दुर्गापुर आधु-निकीकरण	एस०ए०-आई०एल०	8709	8902	9209	9304	9310	21.67	1357.00	2667.60	2667.60	96.58
	रसायन एवं पैट्रो रसायन											
33.	महाराष्ट्र गैस-क्रेकर काम्पलैक्स	आई०पी०सी०एल०	8408	8811	8912	8912	9011	17.19	1167.00	1390.00	1390.00	19.11
34.	एन०वाई०-एल०-6 फिला यार्न परि०	पी०सी०एल०	8603	—	9003	—	9008	10.42	74.35	—	113.00	51.98
	पैट्रो एवं प्राकृतिक गैस											
35.	एल०पी०जी०-विपणन सहूलियत—III	बी०पी०सी०-एल०	8306	8707	8803	8812	9101	59.65	147.67	231.85	239.03	61.87
36.	एल०पी०जी०विपणन सहूलियत—III	एच०पी०सी०-एल०	8306	8512	8803	8803	9010	54.39	140.10	233.63	232.70	66.10
37.	एल०पी०जी०-विपणन सहूलियत—III	आई०बी०सी०	8306	8512	8803	8803	9008	50.88	241.50	380.74	360.62	49.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38.	अतिरिक्त आयल रिकवरी-वी०-एच०एस०	ओ०एन०जी०	8607	—	8904	—	9011	57.58	781.54	—	698.07	—10.68
39.	गैस स्वीटनिंग संयंत्र-II	ओ०एन०जी०-सी०	8605	—	8811	—	9010	76.67	204.65	—	201.09	—1.74
40.	कैम्बे बेसिन विकास परि०	ओ०एन०जी०-सी०	8407	—	9005	—	9009	8.82	700.90	—	416.67	—40.55
41.	इथ/प्रोथेन रिकवरी संयंत्र	ओ०एन०जी०-सी०	8601	—	9001	8908	9007	12.50	135.22	—	136.01	0.58
42.	हीरा चरण II	ओ०एन०जी०-सी०	8804	—	9003	—	9012	39.13	682.02	682.02	1093.07	60.27
43.	गंधार विकास पी०एच-1	ओ०एन०जी०-सी०	8803	—	9012	—	9106	18.18	326.68	—	241.39	—26 11
44.	गैस-लिफ्ट योजना	ओ०एन०जी०-सी०	8805	—	9011	—	9104	16.67	561.30	—	345.30	—38.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	विद्युत											
45.	वीकारो बी-II टी०पी०पी०	डी०वी०सी०	8107	—	8512	—	9112	145.10	156.93	—	356.25	90.58
46.	मेजिया टी०पी०-पी०	डी०वी०सी०	8603	—	9209	—	9312	19.23	566.00	—	1134·00	100.35
47.	डोयांग एच०ई०-पी०	एन०ई०ई०-पी०सी०ओ०	8302	8503	9206	9206	9506	32.14	96.31	128.61	166.65	73.03
48.	कोपीली एच०-पी०ई०पी०	एन०ई०ई०-सी०ओ०	7503	8509	8212	8606	8803	67.74	56.77	212.00	243.82	329.49
49.	कथलगुडी जी० वी०सी०सीपी०-पी०	एन०ई०ई०-पी०सी०ओ०	8711	—	9203	—	9303	23.08	203.17	—	203.17	0.00
50.	रंगनदी एच०-ई०पी०	एन०ई०ई०पी०-सी०ओ०	8704	—	9408	—	9703	35.23	312 78	—	312.78	0.00
51.	कालगुड़ी जी०-पी०पी० संचरण लाईन	एन०ई०ई०पी०-सी०ओ०	8711	—	9203	—	9212	17.31	301.38	—	301.38	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52.	चमेरा एच०-ईपी०	एन०एच०पी०-सी०	8404	—	9004	—	9212	44.44	809.29	—	1418.66	75.42
53.	दुलहस्ती एच०-ईपी०	एन०एच०पी०-सी०	8211	8907	9011	9407	9407	45.83	183.45	1262.97	1262.97	588.45
54.	कोलकारो एच०-ईपी०	एन०एच०पी०-सी०	8106	—	8812	—	9403	70.70	439.91	—	1107.49	151.75
55.	टनकपुर एच०-ईपी०	एन०एच०पी०-सी०	8408	—	8808	—	9203	89.58	178.75	—	352.60	97.25
56.	दुलहस्ती संरचण लाईन	एन०एच०पी०-सी०	8710	—	9207	—	9409	45.61	166.57	—	166.57	0.00
57.	नाथपा झकरी एच०ई०पी०	एन०जे०पी०-सी०	8904	—	9604	—	9606	2.38	1678.02	—	1678.02	0.00
58.	फरक्का एस० टी०पी०चरण-II	एन०टी०पी०सी०	8409	—	9203	—	9206	3.33	868.48	—	1309.25	50.75
59.	खेलगांव एन०टी०पी०पी० चरण-I	एन०टी०पी०-सी०	8507	—	9207	—	9301	7.14	884.15	—	1484.00	67.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60.	कोरबा एस०टी०पी० पी० चरण-II	एन०टी०पी०-सी०	8109	—	8903	—	8902	0.00	457.98	—	811.63	77.22
61.	रामागुंडम एस०टी०पी० पी० चरण-II	एन०टी०पी०-सी०	8109	—	9003	—	8910	0.00	501.89	—	735.03	46.45
62.	रिहन्द एस०टी०पी० पी० चरण-I	एन०टी०पी०-सी०	8206	—	8806	—	8907	18.06	1033.00	—	1665.96	61.27
63.	विंध्याचल एस०टी०पी० बी० चरण-I	एन०टी०पी०-सी०	8206	—	8912	—	9012	13.33	911.57	—	1335.25	46.48
64.	एन०सी०आर० टी०पी०पी० बादरी	एन०टी०पी०-सी०	8702	—	9309	—	9305	0.00	1063.57	—	1317.00	23.83
65.	कवास जी०पी०-पी०	एन०टी०पी०-सी०	8610	—	9104	—	9307	50.00	373.98	—	598.41	60.01
66.	औरैय्या जी०पी०पी०	एन०टी०पी०-सी०	8610	—	9101	—	9009	0.00	371.67	—	571.09	53.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67.	अंटा जी०पी०-पी०	एन०टी०पी०-सी०	8610	—	9008	—	9003	0.00	265.03	—	372.99	40.70
68.	केंद्रीय संचरण लाइन	एन०टी०पी०-सी०	8401	8708	8903	9203	9203	58.06	354.85	388.05	419.87	18.32
69.	फरक्का संचरण लाइन-II	एन०टी०पी०-सी०	8409	—	9103	—	9203	15.38	134.91	—	180.30	33.64
70.	खेलगांव संचरण लाइन-1	एन०टी०पी०-सी०	8507	—	9003	—	9107	28.57	174.48	—	216.00	23.80
71.	रिहन्द संचरण लाईन	एन०टी०पी०-सी०	8503	8905	8812	9203	9203	86.67	581.70	1063.00	1063.00	82.74
72.	विंध्याचल संचरण लाईन-1	एन०टी०पी०-सी०	8206	—	8902	—	9006	20.00	198.85	—	292.93	47.31
73.	औरैय्या जी०-पी०पी० संरचण लाईन पेपर सीमेंट एवं आटो०	एन०टी०पी०-सी०	8610	—	8908	—	9009	38.24	100.61	—	110.66	9.99
74.	येरागुंटला विस्तार (सी०सी०आई०)	सी०ई०एम०-एन०टी०	8104	8903	8609	9104	9201	98.46	75.72	191.25	191.25	152.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75.	एक्सरे और ग्रामीण फिल्म का निर्माण	एच०पी०-एफ०	8603	—	9110	—	9110	0.00	168.12	—	290.62	72.86
	रेलवे											
76.	कलकत्ता भूमिगत	एम०टी०पी०	7204	8604	7812	9012	9106	187.50	140.30	800.00	1324.20	843.83
77.	एम०बीच-एल० यू०जैड० आर०टी०एस० लाईन	एम०टी०पी०	8305	—	*	—	*	0.00	53.46	105.60	108.21	102.41
78.	मनखुर्द बेला बिस्तार	पी०वी०पी० एम०टी०पी०	8602	—	9010	9103	9103	8.93	120.00	153.03	153.03	27.52
79.	जम्मू तवी-उधमपुर एन०-आर०	एन०एल०	8103	—	9403	—	9403	0.00	50.00	68.68	112.00	124.00
80.	जोगी गोपा-गोहाटी-एल०-एफ०	एन०एल०	8403	—	9403	—	9403	0.00	87.73	238.93	419.09	377.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81.	करूरडिंडिगुल-तूतिकोरन, एस०आर०	एन०एल०	8203	—	9503	9503	9503	0.00	42.86	138.24	166.01	287.33
82.	कोरापुट-रायगढ़ एस०ई०आर०	एन०एल०	8203	8606	8703	9103	9103	80.00	112.10	265.00	322.00	187.24
83.	कोटा-चितौड़गढ़ एन०ई०ई०एम०, डब्ल्यू०आर०	एन०एल०	8103	—	9003	—	9010	6.48	41.09	93.96	164.00	299.12
84.	नांगलडैम-तलवड़ा एन०आर०	एन०एल०	8103	8505	*	—	*	0.00	37.68	80.00	100.00	165.39
85.	तल्चर-सम्बलपुर एस०ई०आर०	एन०एल०	8403	—	9503	—	9503	0.00	46.39	57.97	160.00	244.90
86.	गुना-इटावा सी०आर०	एन०एल०	8504	—	9403	—	9403	0.00	158.77	—	253.08	59.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87.	फ्लाइट आपरेशन आई०एन०एफ० एस० एस०बाई०एस०	ओ०आई०-	8403	—	9312	9312	9312	0.00	520.00	1098.00	1098.00	111.15
88.	नागपुर—भुसावल	आर०ई०	8107	8404	9003	9003	9103	11.54	93.07	128.85	128.85	38.44
89.	बिलासपुर-कटनी	आर०ई०	8503	—	9303	—	9403	12.50	71.81	91.02	130.14	81.23
90.	नागपुर-दुर्ग	आर०ई०	8503	8701	9012	—	9103	4.35	74.38	—	124.83	67.83
91.	आर०सी०एफ० कपूरथला चरण-2 आर०सी०एफ०के०	डब्ल्यू०एस० एण्ड पी०यू०	8508	8712	9203	—	9203	0.00	180.00	311.59	311.59	73.11
92.	डीजल कम्पोनेंट वर्क्स० डी०सी०- डब्ल्यू०पी०-	डब्ल्यू०यू०- एस० एण्ड पी०यू०	8205	8607	8906	—	9010	18.82	133.84	133.84	203.85	52.31
	भूतल परिवहन											
93.	न्हावा शेवा पत्तन परियोजना	पी०ओ०- आर०टी०- एस०	8309	8309	8712	8902	9012	70.59	581.00	986.08	1056.00	81.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94.	अहमदाबाद-बड़ौदा एक्सप्रेस रास्ता जो०पी० डब्ल्यू०डी०	आर०डी० एण्ड वी०-आर०	8601	—	9112	—	9202	2.82	128.40	137.20	207.00	61.21
95.	हुगली पर दूसरा पुल सी०आई०-टी०	आर०डी० एण्ड वी०आर०	7701	8307	8312	8612	9108	110.84	57.00	150.00	340.00	496.49
96.	एल०आर०-2 बैंकरो का अधि-ग्रहण एस०सी०आई०	एस०एच० आई०पी०-पी०	8604	—	9101	—	9206	292.82	111.30	127.04	130.86	17.57
	दूर-संचार											
97.	इलैक्ट्रोनिक स्वीच प्रणाली	आई०टी०-आई०	8211	8404	9003	9003	9003	0.00	149.19	177.02	219.35	47.03

*चालू करने की निर्धारित तिथि नहीं दर्शाती है।

वर्तमान भर्ती योजना की जांच करने के लिए समिति

[हिन्दी]

1052. श्री हरीश पाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भर्ती सम्बन्धी वर्तमान योजनाओं के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए तथा चयन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए नियुक्त सतीश चन्द्र समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है ?

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(ग) सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समिति द्वारा की गई सिफारिशों को उन सेवाओं के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया है जिनमें सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाती है। रिपोर्ट में दी गई मुख्य सिफारिशों का सारांश संलग्न विवरण में दिया जाता है। सरकार इस रिपोर्ट की जांच कर रही है।

विवरण

प्रोफेसर सतीश चन्द्र समिति की रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें

क्रम संख्या	सिफारिशों/निष्कर्षों का सारांश
1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के ऐसे उम्मीदवार जो आयु छूट का लाभ तथा परीक्षा अवसरों से सम्बन्धित छूट का लाभ उठाए बिना ही सामान्य योग्यता सूची में आ जाते हैं उन्हें सामान्य उम्मीदवारों के रूप में समझा जाना चाहिए। और उन्हें आरक्षण कोटे में नहीं समझा जाना चाहिए।
2.	समूह "क" और समूह "ख" की कुछ सेवाओं को सिविल सेवा परीक्षा से अलग कर दिया जाना चाहिए।
3.	डाक्टर और इंजीनियर सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए पात्र बने रहने चाहिए।
4.	मुख्य परीक्षा में 200 अंकों का एक प्रस्ताव प्रश्न पत्र शुरू किया जाना चाहिए। उम्मीदवारों को यह अनुमति दी जा सकती है कि वे इस प्रश्न पत्र का अंग्रेजी अथवा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं में से किसी भी भाषा में उत्तर दें।
5.	मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम से निम्नलिखित वैकल्पिक विषयों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

फ्रांसीसी

जर्मनी

रूसी

चीनी]

नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त स्थान

1053. डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों के अनेक पद रिक्त पड़े हुए हैं ;

(ख) क्या अनेक शिक्षक अपने चयन के पश्चात भी कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) कुल संस्वीकृत पदों में से 50% पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाते हैं और बाकि 50% पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। कुछ पद जो प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने होते हैं खाली रह जाते हैं क्योंकि अध्यापक नवोदय विद्यालयों मे प्रतिनियुक्ति पर काम करने के लिए आकर्षित नहीं होते जो असुविधाजनक तथा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होते हैं। तथापि इन रिक्तियों के लिए प्रधानाचार्यों को अंशकालिक तदर्थ नियुक्तियां करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद

1054. श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) सरकार इस मामले में बहुत जल्द निर्णय लेने के लिए गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन

1055. श्री कपिल देव शास्त्री :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारियों ने अपनी

परीक्षाएं अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में दी थीं;

(ख) क्या सरकार की भारतीय प्रशासनिक सेवा में ऐसे शिक्षित युवकों को प्रोत्साहन देने की कोई योजना है जिन्होंने भारत के संविधान में सम्मिलित भारतीय भाषाओं में शिक्षा ग्रहण की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए नियमों में प्रावधान बनाए गए हैं, जिसके अनुसार मैट्रिक स्तर के अंग्रेजी के प्रश्न पत्र को छोड़कर संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल की गई भाषाओं में से किसी भी भाषा में प्रश्न-पत्र का उत्तर देने के विकल्प की अनुमति दी गई है। किसी उम्मीदवार को इस प्रश्न-पत्र पर दिए गए नम्बरों को परस्पर रैंक निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाता है।

विवरण

वर्ष 1986 से 1988 के दौरान हुई सिविल सेवा परीक्षाओं में जिन्होंने संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल की गई किसी भाषा मे परीक्षा दी गई थी, के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की संख्या

परीक्षा का वर्ष	संविधान की आठवीं अनुसूची म शामिल की गई किसी भाषा म परीक्षा देने वाले उम्मीदवार	
	भाषाओं के नाम	उम्मीदवारों की संख्या
1	2	3
1986	हिन्दी	6
1987	हिन्दी	4
	तेलगु	1
	गुजराती	1
1988	हिन्दी	4

भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए भर्ती

1056. श्री कपिल देव शास्त्री :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में चुने जाने वाले अधिकांश प्रत्याशियों के निकट सम्बन्धी उक्त सेवा में होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुने गए ऐसे प्रत्याशियों की संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा में अपने आवेदन पत्र में अथवा उस समय जब वे साक्षात्कार के लिए आते हैं, अपने निकट सम्बन्धियों के ब्यौरे देने की आवश्यकता नहीं होती है। सिविल सेवा परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है जो कि एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय है और इसके चयन पूर्णतया योग्यता पर आधारित होते हैं। परिणामतः उम्मीदवारों के सेवारत निकट सम्बन्धियों के बारे में सूचना का चयन प्रक्रिया से सम्बन्ध नहीं है। अतः इस प्रश्न में मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है।

वृहत परियोजनाओं की योजना तैयार करना

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत वृहत परियोजनाओं के लिए वार्षिक कार्य-योजना तैयार करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबन्ध में वृहत परियोजना प्राधिकारियों को कोई निर्देश दिया है; और

(ग) यदि हां, तो कार्य योजना को शीघ्र तैयार करने के लिए परियोजना प्राधिकारियों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेश गोदचंन) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र/सरकार द्वारा कार्यान्वयनाधीन मेगा तथा प्रमुख केन्द्रीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरू में पर्ट (पी० ई० आर० टी०) नेट वर्क और पूरा करने की निर्धारित तारीखों सहित मुख्य लक्ष्यों की सूची के रूप में वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की जाती है। इन लक्ष्यों के संदर्भ में वास्तविक प्रगति की देख-रेख आवधिक रूप से परियोजना अधिकारियों द्वारा तथा सरकार द्वारा की जाती है।

आठवीं योजना में विकास दर

1058. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आठवीं योजना के लिए विकास दर लक्ष्य निश्चित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक और कृषि के विकास का क्या लक्ष्य रखा गया है; और

(ग) यह लक्ष्य किस आधार पर निश्चित किया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) जी हां, । आठवीं योजना अवधि के लिए सकल घरेलू उत्पाद में 5.5 प्रतिशत वार्षिक संवृद्धि दर के लक्ष्य को अन्तिम रूप दिया गया है ।

(ख) और (ग) औद्योगिक और कृषि संवृद्धि दरों के लक्ष्य अभी निर्धारित किये जाने हैं और वे आठवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में दिए जाएंगे ।

दामोदर घाटी परियोजना से पर्यावरणीय असंतुलन

1059. **श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने दामोदर घाटी-बराकार बेसिन में दामोदर घाटी परियोजना से होने वाले पर्यावरण असन्तुलन की जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार से विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की हैं और दामोदर घाटी परियोजना से पर्यावरण को उत्पन्न खतरे की जांच हेतु यह समिति कब तक गठित कर दी जायेगी ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

"वर्ल्ड हैरिटेज साइट" के रूप में सुन्दरवन बाघ आरक्षित क्षेत्र

1060. **श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुन्दरवन बाघ आरक्षित क्षेत्र को "वर्ल्ड हैरिटेज साइट" की सूची में शामिल करने के बाद, वन उत्पादों के उपयोग के लिए इस क्षेत्र के लोगों पर अनेक प्रतिबन्ध लगाये गये हैं;

(ख) क्या इससे सुन्दरवन क्षेत्रों में पारम्परिक व्यवसायों को क्षति भी पहुंची है; और

(ग) यदि हां, तो क्या स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा सुन्दरवन में आस-पास की बस्तियों में बाघों के घुस जाने को रोकने तथा उनके द्वारा मनुष्यों की हत्या करने संबंधी मामलों की संख्या में अधिक से अधिक कमी करने, समाप्त करने के तरीकों के लिए कोई दीर्घावधि योजना तैयार की है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, नहीं । सुन्दरवन बाघ रिजर्व को "वर्ल्ड हैरिटेज साइट" की सूची में शामिल करने से उसके कानूनी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता, परन्तु इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि बाघ परियोजना द्वारा प्रारम्भ की गई सुन्दरवन बाघ रिजर्व की प्रबन्ध योजना और पारि-विकास आयोजना में मानव-भक्षण की समस्या और लोगों के जीवन-यापन की दशाओं को सुधारने के लिए ध्यान रखा गया है।

दिल्ली छावनी में एक आर्मी केन्टीन-कम-ग्रोसरी स्टोर नष्ट होना

1061. **श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत जून में बकाया राशि का भुगतान न करने के बारे में सुबेदार-मेजर और केन्टीन ठेकेदार के बीच हुए झगड़े के कारण सेना के दो दर्जन से अधिक जवानों द्वारा लगाई गई तथाकथित आग से दिल्ली केन्ट में एक आर्मी केन्टीन-कम-ग्रोसरी स्टोर पूरी तरह नष्ट हो गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घटना की कोई अदालती जांच के आदेश दिए गए हैं, यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और आर्मी स्टोर को नुकसान पहुंचाने वाले दोषी कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) ऐसी बढ़ती हुई अनुशासनहीनता की घटनाओं और देश की सम्पत्ति को आग लगाने की घटनाओं को रोकने के लिए क्या निवारक उपाय किए गए हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) एक सूबेदार मेजर और बेस अस्पताल, दिल्ली छावनी के एक सिविल कैंटीन के ठेकेदार के बीच हुए झगड़े के कारण 11 जून, 1990 को कुछ सेना कार्मिकों ने सिविल कैंटीन को लूट लिया। इस घटना में एक स्कूटर को जला दिया गया और एक अन्य स्कूटर तथा एक किराने की दुकान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया।

(ख) इस घटना के सम्बन्ध में जांच अदालत गठित करने के आदेश दे दिए गए हैं। इसकी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) जहां तक सशस्त्र सेना कार्मिकों में अनुशासन का संबंध है, इस पर बराबर निगरानी रखी जाती है।

जलवायु प्रदूषित करने वाले देश के रूप में भारत

1062. **श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व संसाधन संस्थान की "विश्व संसाधन 1990-91" नामक विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट का अध्ययन किया है जिसमें विश्व में सर्वाधिक जलवायु प्रदूषित करने वाले देशों की सूची में भारत को पांचवें स्थान पर रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों में किए गए योगदान की गणना के बारे में ठोस वैज्ञानिक आधार प्रमाणित नहीं किया जा सका है। विश्व संसाधन संस्थान के आंकड़ों के आधार पर भी भारत, जिसकी आबादी विश्व की कुल आबादी का 16 प्रतिशत है, ग्रीन हाउस गैसों में उसका योगदान 4 प्रतिशत से भी कम है। विश्व संसाधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रति व्यक्ति आधार पर भी उन 50 देशों की सूची में नहीं आता है जहां ग्रीन हाउस गैस का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे अधिक है।

एझीमला नौसेना अकादमी

1063. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एझीमला नौसेना अकादमी के लिए कुल कितने एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई है;

(ख) क्या भू-स्वामियों को अब तक पूरा मुआवजा अदा कर दिया गया है;

(ग) केवल भूमि पर ही कुल कितनी लागत आयी है;

(घ) पूरी परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ङ) क्या इस लागत में केरल की राज्य सरकार द्वारा कुछ अंशदान किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) अब तक कितना कार्य पूरा हो चुका है और 30 जून, 1990 तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने तत्कालीन जमीन मालिकों को मुआवजा अदा करने के पश्चात नौसेना अकादमी, एझीमला के लिए लगभग 1014 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। कुछ जमीन मालिकों ने बढ़ी दर पर मुआवजे की मांग को लेकर न्यायालय में मामला दायर कर दिया है। इनमें से कुछ मामले अभी भी अनिर्णीत पड़े हैं।

(ग) राज्य सरकार के अनुसार अधिग्रहीत की गई भूमि का मूल्य लगभग 25 करोड़ रुपये है।

(घ) मास्टर प्लान/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो जाने के पश्चात ही परियोजना की लागत का पता लग पाएगा।

(ङ) राज्य सरकार जमीन की लागत और अन्य आधारभूत सुविधाओं पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिए सहमत हो गई है।

(च) परियोजना परिसर के चारों ओर चारदीवारी और कांटेदार तार लगा दिए गए हैं। जल और मौसम संबंधी सर्वेक्षण/अध्ययन-कार्य भी पूरे कर लिए गए हैं। परियोजना पर अब तक केन्द्र सरकार ने लगभग 1 करोड़ रुपये व्यय किए हैं।

प्रस्तावित उच्च शिक्षा परिषद के गठन, शक्तियों आदि के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्ग निर्देश

1064. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित उच्च शिक्षा राज्य परिषद के गठन, शक्तियों, कार्यकरण आदि के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्ग-निर्देश सभी राज्यों को परिचालित कर दिये हैं;

(ख) किन-किन राज्यों द्वारा इन मार्ग-निर्देशों का पालन किया गया है; और

(ग) अन्य राज्यों द्वारा भी इन मार्ग-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी राज्य सरकारों को राज्य उच्च शिक्षा परिषद के गठन, शक्तियों, कार्यों आदि के संबंध में मार्गदर्शी रूपरेखाएं परिचालित की है ।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य उच्च शिक्षा परिषद स्थापित की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, गोवा, जम्मू व कश्मीर तथा असम राज्य सरकार ने प्रस्ताव के संबंध में स्वीकारात्मक रवैया दिखाया है ।

(ग) आयोग राज्य सरकारों को राज्य उच्च शिक्षा परिषद स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए समय-समय पर स्मरण कराता रहता है ।

वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु उपाय

1065. **श्री जे० पी० अग्रवाल :**

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत कुछ वर्षों में दिल्ली में वाहनों की संख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि होने के कारण शहर में प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि मात्र मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करना पर्याप्त नहीं है;

(ग) क्या सरकार का कुछ आधुनिक उपाय अथवा तकनीकी परिवर्तन करने का विचार है ताकि पेट्रोल/डीजल से होने वाले प्रदूषण की मात्रा को कम किया जा सके; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, हां। दिल्ली में वाहनों की संख्या 1986 से 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। इससे नगर में प्रदूषण की वृद्धि हुई है।

(ख) से (घ) मोटर (वाहन), अधिनियम और नियमों में संशोधन के साथ-साथ सरकार ने निर्माण स्तर पर व्यापक उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए हैं। निर्माणकर्ता सर्वोत्तम उपलब्ध प्रौद्योगिकी

को अपनाएं। इसके लिए इन मानकों को ईन्धन की बचत से सम्बन्धित मानकों के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है।

खुले कूड़ेदानों से पर्यावरणीय प्रदूषण

1066. श्री जे० पी० अग्रवाल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पुरानी दिल्ली में खुले कूड़ेदानों से स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा हो गया है और यह पर्यावरणीय प्रदूषण का भारी खतरा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का कूड़ा एकत्र करने की वर्तमान व्यवस्था को कुछ आधुनिक तरीकों में बदलने का प्रस्ताव है, जिससे प्रदूषण पर नियन्त्रण रखा जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) पुरारी दिल्ली में कूड़ेदान सफाई कार्यक्रम के अंग हैं। इनको नियमित रूप से साफ किया जाता है और जमा किए गए कचड़े को अन्तिम निपटान हेतु गड्ढों में फेंक दिया जाता है। निपटान की नई प्रक्रियाओं को अनुमोदित होते ही अपना लिया जाएगा।

कारवाड़ नौसैनिक यार्ड परियोजना

1067. श्री जनार्दन पुजारी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारवाड़ नौसैनिक यार्ड परियोजना पर कितनी धनराशि व्यय की गई है और इसके निर्माण-कार्य में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) कारवाड़ में नए नौसैनिक अड्डे पर अभी तक 35.4 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। इस परियोजना के संबंध में हुई प्रगति के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(1) 5825 एकड़ सरकारी भूमि को ले लिया गया है और 2495 एकड़ निजी भूमि को अधिग्रहीत किया जा रहा है।

(2) परियोजना के चरण-1 और 2 के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार ने 9 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इस राशि मे से लगभग 7.05 करोड़ रुपये राज्य सरकार को दिए जा चुके हैं।

सभी जिलों को कम्प्यूटर से जोड़ना

1068. श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और आयोजन सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित और उन्हें वितरित करने के लिए देश के सभी जिलों को कम्प्यूटर से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने आयोजन तथा निर्णय समर्थन के लिए केन्द्रीय सरकार के विभागों को कम्प्यूटर आधारित सूचना सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की स्थापना की। केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों/मन्त्रालयों, राज्य सरकारों तथा जिला प्रशासनों के बीच सूचना के आदान-प्रदान तथा निर्णय समर्थन के लिए एक व्यवस्थाबद्ध कार्यपद्धति सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र वर्ष 1985 से राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों तथा जिला प्रशासनों को प्रगामी रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करता रहा है। इस कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने दिल्ली, भुवनेश्वर, पुणे तथा हैदराबाद में चार क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित किए, जहां एक-एक बड़ा मुख्य-फ्रेम कम्प्यूटर है। राज्यों की राजधानियों में भी कम्प्यूटर स्थापित किए गए हैं। जिला प्रशासनों में, सुपर माइक्रो कम्प्यूटर स्थापित किए गए हैं। इन सब कम्प्यूटरों को, कम्प्यूटर संचार नैटवर्क, जिसे निकनैट कहा जाता है, बनाने के लिए उपग्रह के जरिये जोड़ा गया है। दिल्ली स्थित केन्द्र नैटवर्क के केन्द्रीय नोड के रूप में कार्य करता है, जहां उच्च क्षमता वाला मास्टर अर्थ स्टेशन स्थापित किया गया है। नैटवर्क से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के विभाग तथा जिला प्रशासन के बीच सूचना का आदान-प्रदान करने में सहायता मिलती है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र पहले ही देश के 425 जिलों में कम्प्यूटर तथा उपग्रह अर्थ स्टेशन स्थापित कर चुका है। जिला स्तर पर सूचना संबन्धी आवश्यकता का अध्ययन करने के बाद राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने कृषि, भोमजल, पशुपालन, भवन और निर्माण कार्य, नागरिक आपूर्ति जिला समाहर्तालय, महा विद्यालयी शिक्षा, जिला आयोजन, रोजगार मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, सिचाई, उद्योग श्रम, पंचायत विद्युत, सरकारी निर्देशन, सड़क तथा पुल, ग्रामीण विकास, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति विकास, सामाजिक वानिकी, समाज कल्याण, नगर योजना, परिवहन, जल प्राधिकरण, जिला कोष तथा समाहर्ता के लिए एम० आई० एस० से सम्बन्धित 27 मानकीकृत सौफ्टवेयर पैकेज तैयार किए हैं। इनमें से अनेक पैकेजों तथा तदनुरूपी आंकड़ा आधारों को, जो आयोजना तथा निर्णय समर्थन के लिच सूचना शीघ्र उपलब्ध करने में सहायक है, अनेक जिलों में क्रमिक रूप से प्रयुक्त किया जा रहा है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस परियोजना पर 173 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वीकृत संख्या से अधिक कर्मचारी

1069. **श्री माधवराव सिंधिया :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम सहित अनेक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम कर्मचारियों की बढ़ती हुई संख्या की समस्या से परेशान हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार कितने कर्मचारी स्वीकृत संख्या से अधिक हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कर्मचारियों की छटनी तथा उनको पीड़ित और उनके साथ अन्याय किये बिना समस्या से उबारने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भगीरथ गोवर्धन) : (क) और (ख) कुछ समय पहले सरकार द्वारा एकत्रित जानकारी के अनुसार सरकारी क्षेत्र के 31 उद्यमों ने सूचित किया था कि उनकी आवश्यकताओं की तुलना में 50,287 कर्मचारी अतिरिक्त थे, सरकारी क्षेत्र के 86 उद्यमों में कोई अतिरिक्त कर्मचारी नहीं था तथा सरकारी क्षेत्र के शेष 92 उद्यमों ने अभी तक अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या अभिज्ञात नहीं की है।

(ग) सरकार ने अतिरिक्त जनशक्ति को घटाने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा कार्यान्वित करने के लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्रतिपादित की है।

अनुसंधान और विकास पर खर्च किया जाना

[हिन्दी]

1070. **श्री रामेश्वर प्रसाद :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शीर्ष इंजीनियरिंग कम्पनियों द्वारा प्रतिवर्ष अनुसंधान और विकास पर कितने प्रतिशत धन-राशि खर्च की जाती है;

(ख) क्या यह प्रतिशत वस्तुतः अपेक्षित प्रतिशत धन-राशि से कम है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन कम्पनियों द्वारा अनुसंधान और विकास पर अधिक व्यय को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाएं गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय) द्वारा इस प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त लगभग 1200 घरेलू अनुसंधान एवं विकास यूनिटों द्वारा किया गया व्यय उनकी बिक्री व्यवसाय का लगभग 0.7% है। बड़ी इंजीनियरिंग कम्पनियों के मामले में यह प्रतिशत 0.5% से 9% तक भिन्न-भिन्न है, उदाहरणार्थ स्टील एथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (0.54%); भारत हैवी

इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (1.1%); भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (7.1%); हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (9.3%)।

(ख) और (ग) औद्योगिक रूप से विकसित देशों में औद्योगिक यूनिटों द्वारा अनुसंधान विकास पर किया गया औसत व्यय प्रतिशत उनके बिक्री व्यवसाय के 3% अथवा 4% के क्रम में होता है और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों जैसे इलैक्ट्रानिक्स कम्प्यूटर्स, फार्मास्यूटिकल्स एवं एरोस्पेस में बढ़कर 8% से 15% के क्रम तक भी हो जाता है।

उद्योग में उद्योग के द्वारा अनुसंधान तथा विकास भारत में नवीन उद्भावना है किन्तु यह हाल के वर्षों में ही पनपी है। उद्योग में अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जिनमें औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास में उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए पुरस्कार देना, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर आधारित एम० आर० टी० पी० द्वारा स्थापित कम्पनियों सहित उद्योगों को लाइसेंस देने में सुविधात्मक प्रतिपादन, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के उपयोग में हुए व्यय के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन देना एवं उद्योगों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और सरकारी सहायता प्राप्त अन्य अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और सरकारी वित्तीय संस्थानों के मध्य सम्पर्क क्रियाविधि सिद्धान्त स्थापित करना सम्मिलित है।

उद्योग में उद्योग के द्वारा अनुसंधान तथा विकास को बढ़ाने का प्रयास, उद्योग के साथ निरन्तर चलने वाला संवाद है।

केरल में औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रीय निवेश

[अनुवाद]

1071. **प्रो० पी० जे० कुरियन :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान केरल में औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितना केन्द्रीय निवेश करने का विचार किया गया है; और

(ख) इस अवधि के दौरान राज्य में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) और (ख) राज्य सरकार से आठवीं पंचवर्षीय योजना से सम्बन्धित विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं परन्तु मार्च, 1989 का "केरल की आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण" दस्तावेज की एक प्रतिलिपि प्राप्त हुई है। हालांकि उक्त दस्तावेज में अन्य बातों के साथ-साथ "पिछड़ी हुई परियोजनाओं" तथा "औद्योगिक प्राथमिकताओं" के बारे में उल्लेख किया गया है, परन्तु इसमें परियोजनावार कोई आबंटन नहीं चाहे गए हैं।

राज्य सरकार से पत्र भी प्राप्त हुआ है जिसमें वर्ष 1990-91 के दौरान फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर को अधिक आबंटन तथा केरल में अधिक केन्द्रीय निवेश किए जाने का अनुरोध किया गया है।

केरल की वार्षिक योजना 1990-91 के एक भाग के रूप में उद्योग क्षेत्र से सम्बन्धित विशिष्ट

प्रस्तावों पर, अन्य प्रस्तावों के साथ योजना आयोग में विचार किया गया था। आवंटनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

परियोजना/योजना का नाम

राज्य क्षेत्र	1990-91 की वार्षिक योजना में प्रावधान (लाखों रुपयों में)
1	2
क. बड़े तथा मध्यम उद्योग	4091
1. मालबार सीमेंट लि०	
2. केरल मिनरल एण्ड मेटल लि०	
3. केरल स्पेशल रिफ्रेक्ट्रीज लि०	
4. चालाकुड़ी रिफ्रेक्ट्रीज लि०	
5. केरल क्लेस एण्ड सीरीमिक प्रोडक्ट्स लि०	
6. केरल आटोमोबायल्स लि०	
7. केरल हाई-टेक इन्डस्ट्रीज लि०	
8. स्टी इन्डस्ट्रियल केरल लि०	
9. ट्रान्सफार्मर एण्ड इलेक्ट्रिकल्स केरल लि०	
10. केरल इलेक्ट्रिकल एण्ड एलाइड इंजीनियरिंग कम्पनी लि०	
11. यूनाइटेड इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज लि०	
12. मेट्रोपोलिटन इंजीनियरिंग कम्पनी लि०	
13. इलेक्ट्रानिक टेकनॉलाजी पार्क्स	
14. केरल स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डवलपमेंट कारपोरेशन	
15. केरल स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लि०	
16. सीताराम टेक्सटाइल लि०	
17. त्रिवेन्द्रम स्पिनिंग मिल्स लि०	
18. को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स	
19. त्रावणकोर रेयोल्स लि०	
20. फॉरेस्ट इन्डस्ट्रीज (त्रावणकोर) लि०	

1	2
21. प्रबंध विकास केन्द्र	
22. केरल वित्तीय निगम लि०	
23. केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम	
24. केरल राज्य वित्तीय उद्यम लि०	
25. राज्य पूंजी निवेश राज सहायता	
26. केरल राज्य निर्यात व्यापार विकास परिषद	
27. औद्योगिक विकास क्षेत्र	
28. रुग्ण उद्योगों का पुनर्स्थापना	
ख. खनिज विकास	
ग. ग्राम एवं लघु उद्योग	60
1. औद्योगिक इस्टेट तथा काजू उद्योग सहित लघु उद्योग	1835
2. नारियल-जटा	490
3. खादी तथा ग्राम उद्योग	300
4. हथकरघे	325
5. विद्युत करघे	25
6. हस्तशिल्प	75
7. रेशम-उत्पादन	435
जोड़	3485

टिप्पणी : – इसके अलावा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम, फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लि० के लिये निम्नलिखित व्यवस्था की गई है।

1. नव अमोनिया संयन्त्र, उद्योग मण्डल	500 लाख रुपये
2. विभिन्न अन्य योजनायें तथा परियोजनायें	7500 लाख रुपये

परमाणु विद्युत केन्द्रों की कार्य अवधि

[हिन्दी]

1072. **श्री एस० सी० वर्मा :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रत्येक परमाणु विद्युत केन्द्र की कार्य अवधि क्या है;

(ख) इन विद्युत केन्द्रों की कार्य अवधि समाप्त होने के पश्चात इनके उपकरणों के निपटान हेतु क्या उपाय करने का विचार है;

(ग) क्या काम न कर रहे इन विद्युत केन्द्रों के आस-पास के क्षेत्रों में रेडियो धार्मिता फैलने का खतरा होगा; और

(घ) ऐसे खतरों से बचने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) यह माना गया है कि आर्थिक उपयोगिता की दृष्टि से परमाणु बिजली घरों की कार्य-अवधि 25 वर्ष है। तथापि, संयंत्र के संघटकों की अच्छी हालत को देखते हुए, बिजली घरों को इससे और अधिक समय तक भी चलाया जा सकता है।

(ख) संयंत्र को बन्द करने के लिए माथ बार्लिंग करने के बाद देर से मशीनों के पुर्जों को अलग-अलग करना अथवा तुरन्त अलग-अलग करने जैसे प्रौद्योगिकीय विकल्प उपलब्ध हैं। रिएक्टर में से ईंधन निकाल लिया जाएगा और भुक्तशेष ईंधन को भंडारण के लिये और आवश्यक होने पर पुन-संसाधन के लिए ले जाया जाएगा। विकिरण सक्रिय द्रवों और अपशिष्ट पदार्थों को संसाधन और सुरक्षित रूप से निपटान/भंडारित करने के लिये संयंत्र से हटा दिया जाएगा। विकिरणसक्रिय प्रणालियों और उपस्करों के पुर्जो को तुरन्त ही अथवा माथ बार्लिंग अवधि के बाद अलग-अलग कर दिया जायेगा और विसंदूषण तथा उपयुक्त तरीके से संसाधित करने के बाद इन्हें सुरक्षित रूप से भूमि के अन्दर दबा दिया जाएगा।

(ग) और (घ) जी, नहीं। भुक्तशेष ईंधन को जिसमें सबसे ज्यादा विकिरणसक्रियता होती है, हटा दिया जाएगा और सुरक्षित रूप से भंडारित करने तथा आवश्यक होने पर पुनर्संधान के लिए ले जाया जाएगा। सभी विकिरणसक्रिय भागों को सुरक्षित स्तरों तथा विसंदूषित किया जाएगा इसके बाद संयंत्र को बन्द करने की प्रक्रियाओं और प्रचालनों की सुरक्षा के सम्बन्ध में समीक्षा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा की जाएगी।

मिश्रा समिति की रिपोर्ट

1073 श्री एस०सी वर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन के बारे में रंगनाथ मिश्रा वेतन आयोग की रिपोर्ट सरकार को कब प्रस्तुत की गई थी;

(ख) क्या सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा;

(घ) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में अधिकारियों तथा सुपरवाइजरों के विद्यमान वेतनमानों का ब्यौरा क्या है तथा मिश्रा आयोग ने किन वेतनमानों की सिफारिश की है; और

(ङ) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अधिकारियों तथा सुपरवाइजरों को केन्द्रीय सरकार में कार्य कर रहे उनके समान अधिकारियों से कम वेतन मिल रहा है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) से (ग) न्यायमूर्ति श्री आर० बी० मिश्रा की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार वेतन समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट सरकार को 24-11-88 को प्रस्तुत कर दी थी। समिति द्वारा की गई सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं तथा 12 जून, 1990 को आदेश जारी कर दिये गए हैं।

(घ) और (ङ) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० के कार्यपालक तथा पर्यवेक्षक औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न तथा सम्बन्धित वेतनमानों पर कार्यरत हैं। त्रिपक्षीय महंगाई भत्ता समिति द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के पश्चात कार्यपालकों तथा पर्यवेक्षकों के संशोधित वेतनमानों को अन्तिम रूप दिया जायेगा। सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न अपना रहे उद्यमों में कार्यरत कार्यपालकों तथा पर्यवेक्षकों के वेतनमान उच्चाधिकार वेतन समिति अथवा चौथे वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमानों से तुलनीय नहीं हैं।

कृष्णा और गोदावरी नदियों में प्रदूषण

[अनुवाद]

1074. श्री जे० चोक्का राव :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा और गोदावरी नदियां आन्ध्र प्रदेश तक पहुंचते-पहुंचते भारी प्रदूषित हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन नदियों के जल की सफाई की किन्हीं योजनाओं पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य के लिए अब तक कितनी धनराशि मंजूर की गई है, कितनी खर्च की गई है तथा भविष्य में कितनी राशि का आवंटन किया जायेगा ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, नहीं। कृष्णा और गोदावरी नदियां आन्ध्र प्रदेश में प्रवेश करने पर भारी प्रदूषित नहीं होती हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी अधिकारियों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के घरों पर केन्द्रीय गुप्तचर ब्यूरो द्वारा छापे

1073. **श्री यादवेन्द्र दत्त :**

श्री ई० एस० एम० पाकीर मोहम्मद :

श्री डी० एम० पुत्ते गोडा :

श्री पी० एम० सईद :

श्री बालेश्वर यादव :

श्री राम संजीवन :

श्री दलपत सिंह परस्ते :

श्री ए० विजय राघवन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 जून, 1990 के इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार के अनुसार देशभर में सरकारी अधिकारियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उच्च अधिकारियों के परिसरों पर केन्द्रीय गुप्तचर ब्यूरो द्वारा छापे मारे गए हैं;

(ख) यदि हा, तो किन-किन अधिकारियों के परिसरों पर छापे मारे गये हैं और उनसे कितनी अवैध सम्पत्ति बरामद हुई है; और

(ग) सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं ?

प्रधानमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जिन अधिकारियों के घरों/कार्यालयों की तलाशी ली गई थी उनके विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-वार ब्यौरे वितरण के रूप में संलग्न हैं ।

तलाशी के दौरान निम्नलिखित चल अचल परिसम्पत्तियों का पता चला :—

(I) चल परिसम्पत्तियां	:	92.38 लाख रुपए
(II) अचल परिसम्पत्तियां	:	51.47 लाख रुपए

इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं।

(ग) संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध मामले दर्ज कर लिए गए हैं।

विवरण

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जिन अधिकारियों के परिसरों की तलाशी ली गई थी उनके विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमवार ब्यौरे

क्रम सं०	मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	अधिकारियों की की संख्या
1.	भारतीय स्टेट बैंक	1
2.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	1
3.	भारतीय पर्यटन विकास निगम	1
4.	हिन्दुस्तान इनसैक्टिसाइड्स लि०	2
5.	इण्डियन बैंक	2
6.	भण्डार नियंत्रक/दूर संचार विभाग	2
7.	ईस्टर्न कोल फील्ड लि०	2
8.	देना बैंक	
9.	यूनाईटिड बैंक आफ इण्डिया	1
10.	दक्षिण पूर्व रेलवे	2
11.	प्रवर्तन निदेशालय	3
13.	सीमा-शुल्क विभाग	1
13.	राष्ट्रीय रसायन तथा उर्वरक	7
14.	भारत पैट्रो-कैमिकल्स लि०	7
	कुल	31

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-53 में सिलचर—बदरपुर सेक्टर सड़क

1076. श्री सन्तोष मोहन देव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-53 में सिलचर—बदरपुर सेक्टर सड़क का निर्माण-कार्य बहुत पहले शुरू होने के बावजूद, अभी भी पूरा नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-53 के सिलचर— बदरपुर सेक्टर के लिए मूल रूप से मंजूर जिन कार्यों को दिसंबर, 1981 में राज्य के लोक निर्माण विभाग से ले लिया गया था, उन सभी निर्माणकार्यों को पूरा कर दिया गया है। लेकिन लम्बे समय तक चलने वाले मरम्मत आदि के कार्य चल रहे हैं।

सिलचर बाइपास मार्ग हेतु प्रस्ताव

1077. **श्री सन्तोष मोहन देव :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 54 का सिलचर बाइपास मार्ग से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सर्वेक्षण कार्य पूरा करा लिया गया है और परियोजना के अनुमानित व्यय की रूप रेखा तैयार की जा रही है।

वनरोपण कार्यक्रम में कीटनाशकों का प्रयोग

1078. **श्रीमती सुमाविनी अली :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनरोपण में कीटनाशकों के प्रयोग की एक सूची ब्रिटेन मॉडल के आधार पर तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए क्या सुधारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख) भारत सरकार ने यू०के० मॉडल के आधार पर वानिकी में प्रयोग के लिए कीटनाशकों की सूची तैयार नहीं की है। लेकिन, वन नर्सरियों और बागानों में नाशी कीटों और बीमारियों के नियंत्रण के लिए सामान्यत: प्रयुक्त कीटनाशकों की एक सूची वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून द्वारा तैयार की गयी है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वानिकी में सामान्यत: प्रयुक्त कीटनाशी

क्र० सं०	कीटनाशी का नाम
1	2
1.	आलड्रिन 30 ई०सी०
2.	आलड्रिन 10% धूलकण

1	2
3.	लिन्डेन 20 ई०सी०
4.	एंडोसल्फेन 35 ई० सी०
5.	थिमेट
6.	डीमाक्रान
7.	मोनोक्रोटोफोस
8.	रोगर
9.	मैलाथिओन
10.	फेनीट्रोथिडान
11.	क्लोरपिरिफोस
12.	डिक्लोरवस
13.	फेंथरोन
14.	एन्थू
15.	जोलोन
16.	कार्बोफयूरोन
17.	कार्बाराइल
18.	टेमिक
19.	सेविडॉल
20.	डिफलूबैंसीनान
21.	साइपरमेथरीन
22.	परमीथरीन
23.	फेनवालीरेट
24.	कार्बन डाइसल्फाइड
25.	एलुमीनियम फोसफाइड
26.	इथिलीन डाइब्रोमाइड
27.	मिथाइल ब्रोमाइड

1	2
28.	पैराडिक्लोरो बैंजीन
29.	इथाइल एसीटेट
30.	क्रेओसोट (शुद्ध बीचवुड)

न्यायमूर्ति जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट पर निर्णय

1079. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले न्यायमूर्ति जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट पर कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) न्यायमूर्ति जसवंत सिंह को जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत एक आयोग के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था। उन्हें कुछेक संसद सदस्यों तथा हरियाणा विधान सभा के सदस्यों द्वारा 4 जुलाई, 1985 को तत्कालीन प्रधान मन्त्री को प्रस्तुत ज्ञापन में निहित हरियाणा के तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री भजन लाल तथा उनके नजदीकी संबंधियों के विरुद्ध लगाए गए कतिपय भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले की प्रारंभिक जांच करने के लिए केवल एक विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। अपनी रिपोर्ट में न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि श्री भजन लाल तथा उनके नजदीकी संबंधियों के खिलाफ कोई प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं था। न्यायमूर्ति जसवंत सिंह की रिपोर्ट को मद्दे नजर रखते हुए, मामले पर आगे कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं थी ।

बंजर/बेकार भूमि को उपजाऊ बनाना

[हिन्दी]

1080. **श्री मित्र सेन यादव :**

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिहीन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को आवंटित की जाने वाली बंजर/बेकार भूमि को उपजाऊ बनाने के प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है और उनके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों को दी जा रही पाइराइट/जिप्सम भूमि विकास रियायत को अब बन्द कर दिया गया है और इसकी सप्लाई कम कर दी

गई है तथा पाइराइट के मूल्य प्रति बोरी 36 रुपये निर्धारित कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप पट्टाधारी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भूमि सुधार कार्यक्रमों का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख) भूमि के आवंटन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। पर्यावरण और वन मंत्रालय के परती भूमि विकास कार्यक्रम में भूमि का आवंटन किया जाना शामिल नहीं है।

(ग) और (घ) कृषि मंत्रालय, हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में क्षारीय भूमि के सुधार के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत लघु और सीमांत किसानों के लिए पाइराइट और जिप्सम हेतु रियायत को जारी रखा जा रहा है।

कृषि मंत्रालय, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में चावल विकास हेतु एकीकृत कार्यक्रम की एक केन्द्रीय पायोजित परियोजना का भी कार्यान्वयन कर रहा है। परियोजना के अन्तर्गत संशोधनों के लिए इस वर्ष से रियायत दी जानी बंद कर दी गई है और केवल चावल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण घटकों को ही रहने दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में, मूल लागत तथा भाड़ा शुल्क में वृद्धि के कारण पाइराइट की कीमत बढ़ाकर 36 रुपए प्रति बोरी कर दी गई है।

शिक्षा के विकास के लिए राजस्थान को सहायता

1081. **श्री गुलाबचन्द कटारिया :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शिक्षा के विकास के लिए राजस्थान को कुछ और धनराशि आवंटित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) राजस्थान राज्य के लिए वार्षिक योजना-90-91 के लिए शिक्षा क्षेत्र का अनुमोदित परिव्यय 8477 लाख रु० है। आठवीं योजना के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय परिवहन नीति का कार्यान्वयन

[अनुवाद]

1082. **डा० असीम बाल :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का, वर्ष 1980 में श्री बी०डी० पाण्डे की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय

परिवहन नीति समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेश गोवर्धन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। "राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही योजना" मई 1982 में तैयार की गई थी। उक्त दस्तावेज की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में 19.7.1982 को रखी गयी थीं। सिफारिशों का कार्यान्वयन, संसाधन उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, कई मंत्रालयों/राज्य सरकारों द्वारा किया जाना था।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में पिछड़े क्षेत्र

1083. श्री टी० बशीर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में पिछड़े क्षेत्र की सूची में और लोगों के नाम जोड़ने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेश गोवर्धन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले

1085. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले के मामले में संसद सदस्यों की सिफारिशों को इस वर्ष से नहीं माना जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालयों में चालू शैक्षिक वर्ष के दौरान विशेष रियायत के माध्यम से किए जाने वाले दाखिलों के प्रावधान का प्रयोग नहीं किया गया है क्योंकि वर्ष 1989-90 के दौरान विशेष रियायत के अन्तर्गत बहुत बड़ी संख्या (5000 से अधिक) में किये गये दाखिलों के कारण कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं।

चालू शैक्षिक सत्र के दौरान, विशेष रियायत का प्रयोग बहुत ही कम संख्या में योग्य मामलों में किया जा सका।

बोफोर्स तोप सौदे की जांच

[हिन्दी]

1086. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :**

श्री ए० के० राय :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोफोर्स तोप सौदे में जांच की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) जांच कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) बोफोर्स तोप सौदे की जांच का कार्य पूरी तत्परता से किया जा रहा है। इस जांच कार्य में अनेक गवाहों से पूछ-ताछ की जानी है और जांच कार्य कई देशों में चल रहा है। इसलिए इस समय यह बताना संभव नहीं है कि यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा।

एच० डी० डब्ल्यू० पनडुब्बी सौदे की जांच

1087. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :**

प्रो० यदुनाथ पाण्डेय :

श्री कल्पनाथ राय :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एच० डी० डब्ल्यू० पनडुब्बी सौदे की जांच में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस संबंध में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसकी जांच कब तक पूरी होने की संभावना है और इस संबंध में सरकार को क्या कठिनाइयां हो रही हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच चल रही है। उन्होंने इस मामले में कई अपराधियों/गवाहों से पहले ही पूछ-ताछ कर ली है और वे रक्षा मंत्रालय/नौसेना मुख्यालय/वित्त मन्त्रालय आदि के कई दस्तावेजों/मिसलों की भी जाँच कर रहे हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में कुछ बाहरी देशों और उनके न्यायालयों की सहायता/सहयोग भी मांगा है। उन्होंने बताया है कि विभिन्न स्थानों में रह रहे अपराधियों और गवाहों की अधिक संख्या को देखते हुए जिनकी कि जांच की जानी है और उन अनेक/विस्तृत दस्तावेजों को देखते हुए, जिनकी छानबीन की जानी है, जांच कार्य में समय लगेगा। जांच कार्य प्रगति, काफी हद तक बाहरी देशों अथवा उनके न्यायालयों से मिलने वाली सहायता/सहयोग पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह बताना

संभव नहीं है कि जांच कार्य के कब तक पूरे होने की संभावना है।

एंटार्कटिका में सब्जियों की पैदावार

[अनुवाद]

1088. श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :

श्री वी० कृष्ण राव .

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने "मैत्री" स्थित अपने अनुसंधान केन्द्र में नियंत्रित तापमान और परिस्थितियों में फूलगोभी, मिर्च, टमाटर, खीरा आदि हरी सब्जियां उगाने मे सफलता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रयोगों से देश के किसानों को क्या लाभ होगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) भारतीय वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिक में भारतीय केन्द्र मैत्री में नियंत्रित और पर्यावरण की व्यवस्था करने के लिए एक पादप-गृह का निर्माण किया है। कई सब्जियों और फूलों के पादपों के, जिनकी अंटार्कटिक में जीवित रहने की सम्भावना है, पैदावार आचरण का अध्ययन करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। पहले प्रयोग में इस पादप-गृह में खीरा और धनियां उगाया गया है। यह प्रयोग एक आरम्भिक वैज्ञानिक अध्ययन है। अभी यह बताना कठिन है कि इसके परिणामों से देश के किसानों को कैसे मदद मिलेगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में प्रवेश

1089. श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :

श्री फूल चन्द वर्मा :

श्री वी० कृष्ण राव :

श्री हेत राम :

श्री नाथू सिंह :

श्री श्रीकांतदत्त नरसिंह राज वाडियर :

श्री गंगा चरण लोधी :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

श्री नंद लाल मीणा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू शिक्षा सत्र के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने हेतु कुल कितने छात्रों ने आवेदन किया;

(ख) उनमें से कितने छात्रों को प्रवेश मिले और उनमें कितने छात्र अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हैं;

(ग) कितने छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार और अधिक छात्रों को प्रवेश देने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में स्थानों की संख्या बढ़ाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योग्य छात्रों को प्रवेश देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(च) क्या प्रवेश के लिये बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु सरकार का दिल्ली में और अधिक कालेज खोलने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (छ) दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार, वे सभी छात्र जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा (कक्षा XII) या इसकी समकक्ष परीक्षा 40% अथवा इससे अधिक अंकों सहित उत्तीर्ण कर चुके हैं, कॉलेजों के अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के पात्र हैं, बशर्ते कि उनकी न्यूनतम आयु 17 वर्ष हो।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि 57613 छात्र, जो दिल्ली से सीनियर सैकण्ड्री या इसके समकक्ष परीक्षा (कक्षा XII) 40% या इससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण कर चुके हैं, विभिन्न अवर स्नातक कालेजों में प्रवेश के पात्र हैं। इसके विपरीत, विश्वविद्यालय की अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भर्ती क्षमता 5९,386 है। इनमें से 29,076 स्थान कालेजों में और 3510 स्थान गैर-कालेज महिला शिक्षा बोर्ड में तथा 22,800 स्थान पत्राचार पाठ्यक्रम और सतत शिक्षा स्कूलों में उपलब्ध हैं। यह भी निर्णय लिया गया है कि जहां कहीं आवश्यक हो, प्रत्येक कालेज में संस्वीकृत संख्या से 20 प्रतिशत अधिक छात्र दाखिल किये जाएं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1990-91 के शैक्षिक सत्र से दिल्ली के कालेजों में अनेक नए पाठ्यक्रमों को शुरू करने से संबंधित दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। इन पाठ्यक्रमों में कुल भर्ती की क्षमता लगभग 875 छात्र होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि प्रवेश की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दो नए कालेज, पहला 300 स्थानों वाला पश्चिम दिल्ली के कमंपुरा क्षेत्र में और दूसरा 180 स्थानों वाला पूर्वी दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र में, दिल्ली प्रशासन द्वारा वर्तमान शिक्षा सत्र में प्रारम्भ किए जाने हैं।

चूंकि अनेक छात्रों ने एक साथ एक से अधिक पाठ्यक्रम और एक से अधिक कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन किया है और प्रवेश की प्रक्रिया अभी तक जारी है, इसलिए उन छात्रों की संख्या, जिन्होंने प्रवेश के लिए आवेदन किया है और उन छात्रों की संख्या जो प्रवेश पाने में असमर्थ रहे हैं, स्पष्ट रूप से नहीं बताई जा सकती। तथापि, विश्वविद्यालय ने संकेत दिया है कि वह सभी योग्य उम्मीदवारों को व्यावहारिक रूप से प्रवेश देने की स्थिति में होगी।

दाखिल किये गये अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति के छात्रों की संख्या के संबंध में स्थिति का पता लगाया जा रहा है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

कोएल-कारो परियोजना, बिहार

1090. **श्री कड़िया मुण्डा :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार की कोएल-कारो परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख) प्रौद्योगिकी-आर्थिक दृष्टिकोण से परियोजना की जांच कर ली गयी है। संशोधित लागत अनुमानों के सम्बन्ध में निवेश के लिए निर्णय अभी लिया जाना है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जनजातियों संबंधी नीति

1091. **श्री कड़िया मुण्डा :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार बिहार में, विशेषकर बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं को दूर करने के लिए कोई विशेष कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या उक्त प्रस्तावित उपाय तथा उन्हें कारगर ढंग से कार्यान्वित करने हेतु अपनाई जाने वाली नीति आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की जाएगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोबर्धन) : (क) से (ग) छोटा नागपुर में, जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशि के साथ-साथ, दक्षिणी छोटानागपुर विकास प्राधिकरण तथा उत्तरी छोटानागपुर विकास प्राधिकरण, जिनके मुख्यालय क्रमश: रांची तथा हजारीबाग में है, नामक दो स्वायत्त विकास प्राधिकरणों को कुछ विशेष आवंटन भी किया जाता है। इन दोनों प्राधिकरणों की अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। वे जनजातीय उपयोजना को मिली धनराशियों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, चालू वर्ष के बजट में इन दो प्राधिकरणों द्वारा उपयोग में लाने के लिए 264.00 लाख रुपये का योजना प्रावधान है।

देश में चल रहे सभी विकास कार्यकलापों द्वारा भी जनजातीय व्यक्ति लाभ प्राप्त कर रहे हैं। चूंकि इन उपायों में से जनजातीय लोगों को मिलने वाले लाभ का परिमाण बताना मुश्किल है अत: 5वीं योजना अवधि के लिए जनजातीय उप योजना की कार्यनीति तैयार करके कार्यान्वित की गई थी जिसके अंतर्गत विकास कार्यकलापों में लगे राज्य सरकारों के सभी विभागों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे कमोबेश कुल जनसंख्या में जनजातीय संख्या के समानुपाती राशि के हिस्से को उपयुक्त बजटीय

तंत्र सहित जनजातीय जनसंख्या के लाभ के लिए निर्धारित करें। इसे राज्य योजनाओं से जनजातीय उप योजना में अंतरण के रूप में जाना जाता है। यह व्यवस्था तब से जारी है। इसके अलावा, कुछ केन्द्रीय क्षेत्रक योजना स्कीमें हैं जिनकी लागत राज्य सरकारों तथा भारत सरकार द्वारा मिल कर वहन की जाती है अथवा पूरी भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है। चूंकि यह महसूस किया गया है कि ऐसा करना पर्याप्त नहीं है तथा अत्यधिक अन्तर को पाटने के लिए राज्य सरकारों को केवल अनुसूचित जनजातियों के लिए उपयोग में लाने हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता भी उपलब्ध करायी जाती है। आठवीं योजना में, यह मूल व्यवस्था रखने का प्रस्ताव है।

पनबिजली/सिंचाई परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति

1092. **प्रो० पी०जे० कुरियन :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की कौन-कौन सी पनबिजली/सिंचाई परियोजनाएं पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) इन्हें स्वीकृति न दिये जाने के क्या कारण है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिये जाने की सम्भावना है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) से (ग) केरल की कोई सिंचाई अथवा पन बिजली परियोजना पर्यावरणीय दृष्टि से मंजूरी के लिए लंबित नहीं हैं।

भारतीय समुद्री क्षेत्र में पाकिस्तानी नौ-सैनिकों की संख्या में वृद्धि

1093. **प्रो० पी० जे० कुरियन :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय समुद्री क्षेत्र में पाकिस्तानी नौ-सैनिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तानी नौ-सेना के जहाज हाल ही में श्रीलंका के तट के पास देखे गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) इस क्षेत्र में भारत के सामरिक हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे यह पता चले कि पाकिस्तान नौसेना ने हिन्द महासागर में अपनी संख्या बढ़ा दी है।

(ग) और (घ) पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेन्सी (भारतीय तट रक्षक संगठन की तरह का संगठन) द्वारा चीन से प्राप्त दो 400 टन गश्ती नौकाएं चीन से कराची तक की अपनी प्रथम समुद्र यात्रा के दौरान 8 से 11 जुलाई, 1990 तक कोलम्बो से होते हुए गयी थी। हाल ही में श्रीलंका के

समुद्री तट के आसपास पाकिस्तानी नौसेना का कोई पोत दिखाई नहीं दिया है।

(ङ) इस क्षेत्र में हमारी सामरिक हित को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों पर भारत सरकार बराबर नजर रखती है और अपने हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त उपाय करती है।

प्रदूषण नियंत्रण के बारे में नीति पत्र

1094. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का समूचे देश में प्रदूषण नियंत्रण पर एक नीति पत्र प्रस्तुत करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नीति पत्र की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक प्रस्तुत तथा देश भर में कार्यान्वित किया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, हां।

(ख) नीति विवरण के मसौदे की मुख्य विशेषताओं में विकास आयोजना में पर्यावरणीय और आर्थिक पहलुओं का एकीकरण करना; प्रदूषण उपशमन में निवारक पहलुओं पर जोर देना; औद्योगिकी प्रदूषकों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी निवेशों को बढ़ावा देना और स्वच्छ पर्यावरण बनाने के लिए जन-सहयोग पर निर्भर करना आते हैं।

(ग) नीति विवरण को 1990 में जारी किए जाने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय वन्य प्राणि उद्यान, दिल्ली

1095. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली के चिड़ियाघर में जानवरों की समुचित देखभाल और स्वच्छता का अभाव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारी कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय प्राणि उद्यान, दिल्ली में भोजन, जल, स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ वातावरण और पशु-चिकित्सा सम्बन्धी अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं। 1989 तक पशुओं को अस्वच्छ पानी दिया जाता था। जनवरी, 1990 से, विभिन्न किस्म के पशुओं के बाड़ों में उनके लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था की जा रही है। बन्दरों, पक्षियों और दरियाई घोड़ों के रहने की बेहतर परिस्थितियां प्रदान करने के लिए उनके बाड़ों में सुधार किया गया है।

प्रदूषण स्तर कम करने में औद्योगिक क्षेत्र की असफलता

1096. **श्री जनवारी लाल पुरोहित :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औद्योगिक क्षेत्र द्वारा स्वयं उत्सर्जित और बहिस्रावों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण स्तर को प्रभावी ढंग से कम करने में सफल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का इस सम्बन्ध में कोई कठोर कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) देश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण को धीरे-धीरे नियंत्रित किया जा रहा है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सम्पूर्ण देश में एक कार्य योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसमें कुछ अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों, नदियों के प्रदूषित भागों और अत्यधिक प्रदूषित उद्योगों की प्रदूषण नियंत्रण के लिए शिनाख्त की गई है।

पर्यावरण और प्रदूषण जन जागृति एक सर्वेक्षण

1097. **प्रो० राम गणेश कापसे :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को के० वी० पेंढ़रकर कालेज, डोम्बीवली, जिला थाणे (महाराष्ट्र) के कर्मचारियों और छात्रों द्वारा कराये गये सर्वेक्षण की रिपोर्ट "पर्यावरण और प्रदूषण: जन जागृति—एक सर्वेक्षण" नाम से प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सर्वेक्षण रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर कोई कार्यवाही की गई थी ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

क्लोरो फ्लोरो कार्बन (सी० एफ० सी०) के विकल्पों को अपनाना

1098. **श्री एस० सी० श्री कान्तय्या :**

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री सुधीर गिरि :

श्री हरीश पाल :

डा० बंगाली सिंह :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल ही में ओजोन की परत को नष्ट होने से बचाने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में लन्दन मे आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) क्या विकसित देशों ने भारत को अपने उद्योगों के लिए क्लोरो फ्लोरो कार्बन (सी० एफ० सी०) के विकल्प अपनाने में सहायता देने हेतु सहमति व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो क्या औद्योगिकीकृत देश, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आदि के नियंत्रण में 240 मिलियन डालर का एक कोष स्थापित करने पर सहमत हो गये हैं;

(घ) यदि हां, तो भारत को प्रथम तीन वर्षों में कितनी धनराशि मिलेगी;

(ङ) क्लोरो फ्लोरो कार्बन (सी० एफ० सी०) के विकल्पों का पता लगाने हेतु उक्त राशि का उपयोग करने के लिए क्या लक्ष्य उठाने का विचार है;

(च) क्या देश में क्लोरो फ्लोरो कार्बन सी० एफ० सी० का निर्माण करने के लिए नए एककों को अभी भी लाइसेंस दिए जा रहे हैं; यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है; और

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान क्लोरो फ्लोरो कार्बन का वार्षिक उत्पादन क्या रहा ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) मांट्रियल प्रोतोकाल के पक्षकार देश ओजोन परत की सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने के बारे में विकासशील देशों की सहायता के लिए वित्तीय तंत्र स्थापित करने पर सहमत हो गए हैं। वे 1-1-1991 से 31-12-1993 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए 160 मिलियन अमरीकी डालर की अंतरिम निधि स्थापित करने के लिए भी सहमत हो गए हैं और यदि कुछ और विकासशील देश इस प्रोतोकाल में शामिल हो जाते हैं तो इस धनराशि को 80 मिलियन अमरीकी डालर और बढ़ाया जा सकता है। प्रस्तावित निधि में से भारत अथवा किसी अन्य देश के लिए विशेष रूप से कोई राशि निर्धारित करने का कोई वायदा नहीं किया गया। भारत इस प्रोतोकाल का पक्षकार नहीं है। भारत जब इस प्रोतोकाल में शामिल हो जायेगा, तो आवश्यकतानुसार वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करेगा।

(च) मांट्रियल प्रोतोकाल के अन्तर्गत, विकासशील देशों से 1999 से नियंत्रित पदार्थों की अपनी खपत को नियंत्रित करने की अपेक्षा की जाती है और उनके प्रति व्यक्ति 0.3 किलोग्राम तक अपनी खपत बढ़ाने अथवा नियंत्रित पदार्थों के विनिर्माण के लिए नये एकक स्थापित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इन पदार्थों के अधिकांश अनुप्रयोगों के लिए नियंत्रित पदार्थों की वैकल्पिक प्रौद्योगिकियां अथवा पदार्थ अभी उपलब्ध नहीं है। भारत में इन पदार्थों की मौजूदा खपत ·005 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है और इनकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है।

भारत इस समय इनमें से कुछ पदार्थों की आवश्यकता आयात के जरिये पूरी करता है। यदि भारत मांट्रियल प्रोतोकाल में शामिल हो जाता है तो प्रोतोकाल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इनमें से कुछ पदार्थों के लिए आवश्यकता पड़ने पर नये एककों को लाइसेंस दिया जायेगा।

(छ) क्लोरोफ्लुरोकार्बन्स का वार्षिक अनुमानित उत्पादन 1987 में 2718 मीट्रिक टन, 1988 में 3401 मीट्रिक टन तथा 1989 में 4681 मीट्रिक टन था।

नगरहोले वन्य प्राणि अभयारण्य में बाघों की मृत्यु

1099. श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगरहोले वन्य प्राणि अभयारण्य, कर्नाटक और सम्पूर्ण देश में बाघों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या कर्नाटक में नगरहोले वन्य प्राणि अभयारण्य में अनेक बाघों की मृत्यु के बारे में हाल ही में सूचना दी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या अत्यधिक संख्या में इन बाघों के मरने का कारण "रेडियो कालरिंग आप्रेशन" के दौरान अधिक औषधों का इस्तेमाल करना है;

(घ) क्या सरकार ने इस बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में नगरहोले वन्य प्राणि अभयारण्य में बाघों पर अनुसंधान कार्य बन्द करने का है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राजुल राय) : (क) 1989 में की गई गणना के अनुसार, बाघों की संख्या इस प्रकार हैं :—

1.	नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक	35
2.	सम्पूर्ण भारत	4334

(ख) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

डोनियर-228 विमानों का निर्माण

1100. श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अब तक 15 सीट वाले कुल कितने डोनियर विमानों का निर्माण किया है;

(ख) ये विमान किसे सप्लाई किये गये हैं;

(ग) क्या इस बारे में हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड से सम्भावित खरीददारों अर्थात् निजी उद्यमियों ने कुछ पूछताछ की है;

(घ) यदि हां, तो क्या और अधिक डोनियर- 28 विमानों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान कितने विमानों का निर्माण किये जाने का विचार किया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अब तक 15 सीटों वाले दस डोरनियर विमानों का उत्पादन किया है। इनमें से तट रक्षक संगठन को 8, मैसर्स यूनाईटेड ब्रीवेरीज ग्रुप, बंगलौर को एक और मारिशिस सरकार को एक डोरनियर विमान सप्लाई किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की 1990-91 के दौरान 10 डोरनियर विमानों और 1991-92 के दौरान 12 विमानों का उत्पादन करने की योजना है। लेकिन वास्तविक उत्पादन प्राप्त होने वाले आर्डरों पर निर्भर करेगा।

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी महाराष्ट्र की परियोजनाएं

1101. डा० वेंकटेश काबडे :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास जुडपी जंगल के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी महाराष्ट्र की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार का इन योजनाओं को कब तक निपटाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि रावत राय) : (क) 31-7-90 की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार के पास जुडपी जंगल के आधार पर महाराष्ट्र की कोई परियोजना लम्बित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आयुध फैक्ट्री में कार्यरत डाक्टरों को पदोन्नति के अवसर

1102. श्री फूल चन्द वर्मा :

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध फैक्ट्री में कार्यरत डाक्टरों को, जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित हैं, 5-6 वर्षों की सेवा के बाद भी उच्च वेतनमान में पदोन्नत नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस असामान्यता को समाप्त करने और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सप्लाई की गई विज्ञप्ति/सूचना में लिखित घोषणा का अनुपालन करते हुए डाक्टरों के 5 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने के बाद उच्च वेतनमान में पदोन्नत करने का है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) भर्ती नियमों के अनुसार, सहायक

चिकित्सा अफसर के पदों पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है तथा भारतीय आयुध निर्माणी स्वास्थ्य सेवा के सहायक चिकित्सा अफसर कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् वरिष्ठ चिकित्सा अफसर के ग्रेड में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र हो जाते हैं। उसके पश्चात् विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के लिए उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाता है विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाये गये अनुशंसित अफसरों की पदोन्नति की जाती है।

बाल भवन

[हिन्दी]

1103. **श्री फूल चन्द वर्मा :**

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में बाल भवनों की संख्या का, जिलेवार ब्यौरा है;

(ख) इनमें से कितने बाल भवन केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः/आंशिक रूप से वित्त पोषित किये जाते हैं;

(ग) ऐसे बाल भवनों द्वारा कितने बच्चे लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों में और अधिक बाल भवन खोलने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो ये कहां-कहां खोले जायेंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) बाल भवनों की संख्या तथा स्वायत्तः गठित निकाय तथा भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त-पोषित, बाल भवन सोसाइटी, भारत, नई दिल्ली से सम्बद्ध के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना राज्य, जिला, संघ शासित क्षेत्र-वार संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) केवल बाल भवन सोसाइटी भारत, नई दिल्ली, केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। तथापि, दिल्ली और श्रीनगर के एक-एक बाल भवन का व्यय उक्त सोसाइटी द्वारा वहन किया जाता है। सोसाइटी 73 बाल केन्द्रों को निम्नलिखित प्रकार की वित्तीय सहायता भी संस्वीकृत करती है :

(1) एक स्कूल प्रणाली में बाल केन्द्र खोलने के लिए एक बार 5000/-रुपये की वित्तीय सहायता।

(2) बाल भवन कार्य कलापों पर अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता।

(3) पर्यावरण, विज्ञानों आदि पर विशेष परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता।

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान 115101 बच्चों ने बाल भवन सोसायटी, भारत, नई दिल्ली और दिल्ली में इसके बाल केन्द्रों के कार्यकलापों में भाग लिया। अन्य बाल भवनों द्वारा लाभान्वित

बच्चों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी, नहीं। राज्यों में बाल भवनों को खोलने की पहल का कार्य राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	जिलों का नाम	बाल भवनों तथा बाल भवन सोसायटी भारत, नई दिल्ली से सम्बद्धों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	1
		करीम नगर	1
		विशाखापट्नम	1
2.	अरूणाचल प्रदेश	इटानगर	1
3.	असम	डिब्रूगढ़	1
		गोहाटी	2
		नालबाड़ी	1
4.	बिहार	पटना	2
5.	गोवा	पणजी	1
6.	गुजरात	अहमदाबाद	2
		अमरेली	1
		रोजकोट	1
		बड़ोदरा	1
7.	हरियाणा	अम्बाला	1
		भिवानी	1
		गुड़गांव	1
		हिसार	1

1	2	3	4
8.	जम्मू और कश्मीर	बारामुल्ला	1
		जम्मू	1
		लेह	1
		सोपोर	1
		श्रीनगर	1
9.	कर्नाटक	बंगलौर	1
		चिकमंगलूर	1
		मैसूर	1
10.	केरल	एलेप्पी	1
		एसानाकुलम	1
		कोट्टायम	1
		त्रिवेन्द्रम	2
		किलोन	1
11.	मध्य प्रदेश	भोपाल	1
		ग्वालियर	1
		सिद्धी	1
12.	महाराष्ट्र	अकोला	1
		बिन्द्रा	1
		बम्बई	7
		बुलदाना	1
		दिओपुर धूले	1
		पूणे	1
		रत्नागिरि	1
13.	मणिपुर	मणिपुर पश्चिम	1
14.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	1

1	2	3	4
15.	पंजाब	होशियारपुर	1
		जालन्धर	1
		कोटकापुरा	1
16.	राजस्थान	अजमेर	1
17.	तमिलनाडु	मद्रास	2
		मदुरै	1
		पुदुकोट्टाय	1
18.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	1
		हरिद्वार	1
		कानपुर	1
		लखनऊ	2
		मिर्जापुर	2
19.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	1
		हावड़ा	1
20.	चंडीगढ़	—	2
21.	दादरा और नगर हवेली	—	1
22.	दमन	—	1
23.	दिल्ली	—	1
24.	पांडिचेरी	—	1

केरल की चिमोनी बांध परियोजना

[अनुवाद]

1104. **श्री मुक्तापल्ली इल्लमन :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में चिमोनी बांध परियोजना के पर्यावरणीय/पारिस्थितिकी पहलुओं का मौके पर जाकर कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार को क्या सुझाव/निर्देश दिए हैं;

(ग) क्या इस परियोजना के कार्य में केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार के निर्देशों का उल्लंघन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति फरवरी, 1984 में दी गई थी और यह शर्त रखी गई थी कि आवाह में नाजुक रूप से अवक्रमित क्षेत्रों के उद्धार, कमाण्ड के विकास तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण करने के संबंध में विशेष रूप से गठित निगरानी समिति के मार्गदर्शन में कारगर तरीके से कार्यान्वित किया जायेगा।

(ग) और (घ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबन्धों को लागू करने के बारे में राज्य सरकार और संघ सरकार के बीच मतभेद होने के कारण इस परियोजना को वानिकी की दृष्टि से स्वीकृति देना सम्भव नहीं हो सका है।

नवोदय विद्यालय योजना

1105. श्री यादवेन्द्र दत्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नये नवोदय विद्यालय खोलने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान नवोदय विद्यालय चलते रहेंगे; और

(घ) क्या इन विद्यालयों पर होने वाले व्यय के लिए धन की व्यवस्था करने का कोई नया तरीका खोजा गया है, जिससे सरकारी कोष से धन न निकालना पड़े ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (घ) आचार्य राम मूर्ति की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति, नवोदय, विद्यालय समिति की योजना का भी पुनरीक्षण कर रही है। इस समीक्षा के लम्बित पड़े होने तक, इस योजना के लिए वित्तपोषण की नई प्राविधियों का पता लगाने अथवा नया नवोदय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु विद्यमान विद्यालयों को मूल योजनाओं के अनुसार सहायता दी जा रही है।

नवोदय विद्यालयों को वित्तीय सहायता

1106. श्री यादवेन्द्र दत्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार अब तक कितने नवोदय विद्यालय खोले गए हैं;

(ख) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान इन विद्यालयों पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) वर्ष 1989-90 के अन्त में इन विद्यालयों में कितने छात्रों को प्रवेश मिला;

(घ) सरकार द्वारा प्रति वर्ष प्रति छात्र पर औसतन कितना धन व्यय किया जाता है;

(ङ) क्या इन विद्यालयों में भर्ती छात्रों को शिक्षण शुल्क, भोजन/आवास शुल्क अथवा कोई अन्य आवर्ती अथवा अनावर्ती शुल्क के रूप में कोई भुगतान करना पड़ता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) देश भर में राज्यवार खोले गए नवोदय विद्यालयों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) इन विद्यालयों पर वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान किया गया खर्च निम्नलिखित है :—

वर्ष	पूंजीगत व्यय	आवर्ती और अनावर्ती व्यय (लाख रुपयों में)
1988-89	4571.94	2969.57
1989-90	4908.58	4003.40

(ग) इन विद्यालयों में वर्ष 1989-90 के दौरान छात्रों का दाखिला 48940 है।

(घ) वर्ष 1989-90 के लिए प्रतिवर्ष प्रति छात्र सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला औसतन व्यय 8180.00 रुपये था।

(ङ) और (च) नवोदय विद्यालयों में आवास और भोजन तथा वर्दी, पाठ्य-पुस्तकों, लेखन-सामग्री आदि के खर्च सहित सभी छात्रों के लिए शिक्षा निःशुल्क है।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	नवोदय विद्यालयों की संख्या
1	2	3
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2
2.	आंध्र प्रदेश	20
3.	अरुणाचल प्रदेश	5
4.	बिहार	24
5.	चण्डीगढ़	1

1	2	3
6.	दमन और द्वीव	2
7.	दिल्ली	1
8.	दादर और नगर हवेली	1
9.	गुजरात	7
10.	गोवा	2
11.	हरियाणा	9
12.	हिमाचल प्रदेश	8
13.	जम्मू और काश्मीर	14
14.	कर्नाटक	18
15.	केरल	10
16.	लक्षद्वीप	1
17.	मध्य प्रदेश	28
18.	महाराष्ट्र	19
19.	मणिपुर	7
20.	मिजोरम	2
21.	मेघालय	3
22.	नागालैंड	1
23.	उड़ीसा	12
24.	पांडिचेरी	4
25.	पंजाब	8
26.	राजस्थान	20
27.	सिक्किम	1
28.	त्रिपुरा	1
29.	उत्तर प्रदेश	30
		261

भारत-पाक सीमा पर पाकिस्तान की सेना का जमाव

1107. श्री यादवेन्द्र दत्त :

श्री प्रतापराव बी० भोसले :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान की सेना का हमारी सीमाओं पर अग्रिम मोर्चे पर निरन्तर जमाव बढ़ता जा रहा है;

(ख) क्या सीमावर्ती क्षेत्र के समीप अग्रवर्ती हवाई अड्डों पर परमाणु हथियारों से और प्रक्षेपास्त्रों से युक्त लड़ाकू विमान भी मौजूद हैं;

(ग) क्या पाकिस्तानी रेंजरों की वर्दी में पाकिस्तानी सैनिक सीमावर्ती अनेक निगरानी चौकियों पर मौजूद हैं और सीमा पर रात-दिन गश्त लगा रहे हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तानी फारमेशनें और यूनिटें जनवरी, 1990 से ही सीमा/नियन्त्रण रेखा के साथ पूर्णत: चौकस एवं तैयारी की स्थिति में है।

(ख) सरकार को इस बात की जानकारी भी है कि पाकिस्तानी हवाई अड्डों को संक्रियात्मक बनाया गया है और हवाई रक्षा प्रणालियों पर कार्मिक सतत रूप से तैनात रहते हैं। लेकिन इस बात की कोई सूचना नहीं है कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को परमाणु हथियारों से लैस किया गया है।

(ग) सरकार ने इस संबंध में रिपोर्टें देखी हैं।

(घ) हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों पर सरकार बराबर नजर रखती है और पूर्ण रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए सही समय पर कारगर उपाय करती है।

कालेजों में पुन: तैयार किए गए पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय दायित्व

1108. डा० सुधीर राय :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेजों में पुन: तैयार किए गए पाठ्यक्रमों को शुरू करने का पूर्ण वित्तीय दायित्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लिया है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय सहायता प्राप्त करने के ऐसे पात्र कालेजों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन पुन: तैयार किए गए पाठ्यक्रमों के लिए कालेजों को उनकी देय राशि का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) पाठ्यक्रमों के पुनर्संरचना की योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य प्रथम डिग्री कार्यक्रम को अनुप्रयोग उन्मुख बनाना है। इस योजना के अन्तर्गत एक कालेज को पांच वर्ष की अवधि

के लिए 1.00 लाख रुपये प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। उसके बाद कालेज द्वारा अपने ही संसाधनों से व्यय वहन किया जाता है।

(ख) और (ग) वे सभी कालेज, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता के पात्र हैं, इस योजना में भाग ले सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 208 कालेजों को 7वीं योजना के दौरान इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान की गई थी और अनुदान उपयुक्त किश्तों में जारी किए गए हैं। उन मामलों में, जहां शर्तों की स्वीकृति और उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर प्राप्त नहीं होते, अनुदानों के भुगतान में विलम्ब हो जाता है।

बलियापल नेशनल टैस्ट रेंज परियोजना

1109. **श्री के० एस० राव :**

श्री लोकनाथ चौधरी :

श्री गोपीनाथ गजपति :

श्री चित्त बसु :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में बलियापल में नेशनल टेस्ट रेंज की स्थापना के बारे में अब तक कोई अंतिम निर्णय लिया है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले पर जनता के विरोधी विचारों तथा "इंडियन काउंसिल फार इन्वायरनों-लीगल एक्शन" के विचारों पर गौर किया है;

(ग) क्या इस परिषद् ने केन्द्रीय सरकार के निर्णय के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की धमकी दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) बलियापाल स्थित राष्ट्रीय परीक्षण रेंज के बारे में सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) सरकार को इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

राज्य स्तर पर खुले विश्वविद्यालय

1111. **श्री के० एस० राव :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्य स्तर पर चल रहे खुले विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य स्तर पर चल रहे इन खुले विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है;

(ग) क्या राज्य स्तर के सभी खुले विश्वविद्यालयों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन लाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इन विश्वविद्यालयों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन लाने के मुख्य उद्देश्य क्या-क्या हैं;

(ङ) क्या इस मामले में संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर उनकी क्या-क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) राज्य सरकारों द्वारा स्थापित निम्नलिखित मुक्त विश्वविद्यालय इस समय कार्य कर रहे हैं :

(I) आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद

(II) कोटा मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

(III) यशवन्त राव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक।

(ख) आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय और कोटा मुक्त विश्वविद्यालय को सातवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है।

(ग) और (घ) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को देश में मुक्त विश्वविद्यालय और सतत शिक्षा प्रणालियों की प्रोन्नति की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। ऐसी पद्धतियों में समन्वय और स्तरों के निर्धारण की जिम्मेदारी भी इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की है। इस प्रयोजन के लिए, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को अनुदान देने का अधिकार है।

(ङ) और (च) जून, 1987 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में देश में मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली के समन्वित विकास के प्रस्तावों पर संबंधित राज्य सरकारों के शिक्षा सचिवों के साथ चर्चा की गई थी। इन विचार-विमर्शों के आधार पर, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों के वास्ते मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार की। कुल मिलाकर इन मार्गदर्शी रूपरेखाओं का पालन किया जा रहा है। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने मुक्त विश्वविद्यालयों में समन्वय के लिए समन्वय परिषद् भी स्थापित की है, जिसकी सदस्यता में राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल हैं।

भगवान जगन्नाथ मंदिर

1112. **श्री के० एस० राव :**

श्री नकुल नायक :

श्री गोपीनाथ गजपति :

श्री लोकनाथ चौधरी :

श्री शांताराम पोटदुखे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 जून, 1990 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "जगन्नाथ टैम्पल क्रम्बलिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया है तथा मंदिरों को हुई क्षति का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस राष्ट्रीय स्मारक के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर गिरना शुरू हो गया है और मुख्य मंदिर में स्थित मूर्तियां सुरक्षित हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञ तथा भगवान जगन्ननाथ मंदिर, पुरी संबंधी विशेषज्ञ समिति ने जुलाई, 90 में क्षति की जांच की और उसको आंका। यह देखा गया है कि 14.6.90 को मुख्य मंदिर के विमान के आमलक-पत्थर का केवल एक हिस्सा अलग होकर गिर गया। इस क्षति के अलावा, मन्दिर अच्छी हालत में है और मुख्य मंदिर में स्थित मूर्तियों को कोई खतरा नहीं है।

(ङ) इस प्राचीन मंदिर-परिसर के संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) आमलक के क्षतिग्रस्त भाग के संरक्षण के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ii) मुख्य मंदिर की सतह पर बढ़े हुए पलस्तर को हटाना ताकि नक्काशी वाली सतह दिखाई दे सके और यदि कोई दरार हो तो उसका भी पता लगाया जा सके।

(iii) जहां कहीं जरूरी हो, वहां मंदिर की बनावट से जंग लगे लोहे के शिकंजों/मेखों के स्थान पर जंग न लगने वाले शिकंजों/मेखों को लगाना।

(iv) संरचना की दरारों/तरेडों की उपयुक्त सामग्री से पिताई करना।

(v) रासायनिक सफाई और परिरक्षण।

(vi) स्मारक के समुचित रखरखाव और परिरक्षण के लिए पहरा व निगरानी तथा पर्यवेक्षी/तकनीकी स्टाफ की व्यवस्था करना।

जम्मू और श्रीनगर शहरों के विकास हेतु धनराशि

1113. **श्री जनक राज गुप्त :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान योजना आयोग द्वारा प्रमुख क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत

जम्मू और श्रीनगर शहरों के विकास के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी; और

(ख) क्या-क्या विभिन्न विकास संबंधी निर्माण कार्य किए गए और उक्त योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि खर्च की गयी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोबर्धन) : (क) श्रीनगर शहर की कोर क्षेत्र विकास योजना के लिए 1989-90 के लिए योजना आयोग द्वारा 28 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया। इनमें से 23 करोड़ रुपए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता और शेष 5 करोड़ रुपए जम्मू और कश्मीर राज्य की अनुमोदित योजना में समायोजना के माध्यम से दिए गए। जहां तक जम्मू शहर का संबंध है, आठवीं पंचवर्षीय योजना में जम्मू शहर के कोर क्षेत्र विकास के लिये प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) श्रीनगर क्षेत्र के कोर क्षेत्र विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में जो विकासात्मक निर्माण कार्य चलाए गए हैं उनमें सड़कों तथा पुलों का निर्माण, टैक्सी और बस स्टैंडों का विकास, आधारभूत सुविधाएं, कम लागत के सफाई और सामुदायिक शौचालय, गहरी नालियों का निर्माण।

इंजीनियरी पाठ्यक्रम में प्रवेश

1114. **श्री जनक राज गुप्त :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विभिन्न इंजीनियरी कालेजों में चालू वर्ष के दौरान इंजीनियरी पाठ्यक्रम के लिए नामांकित छात्रों के नाम और संख्या क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरी कालेजों में उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्थान आरक्षित करता है जिनमें इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण की सुविधाएं नहीं हैं अथवा जहां विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण संबंधी सुविधाओं का अभाव है। उन संस्थाओं में जहां उनके लिये स्थान आरक्षित होते हैं, इन स्थानों पर उम्मीदवारों का नामांकन सीधे ही सम्बंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा कोई प्रत्यक्ष नामांकन नहीं किया जाता है।

जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान के सशस्त्र बलों की घुसपैठ

1115. **श्री जनक राज गुप्त :**

श्री बालेश्वर यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 5 महीनों के दौरान पाकिस्तान के सशस्त्र बलों के सैनिकों ने जम्मू और कश्मीर सीमा से भारतीय राज्य क्षेत्र में कितनी बार घुसपैठ की;

(ख) कितने जान और माल की हानि हुई; और

(ग) क्या इन घटनाओं को पाकिस्तान सरकार के ध्यान में लाया गया और यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) हमारे सैनिक सतत चौकसी पर हैं और भारतीय भू-भाग में पाकिस्तानी सशस्त्र सैनिकों द्वारा किसी प्रकार की घुसपैठ को रोकने के लिए समुचित कार्रवाई करते हैं। पिछले पांच महीनों के दौरान, जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर हुई गोलीबारी में दोनों तरफ के सैनिक हताहत हुए हैं। बहरहाल, इस संबंध में ब्यौरे प्रकट करना सुरक्षा के हित में नहीं होगा। पिछले कुछ महीनों के दौरान गोलीबारी की किसी भी घटना को पाकिस्तान सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए वन विभाग से स्वीकृति

[हिन्दी]

1116. श्री हरीश रावत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय को उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए गत छः माह के दौरान प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्वीकृति मांगी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सभी प्रस्तावों पर आवश्यक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है; और

(घ) यदि इन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है तो इसके कारण क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिये पिछले छः महीनों के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम, 1990 के तहत मंजूरी के लिए 29 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ख)से (घ) प्राप्त 29 प्रस्तावों में से 25 प्रस्ताव मंजूर कर दिये गये हैं और शेष चार मामलों में राज्य सरकार से पूरी सूचना मांगी गयी है। प्राप्त सभी मामले संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

क्र० सं०	प्रस्ताव	जिला	क्षेत्र हेक्टेयर	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	वन प्रभाग में पानी के टैंक का निर्माण	टिहरी गढ़वाल	0.000972	स्वीकृत
2.	चेयर वाटर सप्लाई स्कीम	पौड़ी गढ़वाल	0.895	स्वीकृत
3.	विन्टोली जल आपूर्ति स्कीम	अल्मोड़ा	0.0214	स्वीकृत
4.	नारायणगढ़-बद्रीनाथ जल आपूर्ति स्कीम	अल्मोड़ा	0.3916	स्वीकृत
5.	सौर लेख जल आपूर्ति स्कीम	अल्मोड़ा	0·2575	स्वीकृत
6.	पौरासी जल आपूर्ति स्कीम	अल्मोड़ा	0.467	स्वीकृत
7.	गद गांव जल आपूर्ति स्कीम	अल्मोड़ा	0.0903	स्वीकृत
8.	सिमालखेत जल आपूर्ति स्कीम	अल्मोड़ा	0.0126	स्वीकृत
9.	सुमती जल आपूर्ति स्कीम	अल्मोड़ा	0.0083	स्वीकृत

1	2	3	4	5
10.	दूसरी जल आपूर्ति स्कीम	अल्मोड़ा	0.0626	स्वीकृत
11.	पुल्ला लिंक मोटर रोड़ का निर्माण	पिथौरागढ़	0.392	स्वीकृत
12.	नन्द कुली नहर का निर्माण	पिथौरागढ़	0.0120	स्वीकृत
13.	जिमीगद लघु विद्युत परियोजना	पिथौरागढ़	0.72	स्वीकृत
14.	कुकुना नहर का निर्माण	पिथौरागढ़	0.0825	स्वीकृत
15.	कोटी ग्रुप आफविलेज जल आपूर्ति स्कीम	गढ़वाल	0.27	स्वीकृत
16.	गौरी-माफी नहर का निर्माण	देहरादून	0.1144	स्वीकृत
17.	तुर्गोत्री जल आपूर्ति स्कीम	पिथौरागढ़	0.332	राज्य सरकार से आवश्यक ब्यौरे मांगे गए हैं।
18.	सोनगांव नहर का निर्माण	अल्मोड़ा	0.772	स्वीकृत
19.	जैतीग्रुप आफ विलेज जल आपूर्ति स्कीम	अल्मोड़ा	0.0368	स्वीकृत
20.	खसयू जल आपूर्ति स्कीम	नैनीताल	0.4092	स्वीकृत
21.	विद्या निकेतन शिक्षा समिति से वन भूमि का अंतरण	टिहरी	0.201	राज्य सरकार से आवश्यक ब्यौरे मांगे गये हैं।

1	2	3	4	5
22.	रायपुर गांव जोगी मोटर मार्ग पर चार पुलियों का निर्माण	देहरादून	0.17	स्वीकृत
23.	डंगरोलिया जल आपूर्ति स्कीम	अल्मोड़ा	0.035	स्वीकृत
24.	डाना जल आपूर्ति स्कीम	अल्मोड़ा	0.14	स्वीकृत
25.	इच्छोली नहर का निर्माण	चमोली	0.096	स्वीकृत
26.	तल्लौर नहर का निर्माण	चमोली	0.24	स्वीकृत
27.	संजरी नहर का निर्माण	चमोली	0.968	स्वीकृत
28.	कर्ण प्रयाग फुट पाथ का निर्माण	चमोली	1.6725	22.3.90 को राज्य सरकार से आवश्यक ब्यौरे मांगे गये हैं।
29.	चमसारी नहर का निर्माण	देहरादून	1.289	23.3.90 को राज्य सरकार से आवश्यक ब्यौरे मांगे गये हैं।

राष्ट्रीय वेदान्त संस्थान

1117. श्री हरीश रावत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राष्ट्रीय वेदान्त संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या संस्थान आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोला जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो किस स्थान पर खोला जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) संस्थान की स्थापना का मामला अभी आरंभिक चरणों में है। इसे 8वीं पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए जाने का विचार नहीं है।

(ग) राजपुर मार्ग, देहरादून (उ० प्र०)

मेरठ छावनी में पेयजल का अभाव

1118. श्री हरीश रावत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेरठ छावनी में पेयजल का अत्यधिक अभाव है;

(ख) यदि हां, तो वहां की सीमित जनसंख्या को पेयजल की कितनी मात्रा उपलब्ध है और कुल कितने पेयजल की आवश्यकता है;

(ग) क्या इस अभाव को दूर करने हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) छावनी के कुछ इलाकों में पीने के पानी की कमी है।

(1) पानी की उपलब्धता	:	लगभग 6 मिलियन लीटर प्रति दिन
(2) आवश्यकता	:	लगभग 11.6 मिलियन लीटर प्रति दिन

(ग) और (घ) जी हां। मेरठ छावनी में पानी की सप्लाई को बढ़ाने के लिए एक योजना मंजूर की गयी है और इस योजना के प्रथम दो चरणों का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। तीसरे चरण में लगभग 1.34 करोड़ रुपये की लागत का कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

"पर्यावरण अदालतें"

1119. श्री हरीश रावत :

श्री एस० कृष्ण कुमार :

श्री सी० के० कुप्पु स्वामी :

श्रीमती बासव राजेश्वरी :

श्रीमती चेन्नुपति विद्या :

श्री एम० रमन्ना राय :

श्री बी० एन० रेड्डी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यावरण अदालतों की स्थापना के प्रस्ताव को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने पर्यावरण संबंधी न्यायालयों की स्थापना के प्रारूप विधेयक को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस विधेयक के कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आठवीं योजना का दृष्टिकोण पत्र

[अनुवाद]

1120. श्री एस० कृष्ण कुमार :

कुमारी उमा भारती :

श्री दौलत राम सारण :

श्री प्रकाश कोको ब्रह्म भट्ट :

श्री उत्तम राठौड़ :

श्री माधव राव सिन्धिया :

श्री ओकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :

प्रो० राजा सिंह रावत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा आठवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र को मंजूरी दे दी गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत योजना के दृष्टिकोण पत्र में मूलभूत परिवर्तन लाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तनों के कारण क्या हैं और इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) आठवीं योजना के दस्तावेज कब तक तैयार हो जाने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेय गोबर्धन) : (क) जी, हां, । आठवीं पंचवर्षीय योजना 1990—95 के लिए दृष्टिकोण का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 18 तथा 19 जून 1990 को हुई अपनी बैठक में किया गया था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) आठवीं योजना दस्तावेज इस वर्ष के अंत तक तैयार हो जाने की संभावना है।

दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद

1121. **श्री आर० एन० राकेश :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के विभिन्न स्कूलों में शिक्षकों के अनेक पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अक्तूबर, 1990 तक उपर्युक्त पदों को भरने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार दिल्ली प्रशासन में विभिन्न स्कूलों में अध्यापकों की भिन्न वर्गों की निम्नलिखित रिक्तियां रिक्त पड़ी हैं :—

(I) प्रधानाचार्य	—43
(II) उप प्रधानाचार्य	—106
(III) स्नातकोत्तर शिक्षक	—285
(IV) प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक	—1105
(V) भाषा शिक्षक	—329
(VI) अध्यापकों के विविध वर्ग	—318

(ग) और (घ) अध्यापकों की रिक्तियां, सेवा निवृत्ति, त्यागपत्र, स्कूलों के द्वि-विभाजन और नये पदों के सृजन आदि से समय-समय पर सतत रूप से उत्पन्न होती रहती हैं। अतः रिक्तियों का सृजन और भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए कोई विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं की जाती। दिल्ली प्रशासन ने सीधी भर्ती से भरे जाने वाले खाली पदों को भरने के लिये पहले से ही एक विज्ञापन जारी कर दिया है।

दिल्ली के कालेजों में सभागार

1122. **श्री आर० एन० राकेश :**

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसे कितने कालेज हैं जिनके अपने सभागार नहीं हैं;

(ख) इन कालेजों में सभागार बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं; और

(ग) दिल्ली में सभी कालेजों के अपने-अपने सभागार कब तक बना दिये जाएंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली कैम्पसों की स्थापना

1124. **श्री आर० एन० राकेश :**

श्री माणिक राव होडल्या गावीत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवेक विहार और पीतमपुरा में दिल्ली विश्वविद्यालय के क्रमशः पूर्वी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली के कैम्पसों की स्थापना करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कैम्पसों के लिये किन्हीं स्थानों का चयन किया गया है;

(घ) इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) इन कैम्पसों की स्थापना कब तक की जायेगी ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय ने शाहदरा में अपना पूर्वी परिसर स्थापित करने और इसे चिकित्सा तथा जीव-विज्ञान केन्द्र के रूप में विकसित करने का निर्णय किया है। विश्वविद्यालय ने प्रीतमपुरा के निकट अपना पश्चिमी परिसर स्थापित करने और इसे तकनीकी शिक्षा तथा प्रयुक्त विज्ञान केन्द्र के रूप में विकसित करने का भी निर्णय किया है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पूर्वी परिसर के लिए गुरू तेग बहादुर चिकित्सा कालेज के निकट भूमि और पश्चिमी परिसर के लिए प्रीतमपुरा के निकट की भूमि निर्धारित की है।

(घ) 1990-91 के बजट में पूर्वी और पश्चिमी परिसरों की स्थापना के लिए विशेषरूप से कोई निधि आवंटित नहीं की गई है।

(ङ) पूर्वी और पश्चिमी परिसरों के लिए निर्धारित स्थलों पर अनेक अनाधिकृत निर्माण कार्य हुए हैं। अत: विश्वविद्यालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वे पूर्वी परिसर के लिए बिवेकानन्द महिला कालेज के बिल्कुल निकट वैकल्पिक स्थल का आवंटन करें और पश्चिमी परिसर के लिए निर्धारित भूमि से अवैध कब्जे को हटा दें। इन परिस्थितियों में ठीक से यह बताना संभव नहीं है कि कब तक दोनों परिसर स्थापित हो जाएंगे।

नेपाल में चमड़ा उद्योग से प्रदूषण

1125. **श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के परसा जिले में स्थित चमड़ा उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थों से बिहार में पश्चिम चम्पारन जिले में सिक्ता में ओरिया नदी और पूर्वी चम्पारन जिले में रक्सौल में गांगुली नदी का जल प्रदूषित हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो नेपाल से भारत आने वाली नदियों के जल को चमड़ा उद्योग के कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होने से बचाने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) नेपाल के परसा जिले में स्थित चमड़ा उद्योगों के बहकर आने वाले बहिस्राव बिहार के पश्चिमी चम्पारण जिले में नदी जल को प्रदूषित कर रहे हैं।

(ख) भारत सरकार को इस मामले की जानकारी है और इसे नेपाल सरकार के ध्यान में लाया जायेगा।

सांड-शीर्ष और सिंह-शीर्ष को उनके उचित स्थानों पर पुन: स्थापित किया जाना

1126. **श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति भवन में सांड-शीर्ष और कलकत्ता संग्रहालय में सिंह-शीर्ष बिहार के पश्चिम चम्पारन जिले में रामपुरवा गांव के अशोक स्तम्भों से सम्बद्ध है;

(ख) क्या ब्रिटिश शासन के दौरान सांड-शीर्ष और सिंह-शीर्ष को रामपुरवा गांव में उनके स्थानों से हटा दिया गया था जिससे चम्पारन जिला राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पुरातत्व तथा पर्यटन मानचित्रों पर नहीं आ पाया; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का सांड-शीर्ष और सिंह-शीर्ष को बिहार के पश्चिम चम्पारन जिले में रामपुरवा में उनके उचित स्थानों पर पुनः स्थापित करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) सांड और सिंह, दोनों शीर्ष सन 1907-08 में रामपुरवा, जिला पश्चिम चम्पारन, बिहार में खोजे गए थे। इन्हें भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता ले जाया गया था और बाद में सांड शीर्ष को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली (1950) को दिया गया था। अन्तर्राष्ट्रीय रूप से इनका कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व है और इन्हें "राम पुरवा शीर्ष" के नाम से जाना जाता है और इसीलिए रामपुरवा को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पुरातत्व और पर्यटन मानचित्रों में रखने के लिए इसका महत्व किसी भी प्रकार से कम नहीं हुआ है।

(ग) इन शीर्षों को रामपुरवा गांव वापस भेजने का कोई विचार नहीं है।

बिहार में चीनी मिलों तथा मद्य निर्माण शालाओं द्वारा प्रदूषण

1127. **श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा** :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चम्पारन जिलों में स्थित चीनी मिलों और मद्य निर्माण शालाओं के कारण नदियों का पानी प्रदूषित होता जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप संबंधित नदियों के किनारे रहने वाले लोग और पशु विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है और कब तक ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख) पूर्वी और पश्चिमी चम्पारण जिलों में चीनी मिलों और मद्य निर्माण शालाओं से होने वाले प्रदूषण के कारण मनुष्यों और पशुओं में बीमारियों के बारे में कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार ने एक विशेष अभियान चलाया है ताकि चीनी मिलों और मद्य निर्माणशालाओं से बहिस्राव मानकों का अनुपालन करवाया जा सके।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमावर्ती सड़कें

1128. **श्री सन्तोष मोहन देव** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ सीमावर्ती सड़कों का निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठनों को सौंपा गया था;

(ख) यदि हां, तो सीमा सड़क संगठन को कुल कितने किलोमीटर सड़कों के निर्माण का कार्य सौंपा गया था तथा किस वर्ष सौंपा गया था; और

(ग) अद्यतन प्रगति की स्थिति क्या है तथा सड़कों का निर्माण कार्य कब तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां,।

(ख) 1960 से सीमा सड़क संगठन को लगभग 10,700 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य समय-समय पर दिया गया है।

(ग) 8,500 किलोमीटर सड़क का कटान कार्य पूरा कर लिया गया है। इसमें से 6,500 किलोमीटर सड़क पर तारकोल बिछा दिया गया है। निर्माण के शेष कटान कार्य और तारकोल बिछाने के कार्यों के क्रमश: 1995 और 2000 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

रत्ताचेरा-बदरपुर-करीमगंज-अगरतल्ला सड़क

1129. श्री सन्तोष मोहन देव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रत्ताचेरा-बदरपुर-करीमगंज-अगरतल्ला सड़कों को वर्ष 1976 में सीमा सड़क संगठन को सौंप दिया गया था;

(ख) क्या यह सड़क अब भी पूरे वर्ष नहीं खुली है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार की विनिर्देश के अनुसार सड़क निर्माण कार्य को अन्तिम रूप देने के लिए शीघ्र क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सीमा सड़क संगठन ने नवम्बर, 1971 में जोवाई से अगरतला जाने वाली सड़क को सुधारने का कार्य अपने हाथ में ले लिया था और रत्ताचेरा-बदरपुर करीमगंज-अगरतला सड़क इसी सड़क का एक भाग है।

(ख) और (ग) बाढ़ या भू-स्खलन की घटनाओं के कारण बन्द रहने के समय को छोड़कर यह सड़क पूरे वर्ष खुली रखी जाती है।

(घ) विद्यमान सड़क का निर्माण एक लेन की राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टियों के अनुसार किया गया है। यातायात की बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए जोवाई से करीमगंज तक की इस सड़क को दो लेनों की विशिष्टियों के अनुरूप तैयार करने का प्रस्ताव है।

नदी प्रदूषण रोकने के उपाय

[हिन्दी]

1130. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कुल कितनी नदियां प्रदूषित हैं; और

(ख) इनमें से रसायनों से प्रदूषित नदियों के नाम क्या हैं तथा इस संबंध में कौन-कौन से निवारक उपाय किये गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नोलमणि राउत राय) : (क) घरेलू और औद्योगिक बहिस्रावों के विसर्जन के कारण बड़े शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों के नीचे की ओर देश में सभी नदी भाग प्रदूषित हैं।

(ख) औद्योगिक समूहों के नीचे के नदी भागों के रसायनों से प्रदूषित होने की संभावना है। जिन कुछ नदियों के भाग विशेष रूप से उनके किनारों पर स्थित रसायन उद्योगों के बहिस्रावों के विसर्जन के कारण प्रभावित हुए हैं उनमें दामोदर, दमन गंगा, कोलक और उल्हास आती हैं।

नदियों के प्रदूषण को रोकने के निवारक उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं।

(1) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत जल प्रदूषण फैलाने वाले बड़ी श्रेणी के उद्योगों के लिए बहिस्राव विसर्जन मानक अधिसूचित किये गए हैं।

(2) उद्योगों से अपने बहिस्रावों और जहरीले अपशिष्टों को नदियों में गिराए जाने से पहले उनकी सफाई करने के लिए पर्याप्त बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने की अपेक्षा की जाती है।

(3) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उद्योगों को इस शर्त पर सहमति देते हैं कि उद्योग पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय अपनाएं।

(4) छोटे उद्योगों के समूहों को अपने बहिस्रावों को नदियों में गिराने से पहले उनकी सफाई करने हेतु सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने को कहा गया है।

(5) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत खतरनाक अपशिष्टों के प्रबन्ध और संचालन के लिए नियम अधिसूचित किए गए हैं।

(6) उद्योगों के स्थान निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

पौद का नि:शुल्क वितरण

[अनुवाद]

1131. श्रीमती वासव राजेश्वरी :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बंगलौर नगर के विभिन्न भागों में वृक्ष बैंकों से पौद के नि:शुल्क वितरण की व्यवस्था की है;

(ख) क्या किसान, विद्यालय, महाविद्यालय, संस्थाएं और संगठन गैर-केन्द्रीकृत नर्सरियों से 250 रुपये तक की पौद नि:शुल्क प्राप्त कर सकते है; और

(ग) यदि हां, तो जून 1990 से अब तक कुल कितने मूल्य की पौद का नि:शुल्क वितरण किया गया है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नोलमणि राउत राय) : (क) और (ख) कर्नाटक वन

विभाग द्वारा व्यक्तियों और संगठनों को 250 पौद तक (250 रु० तक नहीं) मुफ्त वितरित किए जाने की व्यवस्थाएं की गई हैं।

(ग) 31-7-90 तक कुल 2 लाख पौद वितरित की जा चुकी है।

पिछड़े राज्यों के लिए और अधिक धनराशि

1132. **श्रीमती बासव राजेश्वरी :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के मुख्यमन्त्रियों ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र (अप्रोच पेपर) पर चर्चा करते समय आठवीं योजना अवधि के लिए पिछड़े राज्यों को और अधिक सहायता राशि देने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों के लिए इस सहायता राशि का किस सीमा तक उपयोग किया जायेगा; और

(घ) इस सहायता से कितने राज्य लाभान्वित होंगे ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेश गोबर्धन) : (क) और (ख) हाल ही में सम्पन्न हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में कुछ मुख्य मन्त्रियों ने क्षेत्रीय असंतुलन एवं विषमताओं को कम करने के हित में पिछड़े राज्यों के लिए अधिक धन आवंटन और केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता पर बल दिया। सुझावों में आधार संरचनात्मक सुविधाएं, कृषिजन्य उत्पादन में वृद्धि, ग्राम-उद्योगों का आधुनिकीकरण, अधिक केन्द्रीय निवेश आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों का विकास मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। राज्यों को यदि कोई सहायता दी जानी है तो उसके बारे में आठवीं योजना के अंग के रूप में निर्णय लिया जाएगा। आठवीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

सहरसा कमिश्नरी में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद केन्द्र

[हिन्दी]

1134. **श्री सूर्य नारायण यादव :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का, उत्तर बिहार के छात्रों के लाभ के लिए सहरसा कमिश्नरी में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद केन्द्र खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सी० एस० आई० आर० क्षेत्र की आवश्यकताओं पर निर्भर होते हुए और राज्य/क्षेत्रीय प्राधिकारियों के सहयोग से केन्द्रों के सम्बद्ध होने पर विचार करता है। नीति संबंधी निर्णय के अनुसार आठवीं योजना के दौरान नए केन्द्र खोलने को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है जब तक कि स्पष्ट रूप से अत्यधिक प्राथमिकता दृष्टिगोचर न हो।

उष्णकटिबन्धी वनों की कटना

[अनुवाद]

1135. कुमारी उमा भारती :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से उष्णकटिबन्धी वन समाप्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भूमि पर किए गए अध्ययन तथा उपग्रह के माध्यम से किए गए अध्ययन के अद्यतन आंकड़े क्या-क्या हैं; और

(ग) उष्णकटिबन्धी वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए क्या निवारक उपाय किए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख) उपग्रह प्रतिबिम्बिकी का प्रयोग करके भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि भारत में 1981—83 की अवधि में 64.20 मिलियन हैक्टेयर वन क्षेत्र था जो 1985—87 के दौरान कम होकर 64.01 मिलियन हैक्टेयर रह गया। तथापि, 40 प्रतिशत से अधिक का उन सघनता वाले सघन वन क्षेत्र 3,61,412 वर्ग कि०मी० से बढ़कर 3,78,470 वर्ग कि०मी० हो गए हैं।

(ग) वन क्षेत्र में कमी होने से रोकने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल है :—

(1) 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में वनों के संरक्षण पर अधिक जोर दिया गया है। चराई, आग और अवैध कब्जों से वनों की सुरक्षा करने के लिए इसमें विशेष उपबंध हैं।

(2) वन (संरक्षण) अधिनियम में 1988 में संशोधन किया गया था ताकि इसे और अधिक कठोर बनाया जा सके।

(3) वनों की सुरक्षा के लिए आधारभूत ढांचे के विकास के लिए राज्यों को सहायता देने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(4) घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों में ईंधन की लकड़ी के बदले ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास किया जा रहा है।

(5) पैकेजिंग, रेलवे स्लीपरों, भवन निर्माण, फर्नीचर आदि में लकड़ी के बदले वैकल्पिक सामग्रियों का प्रयोग।

(6) इमारती लकड़ी के लिए आयात नीति को उदार बनाया गया है।

(7) लकड़ी के विकल्प के लिए उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(8) झूम खेती को नियंत्रण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(9) वनों की सुरक्षा के लिए राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें से कुछ दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं :—

1. प्राकृतिक वनों की कटाई न करना और जहां इस प्रकार की कटाई फसलों की बहाली या अन्य वनवर्धन कार्यों के लिए जरूरी हो, वहां कटाई पहाड़ियों में 10 हैक्टेयर और मैदानों में 25 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में नहीं की जानी चाहिए।

2. कम से कम कुछ वर्षों के लिए पहाड़ियों में 1,000 मीटर से ऊपर कटाई पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करना।

3. पहाड़ियों और पर्वतों में उन नाजुक क्षेत्रों का पता लगाना जिनमें वनों की सुरक्षा तथा तत्काल तेजी से वनरोपण किए जाने की आवश्यकता है।

4. भौगोलिक क्षेत्र के 4 प्रतिशत भाग को वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, जीवमंडल रिजर्वों आदि जैसे सुरक्षित क्षेत्रों के रूप में अलग रखना।

5. आरा मिलों के नियमन के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

रक्षा व्यय पर पैनल

1136. **कुमारी उमा भारती :**

श्री जी० एस० बासवराज :

श्री गंगाचरण लोधी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा संबंधी पैनल की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके विचारणीय विषय क्या-क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां। रक्षा व्यय पर एक समिति का गठन किया गया है।

(ख) समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार है :-

(1) रक्षा विभाग में जो इस समय खर्चा हो रहा है उसकी जांच करना और खर्चे में किफायत करने तथा उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए

उपाय, कार्य विधियों एवं कार्य प्रणालियों की सिफारिश करना।

(2) खर्चे की समय-समय पर समीक्षा करने तथा उस पर नियंत्रण रखने की कार्य प्रणालियों की सिफारिश करना।

(3) समिति को ऐसे मुद्दों के बारे में विचार करना और उन पर रिपोर्ट देना जिन्हें सरकार उन्हें विचारार्थ भेजे।

गोला-बारूद के कारखानों में तकनीकी/गैर तकनीकी पर्यवेक्षक

[हिन्दी]

11 7. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 से प्रभावी, चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में गोला-बारूद के कारखानों के तकनीकी और गैर-तकनीकी पर्यवेक्षकों के पदों का विलय न करने तथा पदोन्नतियां न करने के क्या कारण हैं;

(ख) ऐसा कब तक कर दिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप इन वेतनभोगियों को हुई हानि को किस प्रकार पूरा करने का विचार किया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) चतुर्थ वेतन आयोग ने इस संबंध में कोई सिफारिश नहीं की थी।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

वन रोपण कार्यक्रमों में स्वयंसेवी एजेंसियों को शामिल करना

1138. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

श्रीमती वसुंधरा राजे :

श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वन-रोपण कार्यक्रमों में स्वयंसेवी संगठनों तथा स्थानीय लोगों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इसके लिए क्या मार्गनिर्देश जारी किए हैं और इस संबंध में क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है;

(ग) इस संबंध में स्वयंसेवी संगठनों तथा स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या वनों की तेजी से कटाई किये जाने के कारण अनेक वनस्पति प्रजातियां दुर्लभ हो गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कौन से निवारक उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) और (ख) सरकार की नीति देश के वन संसाधनों की सुरक्षा तथा विकास के लिए एक व्यापक जन-आंदोलन तैयार करना है, इसमें वनीकरण और परती भूमि विकास में स्वैच्छिक संगठनों और स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करना शामिल है। सरकार ने एक जून, 1990 को राज्य सरकारों को मार्गदर्शी रूपरेखाएं भी जारी की हैं जिसके अनुसार वे ग्रामीण समुदायों को वनोपज में हिस्सा देकर निकृष्ट वनों के पुनरुत्पादन में स्वैच्छिक संगठनों और स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार उन्हें इन क्षेत्रों के अनुरक्षण तथा बचाव के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

अनुदान सहायता परियोजना के अन्तर्गत संगठनों को स्थानीय लोगों के सहयोग से वनीकरण तथा परती भूमि विकास प्रायोजनाएं चलाए जाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) इस संबंध में स्वैच्छिक संगठनों और लोगों की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुदान सहायता परियोजना के अन्तर्गत वनीकरण और परती भूमि के विकास की 336 प्रायोजनाएं चलाए जाने के लिए देश भर में विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को 1629.03 लाख रुपए की धनराशि दी जा चुकी है।

(घ) वनों के विनाश सहित अन्य कई कारणों से कुछ पौध प्रजातियों के विलुप्त हो जाने की सूचना मिली है।

(ङ) लुप्त प्रायः पौध प्रजातियों को बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(i) लुप्त प्रायः वन्य वनस्पति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते (कन्वेंशन ऑन इन्टरनेशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पीसिज ऑफ वाइल्ड फौना एण्ड फ्लोरा—साइट्स) के अधीन लुप्त प्रायः पौध प्रजातियों का व्यापार और व्यवसाय नियंत्रित होता है।

(ii) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण अपने परीक्षण-उद्यानों में अनेक लुप्त प्रायः प्रजातियों को उगा रहा है। अभी हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में लुप्त प्रायः प्रजातियों के संकरण की एक स्कीम चलाई गयी है।

(iii) देश की भिन्न-भिन्न प्रमुख पारिस्थितिकीय प्रणालियों में आनुवंशिकी विविधता के अनुरक्षण हेतु जीवमंडल रिजर्व की स्थापना के लिए 14 प्रमुख सम्भाव्य स्थानों का पता लगाया गया है। इनमें से अभी तक सात जीवमंडल रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं।

(iv) वन्य पेड़-पौधों के संरक्षण के लिए देश में 476 राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। इन सुरक्षित क्षेत्रों में लुप्त प्रायः प्रजातियों को सुरक्षित रखा जा रहा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले

1139. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

श्री जनार्दन तिवारी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में कितने छात्रों को दाखिला दिया गया;

(ख) क्या इस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में कम छात्रों को दाखिला देने का निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का अधिकतम संख्या में छात्रों को किस प्रकार दाखिला देने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) शैक्षिक सत्र 1989-90 में दिल्ली विश्वविद्यालय के अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिल छात्रों की संख्या 57,591 थी।

(ख) से (घ) विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनानुसार नियमित छात्रों के लिए कालेजों में 29,076 स्थान नानकालेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड में 3510 स्थान तथा पत्राचार पाठ्यक्रम व सतत शिक्षा में 22,800 स्थान उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त 868 छात्र, जिन्होंने कक्षा XII में 33% से 40% तक अंक प्राप्त किए हैं, वे प्राईवेट छात्र के रूप में विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। जहां कहीं आवश्यक हो, प्रत्येक कालेज की स्वीकृत क्षमता से 20% अधिक प्रवेश देने का भी निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 1990-91 से दिल्ली के कालेजों में करीब 875 छात्रों की क्षमता वाले विभिन्न नए पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह सूचित किया है कि प्रवेश के लिए बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, दिल्ली प्रशासन द्वारा चालू सत्र में दो नए कालेज, एक 300 स्थान वाला पश्चिमी दिल्ली के कर्मपुरा क्षेत्र में तथा दूसरा 180 स्थान वाला पूर्वी दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र में, खोले जा रहे हैं।

प्रवेश प्रक्रिया अभी चालू है। तथापि विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि वह चालू शैक्षिक वर्ष में सभी योग्य छात्रों को प्रवेश देने की स्थिति में है।

उपभोक्ता उत्पादों में निकल की विद्यमानता

[अनुवाद]

1140. श्री मान्धाता सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर और औद्योगिक विष-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ वनस्पति तेल जैसे बड़े पैमाने पर उपयोग किये जाने वाले उपभोक्ता उत्पादों

में अनुचित मात्रा में निकल होने की पुष्टि कर पाये थे यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ख) उन्हें केन्द्रीय खाद्य मानक समिति में रखने का क्या औचित्य है और क्या सरकार का उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए इस समिति का पुनर्गठन करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम०जी०के० मेनन) : (क) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान (सी०एफ०टी०आर०आई०) ने निकिल तत्वों का पता लगाने के लिये वनस्पति तेल का विश्लेषण किया था जिसमें यह तत्व प्रति मिलियन 0.5 भाग से अधिक कभी नहीं पाया गया। आगे के अध्ययन से यह पता लगा है कि निकिल का मामूली अवशोषण होता है जिसके कारण कोई ज्ञात करने योग्य हानि नहीं होती। औद्योगिक विष-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (आई०टी०आर०सी०) द्वारा इस संबंध में कोई अध्ययन आयोजित नहीं किया गया।

(ख) और (ग) केवल केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति का सदस्य है क्योंकि खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सर्व मान्य संस्थाओं में से एक है।

अनुसंधान परियोजनाओं संबंधी समिति

1141. श्री मान्धाता सिंह :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण के बारे में मंत्रालय को प्रस्तुत विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए उसमें कितनी समितियां हैं; और

(ख) क्या इन समितियों के सभापति की नियुक्ति के लिए कोई अर्हता निर्धारित की गई है और यदि हां, तो क्या सभापति के रूप में निर्वाचित व्यक्ति इन अर्हताओं को पूरा करते हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) विभिन्न विषय क्षेत्रों में अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए आठ अनुसंधान समितियां हैं।

(ख) इन समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए कोई निर्धारित अर्हताएं नहीं है। सक्षम व्यक्तियों को अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है।

इन्सैट 1—डी के लाभ

1142. श्री मान्धाता सिंह :

श्री मनोरंजन भक्त :

श्री पी० नरसा रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्सैट 1 – डी का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इससे वाणिज्यिक आधार पर इस सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक सभी लोगों को सेवाएं उपलब्ध करायी जायेंगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) इन्सैट—1 डी उपग्रह दूरसंचार, राष्ट्रव्यापी दूरदर्शन और रेडियो प्रसारण, मौसम-विज्ञान तथा आपदा चेतावनी से संबंधित क्षेत्रों में वे सभी महत्वपूर्ण उपग्रह आधारित सेवाएं जारी रखेगा, जो अभी तक इन्सैट—1 बी० उपग्रह द्वारा प्रदान की जा रही थीं।

(ग) इन्सैट उपग्रहों की दूरसंचार क्षमता का प्रयोग (क) दूरसंचार विभाग द्वारा लम्बी दूरी के लिए टेलीफोन व्यवस्था और आंकड़ा सम्प्रेषण प्रदान करने के लिए और (ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आधार पर दूरदर्शन ट्रांसमीटरों और रेडियो ट्रांसमीटरों का संचार-जाल बनाने के लिए किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग की सार्वजनिक नेटवर्क के अलावा अन्य एजेन्सियों के नेटवर्कों को सीमित प्रेषानुकर क्षमता को लीज पर देने की, व्यावसायिक संचार नीति है। जिन कुछ एजेंसियों को समर्पित उपग्रह संचार नेटवर्क सुविधा उपलब्ध की गयी है, उनमें तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन, कोल इण्डिया लिमिटेड और गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड शामिल है।

वर्षगांठ/जन्मशताब्दी समारोह

1143. **श्री शंकर सिंह वघेला :**

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनके पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में वर्षगांठ और जन्म समारोह/शताब्दी समारोह आयोजित किए गए;

(ख) नेहरू शताब्दी वर्ष पर सरकार द्वारा कितनी धन राशि खर्च की गयी;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान अन्य किन-किन व्यक्तियों के वर्षगांठ/जन्म शताब्दी समारोह आयोजित किए जायेंगे; और

(घ) इस प्रकार के समारोहों पर खर्च हेतु वर्ष 1990-91 के लिए कुल कितना बजट प्रावधान किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ख) स्वाधीनता की 40वीं वर्षगांठ के स्मरणोत्सव और पं० नेहरू के जन्म शताब्दी समारोहों

पर कुल 1,164.45 लाख रुपये व्यय हुए।

(ग) संलग्न विवरण के अनुसार।

(घ) 35 लाख रुपये।

विवरण

(क) और (ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आयोजित जयंती/शताब्दी समारोह :

क्रम सं०	वर्ष	व्यक्ति का नाम
1.	1987-88	पं० गोविन्द वल्लभ पंत
2.	1987-88	डा० श्रीकृष्ण सिन्हा
3.	1987-88	डा० के०एम० मुंशी
4.	1988-89	मौलाना अबुल कलाम आजाद
5.	1988-89	डा० एस० राधाकृष्णन
6.	1988-89	राष्ट्रीय शंकर जयन्ती महोत्सव
7.	1988-89	स्वाधीनता की 40वीं वर्षगांठ का स्मरणोत्सव और पं० जवाहरलाल नेहरू

(उन व्यक्तियों के नाम, जिनकी जयंतियां/शताब्दियां इसी वित्त वर्ष में आयोजित की जायंगी)

1. खान अब्दुल गफ्फार खान
2. डा० भीमराव अम्बेडकर
3. जमनालाल बजाज
4. लाला लाजपत राय की 125वीं जयंती
5. गणेश शंकर विद्यार्थी

भारत सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत वित्त पोषित शताब्दी/जयंती समारोह

1987-88

	शताब्दी		जयंती
1.	पं० जुगल किशोर की दूसरी शताब्दी	1.	150वीं—बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय
2.	उस्ताद हाफिज अली खान	2.	107वीं —प्रो० पूरन सिंह
3.	महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज	3.	125वीं —पं० मदन मोहन मालवीय
4.	जय शंकर प्रसाद	4.	85वीं —श्री लाल बहादुर शास्त्री
5.	महापुरुष माधव देवी	5.	98वीं—डा० बी०आर० अम्बेडकर
6.	सवाई जय सिंह (त्रि-शताब्दी)	6.	106वीं—वीर सावरकर
		7.	9 वीं —श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की पुण्यतिथि

1988-89

	शताब्दी		जयंती
1.	सर सी०वी० रमण	1.	125वीं—स्वामी विवेकानंद
2.	कनकदास	2.	85वीं—श्री लाल बहादुर शास्त्री
3.	श्री पापनाशम शिवान	3.	12वीं श्री फखरुद्दीन अली अहमद की पुण्यतिथि
4.	उस्ताद सादिक अली खान		
5.	तानसेन (चतुर्थ शती)		
6.	गोविंद प्रसाद		
7.	कु० ज्योतिर्मयी गांगुली		
8.	कांजीवरम नयन पिल्लै		
9.	भगवान महावीर वनस्थली (उद्घाटन समारोह)		

1989-90

1.	राजकुमारी अमृत कौर	1.	125वीं—बहादुर शाह जफर
2.	आचार्य नरेन्द्र देव	2.	13वीं—फखरुद्दीन अली अहमद की पुण्यतिथि
3.	डा० संपूर्णानंद	3.	99वीं—डा० भीमराव अम्बेडकर
4.	श्री प्रकाश		

5. शरत् चंद्र बोस

6. नलिनि कांत गुप्त

7. जे०बी० कृपलानी

8. गोपीनाथ बार्डोलोई

9. हैदराबाद शहर की चतुर्थ शताब्दी

प्रावेशिक शुल्क

1144. **डा० सी० सिलवेरा :**

श्री काशी राम राणा :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री पी० एम० सईद :

श्री जे० चोक्का राव :

श्री जयप्रकाश अग्रवाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की कार्यकारिणी समिति ने देश के तकनीकी संस्थाओं में प्रावेशिक शुल्क लेने की प्रथा को समाप्त करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए मानदण्डों तथा स्तर में सुधार लाने हेतु कुछ अन्य कदम भी उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पाठ्यक्रम-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है; और

(च) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इन संस्थाओं की तीव्रता से बढ़ती हुई संख्या को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (च) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम में प्रावधान के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की कार्यकारी परिषद ने प्रवेश के लिए मार्गदर्शी रूप रेखाओं का अनुमोदन कर दिया है और इन्हें सभी संबंधितों को परिचालित कर दिया गया हैं। जहां तक शिक्षा शुल्क का संबंध है, समिति का यह विचार था कि तकनीकी संस्थाओं में शिक्षा शुल्क को और अधिक वास्तविक स्तर पर लाना अनिवार्य है ताकि वसूल किए गए शिक्षा शुल्क तथा प्रशिक्षण की वास्तविक लागत में कुछ उचित संबंध हो। सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में वसूल किया जा रहा शिक्षा शुल्क

200 रुपए से 400 रुपए प्रति वर्ष है जो कि अधिकांशत: स्वतन्त्रता पूर्व स्तर का है। इसके मुकाबले निम्नलिखित राज्यों में निजी इंजीनियरी कालेज द्वारा वसूल किए जाने वाले अत्यधिक शिक्षा शुल्क प्रत्येक के सामने दर्शाया गया है :

1. आन्ध्र प्रदेश	6500/- रुपए प्रति वर्ष
2. कर्नाटक	(i) 12500/- रुपए प्रति वर्ष (कर्नाटक से बाहर के छात्रों के लिए)
	(ii) 8500/- रुपए (कर्नाटक के छात्रों के लिए)
3. मध्य प्रदेश	10000/- रुपए प्रति वर्ष
4. महाराष्ट्र	6500/- रुपए प्रति वर्ष
5. तमिलनाडु	4500/-रुपए से 5000/- रु० प्रति वर्ष

तथापि, मूल कठिनाई यह है कि एक औसतन भारतीय की भुगतान क्षमता सीमित है और यदि क्षमता से अधिक शिक्षा शुल्क बढ़ा दिए जाते हैं तो छात्रों के लिए कुछ ऋण की व्यवस्था करनी होगी। जिसे कुछ समय के अन्तराल के बाद लौटाना होगा जब उन्हें रोजगार मिल जाएगा। इससे कमजोर वर्गों के योग्य छात्रों को अवसर मिलेगा और न केवल उन्हीं को मिलेगा जो अधिक शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। सभी तकनीकी संस्थाओं को इन मार्गदर्शी रूप रेखाओं का अनुसरण करना होगा और दोषी संस्थाओं की मान्यता समाप्त की जा सकती है। इन उपायों से प्रति व्यक्ति शुल्क वसूल करने की इस कुप्रथा को समाप्त किया जा सकेगा।

इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, प्रबन्ध, फार्मेसी और वास्तुकला में डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए मानदण्डों तथा मानकों और इन्जीनियरी तथा प्रौद्योगिकी और फार्मेसी में पाठ्यक्रमों के लिए मान-दण्डों तथा मानकों को तैयार तथा अद्यतन बना लिया गया है। सभी तकनीकी संस्थाओं द्वारा इन्हें अपनाया जाना है। इससे आगे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई नए संस्थान स्थापित नहीं किए जा सकते हैं।

रियायती दरों पर कागज

1145. **श्री गुलाब चन्द कटारिया :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षण क्षेत्र को रियायती दरों पर कागज देना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ने, जोकि एक सार्वजनिक उपक्रम है, अप्रैल—जून, 1989 से पूरे एक वर्ष करोड़ों रुपये की राशि अग्रिम रखकर भी कागज की सप्लाई बन्द करने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कागज की कमी के कारण पाठ्यपुस्तकों और कापियों की ऊंचे मूल्यों पर बिक्री की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के शैक्षिक क्षेत्रों को रियायती दरों पर सफेद सुद्रण कागज मुहैय्या करने की योजना 1989-90 तक चलती रही है। इस योजना को और आगे जारी रखने का सरकार ने अभी निर्णय नहीं लिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली विश्वविद्यालय की उत्तर पुस्तिकाओं, अंक सूचियों और डिग्रियों की बिक्री

[हिन्दी]

1146. श्री गुलाब चन्द कटारिया :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों में ऐसा प्रकाशित हुआ है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की उत्तर पुस्तिकाओं, अंक सूचियों और डिग्रियों की खुलेआम बिक्री हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शिक्षा को स्वायत्तता का दर्जा देना

1147. श्री गुलाब चन्द कटारिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शिक्षा को स्वायत्तता का दर्जा देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न संस्थाएं अपने कार्यकरण में स्वायत्त हैं।

राष्ट्रीय उद्यान

[अनुवाद]

1148. श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्यमान राष्ट्रीय उद्यानों की, राज्यवार, संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन उद्यानों के विकास के लिए राज्य सरकारों को कितनी धन-राशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) राजस्थान को राष्ट्रीय उद्यानों के विकास के लिए वर्ष 1989-90 और 1990-91 के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई थी ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) देश में राष्ट्रीय उद्यानों की राज्यवार संख्या संग्लन विवरण में दी गई है ।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन राष्ट्रीय उद्यानों के विकास के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को 2231.76 लाख रुपए की राशि मंजूर की थी ।

(ग) राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों के विकास के लिए 1989-90 में दी गई केन्द्रीय सहायता तथा वर्ष 1990-91 के लिए मंजूरी के लिए अन्तरिम रूप से प्रस्तावित केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है ।

विवरण-1

राष्ट्रीय उद्यानों की राज्यवार संख्या

क्र० सं०	राज्य का नाम	राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या
1	2	3
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	6
2.	आंध्र प्रदेश	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	2
4.	आसाम	2
5.	बिहार	1
6.	गोआ	1
7.	गुजरात	4

1	2	3
8.	हिमाचल प्रदेश	2
9.	जम्मू और कश्मीर	4
10.	कर्नाटक	5
11.	केरल	3
12.	मध्य प्रदेश	11
13.	महाराष्ट्र	5
14.	मणिपुर	2
15.	मेघालय	2
16.	उड़ीसा	2
17.	राजस्थान	4
18.	सिक्किम	1
19.	तमिलनाडु	3
20.	उत्तर प्रदेश	7
21.	पश्चिम बंगाल	3

विवरण-2

1989-90 के दौरान राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों के विकास के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता तथा 1990-91 के लिए अनन्तिम रूप से प्रस्तावित परिव्यय

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	राष्ट्रीय उद्यान का नाम	1989-90 में मंजूर राशि	1990-91 के लिए प्रस्तावित परिव्यय
1.	रणथमबौर राष्ट्रीय उद्यान	65.01	69.14
2.	सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान	27.555	24.00
3.	केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान	19.94	17.25
4.	मरु राष्ट्रीय उद्यान	12.92	11.47
		125.425	121.86

टिप्पणी : रणथमबौर और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यानों को "बाघ परियोजना" और केवलदेव और मरु राष्ट्रीय उद्यानों को "राष्ट्रीय उद्यानों के विकास के लिए सहायता" नामक स्कीम के तहत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

कमजोर वर्ग की जनसंख्या संबंधी आंकड़े

1149. श्री परसराम मारद्वाज :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के अवसर पर सरकार ने देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आदिवासी लोगों, अनुसूचित जाति के लोगों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लोगों से संबंधित तथ्य तथा आंकड़े एकत्रित किये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में आदिवासी, अनुसूचित जातियों तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मागेय गोवर्धन) : (क) और (ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य लोगों के संबंध में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के प्रतिशत अनुपात का वर्ष 1987-88 के लिए हाल ही में अनुमान लगाया गया है। इस संबंध में ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

श्रेणीवार गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात (1987-88)

	ग्रामीण	शहरी
अनुसूचित जाति	44.7	31.16
अनुसूचित जनजाति	52.6	27.70
सारी जनसंख्या	32.66	19.45

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त अनुमान 1973-74 की कीमतों पर प्रति मास प्रति व्यक्ति क्रमश: 49.09 तथा 56.64 रु० की गरीबी रेखा का प्रयोग करके आंकलित किये गए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी की जरूरत के तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की जरूरत के अनुरूप है।

2. वर्ष 1987-88 सी०एस०ओ० के लिए गरीबी की रेखा को अद्यतन करने के लिए निजी उपभोग डीफलेटर का प्रयोग किया गया है।

3. ये परिकलन घरेलू उपभोक्ता व्यय से संबंधित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 43वें दौर के आंकड़ों के अनन्तिम परिणामों पर आधारित है। इनमें राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन से पूर्णत: जांच किए हुए आंकड़े प्राप्त हो जाने पर संशोधन किया जाएगा।

4. गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 1 मार्च, 1988 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या से संबंधित हैं।

5. गरीबी अनुपातों का अनुमान सातवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करते समय प्रयुक्त की गयी पद्धति का ही प्रयोग करते हुए लगाया गया है। तब से गरीबी अनुमान की पद्धति के बारे में कई मुद्दों पर डा० डी० टी० लाकड़ावाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल द्वारा विचार किया जा रहा है।

6. प्रस्तुत अनुमान अनन्तिम है और विशेषज्ञ दल की संस्तुति के प्रकाश में संशोधन किये जाने की संभावना है। इन अनुमानों में राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन द्वारा 43 वें दौर के परिणामों को अंतिम रूप देते समय कतिपय परिवर्तन किए जाने की भी आवश्यकता हो जाती है।

निरक्षरता उन्मूलन

1150. **श्री परसराम भारद्वाज :**

श्री राम सजीवन :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990 को "अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष" के रूप में मनाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) देश में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष से संबंधित कार्यक्रमों का शुभारंभ प्रधान मंत्री द्वारा नयी दिल्ली में 22 जनवरी, 1990 को एक राष्ट्रीय समारोह में किया गया था। उसके पश्चात् गणतन्त्रत दिवस की संध्या पर राष्ट्रपति जी ने प्रसारण में सभी नागरिकों से निरक्षरता के विरुद्ध अभियान में भाग लेने की अपील की थी। इसके बाद कई क्रियाकलाप शुरू किये गये जो या तो पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं या राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर अभी अयोजित किए जाने हैं।

राष्ट्रीय स्तर :—

(I) साक्षरता पर अंतर्राष्ट्रीय कार्य बल (भारत कार्यालय) ने 1.1.1990 को नयी दिल्ली इंडिया गेट पर साक्षरता व अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष के संदेश का प्रचार करने के उद्देश्य से शिक्षुओं व स्वयंसेवकों की रैली आयोजित की।

(II) गणतंत्रत दिवस परेड में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष पर एक झांकी निकाली गयी।

(III) 13—18 फरवरी, 1990 तक विश्व पुस्तक मेले में विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई थी।

(IV) अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष पर राष्ट्रीय पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गयी थी, जिसके परिणाम फरवरी, 1990 में घोषित किये गए।

(V) साक्षरता व सतत शिक्षा पर ध्यान आकर्षित करने के लिए दिल्ली में 15—19 जून, 1990 तक सार्क सम्मेलन आयोजित किया गया।

(VI) चुने हुए जिलों के कलेक्टरों की सक्रिय भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीयकरण तथा गतिशीलता के लिए 5-6 जुलाई, 1990 को कलेक्टरों का सम्मेलन आयोजित किया गया।

(VII) 8 सितम्बर, 1990 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है जो इस वर्ष के दौरान एक विशेष अभिप्राय रखता है।

(VIII) योजना आयोग ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वह 1990 के दौरान कम से कम एक जिले से संपूर्ण निरक्षरता का उन्मूलन करें।

राज्य स्तर

(I) उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले के लिए अलग-अलग तथा वर्ष के प्रत्येक सप्ताह के लिए विस्तृत कैलेन्डर कार्यक्रम तैयार किया है। जिसमें विभिन्न कार्यकलापों के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व दिए गए हैं। इसी प्रकार बिहार सरकार ने वर्ष मनाने के लिए सभी जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों तथा परियोजना अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं।

(II) कुछ चुने हुए क्षेत्रों में निर्धारित समय में निरक्षरता उन्मूलन के लिए जन अभियान आरंभ किए गए हैं। वे हैं :—

— केरल, गोवा राज्य तथा संघशासित प्रदेश पांडिचेरी।

— कर्नाटक के बीजापुर और दक्षिण कन्नड जिले।

— पश्चिम बंगाल का मिदनापुर जिला।

(III) संपूर्ण देश में 60,000 केन्द्रों में 2.10.1990 से 14.11.1990 तक राष्ट्रीय भारत ज्ञान विज्ञान जत्था द्वारा साक्षरता के लिए जन गतिशीलता तथा वातावरण निर्माण किया जा रहा है।

(IV) बनवासी सेवा आश्रम, मिर्जापुर द्वारा इस वर्ष के दौरान 100—125 जिलों में, जिसमें 1000 ब्लाक शामिल हैं, पैदल जत्थे आयोजित किए जाने हैं।

(V) आठ राज्यों में 4000 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को शामिल करने के लिए अक्तूबर, 1990 से आकाशवाणी के सहयोग से शिक्षा के मुद्रित माध्यम की अनुपूर्ति, उसको समृद्ध तथा सुदृढ़ करने के लिए रेडियो आधारित अध्ययन कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है।

दिल्ली के कालेजों में दाखिला

1151. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस वर्ष 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले तथा संघ

राज्य क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न कालेजों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या का सही पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वास्तव में दिल्ली में और अधिक कालेज खोलने की आवश्यकता है; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि सभी पात्र छात्रों को दाखिला मिल सके ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार, जिन छात्रों ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा (कक्षा—XII) या इसके समकक्ष परीक्षा 40% या इससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण की है, वे छात्र 17 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा पूरी करने पर कालेज में अवरस्नातक पाठ्यक्रम में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश पाने के पात्र हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि 57613 छात्र, जिन्होंने दिल्ली से सीनियर माध्यमिक तथा समकक्ष परीक्षा 40% या इससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण की है, वे विभिन्न अवरस्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के पात्र हैं। इसके मुकाबले विश्वविद्यालय अवरस्नातक पाठ्यक्रमों में 55,386 छात्रों को प्रवेश दे सकता है। इसमें से 29,076 स्थान कालेजों में उपलब्ध हैं, 3510 स्थान नानकालेजियेट महिला शिक्षा बोर्ड में तथा 22,800 स्थान पत्राचार तथा सतत शिक्षा पाठ्यक्रम में हैं। यह भी निर्णय लिया गया है कि जहां कहीं आवश्यक हो, प्रत्येक कालेज की संस्वीकृत क्षमता से 20% अधिक छात्र दाखिल किये जाएं। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 1990-91 से दिल्ली के कई कालेजों में करीब 875 छात्रों की क्षमता वाले विभिन्न नए पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि प्रवेश की बढ़ती मांग को देखते हुए दो नए कालेज एक 300 स्थान वाला पश्चिमी दिल्ली कर्मपुरा में तथा दूसरा 180 स्थान वाला पूर्वी दिल्ली शाहदरा में दिल्ली प्रशासन द्वारा चालू शैक्षिक सत्र से आरंभ किए जाने हैं।

दाखिले अभी चल रहे हैं। तथापि, विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि वह वास्तव में सभी योग्य छात्रों को प्रवेश देने की स्थिति में होगा।

स्वैच्छिक गैर-सरकारी संगठनों की बैठकें

1152. **श्री बबनराव ढाकणे :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संगठनों के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्वैच्छिक गैर-सरकारी संगठनों की कोई बैठक आयोजित की हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली में आयोजित ऐसी बैठकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बैठकों में क्या निर्णय लिए गए/सिफारिश की गई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेय गोबर्धन) : (क) से (ग) विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्वैच्छिक गैर-सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों के संबंध में सूचना संबंधित मंत्रालयों/विभागों से एकत्र की जा रही है। जैसे ही सूचना प्राप्त हो जाएगी, ब्यौरा सदन के सभा पटल पर रखा जाएगा।

महाराष्ट्र में केन्द्रीय परियोजनाएं

1153. **श्री बबनराव ढाकणे :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही 20 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरशुदा केन्द्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार प्रत्येक परियोजना के पूरा होने की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ग) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री भागेय गोबर्धन) : (क) से (ग) 30.6.90 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में विभिन्न क्षेत्रों में पिछले तीन वर्ष में (30.6.87 या उससे पहले स्वीकृत की गई परियोजनाएं) 20 करोड़ रु० अथवा उससे अधिक की लागत वाली 20 केन्द्रीय परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन थीं। परियोजना का नाम, स्थिति, काम करने वाला अभिकरण, सरकारी स्वीकृति की तारीख, प्रत्याशित लागत, संचयी व्यय और चालू करने की प्रत्याशित तारीख का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान (30.6.87 अथवा उससे पहले की स्वीकृति) महाराष्ट्र में कार्यान्वयनाधीन 20 करोड़ रु० अथवा अधिक लागत वाली प्रत्येक केन्द्रीय परियोजना का विवरण

क्र० सं०	परियोजना (जिला)	अभिकरण	अनुमोदन की मूल तारीख	चालू की जाने की प्रत्याशित तारीख	प्रत्याशित लागत (करोड़ रु०)	संचयी व्यय (करोड़ रु०)
1	2	3	4	5	6	7
I.	**क्षेत्र : कोयला**					
1.	घुगुस ओ० सी० चन्द्र पुर	डब्ल्यू०सी० एल०	83/11	91/03	98.07	65.30

1	2	3	4	5	6	7
2.	निलजय ओ० सी० यओतमाल	डब्ल्यू०सी०-एल०	87/04	96/03	96.89	46.25
3.	पदम पुर ओ० सी० चन्द्र पुर	डब्ल्यू०सी० एल०	84/03	92/03	67.06	50.70
4.	केन्द्रीय कर्मशाला चन्द्र पुर, वर्धा	डब्ल्यू०सी० एल०	85/12	92/03	32.79	2.42
5.	सेओनर यू० जी० नागपुर	डब्ल्यू०सी० एल०	87/08	92/03	46.96	16.67
6.	सिलेवरा विस्तार-II यू० जी०, नागपुर	डब्ल्यू०सी० एल०	85/03	92/03	52.92	36.05
क्षेत्र : उर्वरक						
7.	अमोनिया संयंत्र की पुन: स्थापना ट्राम्बे, बम्बई	आर०सी० एफ०एल०	86/10	90/07	65.39	53.99
क्षेत्र पैट्रो रसायन						
8.	महाराष्ट्र गैस क्रेकर सी०ओ०एम०पी० रामगढ़	आई०पी०सी० एल०	84/08	90/11	1390.90	1250.00
क्षेत्र पैट्रोलियम						
9.	ईथेन/प्रोपेन रिकवरी संयंत्र, यूरान	ओ०एन०जी० सी०	86/01	90/08	136.01	116.73
क्षेत्र : रेलवे						
10.	मन्माड-पालि देजनाथ लाईन में परिवर्तन करना	आई०आर०	74/03	×	40.87	31.36
11.	मनखुर्द-बेलापुर मैट्रो विस्तार बम्बई	आई०आर०	86/02	91/03	153.03	98.20
12.	अतिरिक्त लाईन-अंधेरी-बांद्रा मैट्रो, बम्बई	आई०आर०	84/03	×	62.05	5.17

1	2	3	4	5	6	7
13.	भुसावल-नागपुर विद्युतीकरण, नागपुर	आई०आर०	81/07	91/03	128.85	141.01
14.	बसई क्रीक बम्बई पर नया पुल	आई०आर०	82/03	×	43.11	22.90
	क्षेत्र : भूतल परिवहन					
15.	न्हावा-शेवा पत्तन परियोजना, बम्बई	जे०एन०पी०टी०	83/09	90/12	1056.00	821.67
16.	थाने-नासिक खंड (एन०एच० 3) की लाइनों को मजबूत करना	एम०ओ०एस०टी०	86/01	90/12	22.00	16.28
17.	न्हावा-शेवा लिंक (एन०एच० 4 बी) न्हावा-शेवा	एम०ओ०एस०टी०	87/01	90/09	30.66	30.66
18.	3 एल०आर०-II टैंकरों का अधिग्रहण, बम्बई	एस०सी०आई०	86/04	92/06	130.86	55.90
19.	4 ब्लब (ब्लक) का अधिग्रहण, बम्बई	एस०सी०आई०	85/03	90/09	93.14	29.96
20.	3 ब्लक कैरियरों का अधिग्रहण, बम्बई	एस०सी०आई०	81/02	90/22	66/22	62.59

× — चालू करने की प्रत्याशित तारीख अभी निर्धारित नहीं की गयी है।

×× — 100 करोड़ रु० से अधिक लागत वाली 6 बड़ी परियोजनाओं के बारे में संचयी व्यय 30-6-90 तक है तथा 20 करोड़ रु० के और 100 रु० के मध्य वाली लागत 14 मध्यम परियोजनाओं के बारे में संचयी व्यय 31-3-90 तक हैं।

— सूची में बहु-राज्य परियोजनाएं जैसे विद्युत संचरण लाईन, पाइप लाईन, रेलवे लाईन आदि तथा महाराष्ट्र तट से दूर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (बम्बई हाई) की सुदूर तटीय परियोजनाएं शामिल नहीं है।

कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी संबंधी प्रशिक्षण सुविधाएं

1154. **श्री बबनराव ढाकणे :**

श्री बलवंत मनवर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्रायोजित ऐसी संस्थाओं के नाम क्या हैं, जो कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देती है;

(ख) कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी संबंधी प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षित कार्मिकों तथा संस्थाओं की कमी है;

(ग) क्या सरकार का विचार, कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए और अधिक संस्थाएं स्थापित करने का है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश को प्रशिक्षित कम्प्यूटर कार्मिकों की आवश्यकता पूरी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या देश में कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए कोई मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम नहीं है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए उठाने का विचार है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। किन्तु कम्प्यूटर के प्रशिक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम चलाने के लिए वर्तमान संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं में अभिवृद्धि की जा रही है।

(घ) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने कम्प्यूटर तथा उनके अनुप्रयोगों के क्षेत्र में जनशक्ति के विकास का एक कार्यक्रम वर्ष 1983 में शुरू किया, जिसका क्रमशः विस्तार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों में विभिन्न स्तर पर कम्प्यूटर पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। निजी क्षेत्र में कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों का आयोजन करने वाले प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करने की योजना को लागू करने का भी निर्णय किया गया है ताकि जनशक्ति की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। इस योजना का संचालन भारतीय कम्प्यूटर संस्था (सी० एस० आई०) तथा इलैक्ट्रोनिकी एवं दूरसंचार इन्जीनियर्स संस्थान (आई० ई० टी० ई०) द्वारा किया जायेगा। सी० एस० आई० तथा आई० ई० टी०ई० ऐसे संस्थानों का मूल्यांकन करेंगे और जो संस्थान इलैक्ट्रोनिकी विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा करेंगे उन्हें निर्धारित पाठ्यक्रमों का आयोजन करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। सी० एस० आई० तथा आई० ई० टी० ई० इन पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाओं का भी आयोजन करेंगे। सफल उम्मीदवारों को डिप्लोमा/प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे।

(ङ) सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थान स्वीकृत पाठ्य विषयों का अनुसरण करते हैं।

निजी क्षेत्र के संस्थानों के लिए भी पाठ्य विषय तैयार किए गए है, जिन्हें इस योजना के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान किया जाएगा ।

विवरण

एम० टेक पाठ्यक्रम का आयोजन करने वाले संस्थानों की सूची

1. आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेर, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, पिन-530002
2. कलकत्ता विश्वविद्यालय, 92 आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र मार्ग, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, पिन-700009
3. जी० एस० प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, 23 पार्क रोड, इन्दौर, मध्य प्रदेश, पिन-452003
4. जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, पिन-700032
5. एल० डी० इन्जीनियरी कालेज, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिन-380015
6. बड़ौदा एम० एस० विश्वविद्यालय, पोस्ट बाक्स नं० 51, कलाभवन, बड़ौदा, गुजरात, पिन-390001
7. उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, पिन-500067
8. रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की, उत्तर प्रदेश, पिन-247667
9. एस० जे० इन्जीनियरी कालेज, मैसूर, कर्नाटक, पिन-570006
10. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली
11. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
12. क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, तिरुचिरापल्ली
13. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई
14. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास
15. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर
16. कोचीन विश्वविद्यालय, कोचीन
17. पूना विश्वविद्यालय, पूना
18. हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
19. जे० एन० टी० विश्वविद्यालय, हैदराबाद
20. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर
21. कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुलतानपुर

22. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
23. पी० एस० जी० इन्जीनियरी तथा प्रौद्योगिकी कालेज, कोयम्बटूर
24. क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, वारंगल
25. विक्टोरिया जुबिली तकनीकी संस्थान, बम्बई
26. मोतीलाल नेहरू इन्जीनियरी कालेज, इलाहाबाद
27. राजकीय प्रौद्योगिकी कालेज कोयम्बटूर
28. बंगाल इन्जीनियरी कालेज, हावड़ा
29. क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, सूरतकल
30. कागज प्रौद्योगिकी कालेज, रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की
31. क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर

बी० टेक पाठ्यक्रम का आयोजन करने वाले संस्थानों की सूची

1. आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेर, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, पिन-530002
2. अन्ना विश्वविद्यालय, गुइन्डी, मद्रास, तमिलनाडु, पिन-600025
3. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, पिन-221005
4. कलकत्ता विश्वविद्यालय, 92 आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र मार्ग, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, पिन-700009
5. राजकीय इन्जीनियरी कालेज, त्रिचुर, केरल, पिन-680009
6. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल, पिन-721302
7. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पवई, बम्बई, महाराष्ट्र, पिन-400076
8. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हौजखास, नई दिल्ली, दिल्ली पिन-110016
9. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, तमिलनाडु, पिन-600036
10. जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, पिन-700032
11. जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश-500026
12. कर्नाटक क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, श्रीनिवास नगर, सूरतकल, कर्नाटक-574157
13. बड़ौदा एम० एस० विश्वविद्यालय, बड़ौदा, गुजरात, पिन-390002
14. मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल, मध्य प्रदेश, पिन-462007
15. मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन.211004

16. पंजाब इन्जीनियरी कालेज, चण्डीगढ़, चण्डीगढ़, पिन-160012

17. क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, कम्प्यूटर विज्ञान इन्जीनियरी विभाग, राऊरकेला, उड़ीसा, पिन-769008

18. क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, कालीकट, केरल, पिन 673601

19. क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु, पिन-620015

20. क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, कुरूक्षेत्र, हरियाणा, पिन-132119

21. एस० वी० क्षेत्रीय इन्जीनियरी तथा प्रौद्योगिकी कालेज, सूरत, गुजरात-395007

22. सम्राट अशोक प्रौद्योगिकी संस्थान, विदिशा, मध्य प्रदेश

23. टी० के० एम० इन्जीनियरी कालेज, अक्वीलान, केरल, पिन-691005

24. यूनिवर्सिटी कालेज ऑफ इन्जीनियरिंग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, पिन-500007

25. विश्वेश्वरय्या क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, नागपुर, महाराष्ट्र, पिन-440011

26. श्री गुरू गोविन्द सिंह जी इन्जीनियरी तथा प्रौद्योगिकी कालेज, नान्डिड, महाराष्ट्र

27. बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान, पिलानी

28. बंगाल इन्जीनियरी कालेज, हावड़ा

29. राजकीय इन्जीनियरी कालेज, औरंगाबाद

30. राजकीय इन्जीनियरी कालेज, अमरावती

31. धर्मसिंह देसाई प्रौद्योगिकी संस्थान, नाडियाड, गुजरात

32. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर

33. एस० जे० इंजीनियरी कालेज, मैसूर

34. रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की

35. इन्जीनियरी कालेज, वाल्टेर

36. क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, वारंगल

37. यू० वी० इन्जीनियरी कालेज, बंगलौर

38. राष्ट्रीय इन्जीनियरी संस्थान, मैसूर

39. नालन्द इंजीनियरी कालेज, हसन

40. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर

41. पी० ई० एस० इन्जीनियरी कालेज, माण्ड्या, कर्नाटक

42. हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद

43. एम० एस० आर० प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर

44. जी० एस० प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, इन्दौर

45. कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर

46. इन्जीनियरी कालेज, त्रिवेन्द्रम

47. इन्जीनियरी कालेज, एल्लूर

48. पी० ई० एस० इन्जीनियरी कालेज, बंगलौर

49. पाण्डिचेरी इंजीनियरी कालेज, पाण्डिचेरी

50. श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, इन्जीनियरी कालेज, तिरुपति

51. नूरुल इस्लाम इंजीनियरी कालेज, कन्याकुमारी

52. इन्जीनियरी कालेज, मुरथल

एम० सी० ए० पाठ्यक्रम का आयोजन करने वाले संस्थानों की सूची

1. ए० सी० इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी कालेज, कराईकुट्टी, तमिलनाडु पिन-623004

2. अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुट्टी, तमिलनाडु, पिन-623004

3. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, पिन-202001

4. आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेर, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, पिन-530003

5. अन्ना विश्वविद्यालय, गुइंडी, मद्रास, तमिलनाडु, पिन-600025

6. अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर, तमिलनाडु, पिन-603002

7. असम इन्जीनियरी कालेज, जलूकाबारी, गुवाहाटी, असम, पिन-13

8. वनस्थली विद्यापीठ, पो० ओ० वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली, राजस्थान, पिन-304022

9. बंगलौर विश्वविद्यालय, विद्युत इन्जीनियरी विभाग, जन भारती, बंगलौर, कर्नाटक, पिन-560056

10. बंगाल इन्जीनियरी कालेज, बोतनिक गार्डेन, शिवपुर, हावड़ा, पश्चिम बंगाल, पिन-711103

11. बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान, हेसरा, रांची, बिहार, पिन-835215

12. बी० एम० एस० इन्जीनियरी कालेज, पोस्ट बाक्स नं० 1908, बंगलौर, कर्नाटक, पिन-560019

13. इन्जीनियरी कालेज, कराड, महाराष्ट्र, पिन-415116
14. इन्जीनियरी कालेज, त्रिवेन्द्रम, केरल, पिन-695016
15. डी० डी० प्रौद्योगिकी संस्थान, कालेज रोड, नांडियाड, गुजरात, पिन-387001
16. दिल्ली इन्जीनियरी कालेज, दिल्ली, दिल्ली पिन-110006
17. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, मध्य प्रदेश, पिन-452001
18. गोवा विश्वविद्यालय, पो० ओ० सांताक्रुज, बम्बोलिन, गोवा, गोवा दीव एवं दमन, पिन-403005
19. राजकीय इन्जीनियरी कालेज, जबलपुर, मध्य प्रदेश, पिन-482011
20. राजकीय इन्जीनियरी कालेज, रायपुर, मध्य प्रदेश, पिन-402010
21. राजकीय इन्जीनियरी कालेज, त्रिचूर, केरल, पिन-68009
22. राजकीय इन्जीनियरी कालेज, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, पिन-431003
23. गुजरात विश्वविद्यालय, रोलवाला कम्प्यूटर केन्द्र, अहमदाबाद, गुजरात, पिन-380009
24. हाईकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर, उत्तर प्रदेश, पिन-208002
25. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, समर हिल, शिमला, हिमाचल प्रदेश, पिन-171005
26. हैदराबाद विश्वविद्यालय, पो० ओ० सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, पिन-500131
27. इन्दिरा गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान, सरनो, उड़ीसा, पिन-759100
28. इन्जीनियरी प्रौद्योगिकी संस्थान, सीतापुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पिन-201001
29. प्रबन्ध प्रौद्योगिकी संस्थान, राजपुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन-201001
30. जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, पिन-700032
31. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ कम्प्यूटर एण्ड सिस्टम साइंस, नई दिल्ली दिल्ली, पिन-110067
32. जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, पिन-342001
33. जोरहाट इन्जीनियरी कालेज, जोरहाट, असम, पिन-785007
34. कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, पिन-223001
35. कर्नाटक क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, श्रीनिवास नगर, सूरतकल, कर्नाटक, पिन-574157
36. एल० डी० इन्जीनियरी कालेज, अहमदाबाद, गुजरात, पिन-380015

37. एल० एन० मिश्र इन्स्टीट्यूट आफ इक० डेव० एण्ड सोशल चेंज, 1, रैसी रोड, पटना, बिहार, पिन-800001

38. एम० एस० बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदा, गुजरात, पिन-390002

39. मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरी कालेज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, पिन-223010

40. माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, रेजीडेंसी (पी० ओ०), ग्वालियर, मध्य प्रदेश, पिन-474005

41. मालन्द इन्जीनियरी कालेज, हसन, कर्नाटक, पिन-573201

42. मणिपुर विश्वविद्यालय, चांचीपुर, इम्फाल, मणिपुर, पिन-795003

43. मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल, मध्य प्रदेश, पिन-462007

44. मोतीलाल नेहरू इन्जीनियरी कालेज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन-211004

45. नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर, आंध्र प्रदेश, पिन-52210

46. नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, राजा राम मोहनपुर, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, पिन-734430

47. उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, पिन-500061

48. पांडिचेरी इंजीनियरी कालेज, लासपेट पिल्लै चावड़ी, पांडिचेरी, पांडिचेरी, पिन-605105

49. पी० एस० जी० इन्जीनियरी एवं प्रौद्योगिकी कालेज, पीलपेडु, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, पिन-641014

50. पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, पंजाब, पिन-117002

51. क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, वारंगल, आंध्र प्रदेश, पिन-506004

52. क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, राउरकेला, उड़ीसा, पिन-769008

53. क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु, पिन-620015

54. क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज, कालीकट, केरल, पिन-673601

55. क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर, बिहार, पिन-831014

56. एस० के० इन्जीनियरिंग कालेज, मैसूर, कर्नाटक, पिन-570006

57. एस० एन० डी० टी० महिला विश्व विद्यालय, 1, नथिबाई थैकरसे रोड, बम्बई, महाराष्ट्र, पिन-400020

58. सम्राट अशोक प्रौद्योगिकी संस्थान, विदिश, मध्य प्रदेश

59. सरदार पटेल विश्व विद्यालय, कायरा विश्वविद्यालय नगर, गुजरात, पिन-395007

60. दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, अद्यन मदल रोड, सूरत, गुजरात, पिन-395007

61. श्री पदमावती विश्वविद्यालय, तिरुपति, आंध्र प्रदेश, पिन-577502

62. श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति, आंध्र प्रदेश, पिन-57502

63. टी० के० एम० इन्जीनियरी कालेज, क्वीलान, केरल, पिन-691005

64. थापर इन्जीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला, पंजाब, पिन-147001

65. त्यागराज इंजीनियरिंग कालेज, मदुरै, तमिलनाडु, पिन-625015

66. कलकत्ता विश्वविद्यालय, कालेज स्ट्रीट, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, पिन-700073

67. दिल्ली, विश्वविद्यालय, कला संकाय एक्सटेंशन बिल्डिंग, नई दिल्ली, दिल्ली, पिन-110007

68. पूना विश्वविद्यालय, गणेश खिंद, पुणे, महाराष्ट्र, पिन-411007

69. उत्कल विश्वविद्यालय, वाणी विहार, भुवनेश्वर, उड़ीसा, पिन-751004

70. विक्टोरिया जुबिली तकनीकी संस्थान, मांतंगरा, बम्बई, महाराष्ट्र, पिन-400019

71. इन्जीनियरिंग कालेज, अमरावती, महाराष्ट्र

72. राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, रीवां

73. इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

74. बहरमपुर विश्वविद्यालय, बहरमपुर

75. कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोचीन

76. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर

77. विश्व भारती, शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल

एस० एस० सी० (कम्प्यूटर विज्ञान) पाठ्यक्रम का आयोजन करने वाले संस्थानों की सूची

1. जे० के० प्रायोगिक भौतिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन-211002

पी० जी० डी० सी० ए० पाठ्यक्रम का आयोजन करने वाले संस्थानों की सूची

1. ए० पी० एस० विश्वविद्यालय, रीवां, मध्य प्रदेश

2. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, पिन-202001

3. आन्ध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर, विशाखापत्तनम, आन्ध्र प्रदेश-530003

4. अन्ना विश्वविद्यालय, गुइंडी, मद्रास, तमिलनाडु, पिन-600025

5. अन्ना मलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर, तमिलनाडु पिन-603002

6. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, पिन-221005
7. बंगलौर विश्वविद्यालय (केन्द्रीय कालेज), जन भारती, बंगलौर, कर्नाटक, पिन-560061
8. बहरमपुर विश्वविद्यालय, भन्ज बिहार, बहरमपुर, उड़ीसा, पिन-76007
9. भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश, पिन-462003
10. बिरला इस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, हेस्रा, रांची, बिहार, पिन-835215
11. बम्बई विश्वविद्यालय, एम० जी० रोड, फोर्ट, बम्बई, महाराष्ट्र, पिन-400032
12. वर्धमान विश्वविद्यालय, वर्धमान, वेस्ट बंगाल, पिन-713104
13. कालीकट विश्वविद्यालय, डिपार्टमेंट आफ कामर्स एण्ड मैनेजमेंट, कालीकट, केरल
14. कालेज आफ एकाउन्टेंसी एण्ड मैनेजमेंट स्टडीज, कटक, उड़ीसा, पिन-753007
15. दयाल बाग एजूकेशन इन्स्टीट्यूट, आगरा, उत्तर प्रदेश, पिन-202005
16. गढ़वाल विश्वविद्यालय, (श्रीनगर), गढ़वाल, उत्तर प्रदेश, पिन-246174
17. गोहाटी विश्वविद्यालय, गोहाटी, आसाम, पिन-78614
18. गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात, पिन-300009
19. गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, गुजरात, पिन-300014
20 गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, आई०आई० टी० बेरेक्स कोही, बिलासपुर, मध्य प्रदेश, पिन-495009
21. गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, सहारनपुर (हरिद्वार), गुरूकुल कांगड़ी उत्तर प्रदेश पिन-249464
22. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, समर हिल, शिमला, हिमाचल प्रदेश, पिन-17005
23 हैदराबाद साइन्स सोसाइटी, 12-2-460, मेदीपत्तनम, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश, पिन-500028
24. हैदराबाद विश्वविद्यालय, पी० जी० केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आन्ध्र प्रदेश, पिन-500134
25. जे० के० इन्स्टिट्यूट आफ एप्लाइड फिजिक्स एण्ड टेक्नोलाजी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन-211002
26. जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, पिन-700032
27. जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025
28. जम्मू विश्वविद्यालय, कनाल रोड, जम्मू एवं कश्मीर, पिन-180001

29. शिवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, पिन-474001

30. जे० एम० टी० यू० इन्जीनियरिंग कालेज, अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश, पिन-576002

31. जे० एम० टी० यू० इन्जीनियरिंग कालेज, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, पिन-500028

32. जे० एम० टी० यू० इन्जीनियरिंग कालेज, काकीनाड़ा, आंध्र प्रदेश, पिन-533003

33. जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, पिन-342001

34. कश्मीर विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर, हजरतबल, श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर, पिन-190086

35. केरल विश्वविद्यालय, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग, त्रिवेंद्रम, केरल, पिन-695034

36. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, पिन-152179

37. मद्रास विश्वविद्यालय, चीपल्क, मद्रास, तमिलनाडु, पिन-600005

38. मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, पल्लवलै नगर, मदुरै, तमिलनाडु, पिन-625021

39. मणिपुर विश्वविद्यालय, चांचीपुर, इम्फाल, मणिपुर, पिन-795003

40. नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर, आन्ध्र प्रदेश, पिन-522510

41. नागपुर विश्वविद्यालय, अन्तः संस्थान कम्प्यूटर केन्द्र, नागपुर, महाराष्ट्र, पिन-440910

42. नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, राजा राममोहनपुर दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल, पिन-734430

43. उड़ीसा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, उड़ीसा, पिन-751003

44. उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, पिन-500007

45. पंजाब विश्वविद्यालय, कम्प्यूटर विज्ञान एवं अनुप्रयोग विभाग चंडीगढ़, चंडीगढ़, पिन-160014

46. पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार, पिन-800005

47. पांडिचेरी इन्जीनियरिंग कालेज, लासपेट, पिल्लैचावड़ी, पांडिचेरी, पांडिचेरी, पिन-605001

48. पांडिचेरी विश्वविद्यालय, 123 रंगपिलै स्ट्रीट, पांडिचेरी, पांडिचेरी, पिन-605001

49. रांची विश्वविद्यालय, मोराबाड़ी कैम्पस, रांची, बिहार, पिन-834001

50. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, सरस्वती बिहार, पचपेड़ी, जबलपुर, मध्य प्रदेश, पिन-482001

51. क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, जबलपुर विश्वविद्यालय परिसर, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, पिन-700032
52. संबलपुर विश्वविद्यालय, बुरला, संबलपुर, उड़ीसा, पिन-763017
53. सरदार पटेल विश्वविद्यालय, पोस्ट बाक्स नं० 10 बी० बी नगर, गुजरात, पिन-383120
54. सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट, गुजरात, पिन-360005
55. साउथ गुजरात विश्वविद्यालय, उधना मगदला रोड, सूरत, गुजरात, पिन-395007
56. श्री कृष्ण देव राय विश्वविद्यालय, अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश, पिन-575003
57. टी० के० एम० इन्जीनियरिंग कालेज, क्वीलान, केरल, पिन-691005
58. कलकत्ता विश्वविद्यालय, 92 आचार्य प्रफुल्लचंद रोड, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, पिन-700009
59. कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी, पश्चिम बंगाल, पिन-741235
60. पूना विश्वविद्यालय, गणेश खिंद, पूना, महाराष्ट्र, पिन-411007
61. उत्कल विश्वविद्यालय, वाणी बिहार, भुवनेश्वर, उड़ीसा, पिन-751004
62. विक्रम विश्वविद्यालय, कोटी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश, पिन-456010
63. विश्व भारती शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल, पिन-731235
64. एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय, बम्बई

पी० पी० डी० सी० ए० पाठ्यक्रम का आयोजन करने वाले संस्थानों की सूची

1. ए० वी० पारिख टेक्नीकल इन्स्टीट्यूट, डा० याग्निकर रोड, राजकोट, गुजरात पिन-366001
2. आसाम इन्जीनियरी संस्थान, चंद्रारी, गुवाहाटी, आसाम, पिन-781883
3. बी० एन० पालीटेक्निक, इर्लाजुहुरोड, विल्ले पार्ले (पश्चिम) बम्बई, महाराष्ट्र, पिन-488856
4. भावूनाडा उड़ीसा स्कूल आफ इन्जीनियरी, कटक, उड़ीसा
5. सेन्ट्रल कलकत्ता पालीटेकनिक, 21 कन्वेन्ट रोड, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल
6. सेन्ट्रल पालीटेकनिक, त्रिवेंद्रम, केरल, पिन-695813
7. सेन्ट्रल पालीटेक्निक तारुहानी, मद्रास, तमिलनाडु, पिन-680115
8. कुसरोबाडिया इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, 19 बंड गार्डन रोड पुणे, महाराष्ट्र
9. गवर्नमेंट गर्ल्स पालीटेकनिक, चारबाग लखनऊ, उ० प्र०

10. गवर्नमेंट पालीटेकनिक इम्फाल, मणिपुर

11. गवर्नमेंट पालीटेकनीक, धोलीमंज पोर्टब्लेअर अंडमान तथा निकोबार समूह

12. गवर्नमेंट बालिका पोलीटेकनीक, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के सामने, अहमदाबाद, गुजरात, पिन-380015

13. गवर्नमेंट महिला पालीटेकनिक, सोलन (जिला) कनदघाट, हिमाचल प्रदेश

14. गवर्नमेंट महिला पोलीटेकनीक, गुन्टूर, आन्ध्र प्रदेश, पिन-52206

15. गवर्नमेंट पालीटेकनीक, गांगड़ा, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

16. गवर्नमेंट महिला पालीटेकनीक कालेज, गांधी नगर, जयपुर, राजस्थान, पिन-382015

17. गवर्नमेंट पालीटेकनीक, अहमदाबाद, गुजरात, पिन-38815

18. गवर्नमेंट पालीटेकनिक, गोवा, पणजी, गोवा, दीव तथा दमन

19. गवर्नमेंट पालीटेकनीक, कल्याणपुर (पी० ओ०) कानपुर, उ० प्र०

20. गवर्नमेंट पालीटेकनीक, चर्च रोड, राची, बिहार

21. गवर्नमेंट महिला पालीटेकनीक, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, पिन-641844

22. गवर्नमेंट महिला पालीटेकनीक, भोपाल, म० प्र०

23. हरियाणा पालीटेकनीक करनाल (जिला), निलोखेडी, हरियाणा

24. इन्दिरा गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान, सराहो, उड़ीसा, पिन-759180

25. इन्जीनियरी तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, छतन लाइन्स (प्रयाग स्टेशन के समीप) इलाहाबाद, उ० प्र०, पिन-211002

26. जे० एस० एस० महिला पोलीटेकनीक, एस० जे० इन्जीनियरी कालेज कैम्पस, मैसूर, कर्नाटक, पिन-570006

27. झाड़सूदा इन्जीनियरी स्कूल, सम्भल (जिला), झाड़सूदा, उड़ीसा

28. जोधपुर पालीटेकनीक, कालेज, जोधपुर, राजस्थान पिन-342001

29. कमला नेहरू महिला पालीटेकनीक, प्रदर्शनी ग्राउंड, हैदराबाद, आ० प्र०, पिन-500001

30. कश्मीर गवर्नमेंट पालीटेकनीक, श्रीनगर, जम्मू तथा कश्मीर

31. मेहर चन्द पालीटेकनीक, जी० टी० रोड, जालन्धर, पंजाब

32. मोती लाल नेहरू गवर्नमेंट पालीटेकनीक, पांडिचेरी, पांडिचेरी, पिन-605000

33. न्यू गवर्नमेंट पालीटेकनीक, पाटलीपुत्र कालोनी, पटना, बिहार, पटना-13

34. पालीटेकनीक इन्स्टीट्यूट, नरसिंह गढ़, अगरतला एअरोड्रोम, अगरतला, त्रिपुरा

35. पूसा पालीटेकनीक पूसा, नई दिल्ली, दिल्ली, पिन-110012

36. एस० जे० गवर्नमेंट पालीटेकनीक बंगलौर, कर्नाटक, पिन-560001

37. एस० वी० गवर्नमेंट पालीटेकनीक तिरुपति, आ० प्र०, पिन-577501

38. एस० वी० गवर्नमेंट पालीटेकनीक भोपाल, मध्य प्रदेश, पिन-4628002

39. शिलांग पालीटेकनीक महराई, शिलांग, मेघालय

40. श्री वैष्णव पालीटेकनीक, एम० ओ० ओ० लाइन्स, इन्दौर,

41. श्रीमती एल०वी० (गवर्नमेंट) पालीटेकनीक, हसन, कर्नाटक, पिन-570210

42. सेंट जेवियर टेकनीकल इन्स्टीट्यूट महीम, काजवे, बम्बई, महाराष्ट्र, पिन-400016

43. सुशीलावती खोसला डी० ए० वी० महिला पालीटेकनीक, राउर केला, उड़ीसा पिन-769012

44. त्यागराज पालीटेकनीक, सेलम, तमिलनाडु, पिन-636005

45. यू० सी० पी० इन्जीनियरी स्कूल, यू० सी० पी० (गंजम) गंजम, उड़ीसा, पिन-760010

46. महिला पालीटेकनीक, 1/1/2, गरियाहाट रोड, जोधपुर पार्क, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल पिन-700060

47. महिला पालीटेकनीक, त्रिचूर, केरल, पिन-580007

48. महिला पालीटेकनीक, भुवनेश्वर, उड़ीसा पिन-751012

49. महिला पालीटेकनीक, ढनेकानल, उड़ीसा

50. महिला पालीटेकनीक, नई दिल्ली

51. जे० सी० घोष पालीटेकनीक, कलकत्ता

52. महिला पालीटेकनीक, चंडीगढ़

53. जे० एम० पालीटेकनीक, कलकत्ता

54. सेन्ट्रल, पालीटेकनीक, चंडीगढ़

पी० जी० डी० सी० ए० हिन्दी पाठ्यक्रम का आयोजन करने वाले संस्थानों की सूची

1. बन स्थली विद्यालय, बनस्थली, राजस्थान, पिन-380022

2. बरेली कालेज, बरेली, उत्तर प्रदेश, पिन-243005

3. भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश, पिन-462026
4. दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, खैरातावाद, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, पिन-500004
5. दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, टीनगर मद्रास, तमिलनाडु, पिन-600017
6. भारतीय व्यवसाय प्रबंध संस्थान, पटना, बिहार, पिन-800001
7. सामाजिक विज्ञान संस्थान, आगरा विश्वविद्यालय पालिवाल पार्क, उत्तर प्रदेश, पिन-20200
8. काशी विद्या पीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, पिन-221003
9. एम० एल० के० पी० ओ० कालेज, बलरामपुर, उ० प्र०, पिन-271201

डी० सी० ई० पाठ्यक्रमों का आयोजन करने वाले संस्थानों की सूची

1. अग्नेल पालीटेकनीक, अग्नेल गांव (पी० ओ०) वर्पा गोवा, द्वीप, दमन, पिन-403722
2. आंध्र पालीटेकनीक, काकीनाड़ा, आन्ध्र प्रदेश, पिन-533002
3. ए० पी० सी० राय पालीटेकनीक, जादवपुर, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, पिन-700032
4. बी० एण्ड वी० पालीटेकनीक, खेड़ा (जिला) वी० वी० नगर, पिन-300120
5. वी० एम० पालीटेकनीक इर्ला, जुगनु रोड, विल्लेपार्ले रोड, बम्बई, महाराष्ट्र पिन-400056
6. गवर्नमेंट इन्जीनियरी कालेज, त्रिचुर केरल, पिन-680003
7. गवर्नमेंट पालीटेकनीक, झज्जर, हरियाणा, पिन-124104
8. गवर्नमेंट पालीटेकनीक भटिण्डा, पंजाब
9. इलेक्ट्रानिकी मानव संसाधन विकास संस्थान, प्राजोटावर्स, वजुथाकोड, त्रिवेन्द्रम केरल पिन-695014
10. जवाहर लाल नेहरू टेक्नोलोजिकल विश्वविद्यालय, महावीर मार्ग, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, पिन-500020
11. कस्तूरबा महिला पालीटेकनीक महारानी बाग, नई दिल्ली, दिल्ली ,पिन-110065
12. एम० एस० यूनिवर्सिटी आफ बड़ौदा, बड़ौदा, गुजरात, पिन-390002
13. एच० एच० सासुसिदयीकी पालीटेकनीक शेफर्ड रोड, बम्बई, महाराष्ट्र पिन-400098
14. न्यू ब्वाएज पालीटेकनीक सी०/ओ० जी० बी० पंत पालीटेकनीक, ओखला, नई दिल्ली, दिल्ली, पिन-110020
15. हागनो पालीटेकनीक, हागनो, आसाम, पिन-702001

16. से० जय प्रकाश, पालीटेकनीक, यमुनानगर, हरियाणा, पिन-13500
17. संदूर पालीटेकनीक, यशवंतनगर
18. पदम भूषण श्री एन० रामा स्वामी अय्यर मेमोरियल बालिका पालीटेकनीक, त्रिची
19. वैश्य टेकनीकल इन्स्टीट्यूट, रोहतक
20. ए० बी० पारीख टेकनीकल संस्थान राजकोट, गुजरात

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर पाठ्यक्रम का आयोजन करने वाले संस्थानों की सूची

1. उन्नत प्रशिक्षण संस्थान, विद्यानगर, आन्ध्र प्रदेश-500708
2. उन्नत प्रशिक्षण संस्थान, उद्योग नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208022
3. उन्नत प्रशिक्षण संस्थान, दासनगर, हावडा, पश्चिम बंगाल-711105
4. अनुदेशकों के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गिंडी, मद्रास, तमिलनाडु-600032.
5. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औंध, पुणे, महाराष्ट्र-411007.
6. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बाराबाजार, बरेली, उत्तर प्रदेश
7. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मालापल्ली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
8. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
9. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हिसार, हरियाणा
10. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पूसा रोड, पूसा नई दिल्ली, पिन-110012
11. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुबैय्यासालाई, मेट्टुपलयम पांडिचेरी, पांडिचेरी
12. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गुवाहाटी असम-781016
13. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हासुर रोड बंगलौर कर्नाटक-560029
14. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, साउथ अंबाजारी रोड (अंधव्यक्तियों के लिए संस्थान के सामने) नागपुर, महाराष्ट्र-440022
15. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कटक, उड़ीसा
16. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर, राजस्थान
17. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पटियाला, पंजाब
18. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इम्फाल, मणिपुर
19. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान त्रिवेन्द्रम, केरल

20. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राउरकेला, उड़ीसा
21. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रांगपो, सिक्किम, पिन-737132
22. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हिराकुण्ड, उड़ीसा
23. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अम्बाला, हरियाणा
24. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कनोरा, शापुर, हिमाचल प्रदेश
25. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर, मध्य प्रदेश
26. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान श्रीनगर, जम्मू तथा कश्मीर
27. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल, मध्य प्रदेश
28. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (पुराना), विशाखापतनम, आन्ध्र प्रदेश
29. माडल प्रशिक्षण संस्थान, लुधियाना, पंजाब
30. राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली, दिल्ली-110001
31. क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई, महाराष्ट्र
32. क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर, कर्नाटक
33. क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, खडगकोटम, त्रिवेन्द्रम, केरल-695583
34. क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, गोरियाहाटरोड, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल-700019
35. टैक्नीकल हाई स्कूल (जिला) शोराहुर (केरल)

डी०सी० ए-टी०पी०पी० पाठ्यक्रम का आयोजन करने वाले संस्थानों की सूची

1. कस्तो वाडिया प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र-411001
2. ऐम०एल०के०पी०जी० कॉलेज, बलरामपुर,-उत्तर प्रदेश, पिन-271201
3. मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, इलाहाबाद, उत्तर-प्रदेश-211001
4. पांडिचेरी इंजीनियरी कॉलेज, लाम्सपेट पांडिचेरी-605003
5. एस०जे० इंजीनियरी कॉलेज, मैसूर कर्नाटक-570006
6. सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वी० वी० नगर, गुजरात-388120
7. टैक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सैक्टर-3, साल्टलेक सिटी कलकत्ता, पश्चिम बंगाल-700091
8. टैक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सैक्टर-26, चण्डीगढ़, चण्डीगढ़-160026

9. टैकनीकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शिमला हिल्स, भोपाल, म० प्र०-462002
10. टैकनीकल टीचर्स ट्रेनिंक इंस्टीट्यूट, तारामणी, मद्रास, तमिलनाडु-800113
11. दिल्ली विश्वविद्यालय कला संकाय एक्सटैंशन बिल्डिंग, दिल्ली, दिल्ली-110007
12. विक्रम ए० साराभाई कम्यूनिटी सैंटर, अहमदाबाद, गुजरात, पिन-9

एम० सी० ए०-टी० पी० पी० पाठ्यक्रम का आयोजन करने वाले संस्थानों की सूची

1. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर-प्रदेश
2. बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची, बिहार
3. भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल
4. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल
5. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
6. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई, महाराष्ट्र
7. मोती लाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, इलाहाबाद, उत्तर-प्रदेश
8. क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज, तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु

अनुवर्ती शिक्षा पाठ्यक्रम का आयोजन करने वाली संस्थानों की सूची

1. आसाम इंजीनियरी कालेज, गुवाहाटी, असम
2. कल्ली वाडिया इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलीजी, पुणे, महाराष्ट्र-411001
3. दिल्ली विश्वविद्यालय कला संकाय एक्सटेंशन बिल्डिंग, दिल्ली, दिल्ली-110007
4. जी० एस० इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलाजी एण्ड साइन्स, 23, पार्क रोड मध्य-प्रदेश-452005
5. गवर्नमेंट महिला पॉलीटेकनिक, कोयम्बटूर, तमिलनाडू
6. मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियर कालेज, जयपुर, राजस्थान
7. मोती लाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियर कालेज, इलाहाबाद, उत्तर-प्रदेश-211004
8. पांडिचेरी इंजीनियरी कालेज लास्पेंट, पांडिचेरी, पांडिचेरी-605000
9. क्षेत्रीय इंजीनियर कालेज, राउरकेला, उड़ीसा-769898
10. क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर, जम्मू तथा कश्मीर
11. क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर-851014
12. एस० जे० इंजीनियर्स कालेज, कर्नाटक-570006

13. टी० के० एम० इंजीनियरी कालेज, क्विलो, केरल-691005

14. थापर इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान-147001

15. वर्दवान यूनिवर्सिटी, वर्दवान, पश्चिम बंगाल-715104

16. विक्रम ए० साराभाई कम्यूनिटी साइन्स सेंटर, अहमदाबाद, गुजरात

एक संस्थान से दूसरे संस्थान में प्रवेश (क्रास माइग्रेशन) के लिए पाठ्यक्रम आयोजित करने वाले संस्थानों की सूची

1. अन्ना यूनिवर्सिटी, गिन्डी, मद्रास, तमिलनाडु-600025

2. दिल्ली विश्वविद्यालय, कला संकाय एक्सटेंशन, दिल्ली, दिल्ली-110007

3. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पवई, बम्बई, महाराष्ट्र-400076

4. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर, उत्तर-प्रदेश-203016

5. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल-721302

6. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, तमिलनाडु-600836

7. मोती लाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, इलाहाबाद, उत्तर-प्रदेश-211004

8. पूना विश्वविद्यालय, गणेशखण्ड, पुणे, महाराष्ट्र-411007

9. क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, वारंगल, आन्ध्र-प्रदेश-506004

10. रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की, उत्तर-प्रदेश-247667

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अतिरिक्त धनराशि जारी करना

1155. **श्री बबनराव ढाकणे :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय में बढ़ाई गई सीटों का खर्च पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त धनराशि जारी न करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संस्थागत बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने और शिक्षण तथा अनुसंधान की कोटि और स्तर को प्रोन्नत करने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान प्रदान करता है। इन अनुदानों में नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सहायता भी शामिल है। मौजूदा पाठ्यक्रमों में स्थानों में वृद्धि करने के कारण होने वाला व्यय सामान्यतया संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के मामले में, जहां विश्वविद्यालय अनुदान

आयोग अनुरक्षण व्यय भी वहन करता है, स्थानों में वृद्धि के कारण होने वाला व्यय आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है।

मिश्रधातु निगम लिमिटेड में आरक्षित पदों को कथित रूप से रिक्त रखा जाना

1156. **श्री अनादि चरण दास :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जून, 1989 तथा 30 जून, 1990 को, मिश्र धातु निगम लिमिटेड में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी संवर्गों में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी-कितनी थी;

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी थी;

(ग) 1 जून, 1989 तथा 30 जून, 1990 को कुल कितने-कितने कार्यकारी और गैर-कार्यकारी पद रिक्त थे और उनमें कितने-कितने पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों से भरे जाने थे; और

(घ) आरक्षित पदों संबंधी बकाया रिक्तियों को भरने के लिये वर्ष 1989 के विशेष अभियान के अन्तर्गत तथा वर्तमान अभियान के दौरान इन बकाया रिक्तियों में से कुल कितने पद पृथक-पृथक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों से भरे गये हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

(घ) वर्ष 1989 में चलाए गए विशेष भर्ती अभियान के दौरान अनुसूचित जाति के 4 पद और अनुसूचित जनजाति के 2 पद भरे गए। 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति के रिक्त पड़े बकाया पदों को भरने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है।

विवरण

मिश्र धातु निगम लिमिटेड में, 1 जून, 1989 और 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार कार्य-पालक और गैर-कार्यपालक श्रेणी के कर्मचारियों की अलग-अलग कुल संख्या और उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :

श्रेणी	1 जून, 1989 की स्थिति के अनुसार संख्या			30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार सं०		
	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
कार्यपालक	271	24	5	269	28	6
गैर—कार्यपालक	1236	125	43	1235	223	45

2. 1 जून, 1989 और 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार कार्यपालक और गैर-कार्यपालक श्रेणी के रिक्त पड़े बकाया पद और उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पदों की संख्या इस प्रकार है :

श्रेणी	1 जून, 1989 की स्थिति के अनुसार संख्या			30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार सं०		
	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
कार्यपालक	6	4	2	1	1	—
गैर-कार्यपालक	—	—	—	—	—	—

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, हैदराबाद में आरक्षित पदों में तथाकथित पिछले बकाया पद

1157. **श्री अनादि चरण दास :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, हैदराबाद ने 19 मार्च, 1989 को ग्रेड-I और इससे ऊपर के ग्रेडों में आरक्षित पदों में पिछले बकाया पदों के लिए विज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन पदों को इस बीच भरा जा चुका है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या ये पद अभी तक खाली पड़े हैं अथवा इन्हें गैर आरक्षित कर दिया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ) हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड की हैदराबाद डिवीजन ने मार्च 1989 में ग्रेड-I और इससे ऊपर के ग्रेडों के 75 पदों को भरने के लिए एक विज्ञापन दिया था जिनमें से 41 पद अनुसूचित जातियों और 34 पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थे। इस विज्ञापन के तहत हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड में प्राप्त आवेदनों पर कारंवाई नहीं की जा सकी क्योंकि आर्डर कम होने और पहले ही कार्मिकों की संख्या अधिक होने के कारण, मई, 1989 में कम्पनी ने कुछ महत्वपूर्ण/विशेषज्ञता वाले मामलों को छोड़कर अन्य पदों पर कार्मिकों की भरती पर रोक लगा दी लेकिन इनमें से किसी पद को अनारक्षित नहीं किया गया। कुछ नई परियोजनाओं में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड ने इस मामले पर पुनः विचार किया है और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय किया है। इस आशय का विज्ञापन समाचार पत्रों में पहले ही प्रकाशित हो चुका है और आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 13.8.90 है। इस

विशेष भर्ती अभियान के दौरान हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड की हैदराबाद डिवीजन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पिछले बकाया रिक्त पद भी भर लिए जाएंगे।

तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र को निष्क्रिय करना

1158. **श्री राम नाईक :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र का कार्य काल पूरा होने वाला है और क्या उपलब्ध प्रौद्योगिकी कार्यकाल पूरा हुए संयंत्र को निष्क्रिय करने में सक्षम है;

(ख) तारापुर संयंत्र की प्रारम्भिक लागत क्या थी और उसे निष्क्रिय करने की अनुमानित लागत क्या है; तथा क्या उत्पादित बिजली का प्रति यूनिट उत्पादन लागत का आकलन करते समय इन लागतों को ध्यान में रखा गया था;

(ग) क्या सरकार का विचार, संयंत्र को निष्क्रिय करने सम्बन्धी उपलब्ध प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए, समस्त परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पुनर्मूल्यांकन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में समयबद्ध कार्य-योजना क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) तारापुर परमाणु बिजलीघर अपने आर्थिक रूप से उपयोगी 25 वर्ष के कार्यकाल को वर्ष 19 4-95 में पूरा कर लेगा। तथापि आशा है कि यह बिजलीघर उस अवधि से अधिक लम्बे समय तक काम करेगा और बिजलीघर के विभिन्न संघटकों की हालत को ध्यान में रखने के पश्चात ही इस बिजलीघर को बंद करने की तारीख निर्धारित की जाएगी। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन द्वारा गठित समिति ने तारापुर परमाणु बिजलीघर को बंद करने के संबंध में प्रारंभिक अध्ययन किया है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उपलब्ध प्रौद्योगिकी बिजलीघर को बंद करने में सक्षम है।

(ख) सातवें दशक में तारापुर परमाणु बिजलीघर के दो यूनिट स्थापित करने के लिए संस्वीकृत लागत लगभग 93 करोड़ रुपए थी। इससे बिजलीघर को मॉथ बालिंग के तरीके बन्द करने की लागत मार्च, 1990 के मूल्यों के आधार पर लगभग 50 करोड़ रुपए आने का अन्तिम रूप से अनुमान लगाया गया था। तारापुर परमाणु बिजलीघर से बिजली पैदा करने की लागत का अनुमान लगाते समय इस बिजलीघर में लगाई गई पूंजी, मूल्य ह्रास, ईंधन भरने और प्रचालन तथा रखरखाव पर होने वाले व्यय को भी शामिल किया गया है। इस बिजलीघर को बन्द करने पर आने वाली लागत के लिए, अप्रैल, 1985 से 1.25 पैसे प्रति किलोवाट घंटे का प्रावधान भी शामिल किया गया है। यह राशि 10 वर्ष की अवधि में लगभग 20 करोड़ रुपए हो जाएगी।

(ग) और (घ) जी, नहीं। परमाणु बिजलीघरों को बन्द करने के लिए अनेक प्रकार की प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं और उस पर आने वाले खर्च को उत्पादित बिजली के उचित मूल्य-निर्धारण में से ही उपयुक्त रूप से पूरा किया जा सकता है।

तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में श्रमिक कानूनों का उल्लंघन

1159. **श्री राम नाईक :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में स्थित तारापुर में तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र तथा भाभा परमाणु ऊर्जा केन्द्र दोनों में सड़कों, भवनों, सीढ़ियों आदि की सफाई करने का कार्य श्रम मंत्रालय द्वारा निषेधात्मक अधिसूचना जारी करने के बावजूद श्रम ठेकेदारों और/अथवा नैमित्तिक मजदूरों को सौंप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रत्येक संगठन में कितने-कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं और निषेधात्मक अधिसूचना का उल्लंघन कब से किया जा रहा है;

(ग) इनमें से अनुसूचित जातियों और/अथवा अनुसूचित जनजातियों के कितने मजदूर हैं;

(घ) उन्हें औसतन कितनी दैनिक मजदूरी दी जाती है और यदि उन्हें विभागीय आधार पर नियुक्त कर लिया जाता तो उनकी औसतन दैनिक मजदूरी कितनी होती; और

(ङ) श्रम मंत्रालय के अधिसूचना का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं और मजदूरों को विभागीय तौर पर नियुक्त करने से सम्बन्धित समयबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) जहां तक तारापुर परमाणु बिजलीघर, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के यूनिटों और कालोनी में स्थित अन्य सार्वजनिक भवनों का संबंध है, कोई नैमित्तिक अथवा ठेका मजदूर नहीं रखा गया है। सड़कों की सफाई करने, कूड़ा-करकट एकत्रित करने, उसको ढोने और उसे फेंकने, स्टाफ कालोनी की सीढ़ियों की सफाई करने से संबंधित कार्य ठेके पर दिए गए हैं। स्टाफ कालोनी में, ठेकेदार ने 14 व्यक्ति काम पर लगाए हुए हैं जिनमें से 3 व्यक्ति अनुसूचित जाति और 7 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के हैं।

(घ) ठेकेदार के मजदूरों की दैनिक मजदूरी 17 रुपए से 22 रुपए प्रति दिन के बीच है। यदि उन्हीं व्यक्तियों को विभाग द्वारा नियुक्त किया जाता है तो औसतन मजदूरी 34.50 रुपए प्रति दिन होगी।

(ङ) श्रम मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना में दिए गए प्रावधानों का तारापुर परमाणु बिजलीघर द्वारा उल्लंघन नहीं किया गया है क्योंकि ठेका मजदूर केवल स्टाफ कालोनी में बाहर की सफाई करने के लिए रखे गए हैं, न कि बिजलीघर अथवा अनुसंधान केन्द्र के भवनों की सफाई करने के लिए।

नागपुर और विदर्भ में प्रौद्योगिकी उद्यान

1160. **श्री सुबाष देशमुख :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर नगर में प्रौद्योगिकी उद्यान स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार अथवा नागपुर/अमरावती विश्वविद्यालयों की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या आठवीं योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में किसी स्थान पर ऐसे प्रौद्योगिकी उद्यान की स्थापना में सहायता करने, बढ़ावा देने अथवा अन्यथा मदद करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे प्रौद्योगिकी उद्यान स्थापित करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम०जी०के० मेनन) : (क) जी नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं होता।

महाराष्ट्र में नेशनल माइक्रो इलैक्ट्रॉनिक्स कौंसिल के कार्यक्रम

1161. श्री सुदाम देशमुख :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल माइक्रो इलैक्ट्रॉनिक्स कौंसिल ने महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में माइक्रो इलैक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी विकास और निर्माण सम्बन्धी किसी कार्यक्रम के लिए अब तक कोई सहयोग किया है अथवा कोई रखा है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इलैक्ट्रॉनिक विभाग ने अब तक विदर्भ (महाराष्ट्र राज्य) के किसी केन्द्र में एल० एस० जी०/वी० एस० एस० आई० डिजाइन सेन्टरों की स्थापना की है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इलैक्ट्रॉनिक विभाग को विदर्भ (महाराष्ट्र) क्षेत्र में, और विशेषकर नागपुर और अमरावती नगरों में, एन० एम० सी० के विशेष कार्यक्रम और केन्द्र के लिए महाराष्ट्र सरकार या किसी अन्य संगठन से कोई मांग या अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) जी, नहीं। किन्तु, राष्ट्रीय सूक्ष्म इलैक्ट्रॉनिकी परिषद् के तत्वावधान में महाराष्ट्र राज्य के बम्बई तथा पुणे शहरों में सूक्ष्म इलैक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास और उससे संबद्ध अन्य कार्यकलाप शुरू किए गए हैं।

महाराष्ट्र में "सोसाइटी फार अप्लाइड माइक्रोवेव इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च के उपकेन्द्र

1162. श्री सुदाम देशमुख :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सोसाइटी फार अप्लाइड माइक्रोवेव इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च" (एस० ए० एम० ई० ई० आर०) ने अभी तक कोई उपकेन्द्र स्थापित किया है या करने का प्रस्ताव है या सीधे ही विदर्भ क्षेत्र (महाराष्ट्र) के किसी इलैक्ट्रॉनिक एकक की सहायता प्रदान की है; और

(ख) क्या इलैक्ट्रॉनिक उद्योग और महाराष्ट्र सरकार ने एस० ए० एम० ई० ई० आर० से; आर० एफ० और माइक्रोवेव आदि में नवीनतम प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन, के लिए नागपुर में कम-से-कम एक उपकेन्द्र स्थापित करने का अनुरोध किया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी; नहीं।

भारतीय भाषाओं के लिए पारिभाषिक विकास

1163. श्री सुदाम देशमुख :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भाषाओं के लिए पारिभाषिक विकास कार्यक्रम में मराठी भाषा को शामिल करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो मराठी भाषा के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ किए जाने वाले कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल की जाने वाली प्रस्तावित अन्य भारतीय भाषाओं का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) से (ग) इलैक्ट्रानिकी विभाग ने भारतीय भाषाओं के लिये प्रौद्योगिकी विकास नामक एक कार्यक्रम तैयार किया है जिसे आठवीं योजना के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत के संविधान में उल्लिखित सभी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें मराठी भी शामिल है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आठवीं योजना में भारतीय भाषाओं के लिए निम्नलिखित विशिष्ट कार्यकलाप शुरू करने का प्रस्ताव है :—

(i) भाषाएं सीखने के लिए प्रणालियां।

(ii) मशीनी अनुवाद

(iii) मानव-मशीन पारस्परिक सम्पर्क (इन्टर फेस)

महानगरों में नशीली औषध रोधी दस्ते

1164. **श्रीमती वासव राजेश्वरी :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्य अनुसंधान दल (आप्रेशन रिसर्च ग्रुप) द्वारा बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में अप्रैल, 1990 के मध्य में किये गए सर्वेक्षण के अनुसार नशीली औषध रोधी दस्ते निष्प्रभावी रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा जांच की गई रिपोर्ट में और कितने सुझाव दिये गए हैं; और

(घ) इन सुझावों को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागेश चंद्रवर्धन) : (क) और (ख) कार्य अनुसंधान दल को केवल दिल्ली में ही नशीली औषध दुरुपयोग निवारण विधियों के कानूनी प्रशासन और कार्यविधिक पहलुओं से संबंधित एक अध्ययन सौंपा गया है। उक्त अध्ययन अभी चल रहा है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

सशस्त्र सेनाओं को शराब की सप्लाई में तथाकथित कमीशन

[हिन्दी]

1165. **श्री कल्पनाथ सोनकर :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस रिपोर्ट की जानकारी है कि मोहन मिकिन्स ने सशस्त्र सेनाओं को शराब की सप्लाई करने का आर्डर प्राप्त करने के लिए कमीशन के रूप में भारी धनराशि दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) 1989 में सरकार को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया था कि मोहन मिकिन्स ने सशस्त्र सेनाओं को शराब की सप्लाई करने के लिये कमीशन दिया है। इन शिकायतों की विधिवत् रूप से जांच करने के लिए उन्हें केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया गया था। कम्पनी कार्य विभाग ने कम्पनी अधिनियम की धारा 209-क के तहत मैसर्स मोहन मिकिन्स के बही खातों की जांच की है और जांच अधिकारी के प्रारंभिक निष्कर्षों में अन्य बातों के साथ-साथ कतिपय फर्मों को कमीशन के भुगतान का जिक्र किया गया है। इस संबंध में कम्पनी कार्य विभाग ने मैसर्स मोहन मिकिन्स की टिप्पणी प्राप्त कर ली है और उस पर उक्त विभाग में विचार किया जा रहा है।

केरल में हाथी दांत के परिष्कृत माल और हाथी दांत से बने परिष्कृत सामान के भण्डार का निपटान

[अनुवाद]

1166. **श्रीमती चेन्नुपति विद्या :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में हाथी दांत उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबन्ध के कारण हाथी दांत और हाथी दांत से बने परिष्कृत सामान का भारी भण्डार पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से हाथी दांत के भंडार के निपटान के लिए अनुमति मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस भण्डार का किस प्रकार निपटान करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) केरल में हाथी दांत और हाथी दांत से बने परिष्कृत सामान का भण्डार पड़ा हुआ है।

(ख) और (ग) केरल राज्य सरकार को सुझाव दिया गया था कि वह भारतीय हाथियों की गैर-कानूनी शिकार और उनके मारने को कारगर ढंग से रोकने के उद्देश्य से हाथी दांत के भंडार को नष्ट करने के बारे में विचार कर सकती है। राज्य सरकार के विचार उपलब्ध होने पर ही इस संबंध में अपेक्षित निर्णय लिया जाएगा।

युधिष्ठिर सम्वत को राष्ट्रीय सम्वत के रूप में अपनाना

[हिन्दी]

1167. **श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ये सभी घटनाएं अर्थात् महाभारत के ऐतिहासिक युद्ध का अन्त, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक समारोह और परीक्षित का जन्म एक ही समय में घटित हुई और उसी दिन से "भारत सम्वत्" के नाम से एक नया वर्ष शुरू हुआ जिसे विख्यात खगोल शास्त्री बराह मिहिर ने "युधिष्ठिर सम्वत" का नाम दिया;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्वत को राष्ट्रीय सम्वत के रूप में अपनाने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या हमारे पड़ौसी और मित्र देश, नेपाल में विक्रम सम्वत् को राष्ट्रीय सम्वत के रूप में मान्यता दी गयी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या महाभारत अथवा विक्रम सम्वत को राष्ट्रीय सम्वत के रूप में अपनाने के संबंध में पुनरीक्षा करने और सुझाव देने हेतु कोई आयोग गठित किया जा रहा है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) इस विषय पर विद्वान इतिहासकार और खगोल शास्त्री एक मत नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन परम्परागत संवतों के साथ सम्बद्ध ऐतिहासिक प्रामाणिकता के अभाव में, महाभारत की घटनाओं के साथ उनके संदेहास्पद सम्बन्धों और विभिन्न विद्वानों द्वारा महाभारत के युद्ध की निर्धारित विविध तिथियों के कारण इसको स्वीकृत करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(घ) नेपाल में विक्रम संवत को राजकीय रूप से मान्यता प्राप्त है।

(ङ) और (च) 1952 में, भारत सरकार द्वारा प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्व० प्रो० एम० एन० साहा की अध्यक्षता में गठित पंचांग सुधार समिति द्वारा इस मामले की पहले ही जांच कर ली गई है, तथा इसकी सिफारिश पर भारत सरकार ने सन् 78 ईसवीं में आरंभ होने वाले शक सम्वत को राजकीय प्रयोग के लिये 22 मार्च से स्वीकार किया जिसे शक पंचाग वर्ष का प्रथम दिवस माना जाता है।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी

[अनुवाद]

1168. श्रीमती वासव राजेश्वरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी कम हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तुलनात्मक स्थिति क्या है;

(ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान इस अन्तर को कम करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आगेय गोवर्धन) : (क) गरीबी अनुपात में दर्शाई गई गरीबी की मात्रा ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में कम रही है। परन्तु, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक रही है।

(ख) इस संबंध में वर्ष 1987-88 की तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार है:—

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी तथा बेरोजगारी-1987-88 (%)

गरीबी अनुपात		बेरोजगारी दर	
ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
32.66	19.45	3.07	6.56

*प्रायिक प्रमुख अवस्थिति।

(ग) आठवीं योजना के दृष्टिकोण में कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रकों के विकास पर विशेष बल दिया गया है तथा यह परिकल्पना की गई है कि ग्रामीण जनसंख्या को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमों पर विकास परिव्यय के अनुपात को बढ़ाकर 50% कर दिया जाए।

जिस समय तक सामान्य विकास प्रक्रिया के माध्यम से सृजित रोजगार काम को मांगने वालों की आवश्यकताओं को उचित रूप से पूरा नहीं करता, तब तक बेरोजगारों को प्रत्याभूत काम के लिए एक विशेष कार्यक्रम की भी परिकल्पना की गयी है।

निवेश पद्धति को यथा संभव उच्च पूंजीगत संकेन्द्रित कार्यकलापों से उच्च श्रम सकेन्द्रित कार्यकलापों की तरफ बदलने का भी प्रस्ताव है।

सरकारी कर्मचारियों का सेवा काल बढ़ाया जाना

1169. **श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के विभिन्न अंगों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाये जाने की मंजूरी देने संबंधी नियम और नीति क्या हैं और सेवाकाल बढ़ाने के लिए सक्षम अधिकारी कौन हैं;

(ख) क्या मूल नियमों में निहित सेवानिवृत्ति और सेवाकाल बढ़ाये जाने संबंधी नियम सरकार के सभी विभागों और स्वायत्त निकायों पर समान रूप से लागू होते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इन मामलों में सरकार की नीति का पालन न किये जाने के कारण तथा औचित्य क्या हैं; और

(घ) यदि इस संबंध में कोई विषमता है, तो क्या सरकार का विचार इस विषमता को दूर करने का है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) अधिवर्षता के उपरान्त सरकारी कर्मचारी के सेवाकाल में बढ़ोतरी की मंजूरी बहुत ही विरल और अपवादिक परिस्थितियों में, पूर्णतः जनहित के मामलों में दी जाती है, जबकि कोई अन्य तैयार अधिकारी उस कार्य को हाथ में लेने के लिए उपलब्ध न हो अथवा सेवानिवृत होने वाला अधिकारी उत्कृष्ट रूप से योग्यता सम्पन्न हो। तत्संबंधी प्रक्रिया, मानदण्ड तथा सेवाकाल बढ़ाने में सक्षम प्राधिकारी का विस्तृत विवरण मूल नियमों में निहित हैं।

(ख) यद्यपि मूल नियम प्रत्यक्षतः स्वायत्त निकायों पर लागू नहीं होते, तथापि स्वायत्त निकायों के ऐसे पदों के संबंध में जिन पर प्रारंभिक नियुक्ति राष्ट्रपति/केन्द्रीय सरकार द्वारा या उनके अनुमोदन से की जाती हैं, वहां सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित मानदण्डों का ही अनुसरण किया जाता है।

(ग) और (घ) जहां नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति/केन्द्रीय सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, वहां स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों की सेवा-शर्तें पूर्णतः स्वायत्त निकाय का निजी मामला होती हैं। वहां सरकारी कर्मचारियों पर लागू सेवाकाल वृद्धि की नीति और मानदण्ड इन पदों पर

लागू नहीं होते जब कि अन्यथा ऐसे निकाय द्वारा इन्हें स्वयं अपनाया न गया हो।

पंजाब सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

1170. **बाबा सुच्चा सिंह :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और चंडीगढ़ में श्रेणी-I के ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध गत तीन वर्षों के दौरान दुराचरण की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) ऐसी कितनी शिकायतों की विभागीय जांच की गयी तथा कितनी शिकायतों की सतर्कता विभाग द्वारा जांच करवायी गयी;

(ग) कितने मामलों में जांच पूरी हो गयीं है तथा कितने मामलों में जांच लंबित पड़ी है;

(घ) कितनी शिकायतें सही पाई गयी तथा की गयी अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जांच के लिए लंबित मामलों की प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पंजाब में क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र

1171. **बाबा सुच्चा सिंह :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चंढ़ीगढ़ में एक क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र स्थित है;

(ख) यदि हां, तो पंजाब सरकार द्वारा इसका कितना उपयोग किया जाता है;

(ग) पंजाब सरकार ने और इसके प्रबन्ध वाली सहकारी संस्थाओं सहित सरकारी क्षेत्र के इसके उपक्रमों द्वारा कितने कम्प्यूटर खरीदे गए हैं;

(घ) पंजाब सरकार किन विभिन्न क्षेत्रों में इन कम्प्यूटरों का उपयोग करती है;

(ङ) क्या इन कम्प्यूटरों का उपयोग स्थानान्तर आदेशों, पदोन्नतियों और मकान आंबटन के लिए भी किया जाता है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) और (ख) जी, हां। पंजाब सरकार तथा उस क्षेत्र में स्थित अन्य राज्यों तथा संगठनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चंडीगढ़ में एक क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र है। इस केन्द्र के कुल कम्प्यूटर समय और प्राप्त

राजस्व में से पंजाब सरकार द्वारा प्रति वर्ष इस केन्द्र की सुविधाओं का उपयोग लगभग एक तिहाई है।

(ग) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पंजाब में सड़क के किनारे वनों की कमी होना

1172. **बाबा सुच्चा सिंह :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब में सड़कों के किनारे वन-क्षेत्रों में किए गए विभिन्न निर्माणों के रूप में बड़े पैमाने पर वन-भूमि पर कब्जा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अवैध कब्जे को हटाने तथा इससे बचने के लिए की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वनभूमि के कम होने तथा पर्यावरण संबंधी नुकसान होने का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री नीलमणि राउत राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

बिहार में सड़कों का निर्माण

[हिन्दी]

1173. **श्री लालबाबू राय :**

क्या जल भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाजीपुर, छपरा, सीवन से उत्तर प्रदेश की सीमा तक 57.4 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सड़कों के निर्माण के लिए एक सड़क निर्माण योजना राष्ट्रीय राजमार्ग मास्टर प्लान के अंतर्गत वर्ष 1976 में बनाई गयी थी;

(ख) क्या राष्ट्रीय परिवहन विकास परिषद् ने इसके निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने की सिफारिश की थी; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) हाजीपुर छपरा-सिवान सड़क जो राज्य सड़क नैटवर्क का एक हिस्सा है के विकास की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड में कुछ राज्यीय सड़कों को शामिल करने की सिफारिश की थी जिनमें अन्य के साथ-साथ, प्रश्नगत सड़क को आंशिक रूप से शामिल करते हुए गाजीपुर – बलिया – छपरा – हाजीपुर सड़क शामिल है। तथापि वित्तीय अभावों और प्राथमिकताओं के कारण इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग नैटवर्क में शामिल करना संभव नहीं हो पाया है।

पुणे नगर की 350 वीं वर्षगांठ के अवसर पर डाक टिकट जारी करना

[अनुवाद]

1174. **प्रो० राम गणेश काप्से :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के पुणे नगर की 350 वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष डाक टिकट जारी करने के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) स्मारक/विशेष डाक टिकट जारी करने और अन्य संबंधित मामलों के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए विभाग में एक फिलैटली सलाहकार समिति कार्यरत है । दिनांक 6.8.90 को हुई समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को इसके समक्ष विचार के लिए रखा गया था परन्तु, समिति ने इसकी सिफारिश नहीं की ।

राजस्थान में इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज एकक की स्थापना

[हिन्दी]

1175. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के एककों की संख्या कितनी है और वे राज्य-वार कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में ऐसा कोई एकक स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) आई० टी० आई० यूनिटों की राज्यवार अवस्थिति नीचे दी गयी है :—

राज्य	स्थान
कर्नाटक	1. बेंगलूर
	2. कोनिक शहर हुसुर रोड
उत्तर प्रदेश	3. मनकापुर
	4. रायबरेली
	5. बैनी
केरल	6. पालघाट
जम्मू और कश्मीर	7. श्रीनगर

(ख) और (ग) आई० टी० आई० की कोई नयी यूनिट स्थापित करने और उनके स्थान के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

खेतीहर मजदूरों के श्रम दिवस और दैनिक आय

1176. **श्री रामेश्वर प्रसाद :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि क्षेत्र में एक श्रमिक को वर्ष 1965, 1975, 1985 और 1989 में राज्य-वार औसतन कितने दिन कार्य मिला, और उसकी औसत दैनिक आय कितनी थी;

(ख) क्या एक श्रमिक को उपलब्ध कार्यदिवसों की औसत संख्या और उनकी आय की स्थिति संतोषजनक है; और

(ग) यदि हां, तो यह किस प्रकार उचित है यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

धान उत्पादकों को राज सहायता

[अनुवाद]

1177. **श्री राजमोहन रेड्डी :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार धान उत्पादकों को उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष राज सहायता उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) धान उपजाने वाले किसानों को उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए 19 राज्यों के चुनिंदा जिलों में चावल विकास हेतु समेकित कार्यक्रम नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत खासकर साधन की दृष्टि से गरीब छोटे और सीमान्त किसानों को आधुनिक आदानों जैसे कि प्रमाणित बीजों, सूक्ष्म-पोषक तत्वों, शाकनाशियों, उन्नत कृषि उपकरणों इत्यादि के प्रयोग के लिए परिदान लागत के रूप में सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। किसान की भूमि पर क्षेत्र प्रदर्शनों का भी आयोजन किया जा रहा है ताकि धान के बड़े भाग द्वारा उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी के अपनाये जाने तथा तेजी से कार्य में लगाये जाने को कारगर बनाया जा सके।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किये गये टेलीफोन कनेक्शन

1178. **श्री रवि नारायण पांडे :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों के दौरान संबंधित कार्यालयों द्वारा कुछ टेलीफोन कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किये गये थे और ओ० वी० जारी किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो पश्चिमी क्षेत्र महानगर टेलीफोन निगम लि०, दिल्ली के क्षेत्र प्रबंधक के कार्यालय में विचाराधीन मामलों का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) स्वीकृत टेलीफोन कनेक्शनों को कब तक लगा दिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मुम्बई से थाणे जिले में पालघर, दहानु और तारापुर तक एस० टी० डी० सुविधा

1179. **श्री राम नाईक :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के थाणे जिले में मुम्बई से पालघर और दहानु और तारापुर तक दोनों तरफ एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने की लगातार मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक यह सुविधा प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुविधा प्रदान करने के लिए क्या समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पानी में पैदा होने वाला खरपतवार को नष्ट करने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग

1180. **श्रीमती सुभाषिनी अली :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पानी में अथवा नदी के किनारे पैदा होने वाली खरपतवार को नष्ट कर सकने वाले अथवा नष्ट न कर सकने वाले कीटनाशकों की कोई सूची तैयार की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) कीट नाशक अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत स्थापित पंजीकरण समिति ने कीटनाशक अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत 25 खरपतवार नाशकों का पंजीकरण किया है । इनमें से इलापोन, पैराक्वेट तथा

2, 4-डी पानी में होने वाली खरपतवार का नियंत्रण करने में कारगर हैं। कीटनाशकों के लिए पंजीकरण समिति द्वारा किसी विशेष कीट समस्या के लिए प्रयुक्त न किए जा सकने योग्य कीट-नाशकों की कोई ऋणात्मक सूची निर्धारित नहीं की है।

केरल में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

1181. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में उन टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है जिनके विस्तार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है;

(ख) क्या इन टेलीफोन एक्सचेंजों में से किसी भी एक्सचेंज का विस्तार कार्य शुरू हो गया है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केरल के मालाबार क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार हेतु कुछ स्वीकृत परि-योजनाओं का कार्य शुरू करने में विलम्ब के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा परिमंडल में भर्तियों में आरक्षण नियम

1182. **श्री अनादि चरण दास :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा परिमंडल, भुवनेश्वर में शाखा डाकपाल के पद पर भर्ती में आरक्षण नियमों का इस आधार पर पालन नहीं किया जा रहा है कि इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने उनको कोई अनुदेश जारी नहीं किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है; और

(ग) सरकार का अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लोगों की अब तक हुई क्षति को किस प्रकार पूर्ति करने का प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) उड़ीसा सर्किल से जानकारी मांगी गई है और यह जानकारी प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश के गांवों में पेयजल की समस्या

1183. **श्री बी० एन० रेड्डी :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के कितने गांवों को इस समय पेयजल की गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) इन गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख) 1-4-1990 को आन्ध्र प्रदेश में कोई "समस्याग्रस्त" गांव नहीं हैं। 1990-91 के दौरान 1000 गांवों को आंशिक रूप से पेयजल सुविधा उपलब्ध करने के लक्ष्य के मुकाबले 149 गांवों को पहले ही पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सातवीं योजना के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 105.67 करोड़ रुपये के आबंटन के मुकाबले 108.38 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई थी। आंध्र प्रदेश में तीन मिनी-मिशन अर्थात् कुरनूल, महबूब नगर और पूर्वी गोदावरी जिलों के लिए 11.54 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के मुकाबले 6.78 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की जा चुकी है।

त्रिपुरा में चकमा शरणार्थी

1184. श्री संजय कुमार मंडल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चकमा शरणार्थी संघ के अध्यक्ष कुछ समय पूर्व शरणार्थियों की विभिन्न समस्याओं से सरकार को अवगत कराने हेतु दिल्ली आये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने जुलाई, 1990 तक चकमा शरणार्थियों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की है और उन्हें किस प्रकार की सुविधायें दी गई हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) बंगला देश से आए जनजाति शरणार्थियों की देख-रेख के लिए राज्य सरकार को 2186.267 लाख रुपए की राशि दी गई है। शरणार्थियों को, जब तक वे बंगला देश वापस नहीं जाते, तब तक भोजन, कपड़े, आश्रय, शिक्षा और चिकित्सा सुविधा इत्यादि दी जा रही है।

यंत्र चालित नौकाएं और मत्स्य नौकाएं

1185. श्री सुखेन्दु खां :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में मछुआरों को कितनी यंत्र चालित नौकाएं और मत्स्य नौकायें दी गई हैं और इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ख) इस समय देश में राज्यवार कितने मछुआरे हैं; और

(ग) मत्स्य उत्पादन के लिये राज्यवार कितने जल-क्षेत्र का उपयोग किया जाता है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) मछुआरों के लिए यांत्रिकृत नावें तथा ट्रावलरों को उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार की कोई केन्द्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना नहीं थी। तथापि, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने पिछले तीन वर्षों के दौरान मछुआरा सहकारी संस्थाओं को एफ० आर० पी० डोंगियों तथा समुद्रतट अवतरण जलयान सहित 430 यंत्रीकृत नावों की मंजूरी दी है।

(लाख रुपए में)

राज्य	1987-88		1988-89		1989-90		कुल	
	मंजूर की गयी नावों की संख्या	निर्मुक्त धन राशि	मंजूर की गयी नावों की संख्या	निर्मुक्त धन राशि	मंजूर की गयी नावों की संख्या	निर्मुक्त धन राशि	नावों की संख्या	निर्मुक्त धन राशि
आन्ध्र प्रदेश	39	31.72	48	23.60	33	—	120	55.33
गुजरात	12	118.95	46	137.99	67	123.46	125	380.40
उड़ीसा	15	8.40	15	14.46	10	7.95	40	30.81
महाराष्ट्र	5	40.61	47	75.25	67	207.04	119	322.90
तमिलनाडु	18	42.00	—	3.09	—	—	18	45.09
दमन और द्वीव	—	—	—	—	8	—	8	—
केरल	—	7.13	—	—	—	—	—	7.13
कुल	89	248.81	156	254.39	185	338.45	430	841.66

(ख) और (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन में तदर्थ आधार पर कार्यरत कर्मचारियों का नियमित किया जाना

1186. श्री मनोरंजन भक्त :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में विभाग-वार तथा श्रेणीवार कितने कर्मचारी तदर्थ आधार पर कार्यरत हैं;

(ख) वे कर्मचारी तदर्थ आधार पर कब से कार्य कर रहे हैं;

(ग) उनकी सेवाओं को नियमित न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उनकी सेवाओं को कब तक नियमित किये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

भारत-अमरीकी संबंध

1187. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अमरीका से सम्बन्ध सुधारने के लिए पिछले छः महीनों में क्या कदम उठाए गए;

(ख) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान दोनों देशों द्वारा इस संबंध में किसी प्रोटोकाल/संयुक्त विज्ञप्ति आदि पर हस्ताक्षर किये गए; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) पिछले छः महीनों में कई अलग-अलग क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमरीका के साथ संबंध निरंतर सुधरे हैं। हमारी द्विपक्षीय बातचीत में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं पर, व्यापारिक प्रश्नों पर, उच्च प्रौद्योगिकी अन्तरण, नशीली दवाइयों के नियंत्रण में सहयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा आपसी हित के अन्य मामलों पर विचार-विनिमय हुआ था।

(ख) भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच 29 मार्च, 1990 को नशीली दवाइयों के संदर्भ में परस्पर सहयोग के विषय पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे।

(ग) नशीली दवाइयों से सम्बद्ध एक पारस्परिक समझौते में औषधियों के गैर कानूनी व्यापार को रोकने के लिये दोनों देशों के बीच सहयोग के उपाय तय किये गए हैं। दोनों पक्षों ने सूचना का आदान-प्रदान करना, प्रशिक्षण और उपकरण को अद्यतन बनाना तथा गैर कानूनी नशीली दवाइयों के व्यापार के बढ़ते हुए खतरे का मुकाबला करने के अन्य अनेक उपाय करना स्वीकार किया है।

कर्नाटक में पेयजल की सप्लाई

1188. श्री जनार्दन पुजारी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, कर्नाटक में पेयजल की सप्लाई से संबंधित कोई परियोजना मंजूरी के लिये विश्व बैंक के पास भेजी गई थी;

(ख) क्या विश्व बैंक ने इस परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितनी धनराशि व्यय की जायेगी और राज्य को कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख) विश्व बैंक के साथ प्रारम्भिक परामर्श करने के बाद, राज्य सरकार अब एक पूर्व मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दार्जिलिंग में विदेशी पर्यटकों के जाने पर लगा प्रतिबन्ध

1189. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार दार्जिलिंग क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विदेशी पर्यटकों के वहां जाने पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) दार्जिलिंग सहित पश्चिम बंगाल के पांच जिलों को 18-7-1990 से प्रतिबंधित क्षेत्रों की सूची से हटा दिया गया है।

बिस्फी और सिमरी में शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाना

[हिन्दी]

1190. **श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या संचार मंत्री मधुबनी और दरभंगा जिलों में डाकघर खोले जाने के बारे में 29 मार्च, 1990 के अतारांकित पत्र संख्या 2641 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिस्फी, सिमरी तथा बरहा शाखा डाकघरों का दर्जा कब तक बढ़ा दिया जायेगा;

(ख) बेणिपट्टी के माक्या तथा बिस्फी के चहुंता में नए शाखा डाकघर कब तक खोले जाने की संभावना है;

(ग) लोहकाबा बाजार के डाकघर को अपने ही भवन में कब तक स्थानान्तरित कर दिया जाएगा; और

(घ) बिस्फी-बेणिपट्टी, बिस्फी-मधुबनी, माधवपुर-शहर घाट-बेणिपट्टी-मधुबनी, लोहकाबा लाडिन्पा-जयनगर-मधुबनी को टेलीफोन प्रणाली से कब तक जोड़ दिया जायेगा जिससे उप-डिवीजन तथा जिला मुख्यालय एक दूसरे से सीधे जुड़ जाएं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) सिमरी शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने के मामले पर विचार किया गया लेकिन अभी उसका औचित्य नहीं पाया गया जबकि बिस्फी शाखा डाकघर से सम्बन्धित प्रस्ताव की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। बरहा का दर्जा बढ़ाने पर अभी विचार नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) 1990—92 के दौरान निम्नलिखित लिंक्स को टेलीफोन सिस्टम द्वारा जोड़ा जाएगा।

1. दरभंगा—मधुबनी (34 एम० बी० जेड० माइक्रोवेव सिस्टम)
2. दरभंगा—बेइपुर (30 चैनल डिजिटल यू० एच० एफ०)
3. मधुबनी—बेनीपट्टी (30 चैनल डिजिटल यू० एच० एफ०)
4. मधुबनी—जयनगर (30 चैनल डिजिटल यू० एच० एफ०)

II. आठवीं योजना के दौरान निम्नलिखित लिंक्स स्थापित किये जायेंगे :

1. मधुबनी—झांझरपुर (120 चैनल डिजिटल यू० एच० एफ०)
2. लोखाना—झांझरपुर (30 चैनल डिजिटल यू० एच० एफ०)
3. माधवपुर—बेनीपट्टी (एस० सी० बी० एच० एफ०)
4. बिस्फी—माधवपुर (एस० सी० बी० एच० एफ०)

राज्यों में टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

[अनुवाद]

1191. श्री एन० डेनिस :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 और 1989 के दौरान विभिन्न राज्यों में राज्य-वार कितने टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए; और

(ख) इन एक्सचेंजों में कितनी नई टेलीफोन लाइनें जोड़ी गईं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में टेलीफोन कनेक्शन

1192. श्री ए० विजयराघवन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में प्रत्येक जिले में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने की सम्भावना हैं। और

(ग) किन-किन एक्सचेंजों से नये कनेक्शन दिये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) केरल में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये लंबित पड़े जिलेवार आवेदन पत्रों की संख्या संलग्न विवरण दी गई है।

(ख) वर्ष 1990-91 के लिए 24300 नए टेलीफोन कनेक्शन देने का लक्ष्य है।

(ग) निम्नलिखित एक्सचेंजों में आवेदकों को नए टेलीफोन कनेक्शन शीघ्र दिये जाने की संभावना है।

कोम्बानाड, मट्टूल, इलानाड, अदीममली, एराकुलम, परूर, किल्ट्रन, कोडुवयूर, पेरम्बरा, कोयलमन्ना, पट्टाम्बी, चलकुड़ी, अंगामली, चिरयिंकिल, कल्लीक्कल, कुइलोन-चिन्नाककाड़ा, हरिप्पा, इरनाकुलम-पलरिवट्टम, कन्नानोर, और वकतनम।

विवरण

केरल में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की जिलावार संख्या (30-6-90 की स्थिति के अनुसार)

त्रिवेन्द्रम	18618
कुइलोन	8987
पतनमथिट्टा	8273
एलेंप्पी	7880
कोट्टायम	16527
एर्नाकुलम	20000
इडुकी	4074
त्रिचूर	15889
पालघाट	4987
मलप्पुरम	9166
कालीकट	14272
वाईनाड़	2685
कन्नानौर	12249
कसारगोड़	8153
पूरे केरल राज्य में	154778

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय अहमदाबाद से पासपोर्ट जारी किया जाना

1193. **श्री शांति लाल पुरुषोत्तम दास पटेल :**

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान माहवार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय अहमदाबाद में पासपोर्ट के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) उनमें से कितनों को पासपोर्ट जारी किए गए;

(ग) क्या इस कार्यालय में पासपोर्ट पुस्तिकाओं (बुकलेट्स) की भारी कमी है;

(घ) यदि हां, तो इस कमी पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) पासपोर्ट जारी करने के लिए इस कार्यालय द्वारा औसतन कितना समय लिया जाता है?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) पिछले एक वर्ष के दौरान अगस्त, 1989 से जुलाई, 1990 तक माहवार प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या :—

महीना	प्राप्त आवेदन-पत्र	जारी किये गए पासपोर्टों की संख्या
8/89	8,100	8,404
9/89	7,880	9,630
10/89	7,040	7,121
11/89	7,120	7,061
12/89	8,700	7,140
1/90	9,800	10,104
2/90	9,340	9,310
3/90	10,180	10,586
4/90	8,535	7,820
5/90	8,051	9,316
6/90	8,084	7,813
7/90	8,573	6,335
कुल	1,01,403	1,00,710

(ग) और (घ) पासपोर्ट पुस्तिकाओं की थोड़ी कमी है और इस मामले को वित्त मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक के साथ उठाया गया है।

(ङ) औसतन दो महीने का समय लगता है।

दिल्ली परिवहन निगम के कामगारों को आवास और चिकित्सा सुविधाएं

1194. **श्री जे० पी० अग्रवाल :**

क्या **अल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारी पिछले कुछ समय से अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में उनके समान कामगारों को उपलब्ध बेहतर आवास चिकित्सा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें ये सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

अल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) दि०प०नि० के कर्मचारी एक अतिरिक्त कालोनी के निर्माण के लिए अभ्यावेदन करते रहे हैं चूंकि दि०प०नि० की मौजूदा आवास सुविधाएं सीमित हैं। दि०प०नि० प्रबंधक, पृथक आवासीय कालोनी के निर्माण के लिए भू-आवंटन हेतु मामले पर कार्यवाही कर रहा है। कर्मचारियों को विशेष उपचार सुविधाओं सहित चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं। दि०प०नि० द्वारा वर्दी, धुलाई-भत्ता, निशुल्क गंतव्य यात्रा, छुट्टी यात्रा रियायत आदि के संबंध में भी उसी प्रकार सुविधाएं दी जाती हैं जैसी इस प्रकार के सड़क राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा दी जाती हैं।

इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा उत्पादन में वृद्धि

1195. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज द्वारा उत्पादन में दो गुना वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज द्वारा प्रौद्योगिकी की दृष्टि से उन्नत प्रकार के किन-किन उपकरणों का निर्माण किया जा रहा है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज ने लाइन उत्पादन 1986-87 में 454 करोड़ रु० से घटाकर 1989-90 में 938 करोड़ रु० किया अर्थात तीन वर्षों में दो गुनी वृद्धि।

(ख) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज द्वारा विनिर्मित कुछ प्रौद्योगिक रूप से उपस्कर निम्नलिखित हैं :—

1. स्विचिंग :
   - (i) एम० आई० एस० टी०
   - (ii) सी-डॉट रैक्स
   - (iii) ई० एस० ए० एक्स०
   - (iv) आई० एस० टी०
   - (v) ई-10 बी०

II. टेलीफोन : इलेक्ट्रानिक पुश बटन ई-8.

III. पारेषण उपस्कर :

(i) डिजिटल समाक्ष उपस्कर (34 और 140 एम०सी०/एस०)

(ii) डिजिटल रेडियो (6,13 जी० एच०)

(iii) डिजिटल यू० एच० एफ० 120 चैनल

(iv) आप्टीकल फाइबर उपस्कर (140/एम० सी०/एस०)

(v) हाई आर्डर एम० यू० एक्स० (8 और 34 एम० बी०/एस०)

(vi) सिंगल चैनल वी० एच० एफ

(vii) मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो उपस्कर

(viii) रक्षा नेटवर्क के लिए विशेष उपस्कर

ईरान के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुधार

1196. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने गत छः महीनों के दौरान ईरान के साथ द्विपक्षीय संबंध सुधारने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : मैंने अप्रैल, 1990 में ईरान के विदेश मंत्री के साथ लाभप्रद विचार-विमर्श किया था। बाद में मई, 1990 में ईरान के भारी उद्योग उप मंत्री भारत यात्रा पर आए। इन मुलाकातों के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने तथा और अधिक पारस्परिक विश्वास तथा सद्भाव को विकसित करने की संभावनाओं पर विचार किया। कई अन्य प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है जिनका उद्देश्य राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में निरन्तर आदान-प्रदान करना है।

पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिये राज्यों को सहायता

1197. श्री माधव राव सिंधिया :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश और अन्य राज्य सरकारों को राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्यवार और वर्ष-वार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गयी और इसमें ऋण और अनुदानों की कितनी राशि शामिल थी;

(ख) इस प्रकार की सहायता/अनुदान दिए जाने के लिए क्या मापदंड अपनाया जाता है; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान मध्य प्रदेश और अन्य राज्य सरकारों द्वारा इस कार्य के

लिए कितनी सहायता की मांग की गयी और अब तक स्वीकृत किए गए ऋणों और अनुदानों की राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) "पुलिस" विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में सम्मिलित है। राज्य सरकारें प्राथमिक रूप से अपने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और परिष्कृतीकरण के लिए जिम्मेवार है तथापि भारत सरकार, राज्य पुलिस बलों, का आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत राज्यों को सहायता देती रही है। योजना के अन्तर्गत सहायता की प्रणाली 50 प्रतिशत सहायता अनुदान और ऋण देने की है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को दी गयी वित्तीय सहायता के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार से 1990-91 के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

राज्य का नाम	दी गयी राशि		
	1987-88	1988-89 (रु० लाखों में)	1989-90
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	118.16	63.76	40.00
2. असम	94.38	50.91	35.00
3. बिहार	121.62	63.65	30.00
4. गुजरात	61.54	—	48.34
5. हिमाचल प्रदेश	40.32	9.30	17.43
6. हरियाणा	27.19	50.00	25.33
7. जम्मू एवं कश्मीर	35.41	—	21.00
8. कर्नाटक	96.37	54.34	26.70
9. केरल	47·08	47.08	44.36
10. मध्य प्रदेश	79.56	79.56	50.00
11. महाराष्ट्र	162.23	86.95	54.93
12. मणिपुर	10.08	10.08	10·08
13. मेघालय	11.31	11.31	10.74
14. नागालैंड	10.35	10.78	9.00

1	2	3	4
15. उड़ीसा	46.96	46.96	44.60
16. पंजाब	61.50	37.38	41.51
17. राजस्थान	82.49	124.19	66.86
18. सिक्किम	4.20	4.20	4.00
19. तमिलनाडु	162.09	86.95	63.47
20. त्रिपुरा	12.56	12.56	10.28
21. उत्तर प्रदेश	104.06	90.00	170.00
22. पश्चिम बंगाल	71.13	71.13	67.57
23. गोवा	25.20	10.40	18.48
24. अरुणाचल प्रदेश	7.105	7.00	—
25. मिजोरम	7.105	7.00	25.00

टेलीफोन कालों की अधिक मीटर रीडिंग किये जाने की शिकायतें

1198. **श्री पी० सी० थामस :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन एक्सचेंजों में, विशेष रूप से एस० टी० डी० सुविधा वाले एक्सचेंजों में, टेलीफोन कालों की अधिक मीटर रीडिंग किये जाने की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इन शिकायतों को किस प्रकार दूर किया जाता है;

(ग) गलत मीटर रीडिंग, गलत बिल बनाये जाने, एक्सचेंजों में एस० टी० डी० के दुरुपयोग इत्यादि जैसी शिकायतों की प्रतिशतता कितनी है; और

(घ) सरकार ने ऐसी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिक मीटर रीडिंग आने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं लेकिन जारी किए जाने वाले बिलों के परिणाम को देखते हुए इनकी संख्या अधिक नहीं मानी जा सकती। अब तक ऐसी घटनाएं जारी किए गए बिलों की कुल संख्या का लगभग एक प्रतिशत है।

(ख) इन शिकायतों को संलग्न विवरण-I में विनिर्दिष्ट तरीके से निपटाया जाता है।

(ग) जैसा कि उपर्युक्त पैरा (क) में उल्लेख किया गया है पिछले कुछ वर्षों में बिलिंग संबंधी शिकायतों की संख्या लगभग एक प्रतिशत है। तथापि गलत मीटरिंग, गलत बिलिंग, एक्सचेंजों इत्यादि में एस० टी० डी० के दुरुपयोग आदि के अवसरों की प्रतिशत के संबंध में कोई पृथक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) ऐसी शिकायतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-I

अधिक बिल वाली शिकायतों का निपटान :

1. अधिक बिल की सारी शिकायतों की पहले लिपिकीय त्रुटियों के लिए और उसके बाद आंतरिक और बाह्य उपस्कर में तकनीकी त्रुटियों के लिए जांच की जाती है। मीटर उपस्कर की कार्यप्रणाली की जांच करने और उपभोक्ता के कालिंग पैटर्न का पता लगाने के लिए टेलीफोन का परीक्षण किया जाता है।

2. आगे पाक्षिक मीटर रीडिंग का स्टीन रिकार्ड करते समय यदि कुछ छूट जाता है तो यह आदेश हैं कि उपभोक्ता के लाइन उपस्कर की स्वयं ही जांच की जाती है और यदि कोई तकनीकी खराबी हो तो तत्काल उचित सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

3. जब कभी संदर्भ के तहत बिलों के रिकार्ड किए गए कालों की संख्या विवादपूर्ण अवधि के ठीक पहले वाली 6 बिलिंग अवधियों के दौरान मीटर किए गए कालों की सबसे अधिक संख्या के 100% से अधिक है तो बिल रद्द कर दिया जाता है। यदि उपभोक्ता ने इसके लिए अनुरोध किया हो और उसे कहा जाता है कि वह उक्त छः बिलिंग अवधियों की केवल औसत रकम और उसके 10% का ही तुरंत भुगतान करे। शेष राशि को तब तक अस्थगित रखा जाता है जब तक कि जांच पर अन्तिम निर्णय नहीं ले लिया जाता।

4. उपभोक्ता के परिसर में मीटर उपस्कर की कार्यप्रणाली और विशेष अवसर से संबंधित जांच किए जाते हैं और छूट मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

5. अधिक मीटरिंग शिकायतों के सभी मामलों पर पहले दूरसंचार जिला अभियंता द्वारा निर्णय लिया जाता है, और यदि उपभोक्ता उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह निदेशक दूरसंचार/चीफ जनरल मैनेजर/महानिदेशक दूरसंचार को इसके विरुद्ध अपील कर सकता है जो इसके गुणावगुण के आधार पर इसकी पुनरीक्षा करता है और अपना निर्णय देता है।

विवरण-2

अधिक बिल आने की शिकायतों के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा

(क) मीटर रीडिंग एक व्यक्ति द्वारा करना और रीडिंग को रजिस्टर में दूसरे व्यक्ति द्वारा नोट करना और विपरीत पद्धति से रीडिंग को चैक करना। इससे गलत मीटर रीडिंग के अवसर कम हो जाते हैं।

(ख) लिपिकीय अशुद्धियों से बचने के लिए सभी मैट्रो जिलों और कुछ प्रमुख शहरों में बिल बनाने के कार्य का कम्प्यूटरीकरण किया गया है।

(ग) निशुल्क एस०टी०डी०/आई०एस०डी० कालों का विस्तृत बिल देने की सुविधा उन

प्रयोक्ताओं को प्रदान की गयी है जहां मौजूदा एक्सचेंज सुविधा इस की अनुमति देती हैं।

(घ) प्रयोक्ताओं के मांग पर पाक्षिक मीटर रीडिंग (2 रु० के नाममात्र के प्रभार पर) प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान की गई है ताकि वे कालों की प्रगति पर निगाह रख सकें।

(ङ) ऐसे मामलों को कम करने के लिए निम्नलिखित तकनीकी समाधान भी अपनाए गए हैं :—

(i) क्रासबार एक्सचेंजों में पोजिटिव बैटरी मीटरिंग का आरम्भ

(ii) विभिन्न टैरिफों के आटोमेटिक स्विच ओवर का प्रावधान

(iii) एस० टी० डी० कालों के मामले में काल करने वाले उपभोक्ता द्वारा प्रतीक्षा समय को 1 से 2 मिनट घटाकर 1 से 2 सेकेण्ड करना।

(iv) प्रयोक्ताओं के मीटरों का नैमित्तिक परीक्षण

(v) मीटरों की सीलिंग

(vi) मीटर कक्ष को ताला लगाना

(vii) मुख्य डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम कक्षों में प्रवेश पर प्रतिबन्ध

(viii) डिस्ट्रीब्यूशन प्वाइंटों को ताला लगाना

(ix) डिस्ट्रीब्यूशन प्वाइंटों से उठाना

(x) मोबाइल सतर्कता दस्तों का गठन।

महाराष्ट्र के परभनी जिले में नये डाकघर खोलना

[हिन्दी]

1199. **श्री अशोक आनंदराव देशमुख :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में परभनी जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने डाकघर हैं;

(ख) क्या इस जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कितने और किन-किन स्थानों में डाकघर खोले जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) परभानी जिले के ग्रामीण और शहरी इलाकों में काम कर रहे डाकघरों की संख्या क्रमशः 273 और 19 है।

(ख) और (ग) वार्षिक योजना 1990-91 में, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में डाक नेटवर्क का विस्तार करने का कार्यक्रम है। तथापि इस समय विभाग सातवीं योजना के कार्यक्रम का मूल्यांकन करने में लगा है ताकि आठवीं योजना के दौरान अपनाए जाने वाले मानदंड तैयार किए जा सकें।

वर्तमान उक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्यों/जिलों के बारे में कार्यक्रम बनाए जाने की संभावना है।

दोष युक्त केबिलों को बदलना

[अनुवाद]

1200. श्रीमती चेनुपति विद्या :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसून की पहली बौछार के साथ ही, जुलाई, 1990 के महीने के दौरान दिल्ली टेलीफोन के अनेक एक्सचेंजों के केबिल निष्क्रय हो गये; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और केबिल प्रणाली की फिर से मरम्मत करने तथा बधा अपेक्षित दोष युक्त केबिलों को बदलने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में डाकघर और तारघर खोलना

[हिन्दी]

1201. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कार्यरत डाकघरों और तारघरों की संख्या का जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और अधिक डाकघर एवं तारघर खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में किन स्थानों पर नए डाकघर खोलें जाएंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र) :

(क) डाकघर :

31.3.1990 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में 18,801 डाकघर कार्यरत थे। इनकी जिलेवार संख्या एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तारघर :

जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) डाकघर :

1990-91 की वार्षिक योजना में डाक नेटवर्क के विस्तार के लिए अनुमोदित कार्यक्रम है।

तारघर :

जी, हां।

(ग) डाकघर :

विभाग अब नैशनल इन्स्टीट्यूट आफ रूरल डिवेलपमेंट के सहयोग से सातवीं योजना के कार्यक्रम का मूल्यांकन कर रहा है ताकि इस मूल्यांकन के आधार पर आठवीं योजना के दौरान अपनाए जाने वाले मानदंड तैयार किए जा सकें। इस कार्य के समाप्त होने के बाद अन्य राज्यों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के लिए वास्तविक कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिये जाने की संभावना है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

उत्तर प्रदेश में कार्यरत तारघरों का जिलावार ब्योरा

क्र० सं०	जिले का नाम	सी०टी०ओ०	डी०टी०ओ०	सी० ओ०
1	2	3	4	5
1.	आगरा/फिरोजाबाद	1	4	114
2.	इलाहाबाद	1	3	113
3.	आजमगढ़/मऊनाथ-भंजन	—	2	121
4.	अलीगढ़	1	3	99
5.	अल्मोड़ा	—	1	117
6.	बलिया	—	1	128
7.	बस्ती/सिद्धार्थनगर	—	2	127
8.	बांदा	—	1	74
9.	बहराइच	—	1	80
10.	बाराबंकी	—	1	87
11.	बरेली	1	1	78
12.	बदायूं	—	1	111
13.	बिजनौर	—	2	70

1	2	3	4	5
14.	बुलंदशहर	—	1	111
15.	चमोली	—	1	68
16.	देवरिया	—	1	205
17.	देहरादून	1	1	72
18.	एटा	—	2	110
19.	इटावा	—	1	147
20.	फर्रूखाबाद	—	1	112
21.	फैजाबाद	—	1	141
22.	फतेहपुर	—	1	82
23.	गोरखपुर/महाराजगंज	1	1	184
24.	गाजीपुर	—	1	121
25.	गोंडा	—	1	147
26.	गाजियाबाद	—	4	78
27.	हरदोई	—	1	170
28.	हमीरपुर	—	1	64
29.	जौनपुर	—	1	94
30.	झांसी	—	1	66
31.	जलायों	—	1	56
32.	कानपुर शहर/देहात	1	6	140
33.	लखनऊ	1	5	90
34.	लखीमपुर	—	1	165
35.	ललितपुर	—	1	41
36.	मुरादाबाद	—	1	101
37.	मैनपुर	—	1	107
38.	मेरठ	1	3	98
39.	मुजफ्फरनगर	—	1	125

1	2	3	4	5
40.	मथुरा	—	1	108
41.	मिर्जापुर/सोनभद्र	—	3	51
42.	नैनीताल	—	2	129
43.	पिथौरागढ़	—	1	76
44.	पीलीभीत	—	1	72
45.	प्रतापगढ़	—	1	66
46.	पौड़ी गढ़वाल	—	2	82
47.	रामपुर	—	1	55
48.	रायबरेली	—	1	127
49.	सुलतानपुर	—	1	75
50.	सीतापुर	—	1	85
51.	शाहजहांपुर	—	1	94
52.	सहारनपुर/हरिद्वार	—	3	123
53.	टेहरी (गढ़वाल)	—	1	73
54.	उत्तरकाशी	—	1	14
55.	उन्नाव	—	1	103
56.	वाराणसी	1	4	120

नोट : सी० टी० ओ० = केन्द्रीय तारघर

डी० टी० ओ० = विभागीय तारघर

सी० ओ० = संयुक्त डाकघर-तारघर

महाराष्ट्र में टेलीफोन प्रणाली

[अनुवाद]

1202. श्री बबनराव ढाकणे :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में, विशेष रूप से बंबई तथा पुणे में बरसात के दौरान टेलीफोन प्रणाली खराब हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का आगामी बरसात के मौसम में टेलीफोन प्रणाली को खराब होने से बचाने के लिए एहतियात के तौर पर क्या उपाय करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां। वर्षा के मौसम में टेलीफोन सेवाओं पर बुरा असर पड़ता है।

(ख) टेलीफोन सेवाओं की अव्यवस्था को कम करने के लिये निम्नलिखित पूर्व उपाय/निवारण उपाय किए गए हैं :

(i) विभाग अपनी यूनिटों द्वारा अथवा अन्य उपयोगिता सेवाओं के जरिए किये जाने वाले खुदाई कार्य के कारण भूमिगत केबिलों को नंगा होने से बचाने के लिये गड्ढ़ों को भरना। इस प्रकार भरने से त्रुटि या खराबी का पता चल जाता है जिससे उसे ठीक कर दिया जाता है।

(ii) दिये गए संयोजन कार्य की प्रैशर जांच।

(iii) जिन मार्गों पर खुदाई का कार्य प्रगति पर हो वहां पर गश्त लगाना।

(iv) बिछाई गई नई केबिलों की कड़ाई से स्वीकृति जांच ताकि उचित गहराई और केबिल बिछाने और जोड़ने का कार्य सुनिश्चित किया जा सके।

(v) विभिन्न उपयोगिता सेवाओं द्वारा किये जा रहे खुदाई कार्य का समन्वय करने के लिए भूमिगत उपयोगिता आचरण संहिता को अपनाया जाना। इसके अतिरिक्त, वर्षा के मौसम में अव्यवस्था को कम करने के लिए दीर्घावधिक उपायों में डक्टिंग, भूमिगत केबिलों का नवीकरण और जेलीयुक्त केबिलों का इस्तेमाल किया जाना आदि शामिल है।

चीन में दूरसंचार के क्षेत्र में भारत की सुरक्षा को खतरा

[हिन्दी]

1203. श्री नन्दलाल मीणा :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और चीन का किन-किन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग है;

(ख) क्या दूरसंचार के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित और अन्य द्विपक्षीय परियोजनाओं से भारत की सुरक्षा को खतरा पहुंचने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) भारत और चीन के बीच कृषि, खनन, तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कुछ पहलुओं तथा संस्कृति के क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग है। व्यापार, आर्थिक संबंध तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में सहयोग को देखने के लिये मंत्री स्तरीय संयुक्त दल मौजूद है।

(ख) और (ग) सप्रमाण यह तो नहीं कहा जा सकता कि भारत की सुरक्षा को खतरा है किन्तु सरकार ऐसी सभी घटनाओं पर बराबर निगाह रखती है जिनका देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता हो।

दिल्ली में नई बिक्री कर योजना

[अनुवाद]

1204. श्री पी० एम० सईद :

श्री गंगा चरण लोधी :

श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक नई बिक्री कर योजना आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) यह नयी योजना में वर्तमान बिक्री कर प्रणाली से किन-किन मुख्य बातों में भिन्न हैं;

(घ) इस योजना से लगभग कितने व्यापारी लाभान्वित होंगे; और

(ङ) यह योजना कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क)से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में जाली करेंसी नोटों का मुद्रण

1205. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में, मध्य प्रदेश में सौ-सौ रुपये के जाली नोट छापने का धन्धा करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 489-ए से 489-ई तक के अंतर्गत जाली नोट बनाने का कार्य एक अपराध है। अपराध को रोकने के लिए कार्रवाई करने का काम राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों का है क्योंकि "कानून और व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं।

तथापि वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग ने सूचित किया है कि जाली नोट बनाने के विरुद्ध उपायों के रूप में, करेंसी/बैंक नोटों को इस प्रकार से तैयार किया जाता है ताकि जाली या असली नोटों का पता लग सके। भारतीय रिजर्व बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नोट जारी करने वाले कार्यालयों के काउण्टरों पर जब कभी जाली मुद्रा का पता लगता है, इस प्रकार के नोटों को जब्त किया जाता है और नोट प्रस्तुत करने वाले से यह लिखित बयान देने के लिए कहा जाता है कि उसे

जाली नोट कहां से मिला । उसके बाद, जब्त किए गए जाली नोट को प्रस्तुतकर्ता द्वारा दिये गये लिखित बयान के साथ जांच-पड़ताल और आगे उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को भेजा जाता है।

मेहम उपचुनाव की घटना की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच

[हिन्दी]

1206. **श्री हर्षवर्धन :**

श्री भोगेन्द्र झा :

श्रीमती वासव राजेश्वरी :

श्री इरा अन्नारासु :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेहम उप-चुनाव में हिंसा और इससे जुड़े मामलों की जांच उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश द्वारा कराये जाने के आदेश दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस जांच के लिए अभी तक न्यायाधीश की नियुक्ति न किए जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) हरियाणा राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे दिल्ली स्पेशल पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत मेहम घटनाओं की जांच करने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो को अधिकार प्रदान करने के लिए अपनी विशेष सहमति प्रदान करें । राज्य सरकार ने अभी तक अपनी अपेक्षित सहमति नहीं दी है । तथापि केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश, न्यायामूर्ति श्री डी० पी० मदान के नेतृत्व में मेहम घटनाओं की जांच करने के लिए एक जांच आयोग गठित किया है । आयोग ने जांच आयोग अधिनियम की धारा 5 क के अधीन, आयोग को सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सेवाएं मांगी हैं और इस मामले में आयोग को भारत सरकार की आवश्यक सहमति प्रदान की गई है।

सुरक्षा और दौरों पर व्यय

1207. **श्री रेशम लाल जांगड़े :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 से नवम्बर, 1989 और दिसम्बर, 1989 से जुलाई, 1990 तक प्रधान मंत्री की सुरक्षा तथा दौरों (जैसे विमान यात्रा और अन्य दौरे) पर क्रमशः कितना खर्च हुआ; और

(ख) क्या उपरोक्त व्यय में कटौती करने हेतु कोई प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) प्रधान मन्त्री को सुरक्षा प्रदान करने वाले विशेष ग्रुप के कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी, यात्रा खर्च तथा यातायात पर आने वाला समस्त बजट व्यय निम्न प्रकार है :

1988-89	4,71,36,815.00 रु०
अप्रैल, 1989 से नवम्बर, 1989 तक	4,63,78,669.00 रु०
दिसम्बर, 1989 से जुलाई, 1990 तक	4,61,28,613.00 रु०

(ख) अनावश्यक तथा फिजूल खर्च को कम करने के लिये सतत प्रयास किये जाते हैं।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण

1208. **श्री मित्रसेन यादव :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम की प्रगति का राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम की प्रगति के बारे में कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया है क्योंकि कार्यक्रम केवल वर्ष 1989-90 के दौरान ही आरम्भ किया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में पाकिस्तानी घुसपैठिए

[अनुवाद]

1209. **श्री सी०के० कुप्पुस्वामी :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस नेटवर्क की एक विंग—फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट के निदेशों के अधीन कुछ विशेष गिरोह सक्रिय हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन गिरोहों का पता लगाने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) उनकी गतिविधियों के बारे में प्राप्त जानकारी का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों से काफी पूछताछ करने पर पता चला है कि घाटी में घुसपैठ करने के इरादे से पाकिस्तान और पाक-अधिकृत कश्मीर में बड़ी संख्या में युवकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जम्मू और

कश्मीर में अनेक सुरक्षा उपाय किए गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में केन्द्रीय पुलिस बल भेजना, राज्य केन्द्रीय पुलिस संगठन तथा सेना के मध्य बेहतर समन्वय का कार्य करना, चयनात्मक आधार पर छानबीन कार्य और छापे मारने का कार्य तेज करना और सीमावर्ती क्षेत्र में सतर्कता को सुदृढ़ करना शामिल हैं।

पाकिस्तान में प्रशिक्षित विघटनकारियों द्वारा जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ

1210. **श्रीमती बासवराजेश्वरी :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा बलों ने 10 जून, 1990 को पुंछ क्षेत्र में सीमा पार करते हुए पाकिस्तान में प्रशिक्षित विघटनकारियों द्वारा प्रवेश करने की चेष्टा विफल कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कितनी बार चेष्टा की गई; और

(ग) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने और पाकिस्तानियों द्वारा इस प्रकार की चेष्टा करने को विफल बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) हाल में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक अवसरों पर सीमा पार करने की कोशिश करते हुए अनेक उग्रवादी/विघटनकारी तत्वों को पकड़ा गया या मारा गया। 10 जून को पुंछ क्षेत्र में इस प्रकार की कोशिश को नाकामयाब करने के बारे में कोई सूचना नहीं है। तथापि कुपवाड़ा क्षेत्र में उस दिन पीछा करने पर दो उग्रवादी पकड़े गए और दो उग्रवादी मारे गए।

प्रधान मन्त्री की विदेश यात्रा

1211. **श्री जी० एस० बासवराज :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री ने जुलाई, 1990 में किन-किन देशों की यात्रा की; और

(ख) प्रधान मन्त्री द्वारा निकट भविष्य में किन-किन देशों की यात्रा की जाएगी ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ।

(ख) प्रधानमन्त्री सम्भवतः नवम्बर, 1990 में सार्क शिखर सम्मेलन के लिए माले जाएंगे। उनके शीघ्र ही नेपाल की यात्रा पर जाने की भी संभावना है। यात्रा की तारीखें अभी निश्चित नहीं हुई हैं।

"इनसेट-1 डी" द्वारा संचार सुविधाएं

1212. **श्री नाथू सिंह :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "इनसेट-1 डी" उपग्रह के माध्यम से देश में संचार सुविधाओं में सुधार करने संबंधी भावी योजनायें क्या हैं;

(ख) क्या कम्प्यूटर और संचार सुविधाओं का उपयोग करके एक सूचना "नेटवर्क" विकसित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) भावी योजनाएं निम्नलिखित हैं :—

(i) देश के दूरदराज, पहाड़ी, पिछड़े और देश के द्वीप-क्षेत्रों में लगभग 17 जिला मुख्यालयों के लिए प्रयोक्ता टर्मिनल डायल (एस०टी०डी०) सुविधा

(ii) लगभग 35 नए भू-केन्द्र उपलब्ध कराए जाएंगे।

(iii) मध्यम परियात क्षमता के लिए कुल्लू, पोर्ट ब्लेअर, इम्फाल और अगरतल्ला में उपग्रह भू-केन्द्र को बनाया जाएगा ताकि इन स्थानों से एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

(ख) जी, हां।

(ग) एक रिमोट एरिया बिजनिस मैसेज नेटवर्क (आर०ए०बी०एम०एन०) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इससे निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी :

(i) 1200 बी० पी० तक की स्पीड के लिए इन्टर एक्टिव द्वारा संचार

(ii) फैक्सीमिली सेवा

(iii) स्वदेशी टेलेक्स नेटवर्क तक पहुंच

(iv) इन्टरनेशनल टेलेक्स एक्सचेंज (गेटेक्स) तक पहुंच

(v) वी०एस०एन०एल० गेटवे एक्सचेंज के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय डाटा नेटवर्क तक पहुंच।

भारत-नेपाल संयुक्त विज्ञप्ति पर कार्यवाही

[हिन्दी]

1213. श्री दौलत राम सारण :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेपाली प्रधान मन्त्री की भारत यात्रा के अवसर पर इन दोनों देशों से प्रधान मंत्रियों द्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्ति की अनुसूची-एक और दो में अंतर्विष्ट मुद्दों पर भारत और नेपाल की सरकारों ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : भारत सरकार ने 10 जून, 1990 को भारत और नेपाल के प्रधान मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त विज्ञप्ति के अनुबंध-1 के तहत अपनी सभी वचनबद्ध-

तारों को पूरी करने के लिए कार्रवाई की है। नेपाल की सरकार ने भी अनुसूची-2 के अंतर्गत अपनी अधिकांश वचनबद्धताओं को पूरा कर लिया है।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

1214. श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दी जाएगी जिन्हें राज्य सरकारों से पेंशन मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब से किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन की मंजूरी दिए जाने की अपनी योजनाएँ हैं। वे स्वतंत्रता सेनानी, जो राज्य सरकार से पेंशन प्राप्त करते हैं, जरूरी नहीं कि वे केन्द्र सरकार की योजना के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने के पात्र हों क्योंकि केन्द्र सरकार की योजना के अन्तर्गत मंजूर की जाने वाली पेंशन के लिए पात्रता के मापदण्ड राज्य योजना से भिन्न हैं।

जम्मू तथा कश्मीर से पलायन करके आए व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि

1215. श्री जनार्दन तिवारी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जम्मू-कश्मीर से विस्थापित परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) कश्मीर घाटी से जम्मू में आए पात्र प्रवासियों को प्रति परिवार 1,000 रु० की अधिकतम मासिक वित्तीय सहायता पहले से ही दी जा रही है।

दिल्ली प्रशासन के पास पंजीकृत जम्मू और कश्मीर के पात्र प्रवासियों को 500/-रु० की प्रति परिवार अधिकतम सहायता दी जा रही है। ऐसे जो प्रवासी दिल्ली प्रशासन के शरणार्थी शिविरों में

रह रहे हैं उन्हें भी प्रतिमाह 500 रु० से कुछ अधिक राशि का मुफ्त राशन और एक समय खाना बनाने के लिए किचिन किट दिया जा रहा है। सरकार नकद मासिक सहायता में वृद्धि करने के लिए सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

पंचायती राज विधेयक

1216. **प्रो० यदुनाथ पाण्डेय :**

श्री जे० चोक्का राव :

श्री मनोरंजन भक्त :

श्री बालेश्वर यादव :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में समाप्त हुए मुख्यमन्त्री सम्मेलन में सरकार यथाशीघ्र संसद में पंचायती राज विधेयक प्रस्तुत करने पर सहमत हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो पंचायती राज विधेयक संसद में कब तक प्रस्तुत करने का विचार है; और

(ग) विधेयक की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख) पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवीकरण से संबंधित एक संविधान संशोधन विधेयक को संसद के चालू सत्र के दौरान पेश किये जाने की सम्भावना है।

(ग) विधेयक में पंचायती राज संस्थाओं के लिये पांच वर्ष का एक समान कार्यकाल निर्धारित करने, सुपरसेशन की स्थिति में छः महीनों के भीतर चुनाव करवाने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और इन संस्थाओं को पर्याप्त कार्यात्मक तथा वित्तीय अधिकारों की सुपुर्दगी देने के प्रावधान शामिल हैं।

आपरेशन ब्ल्यू स्टार के पश्चात सेना से भाग जाने वाले भगौड़े सैनिकों का पुनर्वास

[अनुवाद]

1217. **श्री उत्तम राठौड :**

श्री मनोरंजन भक्त :

श्री बाल गोपाल मिश्र :

श्री हरीश पाल :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आपरेशन ब्ल्यू स्टार के पश्चात बैरकों से भाग जाने वाले भगौड़े सैनिकों के पुनर्वास के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) आपरेशन ब्ल्यू स्टार के पश्चात सेना से भागे 347 व्यक्ति जिनका पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता है के नाम निम्नलिखित संगठनों को भेजे गए : -

के० ओ० सु० बल	---	51
रेलवे	—	46
डाक	—	44
दूर संचार	—	46
एफ०सी०आई०	—	100
सी० डब्ल्यु०सी०	—	25
डी०पी०ई०फार पी०एस०यू०	—	35
	कुल	347

सभी संगठनों ने संबंधित व्यक्तियों को काल लेटर भेज दिए हैं और तब से 208 व्यक्तियों का चयन कर लिया गया है। 161 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं और उनमे से 69 ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। शेष व्यक्तियों के मामलों को सशक्त ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है।

और 13 व्यक्ति जो सजा काट रहे थे उन्हें छोड़ दिया गया है और उनके नाम विभिन्न संगठनों को रोजगार के लिए भेज दिए गए हैं। संबंधित संगठनों को शीघ्रातिशीघ्र चयन प्रक्रिया पूरी करने के लिए अनुरोध किया गया है।

2. मारे गए/लापता प्रत्येक 71 भगौड़े सैनिकों के एक आश्रित को 10,000 रु० की अनुग्रह सहायता के अनुदान हेतु 18.7.90 को आदेश जारी किए जा चुके हैं तथा संबंधित व्यक्तियों में वितरण हेतु पंजाब सरकार को 7,10,000 रु० की राशि मंजूर की गयी है।

पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि मारे गए/लापता इन प्रत्येक 71 भगौड़े सैनिकों के एक आश्रित को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

डाक विभाग को हुआ घाटा

[हिन्दी]

1218. प्रो० शैलेन्द्र नाथ श्री वास्तव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987-88, 1988-89 और वर्ष 1989-90 के दौरान डाक विभाग को घाटा हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस घाटे में गैर-सरकारी डाक एजेंसियों अथवा "कूरियर" सेवा का कहां तक योगदान है; और

(घ) डाक बिभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रभावकारी कदम उठाये जा रहे हैं कि इस विभाग को घाटा न हो ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) क्योंकि विभाग द्वारा सुलभ कराई गई सभी सेवाओं के संबंध में सेवा उपलब्ध कराने की लागत उसके लिए नियत वर्तमान टैरिफ पर अर्जित राजस्व से कहीं अधिक है।

(ग) जबकि प्राइवेट डाक एजेन्सियों अथवा कुरियर सेवाओं के नेटवर्क से डाक विभाग द्वारा किए जा रहे परियात में कुछ सीमित क्षेत्रों जहां ये संगठन कार्य कर रहे हैं, में ही कमी आ सकती है, परन्तु यह नहीं कह सकते कि इससे विभाग को घाटा हो रहा है। विभाग के घाटे का कारण है सेवा उपलब्ध कराने की लागत और विभाग द्वारा वास्तव में किए गए परियात से अर्जित राजस्व में अंतर।

(घ) विभाग द्वारा इस समय उठाए जा रहे घाटे को तभी दूर किया जा सकता है जब सभी सेवाओं का टैरिफ सेवा प्रदान करने की पूरी लागत से अधिक पर नियत किया जाए। बहरहाल, विभाग द्वारा उठाए जा रहे घाटे को कुछ हद तक कम करने के लिए कुछ सेवाओं के टैरिफ में हाल ही में संशोधन किया गया है।

बंगलौर में टेलीफोन कनेक्शन

[अनुवाद]

1219. श्री वी० कृष्ण राव :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1990 तक बंगलौर नगर में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदक थे;

(ख) आवेदक कितने-कितने समय से प्रतीक्षारत हैं;

(ग) सरकार का प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली और बंबई में टेलीफोन सेवा के लिए कार्यरत महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की भांति बंगलौर के लिए भी एक टेलीफोन निगम की स्थापना करने का है;

(ङ) यदि हां, तो यह निगम कब तक स्थापित कर दिया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) 48552

(ख) 29.4.83 के बाद के।

(ग) आठवीं योजना में बेंगलूर में सीधी एक्सचेंज लाइनों को निम्नानुसार बढ़ाने का प्रस्ताव है :—

1990-91	में 7,400 लाइनों से
1991-92	में 23,400 " "
1992-93	में 36,000 " "
1993-94	में 36,000 " "
1994-95	में 45,900 " "

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) इस संबंध में सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ सम्बन्ध

1220. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भारत के नजदीक लाने के लिए कोई विशेष सांस्कृतिक आदान-प्रदान चलाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में से थाइलैंड (अप्रैल, 77), मलयेशिया (मार्च, 78), फिलिपींस (सितम्बर, 69), और इंडोनेशिया (1955) के साथ सांस्कृतिक करारों पर हस्ताक्षर किये थे। सरकार, मलयेशिया और फिलिपींस के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों को (2-3 वर्षों की अवधि के) अन्तिम रूप देने के लिए कार्यवाही कर रही है।

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों को विविध प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से संबंधित किया जाता है, जैसे —कलाकार टोलियों के मंचन, प्रदर्शनियां, पुस्तकों का उपहार, छात्र वृत्तियां और भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् द्वारा संचालित प्रतिष्ठित आगन्तुकों और विद्वानों का आदान-प्रदान।

जकार्ता में भारतीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य सिखाने के लिए और भारत विषयक नाटक, रंगमंच, संगोष्ठियां और व्याख्यान आदि का आयोजन करने के लिए फरवरी, 1988 में एक भारतीय सांस्कृतिक

केन्द्र की स्थापना की गई। साथ ही भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् द्वारा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन केन्द्र की स्थापना का भी प्रस्ताव है।

दूसरे हुगली पुल का निर्माण

1221. **श्री अजीत कुमार पांजा :**

डा० देवी प्रसाद पाल :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता और हावड़ा को जोड़ने वाले दूसरे हुगली पुल के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस पुल के निर्माण कार्य पर केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा 30 जून, 1990 तक कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जुलाई, 1990 के अन्त तक खण्डवार वास्तविक प्रगति इस प्रकार है :—

(1) खंड I (कलकत्ता साइड अपरोच और अदला-बदली)	—	99.69%
(2) खंड II (हावड़ा साइड अपरोच और अदला-बदली)	—	91.89%
(3) खंड III (मुख्य पुल)	—	84.30%

(ख) भारत सरकार द्वारा दी गई ऋण सहायता में से 188.87 करोड़ रु० की राशि खर्च की गई है और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा खर्च की गई राशि 10.07 करोड़ रु० है।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के शिकार व्यक्तियों को अनुग्रह राशि का भुगतान

1222. **श्री प्यारे लाल हांडू :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के शिकार प्रत्येक व्यक्ति के वारिसों को एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान करने का आश्वासन दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो आतंकवादी हिंसा के शिकार मृतकों के कितने परिवारों को अब तक इस धनराशि की अदायगी कर दी गई है और 1 जनवरी, 1990 को स्थिति के अनुसार अब तक ऐसे कितने मामले विचाराधीन हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा के शिकार हुए व्यक्तियों के निकट संबंधियों/आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुग्रह-सहायता की योजना का एक विवरण संलग्न है।

(ख) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने आतंकवाद के शिकार हुए परिवारों को निम्न प्रकार से अनुग्रहपूर्वक सहायता की राशि देने के आदेश जारी किए हैं :

(क) मजिस्ट्रेट, पुलिस कार्मिक तथा अर्द्धसैनिक बल :

(1)	मृत्यु के लिए	—	1.25 लाख रुपए
(2)	स्थाई विकलांगता के लिए	—	25,000 रुपए
(3)	आंशिक विकलांगता के लिए	—	10,000 रुपए

(ख) पुलिस कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य सरकारी कर्मचारी :

(1)	मृत्यु के लिए	—	1.00 लाख रुपए
(2)	स्थाई विकलांगता के लिए	—	25,000 रुपए
(3)	गंभीर चोट के लिए (24 घंटे से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने पर)	—	5,000 रुपए
(4)	चोट के लिए (24 घंटे से कम समय तक अस्पताल में भर्ती रहने पर)	—	1,000 रुपए
(5)	हल्की चोट के लिए (प्रथम उपचार के बाद डिस्चार्ज हो जाने पर)	—	500 रुपए

(ग) सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति :

(1)	मृत्यु के लिए	—	1.00 लाख रुपए
(2)	स्थाई विकलांगता के लिए	—	25,000 रुपए
(3)	चोट (24 घंटे से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने पर)	—	5,000 रुपए
(4)	चोट (24 घंटे से कम समय तक अस्पताल में भर्ती रहने पर)	—	1,000 रुपए
(5)	हल्की चोट (प्रथम उपचार के बाद डिस्चार्ज हो जाने पर)	—	500 रुपए

इसके अतिरिक्त, पुलिस/सुरक्षा कार्मिकों सहित जो सरकारी कर्मचारी इस प्रकार से मारे जाते हैं, उनके परिवार उन पर लागू संबंधित सेवा नियमों के अधीन परिवार पेंशन; समूह बीमा लिफाफों तथा अन्य लाभ पाने के पात्र हैं।

कश्मीर घाटी में आतंकवादियों द्वारा मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को राहत/मुआवजा

1223. **श्री के० एस० राव :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कश्मीर घाटी में पिछले छः महीने के दौरान आतंकवादियों द्वारा मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को राहत/मुआवजा दिया है;

(ख) यदि हां, तो दी गई राहत/मुआवजे का ब्यौरा क्या है और इसे कितने व्यक्तियों को दिया गया है;

(ग) क्या सभी मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को राहत दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मारे गए सभी व्यक्तियों के परिवारों को राहत/मुआवजा कब तक दिया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) उग्रवादी गतिविधियों के शिकार हुए व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों/आश्रितों को जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता का विवरण संलग्न है।

(ख) से (ङ) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने आतंकवाद के शिकार हुए परिवारों को निम्न प्रकार से अनुग्रहपूर्वक सहायता की राशि देने के आदेश जारी किए हैं :

(क)	मजिस्ट्रेट, पुलिस कार्मिक तथा अर्द्धसैनिक बल :		
(1)	मृत्यु के लिए	—	1.25 लाख रुपए
(2)	स्थाई विकलांगता के लिए	—	2५,000 रुपए
(3)	आंशिक विकलांगता के लिए	—	10,000 रुपए
(ख)	पुलिस कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य सरकारी कर्मचारी :		
(1)	मृत्यु के लिए	—	1.00 लाख रुपए
(2)	स्थाई विकलांगता के लिए	—	25,000 रुपए
(3)	गंभीर चोट के लिए (24 घंटे से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने पर)	—	5,000 रुपए

(4)	चोट के लिए (24 घंटे से कम समय तक अस्पताल में भर्ती रहने पर)	—	1,000 रुपए
(5)	हल्की चोट के लिए (प्रथम उपचार के बाद डिस्चार्ज हो जाने पर)	—	500 रुपए

(ग) सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति :

(1)	मृत्यु के लिए	—	1.00 लाख रुपए
(2)	स्थाई विकलांगता के लिए	—	25,000 रुपए
(3)	चोट (24 घंटे से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने पर)	—	5,000 रुपए
(4)	चोट (24 घंटे से कम समय तक अस्पताल में भर्ती रहने पर)	—	1,000 रुपए
(5)	हल्की चोट (प्रथम उपचार के बाद डिस्चार्ज हो जाने पर)	—	500 रुपए

इसके अतिरिक्त, पुलिस/सुरक्षा कार्मिकों सहित जो सरकारी कर्मचारी इस प्रकार से मारे जाते हैं, उनके परिवार उन पर लागू संबंधित सेवा नियमों के अधीन परिवार पेंशन, समूह बीमा निपटारों तथा अन्य लाभ पाने के पात्र हैं।

हिमाचल प्रदेश में डाकघर खोलना

[हिन्दी]

1224. श्री महेश्वर सिंह :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2 दिसम्बर, 1989 से 15 जुलाई, 1990 तक हिमाचल प्रदेश के किन-किन स्थानों में नये डाकघर खोलने तथा मौजूदा डाकघरों का दर्जा बढ़ाये जाने की सिफारिश की गई है; और

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) इस अवधि के दौरान डाकघर खोलने के लिए जो प्रस्ताव प्राप्त हुए, उनके बारे में जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। उक्त अवधि के दौरान किसी मौजूदा डाकघर का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) वार्षिक योजना 1989-90 के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश के पोस्टमास्टर जनरल से नए डाकघर खोलने के कुल 79 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसमें से 15 डाकघर खोलने की मंजूरी दी गई थी। इनमें बारूसाहिब भी शामिल है, जिसका संलग्न सूची में क्रम सं० 26 पर उल्लेख है।

विवरण

हिमाचल प्रदेश के पोस्टमास्टर जनरल से 1-12-1989 से 15-7-1990 की अवधि के दौरान डाकघर खोलने के लिए प्राप्त प्रस्ताव।

क्र०सं०	खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघर	जिला
1.	खादांगी	किन्नोर
2.	बनाल	हमीरपुर
3.	दुनी	किन्नोर
4.	गोरमा	लाहुल/स्पिति
5.	खंगसार	लाहुल/स्पिति
6.	तिंगरात	लाहुल/स्पिति
7.	किरतिंग	लाहुल/स्पिति
8.	युरुनाथ	लाहुल/स्पिति
9.	नाहादा	लाहुल/स्पिति
10.	सकल	लाहुल/स्पिति
11.	कोहदरा	हमीरपुर
12.	श्योगा	सिरमौर
13.	मिश्रवाला	सिरमौर
14.	कालीबाड़ी	सोलन
15.	खलारदोद	मंडी
16.	मकरेर	ऊना
17.	कलाहा	ऊना
18.	बतुही	ऊना
19.	कुथेरा खेरिला	ऊना
20.	तारागढ़	सम्बा
21.	गुगरा	कुल्लू
22.	ईरा	शिमला
23.	नारोगल चौक	कांगड़ा
24.	करियारा	कांगड़ा
25.	अम्बापठार	कांगड़ा
26.	बारूसाहिब	सिरमौर

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के शिकार व्यक्तियों को वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

1225. श्री शंकर सिंह बघेला :

डा० ए० के० पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा के शिकार व्यक्तियों के नजदीकी रिश्तेदारों/आश्रितों को (क) पुलिस कर्मियों (ख) सिविलियनों (ग) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले में किस दर पर वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) क्या इन मामलों में नजदीकी रिश्तेदारों को मकान/भूखंड आवंटन, बैंक ऋण तथा राज सहायता, शैक्षिक और रोजगार आदि का लाभ जैसी अन्य सुविधायें भी दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है कि आतंकवादी हिंसा के शिकार व्यक्तियों के नजदीकी रिश्तेदारों/आश्रितों, जो कश्मीर घाटी छोड़कर जम्मू या देश के अन्य भागों में चले गये हैं, को वित्तीय तथा अन्य सहायता जिसके वे हकदार हैं, वास्तव में मिल रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) आतंकवादी हिंसा के शिकार हुए व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों/आश्रितों को जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता का विवरण संलग्न है।

विवरण

जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने आतंकवाद के शिकार हुए परिवारों को निम्न प्रकार से अनुग्रहपूर्वक सहायता की राशि देने के आदेश जारी किये हैं :

(क)	मजिस्ट्रेट, पुलिस कार्मिक तथा अर्द्धसैनिक बल :		
(1)	मृत्यु के लिए	—	1.25 लाख रुपए
(2)	स्थाई विकलांगता के लिए	—	25,000 रुपए
(3)	आंशिक विकलांगता के लिए	—	10,000 रुपए
(ख)	पुलिस कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य सरकारी कर्मचारी :		
(1)	मृत्यु के लिए	—	1.00 लाख रुपए
(2)	स्थाई विकलांगता के लिए	—	25,000 रुपए
(3)	गंभीर चोट के लिए (24 घंटे से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने पर)	—	5,000 रुपए

(4)	चोट के लिए (24 घंटे से कम समय तक अस्पताल में भर्ती रहने पर)	—	1,000 रुपए
(5)	हल्की चोट के लिए (प्रथम उपचार के बाद डिस्चार्ज हो जाने पर)	—	500 रुपए

(ग) सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति :

(1)	मृत्यु के लिए	—	1.00 लाख रुपए
(2)	स्थाई विकलांगता के लिए	—	25,000 रुपए
(3)	चोट (24 घंटे से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने पर)	—	5,000 रुपए
(4)	चोट (24 घंटे से कम समय तक अस्पताल में भर्ती रहने पर)	—	1,000 रुपए
(5)	हल्की चोट (प्रथम उपचार के बाद डिस्चार्ज हो जाने पर)	—	500 रुपए

इसके अतिरिक्त, पुलिस/सुरक्षा कार्मिकों सहित जो सरकारी कर्मचारी इस प्रकार से मारे जाते हैं, उनके परिवार उन पर लागू सम्बन्धित सेवा नियमों के अधीन परिवार पेंशन, समूह बीमा निपटारों तथा अन्य लाभ पाने के पात्र हैं।

कर्नाटक में जावलगेरे सेंट्रल स्टेट फार्म

1226. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक स्थित जावलगेरे सेंट्रल स्टेट फार्म केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस फार्म के अन्तर्गत कुल कितने एकड़ भूमि है;

(ग) क्या कर्नाटक विश्वविद्यालय ने अनुसंधान परियोजना चलाने के लिए उपरोक्त फार्म को उसे सौंप देने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय किया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) कर्नाटक में जिला रायचूर स्थित जावलगेरे केन्द्रीय राज्य फार्म का प्रबंध भारतीय राज्य फार्म निगम (भारत सरकार का एक उपक्रम) द्वारा किया जा रहा है।

(ख) फार्म का कुल क्षेत्रफल 1960 हैक्टेयर है।

(ग) प्रारंभ में कर्नाटक की राज्य सरकार ने इस फार्म को कृषि विश्वविद्यालय, बंगलौर को और इसके बाद कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ को सौंप देने का अनुरोध किया।

(घ) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि भारतीय राज्य फार्म निगम इस फार्म की 200 हैक्टेयर अतिरिक्त असिंचित भूमि को राज्य सरकार को भुगतान के आधार पर दे सकता है।

टिकट-संग्रह संबंधी सलाहकार समिति का गठन

1227. **डा० सी० सिलवेरा :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990—92 के लिए टिकट-संग्रह संबंधी सलाहकार समिति की एक उपसमिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं और इसके लिये क्या मापदंड निर्धारित किया गया है;

(ग) टिकट-संग्रह संबंधी सलाहकार समिति के गठन का मापदण्ड क्या है;

(घ) क्या इन समितियों में जनता का भी कोई प्रतिनिधि है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां। फिलैटलिक सलाहकार समिति की डिजाइन उपसमिति का गठन कर लिया गया है।

(ख) फिलैटलिक डिजाइन उप-समिति का गठन करने के लिए कोई विशेष मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है। उक्त उप-समिति में सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य हैं। सरकारी सदस्यों में वे अधिकारी शामिल हैं जो डाक टिकटों का डिजाइन तैयार करने से संबंधित हैं। गैर-सरकारी सदस्यों में प्रसिद्ध कलाकार और फिलैटलिस्ट शामिल हैं।

वर्तमान डिजाइन उप-समिति का गठन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) हालांकि समिति का गठन करने के लिए कोई विशेष मानदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है तथापि समिति में संगठित सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य शामिल होते हैं। गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में सामान्यत: संसद सदस्यों, ख्याति प्राप्त फिलैटलिस्टों, फिलैटलिक डीलरों, कलाकारों और अलग-अलग क्षेत्रों के प्रसिद्ध व्यक्तियों को लिया जाता है। सरकारी सदस्य विषय से संबंधित सरकारी विभागों से होते हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) फिलैटलिक सलाहकार समिति और डिजाइन उप समिति में जनता के प्रतिनिधियों का विवरण क्रमश: संलग्न विवरण-2 और 3 में दिया गया है।

(च) उपर्युक्त (घ) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-1

सं० 2-1/90-फिलैटली

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक 26 जून, 1990

अधिसूचना

विषय:—डिजाइन उप समिति का गठन।

1990—92 वर्ष के लिए फिलैटली सलाहकार समिति की डिजाइन उप समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1.	सदस्य (प्रचालन)	अध्यक्ष
2.	उप महानिदेशक (फिलै०)	सरकारी सदस्य
3.	डिजाइन मैनेजर, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक	सरकारी सदस्य
4.	श्री ओ० पी० शर्मा	गैर-सरकारी सदस्य
5.	श्री आर० एस० विष्ठ	—वही—
6.	श्री दिलीप शाह	—वही—
7.	श्री पुलक विश्वास	सहयोजित
8.	श्री आर० एन० पशरीचा	सहयोजित
9.	निदेशक (फिलैटली)	संयोजक

डिजाइन उप समिति डाक टिकटों के डिजाइनों और अन्य फिलैटलिक मामलों पर सरकार को सलाह देगी।

ह०

(विनोद कुमार धमीजा)

निदेशक (फिलैटली)

विवरण-2

क्र० सं०	नाम	पता
1	2	3
1.	श्रीमती सरला माहेश्वरी संसद सदस्य, 420, वी० पी० हाउस, नई दिल्ली	सी० एफ० 204, साल्ट लेक कलकत्ता-700034
2.	श्रीमती ऊमा गजपति राजू संसद सदस्य, 8, तुगलक लेन, नई दिल्ली	ओड बिट नं० 1 किरलामपुड़ी लेआइट विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश)
3.	श्रीमती कमला सिन्हा, संसद सदस्य, बिहार भवन, नई दिल्ली	ग्राम सेवापुरी थाना श्रीकृष्णापुरी पो० ओ० जी० पी० ओ० (पटना) (बिहार)
4.	श्री ए० एन० सिंह देव संसद सदस्य, उड़ीसा भवन; नई दिल्ली	दी पैलेस पोस्ट आफिस धाराकोट जिला गंजाम (उड़ीसा)
5.	श्री धीरू भाई मेहता	103; दलमल चेम्बर्स श्री विठलदास ठाकरसे मार्ग बंबई-400020
6.	श्री जी० मदन मोहन दास	41 पेरुमल मुदाली स्ट्रीट शोकास्पेट्स मद्रास-600069
7.	दिलीप शाह	799, गोल बाजार (राइट टाउन) जबलपुर-482002
8.	श्री योगेश कुमार	विष्णु भवन, 370, मंकनेयर रोड, प्रेम नगर, बरेली-243005
9.	श्री मधुकर देवगावांका	225/2; आचार्य जे० सी० बोस रोड; कलकत्ता-700020

1	2	3
10.	श्री जी० बी० पाई	"डॉलफिंस" एस-484 ग्रेटर कैलाश पार्ट-II, नई दिल्ली-110048
11.	श्री एन० एस० नाहर	फिलैटली विभाग, श्री अरविन्द नगर, पांडिचेरी
12.	श्री एस० सी० सुखानी	पो० ओ० बाक्स नं० 2049 कलकत्ता-700001
13.	ए० एम० मुखी	एम्पायर बिलडिंग्स वी० टी० बंबई-400001
14.	श्री ओ० पी० शर्मा	प्रधानाचार्य, कालेज ऑफ आर्ट्स 20 तिलक मार्ग, नई दिल्ली-1
15.	श्री जतिन दास	सी-12, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली-13
16.	श्री शंकर सुहाइल	23/144-ए, विक्रम विहार लाजपत नगर-I नई दिल्ली-110024
17.	श्री के० के० नायर	बिल्डिंग नं० 3, ढाका कालोनी, अंधेरी (वेस्ट) बंबई-400058
18.	श्री आर० एस० विष्ट,	भूतपूर्व प्रधानाचार्य राजकीय आर्ट्स कालेज लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
19.	श्री डी० के० भट्टाचार्य	अध्यक्ष, साहित्य अकादमी, रवीन्द्र भवन, नई दिल्ली
20.	श्रीमती मलिका साराभाई	दर्पण अकादमी आफ परफार्मिंग आर्ट्स "चिदांबरम" उस्मानपुरा, अहमदाबाद

1	2	3
21.	डा० डी० एन० तिवारी	उप कुलपति, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (मध्य प्रदेश)
22.	श्री टी० सुबारामी रेड्डी	हाउस नं० 6-3-249/5 ए, रोड नं० 1, बनजारा हिल्स, हैदराबाद (आंध्रप्रदेश)
23.	श्री के० असंगबा संगतम	शामराक डेम मोकोकचुन्ग, नागालैंड,
24.	श्री अजय बागची	सी-103, आनन्द लोक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, मयूर विहार, फेज-I नई दिल्ली-110092

विवरण-3

डिजाइन उप समिति में शामिल किये गए जनता के प्रतिनिधियों की सूची

क्र० सं०	नाम	पता
1.	श्री ओ० पी० शर्मा	प्रधानाचार्य कालेज आफ आर्ट्स 20 तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001
2.	श्री आर० एस० विष्ट	भूतपूर्व प्रधानाचार्य राजकीय आर्ट्स कालेज लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
3.	श्री दिलीप शाह	799, गोल बाजार (राइट टाउन) जबलपुर-482002
4.	श्री पुलक विश्वास	129-बी, पाकेट-ए सुखदेव विहार, एस० एफ० एस० फलैट्स, नई दिल्ली-110065
5.	श्री आर० एन० पशरीचा	ई-56, आनन्द निकेतन, नई दिल्ली-110021

मिजोरम में टेलीफोन कनेक्शन

1228. डा० सी० सिलवेरा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1990 की स्थिति के अनुसार मिजोरम में श्रेणीवार कितने आवेदकों के नाम टेलीफोन कनेक्शन प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं;

(ख) क्या चालू तथा अगले वर्ष के दौरान मिजोरम में प्रत्येक श्रेणी में कुल टेलीफोन कनेक्शन दिये जायेंगे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार मिजोरम में प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन देने हेतु चालू वर्ष तथा अगले वर्ष के दौरान इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) मिजोरम में श्रेणीवार प्रतीक्षा सूची इस प्रकार है :—

ओ वाई टी-137 सामान्य-425 और विशेष-86 जोड़ : 648

(ख) जी, हां।

(ग) मिजोरम में श्रेणीवार नए टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना इस प्रकार है :

	1990-91 के दौरान (योजना)	1991-92 के दौरान
ओ०वाई०टी०	29	योजना आयोग द्वारा डी०ओ०टी०
सामान्य	128	की 1991-92 की योजना अनु-
विशेष	5	मोदित होने के बाद निश्चित किया
कुल	162	जायेगा।

(घ) और (ङ) इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की वर्तमान क्षमता इस प्रकार है :

आइजवाल-1500 लाइनें एन० ई० ए० एक्स, लुंगलेह-400 लाइनें एन० ई० ए० एक्स० और सैहा-128 पोर्ट सी-डाट (88 लाइनें) जोड़=1988 लाइनें 1990-91 और 1991-92 के दौरान आइजवाल और लुंगलेह का विस्तार संभव नहीं है क्योंकि इन दो एक्सचेंजों में जिस प्रकार के उपस्कर इस्तेमाल किए जाते हैं वे स्वदेश में उपलब्ध नहीं हैं। 1990-91 के दौरान 128 पोर्ट सी-डाट की दूसरी यूनिट द्वारा सैहा एक्सचेंज का विस्तार करने की योजना है।

फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के प्रबन्ध मंडल और इसके कर्मचारियों के बीच दीर्घावधि समझौता

1229. प्रो० के० वी० थामस :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के प्रबन्ध मंडल और मजदूर संघों के बीच दीर्घावधि समझौते के प्रारूप पर हस्ताक्षर किये गए और यह सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया; और

(ख) गत दीर्घावधि समझौते की तुलना में श्रमिकों के कुल वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख) फेक्ट के प्रबन्ध मण्डल तथा मजदूर संघों के बीच 1. 11. 1989 को एक मसौदा मजदूरी करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। 12.4. 1990 को भारत सरकार ने मसौदा करार में प्रस्तावित 4 वर्षों के बदले 5 वर्ष के मजदूरी करार के सम्बन्ध में अपना अनुमोदन सूचित किया। बाद में 31.5.1990 को सरकार ने कुछ शर्तों के अध्ययधीन 4 वर्ष के मजदूरी करार को अनुमोदन प्रदान किया और फेक्ट के प्रबन्ध मण्डल तथा मजदूर संघों के बीच 4 वर्ष के मजदूरी करार पर हस्ताक्षर किए गए। मजदूरी करार के अन्तर्गत मजदूरी बिल में 13.6% की वृद्धि अन्तर्ग्रस्त है।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

1230. श्री सत्यनारायण जटिया :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान मध्य प्रदेश में किन-किन टेलीफोन एक्सचेंजों को आधुनिक बनाए जाने की संभावना है; और

(ख) इन एक्सचेंजों के प्रकार और क्षमता में क्या-क्या सुधार करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) उपस्कर समय पर उपलब्ध हो जाने पर निम्नलिखित स्थानों पर ई-10 बी डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित किए जाने की संभावना है।

इन्दौर	10,000 लाइनें
जबलपुर	5,000 लाइनें

इसके अतिरिक्त लगभग 200 छोटे एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों के बदलने की संभावना है।

(ख) लगभग 200 छोटे एक्सचेंजों, जैसा कि ऊपर बताया गया है, को निम्नलिखित किस्म

के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने की संभावना है :

एक्सचेंज की किस्म	चालू की जाने वाली प्रस्तावित यूनिटें
इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज 64 पोर्ट	75
इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज 128 पोर्ट सी-डाट आर ए एक्स	100
इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज 512 पोर्ट आई एल टी	10
इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज 512 पोर्ट सी-डाट	2
इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज 2048 पोर्ट आई एल टी	1
इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज इ एस ए एक्स-पी ए एम	7
इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज एन ई ए एक्स	2 (1000 लाइनें)

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और मरम्मत के लिए वित्तीय आवंटन

1231. **श्री राजवीर सिंह :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और उनकी मरम्मत के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : चालू वर्ष के दौरान, विभिन्न राज्य सरकारों को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रख-रखाव के लिए निधियों का राज्य-वार आवंटन विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

(लाख रुपए)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	रा० रा० मार्गों का विकास	रा० रा० मार्गों का रख-रखाव
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	2500.00	1025.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.00	31.50
3.	असम	1300.00	523.64
4.	बिहार	1100.00	729.98

1	2	3	4
5.	चंडीगढ़	30.00	12.04
6.	दिल्ली	400.00	85.00
7.	गोवा	1200.00	121.52
8.	गुजरात	3000.00	784.77
9.	हरियाणा	1000.00	222.07
10.	हिमाचल प्रदेश	1100.00	403.38
11.	जम्मू और कश्मीर	250.00	110.00
12.	कर्नाटक	1450.00	567.00
13.	केरल	1650.00	326.23
14.	मध्य प्रदेश	2100.00	947.82
15.	महाराष्ट्र	2200.00	1181.10
16.	मणिपुर	350.00	87.00
17.	मेघालय	550.00	148.21
18.	नागालैंड	50.00	2.45
19.	उड़ीसा	1100.00	542.04
20.	पांडिचेरी	150.00	6.67
21.	पंजाब	2800.00	374.38
22.	राजस्थान	2000.00	844.63
23.	तमिलनाडु	2600.00	878.69
24.	उत्तर प्रदेश	5500.00	1150.75
25.	पश्चिम बंगाल	1200.00	973.21
26.	सीमा सड़क विकास बोर्ड	3450.00	380.00
27.	जोगी घोपा पुल	2000.00	—
28.	आरक्षित	300.00*	1952.42*
		41350.00	14412.00

वृहद फसल बीमा योजना

1232. श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के लिए खरीफ और रबी की फसलों हेतु वृहद फसल बीमा योजना के अधीन राज्य-सरकारों द्वारा राज्य-वार कितनी आर्थिक सहायता मांगी गयी थी; और

(ख) इन राज्यों की कितनी सहायता प्रदान की गई ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) :(क) और (ख) वृहद फसल बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को राजकीय फसल बीमा कोषों के निर्माण जोकि योजना के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं, के लिए भारत सरकार द्वारा तालमेल के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है। चूंकि अधिकांश राज्यों ने अपने-अपने राजकीय फसल बीमा कोषों का निर्माण कर लिया है, वर्ष 1988-89 के दौरान उड़ीसा (25.00 लाख रुपये) और त्रिपुरा (7.50 लाख रुपये) को छोड़कर किसी अन्य राज्य को आगे कोई भी सहायता निर्मुक्त नहीं की गयी थी।

भारत से पाकिस्तान को लड़कियों की तस्करी

[अनुवाद]

1233. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री बाल गोपाल मिश्र :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जून, 1990 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "गर्ल्स फ्रोम इण्डिया सोल्ड टू पाक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत से पाकिस्तान को लड़कियों की तस्करी में वृद्धि हो रही है और देश के विभिन्न भागों में काफी संख्या में इसके एजेंट कार्यरत हैं;

(ग) क्या चोरी-छिपे ले जाई गई लड़कियां अब पाकिस्तान जेलों में बन्द हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) समाचार देखा है।

(ख) से (घ) विदेश मन्त्रालय ने सूचित किया है कि इस्लामाबाद में हमारे मिशन द्वारा की गई पूछताछ के अनुसार उनके पास अब तक मालय की कोई सूचना नहीं है कि भारत से किसी लड़की की तस्करी करने के बाद पाकिस्तानी जेल में रखा गया है।

मध्य प्रदेश के विदिशा और रायसेन जिलों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

[हिन्दी]

1234. श्री राघवजी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के विदिशा और रायसेन जिलों के प्रत्येक शहर और कस्बे में 31 जुलाई, 1990 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने आवेदन-पत्र लंबित पड़े हुए थे;

(ख) इन जिलों में आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिए जाएंगे;

(ग) टेलीफोन कनेक्शन देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) विलम्ब इस लिए हुआ क्योंकि एक्सचेंजों का विस्तार करने के लिए उपस्कर की कमी थी।

(घ) मांग और उपस्कर की उपलब्धता के आधार पर एक्सचेंजों का विस्तार किया जा रहा है ताकि मांग को निपटाया जा सके।

विवरण

(क) विदिशा जिले में 31.7.90 के अनुसार प्रतीक्षा सूची :—

विदिशा	383
गंजबसोदा	65
शमशाबाद	16
गुलाबगंज	17

तातेरी, ग्यारसपुर, खामखेड़ा, कुलई और सिरोंज में कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है।

रायसेन जिले में 31.7.90 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची :—

सांची	11
सलामतपुर	14
गैरतगंज	40
बारीली	32

बारी	2
खारगोन	3
उदयपुरा	7
देवरी	2
मांडीदीप	71
ओबेदुल्लागंज	44

दिवानगंज, रायसेन, बेगमगंज, सिलवानी, देरगांव, वीकलपुर, चुनाटिया, बर्धा बाग्रोरी और सुलतानपुर में कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है।

(ख) विदिशा और गंजबसोदा को छोड़कर विदिशा जिले में मार्च, 1991 तक सभी कनेक्शन दे दिए जाने का प्रस्ताव है।

मार्च, 1992 तक विदिशा में 200 लाइनों का इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके बाद, 1992-93 में इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंज को 2000 लाइनों के सी-डॉट एक्सचेंज में बदलने की योजना है। इसे 93-94 के दौरान चालू किए जाने का प्रस्ताव है। गंजबसोदा में 300 लाइनों के मैनुअल (सी०बी०एन०एम०) एक्सचेंज को 1991-92 के दौरान 512 पोर्ट इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज (आई०एल०टी०) से बदलने का प्रस्ताव है।

रायसेन जिले में, मांडीदीप को छोड़कर, सभी लंबित मांगों को मार्च, 91 तक निपटा दिए जाने का प्रस्ताव है। मांडीदीप में मार्च, 91 तक 37 कनेक्शन दिए जाने की संभावना है। आगे विस्तार के लिए उपस्कर का अभी निर्धारण किया जाना है।

नवसारी में इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

1235. श्री काशीराम राणा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने नवसारी में (जिला पलसाद) में एक इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया था;

(ख) इसकी स्थापना का कार्य कब तक पूरा किये जाने का कार्यक्रम था और इस समय इसका निर्माण कार्य किस चरण में है; और

(ग) यह कब तक कार्य करना शुरू कर देगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान 7000 लाइनों का इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू करने की योजना बनाई गई है। एक्सचेंज के लिए भवन का निर्माण-कार्य शीघ्र शुरू होने वाला है।

(ग) 1993-94 के दौरान बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो।

मुंबई टेलीफोन सेवा में सुधार

[अनुवाद]

1236. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुंबई में ऐसे टेलीफोनों की संख्या कितनी है जो 1 जून, 1990 से 30 जून, 1990 तक खराब पड़े थे; और

(ख) मुंबई टेलीफोन सेवा में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कश्मीरी आतंकवादियों द्वारा राकेटों से हमले

1237. श्री बालगोपाल मिश्र :

श्रीमती बासवराजेश्वरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीरी आतंकवादियों ने श्रीनगर की डल झील को सुरक्षा बलों पर राकेटों से हमला करने के लिए अपने छिपने का अड्डा बना लिया है; और

(ख) यदि हां, तो 19 जून, 1990 से अब तक राकेट द्वारा हमलों में कितने व्यक्ति मारे गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना मांगी गयी है और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

असम गण परिषद द्वारा बंद

1238. श्री संतोष मोहन देव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में असम गण परिषद द्वारा 28 जून, 1990 को, एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय और तेल शोधकनशाला की स्थापना करने के बारे मे तथा तेल रायल्टी दिए जाने और अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधरण) अधिनियम, 1983 को रद्द करने के संबंध में अपनी मांगों को मनवाने के लिए बंद रखा गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के साथ सौतेले व्यवहार किए जाने के विरोध में और अपनी कुछ मांगों को मनवाने के लिए दबाव

डालने के लिए असम गण संग्राम परिषद द्वारा 27.6.90 को 12 घंटे का "असम बंद" आयोजित किया गया।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित मांगों पर विचार किया गया और उचित निर्णय लिया गया। असम में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जिसके दो परिसर होंगे, और एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कच्चे तेल पर रायल्टी बढ़ा दी गयी है। तथापि पूर्ण रूप से जांच करने पर अवैध आप्रवासी (न्यायाधिकरणों का निर्धारण) अधिनियम, 1983 को निरस्त करने के प्रस्ताव पर सहमत होना संभव नहीं पाया गया।

भारत के विकास के बारे में पश्चिमी देशों में सूचना का अभाव

1239. **श्री पी० नरसा रेड्डी :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश के इतिहास, संस्कृति और आर्थिक विकास के बारे में पश्चिमी देशों और अमरीका में लोगों द्वारा सूचना का अभाव महसूस किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस अभाव को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) पश्चिमी देशों के लोगों को भारत के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी सहज उपलब्ध है जिसे वे विदेशों में भारतीय मिशनों के सूचना स्कंधों से, भारतीय सांस्कृतिक, केन्द्रों अनिवासी भारतीय संगठनों आदि से हासिल कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त वे स्वयं अपनी संस्थाओं से, पुस्तकालयों से; सांस्कृतिक केन्द्रों और बुद्धिजीवियों से भी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह भारत के संबंध में कोई जानकारी चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए विश्वसनीय जानकारी के स्रोतों का अभाव नहीं है।

विदेश मंत्रालय का विदेश प्रचार प्रभाग हमारे मिशनों को नियमित रूप से निम्नलिखित सामग्री भेजता है :—

I. भारत के विभिन्न पहलुओं पर पुस्तकें, पुस्तिकाएं, पोस्टर, नक्शे, पत्रिकाएं और भारत के समाचार-पत्र;

II. फिल्म, फोटोग्राफ, वीडियो सामग्री, ग्रामोफोन रिकार्ड आदि।

III. भारत विषयक संदर्भ और सांख्यिकी सामग्री, विशिष्ट अवसरों पर प्रकाशित विशिष्ट प्रकाशन और ऐसे विशिष्ट विषयों पर छापे गए प्रकाशन जिनमें भारत की रुचि हो।

IV. महत्वपूर्ण भाषण और वक्तव्य, सरकारी और गैर सरकारी,

V. दैनिक प्रेस बुलेटिन जिसमें पृष्ठभूमि सामग्री और वर्तमान रुचि के विषयों पर लेख भी शामिल हैं।

विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता भी विदेशी पत्रकारों के साथ हर दिन संपर्क रखता है। जब कभी विशिष्ट परिस्थितियों में समाचार तंत्र में खास अभियान की जरूरत होती है तो श्रव्य-दृश्य और मुद्रित

सामग्री के माध्यम से विदेश प्रचार प्रभाग ऐसा करता है।

जहां तक भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का सवाल है, वह भी सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।

मध्य प्रदेश में एस०टी०डी० सुविधा

[हिन्दी]

1240. श्री दिलीप सिंह भूरिया :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में किन-किन जिलों में इस वर्ष एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) क्या सबुआ भी उनमें से एक जिला है; और

(ग) यदि हां, तो वहां यह सुविधा कब तक उपलब्ध किए जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) बालाघाट (कमीशन्ड), बेतुल, छतरपुर, दमोह, गुना, झाबुआ, खारगोन, मांडला, नरसिंहपुर, राजगढ़, शहडोल, सिधी, शजापुर, शिवपुरी, पन्ना, टीकमगढ़ में इस वितीय वर्ष के दौरान एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) दिसम्बर, 1990 तक।

मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

1241. श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन नगरों में इस समय इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज हैं;

(ख) मध्य प्रदेश के उन नगरों के नाम क्या हैं जहां वर्ष 1990-91 के दौरान इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है; और

(ग) क्या उज्जैन सर्किल के अन्तर्गत मन्दसौर, जावड़ा और रतलाम में स्थित वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों को भी इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों में बदला जाएगा ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) मध्य प्रदेश में 106 स्थानों में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं। इनकी सूची संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख) 1990-91 के दौरान मध्यप्रदेश में 196 स्थानों पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाए जाने की संभावना है। यह काम उपस्कर के समय पर उपलब्ध होने की स्थिति पर निर्भर करेगा। सूची संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(ग) मंदसौर के मौजूदा एक्सचेंज को बदलने के लिए 1500 लाइनों का सी-डॉट एक्सचेंज आवंटित किया जा चुका है। इसको 1992-93 के दौरान चालू कर दिए जाने की संभावना है। जावरा इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंज को 8वीं योजना के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने की संभावना है। रतलाम के क्रास-बार एक्सचेंज को 8वीं योजना के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने की कोई योजना नहीं है।

विवरण-1

मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की जिला-वार सूची

बालाघाट

1. बायहर
2. बालाघाट
3. हाट्टा
4. मालजखंड
5. तिरोडी

बस्तर

6. भानुप्रतापपुर
7. दान्तेवाड़ा
8. जगदलपुर
9. सुकमा

बेतुल

10. बेतुल
11. भाईसदिही
12. सारनी

भिंड

13. मालनपुर
14. भिहोना

14.क भिंड

भोपाल

15. अदमपुर
16. बेरासिया
17. भोपाल (क) आर०एल०यू०
18. भोपाल (ग) आर०एल०यू०
19. भोपाल (जी०पी०) आर०एल०यू०
20. भोपाल बायरागढ़
21. मिसरोड़

छतरपुर

22. छतरपुर
23. खजुरोहो

छिन्दवाड़ा

24. छिन्दवाड़ा

दातिया

25. दातिया
26. वेओंध
27. सोनागिरी

देवास

28. खातम्ब

29. नागदा

30. राजोदा

31. टोंक-खुर्द

धार

32. धार

33. केसुर

34. मांडू

35. तिरमपुर

दुर्ग

36. अर्जुन्दा

37. डोन्डी

38. कुमहारी

गुना

39. गुना

40. इशागढ़

41. राघोगढ़

ग्वालियर

42. चिमक

43. कुलेथ

44. मोहना

होशंगाबाद

45. सेमरीहरच

इन्दौर

46. सावनेर

जबलपुर

47. भेरागढ़

झाबुआ

48. झाबुआ

खरगोन

49. दावना

50. खरगोन

मांडला

51. मांडला

52. शाहपुरा

मन्दसौर

53. खोरे

54. कुरकेश्वर

55. रतनगढ़

मुरेना

56. बम्मोरे

नरसिंहपुर

57. सिहोरे

रायगढ़

58. धरमजायगढ़

59. कुन्कुरी

रायपुर

60. बास्ला

61. कुर्व

62. नागरी

63. रायपुर आर०एल०यू० एफ०ए०एफ०ए०

64. रायपुर आर०एल०यू०यू०आर०-एल०यू०

रायसेन

65. बारी

66. बेहगांव

67. देवरी

68. मण्डीदीप

68.क रायसेन

69. सांची

70. श्रीवानी

राजगढ़

71. मचलपुर

राजनन्दगांव

72. डानागढ़गांव

73. सोम्नी

रतलाम

74. बिलपंक

75. नामली

रेवा

76. रेवा

सागर

77. चनातोरिया

78. शाहगढ़

79. शाहपुर

सारगुजा

80. अंबिकापुर

81. बैकुंठपुर

सतना

82. अमरपटान

83. चित्रकूट

84. रायतवाड़ा

85. जुकेही

86. मैहर

शेहोर

87. अमलाहा

88. कोटरी

89. शाहगुंज

सैओनी

89.क बारघाट

शाजापुर

90. बर्छा

91. शाजापुर

शिवपुरी

92. शिवपुरी

सिद्धी

93. चुरहाट

94. सिद्धी

95. वेजाग

टिकमगढ़

96. टिकमगढ़

उज्जैन

97. अम्बोडिया

98. बारनगर

99. घाटिया

100. इन्दौरिया

101. इटावा

102. नागदा

विदिशा

103. कुर्बई

कुल 106

विवरण-2

जिला

बालाघाट

1. भेरवेली

2. कटांगी

3. लॉजी

बस्तर

4. बीजापुर

5. गीदम

6. केशकल

7. किरन्दुल

8. नारायणपुर

बैतुल

9. चिचोली

10. घट्टोंगरी

11. शाहपुर

भिंड

12. आलमपुर

13. आमायान

14. दब्घ

15. गोहाद

16. मउ

17. गोर्मी

बिलासपुर

18. बलोदा

19. बंकीमोगरा

20. बारादोर

21. चक्रभाटा

22. कर्गीरोड

23. कोरबादर्री

24. लोरमी

छतरपुर

25. बीजावाड़

26. मड़ीमलहेरा

27. बौंदी

छिन्दवाड़ा

28. बानगांव
29. चाँद
30. गुडी
31. हर्राई
32. मोहखेड
33. पिपलानारायण
34. रावनवारा
35. शिवपुरी
36. सिंगौडी

दतिया

37. थरेट

देवास

38. बागली
39. भौरासा
40. हन्लीचौकी
40.ए काटाफोड
41. पिपलरावण
42. सतवास
43. उदयनगर

धार

44. बागडी
45. बगदून
46. बाग
47. बाकावेर
48. धमननाड
49. गन्धवानी
50. कनवान
51. खालघाट
52. कोद
53. नागदा
54. नागच्छा
55. निसारपुर
56. रिगनाड़
57. राजोद
57.क सिंघाना
58. सुन्दरेल

दुर्ग

59. बेमेतरा
60. चरोड़ा
61. नन्दनी

गुना

62. अरोन
63. चचोरा
64. रूटिआई
65. विजयपुर

ग्वालियर

66. चिनोर
67. पिछोर
68. सिमरियाताल

इन्दौर

69. धरमपुरी
70. गौतमपुरा
71. हसलपुर
72. हतोड
73. इन्दौर-टी०पी०एन०
74. कनादिया
75. खदेल
76. मंगलिया
77. मानपुर
78. पलिया
79. सिमरोल
80. तिल्लोरखुर्द

जबलपुर

81. बेलखेड़ा
82. जबलपुर
83. मानेगांव
84. नूनसार
85. पिपिरिया

झाबुआ

86. बमनिया
87. भाबरा
88. जोबाट
89. पारा
90. रानापुर

खंडवा

91. बिर
92. इच्छापुर
93. खालवा
94. नवंदानगर
95. ओंकारेश्वर
96. पान्धाना
97. शाहपुर (बी०आर०एन०)
98. टुकेतखाड

खारगोन

99. बमनाला
100. बरवाहा
101. बेदिया
102. बिस्तान
103. धारगांव
104. गोगावा
105. ओजर
106. पालसूद
107. पंसेमल
108.
109. सेनधावा

मांडला

110. बागमीबंजर
111. भूबिछिया

मंदसौर

112. बोलिया

113. मलहारगढ़
114. मनासा
115. मरायनगढ़
116. पिपलियामंडी
117. श्यामगढ़
118. सिंगोली

मुरैना

119. पोरसा
120. सम्बलगढ़

नरसिंहपुर

121. कन्वास
122. करगबेल
123. करेली
124. साईखेड़ा
125. तेंदुखेड़ा

पन्ना

126. अमनगंज
127. पन्ना

रायगढ़

128. घरगोड़ा
129. खरसिया

रायपुर

130. अभानपुर
131. बलोदा बाजार
132. गरियाबंध
133. खरोरा
134. माहासामण्ड
135. पिथौरा
136.

रायसेन

137. हरगांव
138. सुल्तानपुर
139. उदयपुरा
140. सलामतपुर

राजगढ़

141. मोडपडाना
142. बोडा
143. छापीखेडा
144. तलान

रतलाम

145. रिंगनोद
146. बड़ावाड़ा
147. धौधर
148. पिपलेदा

रीवा

149. समरिया

सिधी

150. जयन्त

सागर

151. जयसिंह नगर

152. महाराजपुर
153. गुरजामर
154. बिना

सरगुजा

155. विश्रामपुर
156. मनोद्रगढ़
157. चिरीमारी

सतना

158. ऊचेहारा
159. मजगांवन

सहारा

160. बिलकिसगंज
161. बाकतारा
162. अहमदपुर
163. जावर
164. श्यामपुर
165. राहती

सियोनी

166. धुमा
167. कान्हिवाड़ा
168. कियोलारी
169. खवासा

शहडोल

170. बियोहारी
171. बिजुरी
172. जयसिंह नगर
173. जमुनाकोलरी
174. नबरोजाबाद

शाजापुर

175. बरोड़
176. कालीसिंध
177. खोखराकला
178. मीमनाबदोडिया
179. पोलईकला
180. सुजालपुर

शिवपुरी

181. बैरात
182. खानियाधाना
183. कोलारास
184. नरवार
185. पिछोर

सिधी

186. जयन्त

टिकमगढ़

187. जतारा

उज्जैन

188. बड़गांव
189. फतेहबाद
190. जारदा
191. मकदोन
192. नरवार

विदिशा

193. गंजमसौदा
194. शामसावाद

कुल 196

भूमि सुधारों में परिवर्तन

[अनुवाद]

1242. श्री जे० चोक्का राव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भूमि सुधारों में कुछ परिवर्तन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन से भूमि सुधार किये जाने हैं जिनसे वर्तमान जोत सीमाओं में परिवर्तन हो जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख) भूमि राज्य का विषय है। भूमि सुधार कानूनों में परिवर्तन करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि केन्द्रीय सरकार ने 11-12 जून, 1990 को सम्पन्न हुये सम्मेलन में मुख्य-मंत्रियों के विचारार्थ राज्य सरकारों की भूमि सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन तथा आदिवासी भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए भूमि कानूनों में परिवर्तन करने हेतु कुछ प्रस्ताव परिचालित किये थे। इस सम्मेलन में आम राय यह थी कि भूमि कानूनों में और अधिक परिवर्तन नहीं किया जाये अपितु विद्यमान कानूनों का बेहतर ढंग से कार्यान्वयन किया जाए।

ऊपरी मिट्टी की क्षति

1243. श्री राम बहादुर सिंह :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति-वर्ष ऊपरी मिट्टी की कितनी अनुमानित क्षति होती है;

(ख) ऐसे किन-किन क्षेत्रों का पता लगाया गया है जहां पर ऊपरि मिट्टी क्षति सबसे अधिक है;

(ग) इसका खाद्यान्न के कुल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है; और

(घ) भू-संरक्षण के लिए अल्पावधि/लम्बी अवधि में कौन-कौन से कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन हैं और उनके अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) भारत में कुल अनुमानित भू-क्षरण 5334 मिलियन मीटरी टन (जो औसतन लगभग 16.35 मीटरी टन प्रति हैक्टेयर है) जिसमें से 29% मृदा स्थायी रूप से समुद्र के कारण नष्ट हो जाती है। चीन में छठे दशक में क्षतिग्रस्त हुई वार्षिक औसत मृदा की मात्रा 5000 मिलियन मीटरी टन है जिसमें से 34% मृदा समुद्र में चली जाती है।

(ख) मृदा की भारी क्षति का सामना करने वाले अनुमानित क्षेत्र निम्न प्रकार है :—

(1) काली मृदा क्षेत्र

(2) उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र।

(3) विहड़ क्षेत्र

(4) असम घाटी के क्षेत्र

(ग) मृदा की क्षति होने से भूमि की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित होता है।

(घ) भूमि समतलन, सीढ़ीदार बनाने, बंडिंग करना, वनरोपण, बागवानी, जल संचयन संरचनाओं का निर्माण तथा समन्वित पनधारा विकास कार्यक्रमों जैसे मृदा संरक्षण उपायों को राज्य सरकारों द्वारा शुरू किया गया है। राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने मृदा और जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई हैं :—

(1) नदी घाटी परियोजनाओं के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजना।

(2) बाढोंन्मुख नदियों के आवाहों में समन्वित पनधारा प्रबंध की केन्द्र प्रवर्तित योजना।

(3) वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास

(4) मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की डकैती उन्मुख जिलों में बिहड़ वाले क्षेत्रों का पुन: सुधार

(5) झूम खेती का नियंत्रण

(6) सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम

(7) रेगिस्तान विकास कार्यक्रम

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक मृदा और नमी संरक्षण के लिए 33.85 मिलियन हेक्टेयर को संसाधित किया गया है। यह पाया गया है कि मृदा और नमी संरक्षण उपायों से मृदा अपरदन में काफी कमी आई है तथा कृषि उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है।

अच्छी किस्म के बीजों की कमी

1244. **डा० असीम बाला :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख कृषि फसलों के अच्छी किस्मों के बीजों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कृषि अनुसंधान के प्राथमिकता क्षेत्रों को पुन: परिभाषित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है या करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विभिन्न जीवीय और अजैव प्रतिबलों के लिए अंतर्निर्मित प्रतिरोधों को शामिल करके वर्द्धित संपोषणता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं जैव-प्रौद्योगिकी, संकर उत्पादन प्रौद्योगिकी, समन्वित कृषि प्रबंध, जिसमें जीव-विज्ञानीय नियंत्रण और कटाई बाद प्रौद्योगिकी शामिल है, जैसे नए अभिगम पर अनुसंधान नई फसलों को स्वीकार करके तथा गैर परम्परागत क्षेत्रों के लिए उपयुक्त वर्द्धित कवरेज द्वारा भी वर्तमान फसली पद्धति के विविधिकरण के लिए जोर दिया जाएगा। सूखा, पालन, लवणता सदृश्य के लिए पादप किस्मों का प्रजनन।

भूमि संबंधी रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण

[हिन्दी]

1245. श्री कंकर मुंजारे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्प्यूटर की सहायता से भूमि रिकार्ड तैयार करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस योजना से सभी वर्गों के काश्तकारों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित कर दी जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने 14 राज्यों को भूमि रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण करने के संबंध में प्रत्येक में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता दी है।

आठवीं योजना के दौरान देशभर में घरणबद्ध रूप में भूमि रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण करने का प्रस्ताव भी योजना आयोग को प्रस्तुत कर दिया गया है।

भूमि रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण होने से भूमि रिकार्डों के रख-रखाव के लिए अधिक कारगर प्रणाली तैयार हो सकेगी भू-स्वामियों तथा अन्य हित धारियों की परेशानियां कम होंगी तथा निम्न-स्तर के राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूमि रिकार्डों में हेरा-फेरी की घटनाओं में कमी आयेगी।

एक प्रायोगिक परियोजना के पूरा होने में लगभग 20 माह लगने की संभावना है।

ठकाम्बी एक्सचेंज में एस० टी० डी० सुविधा

[अनुवाद]

1246. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ठकाझी टेलीफोन एक्सचेंज में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) (i) मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने के लिए कार्रवाई की गई है।

(ii) ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज से जोड़ने के लिए विश्वसनीय संचारण माध्यम की योजना बनाने का काम शुरू किया गया है।

विदिशा जिले के सिरोंज और लाटेरी तहसीलों में एस० टी० डी० सुविधा के साथ स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

[हिन्दी]

1247. श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सिरोंज और लाटेरी तहसीलों में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने तथा स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) सिरोन्ज में एक इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाने और चालू योजना अवधि के दौरान एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है। लाटेरी के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

जम्मू और कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार

[अनुवाद]

1248. श्री वामनराव महाडीक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य से आए सरकारी कर्मचारियों को अन्य राज्यों में सरकारी सेवाओं में रखे जाने का आश्वासन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इनमें से कितने कर्मचारियों को सेवाओं में रखा जा चुका है; और

(ग) यदि नहीं, तो जम्मू और कश्मीर घाटी में शान्ति बहाल होने तक इन कर्मचारियों के कल्याण के लिए किए गए वैकल्पिक उपायों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकार के घाटी से प्रवासित कर्मचारियों को कब तक वेतन दिया जा रहा है, जब तक वे राज्य में और कहीं अपनी व्यवस्था नहीं कर लेते।

राजनैतिक दलों से टेलीफोन बिलों की बकाया राशि की वसूली

[हिन्दी]

1249. **श्री बृज भूषण तिवारी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत आम चुनाव से पहले जिला तथा राज्य स्तर पर कांग्रेस तथा अन्य राजनैतिक दलों के कार्यालयों में टेलीफोन कनेक्शन दिए गये थे;

(ख) क्या इसके लिए प्रतिभूति राशि जमा करने, आदि जैसी मौलिक औपचारिकताएं पूरी की गयी थी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उपर्युक्त टेलीफोन बिलों की बकाया राशि का राजनैतिक दलवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव

[अनुवाद]

1250. **श्रीमती विमल कौर खालसा :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के आम चुनाव कब हुए थे;

(ख) नए चुनावों का निर्धारित समय क्या था;

(ग) चुनाव न कराने के क्या कारण हैं; और

(घ) जनरल हाउस के लिए चुनाव कब कराए जाएंगे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) 30 मार्च, 1975 तथा 28 अक्तूबर, 1979 को चुनाव हुए थे।

(ख) अक्तूबर, 1983 से चुनाव कराये जाने अपेक्षित हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव कराने के प्रश्न पर समय-समय पर विचार किया गया है, और यह महसूस किया गया है कि स्थिति के अनुकूल होने पर ही चुनाव कराये जाएंगे।

बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई

[हिन्दी]

1251. श्री जनार्दन यादव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई में सुधार के लिए कोई योजना केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी हेतु भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने सातवीं योजना अवधि के दौरान त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत 100.11 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 146.36 लाख की जन-संख्या (1981 की जनगणना) वाले 8359 समस्याग्रस्त गांवों और आंशिक रूप से जल उपलब्ध कराए गए 13214 गांवों को जल उपलब्ध कराने के लिए 6092 जल सप्लाई की योजनाएं अनुमोदित की हैं। बिहार में सबसे अधिक मिनी-मिशन अनुमोदित किए गये हैं। रिलीज की गई राशि निम्न प्रकार है :—

मिनी-मिशन जिलों का नाम	राशि (करोड़ रुपये)
1. पलामूं	2.40
2. रोहतास	1.48
3. गिरिडीह	2.20
4. सिंहभूम	3.41
5. साहिबगंज	0.51

इसके अलावा, पेयजल से अधिक लोह दूर करने संबंधी उप-मिशन के अंतर्गत, बिहार राज्य के लिए 2,500 लौह दूर करने वाले संयंत्र स्वीकृत किए गये हैं, जिसके लिए 161.27 लाख रुपये की राशि आबंटित की गयी थी। सातवीं योजना के आरम्भ में, बिहार राज्य में 9,199 समस्याग्रस्त गांव और 2 ,040 आंशिक रूप से जल उपलब्ध कराए गए गांव थे। 1 अप्रैल, 1990 को केवल 44

समस्याग्रस्त गांव और 7,000 आंशिक रूप से जल उपलब्ध कराए गए गांव शेष थे जिन्हें पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है।

फीजी में भारतीय मूल के लोगों द्वारा फीजी से पलायन

1252. **श्री प्रतिन्द्र पाल सिंह :**

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री रेशम लाल जांगड़े :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी संख्या में भारतीय मूल के फीजी लोग फीजी छोड़ चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो जून, 1990 तक भारतीय मूल के कुल कितने लोग फीजी छोड़ चुके हैं; और

(ग) इनमें से कितने व्यक्ति अब तक भारत पहुंच चुके हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) फीजी के सांख्यिकीय ब्यूरो के अनुसार, जून, 1990 तक भारतीय मूल के लगभग 21,000 लोग देश छोड़कर चले गए थे। तथापि, यह स्पष्ट नहीं है कि इनमें से कितने लोगों ने स्थान-परिवर्तन कर लिया है और कितने लोगों ने फीजी को थोड़ी अवधि के लिए ही छोड़ा है। पता चला है कि इनमें से अधिकतर लोग आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमरीका और अन्य पश्चिमी देशों में चले गए हैं।

(ग) हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि फीजी से कोई व्यक्ति भारत में भी आया है।

दिल्ली में प्रदूषण निवारण अभियान

[अनुवाद]

1253. **श्री भवानी शंकर होटा :**

श्री राम सागर (सैदपुर) :

श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या थल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा अधिक धुंआ छोड़ने वाले वाहनों के विरुद्ध हाल ही में चलाए गए प्रदूषण निवारण अभियान से शहर में प्रदूषण का स्तर कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी वाहनों तथा दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका आदि के सरकारी वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण के बीच अनुपात क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम अथवा दिल्ली नगर निगम के प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है, यदि हां, तो ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए;

(घ) अब तक कुल कितने वाहनों की जांच की गई है और उनमें कितने वाहन प्रदूषण फैलाने वाले पाए गए; और

(ङ) दिल्ली में वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण को रोकने और वाहन मालिकों में इसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) दिल्ली यातायात पुलिस ने आटोमोबाइल्स से प्रदूषण स्तरों की जांच करने के लिए एक अभियान चलाया था। ताकि वाहन रखने वाले लोगों के मस्तिष्क में इस बात के लिए नई जागरूकता पैदा की जा सके कि वे अपने वाहनों को निर्धारित धुआं उत्सर्जन स्तर के मानकों के अनुरूप रखें।

संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में यह जांच मुख्यत: परिवहन निदेशालय, दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली यातायात पुलिस की सहायता से की गई थी। अभियान के परिणाम की मात्रा निर्धारित करना आसान नहीं है। परिवहन निदेशालय, दिल्ली प्रशासन द्वारा डीजल से चलने वाले वाहनों का अप्रैल—जुलाई, 1990 में किए गए एक नमूना सर्वेक्षण से पता चलता है कि 834 निजी वाहनों में से 82.87% वाहन निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषण फैला रहे थे। सरकारी वाहनों के मामले में जांच किए गए 3356 वाहनों में से 51.4% वाहन ऐसे पाए गए जो निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषण फैला रहे थे।

(ग) परिवहन निदेशालय ने सूचित किया है कि अप्रैल—जुलाई, 1990 के दौरान 585 सरकारी वाहनों का चालान किया गया जिनमें से 376 वाहन दिल्ली परिवहन निगम के हैं।

(घ) परिवहन निदेशालय द्वारा 30.6.90 तक कुल 516712 वाहनों की जांच की गयी। इनमें से 34% वाहन ऐसे पाए गए जो नियमों के अंतर्गत निर्धारित धुआं उत्सर्जन की सीमाओं से अधिक प्रदूषण फैला रहे थे।

(ङ) दिल्ली प्रशासन द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से एक व्यापक विज्ञापन अभियान शुरू किया गया है और दिल्ली के मोटर चालकों को सलाह दी गयी है कि वे वाहनों की पंजीकरण संख्या शृंखलाओं पर आधारित समय सारणी के अनुसार अपने वाहनों की जांच करा लें। इस प्रयोजन के लिए परिवहन निदेशालय, दिल्ली ने प्रदूषण जांच केन्द्रों के रूप में काम करने के लिए 5? निजी कार्यशालाओं और पैट्रोल पम्पों को प्राधिकृत किया है। ये केन्द्र, निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के मामले में ट्यूनिंग सुविधाएं सुलभ करा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने भी दिल्ली में विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर मनाए गए अपराध निवारण सप्ताहों के दौरान निशुल्क प्रदूषण की जांच करने और इस संबंध में समय-समय पर प्रेस रिलीज जारी करने के लिए कदम उठाए हैं।

किसानों को दिया गया कृषि ऋण

1254. श्री एल० वी० सिंह :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 में कितना कृषि ऋण दिया गया;

(ख) क्या इस ऋण का विभिन्न घटकों में जैसे बीज, उर्वरक और सिंचाई का कोई विवरण उपलब्ध है;

(ग) क्या जिस प्रयोजन के लिए ऋण स्वीकृत किया गया था, उसका उसी प्रयोजन के लिये उपयोग करने के बारे में निगरानी रखने के लिये कोई मूल्यांकन तकनीक विकसित की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) 1989-90 में वितरित किए जाने वाले कृषि ऋण की लक्षित मात्रा 13294 करोड़ रुपए है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जहां तक कृषि निवेश का संबंध है नाबार्ड ने एक जिला प्रबोधन प्रणाली तथा वितरण के बाद मूल्यांकन अध्ययन का भी विकास किया है। फसल ऋण (अल्पावधि-ऋण) के इस मामले में कोई मूल्यांकन तकनीक विकसित नहीं की गयी है।

कश्मीर में हिरासत में लिये गये आतंकवादी

[हिन्दी]

1255. श्री के० डी० सुलतानपुरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में कितने आतंकवादी गिरफ्तार किए गये हैं और उन्हें जम्मू कश्मीर राज्य की जेल में हिरासत में रखा गया है;

(ख) क्या उनमें से किसी व्यक्ति को निर्दोष पाये जाने के बाद छोड़ा गया है; और

(ग) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को छोड़ा गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1 जनवरी से 31 जुलाई, 1990 तक की अवधि के दौरान 1625 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। आरंभिक जांच के बाद 475 व्यक्तियों को छोड़ दिया गया।

मध्य प्रदेश के गांवों में पेयजल की समस्या

1256. सुखेन्द्र सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के कुल कितने गांवों में पेयजल समस्या है और रीवा—सतना डिवीजन में ऐसे कितने गाँव हैं;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए

राज्य-वार, कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए कितना प्रावधान किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) 1.7.90 की स्थिति के अनुसार केवल 120 "बिना जल स्रोत" वाले समस्याग्रस्त गांव शेष रहते हैं। अन्य सभी गांवों को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है। रीवा—सतना डिवीजन में "बिना जल स्रोत" वाले समस्याग्रस्त गांवों की संख्या शून्य है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सातवीं योजना के दौरान वित्तीय प्रगति और त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 1990-91 के लिए आवंटन

13.8.1990 की स्थिति राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल सातवीं योजना आवंटन	रिलीज	व्यय	रु० करोड़ में 1990-91 आवंटन (अनन्तिम)
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	105.670	108.380	1084.50	23.010
अरूणाचल प्रदेश	14.410	4.738	4.931	4.170
असम	70.440	71.120	69.446	13.700
बिहार	129.640	108.722	409.385	27.100
गोआ	2.110	1.160	1.157	0.500
गुजरात	64.870	75.784	74.002	14.640
हरियाणा	42.650	32.336	32.129	8.670
हिमाचल प्रदेश	34.630	44.580	44.740	6.400
जम्मू और कश्मीर	91.250	100.089	89.969	19.130
कर्नाटक	94.620	95.446	100.160	21.160
केरल	54.600	53.578	52.027	10.760
मध्य प्रदेश	128.820	145.080	158.030	25.470

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	133.990	126.638	124.644	30.630
मणिपुर	16.780	17.780	18.287	3.080
मेघालय	20.800	17.203	22.507	4.200
मिजोरम	5.090	8.708	9.330	1.170
नागालैंड	21.100	21.068	26.930	4.220
उड़ीसा	60.100	58.819	54.899	12.060
पंजाब	24.080	29.038	32.458	3.840
राजस्थान	166.340	171.710	173.782	36.660
सिक्किम	16.980	16.426	19.060	3.720
तमिलनाडु	92.810	95.510	89.189	18.240
त्रिपुरा	17.550	17.805	16.300	3.500
उत्तर प्रदेश	226.210	199.600	245.170	42.680
पश्चिम बंगाल	83.160	66.509	66.656	16.480
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2.150	1.650	1.975	0.400
चंडीगढ़	0.000	0.000	0.000	
दादरा एवं नगर हवेली	0.480	0.060	0.000	0.120
दमन और दीव	0.760	0.240	0.000	0.200
दिल्ली	0.390	0.130	0.000	0.130
लक्षद्वीप	0.400	0.050	0.060	0.100
पांडिचेरी	1.130	0.980	1.063	0.260
कुल :	1724.010	1690.932	1746.736	356.400
टी०एम० रिलीज	103.530	119.860	111.744	88.000
कमपार्ट	14.750	12.250	5.871	4.000
एम० एंड आई० यूनिटें	0.000	7.534	0.000	

1	2	3	4	5
वैज्ञानिक संस्थान	36.100	48.920	28.130	10.000
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	42.150	17.668	0.050	10.000
अन्य	1.800	0.924	0. 18	1.800
उप-मिशन	0.000	8.033	0.000	
कुल योग :	1922.340	1905.121	1893.049	470 200

1990-91 के लिए अनुमोदित बजट 423.00 करोड़ रुपए है।

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्वरघाट और नैना देवी में रेडियो टेलीफोन सेवा

1257. प्रो० प्रेम कुमार धूमल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्वरघाट और नैना देवी में लगाये गये रेडियो टेलीफोन कब से खराब पड़े हुए हैं;

(ख) इन रेडियो टेलीफोनों की मरम्मत करने अथवा इन्हें बदलने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या रेडियो टेलीफोनों को ठीक करने अथवा इन्हें बदलने में विलम्ब होने के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) (i) बिलासपुर—स्वरघाट सिंगल चैनल वी०एच० 25-5.90 से खराब है।

(ii) बिलासपुर-नैना देवी सिंगल चैनल वी०एच०एफ० 31.5 89 से खराब है।

(ख) ये क्षेत्र परीक्षण के उपस्कर हैं। इसलिए इन उपस्करों को बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इस प्रकार के उपस्करों का नियमित उत्पादन अभी शुरू हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मार्च, 1990 के दौरान मंत्रालय के कोटे में से जारी किये गये टेलीफोन कनैक्शन

[अनुवाद]

1258. श्री तेज नारायण सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1990 के दौरान मंत्रालय के कोटे में से दिल्ली के लिए कितने टेलीफोन कनैक्शन जारी किये गये;

(ख) उनमें से कितने टेलीफोन कनैक्शन चाणक्यपुरी एक्सचेंज के लिए जारी किये गये थे;

(ग) कितने टेलीफोन कनैक्शन पतों में परिवर्तन होने के कारण नहीं लगाये जा सके हैं; और

(घ) नये पतों पर टेलीफोन कनैक्शन लगाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दालों के मूल्यों में वृद्धि

[हिन्दी]

1259. श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरहर तथा अन्य दालों के मूल्यों में निरंतर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ग) इस दिशा में अब तक किये गये प्रयासों के बावजूद दालों के उत्पादन में प्रर्याप्त वृद्धि न होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का दालों का समर्थन मूल्य बढ़ाने का विचार है; और

(ङ) इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को अन्य क्या प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) अरहर और अन्य दालों सहित सभी मदों के मूल्यों में सामान्य वृद्धि हुई है।

(ख) दालों के उत्पादन में वृद्धि करने संबंधी प्रस्तावित नीति अल्पाविध दलहनों के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाने के लिए बहुल फसल पद्धति, क्रमिक फसल पद्धति और अन्तर-फसल पद्धति जैसे क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमों से संबधित है। उत्तरी राज्यों में अरहर की शीघ्र पकने वाली किस्मों की खेती, ग्रीष्म दालों की खेती का सम्वर्धन, दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में चावल की परती भूमि में मूंग तथा

उड़द के क्षेत्र का विस्तार, उत्तर प्रदेश और बिहार में चावल की परती भूमि में मसूर के क्षेत्र का विस्तार आदि को शुरू किया जाएगा।

उत्पादन स्तर में वृद्धि करने के लिए अच्छे किस्म के बीज का उत्पादन और सप्लाई, फास्फोसं युक्त उर्वरकों का वर्धित उपयोग, रिजोबियम कल्चर का उत्पादन, उन्नत फार्म उपकरणों की सप्लाई, उन्नत फार्म प्रौद्योगिकी का प्रसार, पौध संरक्षण उपाय अपनाना आदि कार्यक्रमों का प्रस्ताव किया गया है। इस नीति का समर्थन करने के लिए भारत सरकार ने निम्न कार्यक्रमों को मंजूरी दी है :—

(I) राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना।

(II) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—दलहन

(ग) दालों के उत्पादन में अनेक बाधाएं हैं और वे बाधाएं उनके उत्पादन में अपेक्षित विकास दर लाने नहीं देतीं। ये बाधाएं निम्न प्रकार हैं :—

(1) क्षेत्र विस्तार बाधा

(2) दलहन फसल में अनुवंशिक इंजीनियरी में सफलता की कमी।

(3) दालों के फसल उत्पादन से संबंधित जोखिम क्योंकि 80 प्रतिशत क्षेत्र से अधिक क्षेत्र वर्षासिंचित परिस्थितियों के अन्तर्गत है।

(4) अन्य फसलों की तुलना में दालों की फसलों की आर्थिक हानि

(घ) सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों की रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक मौसम में दालों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की समीक्षा करती है।

(ङ) 1990-91 के दौरान दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किसानों को निम्न प्रोत्साहन दिए जाएंगे :—

1. प्रमुख दलहन फसलों की अभिज्ञात फसलों की बढ़िया किस्मों के मिनिकिटों का वितरण।
2. किसानों को रियायती लागत पर यथा सम्भव प्रमाणीकृत बीज उपलब्ध कराए जाएंगे।
3. बीज गांव कार्यक्रमों का गठन।
4. खेती की परिस्थितियों में किसानों को आधुनिक उत्पादन प्रौद्योगिकी के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रदर्शन तैयार करना;
5. पौध संरक्षण उपायों को अपनाने के लिए किसानों को बढ़ावा देने हेतु रियायती दरों पर पौध संरक्षण रसायन एवं पौध संरक्षण उपकरण वितरित किए जाते हैं।
6. कृषि उपकरणों/दाल प्रोसेससं का प्रदर्शन किया जाता है और कुछ मामलों में रियायती दर पर वितरित किए जाते हैं ताकि दालों के उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि करने के लिए इन आधुनिक उपकरणों का उपयोग करने हेतु किसानों को बढ़ावा दिया जा सके।

सुपौल और वीरपुर सब-डिवीजन के क्षेत्रों को एस० टी० डी० से जोड़ना

1260. श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सुपौल और वीरपुर सब डिवीजन जोकि बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, में एस० टी० डी० सम्पर्क उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) इन दोनों स्टेशनों को वर्ष 1991-92 के दौरान एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गई है बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

1261. श्री सी० डी० गामित :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इन्हें कहां-कहां स्थापित करने का प्रस्ताव था;

(ख) सातवीं योजना के अन्त तक कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए; और

(ग) लक्ष्य प्राप्त न किए जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) गुजरात में सातवीं योजना के दौरान 150 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जबकि स्थापित किए गए नए एक्सचेंजों की वास्तविक संख्या 197 थी। जिन स्थानों पर ये एक्सचेंज संस्थापित किए गए हैं, उनकी सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) लागू नहीं होता क्योंकि उपलब्धियां लक्ष्य से अधिक हैं।

विवरण

अनुबंध-1

क्र० सं०	स्थान का नाम	क्रम सं०	स्थान का नाम
1	2	3	4
1.	चाचापार	4.	दयापार
2.	भूजसूतारी	5.	तेथारा
3.	पंधरो	6.	पदमपोर

1	2	3	4
7.	जपोदाद	31.	वगचीपा
8.	घढुली	32.	सुखला
9.	टेरा	33.	सुखसर
10.	जखयू	34. क	जेसवदर
11.	थ्रोल	35.	अडरी
12.	कुकमा	36.	रमोदर
13.	विकटर	37.	टेक्सटाइल मार्किट सूरत
14.	मयोर		
15.	लेखपुर	38.	कस्तुरबा-राजकोट
16.	अमरान	39.	जुना देवडीया
17.	पिम्पालिरज	40.	होटडा दादा
18.	भदरेश्वर	41.	रन्तल
19.	बपाला	42.	वीजापुर
20.	दमनभोर	43.	अनुमला
21.	थोवला	44.	रनोली
22.	ममभरदीज	45.	अन्ड्राना
23.	सागपुर	46.	मोरीया
24.	सुदामनिवा	47.	बलवा
25.	भादव	48.	जीओखा
26.	अलीनोदरा	49.	गंगापुर
27.	मटवा	50.	गम्भू
28.	सपुर	51.	तान्सबड
29.	बीट्टा	52.	सारला
30.	गोयाल	53.	हाजपर

1	2	3	4
54.	खावडा	77.	जसपुर
55.	जंडवा	78.	रोहीशाला
56.	धानपुर	79.	सडोदर
57.	अडास	80.	हनडोड
58.	भटवन्दर	81.	काडीपानी
59.	मोथाला	82.	हडाड
60.	बुधाई	83.	टिकार
61.	धाडीया	84.	जीवापार
62.	निकवा	85.	राधीकापुर
63.	हरमाडिया	86.	अंगाडो
64.	वाडा	87.	चन्देरिया
65.	अनाड़ी	88.	कोलीयाक
66.	फतेहगंज	89.	धम्धालपुर
67.	अल्कापुरी-बी बी०आर०डी०	90.	भालोड
68.	चितराभावनगर	91.	धोलाई
69.	खम्भल	92.	दीवडा
70.	टिक्कर	93.	गोधीव
71.	भुतेडी	94.	मंडवा
72.	टापर	95.	कडोली
73.	मोरासा	96.	अम्बालिया
74.	टिम्बी	97.	मटोडा
75.	जनट्राल	98.	खेड
76.	वनोडा	99.	रामपिरकम्पा
		100.	फुंडेटा

1	2	3	4
101.	वरसीला	125.	भगवडरा
102.	महुडी	126.	बंनाहा
103.	अमरपुरा	127.	बागधाला
104.	भेमला	128.	नगरपीपालिया
105.	ड्रामपुर	129.	कलाना
106.	जुनी सेधानी	130.	नेस
107.	कुवाला	131.	वरसालिया
108.	जीतपुर	132.	राजकोट
109.	खोडी	133.	सुरत
110.	भालवमा	134.	कोडीवाला
111.	रंगाध	135.	जेरडा
112.	सुकौर	136.	भरीसना
113.	डुमरा	137.	डोमारा
114.	चोरवाड	138.	खोलदियाद
115.	विमसारा	139.	खंटवाड
116.	भारापार	140.	पीलूडा
117.	पंधरो गेवकलटफ	141.	वालूकार
118.	लोदाई	142.	कमलीवाडा
119.	डोलसा	143.	समश्वारलत
120.	चीरा मोती	144.	सेवालिया
121.	खनडेरा	145.	दुमत
122.	देरड	146.	कहोडा
123.	असोडर	147.	वालासार
124.	विस्वाडर	148	लुनी

1	2	3	4
149.	दीहीर	174.	मटवड
150.	भीरड़	175.	रूमला
151.	टंडाव	176.	एकलारा
152.	टुना	177.	वी० जाडी
153.	खारगोडा	178.	कडाच्छ
154.	फल्ला	179.	बुघेल
155.	बालगम	180.	वडथाल
156.	जमराला	181.	कंकावती
157.	सीसोडरा	182.	मयुरनगर
158.	मायक	183.	मालेकपुर
159.	सरमा	184.	भोड़वा
160.	बोलेश्वर	185.	मारोली
161.	घंडुसर	186.	नाना
162.	इलव	187.	वयाड
163.	कानतुलुज	188.	अजोधा
164.	सुन्दरी	189.	वंकी
165.	देडान	190.	लखपार
166.	कंनसा	191.	भीमसार
167.	वादवली	192.	सतपार
168.	जलिया	193.	हरियाणा
169.	भम्भान	194.	जोज
170.	डावसन	195.	कडकथानी
171.	जजोल	196.	बवरखा
172.	भुनावव	197.	बोपाल
173.	घिमा		

वाणिज्यिक फसल उगाने वाले किसानों को मुआवजा

[अनुवाद]

1262. श्री ए० कृष्ण कुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल, काली मिर्च आदि जैसी वाणिज्यिक फसलों को क्षति पहुंचने की स्थिति में इनके लिए मुआवजा देने की राशि को निर्धारित करने के लिए अपनाए जाने वाले फार्मूले का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस समय निर्धारित की जाने वाली मुआवजे की राशि बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इसे संशोधित करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कृषि/बागवानी/रोपण फसलों के लिए कृषि आदान संबंधी राजसहायता के रूप में छोटे और सीमान्त किसानों को 200 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से सहायता उपलब्ध करायी जाती है। तथापि, 1.4.90 से राज्य राज्य सरकारें नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के फलस्वरूप कृषि/बागवानी/रोपण फसलों के लिए सहायता के अपने निजी मानदण्डों को तय करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

(ख) और (ग) रहित संबंधी व्यय के लिए वित्तीय सहायता देने संबंधी योजना में 1.4.1990 से संशोधन किया गया है। संशोधित योजना के अन्तर्गत कुछ आबंटित धनराशि में से प्रत्येक राज्य के लिए आपदा राहत निधि का सृजन किया गया है। आपदा राहत निधि का संचालन राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति के नियन्त्रणाधीन है। राज्य स्तरीय समिति सहायता के मानदण्डों सहित राहत व्यय से संबंधित सभी मामलों पर निर्णय लेती है। आपदा राहत निधि का गठन करने के फलस्वरूप किसी प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न होने वाले सभी व्यय पूरा करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है।

दक्षिण-दक्षिण वार्ता पुन: शुरू करने के लिए भारत का प्रयास

1263. श्री सुधीर गिरि :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर द्वारा थोपे गए कर्ज के भार को देखते हुए दक्षिण-दक्षिण वार्ता को पुन: शुरू करने की कोई पहल की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारत के प्रयासों पर तीसरे विश्व के राष्ट्रों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मसले पर जिनमें ऋण संबंधी समस्या भी शामिल है, गुट-निरपेक्षण आंदोलन और 77 के समूह जैसे विकासशील देशों के विभिन्न मंचों पर समय-समय पर विचार-विमर्श किया जाता है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय बातचीत में एक समान नीति अपनाई जा सके। भारत ने हाल ही में अन्य देशों के साथ मिलकर इस बात के लिए पहल की

है कि विकसित और विकासशील देशों के नेताओं के बीच शिखर स्तर की बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से उत्तर-दक्षिण के बीच वार्तालाप पुनः शुरू हो। भारत उस पहल कदमी में भी शामिल है जिससे दक्षिण-दक्षिण परामर्श और सहयोग (सी-15) संबंधी शिखर स्तरीय दल की स्थापना की बात की जा रही है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मसलों पर विचार-विमर्श हो सके और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा मिल सके।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू में बन्दूक बनाने वाली फैक्टरी के लिए लाइसेंस

1264. **श्री माम्बाता सिंह :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू में बन्दूकों का निर्माण करने वाली एक फैक्टरी में 18 नवम्बर, 1983 को मारे गये छापे में भारी मात्रा में विदेशों में बनी बन्दूकें और अस्त्र-शस्त्र बरामद हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस फर्म के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस फैक्टरी को बन्दूक बनाने के लिए भारतीय आयुध अधिनियम, 1959 में संशोधन करके लाइसेंस दिया गया था; और

(घ) क्या ऐसी अनुमति अन्य गैर-सरकारी एजेंसियों को भी दी गई है अथवा दी जा रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान राज्य सरकार द्वारा जम्मू में एक बन्दूक बनाने वाली कम्पनी के खिलाफ छापा मारा गया जिसमें 500 गन बैरल तथा स्पेन में निर्मित 12 बोर शाट गन की फायरिंग मैकेनिज्म बरामद की गई। फर्म पर शस्त्र अधिनियम के उपबन्धों के अधीन मुकदमा चलाया गया। तथापि, क्योंकि अभियोग द्वारा प्रथम दृष्टया मामला नहीं बना इसलिए न्यायालय ने अभियुक्तों को छोड़ दिया।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्। शस्त्र अधिनियम, 1959 तथा शस्त्र नियम, 1962 के अधीन उक्त फर्म को शाटगन बनाने के आधार पर उपरोक्त अधिनियम और नियमों के लागू होने से पहले, लाइसेंस जारी किया गया था।

(घ) शस्त्र अधिनियम 1959 को संशोधित करके कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया।

राष्ट्रीय बीज निगम में दैनिक मजूरी वाले कर्मचारी

[हिन्दी]

1265. **श्री बालेश्वर यादव :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम में काफी संख्या में दैनिक मजूरी वाले कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और वे निगम में कब से कार्य कर रहे हैं; और

(ग) उनको अब तक अस्थाई आधार पर नियुक्त कर रखने के क्या कारण हैं और उन्हें कब तक स्थायी किए जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी हां।

(ख) दिनांक 31 मार्च, 1990 को विभिन्न स्थानों पर निगम में दैनिक/संचित पारिश्रमिकों पर 632 व्यक्ति कार्य कर रहे थे। वे निगम में 2—17 वर्षों की अवधि से कार्य करते रहे हैं।

(ग) उन्हें अस्थायी तौर पर रखे जाने का मुख्य कारण यह है कि नियमित पदों का अभाव है, जिन पर उन्हें नियुक्त किया जा सकता था। इस समय कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित कर पाना संभव नहीं है, स्टाफ शक्ति का पुनरीक्षण किया जाएगा और इस विषय पर केवल तभी कोई निर्णय लिया जा सकता है।

श्रीलंका द्वारा भारतीय मछुआरों को हिरासत में लेना

[अनुवाद]

1266. श्री कड़िया मुन्डा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान श्रीलंका के सैनिकों ने भारी संख्या में भारतीय मछुआरों को समुद्र में मछली पकड़ते समय हिरासत में ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी रिहाई के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जब कि श्रीलंका की नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया गया है। हाल ही में श्रीलंका की नौसेना ने आठ मछुआरों को पकड़ लिया था। लिट्टे ने भी अनेक अवसरों पर बड़ी संख्या में भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया।

(ग) पहले के सभी मामलों में सरकार ने मामले को श्रीलंका के प्राधिकारियों के साथ उठाया और उनको रिहा कराया। आठ मछुआरों के हाल ही के मामले में उनकी रिहाई के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में शीतागार सुविधाएं

1267. श्री इरा अन्बारासु :

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों के उद्यान उत्पादों को परिरक्षण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शीतागार स्थापित कराने की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख) भारत सरकार ने एक समय सीमा के अन्दर कुछेक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये एक कार्य योजना की घोषणा की है। कार्य योजना के मुद्दों में से एक घाटे की बिक्री के खिलाफ किसानों को सुनिश्चित कराने हेतु पूरे देश में सार्वजनिक तथा सहकारिता, दोनों क्षेत्रों में भण्डागारों तथा गोदामों के एक नेटवर्क की व्यवस्था करने के लिये एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान बनाने से संबंधित है। इस कार्य योजना के अनुकरण में, केन्द्र सरकार राज्य सरकारों तथा अन्य एजेंसियों की सलाह से भण्डागारों तथा गोदामों के एक नेटवर्क की व्यवस्था के लिये एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान तैयार करने पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय मास्टर प्लान से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को उनके बागवानी उत्पादों को सुरक्षित रखने में सहायता हेतु शीतागार सुविधाओं की आवश्यकता का ध्यान रखे जाने की आशा है।

रोसेड़ा, बिहार में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

[हिन्दी]

1268. श्री दसई चौधरी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में रोसेड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन लाइनें अधिकतर खराब रहती हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए रोसेड़ा में एक इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) यह सही है कि रोसेड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निम्नलिखित कारणों से टेलीफोन एक्सचेंजों पर यदा-कदा दुष्ट प्रभाव पड़ा है और वे खराब हुए हैं।

(i) बाढ़ तथा प्रतिकूल मौसम।

(ii) पावर सप्लाई में लम्बे समय तक रुकावट

(ख) जी हां, रोसेड़ा इलैक्ट्रोनकेनिकल ऑटोमेटिक एक्सचेंज को 128 लाइन इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज से बदलने का प्रस्ताव है।

(ग) उपस्कर की सप्लाई हो जाने पर इसको 1990-91 के दौरान संस्थापित करने की संभावना है।

दिल्ली परिवहन निगम के बस स्टेण्डों पर "शेल्टर्स"

[अनुवाद]

1269. श्री राम सागर (सैदपुर) :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अधिकांश बस स्टेण्डों पर "शेल्टर" नहीं हैं जिससे दैनिक यात्रियों को प्रतिकूल मौसम का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या विद्यमान बस स्टेण्डों के "शेल्टर्स" की स्थिति भी बहुत असंतोषजनक है और अनेक "शेल्टर्स" की एस्बेस्टॉस चादरें टूटी हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली परिवहन निगम के बस स्टेण्डों पर अच्छे "शेल्टर्स" उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) शहर के प्रचालन क्षेत्र में 5500 बस स्टाप हैं जिनमें से 1533 पर बस क्यू शैल्टर बने हुए हैं। चालू वर्ष के दौरान दिल्ली परिवहन निगम का 320 और बस क्यू शैल्टर बनाने का कार्यक्रम है। इस समय जिन बस स्टापों पर शैल्टर नहीं है उनमें से कुछ मामलों में बस स्टापों पर, विशेष कर उन बस स्टापों पर जो व्यस्त व्यापारिक क्रिया कलापों वाली सड़कों पर हैं, नियमित शैल्टर बनाने के लिए स्थान की कमी के कारण बस शैल्टर बनाना व्यवहारिक नहीं पाया गया है।

(ख) और (ग) बस क्यू शैल्टर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने अनुमोदित मान-दण्डों के अनुसार और दिल्ली शहरी कला आयोग द्वारा अनुमोदित डिजाइनों के आधार पर बनाए जाते हैं। एसबेस्टॉस की चादरों की छतों वाले तरजीह-याफ्ता ढांचे को सामान्य मौसम के लिए काफी मजबूत समझा जाता है। जब कभी हवा के अत्यधिक दबाव या दुर्घटना आदि के कारण ये छतें टूट जाती हैं तो नियमित आधार पर इनकी मरम्मत की जाती है और इस काम के लिए दि०प०नि० द्वारा क्षेत्र के कार्यकारी अभियंताओं को जिम्मेदारी दी गई है।

समेकित मात्स्यिकी विकास कार्यक्रम

1270. श्री टी० बशीर :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से राज्य में समेकित मात्स्यिकी विकास कार्यक्रम के तीसरे चरण में कार्यान्वित किये जाने वाली कोई परियोजना प्रस्ताव तथा इसके लिए वित्तीय सहायता देने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) केरल राज्य में केरल के 8 जिलों के 148 गांवों का 43.59 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से विकास करने के लिए समेकित मात्स्यिकी विकास कार्यक्रम का 3 चरणों में कार्यान्वयन करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने प्रस्ताव की जांच की है तथा केरल सरकार से और स्पष्टीकरण मांगे हैं।

फलोद्यान स्थापित करने के लिए किसानों को ऋण

[हिन्दी]

1271. **श्री अमृत लाल वल्लभदास तारवाला :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को अपने फलोद्यान स्थापित करने के लिए उन्हें कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार कब तक निर्णय लेगी ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार का फलोद्यान लगाने के लिए ब्याज की निम्न दर पर ऋण देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, छोटे तथा सीमांत किसानों को अल्पावधि के लिये ब्याज की निम्न दर पर कृषि ऋण मुहैया कराए जाते हैं। दीर्घावधि ऋणों के लिए ब्याज की दरें निम्नानुसार हैं :—

श्रेणी	प्रति वर्ष ब्याज की दर
1. छोटे तथा सीमान्त किसानों के लिए ऋण तथा लघु सिंचाई और भूमि विकास के लिए ऋण	10.00
2. अन्यों के लिए	12.50

भारतीय क्षेत्र में 'आत्मघाती जत्थों' की घुसपैठ

[अनुवाद]

1272. **श्री परसराम भारद्वाज :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुरक्षा बलों द्वारा 10 जुलाई, 1990 को पहली बार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कश्मीरी आतंकवादियों से 'सायनाइड गोलियां' बरामद की गई हैं; जिससे पता चलता है कि सीमा पार से 'आत्मघाती जत्थे' भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे;

(ख) क्या ऐसी खबरें मिली हैं कि निकट भविष्य में ये जत्थे भारतीय सीमा में प्रवेश कर कश्मीर विध्वंशकारियों के साथ मिलने की कोशिश करेंगे; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि 13 जुलाई, 1990 को श्रीनगर में कश्मीरी उग्रवादियों के छिपने के स्थानों पर छापा मारने पर सुरक्षा बलों ने उनसे साईनाईड गोलियां बरामद की। सीमा क्षेत्रों से इस प्रकार की घटना की कोई रिपोर्ट नहीं हैं।

(ख) सरकार के पास इस आशय की कोई प्रमाणित सूचना नहीं है कि इस प्रकार के दस्तों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

मीखाइज मौलवी फारूक के हत्यारों की गिरफ्तारी

[हिन्दी]

1273. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1990 में मीखाइज मौलवी फारूक की उनके निवास पर हत्या करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये अपराधी किस ग्रुप से सम्बद्ध हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को मामला जांच-पड़ताल के लिए सौंपा गया है।

पासपोर्ट जारी करने के लिए उदारीकृत प्रक्रिया

[अनुवाद]

1274. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :**

श्री बी० एन० रेड्डी :

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर :

श्री बलवंत मणवर :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट जारी करने के सम्बन्ध में हाल ही में प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं को उदार बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो पासपोर्ट जारी करने की वर्तमान प्रक्रिया में किये गये परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) आवेदकों की निम्नलिखित श्रेणियों को पासपोर्ट जारी करने से पहले उन्हें पूर्व पुलिस और सी० आई० डी० सत्यापन की अपेक्षाओं से छूट दी गई है।

1. सभी सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी जो अपने आवेदन पत्रों के साथ विभागाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित अनापत्ति प्रमाण-पत्र और सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं।

2. जहां आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा हस्ताक्षरित सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है।

   I. भारत सरकार के उपसचिव अथवा उससे ऊपर के अधिकारी

   II. राज्य सरकार के संयुक्त सचिव या उससे ऊपर का अधिकारी

   III. उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट और उससे ऊपर का अधिकारी

   IV. जिला पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर का अधिकारी

3. सेवा निवृत्त राजपत्रित सरकारी कर्मचारी

4. केन्द्रीय संसद के भूतपूर्व सदस्य (राज्य सभा और लोक सभा) और राज्य विधायक (विधान सभा और विधान परिषद)

जिन मामलों में पुलिस और सी० आई० डी० से वैयक्तिक ब्यौरा फार्म भेजने के चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती सभी अन्य मामलों में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी/पासपोर्ट अधिकारी आवेदक की वास्तविकता से अन्यथा सहमत होता है तो उसे मामले में पासपोर्ट जारी कर दिया जाए।

पन्द्रह वर्ष से कम की आयु वाले बच्चों को बिना पुलिस सत्यापन के पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा।

साधारण पासपोर्ट धारकों को पासपोर्ट की 10 साल की वैधता की समाप्ति पर बिना पूर्व पुलिस/सी० आई० डी० सत्यापन के नया पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। 16-8-1990 से साधारण भारतीय पासपोर्ट इसके जारी होने की तारीख से एक बार में 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

पंजाब मार्कफेड का विज्ञापन-व्यय

1275. **बाबा सुच्चा सिंह :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब मार्कफेड द्वारा सभी प्रकार के विज्ञापनों पर गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) इसके उत्पादों के फालतू भंडार का ब्यौरा क्या है;

(ग) फालतू भंडार का विज्ञापन देने का औचित्य क्या है; और

(घ) विज्ञापन देने के अलावा फालतू उत्पादों की बिक्री के लिए क्या प्रयास किये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) पंजाब मार्कफेड का पिछले तीन वर्षों में विज्ञापनों पर हुआ खर्च इस प्रकार है :—

1987-88	38.06 लाख रुपए
1988-89	21.62 लाख रुपए
1989-90	40.65 लाख रुपए

(ख) चूंकि खरीद, उत्पादन और विपणन एक सतत प्रक्रिया है इसलिए कोई फालतू स्टाक नहीं हैं।

(ग) और (घ) विज्ञापन एक अनिवार्य विपणन आदान है इसलिए यह सामान्य बिक्री के लिए भी संगत है। मार्कफेड के पास अपने उत्पादों की बिक्री का आयोजन करने के लिए एक अलग विपणन शाखा है। मार्कफेड के उत्पादों की पूरी रेंज डीलरों, खुदरा-बिक्रेताओं और सहकारी संस्थाओं के तंत्र के जरिए बेची जाती है।

तिब्बत की ओर से सिक्किम में घुसपैठ

1276. श्री नम्बू थापा :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तिब्बत की ओर से सिक्किम में होने वाली घुसपैठ की जानकारी है;

(ख) क्या सिक्किम सरकार ने सिक्किम में एक पूछ-ताछ केन्द्र स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने वहां एक पूछ-ताछ केन्द्र स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) राज्य सरकार से इस प्रकार के घुसपैठ की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) सूचना प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

दिल्ली में पुलिस आयुक्त व्यवस्था को बदलना

[हिन्दी]

1277. श्री मदन लाल खुराना :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें दिल्ली में पुलिस आयुक्त व्यवस्था को बदलकर पुलिस महानिरीक्षक व्यवस्था करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

त्रिवेन्द्रम में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

[अनुवाद]

1278. श्री ए० चार्ल्स :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में त्रिवेन्द्रम में दस हजार लाइनों वाले मेडिकल कालेज टेलीफोन एक्सचेंज को चालू करने की कौन सी तारीख निर्धारित की गई है;

(ख) इस समय इस एक्सचेंज की क्या स्थिति है; और

(ग) इस परियोजना के चालू होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) त्रिवेन्द्रम मेडिकल कालेज में 10,000 लाइनों के टेलीफोन एक्सचेंज को मार्च, 1991 तक चालू करने की योजना बनाई गई है।

(ख) एक्सचेंज का संस्थापना कार्य शुरू हो गया है।

(ग) इस प्रोजेक्ट के चालू होने में किसी विलम्ब की संभावना नहीं है।

नैनीताल स्थित पशु अनुसंधान संस्थान

[हिन्दी]

1279. श्री एम० एस० पाल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुक्तेश्वर (नैनीताल) स्थित पशु अनुसंधान संस्थान के एक अथवा इससे अधिक एककों को कहीं और स्थानान्तरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त करके विघटनकारियों की भारत में घुसपैठ

1280. **श्री दलपत सिंह परस्ते :**

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त करके कुछ विघटनकारियों ने भारत-पाकिस्तान सीमा पार करके भारत में घुसपैठ की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) मई से जुलाई, 1990 की अवधि के दौरान सीमा सुरक्षा बल द्वारा भारत में घुसपैठ करने के लिए भारत-पाकिस्तान सीमा को पार करते हुए 282 व्यक्तियों को पकड़ा गया।

(ख) सीमा चौकियों, निगरानी बुर्जों, वाहन, बायोनोकुलर्स आदि जैसे अत्याधुनिक उपकरणों के साथ-साथ सीमा सुरक्षा बल की संख्या बढ़ा दी गई हैं। सीमा क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है और आवश्यक आसूचना में वृद्धि की गई है। भारत-पाकिस्तान सीमा के कुछ चुनिन्दा क्षेत्रों में बाड़ और रोशनी भी लगाई गई है।

लन्दन में गांधी जी के पत्रों की बिक्री

1281. **श्री हरीश पाल :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए पत्रों को हाल ही में लंदन में बेचा गया है;

(ख) क्या इन पत्रों की खरीद के लिए भारत सरकार ने ब्रिटेन सरकार से कोई बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो इस बातचीत का क्या परिणाम निकला; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (घ) सरकार को यह जानकारी है कि महात्मा गांधी के कागजात 20 जून, 1990 को क्रिस्टी द्वारा लंदन में नीलामी किए जाने थे। तथापि, चूंकि क्रिस्टी एक गैर सरकारी एजेंसी है अतः ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने का प्रश्न नहीं उठता।

"दक्षेस" का अगला शिखर सम्मेलन श्रीलंका में आयोजित करना

[अनुवाद]

1282. श्री कल्पनाथ राय :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991 में दक्षेस एस०ए०ए०आर०सी० के अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी श्रीलंका करेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत इस सम्मेलन में भाग लेगा ?

विदेश मन्त्री (श्री इंद्र कुमार गुजराल) : (क) अगली (पांचवां) सार्क शिखर बैठक मालदीव में नवम्बर, 1990 में होगी। तथापि, हम यह समझते हैं कि छठी सार्क शिखर बैठक की मेजबानी 1991 में श्रीलंका करेगा।

(ख) जी, हां।

बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद पर गोल मेज सम्मेलन

1283. श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

श्री उत्तम राठौड़ :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राम जन्म भूमि विवाद पर विचार करने के लिए बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति, विश्व हिन्दू परिषद और सरकार के प्रतिनिधियों का एक "गोल मेज" सम्मेलन बुलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में इस मामले की शीघ्र सुनवाई कराने हेतु कोई प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो न्यायालय द्वारा इस मामले में कब सुनवाई शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) मामले का सौहार्दपूर्ण हल निकालने की दृष्टि से सरकार अनेक नेताओं तथा प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर रही है।

(ग) और (घ) उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार एक पार्टी है। न्यायालय ने ग्रीष्म अवकाश के बाद मामले में सुनवाई शुरू कर दी हैं अगली सुनवाई 22 अगस्त, 1990 को होगी।

शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक की नियुक्ति

1284. **श्री अरविन्द कांबले :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के चेयरमैन तथा प्रबन्ध-निदेशक का पद रिक्त है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) इस पद को भरने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) भारतीय नौवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पद 22.12.89 से रिक्त है। भारतीय नौवहन निगम के वरिष्ठतम संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के कार्य देख रहे हैं। मामला विचाराधीन है।

टेलीफोन निर्देशिका में सार्वजनिक उपयोग के टेलीफोन नम्बर का छापा जाना

1285. **श्री प्रताप राव जो० भोंसले :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की टेलीफोन निर्देशिका के वर्तमान संस्करण से पहले इसमें सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों तथा विभागीय सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के नम्बर प्रकाशित किए जाते थे;

(ख) यदि हां, तो इनका प्रकाशन बंद करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली की टेलीफोन निर्देशिका के भविष्य में प्रकाशित होने वाले संस्करणों में सार्वजनिक उपयोग के ऐसे सभी नम्बर प्रकाशित करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धनराशि का आवंटन और उन पर व्यय

[हिन्दी]

1286. **श्री कल्पनाथ सोनकर :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विद्यमान राजमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राजमार्गों के निर्माण और उनके रख-रखाव के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) अगले दो वर्षों के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के लिये कितनी धनराशि आवंटित किए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्यों का नाम	रा० रा० सं०	रूट	लम्बाई	टिप्पणी
उत्तर प्रदेश	2	दिल्ली—मथुरा—आगरा कानपुर—इलाहाबाद—वाराणसी—मोहनिया—वारही—पालसित—बैद्यवती वारा—कलकत्ता।	777	
	3	आगरा—ग्वालियर—शिवपुरी इन्दौर—धुले—नासिक—थाणे बम्बई।	26	
	7	वाराणसी—मांगावन—रीवा जबलपुर—लाकनन्दन—नागपुर हैदराबाद—करनूल—बंगलौर—कृष्णगिरि—सलीम—दिनीगुल मदुरै—कैपकैमरिन (कन्याकुमारी)	128	
	11	आगरा—जयपुर—बीकानेर	51	
	24	दिल्ली—बरेली—लखनऊ	431	
	25	लखनऊ—कानपुर—झांसी—शिवपुरी	237	
	26	झांसी—लखनन्दन	128	
	27	इलाहाबाद—मांगावन	43	
	28	बरोनी—मुजफ्फरपुर—पिपरोकाठी गोरखपुर—लखनऊ के समीप रा० रा० 31 के साथ जक्शन	311	
	29	गोरखपुर—गाजीपुर—वाराणसी	196	
	56	लखनऊ—हैदरगढ़—जगदीशपुर सुल्तानपुर—जौनपुर—वाराणसी	285	
			2613	

(ख) वर्ष	रख-रखाव		विकास	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
		(लाख रु०)		
1987-88	885.09	945.11	3200.00	3115,79
1988-89	1428.80	1456.63	3800.00	3869.79
1989-90	1220.46	1265.66	5550.00	5560.12

(ग) वर्ष 1990-91 के लिए विकास और रख-रखाव के लिए आवंटन क्रमशः 5500 लाख रु० और 1150.75 लाख रु० है, बाद के वर्षों के लिए आवंटन निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली-विशाखापटनम जिले में टेलीफोन के को-एक्सिल एक्सचेंज को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलना

[अनुवाद]

1287. **श्री रामकृष्ण कोंताला :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) को-एक्सिल टेलीफोन एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली-विशाखापटनम जिले में स्थित वर्तमान को-एक्सिल एक्सचेंज को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गये हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां । उन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजों को चरणबद्ध ढंग से इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है जिनकी कार्य अवधि समाप्त हो गई है और जो पुराने पड़ गए हैं ।

(ख) अनकापल्ली (विशाखापत्तनम जिला) के इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने का प्रस्ताव है ।

(ग) अनकापल्ली के लिये 1500 लाइनों का रिमोट लाइन यूनिट टाइप का एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज आवंटित किया जा चुका है । इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाने के लिये इमारत का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है । इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज का 1500 से 2000 लाइनों में विस्तार करने की योजना भी बनाई गई है ।

भारत श्रीलंका संबंध

1288. श्री चित बसु :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में गत जून माह में "लिट्टे" और श्रीलंका सेना के बीच सैनिक संघर्ष के बाद तनाव आया है; और

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विज्ञान केन्द्र

1289. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं;

(ख) देश में, राज्य-वार स्थापित किये गये कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन कृषि विज्ञान केन्द्रों को सुगठित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) कृषि विज्ञान केन्द्र के मुख्य उद्देश्य ये हैं—

(i) संबद्ध जिला, जहां वह स्थित है, के लिए नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन;

(ii) किसानों, कृषि कार्य करने वाली महिलाएं, युवा किसान, स्कूल छोड़ने वाले बच्चे तथ फील्ड स्तर के विस्तार कार्यकर्त्ताओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, तथा

(iii) खेतों पर/व्यावहारिक अनुसंधान चलाना।

(ख) राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) (i) जहां आवश्यक होता है वहां बुनियादी आधार के विकास के लिए अतिरिक्त धन दिया जाता है;

(ii) किसानों के खेतों पर क्वालिटी प्रदर्शन के लिए प्रथम स्तर के प्रदर्शन कार्यक्रमों को अतिरिक्त साधन प्रदान किये जाते हैं।

(iii) व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को व्यापक बनाया गया है इसमें विशेषकर ग्रामीण महिलाएं तथा युवा किसान शामिल हैं।

(iv) खेतों पर किये जाने वाले अनुसंधान की प्रमुख गतिविधियों में से एक गतिविधि के रूप में इसमें शामिल किया गया है।

(v) राज्य विस्तार कार्यक्रमों तथा उसकी गतिविधियों के आपसी सम्पर्क को सुदृढ़ किया गया है तथा वानिकी को इसके एक अंग के रूप में इसमें शामिल किया गया है।

विवरण

30-6-90 तक कृषि विज्ञान केन्द्रों की राज्यवार संख्या

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	2
4.	बिहार	8
5.	गुजरात	5
6.	गोवा	1
7.	हरियाणा	4
8.	हिमाचल प्रदेश	3
9.	जम्मू और कश्मीर	1
10.	कर्नाटक	5
11.	केरल	4
12.	मध्य प्रदेश	5
13.	महाराष्ट्र	6
14.	मणिपुर	1
15.	मेघालय	1
16.	नागालैंड	1
17.	उड़ीसा	5
18.	पंजाब	6

1	2	3
19.	पांडिचेरी	1
20.	तमिलनाडु	6
21.	त्रिपुरा	2
22.	सिक्किम	1
23.	राजस्थान	11
24.	उत्तर प्रदेश	15
25.	पश्चिम बंगाल	5
26.	मिजोरम	1
	कुल :	109

भारतीय डाकघर निर्देशिका भाग तीन का प्रकाशन

1290. **श्री के० मुरलीधरन :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय डाकघर निर्देशिका भाग तीन का प्रकाशन रोक दिया है; और

(ख) यदि हां, तो कब से तथा इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मद्रास में प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोनों का आबंटन

1291. **श्री ए० अशोक राज :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान मद्रास में प्राथमिकता के आधार पर कितने टेलीफोन मंजूर किए गए;

(ख) इनमें से कितने टेलीफोन उपभोक्ताओं के परिसरों में अब तक लगाये जा चुके हैं; और

(ग) अन्य टेलीफोन लगाये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) मद्रास सिटी में पिछले तीन महीनों के दौरान प्राथमिकता के आधार पर 41 टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी दी गई।

(ख) उपभोक्ताओं के परिसरों में अब तक 24 टेलीफोन कनेक्शन लगाये जा चुके हैं।

(ग) शेष 17 टेलीफोन कनेक्शनों को लगाने में हुई देरी के कारण नीचे दिए गए हैं : -

—11 मामले तकनीकी रूप से व्यावहार्य नहीं थे जिसके कारण उनमें टेलीफोन कनेक्शन प्रदान नहीं किये जा सके।

—5 मामलों में उपभोक्ताओं द्वारा पंजीकरण के विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

—एक मामले की व्यवहार्यता रिपोर्ट अभी आनी है।

सब्जियों, मांस और मछली के मूल्य

1292. श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान दिल्ली में सब्जी, मछली और मांस के मूल्य अधिक रहे हैं जिसके कारण उपभोक्ताओं को बहुत अधिक कठिनाई हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) गोश्त का भाव के अन्त में खुदरा मूल्य फरवरी, 1989 से बढ़ने आरम्भ हुए और तब से न्यूनाधिक रूप से स्थिर हैं। इस वर्ष मछली के मूल्य भी कमोबेश स्थिर ही रहे। महत्वपूर्ण सब्जियों के मूल्यों में इस वर्ष मार्च, मई, जून तथा जुलाई में पिछले वर्ष की तुलना में उर्ध्वगामी रुख रहा।

(ख) दिल्ली में दिल्ली प्रशासन स्थायी विक्रय केन्द्रों तथा चलवाहनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपयुक्त दामों पर सब्जियां उपलब्ध करा रहा है। नेफेड को दिल्ली में प्याज तथा आलू उचित दरों पर बेचने के लिए दिल्ली प्रशासन के साथ व्यवस्था करने के लिए अनुदेश दिए गए हैं। मदर डेरी भी 100 से भी अधिक विक्रय केन्द्रों के माध्यम से उचित मूल्यों पर सब्जियां बेच रही है।

(ग) उपर्युक्त उपायों के फलस्वरूप उपभोक्ताओं को सब्जियां उचित मूल्यों पर प्राप्त हो रही हैं।

उड़ीसा में धान का समर्थन मूल्य

1293. श्री ए० एन० सिंह देव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार कृषि मजदूरों की न्यूनतम

मजूरी में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, उड़ीसा में विभिन्न किस्मों के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर समग्र देश के लिए कृषि जिंसों की खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। मूल्य क्षेत्र के आधार पर निर्धारित नहीं किए जाते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग अपनी सिफारिशें करते समय अन्य बातों के साथ-साथ मजदूरी सहित आदान लागतों मे हुए परिवर्तनों को भी ध्यान में रखता है।

भारत-पाकिस्तान और भारत-बंगला देश सीमा पर घुसपैठिये

1294. **श्री अब्दुल समद** :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990 के पहली दो तिमाही के दौरान भारत-पाकिस्तान और भारत-बंगलादेश सीमाओं पर विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने क्षेत्र-वार और तिमाही-वार कितने घुसपैठिये पकड़े है;

(ख) वापस भेजे गए घुसपैठियों की क्रमश: संख्या कितनी है; और

(ग) मुकदमे चलाने हेतु क्रमश: कितने घुसपैठियों को स्थानीय अधिकारियों के हवाले किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। कश्मीर में नियंत्रण रेखा सेना के संचलनात्मक नियन्त्रण में है और इस क्षेत्र के आंकड़े इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते है।

विवरण

जनवरी से मार्च, 1990 और अप्रैल से जून, 1990 तिमाहियों के दौरान सीमा सुरक्षा बल द्वारा पकड़े गए, वापस धकेल दिए गए और राज्य प्राधिकारियों को सुपुर्द किए गए घुसपैठियों की संख्या

	पकड़े गए घुसपैठियों की संख्या		वापस धकेल दिए गए घुसपैठियों की संख्या		राज्य प्राधिकारियों को सुपुर्द किए गए घुसपैठियों की संख्या	
	जनवरी से मार्च 1990	अप्रैल से जून, 1990	जनवरी से मार्च 1990	अप्रैल से जून, 1990	जनवरी से मार्च 1990	अप्रैल से जून, 1990
	1	2	3	4	5	6
भारत-पाक सीमा						
जम्मू (अन्तर्राष्ट्रीय सीमा)	5	10	—	—	5	10

	1	2	3	4	5	6
पंजाब	131	154	104	104	27	50
राजस्थान	160	97	121	54	39	43
गुजरात	9	—	—	—	9	—
भारत-बांगला देश सीमा						
पश्चिम बंगाल	7715	7082	6773	6037	942	1045
असम	24	13	3	—	21	13
मेघालय	32	62	3	3	30	59
त्रिपुरा	194	489	13	338	181	151
मिजोरम	—	1	—	1	—	—

मुम्बई और गोवा के बीच स्टीमर सेवा आरम्भ करना

1295. **प्रो० गोपालराव मयकर :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा और मुम्बई के बीच इस मानसून के पश्चात् स्टीमर सेवा आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो यह सेवा कब आरम्भ की जायेगी ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) इस संबंध में अभी निर्णय लिया जाना है। केन्द्र सरकार इस सेवा को पुन: शुरू करने और इसकी व्यवहार्यता के प्रश्न पर संबंधित राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श कर रही है।

केरल में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

1296. **श्री कोडोकुन्नील सुरेश :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1990-91 के दौरान केरल में किन-किन टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने का प्रस्ताव है और किन-किन टेलीफोन एक्सचेंजों में एस० टी० डी० सुविधायें उपलब्ध कराने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (i) केरल में 1990-91 के दौरान निम्नलिखित टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने का प्रस्ताव है:—

—एर्नाकुलम वेलिंगटन आइलैंड (आर० एल० यू०)

—कालीकट

—कलामस्सेरी

—क्विलोन

—कन्नानोर

इनके अलावा, केरल में लगभग 40 छोटे एक्सचेंजों का विस्तार करने की भी योजना है।

(ii) 1990-91 के दौरान निम्नलिखित टेलीफोन एक्सचेंजों में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का भी प्रस्ताव है :

1. आदिमाली
2. अंबलपुझा
3. बलरामपुरम
4. बालुसेरी
5. चेलारी
6. चेंगलम
7. चोटिनिक्कारा
8. इदाचेरी
9. इदायुआ
10. कारूगपल्ली
11. कोझनचेरी
12. कुम्बनाद
13. कुमिली
14. कुमन्नामंगलम
15. कुत्थुपारंबा
16. कुट्टिपपुरम
17. मानन चोड़ी
18. मावर
19. मेकेरी
20. मोक्कम
21. मुल्लुलुलाम

22. नादपुरम
23. पारनपुरम
24. पीरनाडे
25. पामीर
26. पेरम्ब्रा
27. बेरिंगपुर
28. पेनकुन्नाम
29. कुलियाकुन्नु
30. रन्नी
31. सुल्तान बैटरी
32. थीवक्कुनु
33. कंजरापल्ली
34. वैरापुझा
35. कांजीकोड

बेतिया (बिहार) में ग्राम पंचायतों में उप-डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

1297. श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के बेतिया संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में सभी ग्राम पंचायतों में उप-डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बेतिया संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1990 के अन्त तक एक उप-डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की सुविधा प्रदान करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) यह सच है कि बेतिया संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत में उप-डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन घर (पी० सी० ओ०) नहीं हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ग्रामीण इलाकों में डाकघर सुविधा मुख्यत: अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों (ई० डी० बी० ओ०) के रूप में प्रदान की जाती है। केवल कुछ ही मामलों में अतिरिक्त विभागीय शाखा

डाकघरों का उप-डाकघरों के रूप में दर्जा बढ़ाया जाता है बशर्ते कि वे न्यूनतम कार्यभार और दर्जा बढ़ाए जाने पर प्रत्याशित घाटे की निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों।

जहां तक टेलीफोन सुविधाओं का संबंध है, सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ग्राम पंचायत में एक सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित करने का प्रस्ताव है।

जानकारी के अधिकार का अध्ययन करने हेतु प्रतिनिधिमण्डल

1298. **श्री एडुआर्डो फैलीरो :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल हाल ही में जानकारी के अधिकार का अध्ययन करने हेतु लन्दन गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिनिधि-मण्डल के सदस्य कौन-कौन थे; और

(ग) प्रतिनिधि-मण्डल के इस दौरे का क्या परिणाम निकला ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) एक चार सदस्यीय दल, जिसमें गृह, सूचना और प्रसारण, विधि और न्याय मन्त्रालयों से एक-एक संयुक्त सचिव तथा मन्त्री-मण्डल सचिवालय से एक निदेशक शामिल थे, ने चार देशों का दौरा किया था ताकि वे उन देशों की शासन व्यवस्था पर संबंधित सूचना के बारे में अध्ययन कर सकें। दल ने संबंधित विभागों/एजेंसियों के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया और पर्याप्त संबंधित सामग्री और आंकड़े एकत्र किए।

कीटनाशकों के कारण मृत्यु

1299. **श्री कैलाश मेघवाल :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान कीटनाशी दवाइयों, शाकनाशकों, फफूंदनाशियों के आकस्मिक प्रभाव से प्रतिवर्ष कितने-कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : राज्य सरकारें कृमिनाशी दवाइयों की विषाक्तता के कारण हुई मौतों के आंकड़े एकत्र कर रही हैं जैसा कि कृमिनाशी दवा अधिनियम, 1968 की धारा 26 के अन्तर्गत अपेक्षित है। वैसे कृमिनाशी दवाइयों के प्रयोग में दुर्घटनापूर्वक हुई मौतों के आंकड़े अलग से एकत्र नहीं किए जाते हैं और कृमिनाशी दवाइयों के कारण हुई सारी मौतों को इन आंकड़ों में शामिल किया जाता है। चूंकि सरकार के पास उपलब्ध आंकड़े कुछेक राज्यों के मामले में अधूरे हैं, इसलिए इन आंकड़ों को पिछले तीन वर्षों के लिए फिर से एकत्र करके सभा पटल पर रखा जाएगा।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में महिलाओं के साथ छेड़-छाड

[हिन्दी]

1300. **श्री हरि शंकर महाले :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1990 से आज तक दिल्ली परिवहन निगम या उसके अधीन परिचालित बसों में महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ करने के कितने मामले प्रकाश में आये हैं; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कितने मामले पकड़े गए और कितने व्यक्तियों को दण्डित किया गया ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) 1.1.90 से 31.7.90 तक की अवधि के दौरान दिल्ली परिवहन निगम बसों और उसके अधीन परिचालित बसों में महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ करने के 37 मामलों की सूचना मिली।

(ख) इस अवधि के दौरान 54 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और 50 व्यक्तियों को दण्डित किया गया।

डी० टी० सी० की बसों में बेटिकट यात्री

1301. श्री हरिशंकर महाले :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० टी० सी० की बसों में 1 जनवरी, 1990 से अब तक बिना टिकट यात्रा करते कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया है; और

(ख) पकड़े गए व्यक्तियों से कितना जुर्माना वसूल किया गया है और इस अवधि में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध दोष सिद्ध हुआ ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) 1 जनवरी से 31 जुलाई, 1990 तक दि० प० नि० के चैकिंग दस्ते ने कुल 1,39,975 व्यक्तियों को बिना टिकट पकड़ा और उनसे कम्पोजिट शुल्क के रूप में 27995 0/- रु० वसूल किए गए बिना टिकट यात्रा को समाप्त करने के लिए चैकिंग प्रणाली को और मजबूत करने का प्रस्ताव है। इसी अवधि के दौरान 5342 बिना टिकट व्यक्तियों को दोषी पाया गया और मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा 81880/- रुपये का जुर्माना किया गया।

सहकारी समितियां

[अनुवाद]

1302. श्री सुदाम देशमुख :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी समितियों के लिए किस वर्ष के नवीनतम आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलन और रिपोर्ट में प्रकाशन हेतु उपलब्ध किए गए हैं;

(ख) देश में कुल कितनी सहकारी समितियां हैं और रिपोर्ट के अनुसार उनकी कुल आस्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) संबंधित वर्ष के अन्तर्गत आने वाली सहकारी समितियों में से कितनी सहकारी समितियों ने लाभ उठाया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) वह सांख्यिकीय सूचना, जो अब नाबार्ड द्वारा (पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा) संकलित की गई, वर्ष 1983-84 के संबंध में ऋण-समितियों और वर्ष 1982-83 के संबंध में गैर-ऋण-समितियों के लिए उपलब्ध है।

(ख) देश में 3.40 लाख सहकारी समितियां थीं। इनमें से 3.34 लाख समितियों की परिसम्पत्तियों की कीमत 24897.00 करोड़ रुपये होने की सूचना है।

(ग) 1.67 लाख।

सूखा-प्रवण क्षेत्रों के चयन के लिए मानदण्ड

[हिन्दी]

1303. **श्री रामेश्वर प्रसाद :**

क्या कृषि मंत्री सूखा-प्रवण क्षेत्रों में किसानों को सहायता के बारे में 29 मार्च, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 248 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के लिए सूखा-प्रवण क्षेत्रों का पता लगाने और उनका चयन करने के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) बिहार में, जिला-वार, सूखा-प्रवण क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिहार में सूखा-प्रवण क्षेत्रों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०) के अन्तर्गत एक खण्ड को शामिल करने के लिए कार्यदल (1982) द्वारा निर्धारित तथा अन्तर-विभागीय दल (1984) द्वारा यथा-संशोधित मानदण्ड नीचे दर्शाया गया है :—

यूनिट के रूप में खंड को शामिल करने हेतु	वार्षिक वर्षा	कुल बोए गए क्षेत्र में से कुल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत
खंड को शामिल करने के लिए मानदंड	1. 750 एम एम से कम	20 से कम
	2. 750-1125 एम एम	10 से कम
	3. 1125 एम एम से अधिक	10 से कम

उपरोक्त मानदंड इस तथ्य पर आधारित है कि पेयजल की सुविधाएं मुहैया कराए जाने वाले खंडों की संख्या जिले के कुल खंडों का कम से कम 20 प्रतिशत होनी चाहिए। यदि 20 प्रतिशत से कम प्रभावित खंडों में पेयजल की सुविधाएं मुहैया कराई गई है, क्षेत्रों को कार्यक्रम के अन्तर्गत सूखाग्रस्त क्षेत्र करार नहीं दिया जाता है।

(ख) बिहार के 5 जिलों, पलामूं, मुंगेर, रोहतास, नवादा तथा गोंडा के 54 खंडों में सूखाग्रस्त कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत 22,000 वर्ग किलोमीटर में पेयजल

की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रत्येक जिले के खंडों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) चालू वित्त वर्ष (1990-91) के दौरान बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए 828.00 लाख रुपए (केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर के अंशदान के आधार पर आबंटित किए गए हैं।

विवरण

बिहार के सुखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम जिलों में खण्डों के नाम

बिहार

1. पलामूं	1. बालूमाथ
	2. बरवाडीह
	3. चैनपुर
	4. भण्डारीया
	5. भावनाथपुर
	6. बिश्रामपुर
	7. चंदवा
	8. छत्तरपुर
	9. डाल्टेनगंज
	10. धुरकी
	11. गढ़वा
	12. गारू
	13. हरिहरगंज
	14. हुसैनाबाद
	15. लाटेहार
	16. लेसलीगंज
	17. महुआदौर
	18. मांझीगांव
	19. मनात
	20. मनिका
	21. नगर-उंटेरी

	22. पांकी
	23. पिपरांकलां
	24. रांका
2. मुंगेर	1. जमुई
	2. खदूरा
	3. लखीमपुर
	4. सिकन्दरा
	5. झाझा
	6 सोनू
	7. धाकई
3. रोहतास	1. भभुआ
	2. रामगढ़
	3. चांद
	4. चिरानी
	5. अधौरा
	6. भगवानपुर
	7. नवहाटिया
4. नवादा	1. नवादा
	2. राजौली
	3. सिरदाला
	4. कोआकोला
	5. अकबरपुर
	6. गोविन्दपुर
	7. हिसुआ
	8. निरहाथ
	9. पकारीबारवाह
5. गोंडा	1. गोंडा
	2. पत्थरवामा

3. महागामा

4. मेहरमा

5. बोआरीजोरी

6. सुन्दरपहाड़ी

7. पोराईयाहट

कुल 54 ब्लॉक

मुम्बई में गोरई और मनोरी गांवों को टेलीफोन कनेक्शन

[अनुवाद]

1304. श्री राम नाईक :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई शहर की सीमा में आने वाले गोराई और मनोरी गांवों को टेलीफोन कनैक्शन उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) 30 जून, 1990 तक टेलीफोन कनैक्शनों के लिए इन क्षेत्रों से कितने आवेदन पत्र कब-कब से प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ङ) इन क्षेत्रों के आवेदनकर्ताओं को टेलीफोन उपलब्ध कराने का समयबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में विश्व बैंक की सहायता से मात्स्यिकी विकास

1305. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्व बैंक की सहायता से मत्स्य पालन केन्द्रों की स्थापना के लिए केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) केरल में ये परियोजनाएं कहां-कहां स्थापित करने का विचार है;

(घ) क्या मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त स्थानों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो किए गए अध्ययनों का और उनके परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह समेकित विकास निगम

1306. **श्री मनोरंजन भक्त :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह समेकित विकास निगम की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस निगम के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) उक्त निगम ने फिलहाल क्या-क्या कार्य आरंभ किए हैं;

(घ) क्या उक्त निगम ने रोजगार कार्यालय के माध्यम से किन्ही व्यक्तियों को भर्ती किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त निगम में कर्मचारियों की भर्ती के लिए क्या तरीका अपनाया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) निगम का उद्देश्य ठोस व्यवसायिक सिद्धान्तों के आधार पर इस क्षेत्र के संतुलित और ठोस पर्यावरणीय विकास के लिए यहां के प्राकृतिक संसाधनों का व्यापारिक कार्यों के लिए उपयोग करना है।

(ग) निगम ने अभी तक पेट्रोलियम उत्पादों, लिकर उत्पादों और पामोलीन के वितरण के कार्य आरम्भ किए हैं।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) अपनी तात्कालिक प्रशासनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए निगम ने कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

1307. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियार :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है; और

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य-वार कितना आवंटन किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कार्यक्रम के ब्यौरे और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के शीर्षा के अन्तर्गत निर्धारित की जाने वाली राशि को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(घ) वर्ष 1990-91 के लिए कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार आवंटनों का उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है।

विवरण

वर्ष 1990-91 के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए अनुमोदित परिव्यय

(करोड़ रुपए)

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1990-91 का आवंटन
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	127.96
2.	अरुणाचल प्रदेश	30.12
3.	असम	103.41
4.	बिहार	267.87
5.	गोआ	8.28
6.	गुजरात	152.91
7.	हरियाणा	59.92
8.	हिमाचल प्रदेश	62.99

1	2	3
9.	जम्मू व कश्मीर	73.76
10.	कर्नाटक	104.97
11.	केरल	58.29
12.	मध्य प्रदेश	208.96
13.	महाराष्ट्र	174.65
14.	मणिपुर	27.65
15.	मेघालय	26.30
16.	मिजोरम	24.12
17.	नागालैंड	13.37
18.	उड़ीसा	106.00
19.	पंजाब	35.15
20.	राजस्थान	113.88
21.	सिक्किम	15.44
22.	तमिलनाडु	178.16
23.	त्रिपुरा	36.18
24.	उत्तर प्रदेश	444.64
25.	पश्चिम बंगाल	118.32
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	10.57
27.	चंडीगढ़	1.64
28.	दादरा व नगर हवेली	1.11
29.	दिल्ली	39.13
30.	दमन और दीव	1.33
31.	लक्षद्वीप	1.59
32.	पांडिचेरी	6.41

1	2	3
33.	एन०ई०सी०	0.05
	कुल (राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र)	2635.13
	केन्द्र	818.65
	कुल योग :	3453.78

कर्नाटक के सूखा से प्रभावित क्षेत्र

1308. श्री जनार्दन पुजारी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1990 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में कुल कितना क्षेत्र सूखे से प्रभावित है;

(ख) क्या सम्पूर्ण क्षेत्र को कृषि-क्षेत्र के अंतर्गत लाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि 31 जुलाई, 1990 को स्थिति के अनुसार 2.29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सूखे से प्रभावित है।

(ख) और (ग) यह अगले दस दिनों के दौरान के मानसून पर निर्भर करेगा और यदि स्थिति में सुधार नहीं होता तो राहत कार्य किए जाएंगे।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-41 का विकास

1309. श्री सत्यगोपाल मिश्र :

क्या जल भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में हल्दिया को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-6 से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-41 का विकास करने और उसे चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी धन प्राप्त करने वाले स्वयंसेवी संगठन

1310. **श्री ए० विजयराघवन :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बीस स्वयंसेवी संगठनों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत दो वर्षों के दौरान विदेशी धन की सबसे अधिक धनराशि प्राप्त की तथा दान देने वाली एजेंन्सियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने इनमें से किसी संगठन पर कोई प्रतिबंध लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन संगठनों के नाम क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1987 के दौरान शीर्षस्थ 20 स्वयं सेवी संगठनों द्वारा प्राप्त राशि तथा उनके दानकर्ताओं का विवरण

क्र० सं०	प्राप्तकर्ता संगठन का नाम	राशि लाखों में	दाता संगठन का नाम
1	2	3	4
1.	वर्ल्ड विजन आफ इण्डिया, 342 पैंथियन रोड, मद्रास, तमिलनाडु।	729.26	वर्ल्ड विजन इन्टर नेशनल, यू०एस० ए०
2.	ए० डब्ल्यू० ए० आर० ई० लेक हिल रोड, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	636.09	एन० ओ० वी० आई० बी० नीदरलैण्ड, आई० सी० सी० ओ०, हालैन्ड, तथा अन्य दाताएं।
3.	मिशनरीज आफ० चैरिटी, 544, ए०जे०सी० बोस रोड, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	596.03	माइजरोर, डब्ल्यू० जी०, ओपेरे डोन बोस्को, इटली, जोय सोवर्स, बेलगिम, लेस एविस डे सेवा संघ फ्रांस तथा अन्य दाता, कायंडर्स मिशन वर्क, डब्ल्यू, जी० मिशनरीज आफ चियरिटी, यू०एस०ए०

1	2	3	4
4.	लूथरन वर्ल्ड सर्विस (इण्डिया) 84, डा० सुरेश सरकार रोड, कलकत्ता।	572.35	लूथरन, वर्ल्ड फेडरेशन, जनेवा, स्वीटजरलैण्ड
5.	एक्शन ऐड, 10/1, ब्रिज स्ट्रीट लेंगफोर्ड रोड, बंगलौर	553.47	ऐक्शन ऐड-लण्डन, ऐड एट अक्सन फ्रांस अयुदा एन एशियन, काराकस, स्पैन।
6.	एक्जूक्यूटिव बोर्ड, आफ मेथोडिस्ट चर्च इन इण्डिया, 276, डा० डी० एन० रोड़, फोर्ट बोम्बे।	524.86	टीयर फण्ड, यू०के० तथा अन्य दाता।
7.	सर्विस एशोसिएशन आफ सेंवथ डे एडवेंटीज प्रा० लि० अन्ना नगर, मद्रास।	500.05	जनरल कोन्फ्रेंस आफ एस०डी०ए०, वाशिंगटन, यू० एस० ए० दी क्वाइट अवर, यू० एस० ए० रीच इंटरनेशनल कनाडा, एशिसन एड संगठन आस्ट्रेलिया, तथा अन्य दाता।
8.	चर्चेज आक्जलियरी फार सोसियल एक्सन, रचना बिल्डिंग्ज, पूसा रोड, नई दिल्ली।	474.83	वर्ल्ड कांउसिल आफ चर्चेज, स्वीटजरलैण्ड क्रिश्चयन एण्ड यू० के० लथरन वर्ल्ड रिलीफ, यू० एस० ए० स्टिचिंग रेडट एन कायंड डा० जीपिनलैण्ड, नीदरलैण्ड, ई० जेड० ई०, डब्ल्यू०, जी०, डन चर्च ऐड, डेनमार्क, डाच इंटरनेशनल ऐड, हालैंड मेन्नोयट सेंट्रल कमीटी, यू०एस०ए०, दास डियाकोनीश्च वर्क, डब्ल्यू तथा अन्य दाता।

1	2	3	4
9.	बाइबल सोसायटी आफ इण्डिया, 20 महात्मा गांधी रोड, बंगलौर, कर्नाटक ।	417.81	यूनाइटड बाईबल सोसायटीज यू०एस०ए० अन्य दाता
10.	फैमिली प्लानिंग ऐसोसिएशन आफ इण्डिया, बजाज भवन, नारीमन प्वांट बम्बई ।	406.92	इंटरनेशनल प्लेन्ड पेरेटहुड फेडरेशन, यू० के०, अन्य दाता ।
11.	चर्च आफ साउथ इण्डिया, काउंसल फार दी चाइल्ड फेयर, बंगलौर, कर्नाटक	383.70	किंडरनोथीफ, पश्चिमी जर्मनी अन्य दाता ।
12.	केरीटास इण्डिया, सी०बी०सी०आई०, अशोक प्लेस, नई दिल्ली ।	381.20	केरीटाज, स्वीटजरलैंड, केरटाज वेस्ट जर्मनी, कन्डर-नथलिस सी० ई० एम०, बी० ओ०, नीदरलैंड, अन्य दाता केरीटाज नीदरलैंड ।
13.	असेम्बलीज आफ गोड ईस्ट, इण्डिया, कलकत्ता पश्चिम बंगाल ।	362.08	जेनेरल काउंसिल असेम्बलीज आफ गोड इंटरनेशनल यू०एस०ए० कलकत्ता, मिशन आफ मर्सी, यू० एस० ए०, पेटेकोस्टल असेम्बलीज आफ कनाडा, तथा अन्य दाता ।
14.	तमिल इवांगलीकली लूथर्न चर्च, टेकुबार, त्रिचिरापल्ली	353.61	ई०जेड०ई०, पं० जर्मनी लूथन वर्ल्ड फेडरेशन, स्वीटजरलैंड, चर्च आफ स्वीडन क्रिश्टोफल, बलाइंडन मिशन, पश्चिम जर्मनी तथा अन्य दाता ।

1	2	3	4
15.	इंटर मिशन बुजीनेस आफिस, फोट बम्बई, महाराष्ट्र	202.88	इवामीलिश्चेज मिशन बर्ग, मिटेलवेग लूथर्न वर्ल्ड फैडरेशन, स्वीटजरलैंड टीयर फण्ड, यू० के० क्रिश्चयन ऐड यू०के०, कंजरवेटिव बपटिस्ट फारेन मिशन सोसायटी, यू०एस०ए०, टीम तथा अन्य दाता।
16.	लिपरोसी मिशन ट्रस्ट इण्डिया, अमृता शेरगिल मार्ग, नई दिल्ली।	341.15	ई०जेड०ई० प० जर्मनी, दी लिपरोसी मिशन तथा अन्य दाता।
17.	पेंटीकोस्टल चर्च आफ गोड, इटारसी, म०प्र०	309.92	अन्य दाता।
18.	मिराडा, 2 सर्विस रोड, दमलूर लेआउट, बंगलौर	294.09	फोस्टर पेरेंटस् प्लांट, इंटरनेशनल, यू०एस०ए०, तिब्बतन रिफजी ऐड सोसायटी डियूश वेल्फ हुंगर लाइफ स्टिचिंग रीडरे कंडर लेड होप कनाडा, नीदरलैंड तथा अन्य दाता।
19.	भारतीय रेडक्रास सोसायटी, नई दिल्ली	286.31	क्रिस्टोफिल ब्लायंडन मिशन, प० जर्मनी, ओक्सफाम, टेरिस डेस होम्स तथा अन्य दाता।
20.	ए० एम० जी० इण्डिया इंटरनेशनल, पी०बी० 455 विजयवाडा, आन्ध्र प्रदेश	280.35	एलैंगमीन सिशंस गेसलशिफ्ट ई०वी०प०ज० क्रिस्टोफल ब्लांडन मिशन प० जर्मनी स्टिचिंग

1	2	3	4
			रिफोमेटरीज हुलपाक्ती, हालैण्ड ए०एम०जी० इण्टरनेशनल, यू०एस०ए०

वर्ष 1988 के दौरान शीर्षस्थ 20 स्वयंसेवी संगठनों द्वारा प्राप्त राशि तथा उनके दानकर्ताओं का विवरण

1	2	3	4
1.	महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठ ए-214, न्यू फ्रैंड्स कालोनी, नई दिल्ली	1684.81	वर्ल्ड प्लान एक्जीक्यूटिव काउंसिल, वाशिंगटन, डी०सी० महर्षि एजूकेशन फाउंडेशन, दीवसमूह। कैजो शिमेदा जापान तथा अन्य दाता
2.	ए० डब्ल्यू० ए० आर० ई० लेक हिल रोड, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	1108.77	आई० सी० सी० ओ०, हालैंड, एन० ओ० वी०, आई०बी० हालैंड डी० आई० ए०को० ओ० एन० आई० ए० स्वीडन फौंर्ड, फाउंडेशन।
3.	[illegible], जर्मन सोशल सर्विस सोसायटी, सीवी० रोड, नई दिल्ली।	1090.10	ई० जड० ई०, प० जर्मनी, मिसरोर प० जर्मनी, बिगेचा तथा अन्य दाता।
4.	सी० एस० आई० काउंसिल फार चाइल्ड वैयर, बंगलौर कर्नाटक	934.49	क्राइस्ट्रस्टेजर वेजनडीनिस्ट, प० जर्मनी फिड्रोनोथिल्फ, प० जर्मनी, इवांग, मिशन वर्क, प० जर्मनी, डयूक कैरीटास, वरबंद, अन्य दाता।

1	2	3	4
5.	वर्ल्ड विजन आफ इंडिया, पेरियन रोड, मद्रास, तमिलनाडु	889.82	वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल अन्य दाता
6.	मिशनरी आफ चैरिटी, ए०जी०सी० बोस रोड, कलकत्ता	764.86	इनफैंटस डू मोण्डे, फ्रांस मिस्सो, प० जर्मनी मिशनरी आफ चैरिटी यू० एस० ए० तथा अन्य दाता
7.	फोस्टर प्लान इण्टरनेशनल, इन्क, नई दिल्ली	748.01	फोस्टर पेरेंट्स प्लान इण्टरनेशनल, यू०एस०ए०
8.	केरीटास इण्डिया, नई दिल्ली।	704.50	1. कैरीटास सिन्नोस III. 2. कैरीटास 3. सेबोर्मो 4. मेमीसा एडरचस्वग। 5. किन्डर नाट हिलहृत। 6. अन्य दाता
9.	चर्चेज आक्जलरी फार सोशल एक्शन, नई दिल्ली	670.31	1. चर्च वर्ल्ड सर्वस, 2. बोटपुर डो बैल्ट 3. क्रिश्चयन ऐड, 4. लूथरन एण्ड रिलीफ 5. इवांगेलिस्ट जैन्ट्रालस्टेली फार एन्टविकलूंगशिलेफ 6. दास डायामनोश्च वर्क दर इवांग।

1	2	3	4
			7. वर्ल्ड एन डड गोरिशम नीदरलैंड, 8. वर्ल्ड कौंसिल आफ चर्चेज। 9. डच इंटरनेशनल ऐड 10. अन्य दाता
10.	सर्विसेज एसोसिएशन एस्सो आफ सेवन्थ ए डे एडवंटेजस, तमिलनाडु	645.69	1. जनरल काफ्रेंस आफ सेंवथ डे एडवेटस्टि, 2. रीच इंटरनेशनल। 3. एशिया ऐड 4. अन्य दाता
11.	ओक्सफाम इण्डिया ट्रस्ट, दिल्ली।	564.02	आक्सफाम इण्डिया ट्रस्ट यू०के०
12.	फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन आफ इण्डिया, महाराष्ट्र	558.03	इंटरनेशनल प्लानड पेरेटहुड फैडरेशन अन्य दाता
13.	लिपरोसी मिशन ट्रस्ट इण्डिया, दिल्ली	548.57	इण्टर चर्च कू-ओर्डिनेटर कमेटी आफ डवैलपमेंट प्रोजेक्ट तथा अन्य दाता।
14.	एसोसिएशन फार सर्व सेवर फार्म, मद्रास	519.35	फोस्टर पेरेंट प्लान इण्टरनेशनल कोहिते कैथोलिक कोन्टरे ला फेम जीट फोर क्रिश्चयन ऐंड बापिस्ट यूनियन आफ स्वीडन इण्टर पयसे सेक्ट्री चिल्ड्रन फण्ड, आई० सी० सी० ओ०, नीदरलैंड मेनोनेटर्स स्वीलूपों ई प्रेस वाया मेगेंटा टोरिडों आईदोर एक्शन तथा अन्य दाता।

1	2	3	4
15.	एक्शन ऐड, कर्नाटक	511.07	आयदोर एक्शन तथा अयूपा एन एक्शन केराक्स।
16.	लूथरन वर्ल्ड सर्विस, प० बंगाल	582.80	लूथरन वर्ल्ड फेड, डिपार्टमेंट आफ वर्ल्ड सर्विसेस अन्य अन्य दाता
17.	बाईबल सोसायटी आफ इण्डिया, कर्नाटक	479.55	अन्य दाता
18.	सेव दा चिल्ड्रन फण्ड दिल्ली	419.29	सेव दी चिल्ड्रन फण्ड
19.	एक्जेक्यूटिव बोर्ड आफ मेथ चर्च, साउथ एशिया, महाराष्ट्र	403.79	टीयर फण्ड, क्रिस्टेफल ब्लायंडन मिशन, अन्य दाता।
20.	मिराडा, मैसूर रिसेट एण्ड डेवि० एजेंसी, कर्नाटक	392.44	नोविब नीदरलैंड, कनाडा उच्चायुक्त कनाडियन हंगर फाउंडेशन, कनाडियन इण्टरनेशनल डिव० एजेंसीजु, डियूशवैल्ट .हंगरलेलिंग, ई०जड०ई०, पश्चिम जर्मनी, अन्य दाता।

शाहगंज स्टेशन पर डकैती

1311. **श्री यादवेन्द्र दत्त :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 जून, 1990 को जोनपुर में शाहगंज रेलवे स्टेशन कम्पाउन्ड में प्रातः 10.15 बजे दिन दहाड़े डकैती हो गयी थी;

(ख) यदि हां, तो इस डकैती में रेलवे की कुल कितनी धनराशि लूटी गयी; और

(ग) क्या इस मामले के अभियुक्तों और उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि 18.6.90 को 10.15 बजे शाहगंज रेलवे स्टेशन के परिसर में लूट-पाट और हत्या की एक घटना हुई। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 394/397/302/34 के अधीन पुलिस स्टेशन, सरकारी रेलवे पुलिस, शाहगंज, जौनपुर में एक मामला दर्ज किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ख) राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 2,52,114.50 रु० की नकद राशि लूटी गयी जो रेलवे की थी।

(ग) जांच-पड़ताल शुरू की गयी और स्थानीय पुलिस द्वारा अपराधियों और उनके साथियों को गिरफ्तार करने के उपाय किए जा रहे हैं।

एम० वी० हर्षवर्धन में यात्री सुविधाएं

1312. **डा० सुधीर राय :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और अंडमान के मध्य चालू एम० वी० हर्षवर्धन में सभी महत्वपूर्ण यात्री सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस जहाज को बंगाल की खाड़ी में 36 घंटे से अधिक अवधि तक रोके रखा गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस जहाज में यात्रा के दौरान मृत महिला यात्री के संबंधियों को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) मुख्य भूमि-अंडमान सेवा पर चलाए जा रहे जहाज एम० वी० हर्षवर्धन में सभी महत्वपूर्ण यात्री सुविधाएं हैं। वर्गीकरण समाज की अपेक्षाओं और वाणिज्यिक नौवहन विभाग के विनियमों के अनुसार जहाज का उच्चतम स्तर पर रख-रखाव किया जाता है तथा जहाज, पर्याप्त एवं अनिवार्य यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी सांविधिक अपेक्षाएं पूरी करता है। प्रत्येक यात्रा से पूर्व वाणिज्यिक नौवहन विभाग इनकी जांच

क रता है और उसके बाद ही जहाज को यात्रा की अनुमति दी जाती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कलकत्ता पत्तन पर पहुंचने वाले जहाज का नौचालन हुगली नदी तक कलकत्ता पत्तन प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए एक प्रमाणीकृत पायलट द्वारा किया जाता है और नदी पायलट सैंड हैड्स तक जहाज का नौचालन करता है । अत्यन्त खराब मौसम के कारण नदी पायलट द्वारा हुगलबंधन जहाज को न चला पाने के कारण 14.6.90 से 16.6.90 तक लगभग 48 घंटों के लिए सैंडहैड्स पर रोका गया था ।

(घ) अत्यन्त खराब समुद्रीय स्थिति के कारण 16.6.90 को एक महिला यात्री के साथ एक दुर्घटना हो गयी । डाक्टर की रिपोर्ट के अनुसार उसको आवंटित बंक से गिरने के बाद सिर में लगी आन्तरिक चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गयी । मृतक यात्री के संबंधियों द्वारा न तो किसी मुआवजे की मांग की गयी और न ही भारतीय नौवहन निगम लि० द्वारा इसका कोई भुगतान किया गया ।

पाकिस्तान द्वारा एफ-16 विमान को परमाणु बमों से सुसज्जित करना

[हिन्दी]

1313. **प्रो० महादेव शिवनकर :**

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान ने अमरीका के साथ किये गये सौदे की शर्तों का उल्लंघन करते हुए एफ-16 विमानों को परमाणु तथा अन्य प्रकार के बमों से सुसज्जित किया है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले को अमरीका और पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के पास उपलब्ध अन्य सूचना का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) सरकार ने समाचार पत्रों में इस मामले की खबरें देखी हैं किन्तु उसके पास उन्हें साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है ।

(ख) और (ग) इस विशिष्ट मसले को पाकिस्तान अथवा अमरीका के साथ तो नहीं उठाया गया था किन्तु पाकिस्तान द्वारा शस्त्रोन्मुखी नाभिकीय नीति के बारे में हमारी आशंकाओं से सभी संबंधितों को अवगत करा दिया गया है ।

पाकिस्तान द्वारा अफगान आतंकवादियों के जरिये कश्मीरी आतंकवादियों को प्रशिक्षण

[अनुवाद]

1314. **श्री यादवेन्द्र दत्त :**

श्री जगदंबी प्रसाद यादव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने आतंकवादी प्रशिक्षण केन्द्रों को बन्द कर दिया है;

(ख) क्या पाकिस्तान आतंकवादियों को अफगानिस्तान में वास्तविक युद्ध के अनुरूप अफगान आतंकवादियों के जरिये प्रशिक्षण दे रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध आतंकवाद और तोड़-फोड़ के लिए दी जाने वाली सहायता के प्रश्न को सरकार ने पाकिस्तान के साथ विभिन्न स्तरों पर उठाया है। हमारी ओर से अन्य बातों के साथ-साथ प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा दी गयी धमकियों का मुकाबला करने और सीमा की सुरक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

परमाणु शस्त्रों के अप्रसार और सामान्य शस्त्रों पर नियंत्रण के बारे में पाकिस्तान के साथ वार्ता

1315. श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री कल्पनाथ राय :

श्री राजवीर सिंह :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने परमाणु शस्त्रों के अप्रसार और सामान्य शस्त्रों पर नियंत्रण के प्रश्न पर भारत के साथ चर्चा करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) पाकिस्तान समय-समय पर नाभिकीय मामलों के संबंध में संकीर्ण क्षेत्रीय और द्विपक्षीय सदर्भ में तो प्रस्ताव करता रहा है किन्तु भारत और पाकिस्तान द्वारा शस्त्रों में कमी के कोई ठोस प्रस्ताव उसने नहीं रखे हैं।

(ख) सरकार का विचार है कि नाभिकीय अप्रसार एक सार्वभौम मसला है और इसका कोई द्विपक्षीय अथवा क्षेत्रीय समाधान सम्भव नहीं है। जहां तक शस्त्र नियंत्रण का सवाल है, सरकार का विचार है कि यह दोनों देशों के आपसी हित में है कि वे ऐसे कदम उठाएं जिनसे दोनों देशों के बीच संबंधों के वातावरण में सुधार आए। इससे उनके सुरक्षा खर्च में कमी होगी जिससे वे अपने दुर्लभ संसाधनों को विकासशील गतिविधियों में लगा सकेंगे।

केन्द्र-राज्य संबंध

1316. श्रीमती वासवराजेश्वरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से केन्द्र-राज्य संबंधों का पुनर्गठन करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या वे सरकारिया आयोग की सिफारिशों से सहमत नहीं है और उन्होंने और अधिक अधिकार दिये जाने की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) सरकारिया आयोग द्वारा केन्द्र-राज्यों के संबंधों के बारे में की गयी सिफारिशों पर कई मंत्रालयों द्वारा विचार किया जा रहा है। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में की गयी विभिन्न सिफारिशों पर राज्य सरकारों के विचार आमंत्रित किए गए थे तथा कई राज्य सरकारों के जवाब प्राप्त हो गए हैं। सरकार का यह प्रयास रहेगा कि आयोग की सिफारिशों पर शीघ्रता-शीघ्र निर्णय लिया जाए। सिफारिशों के अनुसरण में एक अन्तर-राज्य परिषद का गठन किया गया है तथा 28 मई, 1990 को राष्ट्रपति का आदेश जारी कर दिया गया है।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध नई कार्य योजना

1317. श्री मनोरंजन भक्त :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कोई नयी कार्य योजना तैयार की गयी है;

(ख) क्या जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ की सम्भावना वाले सभी क्षेत्र सील कर दिए गए हैं;

(ग) इससे पाकिस्तान से प्रशिक्षित कश्मीरी युवकों की भारत में घुसपैठ रोकने में कहां तक मदद मिलेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) जम्मू व कश्मीर में कई प्रकार के सुरक्षा उपाय किए गए हैं, जिनमें केन्द्रीय पुलिस बलों को तैनात करना, राज्य पुलिस, केन्द्रीय पुलिस संगठनों तथा सेना के बीच बेहतर तालमेल बनाना चयनात्मक आधार पर गहन छापे मारना तथा खोजबीन अभियान चलाना तथा सीमा पर सतर्कता को और अधिक मजबूत करना शामिल है। सीमा पर पांच कि०मी० की पट्टी पर तथा नियंत्रण रेखा पर सांयकाल से प्रातःकाल तक कर्फ्यू भी लगाया गया है।

सशस्त्र सेनाओं तथा राज्य पुलिस बलों को तलाशी लेने और शस्त्रों के भण्डारों को नष्ट करने की अतिरिक्त शक्तियां भी प्रदान की गयी हैं।

स्वतंत्रता सेनानियों को रेल पास

1318. श्री पी० सी० थामस :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानियों को रेल पास दिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सुविधा के हकदार कितने व्यक्तियों को अभी पास दिया जाना है और उन्हें अब तक यह पास न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) उनमें से कितने केरल के हैं; और

(घ) सरकार का सभी पात्र स्वतंत्रता सेनानियों को कब तक रेल पास देने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (घ) केन्द्रीय राजस्व से स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पैंशन प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानी तथा स्वतंत्रता सैनानियों की विधवाएं रेलवे पास पाने के हकदार हैं। तथापि, रेल प्राधिकारी स्वंय ही पास जारी नहीं कर देते बल्कि पास प्राप्त करने के इच्छुक स्वतंत्रता सेनानी रेल प्राधिकारियों से सम्पर्क करके पास प्राप्त करते हैं।

(ख) और (ग) इस मन्त्रालय द्वारा ऐसे ब्यौरे नहीं रखे जाते।

उर्वरकों पर राजसहायता में कमी किया जाना

1319. श्री प्रकाश कोको ब्रह्ममट्ट :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता की समीक्षा की जा रही है, ताकि इसकी राशि में कमी की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख) उर्वरक आर्थिक सहायता के सम्पूर्ण प्रश्न की जांच करने के लिए योजना आयोग द्वारा एक कार्य-दल गठित किया गया है। तथापि, विभिन्न उर्वरक एककों के लिए प्रतिधारण मूल्य, जिसके आधार पर आर्थिक सहायता का भुगतान किया जाता है, का तीन वर्षों में एक बार पुनरीक्षण किया जाता है। वर्तमान प्रतिधारण मूल्य 01.04.1988 से 31.03.1991 तक की अवधि के लिए वैध है। गत पुनरीक्षण के दौरान, क्षमता उपयोगिता तथा मूल्यह्रास की अवधि से संबंधित मानदण्डों को सरल बनाया गया था ताकि उर्वरक आर्थिक सहायता को कम किया जा सके।

फिजी में जातीय भेदभाव के शिकार व्यक्तियों को संयुक्त राष्ट्र संघ की राहत-सहायता

1321. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिजी में जातीय भेदभाव के शिकार व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ को कोई याचिका प्रस्तुत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने इस मामले को विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया है। भारतीय मूल के फीजी राष्ट्रिकों ने खुद भी संयुक्त राष्ट्र महासचिव, संयुक्त राष्ट्र महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तथा मानवाधिकार आयोग को एक याचिका प्रस्तुत की है।

(ग) संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वह इस याचिका को फीजी प्राधिकारियों को भेजेगा। इस याचिका का सार मानवाधिकार आयोग को तथा भेदभाव की रोकथाम तथा अल्पसंख्यकों के संरक्षण संबंधी उपायोग को भी भेजा जाएगा।

पंजाब में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की तैनाती

1322. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :**

श्री कमल नाथ :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पंजाब के कुछ चुने हुए संवेदनशील क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड तैनात करने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड तैनात करने के लिए किन-किन क्षेत्रों को चुना गया है; और

(ग) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड तैनात करने से स्थिति को सुधारने में कितनी सहायता मिलेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एक विशेष रूप से प्रशिक्षित बल है तथा इसको आमतौर पर ऐसे विशेष कार्य के लिए तैनात किया जाता है। जिनके लिए ऐसे विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसको उन क्षेत्रों में तैनात किया जाता है जहां ऐसे कार्यों की करने की आवश्यकता होती है।

संसद सदस्यों की सिफारिश पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना

[हिन्दी]

1323. **श्री अरविन्द नेताम :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संसद सदस्यों और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों की सिफारिशों पर नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सिफारिशों पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए क्या मानदंड अपनाये जाते हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी, सिफारिशों पर कितने नये टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत किये गये हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां। संसद सदस्यों और अन्य अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों से प्राप्त सिफारिशों पर उचित ध्यान दिया जाता है और गुणावगुण के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए जाते हैं।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली प्राइवेट बसें

1324. **श्री अरविन्द नेताम :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत आठ महीनों के दौरान दिल्ली परिवहन निगम के अंतर्गत चलने वाली प्राइवेट बसों की संख्या कम कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1990 से जुलाई, 1990 की अवधि के दौरान ऐसी प्राइवेट बसों की संख्या कितनी थी;

(ग) क्या इन बसों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या प्राइवेट बसों को दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े से पूर्णतया हटाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) जी हां। जनवरी, 1990 से जुलाई, 1990 तक दिल्ली परिवहन निगम के प्रचालनाधीन निजी बसों की संख्या की माहवार स्थिति इस प्रकार है :—

माह (1990)	निजी बसों की संख्या
जनवरी (1 जनवरी)	601
फरवरी	586

मार्च	579
अप्रैल	556
मई	551
जून	548
जुलाई	550

संख्या में कमी कई कारणों से आयी है जिनमें मुख्यत: मालिकों द्वारा बसें हटाना, चालू प्रचालन अवधि के बाद बसों का न बदला जाना तथा घातक दुर्घटनाओं के कारण करार समाप्त होना है।

(ग) सरकार के समक्ष, दिल्ली परिवहन निगम के प्रचालनाधीन निजी बसों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि विभिन्न कारणों से, सेवा से हटाई गयी बसों के स्थान पर निजी प्रचालकों द्वारा बसों को लगाने के कारण ऐसी बसों की कुल संख्या में थोड़ी बहुत वृद्धि हो सकती है।

(घ) जी, नहीं।

दिल्ली में जन परिवहन व्यवस्था

1325. श्री अरविन्द नेताम :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :

श्री आर० एन० राकेश :

श्री संजय लाल :

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

श्री कड़िया मुण्डा :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री प्रतापराव बी० भोसले :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में जनवरी, 1990 में कितनी बसें थीं;

(ख) क्या ये बसें यातायात के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो अतिरिक्त बसें खरीदने के लिए बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) बसों की संख्या कब तक बढ़ा दी जाएगी; और

(ङ) जनता को पर्याप्त और कुशल बस सेवा प्रदान करने के लिए क्या अन्य कदम उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) 31 जनवरी, 1990 को दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में 4384 बसें थीं। 31 जुलाई, 1990 की स्थिति के अनुसार बसों की संख्या 4406 है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) दिल्ली परिवहन निगम ने चालू वर्ष के दौरान योजनागत प्रावधानों के अनुसार 700 बसें खरीदने की योजना बनायी है। इसके अलावा, पिछले वर्ष की प्रस्तावित बकाया 506 बसें और खरीदने के प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) प्रचालन संबंधी कार्य कुशलता में सुधार लाने और बेहतर सेवा प्रदान करने की दृष्टि से दिल्ली परिवहन निगम द्वारा उठाये गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(I) कर्मीदल के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम ताकि उन्हें उनके कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति सजग किया जा सके।

(II) एक केन्द्रीय शिकायत कक्ष जो शिकायतों को शीघ्र निपटाने के लिए दिन-रात काम करता है।

(III) मोबाइल चेकिंग स्क्वाड्स जो बसों में कर्मीदल की चेकिंग करते हैं ताकि वे अपने कर्तव्यों का ठीक तरह से निर्वाह करें।

(IV) यात्रियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण टर्मिनलों पर टाइम टेबल बोर्ड।

(V) रूटों को युक्तिपरक बनाने के उपाय, इन्वेंटरी नियंत्रण, निवारक रख-रखाव द्वारा खर्चे में किफायत।

(VI) पुरानी बसों को नयी बसों से बदलना।

पाउडर संयन्त्रों की खरीद

[अनुवाद]

1326. श्री पी० आर० कुमारमंगलम :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय डेरी निगम, जिसका अब राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के साथ विलय हो गया है, द्वारा विश्व बैंक, आई० सी० बी० प्रक्रिया के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 के आस-पास आठ 50 टन पाउडर प्लांटों के लिए निविदाएं आमंत्रित थीं;

(ख) क्या ये निविदाएं विश्व बैंक ऋण समाप्त होने से पहले प्राप्त हुई थीं अथवा बाद में प्राप्त हुई;

(ग) ये संयंत्र वास्तव में किस वर्ष प्राप्त हुए और कितने संयंत्र चालू किए गए और कितने संयंत्रों को अभी चालू करना बाकी है;

(घ) क्या इस समिति की रिपोर्ट में नेशनल डेरी विकास बोर्ड द्वारा "हार्डवेयर" की खरीद में अनुचित रुचि लेने के लिए आलोचना की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) 50 मीटरी टन पावडर संयंत्रों के लिए कोई निविदाएं नहीं मांगी गई थी। तथापि, 1985 में तत्कालीन भारतीय डेरी निगम की ओर से राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा 30 मीटरी टन पावडर के आठ संयंत्रों के लिए आई० सी० बी० निविदाएं मांगी गई थीं। निविदाएं विश्व बैंक ऋण की समाप्ति से पहले आमंत्रित की गई थी, तथापि चूंकि पहले किए गए वादे के आधार पर ऋण की राशि समाप्त होने वाली थी इसलिए गैर आई० सी० बी० मूल्य भी मांगे गए थे। 30 मीटरी टन पाउडर के आठ संयंत्रों के लिए गैर आई० सी० बी० मूल्यों पर मार्च, 1986 में आदेश दिए गए थे।

(ग) संयंत्रों के लिए प्रमुख उपकरण 1987 में प्राप्त हुए थे। एक संयंत्र कमीशनिंग के लिए तैयार है तथा शेष निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

(घ) इस समिति ने नोट किया कि भारतीय डेरी निगम के संसाधन हार्डवेयर क्षेत्र में कम मूक्त रूप से लगाए जा रहे थे तथा आदान कार्यक्रम को पोषित करने के लिए अधिक उदारता से नियोजित किये गए थे।

(ङ) भारतीय डेरी निगम के संसाधनों के हार्डवेयर घटकों तथा आदान कार्यक्रमों में निवेश के बीच सन्तुलन की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था। यह भी नोट किया गया था कि यदि दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम को जारी रखना हो तो इसके लिए संसाधन और विपणन की क्षमता को बढ़ाने के लिए अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। विगत वर्षों की तुलना में 1989-90 में दूध खरीद स्तर में पर्याप्त वृद्धि के संदर्भ में दुग्ध चूर्ण संयंत्रों में किया गया निवेश न्यायोचित है।

टेट्राब्रिक मशीनें

1327. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम :**

क्या कृषि मंत्री दुग्ध चूर्ण संयंत्र के बारे में 5 अप्रैल, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 339 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा फलों के रस की पैकिंग के लिए 4 टेट्राब्रिक मशीनें किस कारण सप्लाई की गई, जबकि इन मशीनों का आयात "आपरेशन फ्लड" के अन्तर्गत दूध की पैकिंग हेतु किया गया था;

(ख) पैकरों के नाम क्या हैं और किस ब्रांड से पैकिंग की जा रही है; और

(ग) क्या ये पैकर और ब्रांड सहकारी हैं अथवा प्राइवेट ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) चूंकि सुगन्धित (फ्लेवर्ड) दूध का बाजार, अभिकल्पित गति से विकसित नहीं हो पा रहा था, अतः यह निर्णय लिया गया कि पहले से ही किए गए निवेशों को उपयोग में लाया जाए।

(ख) और (ग) पैकरों (संवेष्टकों) के नाम इस प्रकार हैं :—

1. मैसर्स अताश इन्डस्ट्रीज लिमिटेड।

2. मैसर्स वैंकटेश बीवरेज लिमिटेड।

3. मैसर्स अरीहंत एग्रो लिमिटेड।

पैक की जा रही किस्में हैं :—

फ्रूटी मैंगो, फ्रूटी ओरेंज और अप्पी।

ये निजी कम्पनियां हैं।

दिल्ली में वाहनों को गैर-कानूनी रूप से "क्लैम्प" करना

1328. श्री पो० आर० कुमारमंगलम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 मई, 1990 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "क्लैम्पिंग आफ व्हीकल्स इल्लिगल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी वाहन को क्लैम्प करने संबंधी कोई नियम, अधिसूचना, अथवा विधान में कोई उपबन्ध नहीं है अथवा ट्रैफिक पुलिस को किसी वाहन को क्लैम्प करने का अधिकार नहीं है; और

(ग) इस संबंध में कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गये है तथा इस प्रकार के गैर-कानूनी निर्णय के लिये जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) मार्च, 1980 में दिल्ली पुलिस ने सड़क पर गाड़ियों और अन्य यातायात को नियंत्रित करने के लिये नियम बनाए थे। अप्रैल, 1989 में उन्होंने एक प्रैस विज्ञप्ति जारी की थी कि कनाट प्लेस क्षेत्र में गलत तरीके से पार्क की गई गाड़ियों को उठाने के लिये एक योजना बनायी ताकि अन्य मोटर वालों को असुविधा न हो।

(घ) 30-9-1990 से वाहनों को उठाना बन्द कर दिया गया। दिल्ली पुलिस का न्यायालय के आदेश, जिसमें क्लैम्पिंग को गैर-कानूनी करार दिया गया है के विरुद्ध एक अपील दायर करने का प्रस्ताव है।

पंजाब में होशियारपुर में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची

1329. श्री कमल चौधरी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में होशियारपुर टेलीफोन एक्सचेंज की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ख) 31 जुलाई, 1990 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची में कितने व्यक्ति शामिल हैं; और

(ग) 31 जुलाई, 1990 की स्थिति के अनुसार किस तारीख तक के आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन दे दिए गए हैं तथा शेष आवेदकों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिए जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) होशियारपुर टेलीफोन एक्सचेंज की वर्तमान क्षमता 2100 लाइनों की है।

(ख) 31 जुलाई, 1990 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में 1473 आवेदक दर्ज हैं।

(ग) 31 जुलाई, 1990 की स्थिति के अनुसार ओ० वाई० टी०, विशेष और सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत क्रमशः नवम्बर, 1987, फरवरी, 1988 और जनवरी, 1983 तक के आवेदकों के टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं। शेष आवेदकों को 1991-92 में 4500 लाइनों का इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू होने पर उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाने की संभावना है।

पंजाब में केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित परियोजनायें

1330. **श्री कमल चौधरी :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य को वर्ष 1989-90 और 1990-91 के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से कितनी धनराशि आवंटित की गई हैं;

(ख) पंजाब सरकार ने उक्त अवधि के दौरान कितनी परियोजनाओं को केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित कराने हेतु केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने अभी तक कितनी परियोजनओं को स्वीकृति प्रदान की है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्) : (क) चूंकि अनुमोदित स्कीमों की कुल लागत को कवर करने के लिए निधियां पहले ही जारी की जा चुकी हैं, पंजाब सरकार को 1989-90 और 1990-91 के दौरान कोई निधि आवंटित नहीं की गई है।

(ख) और (ग) पंजाब सरकार ने वर्ष 1989-90 सहित आठवीं योजनावधि के लिए अपने केन्द्रीय सड़क निधि कार्यक्रम के तहत 204.98 करोड़ रु० की लागत की 130 स्कीमें परियोजित की है। चूंकि केन्द्रीय सड़क निधि में, जिसके लिये प्रस्ताव आमंत्रित किये गए थे, वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए उन पर अनुमोदन हेतु कारंवाई नहीं की गई है।

ईंधन की खपत में कटौती

1331. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :**

श्रीमती वासवराजेश्वरी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों की अधिकांश खपत परिवहन क्षेत्र में होती है;

(ख) यदि हां, तो देश में पेट्रोल और डीजल की कुल खपत में से परिवहन क्षेत्र की खपत कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने पेट्रोल और डीजल की खपत में कटौती करने और विदेशी मुद्रा संसाधनों को संरक्षित करने के लिए जन परिवहन प्रणाली (मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम) के संबंध में एक नीति पत्र तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने सड़क परिवहन पर दबाव कम करने हेतु कुछ प्रमुख नगरों में उपनगरीय रेलगाड़ियों, जलमार्ग आदि जैसे परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करने की संभावनाओं पर भी विचार किया है, यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) जी, हां। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए ऊर्जा संरक्षण संबंधी कार्यदल के अनुसार परिवहन क्षेत्र, देश में पेट्रोलियम उत्पादों के कुल उपभोग के लगभग 40% की खपत करता है। वर्ष 1989-90 के दौरान सभी क्षेत्रों द्वारा कुल 53.82 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पादों की खपत की गई जिसमें मोटर स्प्रिट, एच० एस० डी० एवीएशन टरबाइन फ्यूल, फरनेस आयल, केरोसिन, नेप्था एल० पी० जी० आदि शामिल हैं। मोटर स्प्रिट और एवीएशन टरबाइन फ्यूल की सारी मात्रा अर्थात् 4.24 मिलियन टन की खपत परिवहन क्षेत्र द्वारा की गई। परिवहन क्षेत्र और कृषि क्षेत्र, जिसके लिए अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, ने 20.69 मिलियन टन एच० एस० डी० की खपत की। परिवहन क्षेत्र द्वारा फरनेस आयल और लुब्रीकेन्ट आयल का भी काफी मात्रा में उपभोग किया जाता है।

(ग) से (ङ) हालांकि केवल पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करने की दृष्टि से जन परिवहन प्रणाली से संबंधित कोई नीति पत्र तैयार नहीं किया गया है, लेकिन संबंधित राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों ने कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, अहमदाबाद, बंगलौर और हैदराबाद शहरों के लिए तीव्र जन पारगमन प्रणाली के लिए अध्ययन कर लिए हैं अथवा कर रहे हैं और आशा है कि अनुमोदन के पश्चात इन्हें कार्यान्वित करने से संबंधित शहरों की परिवहन प्रणाली पर इनका काफी प्रभाव होगा जिससे सड़कों पर दबाव में कमी आएगी और इसके परिणामस्वरूप पेट्रोलियम पर आधारित ईंधन की खपत में कमी होगी।

उपनगरीय रेलगाड़ियां मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में चल रही हैं। कलकत्ता में दमदम से टालीगंज तक मेट्रो रेलवे निर्माणाधीन है और इसके एक हिस्से में प्रचालन शुरू हो गया है। राज्य सरकार, इस कारीडोर को केरिया तक बढ़ाने के बारे में अध्ययनों इत्यादि को अद्यतन बनाने के लिए कदम उठा रही है। बम्बई में दूरियों को कम करने के लिए बांद्रा और अंधेरी के बीच अतिरिक्त रेल लाइनें (7 कि० मी०), मानखुर्द-बेलापुर (18 कि० मी०), बेलापुर—पनवेल गुड्स लाइन (11 कि० मी०), और मध्य रेलवे को अनुकूलतम बनाने का कार्य प्रगति पर है। मद्रास में बीच-लूप इनर सर्कुलर कोरीडोर-रेल का निर्माण किया जा रहा है।

शहरों में परिवहन के लिए जलमार्गों के प्रयोग पर जहां कहीं व्यवहार्य है अभी विचार किया जाना है।

पाकिस्तान से सिंधी प्रवासी

1332. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :**

श्री शान्ताराम पोटदुखे :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से काफी संख्या में सिंधी हिन्दू परिवार मारे जाने के भय से भारत आ गए हैं और अपनी पीछे काफी सम्पत्ति छोड़ आए हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रवासियों की संख्या कितनी है और इनको क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और इन प्रवासियों को अस्थायी तौर पर कहां ठहराया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में पंचायत मुख्यालयों में टेलीफोन की सुविधा

[हिन्दी]

1333. **श्री हरिशंकर महाले :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के कितने पंचायत मुख्यालयों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है; और

(ख) महाराष्ट्र के किन-किन पंचायत मुख्यालयों में अब तक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है और इन पंचायत मुख्यालयों को कब तक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कर दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल में दूरसंचार सुविधा प्राप्त 3280 पंचायत मुख्यालय हैं।

(ख) ऐसी ग्राम पंचायतों, जिनको टेलीफोन सुविधाओं से नहीं जोड़ा गया है, के नामों की सूची एकत्र की जा रही है और इसे बाद में सभा पटल पर रख दिया जाएगा तथा 8वीं योजना अवधि के अन्त तक इन स्थानों पर दूरसंचार सुविधाएं प्रदान कर दी जाएंगी।

महाराष्ट्र में डाक और तार घरों और टेलीफोन एक्सचेंजों का दर्जा बढ़ाना

1334. **श्री हरि शंकर महाले :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक किन-किन डाक और तार घरों का दर्जा बढ़ाया गया है और ये कहां-कहां स्थित हैं। और

(ख) चालू वर्ष के दौरान किन-किन वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता का विस्तार करने और एस० टी० डी० सुविधा कहां-कहां देने का प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) चालू वर्ष के दौरान उस्मानाबाद तारघर का उन्नयन किया गया है। किसी डाकघर का उन्नयन नहीं किया गया है।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

उपस्कर उपलब्ध हो जाने पर वर्ष 1990-91 के दौरान महाराष्ट्र के निम्नलिखित केन्द्रों को एस० टी० डी० से जोड़ने का प्रस्ताव है :

बीड, बुल्दाना, चालिसगांव, खानगांव, कोरेगांव, (भीम), मथेरन, मालेगांव, महाबलेश्वर, नागोथाना, फाल्तन, पिरनघाट, परवारनगर, रोहा, शिरडी, तुमसुर, वालुज, अमलनेर, अंकलुज, तारापुर, पेन, पंढरपुर

टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

उपस्कर उपलब्ध होने पर वर्ष 1990-91 के दौरान महाराष्ट्र राज्य के जिन टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है वे निम्नानुसार हैं:—

ई—10 बी चिंचवाद (पुणे)	4000 लाइनों का विस्तार
ई—10 बी नागपुर	7000 लाइनों का विस्तार
स्ट्रोजर अमरावती	400 लाइनों का विस्तार
स्ट्रोजर सांवली	600 लाइनों का विस्तार
स्ट्रोजर औरंगाबाद	900 लाइनों का विस्तार
स्ट्रोजर जलगांव	900 लाइनों का विस्तार
स्ट्रोजर शोलापुर	1200 लाइनों का विस्तार
स्ट्रोजर कल्याण	1200 लाइनों का विस्तार
स्ट्रोजर नासिक सिटी	900 लाइनों का विस्तार
स्ट्रोजर नासिक रोड	1200 लाइनों का विस्तार
स्ट्रोजर अहमद नगर	700 लाइनों का विस्तार
स्ट्रोजर देवलाली	400 लाइनों का विस्तार
कासबार भिवांडी	1500 लाइनों का विस्तार
कासबार इछलकरंजी	1000 लाइनों का विस्तार

कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों को वापस बुलाना

[अनुवाद]

1335. **श्री कमल नाथ :**

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर से संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों को वापस बुलवाए जाने की मांग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या पहल की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीलंका के विदेश मंत्री की भारत यात्रा

1336. **श्री जी० एम० बनातवाला :**

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका के विदेश मंत्री हाल ही में भारत की यात्रा पर आये थे;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ किन-किन मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ; और

(ग) इस विचार-विमर्श का क्या निष्कर्ष निकला है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग) हाल ही में श्रीलंका के विदेश मंत्री तो भारत नहीं आए थे, लेकिन श्रीलंका के विदेश सचिव ने 30-6-90 से 2-7-90 तक भारत की यात्रा की थी और उनकी इस यात्रा का उद्देश्य सरकार को श्रीलंका की हाल ही की उन घटनाओं से अवगत कराना था जिसके परिणामस्वरूप लिट्टे और श्रीलंका की सेनाओं के बीच लड़ाई छिड़ गई थी। उन्होंने बलपूर्वक यह कहा कि यह लड़ाई तमिल समुदाय के खिलाफ नहीं है बल्कि "आतंकवाद" के खिलाफ है। सरकार ने उन्हें असैनिक लोगों के मारे जाने और श्रीलंका में तमिलों की हिफाजत और सुरक्षा के संबंध में अपनी चिंता से अवगत करा दिया है। सरकार ने उनसे यह भी कहा है कि इन घटनाओं से भारत में शरणार्थी निरंतर अधिकाधिक संख्या में आ रहे हैं और यह भी सम्भव है कि तीसरे देश भी श्रीलंका में आ उतरें। उनका ध्यान भारत के प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य की ओर भी दिलाया गया कि भारत श्रीलंका के खिलाफ शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के लिए आधार बनाने के लिए भारत की जमीन को अड्डा नहीं बनने देगा।

भारत में अध्ययन करने वाले नेपाली छात्र

[हिन्दी]

1337. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विभिन्न विषयों में अध्ययन के लिए नेपाली छात्रों के नामों का अनुमोदन नेपाल स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से नेपाल सरकार द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो चालू सत्र के लिए विभिन्न विषयों हेतु अलग-अलग कितने छात्रों का नाम भेजा गया है;

(ग) क्या यह सच है कि सिफारिशों के आधार पर अधिक प्रतिशत अंकों वाले छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता है और कम प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का ऐसे प्रवेश के मामलों में उन नेपाली परिवारों को, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और अन्य प्रजातांत्रिक आन्दोलनों में योगदान दिया था, विशेष अवसर देने का विचार है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या इस संबंध में भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों के विचारों को महत्व दिया जायेगा ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) नेपाल की सरकार भारत के राजदूतावास के माध्यम से भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के लिए कुछ नेपाली छात्रों को प्रायोजित करती है। छात्रों की संख्या संकलित की जा रही है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

(ग) इस प्रकार के मामलों में प्रवेश के लिए नामांकन अनिवार्यत: नेपाल की सरकार की सिफारिशों पर आधारित होता है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के चमोली, टिहरी और उत्तरकाशी जिलों में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

1338. **श्री हरीश रावत :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान चमोली, टिहरी और उत्तरकाशी जिलों में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(चमोली क्षेत्र को गोपेश्वर के एक्सचेंज से सेवा प्रदान की जाएगी)

1. गोपेश्वर एन० इ० ए० एक्स० 400 लाइनें
2. कर्णप्रयाग-128 पोर्ट-सी-डॉट आर० ए० एक्स०
3. बदरीनाथ-64 पोर्ट एम० आई० एल० टी०
4. गुप्तकाशी-64 पोर्ट एम० आई० एल० टी०

जिला टेहरी

1. टेहरी-400 लाइन एन० इ० ए० एक्स० 615
2. नरेन्द्रनगर-128 पोर्ट सी-डॉट आर० ए० एक्स०

जिला उत्तरकाशी

1. उत्तरकाशी-400 लाइन एन० इ० ए० एक्स-615
2. पुरोला-64 पोर्ट एम० आई० एल० टी०
3. डुंडा-64 एम० आई० एल० टी०
4. भटवारी-64 पोर्ट एम०आई० एल० टी०
5. नौगांव-64 पोर्ट एम० आई० एल० टी०

उपर्युक्त एक्सचेंजों को 1990-91 के दौरान चालू करने की योजना बनाई गई है बशर्ते कि एक्सचेंज उपस्कर उपलब्ध रहें।

रानी चौरी में पंत नगर विश्वविद्यालय की एक इकाई को शोध संस्थान का दर्जा दिया जाना

1339. श्री हरीश रावत :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रानी चौरी में पन्त नगर विश्वविद्यालय के एक परिसर को शोध संस्थान का दर्जा देने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि और इससे सम्बद्ध विषयों के अध्ययन के लिए सुविधाएं विकसित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) रानी चौरी स्थित पर्वतीय परिसर गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि और टैक्नोलॉजी पंतनगर

विश्वविद्यालय का परिसर है । इसकी स्थापना उपयुक्त शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से पर्वतीय कृषि को बढ़ाने के लिए की गयी है ।

जम्मू में प्रवासियों के लिए आवास इकाइयां

[अनुवाद]

1340. कुमारी उमा भारती :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू में कश्मीर से आये लोगों के लिए अस्थायी आवास इकाइयां स्थापित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) दिनांक 31-7-1990 तक, 2508 कश्मीरी प्रवासी परिवारों को पक्के साम्प्रदायिक आवासों में ठहराया गया तथा 2620 परिवारों को जम्मू क्षेत्र के नगरोटा, शीरी, मिसरीवाला, तालाब-टीलू, टापशेरकामियां, चेनी-हिम्मत, आर० एस० पुरा, सतवारी, कथुआ, तथा ऊधमपुर स्थित शिविरों के टैंटों में ठहराया गया है ।

"सार्क" देशों के सम्मेलन हेतु नियत स्थान

1341. कुमारी उमा भारती :

क्या विदेश मंत्री "सार्क" सम्मेलन के बारे में 26 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6805 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सार्क" देशों की अगली बैठक के लिए स्थान के चयन के संबंध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो "सार्क" शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) जी, हां । यह मालदीव गणराज्य में हो रहा है ।

बिहार में बेरमो टेलीफोन एक्सचेंज में एस० टी० डी० सुविधा

[हिन्दी]

1342. श्री राम दास सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बेरमो टेलीफोन एक्सचेंज में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो वहां एस० टी० डी० सुविधा कब तक उपलब्ध की जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) बेरमों में एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाने और एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने के लिए संचारण माध्यम स्थापित करने का काम चल रहा है।

(ख) मार्च, 1992 तक।

जम्मू और कश्मीर में राजभाषा अधिनियम लागू करना

1343. **प्रो० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा अधिनियम, 1963 जम्मू और काश्मीर में प्रवृत्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जम्मू और काश्मीर में कितना काम हिन्दी में किया जाता है; और

(घ) राज्य में हिन्दी के प्रयोग को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) राजभाषा अधिनियम, 1963, इसकी धारा 6 और 7 को छोड़कर जम्मू और काश्मीर पर लागू है।

(ग) राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के प्रयोजन के लिए जम्मू और काश्मीर राज्य को "ग" ग्रुप क्षेत्र में रखा गया है। इस क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में 1990-91 के दौरान अन्य के अतिरिक्त, पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग के लिए निम्नलिखित लक्ष्य रखे गए है :

(1) "ग" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से "क" और "ख" क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्रादि-20 प्रतिशत।

(2) "क" और "ख" क्षेत्रों में स्थित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्रादि—60 प्रतिशत

(3) "ग" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्रादि—20 प्रतिशत

जम्मू और काश्मीर में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वर्ष के दौरान वे इन लक्ष्यों को पूरा कर लें।

(घ) जम्मू और काश्मीर राज्य में स्थित कार्यालयों सहित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने जो महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं उनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं :—

(1) जो अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी नहीं जानते उन्हें हिन्दी का शिक्षण देने की योजना। भाग लेने वालों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(2) हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी टाईपिंग प्रशिक्षण के लिए योजना। भाग लेने वालों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(3) सरकारी काम मूलरूप से हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना।]

(4) बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने संगठनों में राजभाषा नीति को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य हेतु इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड।

(5) भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड "क", "ख" और "ग" तीनों क्षेत्रों के लिए तीन-तीन पुरस्कार।

(6) हिन्दी में मूल पुस्तकें लिखने के लिए इंदिरा गांधी नकद पुरस्कार।

(7) आशुलिपिकों और टाइपिस्टों द्वारा अपना सरकारी काम अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में भी करने के लिए प्रोत्साहन योजना।

(8) उत्कृष्ट कार्य के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को किये जाने वाले प्रोत्साहन पुरस्कार।

(9) अधिकतम डिकटेशन हिन्दी में देने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार।

वर्षा पर आधारित कृषि उत्पादों की उत्पादकता

[अनुवाद]

1344. श्री वी० कृष्ण राव :

श्री सी० पी० मुक्काल गिरियप्पा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा शुष्क और अर्द्ध-शुष्क तथा मध्यम और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा पर आधारित कृषि उत्पादों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : सरकार ने सभी वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पाद की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कई उपाय किये हैं तथा इस संबंध में परियोजनाएं आरम्भ की हैं।

(1) पनधारा विकास परियोजनाएं

वर्षा सिंचित क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए राष्ट्रीय, द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता से पनधारा विकास परियोजनाएं आरम्भ की गयी हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य भूमि तथा पानी के आधार स्रोत का परिरक्षण करना और खाद्य, चारा, ईंधन तन्तु आदि विविध उत्पादन को बढ़ावा देना है।

(2) जिस विकास परियोजनाएं

तिलहनों, दालों, मोटे अनाज आदि जैसे महत्वपूर्ण वर्षा सिंचित फसलों की उत्पादकता को

बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है ताकि उनकी उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि की जा सके।

कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य

1345. श्री वी० कृष्ण राव :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री सी०पी० मुदाल गिरियप्पा :

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विभिन्न कृषि उत्पादकों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) सरकार ने 1990-91 के मौसम के लिए निम्नलिखित खरीफ फसलों हेतु खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि की है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार हैं :—

फसल	(प्रति क्विंटल रुपयों में मूल्य) 1989-90	1990-91
धान साधारण	185	205
अच्छा	195	215
बहुत अच्छा	205	225
मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी)	165	180

फसल	(प्रति क्विंटल रुपयों में मूल्य) 1989-90	1990-91
खरीफ दालें (तुर) अरहर; (मूंग और उड़द)	425	480
मूंगफली छिलके सहित	500	580
सोयाबीन (काली)	325	350
सोयाबीन (पीली)	370	400
सूरजमुखी के बीज	580	600
कपास एफ-414/एच-777	570	620
एच-4	690	750

बिहार में नये टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

[हिन्दी]

1346. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी पांच वर्षों के दौरान बिहार में नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना का कार्यान्वयन कब से शुरू कर दिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) विभिन्न किस्म के नए एक्सचेंजों का ब्यौरा, प्रतिस्थापित किए जाने वाले एक्सचेंजों सहित संलग्न विवरण में दिया गया है। आवंटित उपस्करों को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तरोत्तर संस्थापित किए जाने की संभावना है बशर्ते कि अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रकचर) और उपस्कर समय पर उपलब्ध रहें।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आठवीं योजना अवधि के दौरान बिहार को आवंटित बड़े साइज के एम० एम० एक्स०-1 एक्सचेंज उपस्कर का ब्यौरा

उपस्कर की किस्म	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95
ई-10 बी	2	10	1	1	—
सी-डॉट	1	—	2	2	—
आई० सी० पी०	—	—	2	—	—
	3	10	5	3	—

आठवीं योजना अवधि के लिए बिहार को आवंटित छोटे और मध्यम साइज के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज उपस्कर का ब्यौरा

2048 पोर्ट आई० एल० टी०	3	2	2	2	2
512 पोर्ट आई० एल० टी०	19	15	15	15	14
64 पोर्ट एम० आई० एल० टी०	42	45	45	50	50

512	पोर्ट सी-डॉट एस० आई० एम०	20	5	5	5	5
128	पीर्ट सी-डॉट आर०ए०एक्स०	62	1	1	3	2
200	लाइनों का ई०एस०एक्स० पी० ए० एम०	13	—	—	—	—
		161	68	68	75	73

विदेशों में भारतीय मूल के लोग

1347. **श्री दौलत राम सारण :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मूल के काफी संख्या में लोग विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इनमें से कितने लोगों ने विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है;

(ग) विदेशी नागरिकता प्राप्त भारतीय मूल के लोगों को उपलब्ध कराई गई वीजा संबंधी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन लोगों के संबंध में भारत की क्या नीति है जो वापस आना चाहते हैं तथा पुन: भारत की नागरिकता प्राप्त करके स्थायी तौर पर भारत में ही बसने के इच्छुक हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) अद्यतन उपलब्ध जानकारी के अनुसार लगभग 72 लाख लोगों ने विदेशी नागरिकता ले ली है ।

(ग) अप्रैल, 1990 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय मूल के विदेशी राष्ट्रिकों को बहु-प्रवेशीय सुविधा के साथ-साथ एक बार में 5 वर्ष की अवधि के दीर्घावधि वीजा दिए जा रहे हैं। ये वीजा दो किस्म के होते हैं जैसाकि नीचे बताया गया है ।

(I) यदि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति निरन्तर 6 माह अथवा उससे अधिक समय के लिए भारत में ठहरना चाहता है तो उसे बहु-प्रवेशीय सुविधा के साथ 5 वर्ष का वीजा दिया जा सकता है। इस किस्म का वीजा तभी दिया जाता है जब भारतीय मूल का व्यक्ति स्थायी आवास, शिक्षा अथवा कोई व्यवसाय स्थापित करने के लिए भारत आना चाहे ।

(II) यदि भारतीय मूल का व्यक्ति रिश्तेदारों से मिलने, छुट्टियां बिताने आदि के लिए केवल थोड़े समय के लिए भारत यात्रा पर आना चाहता है तो ऐसे व्यक्तियों को भी बहु-प्रवेशीय सुविधा के साथ 5 वर्ष का वीजा दिया जा सकता है। परन्तु अगर कोई व्यक्ति अपनी किसी यात्रा में 6 माह से अधिक ठहरे तो उसके लिए पंजी-

करण अनिवार्य होता है। ये सुविधाएं भारतीय मूल के लोगों के पति/पत्नियों तथा बच्चों को भी उपलब्ध है।

(घ) भारतीय मूल के जो विदेशी नागरिक देश में स्थायी रूप से बसने के उद्देश्य से भारत लौटते हैं और भारतीय नागरिकता लेना/पुन: लेना चाहते हैं, उनके लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पूर्व कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए भारत में रहना अनिवार्य है। 5 वर्ष के लिए उपलब्ध वीजा सुविधा से भारतीय मूल के उन लोगों को बहुत फायदा होगा जो भारतीय नागरिकता लेना/पुन: लेना चाहते हैं।

डाक और दूरसंचार विभाग में दूसरी समयबद्ध पदोन्नति योजना का कार्यान्वयन

[अनुवाद]

1348. **श्री दौलत राम सारण :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और दूरसंचार विभाग में 26 वर्ष बाद दूसरी समयबद्ध पदोन्नति योजना कार्यान्वयन की जा रही है;

(ख) क्या इस कार्य पर कोई अतिरिक्त व्यय होगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) डाक विभाग में समूह "ग" और "घ", जो भारत सरकार के अन्य विभागों के समान नहीं हैं, में दूसरी समयबद्ध पदोन्नति प्रदान करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। जहां तक दूरसंचार विभाग का संबंध है, 26 वर्ष के बाद दूसरी समयबद्ध पदोन्नति की कोई योजना नहीं है। तथापि समूह "ग" व "घ" में तकनीकी और अन्य संबद्ध संवर्गों में गतिरोध (स्टेगनेशन) दूर करने के लिए दो वर्ष में एक बार संवर्ग पुनरीक्षा करने की योजना को हाल ही में मंजूरी दी गयी है और यह कार्यान्वयनाधीन है।

(ख) डाक विभाग में जिस दूसरी समयबद्ध पदोन्नति योजना पर विचार किया जा रहा है वह स्व-वित्तपोषित है। अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए समतुल्य बचत उपलब्ध करायी जाएगी।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारत-रूस मैत्री

1349. **श्री जी० एस० बासवराज :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस ने प्रधान मंत्री की हाल की सोवियत रूस की यात्रा के दौरान कश्मीर के मामले में भारत को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया था;

(ख) क्या इस यात्रा के बाद भारत-सोवियत संघ के संबंधों में और अधिक प्रगाढ़ता आयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां । प्रधान मन्त्री की हाल की सोवियत यात्रा के दौरान सोवियत नेताओं ने कश्मीर पर भारत के दृष्टिकोण को पूरी तरह से समझा और उसके प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया ।

(ख) और (ग) जी, हां । इस यात्रा से हमारे दोनों देशों के बीच मैत्री और निकट सहयोग के सम्बन्ध और मजबूत हुए हैं तथा इसमें भावी सहयोग के नए अवसर पैदा हुए हैं।

मण्डी और शिमला जिलों में टेलीफोन सेवा

[हिन्दी]

1350. श्री महेश्वरी सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मण्डी और शिमला जिलों में 1 जनवरी, 1990 से 15 जुलाई, 1990 के दौरान कौन-कौन से टेलीफोन एक्सचेंज कितनी-कितनी अवधि तक खराब पड़े थे और प्रत्येक के खराब होने के क्या कारण थे; और

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) मंडी और शिमला जिलों में 1.1.90 से 15.7.1990 तक कोई एक्सचेंज खराब नहीं था। तथापि, भू-स्खलन के कारण निम्न-लिखित एक्सचेंजों में ट्रंक लाइनों को उनके मूल ट्रंक एक्सचेंजों से जोड़ने में रुकावट उत्पन्न हुई :

जिला शिमला	
सरहन	20.5.90 से 5.6.90 तक
दोफदा	20.5.90 से 10.6.90 तक
जिला मंडी	
शून्य	

(ख) दीर्घावधि उपाय के रूप में, ओपेन वायर लाइनों को रेडियो प्रणालियों से बदलने की योजना है जो कि प्रतिकूल मौसम में भी अधिक विश्वसनीय होती है।

कुल्लू जिले को एस० टी० डी० से जोड़ना

1351. श्री महेश्वर सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुल्लू जिले को एस० टी० डी० द्वारा देश के शेष क्षेत्रों से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) मार्च, 1991 तक

कुल्लू जिले को जोड़ने के लिए वैकल्पिक सड़क

1352. श्री महेश्वर सिंह :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंडी और मनाली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 वर्षाकाल के दौरान भूस्खलन होने के कारण कई बार बंद हो जाता है और कुल्लू और लाहोल स्पीति जिलों का संपर्क यातायात की दृष्टि से शेष देश से कट जाता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990 के दौरान यह राजमार्ग कितनी बार बन्द रहा और यह प्रत्येक बार कितने दिनों तक बन्द रहा;

(ग) क्या कुल्लू जिले को देश के अन्य भागों से एक वैकल्पिक सड़क द्वारा जोड़ने का विचार है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) जी, हां। जैसाकि राज्य के लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है, मण्डी और मनाली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-21 विभिन्न खण्डों में बन्द रहा जैसाकि नीचे दिया गया है :—

क्रम संख्या	बन्द होने की तारीख	बन्द रहने की अवधि (दिन)
1	2	3
1.	9.2.90 और 10.2.90	$\frac{1}{8}$ दिन
2.	13.2.90 और 14.2.90	$\frac{1}{2}$
3.	1.3.90	$\frac{3}{4}$
4.	20.3.90 और 27.3.90	$7\frac{1}{2}$
5.	25.6.90	$\frac{1}{6}$
6.	9.7.90 से 13.7.90	$4\frac{1}{2}$

1	2	3
7.	15.7.90	$1\frac{1}{2}$
8.	28.7.90 से 30.7.90	$1\frac{1}{2}$

(ग) से (ङ) यद्यपि राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है फिर भी कुल्लू के लिए एक वैकल्पिक रूट के रूप में उपयोग के लिए मन्डी से बजौरा वाया कटौला और कांडी लिंक मार्ग विकसित करने के लिए एक सुझाव प्राप्त हुआ है जिसे राज्य सरकार को भेज दिया गया है।

जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास द्वारा जापानी ठेकेदार पर लगाए गए हरजाने की वसूली

[अनुवाद]

1353. **श्री शंकर सिंह वघेला :**

डा० ए० के० पटेल :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठेका पूरा करने में विलम्ब के कारण जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास द्वारा जापान के ठेकेदार पर 108 करोड़ रुपए तक का निर्धारित हर्जाना लगाया गया था;

(ख) क्या इस ठेकेदार से उक्त धनराशि इस बीच वसूल कर ली गयी है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गयी है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नी कृष्णन्) : (क) और (ख) जी, हां। उक्त रकम, जापानी ठेकेदारों के संघ की मैसर्स मित्सुई एंड कं० के बिलों से, जून, 1987, अगस्त, 1987 और दिसम्बर, 1987 में वसूल की गयी थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले से व्यक्तियों का लापता होना

1354. **श्री फूल चन्द वर्मा :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर के डोडा जिले से सरकारी कर्मचारियों सहित अनेक व्यक्ति लापता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) राज्य सरकार से सूचना मांगी गयी है और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पाकिस्तान और बंगलादेश के साथ लगी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाना

1355. श्री फूल चन्द वर्मा :

श्री ए० विजयराघवन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल और बंगलादेश, असम और बंगलादेश, जम्मू तथा काश्मीर और पाकिस्तान, पंजाब और पाकिस्तान तथा राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की लम्बाई कितनी है;

(ख) इस में से अब तक अलग-अलग कितनी सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाई जा चुकी है;

(ग) क्या जम्मू तथा कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ-साथ कंटीले तारों की बाड़ लगा दी गयी है;

(घ) सरकार के वर्तमान निर्णयों के अनुसार उक्त सीमा के कितने लम्बे भाग पर कंटीले तारों की बाड़ लगाई जानी है;

(ङ) संसाधनों में रुकावट सैन्य तंत्र अथवा अन्य कारणों की वजह से सीमा के कौन-कौन से भागों में कंटीले तारों की बाड़ नहीं लगायी जा सकी है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल और बंगला देश, असम और बंगला देश, जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान, पंजाब और राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की लम्बाई इस प्रकार है :—

पश्चिम बंगाल	2203.25 कि०मी०
असम	262.00 कि०मी०
जम्मू और काश्मीर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा	210.00 कि०मी०
जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा	790.00 कि०मी०
पंजाब	554.00 कि०मी०
राजस्थान	1035.00 कि०मी०

(ख) अभी तक निम्नलिखित दूरी तक बाड़ लगायी गयी हैं।

असम	—
पंजाब	120.00 कि०मी०
राजस्थान	58.80 कि०मी०

(ग) जम्मू और कश्मीर के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बाड़ लगाने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार के निर्णय के मुताबिक निम्नलिखित अतिरिक्त दूरी तक बाड़ लगायी जानी है :—

असम	——	192.00 कि०मी०
पंजाब	——	236.00 कि०मी०

कश्मीर के मामले से संबंधित सलाहकार समिति

1356. **श्री फूल चन्द वर्मा :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कश्मीर के मामले के संबंध में कुछ समय पहले एक सलाहकार समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इसके कृत्य क्या हैं;

(ग) समिति की उपलब्धियां क्या हैं;

(घ) क्या उक्त सलाहकार समिति इस बीच भंग कर दी गयी है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इसके स्थान पर कोई नयी समिति गठित की गयी है; और

(छ) यदि हां, तो नयी समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (ङ) दिनांक 13 मार्च, 1990 के एक आदेश द्वारा राष्ट्रपति ने श्री जार्ज फर्नांडिज, रेल मन्त्री, को, अगले आदेश जारी होने तक, जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित मामलों के बारे में सरकार के मंत्रालयों और विभागों के सभी कार्यों के समन्वयन करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।

निम्नलिखित सदस्यों वाली समिति का गठन रेल मन्त्री को उनके अतिरिक्त कार्यभारों को निपटाने में मदद करने के लिए किया गया था। समिति अपनी भूमिका निभा रही थी :—

श्री सुरेन्द्र मोहन

श्री गुलाम रसूल कार

श्री केदार नाथ साहनी

श्री सैफुद्दीन चौधरी

श्री एम० फारूकी

श्री पी० एल० हान्डू

रेल मन्त्री को उपरोक्त अतिरिक्त कार्यभारों से मुक्त किए जाने के परिणामस्वरूप समिति को भंग कर दिया गया है।

(च) जी नही, श्रीमान् ।

(छ) प्रश्न नहीं उठता ।

जम्मू और कश्मीर के प्रवासी सरकारी कर्मचारी

[हिन्दी]

1337. **श्री फूल चन्द वर्मा :**

श्री संजय लाल :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा प्रबन्धों के अभाव के कारण कश्मीर के अनेक निवासियों को, जो सरकारी सेवा में थे, अपना निवास स्थान छोड़ना पड़ा और देश के अन्य भागों में शरण लेनी पड़ी;

(ख) क्या सरकार ने इन कर्मचारियों से अपने-अपने ड्यूटी के स्थानों पर रिपोर्ट करने के लिए कहा है;

(ग) क्या इन कर्मचारियों ने कश्मीर में ड्यूटी पर जाने संबंधी आदेश का तब तक के लिए विरोध किया है जब तक सरकार उनकी सुरक्षा के लिए सुस्पष्ट प्रबन्ध नहीं कर देती; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) श्रीनगर तथा घाटी के अन्य स्थानों में केन्द्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में तैनात बहुत से व्यक्ति जम्मू और देश के अनेक भागों में चले गए हैं । जिन कर्मचारियों ने अपने परिवार को किसी अन्य स्थान पर रखने का निर्णय लिया है उन्हें स्थानान्तरण अनुदान तथा मकान भत्ता, जो उन्हें दिया जायेगा जैसे प्रोत्साहन दिए गये हैं। कर्मचारियों को भी सुरक्षित स्थानों में आवास दिया जाना है।

अभी भी बहुत से प्रवासी केन्द्रीय कर्मचारी घाटी को वापस जाने के लिए तैयार नहीं है यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी प्रतिष्ठानों में प्रभावकारी ढंग से कार्य करें ऐसे प्रवासी कर्मचारियों के चले जाने के परिणामस्वरूप हुई रिक्तियों को स्थानीय कश्मीरी युवकों को भर्ती करके भरा जा रहा हैं। प्रवासी कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर अन्यत्र खपाया जा रहा है। जब भी वे वापस आएंगे उन के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अफगान आतंकवादियों द्वारा कश्मीर में घुसपैठ

1358. **श्री अनन्तराव देशमुख :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक अफगान आतंकवादी कश्मीर घाटी में घुस आये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान कश्मीर घाटी में कितने अफगान आतंकवादी गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ग) सरकार ने इस प्रकार की घुसपैठ रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) कश्मीर घाटी में किसी भी अफगानी आतंकवादी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस आशय की कोई निश्चित जानकारी नहीं है कि बड़ी मात्रा में अफगानी आतंकवादी घुसपैठ कर गए हैं।

घाटी में घुसपैठ की रोकथाम करने के लिए कई प्रकार के सुरक्षा उपाय किए गए हैं जिनमें केन्द्रीय पुलिस बलों को बड़ी संख्या में तैनात करना, राज्य पुलिस, केन्द्रीय पुलिस बलों और सेना के बीच बेहतर समन्वयन बनाना, चुनिंदा स्थानों पर गहन छापे मारना तथा छानबीन अभियान चलाना तथा सीमा पर सतर्कता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना शामिल है। सशस्त्र सेनाओं और राज्य पुलिस की खोजबीन करने तथा शस्त्रों के भण्डारों को नष्ट करने के लिए अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गयी हैं।

विश्व बैंक की सहायता से भेड़ प्रजनन परियोजना

[अनुवाद]

1359. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय सरकार को एक भेड़ प्रजनन परियोजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की कुल लागत कितनी है;

(ग) क्या उक्त परियोजना को सहायता प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक को भेज दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसे कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी तथा विश्व बैंक को उसकी स्वीकृति हेतु भेज दिया जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना की कुल लागत 28.79 करोड़ रुपए है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) परियोजनाओं के लिए विदेशी निधि की व्यवस्था आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से की जाती है। उक्त विभाग ने इस परियोजना को सहायता दिए जाने के लिए पहले इसे डानिडा, एफ० आर० जी० और ई० ई० सी० के समक्ष प्रस्तुत किया था। इस परियोजना के लिए द्विपक्षीय सहायता अभी उपलब्ध नहीं कराई गयी है।

कर्नाटक के डाक कर्मचारियों की मांगें

1360. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के डाक कर्मचारी समयोपरि भत्ता में वृद्धि, दूसरी बार समयबद्ध पदोन्नति और आ० एल० ओ० एम्पेटीमो को रद्द करने आदि की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी मांगों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां, डाक कर्मचारियों की यह एक साधारण मांग है और यह केवल कर्नाटक सर्किल तक ही सीमित नहीं है।

(ख) और (ग) समयोपरि भत्ते में संशोधन करके उसे बढ़ाने और दूसरी समयबद्ध पदोन्नति आरंभ करने सम्बन्धी मांग सरकार के विचाराधीन है। अप्रैल, 1990 में कर्नाटका सर्किल सहित जो आर० एल० ओ० संबंधी प्रयोग चार डाक सर्किलों में आरंभ किया गया था 1.8.90 से आस्थगित कर दिया गया है।

दिल्ली परिवहन निगम के बस शैल्टर

[हिन्दी]

1361. **श्री जनार्दन तिवारी :**

श्री राजवीर सिंह :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री बस शैल्टरों का निर्माण के बारे में 18 अगस्त, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3177 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम का वर्तमान वर्ष के दौरान और अधिक बस शैल्टरों का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बस शैल्टरों की आवश्यकता का अनुमान लगा लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) नगर के प्रचालनात्मक इलाके में लगभग 5,500 बस स्टाफ हैं, जिनमें से 1533 पर नियमित बस क्यू शैल्टर हैं। शेष में से, कुछ बस स्टापों पर जैसे कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में जगह की कमी के कारण नियमित शैल्टरों का निर्माण करना व्यवहार्य नहीं पाया गया। दिल्ली परिवहन निगम ने चालू वर्ष के दौरान एक करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 320 अतिरिक्त बस क्यू शेल्टरों के निर्माण का कार्यक्रम बनाया है।

आतंकवादी गतिविधियां रोकने हेतु ब्रिटेन का सहयोग

1362. **श्री जनार्दन तिवारी :**

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री इरा अम्बारासु :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही की अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान उन्होंने उस देश में पंजाब और कश्मीर के आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में ब्रिटेन सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की थी और आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु उनका सहयोग मांगा था; और

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा किन-किन मामलों पर बातचीत हुई और उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) अपने हाल ही की ब्रिटेन की यात्रा के दौरान, गृह मन्त्री ने ब्रिटिश गृह सचिव के साथ पंजाब और जम्मू व कश्मीर में आतंकवाद की समस्या तथा इस बारे में दोनों देशों के बीच अधिक तालमेल व सम्पर्क स्थापित करने और सूचना के आदान-प्रदान संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने स्काटलैंड यार्ड के मुख्यालय का भी दौरा किया तथा ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी भर्ती प्रणाली, महानगरों की पुलिस व्यवस्था प्रणाली तथा आतंकवाद से निपटने के तरीकों के बारे में चर्चा की।

पटियाला से दिल्ली पुलिस की वर्दियों का पकड़ा जाना

1363. **श्री जनार्दन तिवारी :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पटियाला पंजाब में दिल्ली पुलिस की वर्दियां, नकली मोहरें और अन्य आपत्तिजनक सामग्री पकड़ी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात का पता लगाने के लिये कोई जांच की गयी है कि ये सामान कहां से चुराया गया था अथवा ये वस्तुएं जाली थीं;

(ग) क्या इस संबंध में जांच-पड़ताल पूरी हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

जम्मू तथा कश्मीर की स्थिति पर श्वेत-पत्र

1364. श्री जनार्दन तिवारी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का, जम्मू तथा कश्मीर की स्थिति पर एक श्वेत-पत्र जारी करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह श्वेत-पत्र कब तक जारी किया जायेगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोचीन में वारापुझा पुल का निर्माण

[अनुवाद]

1365. प्रो० के० वी० थामस :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में राष्ट्रीय राजमार्ग पर वारापुझा पुल के लिए "डिजाइन" "एलाइन्मेंट" "फिक्सेशन" और भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं;

(ग) इस पुल की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) पुल का निर्माण कार्य कब तक शुरू किया जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्) : (क) जी, नहीं ।

(ख) पुल के पहुंच मार्गों के लिए किए गए विस्तृत भूमि परीक्षणों से बाएडक्ट्स के निर्माण की आवश्यकता का पता चला । इसके परिणाम-स्वरूप संरेखण में सुधार करने तथा अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता हुई है ।

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 15.00 करोड़ रु० होगी ।

(घ) चूंकि भूमि का अभी अधिग्रहण किया जाना है इसलिए इस पुल के निर्माण के शुरू होने की संभावित तारीख के बारे में अभी नहीं बताया जा सकता है ।

"नैफेड" की सहायता से आउटबोर्ड इंजनों की खरीद

1366. प्रो० के० वी० थामस :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नैफेड" मछुआरों द्वारा आउटबोर्ड इंजन की खरीद में केरल सरकार की सहायता कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो केरल को कितनी सहायता राशि दी गयी है;

(ग) किस प्रकार के आउटबोर्ड इंजनों का चयन किया गया है;

(घ) क्या मछुआरों को अपनी पसन्द के आऊटबोर्ड इंजन चुनने का अधिकार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं होते।

बलात्कार के मामले

1367. प्रो० के० वी० थामस :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1990 से राज्य-वार बलात्कार के कितने मामले दर्ज किये गए हैं;

(ख) क्या देश में बलात्कार की घटनायें बढ़ रही हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन घटनाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) 1 जनवरी, 1990 से 30 जून, 1990 की अवधि के दौरान देश में दर्ज किये गए बलात्कार मामलों की राज्यवार और संघ शासित क्षेत्र-वार उपलब्ध विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान।

सामाजिक तनाव और मामलों की बेहतर रिपोर्टिंग सहायक कारण हैं।

(घ) अपराधों को रोकना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है, क्योंकि "कानून और व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य का विषय है। यह मंत्रालय, महिलाओं के प्रति अपराधों के बारे में विशेष ध्यान देने के लिए समय-समय पर उन्हें याद दिलाता है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बलात्कार के मामले	अब तक की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	104	फरवरी, 90
2.	अरूणाचल प्रदेश	9	मई, 90
3.	आसाम	96	मार्च, 90
4.	बिहार	प्रा० न०	
5.	गोआ	5	मई, 90
6.	गुजरात	24	फरवरी, 90
7.	हरियाणा	46	मार्च, 90
8.	हिमाचल प्रदेश	11	मई, 90
9.	जम्मू व कश्मीर	19	मार्च, 90
10.	कर्नाटक	67	मई, 90
11.	केरल	66	मई, 90
12.	मध्य प्रदेश	प्रा० न०	
13.	महाराष्ट्र	340	मई, 90
14.	मनीपुर	15	जून, 90
15.	मेघालय	10	अप्रैल, 90
16.	मिजोरम	22	मई, 90
17.	नागालैंड	2	मई, 90
18.	उड़ीसा	76	अप्रैल, 90
19.	पंजाब	26	मई, 90
20.	राजस्थान	प्रा० न०	
21.	सिक्किम	1	जून, 90
22.	तमिलनाडु	86	अप्रैल, 90

1	2	3	4
23.	त्रिपुरा	26	अप्रैल, 90
24.	उत्तर प्रदेश	प्रा० न०	
25.	पश्चिम बंगाल	72	फरवरी, 90
	संघ शासित क्षेत्र		
26.	अण्डमान निकोबार	1	जून, 90
27.	चण्डीगढ़	6	जून, 90
28.	दमन और द्विव	प्रा० न०	
29.	दादर व नगर हवेली	3	जून, 90
30.	दिल्ली	13	जनवरी, 90
31.	लक्षद्वीप	प्रा० न०	
32.	पांडचेरी	9	जून, 90

टिप्पणी:—(1) आंकड़े, राज्यों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त मासिक अपराध आंकड़ों पर आधारित हैं जिन्हें अस्थायी समझा जाए।

(2) प्रा० न० का तात्पर्य प्राप्त नहीं है।

कोचीन पत्तन में आयल टर्मिनल में आग-दुर्घटना

1368. **प्रो० के० वी० थामस :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 जुलाई, 1990 को कोचीन पत्तन में आयल टर्मिनल में आग दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम स्वरूप हुए जान और माल की हानि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आग लगने का क्या कारण है; और

(घ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) और (ख) दिनांक 22.7.90 को लगभग 00.15 बजे, विलिंगडन द्वीप के उत्तरी छोर के निकट कोचीन तेल टर्मिनल और एर्नाकुलम व्हार्फ के बीच, कोचीन बैकवाटर्स के एर्नाकुलम चैनल में आग लगी। कर्मचारियों को लाने के लिए पत्तन द्वारा तैनात की गई दो निजी नौकाओं के क्रू के चार सदस्यों की मृत्यु हो गई। उस क्षेत्र में मछली पकड़ रहे दो व्यक्ति भी जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया। उनमें एक व्यक्ति की कुछ दिन बाद जख्मों के कारण मृत्यु हो गई। टर्मिनल में बिछाए गए इलैक्ट्रिकल केबलों का काफी बड़ा हिस्सा भी जल गया और क्षतिग्रस्त हो गया। आग के कारण पत्तन संस्थापना को लगभग 15 लाख रु० की हानि होने का अनुमान है।

(ग) सरकार द्वारा भेजे गए जांच दल की रिपोर्ट के अनुसार आग लगने के लिए ईंधन का स्रोत नेप्था है जो एक जहाज के कार्गो टैंकों से रिस कर ब्लास्ट टैंक में आ गया तथा उसे जहाज द्वारा खाली किए जाते समय चैनल में छोड़ दिया गया।

(घ) प्रदूषण निरोधक और अग्निशमन प्रक्रियाओं को और कड़ा बनाया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

[हिन्दी]

1369. श्री राजबीर सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में प्रतीक्षारत व्यक्तियों की संख्या का जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक जिले में अब तक प्राथमिकता के आधार पर कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं; और

(ग) प्रतीक्षारत व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिए जाएंगे तथा इस संबंध में जिला-वार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) फील्ड यूनिटों से अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फसल बीमा पर राष्ट्रीय कार्यशाला

1370. श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में 23 जुलाई, 1990 को कृषि और सहकारिता सचिव की अध्यक्षता में फसल बीमा पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो कार्यशाला द्वारा दिये गये विभिन्न सुझाव क्या हैं और इन सुझावों को लागू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यशाला द्वारा दिए गए सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं :—राज्य सरकारें अपनी राज्य फसल बीमा निधियों को नियमित रूप से वित्तीय सहायता दें, जिन फसलों के लिए अलग-अलग अवधियों पर कर्ज देने की जरूरत होती है उन्हें छोड़कर बाकी सबके लिए बृहत फसल बीमा योजना के अंतर्गत निर्धारित मौसमी स्वरूप जारी रखा जाए, कर्ज देने वाली एजेंसियां भारतीय साधारण बीमा निगम को समय पर हिसाब की घोषणा प्रस्तुत करें, फसल कटाई मशीनरी में सुधार किया जाए, सहकारी ऋण संस्थाओं, वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मूल्यांकन तंत्र को मजबूत किया जाए। ऋण देने वाली एजेंसियां सामान्य ऋण विवरणियां समय पर तैयार करें। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के दिशानिर्देशों के अनुसार ही कृषि ऋण दिए जाएं, कर्ज देने वाली एजेंसियां हर एक किसान के दावे की रकम समय पर जमा करें, जिला स्तर पर एक तंत्र तैयार करके बृहत फसल बीमा योजना के काम में लगी एजेंसियों में सही तालमेल की व्यवस्था की जाए, आदि।

इस संबंध में सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, ऋण संस्थाओं और भारतीय साधारण बीमा निगम को समुचित दिशानिर्देश देने का प्रस्ताव है।

दिल्ली में बस परमिट घोटाला

[अनुवाद]

1371. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1990 के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने राजधानी में बस परमिट से संबंधित किसी भारी घोटाले का भंडाफोड़ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और कितनी ट्रेवल एजेंसियों पर छापे मारे गये; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा और क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में विदेशी शराब के गिरोह का भंडाफोड़

1372. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने इस वर्ष जून माह में पश्चिम दिल्ली में छापे मारकर विदेशी शराब के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) इस परिसर से जब्त किये गये सामान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) (I) संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जाती है।

(II) सूचना प्राप्त होने पर छापे मारे जाते हैं।

(III) थानाध्यक्षों/मंडल (डिवीजन) अधिकारियों और गश्त लगाने वाले कान्स्टेबलों को संबंधित स्रोतों का प्रयोग करने तथा सूचना एकत्र करने के बारे में ब्रीफ किया जाता है।

विवरण

जब्त किये गये सामानों की सूची

1.	जॉनी वाकर, ब्लेक लेबल"	42 बोतलें (प्रत्येक एक लीटर)
2.	व्हाइट हार्स—	10 बोतलें
3.	देवार्स	5 बोतलें
4.	वाट-69	एक बोतल
5.	बेल्स "12"	एक बोतल
6.	रेम्मी मार्टिन	एक बोतल
7.	कट्टी सार्क	एक बोतल
8.	जानीवाकर, रेड लेबल	एक बोतल (साढ़े चार लीटर)
9.	जानीवाकर, रेड लेबल	दो बोतल (ढाई लीटर)
10.	विभिन्न तरह की स्कॉच व्हिस्की की— बोतलें खाली	162 बोतलें
11.	50 लीटर वाले भारतीय व्हिस्की के तीन बहुत बड़े डिब्बे (केन्स) जिनमें भरी हुई भारतीय व्हिस्की को स्कॉच व्हिस्की में बदल जाना था।	

12.	विभिन्न प्रकार के लेबल।	
13.	सीलिंग कार्क्स	
14.	विभिन्न प्रकार के केमिकल्स और सुगन्धे (फ्लैवर्स)	
15.	पैकिंग मशीन	
16.	जानीवाकर, ब्लेक लेबल—	16 बोतलें
17.	चीवाए रीगल—	5 बोतलें
18.	बैलेन्टाइन	एक बोतल

मध्य प्रदेश को रायसेन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्किट के लिए अनुदान

[हिन्दी]

1373. **श्री राघवजी :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1987 में मध्य प्रदेश के रायसेन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्किट के लिए 4 लाख रुपए की अनुदान राशि मंजूर की थी;

(ख) क्या यह राशि राज्य सरकार को आवंटित कर दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1988-89 में संशोधित अनुदान योजना के अन्तर्गत विदिशा जिले के गुलाबगंज और लाटेरी बाजारों में से प्रत्येक बाजारों के लिए 4 लाख रुपए की अनुदान राशि की मांग की है;

(ङ) क्या इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) मध्य प्रदेश में रायसेन कृषि उपज मण्डी के लिए केन्द्रीय सहायता की 4 लाख रुपये की राशि हेतु 20-7-87 को प्रशासनिक अनुमोदन दे दिया गया था।

(ख) इस राशि के भुगतान के लिए संस्वीकृति पत्र जारी कर दिया गया है। धनराशि राज्य सरकार को आबंटित की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) मध्य प्रदेश (विदिशा जिले) में गुलाबगंज और लाटेरी मंडियों को केन्द्रीय सहायता स्वीकृत करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। कुछेक औपचारिकताएं पूरी न किये जाने के कारण संस्वीकृति जारी नहीं की जा सकी।

पंजाब और जम्मू तथा काश्मीर में आतंकवादी तथा विध्वंसकारी गतिविधि अधिनियम और पी०ए०एस० ए०के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

1374. श्री काशीराम राणा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और काश्मीर में आतंकवादी तथा विध्वंसकारी गतिविधि अधिनियम तथा पी० ए० एस० ए० के अन्तर्गत कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति रिहा किए गए;

(ग) दोनों राज्यों में तनाव और राष्ट्रीय गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए उन अधिनियमों को प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) संबद्ध सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए आवश्यक होने पर राज्य प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम के उपबंध लागू किए जाते है।

असम से विदेशी नागरिकों का पता लगाना

[अनुवाद]

1375. श्री संतोष मोहन देव :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान असम में कितने विदेशियों का पता लगाया गया और कितने वहां से निकाले गये;

(ख) असम में अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 और विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत कितने अधिकरण कार्य कर रहे हैं; और

(ग) इन अधिकरणों द्वारा पिछले छः महीनों के दौरान कितने मामलों की सुनवाई की गई और कितने मामलों में इन्होंने अपना अधिनिर्णय दिया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) 1988 के दौरान 3205 विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाया गया और उन्हें असम से वापस खदेड़ा गया। 1989 के दौरान पता लगाए गए और वापस खदेड़े गए विदेशी राष्ट्रिकों की संख्या 2509 है। इनमें अवैध घोषित किए गए आप्रवासी और नए घुसपैठी सम्मिलित हैं।

(ख) असम सरकार ने अवैध आप्रवासी (न्यायाधिकरणों का निर्धारण) अधिनियम, 1983 के तहत 19 न्यायाधिकरण और विदेशी राष्ट्रीय अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत 12 न्यायाधिकरण स्थापित किए हैं। एक अवैध आप्रवासी (अपील) न्यायाधिकरण भी स्थापित किया गया है।

(ग) जनवरी से जून, 1990 के दौरान अवैध आप्रवासी (निर्धारण) न्यायाधिकरण को

2661 मामले भेजे गये और इस अवधि के दौरान न्यायाधिकरण ने 906 मामले निपटाए। इसी अवधि के दौरान विदेशी नागरिक न्यायाधिकरणों को 2194 मामले भेजे गए और उन्होंने 1397 मामले निपटाए।

समुद्री तूफान से राहत के लिए आंध्र प्रदेश को विदेशी सहायता

1376. **श्री पी० नरसा रेड्डी :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मई में आंध्र प्रदेश में आये भयंकर समुद्री तूफान से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत देने के लिए किसी अन्य देश ने धनराशि दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस राहत कोष को किस प्रकार खर्च किया गया है और किया जा रहा है ?

कृषि संराज्य में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के दूर-संचार नेटवर्क में सुधार

1377. **श्री पी० नरसा रेड्डी :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विशेषकर कश्मीर, पंजाब और असम जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के दूरसंचार नेटवर्क में सुधार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्तर बढ़ाने और मूल-संरचनात्मक सुविधाओं का सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की वास्तविक आवश्यकताओं और आर्थिक कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए, इसके दूरसंचार नेटवर्क का सुधार करने के लिए समय-समय पर राशि स्वीकृत की जाती है।

सड़क विकास को प्राथमिकता

1378. **श्री पी० नरसा रेड्डी :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में सड़क विकास कार्य को प्राथमिकता देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु आन्ध्र प्रदेश को कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्षेत्रवार आबंटनों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए आबंटनों के ब्यौरों की अभी जानकारी नहीं है।

बायो-प्रौद्योगिकी का उपयोग

1379. श्री पी० नरसा रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख फसलों के उच्च उत्पादकता वाले बीजों की विभिन्न किस्में तैयार करने के लिए "बायो प्रौद्योगिकी के उपयोग" में कोई सफलता मिली है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी सफलता मिली है और इसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) टीशू कल्चर के द्वारा चावल की तीन किस्में विकसित की गयी हैं और सोमाक्लोन संबंधी विविधता के द्वारा गन्ने की कुछ किस्में विकसित की गयी हैं। सोमाक्लोन की विविधता से कुछ जल्दी और अधिक पैदावार वाली ब्रेसिका (सरसों) के जैमिटाइप किस्में तैयार की गयी हैं।

कृषि को उद्योग घोषित करने से संबंधित मामले पर विचार करने संबंधी समिति

1380. श्री जे० चोक्का राव :

श्री के० एस० राव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भानु प्रताप समिति, जिसे कृषि को उद्योग घोषित करने से संबंधित मामले पर विचार करने के लिये नियुक्त किया गया था, ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) क्या यह रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जायेगी ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस समिति ने कृषि नीतियों और कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं के बारे में बहुत सी सिफारिशें की हैं, जिसमें वैकल्पिक खाद्य सुरक्षा पद्धति और फार्म उत्पादों का निर्यात शामिल है। इनकी जांच की जा रही है।

(घ) समिति की रिपोर्ट की छपाई करवाई जा रही है। छपी हुई प्रतियां प्राप्त होते ही ये सभी संसद सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाएंगी।

दिल्ली में व्यापारियों के लिए टेलेक्स सुविधा

1381. श्री जे० पी० अग्रवाल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में व्यापारियों को टेलेक्स सुविधा प्राप्त करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) सरकार को इस संबंध में गत एक वर्ष के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपाय करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं। दिल्ली में टेलेक्स कनेक्शन मांग होने पर प्रदान किए जाते हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त उत्तर (क) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

किसानों की जोतभूमि

[हिन्दी]

1382. श्री भोगेन्द्र झा :

क्या कृषि मंत्री किसानों की जोत भूमि के बारे में 12 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4683 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने वर्ष 1985 और 1986 में आयोजित राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में लिये गये निर्णयों को कार्यान्वित कर लिया है और इन निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने भूमि सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में क्या प्रस्ताव रखे थे तथा इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिये गये; और

(ग) संघ राज्य क्षेत्रों तथा राष्ट्रपति शासनाधीन राज्यों में उक्त निर्णयों के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) वर्ष 1985, 1986 और 1988 में आयोजित राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन की सर्वसम्मत राय को आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्यों को प्रेषित किया गया था। तथापि, इस मामले में राज्यों की प्रतिक्रिया आमतौर पर उत्साहजनक नहीं रही है।

(ख) मौजूदा सरकार की कार्रवाई योजना में निहित वचनबद्धता के अनुसरण में, भूमि सुधार के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन और आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को रोकने के लिए कृषि कानूनों में परिवर्तन करने के विस्तृत प्रस्तावों को 11-12 जून, 1990 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में परिचालित किया गया था। इन प्रस्तावों में अन्य मुद्दों के साथ-साथ उपर्युक्त राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में हुई

आम राय की कुछ महत्वपूर्ण मदों को भी शामिल किया गया है। मुख्य मंत्रियों की राय कृषि कानूनों में और परिवर्तन न करने बल्कि मौजूदा कानूनों के बेहतर कार्यान्वयन के पक्ष में थी।

(ग) प्रधान मन्त्री ने राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों को भूमि के बेनामी लेन-देन का पता लगाने की आवश्यकता, आबंटितियों को भूमि का कब्जा देने और ऐसी भूमि पर कब्जा देने के काम में आने वाली रुकावटों को दूर करने तथा भूमि से संबंधित मामलों से निपटने और गरीबों में भूमि का वितरण करने के लिए भूमि न्यायाधिकरण को गठित करने के बारे में एक पत्र लिखा है।

केरल में दूरसंचार विकास हेतु आवंटन

[अनुवाद]

1383. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोई हस्तचालित टेलीफोन एक्सचेंज है;

(ख) यदि नहीं, तो इनमें से अन्तिम टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित एक्सचेंज में कब बदला गया;

(ग) क्या अन्य किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सभी स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केरल में दूरसंचार विकास हेतु सरकार का अगला कार्यक्रम क्या है और इसके लिये कितना आवंटन किया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) मार्च, 1990

(ग) जी, हां। ब्यौरा निम्नानुसार है :—

राज्य :	(1) अरुणाचल प्रदेश	(2) केरल
	(3) मणिपुर	(4) मेघालय
	(5) मिजोरम	(6) सिक्किम
संघ राज्य क्षेत्र :	(1) अंडमान और निकोबार	(5) दीव
	(2) चंडीगढ़	(6) दिल्ली
	(3) दादरा और नगर हवेली	(7) लक्षदीप
	(4) दमण	(8) पांडिचेरी

(घ) नए एक्सचेंज खोलना, मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार करना, ऐसे इलेक्ट्रो-मैकेनिकल उपस्कर को इलेक्ट्रानिक उपस्कर द्वारा बदलना जिसकी कार्य-अवधि समाप्त हो चुकी है और जहां

व्यवहार्य हो एस० टी० डी० प्रदान करना। केरल में दूरसंचार विकास के प्रयोजन से 1990-91 के लिए आरंभ में 174.00 करोड़ रु० आवंटित किए गए हैं।

मानसून मौसम के दौरान मत्स्य नौकाएं चलाने पर रोक

1384. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने पुन: इस वर्ष मानसून मौसम के दौरान मत्स्य नौकाएं चलाने पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) उक्त प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या मत्स्य नौकाएं चलाने पर प्रतिबंध इस बीच उठा लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या परम्परावादी मछुआरों और मत्स्य नौका चालकों के बीच विवाद को सुलझा लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) केरल में समुद्री मात्स्यिकी संसाधन प्रबन्ध के बारे में केरल सरकार द्वारा 1988 में नियुक्त की गयी विशेषज्ञ समिति ने प्रायोगिक तौर पर मानसून के महीनों के दौरान ट्रालिंग किए जाने पर रोक लगाने की सिफारिश की है ताकि तटवर्ती जल में मात्स्यिकी संसाधनों का संरक्षण किया जा सके।

(ग) और (घ) केरल सरकार की दिनांक 21-7-1990 की गजट अधिसूचना के अनुसार मानसून के दौरान ट्रालिंग किए किए जाने पर लगाई गई रोक हटा ली गई है।

(ङ) और (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तार घर

[हिन्दी]

1385. **श्री रेशम लाल जांगड़े :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस समय दूरसंचार मंडल वार कितने डाक घर कार्य कर रहे हैं;

(ख) प्रत्येक मंडल में ऐसे कितने डाक घर हैं जहां "मौसं" सिस्टम हैं;

(ग) रायपुर दूरसंचार मंडल के अंतर्गत उन डाकघरों का ब्यौरा क्या है जहां टेलीफोन प्रणाली है और जो हानि में चल रहे हैं अथवा असन्तोषजनक सेवा दे रहे हैं अथवा बंद पड़े हैं; और

(घ) ऐसे डाकघरों को पुन: चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्ञनेश्वर मिश्र) : (क) मध्य प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्य कर रहे तार घरों के संबंध में डिवीजन वार जानकारी नीचे दी गयी है :—

तार परियात डिवीजन का नाम	क्षेत्रों में तार घर	
	ग्रामीण	शहरी
भोपाल	1146	107
इन्दौर	1852	46
जबलपुर	1919	27
रायपुर	910	20

(ख) मोर्स प्रणाली पर कार्य कर रहे तार घरों की डिवीजन वार जानकारी नीचे दी गयी है :—

तार परियात डिवीजन का नाम	मोर्स प्रणाली पर कार्य कर रहे तार घर
भोपाल	75
इन्दौर	159
जबलपुर	121
रायपुर	76

(ग) फोनोकॉम आधार पर तार सुविधा उपलब्ध कराते हुए लम्बी दूरी के 141 सार्वजनिक टेलीफोन घाटे में चल रहे पाए गए हैं। ये बंद नहीं पड़े हैं लेकिन सामान्यतया संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में दालों और तिलहनों का उत्पादन

1386. श्री रेशम लाल जांगड़े :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि के दौरान, वर्षवार, मध्य प्रदेश में दालों और तिलहनों का कितना उत्पादन हुआ था;

(ख) भूमि के कितने एकड़ क्षेत्रफल में, इन दालों और तिलहनों की खेती की गयी थी;

(ग) देश में प्रति एकड़ उत्पादन की तुलना में यह उत्पादन कहां तक कम या अधिक था;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा दालों और तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि के लिए मध्य प्रदेश सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गयी; और

(ङ) इनके उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) सातवीं योजना, अर्थात् 1985-86 से 1989-90 के दौरान मध्य प्रदेश में दालों और तिलहनों के क्षेत्र और उत्पादन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में दालों और तिलहनों की औसत उत्पादकता की तुलना में अखिल भारतीय आंकड़े इस प्रकार थे :—

	उत्पादकता (किलोग्राम प्रति हेक्टेयर)	
	दालें	तिलहन
मध्य प्रदेश	536	587
अखिल भारत*	548	683

*अनन्तिम

(घ) सातवीं योजना (1985-86 से 1989-90) के दौरान दालों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को निर्मुक्त की गयी राशि संलग्न विवरण-2 में दी गयी है।

(ङ) देश में दालों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

दालें :—

(1) सिंचित कृषि प्रणालियों में दालों की फसलों की खेती करना ताकि दो या दो से ज्यादा बार फसल प्राप्त हो।

(2) गर्मी की दालें ज्यादा इलाके में उगाना तथा उसके लिए सिंचाई का प्रबंध करना और उत्तरी राज्यों में बारी-बारी से गेहूं और जल्दी पैदा होने वाली अरहर की खेती।

(3) चावल की परती भूमि में उड़द, मूंग आदि की अल्प अवधि की किस्में लगाना।

(4) विकसित बीजों जैसे आदानों का ज्यादा उपयोग, पौध रक्षण उपाए करना, फास्फेटिक उर्वरकों और राइजोबियम कल्चर का उपयोग।

(5) सरकार द्वारा मूल्य प्रदर्शन कार्य।

2. उपर्युक्त नीति दो कार्यक्रमों द्वारा समर्थित है; केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम और विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अधीन दालों का केन्द्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम।

3. इसके अतिरिक्त, दालों और तिलहनों के उत्पादन और उत्पादकता में बृहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक मिशन दृष्टिकोण प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अधीन, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में दालों और तिलहनों की हाल में निर्मुक्त किस्मों से मुख्य प्रदर्शन संचालित किए जायेंगे।

तिलहन :—

(1) कृषकों को प्रौद्योगिकी और आदान समर्थन।

(2) फसल की कटाई के तुरन्त बाद कृषकों के लिए लाभकारी मूल्य रखने के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा मूल्य समर्थन कार्य और मंडी हस्तक्षेप।

2. उपर्युक्त नीति के अतिरिक्त, राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना और तिलहन उत्पादन थ्रस्ट परियोजना विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। दोनों परियोजनाओं के अधीन प्रजनक और आधारी बीजों के उत्पादन और संवर्धन, प्रमाणीकृत बीजों को समय पर यथास्थान पहुंचाने, क्षेत्र प्रदर्शनों, पौध रक्षण उपायों, विकसित फार्म उपस्करों की आपूर्ति आदि पर बल दिया गया है।

विवरण

सातवीं योजना अवधि (1985-86 से 1989-90) के दौरान मध्य प्रदेश में दालों और तिलहनों का क्षेत्र और उत्पादन

ए—क्षेत्र लाख हैक्टेयर में

पी—उत्पादन लाख मीटरी टन में)

वर्ष	दालें		तिलहन	
	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
1985-86	51.4	26.1	27.8	14.2
1986-87	47.7	24.9	26.9	12.5
1987-88	47.3	25.3	29.5	16.1
1988-89	47.7	26.8	30.5	22.1
1989-90	45.1	25.0	34.5	22.4

विवरण-2

सातवीं योजना (1985-86 से 1989-90) के दौरान दालों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को निर्मुक्त राशि।

(लाख रुपये में)

वर्ष	दालें			तिलहन		
	आई० पी० डी० पी०/ एन० पी० डी० पी०	एस० एफ० पी० पी० (दालें)	कुल	एन० ओ० डी० पी०	ओ० पी० टी० पी०	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1985-86	52.20	—	52.20	274.32	—	274.32
1986-87	67.75	—	67.75	92.67	—	92.67
1987-88	102.98	—	102.98	141.84	182.65	324.49
1988-89	120.00	62.00	182.00	130.34	255.84	386.18
1989-90	172.50	17.75	190.25	173.35	409.80	583.15
कुल	515.43	79.75	595.18	812.52	848.29	1660.81

आई० पी० डी० पी० — गहन दलहन विकास कार्यक्रम।

एन० पी० डी० पी० — राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम।

एस० एफ० पी० पी० (दालें) — विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम।

एन० ओ० डी० पी० — राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना।

ओ० पी० टी० पी० — तिलहन उत्पादन अस्ट परियोजना।

श्री सी० केशवन पर स्मारक डाक टिकट जारी करना

[अनुवाद]

1387. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक श्री सी० केशवन की स्मृति में एक विशेष डाक टिकट जारी करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) स्मारक/विशेष डाक टिकट जारी करने और ऐसे अन्य मामलों में सरकार को परामर्श देने के लिए विभाग में एक फिलैटलिक सलाहकार समिति कार्यरत है। यह प्रस्ताव इस समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जा रहा है।

बंबई में डाक का घर-घर वितरण

1388. **श्री राम नायक :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंबई में डाकियों द्वारा घर-घर डाक वितरण सेवा खराब हो गयी है और इसके फलस्वरूप डाक पहुंचने में विलम्ब होता है;

(ख) यदि हां, तो डाक विभाग द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार इस कार्य के लिये कितने डाकियों की आवश्यकता है और और तदनुसार डाक-वितरण क्षेत्रवार कितने डाकियों की नियुक्तियां की जानी चाहिए थीं जो नहीं की गयी;

(ग) ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए क्या समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) बंबई शहर का विस्तार उत्तरी बंबई की ओर हो रहा है। नए विकसित उपनगरों में डाक वस्तुओं के वितरण में कुछ विलंब हो सकता है।

(ख) विभागीय मानदंडों के अनुसार, 4606 डाकियों की आवश्यकता है।

(ग) भर्ती एक सतत् प्रक्रिया है। भर्ती होने तक, पद खाली नहीं छोड़े जाते हैं। खाली पदों का काम स्थानापन्न व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।

बीजों का उत्पादन

[हिन्दी]

1389. **श्री यादवेन्द्र दत्त :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किसानों, सहकारी समितियों तथा भारतीय तथा

बहुराष्ट्रीय गैर-सरकारी व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान रबी मौसम की विभिन्न फसलों के बीजों का कितना-कितना उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : बीज उत्पादन के लिए कोई एजेन्सीवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश द्वारा गरीबी निवारण के लिए दी गई धनराशि का उपयोग

[अनुवाद]

1390. श्री यादवेन्द्र दत्त :

क्या कृषि मंत्री कृपा बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश को गरीबी निवारण के लिए वर्ष 1988-89 में दी गयी धनराशि का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिकारियों के प्रयोग के लिए कारों और जीपें खरीदने तथा अधिकारियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार प्रयोग की गयी धनराशि कितनी है और ऐसा किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और उत्तर सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले में एस० टी० डी० सुविधा

[हिन्दी]

1391. श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ और अन्य तहसीलों तथा खंड विकास केन्द्रों में इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(ग) वर्ष 1990 के अन्त तक इस जिले के किन-किन केन्द्रों में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) 1990-91 के दौरान राजगढ़ जिले की नरसिंहपुर और बिओरा तहसील मुख्यालयों में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो। राजगढ़ जिले की अन्य तहसील मुख्यालयों और विकास ब्लॉक केन्द्रों में आठवीं और नौवीं योजना अवधि के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज उत्तरोत्तर रूप से उपलब्ध किए जाने की संभावना है।

(ग) राजगढ़ (जिला मुख्यालय) को 1990-91 के दौरान एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने की योजना बनाई गयी है बशर्ते कि संचारण माध्यम उपलब्ध हो।

विदिशा जिले के सिरान्ज नगर में टेलीग्रामों का साधारण डाक से भेजा जाना

1392. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों से विदिशा जिले के सिरान्ज नगर में टेलीग्राम साधारण डाक से प्राप्त किए जाते हैं और वहां से टेलीप्रिन्टर मशीनें तथा टेलीग्राफ लाइनें हटा दी गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वहां टेलीग्राफ लाइनें तथा टेलीप्रिन्टर मशीनें पुन: कब तक स्थापित कर दी जाएंगी ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं। सिरान्ज नगर को बीना स्थित संयुक्त डाक-तारघर से मोर्स टेलीग्राफ लाइन के जरिए जोड़ा गया है। टेलीप्रिंटरों का कार्यकरण फिलहाल परिवांत आधार पर औचितसम्मत नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में गुना जिले में अनियमितताएं संबंधी शिकायतें

1393. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में गुना जिले के आरोन, राघोगढ़, कुम्बराज, मुकसुदनगढ़ चाचोड़ा, बीनागंज के टेलीफोन उपभोक्ताओं को हो रही कठिनाइयों के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हा। इन स्थानों में टेलीफोनों के कार्य न करने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) इन शिकायतों की ओर यथासंभव तत्परतापूर्वक ध्यान दिया जा रहा है।

भारत में हिन्दी/अंग्रेजी जानने वाले व्यक्ति

[अनुवाद]

1394. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हिन्दी जानने वाले और अंग्रेजी जानने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) विभिन्न राज्यों में कौन-कौन सी राजभाषाएं हैं; और

(ग) यदि किसी राज्य में हिन्दी जानने वाले व्यक्तियों की संख्या अंग्रेजी जानने वाले व्यक्तियों से अधिक है, तो केन्द्रीय सरकार उस गैर-हिन्दी भाषी राज्य से किस भाषा में पत्र-व्यवहार करती है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) देश में हिन्दी और अंग्रेजी जानने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या राज्यवार उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 1981 की जनगणना के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनकी मातृभाषा हिन्दी और अंग्रेजी है, संलग्न विवरण-1 में दी गयी है।

(ख) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की राजभाषाओं के नाम संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ग) किसी राज्य और संघ के बीच पत्र व्यवहार की भाषा विशेष को बोलने वालों की संख्या के आधार पर नहीं किया जाता बल्कि संविधान के अनुच्छेद 346 के उपबन्धों के अन्तर्गत किया जाता है। इस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। तथापि, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (1) में आगे यह उपबंधित है कि संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी।

विवरण-1

1981 की जनगणना के अनुसार भारत/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनकी मातृ भाषा हिन्दी और अंग्रेजी है

क्र०सं०	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1981 की जनगणना के अनुसार व्यक्तियों की संख्या	
		हिंदी	अंग्रेजी
1	2	3	4
	भारत	264,514,117	202,440
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,418,358	11,455
2.	असम		...
3.	बिहार	55,471,663	4,910
4.	गुजरात	746,659	3,581
5.	हरियाणा	11,492,824	675
6.	हिमाचल प्रदेश	3,797,702	475

1	2	3	4
7.	जम्मू और कश्मीर	1,037,116	809
8.	कर्नाटक	694,374	19,818
9.	केरल	16,466	4,649
10.	मध्य प्रदेश	43,807,729	5,677
11.	महाराष्ट्र	4,313,721	103,814
12.	मणिपुर	13,574	196
13.	मेघालय	29,323	495
14.	नागालैण्ड	33,037	429
15.	उड़ीसा	614,274	2,096
16.	पंजाब	2,549,098	1,764
17.	राजस्थान	30,032,409	2,866
18.	सिक्किम	16,987	43
19.	तमिलनाडु	...	...
20.	त्रिपुरा	33,332	120
21.	उत्तर प्रदेश	99,678,891	7,021
22.	पश्चिम बंगाल	3,627,298	21,232
संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	31,341	84
2.	अरुणाचल प्रदेश	32,318	124
3.	चण्डीगढ़	249,721	715
4.	दादरा और नागर हवेली	2,107	38
5.	दिल्ली	4,737,092	5,142
6.	गोवा, दमन व दीव	25,417	3,831
7.	लक्षद्वीप	140	6

1	2	3	4
8.	मिजोरम	9,586	59
9	पाण्डिचेरी	1,560	316

भारत के आंकड़ों में असम और तमिलनाडु के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं। असम में उस समय अशांत वातावरण होने के कारण 1981 की जनगणना नहीं करायी जा सकी थी। तमिलनाडु के आंकड़े इसलिए उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि तमिलनाडु राज्य का "पी" सैम्पल परियोजना का सारा रिकार्ड बाढ़ के कारण नष्ट हो गया था। तथापि, परिवार अनुसूची के माध्यम से एकत्रित, परिवार में मुख्यतः बोली जाने वाली भाषा की जानकारी के आधार पर तमिलनाडु में हिंदी/अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या निम्न प्रकार से है :—

हिन्दी बोलने वालों की संख्या — 111,589

अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या — 27,392

विवरण-2

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज भाषाएं

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की राजभाषा (एं)
1	2	3
राज्य		
1.	आन्ध्र प्रदेश	तेलुगू
2.	असम	असमिया
3.	बिहार	हिंदी
4.	गुजरात	हिंदी और गुजराती
5.	हरियाणा	हिंदी
6.	गोवा	कोंकणी
7.	हिमाचल प्रदेश	हिंदी
8.	जम्मू और कश्मीर	उर्दू
9.	कर्नाटक	कन्नड़
10.	केरल	मलयालम और अंग्रेजी

1	2	3
11.	मध्य प्रदेश	हिंदी
12.	महाराष्ट्र	मराठी
13.	मणिपुर	मणिपुरी
14.	मिजोरम	मिजो
15.	नागालैण्ड	अंग्रेजी
16.	उड़ीसा	उड़िया
17.	पंजाब	पंजाबी
18.	राजस्थान	हिंदी
19.	सिक्किम	नेपाली, भुटिया, लेप्चा और लिम्ब
20.	तमिलनाडु	तमिल
21.	त्रिपुरा	बंगला और काक बड़क
22.	उत्तर प्रदेश	हिंदी
23.	पश्चिम बंगाल	बंगला
संघ राज्यक्षेत्र		
1.	दमन और दीव	कोंकणी
2.	पाण्डिचेरी	तमिल
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	इन संघ राज्यक्षेत्रों में विधान सभाएं नहीं हैं अतः संघ की भाषा नीति के अनुसार शासकीय काम में हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है।
4.	चंडीगढ़	
5.	दादरा और नागर हवेली	
6.	दिल्ली	
7.	लक्षद्वीप	

टिप्पणी 1. राजभाषा के बारे में अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में कोई अधिनियम पारित नहीं किया गया है। यहां शासकीय काम में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है।

2. कई राज्यों ने यह प्रावधान किया है कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। इसके अलावा कुछ राज्यों ने विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने के लिए किसी अन्य भाषा को दूसरी राजभाषा या अतिरिक्त भाषा के रूप में घोषित किया है।

राष्ट्रीय तिलहन विकास कार्यक्रम

[हिन्दी]

1395. श्री संजय लाल :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय तिलहन विकास कार्यक्रम की सफलता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त कार्यक्रम की कमियों को देखते हुए तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने हेतु एक नया कार्यक्रम कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजनाएं 17 महत्वपूर्ण तिलहन उत्पादक राज्यों में 180 जिलों को कवर करती हैं। योजना पूरी सातवीं योजना के दौरान चालू रही। तिलहन उत्पादन थ्रस्ट कार्यक्रम 4 बृहत तिलहन फसलों, यथा, मूंगफली, तोरिया सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1987-88 में प्रारंभ किया गया। तिलहन परियोजना थ्रस्ट कार्यक्रम के अधीन 151 राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना जिलों सहित 17 राज्यों में कुल 250 जिले शामिल किये गये हैं।

इन दो थ्रस्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप तिलहन उत्पादन में निम्नानुसार वृद्धि हुई है :—

वर्ष	तिलहन उत्पादन (मिलियन मीटरी टन)
1986-87	11.27
1987-88	12.65
1988-89	17.89
1989-90	17.16

(अनुमानित)

(ख) और (ग) जुलाई, 1990 से प्रारंभ नया तिलहन उत्पादन कार्यक्रम 18 राज्यों के 282 जिलों में 9 तिलहन फसलों यथा, मूंगफली, तोरिया सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, रामतिल, असली और एरण्डी के विकास के लिए कार्यान्वित जिया जायेगा। परियोजना के विकास संबंधी घटक निम्न होंगे :—

(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रजनन बीजों का उत्पादन।

(2) राष्ट्रीय बीज निगम/भारतीय राज्य फार्म निगम/राज्य बीज निगम/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा आधारी बीजों का उत्पादन।

(3) बीज गांव योजना।

(4) राष्ट्रीय बीज निगम/भारतीय राज्य फार्म निगम/राज्य बीज निगमों द्वारा प्रमाणीकृत बीजों का वितरण।

(5) बीज मिनिकिटों का वितरण।

(6) पौध रक्षण रसायनों का वितरण।

(7) पौध रक्षण उपस्करों की आपूर्ति।

(8) मोबाइल पौध रक्षण स्कवाड।

(9) राज्यों द्वारा प्रदर्शनों का आयोजन।

(10) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मुख्य प्रदर्शन।

(11) उन्नत फार्म उपकरणों का वितरण।

(12) मूंगफली की सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर सेटों का वितरण।

(13) मूंगफली और सोयाबीन के लिए राइजोबियम कल्चर की आपूर्ति।

(14) तोरिया सरसों और मूंगफली के लिए जिप्सम/पाइराइट की आपूर्ति।

1990-91 में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम का कुल परिव्यय 70/- करोड़ रुपये है, जिसे केन्द्रीय और राज्य सरकारें सभी मदों पर 75 : 25 के आधार पर वहन करेंगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रजनक बीज के उत्पादन तथा मुख्य प्रदर्शनों और राज्यों द्वारा आधारी बीज उत्पादन पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी क्योंकि उनके मामले में शत प्रतिशत व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

प्रधान मन्त्री की सोवियत संघ की यात्रा

[अनुवाद]

1396. **श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री 23 जुलाई, 1990 को सोवियत संघ की यात्रा पर गये थे;

(ख) यदि हां, तो सोवियत नेताओं के साथ मुख्य मुद्दों पर हुई बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां। प्रधान मंत्री ने 23 से 26 जुलाई, 90 तक सोवियत संघ की यात्रा की थी।

(ख) से (घ) दोनों पक्षों के बीच परम्परागत सौहार्दता और मित्रता के वातावरण में व्यापक चर्चा हुई थी जिसमें द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार के विषय शामिल थे। कश्मीर के संबंध में सोवियत नेताओं ने भारत की नीति के प्रति "पूर्ण सराहना और समर्थन" व्यक्त किया। इस मौके पर एक संयुक्त वक्तव्य पर, आर्थिक मसलों से सम्बद्ध एक समझौता ज्ञापन तथा एक सूचना करार पर हस्ताक्षर हुए थे। इन दस्तावेजों की प्रतियां क्रमश: विवरण-1, 2 और 3 के रूप में संलग्न हैं।

विवरण-1

भारत-सोवियत वक्तव्य

1. भारत और सोवियत संघ दिल्ली घोषणा के सिद्धांतों के अनुरूप, जो सभी महाद्वीपों के राज्यों और लोगों की आकांक्षाओं को परिलक्षित करती है, नाभिकीय अस्त्रों से और हिंसा से मुक्त संसार के निर्माण के प्रति अपनी पारस्परिक वचन-बद्धता की निष्ठापूर्वक पुन: पुष्टि करते हैं।

2. अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यह विश्वास पैदा होता जा रहा है कि युद्ध राजनीति का साधन नहीं हो सकता, कि सैन्यबल पर भरोसा रखने का अब कोई भविष्य नहीं है और आज के युग की आवश्यकता तर्कबुद्धि के प्रयोग से शांति की स्थापना करना है। राज्यों के बीच की प्रतिद्वन्द्विता का स्थान बातचीत और पारस्परिक क्रिया-कलाप लेता जा रहा है। संसार अब लड़ाई-झगड़े के युग से आगे निकल रहा है।

3. सोवियत-समाजवादी गणतंत्र संघ और अमरीका की बातचीत की एक सर्वाधिक महत्व-पूर्ण उपलब्धि यह रही है कि नाभिकीय निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में जबर्दस्त प्रगति हुई है। इस प्रक्रिया का विस्तार करके अन्य नाभिकीय देशों को भी इसमें शामिल किया ही जाना चाहिए और इसे गहरा किया जाना चाहिए ताकि यह चरणबद्ध ढंग से नाभिकीय अस्त्रों को पूर्णत: समाप्त करने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ सके। नाभिकीय अस्त्रों के समर्थन में किसी भी प्रकार का तर्क स्वीकार्य नहीं। सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच सैद्धान्तिक स्तर पर सामूहिक विनाश के अन्य अस्त्रों को कम करने के जो समझौते हुए हैं उनसे और परंपरागत अस्त्रों के निरस्त्रीकरण की दिशा में जो प्रगति हुई है उससे आपसी सद्भाव और सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह जरूरी है कि इन प्रयासों में सभी देश शामिल हों चाहे वे नाभिकीय अस्त्रों वाले देश हों अथवा नाभिकीय अस्त्र-विहीन देश हों।

4. आज संसार में जो अनुकूल राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं उनसे क्षेत्रीय विवादों और संकटपूर्ण स्थितियों के समाधान के नए-नए मार्ग खुल रहे हैं तथा मानवजाति के समक्ष उपस्थित अन्य अनेक समस्याओं के समाधान के मार्ग भी खुल रहे हैं।

5. आज वक्त का तकाजा यह है कि न्याय और समान अधिकार के सिद्धांतों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की एक नये स्वरूप की संरचना की जाए जिससे ऐसी व्यावहारिक परि-स्थितियां पैदा हों कि सभी लोग सुख और सम्मानपूर्वक जीवन बिता सकें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि संसाधनों को हथियारों के निर्माण में न लगा कर विकास के कार्यों में लगाया जाए। "शांति से उद्भूत लाभ" ही वित्तीय और आर्थिक पुनरुज्जीवीकरण का संतुलनकारी तत्व बन जाना चाहिए। विकास के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिया-कलाप संवर्धित करने में इसकी क्षमता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए।

6. मानवजाति का भविष्य आबादी और पर्यावरण की समस्याओं के समाधान के साथ बहुत करीब से जुड़ा हुआ है और ये समस्यायें अधिकाधिक भीषण होती जा रही हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए तथा पर्यावरण-विषयक नीति-शास्त्र के सिद्धांत विकसित करने के लिए राज्यों के सार्वभौम सहयोग के निमित्त आधारतः एक नया ढांचा तैयार किया जाना चाहिए। ऐसा करने में पर्यावरण तथा विकास के बीच के जीवंत संबंध का तथा न्यायोचित भार डालने के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए।

7. कोई भी एक राज्य अथवा राज्यों का एक वर्ग, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इन समस्याओं से अकेले नहीं निपट सकता। शांति और सुरक्षा-राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक, पर्यावरण-संबंधी और मानवीय के एक व्यापक तंत्र की तलाश अत्यन्त आवश्यक है। इस प्रकार के तंत्र की रचना तभी की जा सकती है जबकि पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण मिलकर प्रयास करें और ऐसा करते समय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रत्येक सदस्य के हित को ध्यान में रखें। यह दूरदर्शी होना चाहिए जिसमें इक्कीसवीं शताब्दी और उससे भी आगे तक की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता हो।

8. यह व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत बहुपक्षीयता के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकती जिसमें इस बात का सुनिश्चय होगा कि राज्यों के बीच के संबंध पूर्णतः लोकतांत्रिक हों तथा उनमें शांति, सुरक्षा तथा सहयोग सुनिश्चित हो और सभी राष्ट्र इसमें पूरी तरह भागीदार हों।

9. इस अन्योन्याश्रित संसार में नियति अलग-अलग नहीं है। एक सामान्य यूरोपीय घर के निर्माण का असर स्पष्टतः शेष संसार पर भी पड़ेगा। शक्ति-संतुलन की राजनीति अब चूंकि पुरानी पड़ चुकी है इसलिए यूरोप में सैनिक गुटों का कोई औचित्य नहीं है और न काल्पनिक खतरों का मुकाबला करने के लिए ही उन्हें रखा जा सकता है। यूरोप तभी सुरक्षित हो सकता है जबकि हमारे नक्षत्र के बाकी सभी क्षेत्र सुरक्षित हों।

10. एशिया महाद्वीप में भी सृजनात्मक प्रवृत्तियां उभर रही हैं। अपनी प्राचीन परम्परा से प्रेरणा लेकर और अपने राजनीतिक अनुभव से सीख लेकर एशिया के राष्ट्र अपने संबंधों को गुणात्मक दृष्टि से नए स्तरों तक ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं ताकि वे प्रगति एवं सुख-समृद्धि को प्राप्त हो सकें।

11. आज की दुनिया में लोकतांत्रिक मानस मुखर होता जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह स्वीकार किया जा रहा है कि आज के हमारे युग की प्रमुख समस्याओं का समाधान बहुपक्षीय सहयोग से ही संभव है। राष्ट्रीय स्तर पर लोग हर जगह अपने मानवाधिकारों पर, मूलभूत स्वतंत्रता पर जोर दे रहे हैं। कानून की प्रमुखता तथा व्यक्ति के और जातीय धार्मिक एवं अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान लोकतंत्र का तकाजा है। उसकी मांग है कि इन्सान की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर तत्काल ध्यान दिया जाए। लेकिन, जातीय और धार्मिक उग्रवाद से, हिंसा और आतंकवाद तथा घृणा के अन्य रूपों से लोकतंत्र को खतरा पैदा हो रहा है। अहिंसा, सामाजिक विविधता में सहिष्णुता, तथा एक न्यायोचित आंतरिक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था किसी भी स्थायी और सभ्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं।

12. राष्ट्रों के बीच और लोगों के बीच सहयोग और भाईचारे का एक नया ताना-बाना बुनने की आज जितनी सम्भावनायें मनुष्य जाति के सम्मुख उपस्थित हैं उतनी इतिहास में उससे पहले कभी नहीं थीं। भारत और सोवियत संघ इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में रचनात्मक और सक्रिय

रूप से योगदान करने के लिए कृत-संकल्प हैं। इस उद्देश्य के लिए वे एशिया में और संसार में शांति और स्थायित्व को संवर्धित करने वाले एक सशक्त घटक के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय मामलों में अपने बहुमुखी पारस्परिक क्रिया-कलाप की सिद्ध क्षमता का पूर्णरूपेण प्रयोग करेंगे।

ह०/-
(विश्वनाथ प्रताप सिंह)
भारत गणराज्य के प्रधानमन्त्री

ह०/-
(एम० गोर्बाचोव)
सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के राष्ट्रपति

मास्को, 23 जुलाई, 1990

विवरण-2

आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर अन्तर-सरकारी भारत-सोवियत संयुक्त आयोग के सह-अध्यक्षों के बीच समझौता ज्ञापन

भारत के प्रधान मन्त्री महामान्य श्री वी०पी० सिंह की 23 जुलाई से 26 जुलाई, 1990 तक सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की सरकारी यात्रा के दौरान अन्तर-सरकारी भारत-सोवियत संयुक्त आयोगों के सह अध्यक्षों की कार्यकारी बैठक 24 जुलाई, 1990 को मास्को में सम्पन्न हुई।

1. दोनों सह-अध्यक्षों ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग में मौजूदा प्रवृत्तियों की समीक्षा की और आपसी लाभ के लिए उनके विकास पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी गौर किया कि सोवियत संघ और भारत दोनों की अर्थ-व्यवस्था और वैदेशिक व्यापार में जो प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तन इस समय किए जा रहे हैं उनमें भारत-सोवियत आर्थिक संबंधों में समंजन की आवश्यकता होगी।

2. उन्होंने संयुक्त आयोग के सभी कार्यकारी दलों को निर्देश दिया कि वे दोनों देशों की अर्थ-व्यवस्थाओं में हो रहे परिवर्तनों पर निकट से निगरानी रखें ताकि भारत-सोवियत आर्थिक संबंधों में आने वाली कठिनाइयों और अवसरों का पता लगाया जा सके और उसके लिए उपचारी कार्रवाई की जा सके।

3. दोनों सह-अध्यक्षों ने भारत-सोवियत आर्थिक संबंधों की मौजूदा व्यवस्था में स्थायित्व पर अपना विश्वास व्यक्त किया जो कि भारत-सोवियत वाणिज्यिक और आर्थिक आदान-प्रदानों के विविधीकरण और उनमें हाल ही के प्रभावी विकास का सुनिश्चय करने में एक सेतु रहा है।

4. सह-अध्यक्षों ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा प्रणाली आपसी रूप से लाभप्रद रही है और आगे भी रहेगी और इसलिए इसे बनाया रखा जाना चाहिए।

इस संदर्भ में दोनों सह-अध्यक्षों ने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों की आयात-निर्यात व्यवस्था में व्यापार के उदारीकरण की मौजूदा प्रवृत्तियों को प्रतिलक्षित किया जाना चाहिए और इस व्यापार में 1986 के बाद से जो गति आई है उसे उसमें बनाए रखने का सुनिश्चय करने के लिए न केवल अतिरिक्त प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए बल्कि उसे भविष्य में गति भी प्रदान की जानी चाहिए।

5. दोनों सह-अध्यक्षों ने निर्देश दिया कि दोनों पक्षों के संगठनों को 1990 की व्यापार योजना के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। वे मौजूदा विकास दर पर व्यापार के भावी विकास का सुनिश्चय करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने पर भी सहमत हुए। उन्होंने इस बात की सिफारिश की कि सोवियत संघ और भारत के बीच 1991-1995 के लिए पण्यों की आपसी आपूर्ति के संबंध में जिस करार पर इस समय बातचीत चल रही है उसमें पण्यों में काफी विविधता होनी चाहिए अधिक से अधिक मात्रा में आदान-प्रदान करने के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए।

6. भारतीय पक्ष ने कहा कि निकट भविष्य में भारत-सोवियत व्यापार का विस्तार मुख्यतः सोवियत संघ से औद्योगिक कच्ची सामग्रियों तथा पण्यों की अधिक आपूर्ति करके ही किया जा सकता है। साथ ही इसने अधिक सोवियत मशीनों तथा उपस्करों की खरीद के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की।

7. दूसरी ओर सोवियत संघ ने यह विचार व्यक्त किया कि मशीनों और उपस्करों में आपसी व्यापार के विकास को ही व्यापार में विविधता और विस्तार का मुख्य आधार बनना चाहिए, विशेषकर भारत और सोवियत संघ में आर्थिक सहयोग की परियोजनाओं के लिए।

दोनों सह-अध्यक्ष इस बात पर सहमत हुए कि नए उभरते हुए क्षेत्रों में अधिक सक्रिय सहयोग को ही भारत-सोवियत व्यापार में गति का मुख्य स्रोत बनना चाहिए। उन्होंने संबंधित संगठनों को निर्देश दिया कि वे उत्पादन सहयोग के विकास की तथा उपभोक्ता वस्तुओं सहित कच्ची सामग्रियों, अर्धनिर्मित और निर्मित उत्पादों की परिधि का विस्तार करने और उनकी आपूर्ति में वृद्धि करने की नई संभावनाओं का पता लगाएं।

सह-अध्यक्षों ने व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, विचार-गोष्ठियों, प्रतिनिधि-मण्डलों के आदान-प्रदान तथा निजी उद्यमियों की यात्राओं के माध्यम से सूचना के तत्पर और निरन्तर प्रवाह के महत्व पर बल दिया। दोनों पक्ष व्यापारियों के लिए सुविधाओं को सुधारने पर भी सहमत हुए जिसमें आर्थिक और वाणिज्यिक आदान-प्रदानों में सक्रिय दोनों देशों की प्रतिष्ठित फर्मों और उपक्रमों के प्रतिनिधियों के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए बैध बहु प्रवेश वीसा देना, आन्तरिक यात्रा के लिए होटल आवास और वीसा की सरल उपलब्धता भी शामिल है।

इस सिलसिले में उन्होंने निर्देश दिया कि मास्को में भारतीय व्यापारिक केन्द्र की स्थापना पर बातचीत शीघ्र पूरी कर ली जानी चाहिए और दिल्ली में सोवियत व्यापारिक केन्द्र की स्थापना के संबंध में इस वर्ष के अन्त तक निर्णय ले लिया जाना चाहिए।

8. दोनों देशों के बीच माल ले जाने के लिए परिवहन व्यवस्था को बढ़ाने के महत्व को स्वीकारते हुए, जो कि हाल ही में व्यापार के विकास में एक गंभीर गतिरोध रहा है, सह-अध्यक्षों ने दोनों पक्षों की संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे एक देश से दूसरे देश के बन्दरगाहों में माल के लदान को गति प्रदान करने के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक उपायों का संयुक्त कार्यक्रम बनाएं।

9. दोनों सह-अध्यक्षों ने इस बात का आकलन किया कि भारत को सोवियत ऋणों ने भारतीय अर्थ-व्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र के विकास में, भारत-सोवियत आर्थिक और वाणिज्यिक विनिमय की क्रियाशीलता और विविधता में और सोवियत संघ को उपभोक्ता वस्तुओं की निरन्तर आपूर्ति का

सुनिश्चय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अत: सोवियत पक्ष ने इस बात की पुष्टि की कि वे भारत में सोवियत परियोजनाओं के लिए आसान शर्तों पर ऋण देते रहेंगे।

10. दोनों सह-अध्यक्ष इस बात पर सहमत हुए कि भारत में सोवियत सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर आपसी वचनबद्धताओं को समय पर पूरा करने की आवश्यकता है। कार्यकारी दल को बिजली, इस्पात और कोयला क्षेत्रों में सभी प्रमुख परियोजनाओं के निर्माण और मशीनरी तथा उपकरणों की डिलीवरी की विस्तृत समय सारणी तैयार करनी चाहिए।

11. संयुक्त उद्यम अथवा उत्पादन सहयोग द्वारा आर्थिक सहयोग के नए रूपों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए सह-अध्यक्षों ने दोनों सरकारों की संबद्ध एजेंसियों को रुपयों में भुगतान करने के जरिए सोवियत संघ में भारत-सोवियत संयुक्त आयोग के रूबल लाभ भारत को मिलने से संबंधित करार को अंतिम रूप देने के निदेश दिए। यह नोट किया गया कि करार का मसौदा सोवियत पक्ष ने पहले ही भारतीय पक्ष को दे दिया है।

दोनों सह-अध्यक्षों ने यह भी निर्णय किया कि भारत में भारत-सोवियत संयुक्त उद्यमों की स्थापना से संबंधित वित्तीय मुद्दों के समाधान के लिए करार पूरा करने का कार्य शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा।

12. दोनों सह-अध्यक्ष इस बात पर सहमत हुए कि सोवियत संघ और भारतीय अर्थ-व्यवस्थाओं में हुए परिवर्तनों को सार्वभौमिक व्यापार और वित्तीय परिस्थितियों में हुए परिवर्तनों के व्यापक संदर्भ में विचार करते हुए भारत-सोवियत व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के दीर्घावधि कार्यक्रम बनाए जाएं। उच्च स्तरीय संयुक्त आयोग, जो पहले से ही इस विषय पर कार्य कर रहा था, को यह कार्य भारत-सोवियत संयुक्त आयोग की आगामी बैठक तक निष्पादित कर देना चाहिए।

13. स्वामित्व के विभिन्न रूपों में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के प्रबंध में भारत के अनुभव और बैंकिंग, बीमा, लेखा और लघु और मझौले उद्योगों में भारत की विशेषज्ञता पर ध्यान आकर्षित किया गया। सह-अध्यक्ष इन क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने पर सहमत हुए।

14. सह-अध्यक्ष आयोग का 13 वां अधिवेशन, अक्तूबर, 1990 में आयोजित करने पर सहमत हुए।

24 जुलाई, 1990 को मास्को में अंग्रेजी में और रूसी भाषाओं में दो मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर हुए।

भारतीय पक्ष की ओर से	सोवियत पक्ष की ओर से
ह०/-	ह०/-
(आई० के० गुजराल)	(एल० ए० बोरोनिन)

विवरण-3

सूचना के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत गणराज्य की सरकार और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की सरकार के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की सरकार ने (जिन्हें इस करार में अन्यत्र पक्षकार कहा गया है),

दोनों पक्षकारों के बीच वर्तमान मैत्री पूर्ण संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता,

दोनों पक्षकारों के बीच मेल-मिलाप को और सुदृढ़ बनाने की इच्छा,

दिनांक 12 फरवरी, 1960 को हस्ताक्षरित संस्कृति, विज्ञान और टेक्नोलोजी के क्षेत्र में सहयोग संबंधी करार के सिलसिले में, सूचना के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ बनाने और इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित करार किया है :

अनुच्छेद-1

पक्षकार, अपने-अपने कानूनों के अनुसार, सूचना के सभी क्षेत्रों में, परस्पर हित में सर्वतोमुखी सहयोग को परिपुष्ट करेंगे और उसे बढ़ावा देंगे तथा प्रत्येक के देश की जीवन-शैली की जानकारी तथा मेल-मिलाप को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे।

अनुच्छेद-2

पक्षकार, अपने देशों की समाचार एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे जिससे सूचना का व्यापक और सहज प्रसार हो सके।

अनुच्छेद-3

पक्षकार, व्यावसायिक रुचि के क्षेत्रों को अध्ययन करने के लिए पत्रकारों के शिष्टमंडलों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देंगे और अपने-अपने देशों के संबद्ध संगठनों के बीच किये जाने वाले अलग-अलग करारों के अधीन अनुभवों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद-4

पक्षकार, परिचयात्मक यात्राओं के प्रयोजन से, सरकार के नियंत्रणाधीन संबद्ध मंत्रालयों और जनसंचार माध्यम संगठनों के प्रतिनिधियों के शिष्टमंडलों का नियमित आधार पर आदान-प्रदान करेंगे और जनसंचार माध्यमों में सहयोग के और क्षेत्रों का पता लगाएंगे।

अनुच्छेद-5

पक्षकार, हर वर्ष प्रतिनिधि मंडलों का आदान-प्रदान करेंगे (जिनमें प्रत्येक पक्ष के 4 प्रतिनिधि होंगे (1 इन प्रतिनिधि मंडलों में पत्रकार और सरकारी सूचना के प्रसार में कार्यरत व्यक्ति शामिल होंगे। इन प्रतिनिधि मंडलों के प्रवास की अवधि 10 दिन तक होगी।

अनुच्छेद-6

पक्षकार, अपने-अपने राष्ट्रीय विधानों के अनुरूप, प्रत्यायित पत्रकारों को अपना काम करने के लिए प्रत्येक के देश में उनकी व्यावसायिक यात्राओं के दौरान सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद-7

पक्षकार, अपने-अपने राष्ट्रीय विधानों के अनुरूप, दोनों देशों के प्रत्यायित संवाददाताओं को पारस्परिक आधार पर सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद-8

पक्षकार, सरकार द्वारा प्रायोजित पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन वितरण और विपणन के संबंध में अनुभवों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देंगे। वे इस प्रयोजन के लिए यात्राओं, छात्रवृत्तियों, अथवा अधिछात्रवृत्तियों के आदान-प्रदान पर भी विचार करेंगे।

अनुच्छेद-9

पक्षकार, दोनों देशों की सरकारी फोटो एजेंसियों के बीच व्यावसायिक अनुभवों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देंगे।

अनुच्छेद-10

पक्षकार, दोनों देशों में पत्रकारिता और जनसंचार के राष्ट्रीय निकायों/संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे।

अनुच्छेद-11

पक्षकार, सूचना के क्षेत्र में और सूचना से संबद्ध टेक्नोलोजी के क्षेत्र में दोनों देशों के परस्पर-सम्मत संबद्ध संगठनों के विशेषज्ञों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे।

अनुच्छेद-12

पक्षकार, परस्पर हितों के विषयों पर सेमिनार, कार्यशालाएं अथवा गोष्ठियां आयोजित करने की संभावनाओं का पता लगाएंगे। इन विषयों में दोनों देशों के संबद्ध संगठनों के बीच परस्पर सम्मत सूचना और जनसंचार के क्षेत्र में नई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का मुद्दा भी शामिल है।

अनुच्छेद-13

पक्षकार, दोनों देशों के प्रसारण और टेलीविजन संगठनों के बीच सहयोग को जारी रखने को बढ़ावा देंगे।

अनुच्छेद-14

पक्षकार, दोनों देशों के फिल्म संगठनों के बीच सहयोग को जारी रखने को बढ़ावा देंगे।

अनुच्छेद-15

पक्षकार, इस करार के ढांचे के अन्दर-अन्दर, समय-समय पर सहयोग के निर्दिष्ट कार्यक्रम तैयार करेंगे और उनके कार्यान्वयन के परिणामों की समीक्षा करेंगे।

दोनों सरकारों के अधिकारियों की एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी और यह समिति इस प्रयोजन के लिए भारत और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ में बारी-बारी वार्षिक आधार पर अपनी बैठक करेगी।

अनुच्छेद-16

पक्षकार, पारस्परिक आधार पर दोनों देशों के संबद्ध संगठनों के बीच परस्पर सहमति से प्रदर्शनियां आयोजित और भाषणों की व्यवस्था करेंगे।

अनुच्छेद-17

पक्षकार, सूचना और जनसंचार के क्षेत्रों में विशिष्ट संस्थाओं और समन्वयकारी निकायों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने की पुष्टि से विचार-विमर्श करेंगे।

अनुच्छेद-18

इस करार के ढांचे के भीतर, कार्मिकों के आदान-प्रदान के संबंध में भेजने वाला पक्षकार अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन व्यय वहन करेगा और स्वागत करने वाला पक्षकार भोजन और निवास, अत्यावश्यक मामलों में पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था (स्वस्थ होने और वापसी तक) तथा स्थानीय परिवहन व्यय वहन करेगा।

अनुच्छेद-19

सूचना सामग्री के आदान-प्रदान के लिए पक्षकारों की समाचार एजेंसियां अलग-अलग करार करेंगी। भेजने वाला संगठन कापीराइट प्राप्त करने और रायल्टी अदा करने, यदि कोई हो, तथा स्वागत करने वाला संगठन सीमा-शुल्क निकासी की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा। ये आदान-प्रदान स्वैच्छिक आधार पर, निःशुल्क किए जाएंगे और सामग्री का उपयोग प्राप्तकर्ता संगठनों के विवेकानुसार किया जायेगा।

वाणिज्यिक किस्म के आदान-प्रदान संबद्ध समाचार एजेंसियों द्वारा अलग-अलग किए जाएंगे।

अनुच्छेद-20

यह करार, इसके प्रभावी होने की तारीख से 5 वर्ष के लिए वैध होगा और जब तक कि कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार को छः महीने पहले लिखित रूप में इस करार को समाप्त करने के अपने आशय की सूचना नहीं दे देता, तब तक प्रत्येक अनुवर्ती पांच (5) वर्ष के लिए स्वतः ही नवीकृत हो जाएगा। इस करार की समाप्ति का पहले से शुरू किए गए कार्यक्रमों और परियोजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस करार में परस्पर सहमति से संशोधित या परिवर्तन किया जा सकता है।

अनुच्छेद-2।

यह करार इस पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से लागू होगा।

मास्को में वर्ष एक हजार नौ सौ नब्बे के जुलाई महीने की तेईस तारीख को हिन्दी, रूसी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में हस्ताक्षरित। तीनों पाठ समान रूप से प्राधिकृत हैं। सन्देह की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

ह०/- ह०/-

भारतीय गणराज्य की सरकार की ओर से

सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की सरकार की ओर से

कीटनाशकों के जहर से होने वाली मौतों के बारे में सूचना देना

1397. **श्रीमती सुभाषिनी अली :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यूनाइटेड किंगडम में कीटनाशकों के जहर से होने वाली मृत्युओं की सूचना देना कानूनी रूप से आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसी प्रकार का विनियमन भारत में भी लागू किया जाता है; और

(ग) क्या सरकार का यूनाइटेड किंगडम के समान भारत में भी नेशनल पायजन्स इन्फार्मेशन सर्विस की स्थापना करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि युनाइटेड किंगडम में कीटनाशकों की विषाक्तता की रिपोर्ट देना एक कानूनी आवश्यकता है अथवा नहीं और यह भी कि उस देश में नेशनल पायजन्स इन्फारमेशन सर्विस स्थापित की गई है अथवा नहीं। इस देश में कीटनाशकों का विनिर्माण, विक्रय और उपयोग कीटनाशक अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के अनुरूप नियंत्रित होता है। कीटनाशकों द्वारा विषाक्तता की रिपोर्ट देना भारत में कथित अधिनियम की धारा 26 के अधीन एक कानूनी आवश्यकता है। राज्य सरकारों ने सूचना मिलने वाली विषाक्तता की सभी घटनाओं की रिपोर्ट देने के लिए पदाधिकारियों को अधिसूचित किया है। भारत में एक राष्ट्रीय विष सूचना सेवा के गठन का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन द्वारा पुरस्कार स्वरूप दिए गए एटलस में भारतीय भू-क्षेत्र को गलत ढंग से दर्शाया जाना

[हिन्दी]

1398. **श्री नन्दलाल मीणा :**

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन ने वर्ष 1988 में, वायर लैस प्लानिंग एण्ड कोऑर्डिनेशन विंग से प्राप्त प्रविष्टियों पर अन्य पुरस्कारों के साथ एक एटलस भी दी थी, जिसमें भारत का कुछ भू-क्षेत्र पाकिस्तान में दर्शाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सम्बन्धित प्रकाशक/संगठन के और इस यूनियन के अधिकारियों से इस सम्बन्ध में अपना विरोध प्रकट किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चूंकि संदर्भाधीन एटलस आई० टी० यू० का प्रकाशन नहीं था, अतः इस मामले को उस संगठन के साथ नहीं उठाया गया। तथापि, एटलस में भारत के गलत चित्रण की ओर प्रकाशक यानी आर० सी० ए० क्लोबल कम्यूनिकेशन का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है।

"एमनेस्टी इंडिक्ट्स इंडिया आन डिटेंशन" शीर्षक समाचार

[अनुवाद]

1399. **श्री कमलनाथ :**

श्रीमती उमा गजपति राजू :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जुलाई, 1990 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "एम्नेस्टी इंडिक्ट्स इंडिया आन डिटेंशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें अन्य बातों के अलावा वर्ष 1990 की एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि भारत में कई हजार आत्मा की आवाज को कहने वाले राजनीतिक बन्दियों को बिना किसी अभियोग अथवा मुकदमे के आतंकवादी विरोधी अथवा नजरबंदी विरोधी कानून के अन्तर्गत पकड़ा गया; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री इंद्रकुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) मानवाधिकारों के सम्बन्ध में भारत का अत्यन्त विश्वसनीय रिकार्ड रहा है किन्तु एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सही और सन्तुलित तस्वीर प्रस्तुत नहीं करती। इस रिपोर्ट में एक बुनियादी खामी यह है कि इसमें आतंकवाद और आतंकवादियों द्वारा किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन पर वस्तुतः ध्यान नहीं दिया हैं इसमें "राजनैतिक बन्दियों" तथा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नजरबन्द लोगों के बीच भी कोई भेद नहीं किया है। नजरबंद लोगों के सम्बन्ध में रिपोर्ट में ट्रिब्यूनलों द्वारा उन्हें प्राप्त संरक्षणों का कोई उल्लेख नहीं है। एमनेस्टी की रिपोर्ट में आमतौर से राजनैतिक और न्यायिक रूपरेखा का कोई उल्लेख नहीं है जो भारत के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध है।

बंगलादेश और पाकिस्तान से घुसपैठ कर आए छात्रों का प्रवेश

1400. **श्री शंकरसिंह बघेला :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान और बंगलादेश से घुसपैठ कर आये छात्रों को देश की शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश की सुविधा है अथवा प्रवेश केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है; और

(ख) क्या विद्यालय के अधिकारी प्रवेश हेतु आवेदन पत्रों में नागरिकता सम्बन्धी दावों की जांच करता है और जांच कैसे की जाती है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) बंगलादेश के राष्ट्रिकों द्वारा घुसपैठ करके भारत में आने के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने स्कूल प्राधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं कि वे घुसपैठ करने वाले छात्रों द्वारा धोखे से दाखिला लेने के मामलों को रोकने तथा इस दिशा में विशेष ध्यान देने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के बारे में ऐसी कोई समस्या ध्यान में नहीं आई है।

"आर्गेनाइजेशन आफ इस्लामिक कांफ्रेंस" की बैठक की सूची में कश्मीर के मामले को शामिल करना

1401. **डा० सी० सिलवेरा :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 30 जुलाई, 1990 को काहिरा में हुई "आर्गेनाइजेशन आफ इस्लामिक कांफ्रेंस" के विदेश मंत्रियों की बैठक की कार्य सूची में कश्मीर के मामले को शामिल करने में पाकिस्तान सफल हो गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन देशों के साथ उक्त मामले को उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मामले पर इन देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) 31 जुलाई से 5 अगस्त, 1990 तक "आर्गेनाइजेशन आफ इस्लामिक कांफ्रेंस" के मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों की 19वीं बैठक की कार्य-सूची में कश्मीर का मुद्दा शामिल किया गया था।

(ख) और (ग) 6 अगस्त, 1990 को एक सरकारी प्रवक्ता के बयान में यह कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनावों का मुख्य कारण भारत के अन्दरूनी मामलों में पाकिस्तान की दखलन्दाजी है जिसमें सीमा पार से आतंकवादियों को भेजना तथा तोड़-फोड़ की गतिविधियों में उन्हें प्रोत्साहन शामिल है। हम पूरी तरह से इस बात के कायल हैं कि इन तनावों को केवल द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा ही सफलतापूर्वक दूर किया जा सकता है और इस मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने के पाकिस्तान के प्रयासों से सफलता नहीं मिलेगी। वास्तव में "आर्गेनाइजेशन आफ इस्लामिक कान्फ्रेंस" में कश्मीर के मसले को उठाना शिमला समझौते का उल्लंघन है जिसमें यह कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मतभेदों को शान्तिपूर्ण और द्विपक्षीय

तरीके से सुलझाया जाएगा। हमने "आर्गेनाइजेशन आफ इस्लामिक कांफ्रेंस" के सदस्य देशों के साथ-साथ अपने सभी मित्र देशों को स्थिति स्पष्ट कर दी है और अब उन्हें इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि कश्मीर कोई धार्मिक मामला नहीं है और चूंकि धार्मिक नहीं है, इसलिए इस्लामिक भी नहीं है और इसे किसी भी तरीके से अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने से इस समय चल रही द्विपक्षीय प्रक्रिया में कोई मदद नहीं मिलेगी।

"टॉपिक ट्रेनिंग प्रोग्राम"

1402. **डा० असीम बाला :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० सी० डी० सी०—2/3 परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यान्वित किये गये और विश्व बैंक और इटरनेशनल डवलपमेंट एजेंसी द्वारा सहायता प्राप्त "टॉपिक ट्रेनिंग प्रोग्राम" ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर ली है;

(ख) यदि हां, तो "टॉपिक ट्रेनिंग प्रोग्राम" राज्यों में विभिन्न सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा चलाये जा रहे अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों से किस रूप में भिन्न हैं;

(ग) क्या अपर्याप्त वित्तीय स्रोतों/सहायता को व्यय करके नयी/अतिरिक्त आधारभूत मूल सुविधाएं जुटाने के बजाये वर्तमान सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस परियोजना की अवधि पूरी होने पर ऐसी गतिविधियों को बंद करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) "टॉपिक प्रशिक्षण कार्यक्रम" का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अधीन सृजित भंडारण क्षमता के कुशल उपयोग के लिए कारीगरी और तकनीकों की उन्नति करना है और इसने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है।

(ग) सरकार का प्रस्ताव विद्यमान सहकारी प्रशिक्षण संस्थाओं को सुदृढ़ करने का भी है। लेकिन "टॉपिक प्रशिक्षण कार्यक्रम" को अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी परियोजना के अधीन सृजित भंडारण क्षमता के कुशल प्रबंध के लिए कारीगरी और तनकीकों के विकास हेतु आवश्यक माना जाता है।

(घ) और (ङ) इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की वचनबद्धता इस समय 30-6-1991 तक है, जिसके बाद इसे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित कर दिया जायेगा।

श्रीलंका में शरणार्थी शिविरों का संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यवेक्षण

1403. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने श्रीलंका में तमिलों के लिए स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित शरणार्थी शिविरों का संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यवेक्षण किये जाने की मांग की है;

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ से इस संबंध में कोई सिफारिश/अनुरोध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या श्रीलंका में तमिलों के लिये शरणार्थी शिविरों की स्थापना करने का अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ङ) अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों की देखरेख में श्रीलंका में ही शरणार्थी शिविर स्थापित करने का विचार श्रीलंका के संसदीय प्रतिनिधिमंडल की हाल की भारत यात्रा के दौरान रखा गया था। सरकार इस विचार का समर्थन करती है। इस प्रकार के शिविर अभी स्थापित नहीं किये गये हैं।

पंजाब में सहकारी गोदाम

1404. **बाबा सुच्चा सिंह :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब भांडागार निगम, पंजाब मार्कफैड या किसी अन्य एजेंसी द्वारा वर्ष 1989-90 के दौरान पंजाब में नए गोदामों की स्थापना के लिए कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) पंजाब में प्राथमिक सहकारी समितियों के पास भंडारण क्षमता कितनी है तथा उसका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है;

(ग) प्राथमिक सहकारी समितियों के गोदामों के किराये के रूप में पंजाब मार्कफैड पर कितनी धनराशि बकाया है तथा इसके भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) बकाया राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा; और

(ङ) किसानों के लिए गोदामों के निर्माण हेतु कितनी नई परियोजनाएं प्रारम्भ की गई हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

[हिन्दी]

1405. **सरदार अतिन्दर पाल सिंह :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य सरकार को 1 जनवरी, 1987 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान, पुलिस द्वारा रुपया-पैसा लूटे जाने तथा भ्रष्टाचार किये जाने की जिले-वार और वर्ष-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) इनमें से कुल कितने मामलों में कार्यवाही की गई और तत्सम्बन्धी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध राज्य सरकार को प्राप्त शिकायतों से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय संगठनों द्वारा संकलित नहीं किये जाते हैं। पुलिस के विरुद्ध और उससे संबंधित अन्य मामले प्राथमिक रूप से राज्य सरकार के क्षेत्र में आते हैं, जो संविधान की सातवीं सूची की प्रविष्टियां नं० 1 (लोक व्यवस्था) तथा सूची-II राज्य सूची, 2 (पुलिस) के अनुसार संविधान के प्रावधानों के तहत कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। पुलिस के विरुद्ध विशिष्ट शिकायतों की न्यायालयों और राज्य सरकारों द्वारा उचित रूप से जांच की जाती है।

रोजगार गारंटी योजना

1406. श्री दिलीप सिंह भूरिया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस वर्ष से रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में इस रोजगार गारंटी को शुरू किया जा रहा है; और

(ग) इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) से (ग) जैसी कि वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 1990-91 के अपने बजट भाषण में घोषणा की गई थी, देश के चुनिन्दा क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम को शुरू करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

कीटनाशक विषाक्तता

[अनुवाद]

1407. श्री भवानी शंकर होटा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एल्यूमिनियम फासफाइड, जिससे कीटनाशक विषाक्त बना देता है और जिससे मृत्यु हो जाती है बेचने के लिए निर्माताओं, फुटकर विक्रेताओं और सरकारी एजेंटों को जिम्मेदार ठहराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कीटनाशक विषाक्तता को सारे देश में एक अध्यादेश के जरिये सूचनीय घोषित कर दिया जाये ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन गठित पंजीकरण समिति ने देश में अल्युमिनियम फास्फाइड के उपयोग पर पहले ही प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इसे केवल (1) सहकारी विभागों, (2) सरकारी उपक्रमों, (3) भाण्डागार निगम और भारतीय खाद्य निगम जैसे संगठनों को बेचा जा सकता है। अल्युमिनियम फास्फाइड का उपयोग केवल विशेषज्ञों के पर्यवेक्षण में या उन कीट नियंत्रण कार्यकर्त्ताओं द्वारा किया जा सकता है, जिनकी सुविज्ञता को भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। अल्युमिनियम फास्फाइड की अन्य सभी बिक्रियां, चाहे वह विनिर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं, सरकारी एजेंटों द्वारा या अन्य किसी निकाय द्वारा हों, कानून के अधीन पहले से ही निषेध है। इस उल्लंघन के लिए आगे और जिम्मेदारी निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि पहले ही इसका प्रावधान है और राज्य सरकारों के अधीन अधिसूचित पदाधिकारियों को इसे लागू करने का काम सौंपा गया है।

(ग) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 26 के अधीन राज्य सरकारों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन कीटनाशियों से विषाक्तता होने की सभी घटनाओं की सूचना देने के लिए अपने अधिकारियों को अधिसूचित करें। अधिकतर राज्य सरकारों ने पहले ही ऐसे अधिकारियों को अधिसूचित कर दिया है।

बाल अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का अनुसमर्थन

1408. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल कल्याण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का अनुसमर्थन करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) जी, हां। बाल अधिकार अभिसमय के अनुसमर्थन के प्रश्न पर भारत सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

राजस्थान सरकार को इसके रक्षीदल का उपयोग करने के संबंध में भुगतान

1409. **श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कहने पर राजस्थान सशस्त्र रक्षीदल की एक बटालियन को 1979 से 1985 तक असम में आन्दोलन के दौरान तैनात किया गया था जिसका व्यय लगभग 1.5 करोड़ रुपये है और जिसका भुगतान अभी किया जाना शेष है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्तिम भुगतान कब तक किया जायेगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) असम में 1979—85 की अवधि के दौरान आन्तरिक सुरक्षा कार्यों के लिए एक आर० ए० पी० की बटालियन तैनात की गयी थी। एक राज्य की पुलिस बटालियनों को दूसरे राज्य में तैनात करने संबंधी व्यय का वहन तैनातगी के लिए मांग करने वाले राज्य को करना पड़ता है। असम सरकार के अनुसार, इस अवधि के दौरान असम में आर० ए० सी० की बटालियन तैनात किए जाने के लिए राजस्थान सरकार को देय राशि 1,26,33,355 रुपये है। इस राशि का शीघ्र भुगतान करने के लिए असम सरकार द्वारा प्रयत्न किए जा रहे है।

विदेश—यात्राओं पर खर्च

1410. **श्रीमती उमा गजपति राजू :**

श्री बी० एन० रेड्डी :

श्री माधवराव सिंधिया :

प्रो० सैफुद्दीन सोज :

श्री नन्द लाल मीणा :

श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

श्री बसई चौधरी :

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 15 दिसम्बर, 1989 से 15 जुलाई, 1990 की अवधि के दौरान, मंत्रालयवार विभिन्न मंत्रियों द्वारा उनके विदेश यात्राओं पर किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए किये गये उपाय

1411. **श्री मनोरंजन भक्त :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्रों सहित, पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक विकास के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) उत्तर पूर्वी राज्यों के आर्थिक विकास के लिए राज्य योजना, उत्तर पूर्वी परिषद, केन्द्रीय योजना, असम के पहाड़ी

क्षेत्र का विकास, विशेष संघटक योजना, जन-जातीय उपयोजना आदि के तहत फंड निर्धारित किए गए हैं। उत्तर पूर्वी परिषद तथा राज्यों को राज्य योजनाओं के लिए निर्धारित फंड संलग्न विवरण में दिये गये हैं : उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कोई संघ शासित क्षेत्र नहीं हैं।

विवरण

उत्तर पूर्वी राज्यों और उ०पू० परिषद के लिए योजना निर्धारण

राज्य का नाम	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
		(रु० करोड़ों में)		
उत्तर पूर्वी परिषद	165	185	215	202
असम	575	610	635	675
अरूणाचल प्रदेश	110	126	159	183
मणिपुर	105	122.5	142	170
मिजोरम	70	85	102	125
मेघालय	110	130	150	175
नागालैण्ड	94	110	132	145
त्रिपुरा	122	144	167	200
सिक्किम	57	63	71	76

निरमली और वीरपुर होते हुए दरभंगा से फोरबिसगंज तक सड़क का निर्माण

[हिन्दी]

1412. **श्री सूर्य नारायण यादव :**

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरमली और वीरपुर होते हुए दरभंगा से फोरबिसगंज तक की सीमावर्ती सड़क के निर्माण को वर्ष 1962 में मंजूरी दी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो इस सड़क के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान रक्षा बजट के अन्तर्गत आवंटित 1500 करोड़ रुपए की राशि केन्द्रीय सरकार को वापस कर दी गयी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के०पी० उन्नीकृष्णन्) : (क) जी, नहीं। हमारे रेकार्ड के अनुसार ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी गयी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की वैधता

[अनुवाद]

1413. **श्री वामनराव महाडीक :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ नगरों में प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र तीन महीने तक के लिए जारी किया जा रहा है जबकि कुछ अन्य शहरों में ऐसा प्रमाण पत्र लम्बी अवधि तक के लिए जारी किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गयी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्) : (क) से (ग) कुछ राज्यों के परिवहन विभाग के प्रवर्तन प्राधिकारियों ने, प्रदूषण-नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन के अंग के रूप में; वाहन मालिकों की सुविधा के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कि धुंए के स्तर को निर्धारित मानकों के भीतर रखा जाए विनिर्दिष्ट अंतरालों पर वाहनों की जांच करवा सकें। "प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र" के लिए वैधता-अवधि, तथा अधिकृत एजेंसियों द्वारा इस प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में एक रूपता लाने के उद्देश्य से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के संगत उपबंधों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की समीक्षा समिति के विचाराधीन रहा है।

12.00 मध्याह्न

कुवैत में भारतीयों की स्थिति के बारे में

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आप यह जानते हैं कि इस सभा के कुछ माननीय सदस्यों—

मुझे बताया गया है— ने अनशन शुरू कर दिया है। मेरे विचार में इसका कारण कुवैत तथा अन्य स्थानों पर हमारे देशवासियों की बुरी दशा है। मैं पूरी सभा की भावनायें यह कहकर व्यक्त करता हूं कि मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे सभा में वापस आ जायें। यह सभा चर्चा करने तथा निर्णय लेने के लिए है। मेरे विचार में उन्हें सभा में वापस आना चाहिए और उन मुद्दों को उठाना चाहिए। मैं उनसे फिर निवेदन करता हूं कि वे वापस आकर सभा की कार्यवाही में भाग लें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : फैलीरो साहब, आपने मुझे बताया है कि आप वहां गये थे। वहां के बारे में आप मुझे बताइये।

(व्यवधान)

श्री एड्आर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : महोदय, अनशन और धरना बिलकुल न्यायोचित है। पिछले रविवार को मैं जोर्डन में अम्मान में था और मैं भारतीय नागरिकों के प्रथम दल से मिला जिन्होंने कुवैत छोड़ दिया था। संक्षेप में मैं यह कहूंगा कि यह सरकार दो पहलुओं पर बुरी तरह असफल हुई है, यानि, उन भारतीय नागरिकों, जो कुवैत छोड़ना चाहते हैं, को पर्याप्त यातायात उपलब्ध कराना तथा सूचना तन्त्र का असफल होना। हवाई जहाज द्वारा वापस आना मुश्किल है। कुवैत हवाई अड्डे को बन्द कर दिया गया है। कुवैत में आने और वहां से बाहर जाने के लिए किसी भी उड़ान को अनुमति नहीं है। इसलिए, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। फिलहाल एक भारतीय जहाज कुवैत में लदान पर है। इसका प्रयोग उन भारतीय नागरिकों के यातायात के लिए किया जा सकता है जो वापस आना चाहते हैं समुद्र के रास्ते वापस आ सकते हैं।

दूसरे, सूचना तन्त्र बिलकुल फेल हो गया है। केरल, गोवा तथा अन्य राज्यों में कुछ कक्ष स्थापित किए गए हैं। ये कक्ष पूर्णतया निष्प्रभावी हैं। अब तक एक भी व्यक्ति के बारे में सूचना नहीं मिल सकी है। इसलिए सूचना व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना होगा। फिलहाल कुवैत और दिल्ली एक टेलीफोन सेवा से जुड़े हैं और दिल्ली तथा बगदाद के बीच कई टेलीफोन सेवायें है। सरकार को इन टेलीफोन सेवाओं के माध्यम से सूचना प्राप्त करनी चाहिए जो फिलहाल शून्य है। कृपया इस सम्बन्ध में कुछ कीजिए और इस सम्बन्ध में उठाए गए कदमों की जानकारी सभा को दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में लगभग पूरी सभा इस मुद्दे को उठाना चाहती है। पुजारी जी।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : महोदय, पश्चिम तट के लोग, और विशेषतौर पर मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग इस मामले को लेकर उत्तेजित हैं। वास्तव में मुझे दिनरात ये शिकायतें मिल रही हैं कि उन्हें कोई सूचना नहीं मिल रही है। यह कहा गया है कि केरल में भी उन लोगों के पते ठिकाने की कोई सूचना नहीं मिल पा रही है जो वहां असहाय हैं। कतई कोई सम्पर्क नहीं है विशेषतौर पर जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र मंगलौर का सम्बन्ध है। उनके बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। हमारे राज्य से एक आवेदन आया है जिसमें कहा गया है कि वहां भी उन्हें विद्यालयों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। उनके बच्चों की शिक्षा कुवैत में तथा यहां भी प्रभावित हो रही है। केन्द्र सरकार को सभी राज्य सरकारों को निर्देश देना चाहिए कि जहां कहीं ऐसे बच्चों के मातापिता विद्यालयों में

प्रवेश के लिए आयें तो उन्हें प्रवेश दिया जाना चाहिए ताकि इन बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो। सरकार इस स्थिति से निपटने में बिलकुल असफल हुई है तथा सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं है। हमें उनकी कार्य योजना की जानकारी मिलनी चाहिए। संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों का सामना नहीं कर सकते। कई संसद सदस्य इस मामले पर उत्तेजित हैं और वे धरने पर बैठे हैं। यह सभा भी इस विषय पर अपनी चिन्ता व्यक्त करती है। वे आ सकते हैं और, जैसाकि आपने ठीक कहा है, अपना मामला यहां रख सकते हैं। जहां तक इस पहलू का सम्बन्ध है, हमें इस देश के लोगों की चिन्ता में भागीदार बनना होगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, आपने जो टिप्पणी की है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। केरल के सभी संसद सदस्य अनशन पर हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे यहां आने और सभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए निवेदन कर चुका हूं। इस बारे में पूरी सभा चिन्तित है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। केरल के सभी संसद सदस्य अनशन पर हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह केरल का मामला नहीं है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं यही बात कह रहा हूं। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। दो लाख से अधिक भारतीय वहां असहाय पड़े हैं। हमें विभिन्न स्रोतों से सूचना मिली है कि उनमें से आधे तत्काल वापस आना चाहते हैं। वे अपनी स्त्रियों और बच्चों को भारत भेजना चाहते हैं। वहां कुछ वृद्ध लोग भी हैं; वे वापस आना चाहते हैं। बेशक, उनमें से कुछ वहां रहना चाहते है। परन्तु सरकार द्वारा कुछ नहीं किया गया है। हमारी यह शिकायत है। हम उन पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, परन्तु हम यह निष्क्रियता सहन नहीं कर सकते।

कल मैं केरल में था। मैं वहां केवल एक दिन के लिए गया था। एक दिन में कुछ दो हजार लोग मेरे पास आये। उन सभी ने अपने पते दिए। मैं उन्हें यहां लेकर आया हूं। मैं वे सभी पते लाकर आपको दिखाऊंगा। केरल में यह भय व्याप्त है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि कुछ कार्यवाही करे। अन्य सभी सरकारें कार्यवाही कर रही हैं। बंगलादेश अपने लोगों को लाने की कोशिश कर रहा है। सोवियत संघ अपने लोगों को लाने की कोशिश कर रहा है। हम श्रीलंका में अपने भाईयों के बारे में बहुत चिन्तित थे। आप कुवैत में भारतीय नागरिकों के बारे में चिन्तित क्यों नहीं हैं? श्री उन्नीकृष्णन केरलवासी हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह एक भारतीय भी है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं आशा करता हूं कि वह इस मामले में कुछ सहयोग करेंगे और वह सरकार पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे।

महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं। इराक एक मित्र देश है। श्री सद्दाम हुसैन भारत के दोस्त हैं। प्रधान मंत्री सद्दाम हुसैन से बात कर सकते हैं और हम भारतीयों को जहाजों, हवाई जहाजों और किराये की उड़ानों से वापस भेजने के लिए समझौते की अनौपचारिकतायें तैयार कर

[प्रो० पी० जे० कुरियन]

लेंगे। आप इस उद्देश्य हेतु ए-320 हवाई जहाजों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते ? चाहे आप कुछ भी करें, कृपया इन भारतीयों को बचाने के लिए कुछ करें।

मैं अनशन पर हूं; केरल के सभी सांसद अनशन पर हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अनशन पर क्यों रहे ? आपको सभा में आना चाहिए। पूरी सभा चिन्तित है। आपकी तरह ही सभा भी नहीं चाहती कि वे अनशन पर रहें।

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह वहां असहाय फंसे भारतीयों, जिनका जीवन खतरे में है, के साथ हमारी एकजुटता प्रदर्शित करने तथा सरकार की निष्क्रियता का विरोध करने तथा उन्हें तत्काल सक्रिय बनाने के लिए है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उन्हें कार्यवाही करने हेतु निर्देश देने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : श्री अडवाणी। हमें सभी दलों के नेताओं की बात सुननी चाहिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मैं आपकी अनुमति से अन्य सांसदों, जो अनशन पर हैं, में शामिल होने जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता और सभा भी नहीं चाहती की आप अनशन पर रहें। आपको यहां होना चाहिए। सभा चाहती है कि आप अपना अनशन तोड़ें और सभा में आयें।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : मैं समझता हूं कि यह विषय ऐसा है जिसके बारे में सभी लोग चिन्तित हैं। कभी-कभी सरकार में बैठे हुए लोग या हम भी प्रश्न के आकार को देखकर के या कठिनाइयों को देखकर के सहज रूप से ले लेते हैं, व्यक्तिगत रूप से जिन-जिन परिवारों से हमारा सम्बन्ध आता है कि जिनके कोई भी रिश्तेदार वहां पर हैं, एक भी हैं तो उनको कितनी परेशानी है और वह एक-एक घंटे यह अपेक्षा करते हैं कि अब कुछ समाचार सरकार से हमें मिलेगा, कुछ जानकारी हमें सरकार से मिलेगी।

अभी तक जितने समाचार अखबारों में छपते रहे हैं उनका कुल मिलाकर सार मैं अगर सरकार के सामने रखना चाहूं तो वह सार यह है कि जहां बाकि देश बहुत चिन्तित हैं अपने राष्ट्रीय लोगों के लिए, अपने नैशनल्स के लिए, हमारी ओर से जितनी चिन्ता होनी चाहिए वह उतनी दिखाई नहीं देती है।

मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि आज से तीन दिन पहले मेरे पास मद्रास से कुछ सज्जन आये जिन्होंने कहा कि कुवैत में जो पहले से हैं या जो इराक में पहले से हैं, ऐसे डेढ़-पौने दो लाख भारतीयों का प्रश्न तो एक तरफ है, वह बड़ा सवाल है कि उनको कैसे लायेंगे, लेकिन जो ब्रिटिश एयरलाइंस के हवाई जहाज में बैठकर लंदन से मद्रास आ रहे थे और उनका जहाज कुवैत में लैंड कर गया, वहां पर फंस गया, ऐसे 120 लोगों का क्या हुआ ? उनके बारे में क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी हमें मिल जाये तो बहुत बड़ी बात होगी।

मैंने विदेश मंत्रालय से सम्पर्क किया और मुझे विदेश मंत्रालय के सचिव ने बताया कि हमारी

तरफ से कोशिश है कि जो पहले-पहले जहाज आयेंगे उनमें हम इन लोगों को ले आयेंगे। लेकिन मैं चाहता था कि इस बात की जानकारी सार्वजनिक रूप से विदेश मंत्रालय की तरफ से पहले प्रसारित की जायेगी कि हम पहले इनको प्राथमिकता देंगे जो अनायास वहां पर फंस गये हैं। हो सकता है इससे उन लोगों को मद्रास से चलकर यहां नहीं आना पड़ता।

मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस मामले को, जानकारी देने के मामले को अपनी पहली जवाबदारी समझे और दूसरी जवाबदारी यह समझे कि जितने लोगों को हम वहां से निकाल सकें, जितनी ताकत हमको लगानी पड़े, जितने हवाई जहाज लगाने पड़ें, वह लगाने चाहिएं। इस मामले में जरा सी भी ढील उचित नहीं होगी और देश को इस बारे में आश्वस्त करने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि जब तक यह स्थिति चलती है, संसद का अधिवेशन है तो प्रतिदिन संसद को सूचना दे कि आज हमने इस मामले में यह प्रगति की है बिना किसी की भी जानकारी के।

[अनुवाद]

श्री सफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, हमने हाल ही में भी कुवैत में हो रही गतिविधियों के बारे में तथा वहां असहाय पड़े भारतीयों को वापस लाने हेतु आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता पर हमने चिन्ता व्यक्त की थी। जिस तरह की निष्क्रियता और अकर्मण्यता आज दिखाई देती है वैसा हमने नहीं चाहा था। जो कुछ आडवाणी जी ने कहा है मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं। इस मामले में पहल करने में हमें थोड़ी देरी हो गयी है। यद्यपि बाद में विदेश मन्त्री सोवियत संघ तथा अमरीका भी गये हैं। वह कुछ अरब देशों की यात्रा भी करेंगे। और एक अन्य मंत्री, श्री आरिफ मोहम्मद खान भी अम्मान तथा कुछ अन्य स्थानों पर गये हैं। अतः कुछ पहल की गयी है परन्तु जैसाकि श्री आडवाणी जी ने कहा है और मैं इस बात का पूर्ण समर्थन करता हूं—इस सभा में दिन प्रतिदिन की रिपोर्ट होनी चाहिए क्योंकि जो लोग कुवैत में तथा अन्य अरब देशों में रह रहे लोगों से सम्बन्धित हैं वे चिन्तित हैं और उनकी भावनाओं की गहराई को हम नहीं समझ सकते।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इराक द्वारा कुवैत को हड़पे जाने के सम्बन्ध में हमें कड़ा रुख अपनाना होगा। इस पर हमारी क्या प्रतिक्रिया है? फिर अमरीका द्वारा सऊदी अरब में अपनी सेना भेजने तथा तैनात करने के बारे में हमारी क्या प्रतिक्रिया है। इराक ने अपनी सेना की वापसी को इजराइल द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र को खाली कराने से जोड़ दिया है।

अब इस सब ने एक नया मोड़ ले लिया है गुट निरपेक्ष आन्दोलन के नेता के रूप में हमारा रुख क्या है, मैं नहीं जानता हूं। अगर कोई मुझसे पूछता है कि हमारे देश का क्या दृष्टिकोण है, तो मुझे नहीं मालूम। हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। ···(व्यवधान)···स्थिति से निपटने का यह कोई तरीका नहीं है। हमें बहुत कड़ा रुख अपनाना चाहिए। हमारे देश की जनसंख्या 80 करोड़ है और हम विश्वमत के लिए एक नैतिक दबाव डाल सकते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस संबंध में एक कड़ा बयान दें ताकि वहां सैनिक जमाव और बढ़ने में मदद न मिले और न ही वहां की स्थिति और अधिक बिगड़े। यदि हम वहां की स्थिति नियंत्रित करने के बारे में कुछ कर सकें, तो मैं समझता हूं कि आस-पास के कई अरब देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा काफी हद तक की जा सकती है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : पहले ही काफी कुछ कहा जा चुका है। मैं एक बात कहना चाहूंगी। जब मैं परसों कलकत्ता गयी थी, तो कई लोग मेरे पास आये थे। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि मेरे राज्य के इतने लोग वहां रह रहे है।

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

अतः राजनयिक पहल करने संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न के सिवाय, जिसे मैं दोहराना नहीं चाहती हूं, मैं कहना चाहूंगी कि कलकत्ता के लोगों को भी उनकी सुरक्षा के बारे में जानकारी देने के लिए क्या प्रबन्ध किये जायेंगे। ···(व्यवधान)···

श्री चित्त बसु (बारसाट) : हम सबको कुछ रोज पहले यह आश्वासन दिया गया था कि जहां तक जानकारी हासिल करने और वहां से भारतीयों को स्वदेश लाने का संबंध है, भारत सरकार इस दिशा में कार्यवाही करेगी। मेरा अपना अनुभव है। मैं इस बात पर श्रीमती गीता मुखर्जी से पूरी तरह सहमत हूं कि कलकत्ता में ऐसे कई लोग हैं जिनके संबंधी कुवैत और उस क्षेत्र के अन्य भागों में कार्य कर रहे हैं। पिछले शुक्रवार को मुझे कलकत्ता से एक टेलीफोन आया, वह वहां की एक कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक के अते-पते और उनकी सुरक्षा के बारे में कुछ जानकारी चाहते थे। तुरन्त ही मैंने विदेश मंत्रालय से सम्पर्क किया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वहां एक सूचना कक्ष खोला हुआ है। मैंने उन्हें उस व्यक्ति का टेलीफोन नम्बर दिया जहां वह कार्यरत है और जो भी अन्य जानकारी मेरे पास थी दी। मैंने उन्हें दिल्ली और कलकत्ता के टेलीफोन नम्बर भी दिये। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि जैसे ही कोई जानकारी हासिल करना संभव हो सकेगा, वे इसे दिल्ली और कलकत्ता प्रेषित कर देंगे। अब तक मुझे न तो कलकत्ता में अथवा न ही दिल्ली के टेलीफोन नम्बरों पर ऐसी कोई जानकारी मिली है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, सारे देश में एक भी व्यक्ति के संबंध में जानकारी नहीं मिल सकी।

श्री चित्त बसु : यदि सरकार यह जानकारी भी हासिल नहीं कर सकती और जब सारी जानकारी विदेश मंत्रालय को दे दी गयी थी तो भी उन्हें इतना कहने का शिष्टाचार भी नहीं रहा कि हां, हम कोशिश कर रहे हैं, हम अभी तक सम्पर्क स्थापित नहीं कर सके हैं, या हम सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे, तब यह बहुत दुख की बात है। यह टिप्पणी करते हुए मुझे बहुत खेद होता है। मैं समझता हूं कि अब सरकार सारे देश के लोगों की चिन्ता और दुख को समझेगी। यह अकेले मद्रास या केरल का प्रश्न नहीं है। सारे देश में लोग बहुत चिन्ता और फिक्र से इन्तजार कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस सभा की भावनाओं का ध्यान रखेगी और इस संबंध में उपयुक्त कदम उठायेगी।

दूसरा मुद्दा यह है कि स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही है। यह सारा क्षेत्र इसमें जलने जा रहा है। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमरीका ने पहले ही इस क्षेत्र में नौसैनिक प्रतिबन्ध लगाने शुरू कर दिये हैं और इस प्रकार इस क्षेत्र में काफी तनाव पैदा कर दिया है। इसमें शामिल कुछ देशों की विचारधाराओं में भिन्नता हो सकती है और मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार कुवैत और पूरे मध्य-पूर्व क्षेत्र की स्थिति के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी।

यदि कोई मुझसे पूछे कि मध्य-पूर्व के हालात के बारे में आपके देश की क्या स्थिति है, तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं। अतः इसके राजनैतिक पक्ष पर भी विचार किया जाना चाहिए और तुरन्त कुवैत की ताजा स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया जाना चाहिए। ···(व्यवधान)···

श्री संतोष मोहन देब (त्रिपुरा पश्चिम) : यह किसी राज्य विशेष का मुद्दा नहीं है। असम के

भी 2300 लोग वहां कार्यरत हैं। वहां कार्य कर रहे अधिकांश लोग मेरे क्षेत्र सिलचर से हैं। उनमें से दो मेरे सम्बन्धी हैं। जो कुछ भी कुछ सदस्यों द्वारा कहा गया और दोहराया गया है, वह ठीक है। दुर्भाग्य से विदेश मंत्रालय से पूरी जानकारी नहीं मिल रही है। मैं आपसे एक ही बात का आग्रह करूंगा कि या तो आज या कल इस पर नियम 193 के अधीन एक चर्चा की अनुमति दी जाये, जिस पर सदस्य आपने विचार व्यक्त कर सकें।

इसके अलावा, पूरे देश में इस बारे में अलग-अलग मत है। कि यदि आप इस मुद्दे विशेष पर कोई कदम उठाते हैं, तो इससे वहां रह रहे लोगों के लिए एक स्थिति पैदा हो जायेगी क्योंकि फिर आप कुछ बातों में किसी गुट के तरफदार हो जायेंगे। वहां रह रहे लोगों को देखते हुए सदस्य एक निश्चित दृष्टिकोण अपनाने की बात कर रहे हैं—लेकिन उनकी संख्या 2 लाख से अधिक है अतः उनकी स्थिति पर भी विचार किया जाना चाहिए। हमें सबसे पहले इस बात पर सोचना चाहिए कि हमारे जो लोग यहां वापस आना चाहते हैं, उन्हें कैसे स्वदेश वापस लाया जाये और वे कैसे आयें। जो कुछ भी विदेश मंत्रालय करने की कोशिश कर रहा है, वह एक अच्छा प्रयास है। लेकिन दूरदर्शन और रेडियो पर किया गया प्रचार हमें भ्रमित कर रहा है। वे उन फोन नम्बरों के बारे में कह रहे हैं, जो ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं और केरल के मुख्य मन्त्री वहां जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं और यहां के लोग अकुशल हैं तथा हम वहां संदेश पहुंचाने में असमर्थ हैं। वास्तव में जो हो रहा है वह यह है ? यदि, जैसा कि आडवानी जी ने सुझाव दिया था, एक रिपोर्ट हर रोज सभा के समक्ष पेश की जाये तो राष्ट्र इसके बारे में जान पायेगा और साथ ही भ्रम भी नहीं रहेगा। अन्यथा हमें अपने निर्वाचन क्षेत्रों पर ध्यान न देने के संदर्भ में अकुशल संसद सदस्य के रूप में लिया जा रहा है। इस मुद्दे पर मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह अच्छा कार्य करे।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : हमारे कई दोस्तों द्वारा की गई टिप्पणियों को देखते हुए और विदेश मंत्री के इस प्रकार के वक्तव्य से कि कुवैत में सभी भारतीय ठीक हैं—वे कुवैत में फंसे हमारे लोगों के प्रतिनिधि नेताओं से पत्र क्यों नहीं एकत्र करते, जिसमें वे बतायें कि खाद्य सप्लाई, जल सप्लाई, आवास, आम सुरक्षा उनकी सम्पत्ति और अन्य बातों के संबंध में क्या कुछ हो रहा है ? उन्होंने हमारे अपने लोगों से कोई जानकारी हासिल नहीं की है। वे उन पत्रों को क्यों प्राप्त नहीं करते हैं; उन्हें दूतावास के जरिये यहां भेजें और प्रकाशित करें ताकि केरल के और अन्य क्षेत्रों के लोगों को उनकी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त किया जा सके ? उनमें से कितने लोग—जैसे कि हमारे मित्रों ने यहां, सुझाव दिया है, वापस आने के इच्छुक हैं या अगर अधिकांश नहीं आना चाहते हैं, तो ऐसे कितने हैं और उनमें से कितने प्रतिशत वापस आना चाहते हैं ? सरकार ने न केवल हवाई जहाज बल्कि समुद्री जहाज भेजने के लिए भी क्या प्रबन्ध किये हैं और फिर अन्य राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त करने के लिए, जो हमारे साथ सहयोग करना चाहते हैं और हमारे लोगों को वापस अपने देश लिए लाने में सहायता करने के इच्छुक हैं, क्या इन्तजाम किये गये हैं ?

तत्पश्चात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। इसके बारे में हमारा क्या विचार है ? अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की अनुमति लिए बिना अथवा इसके बुलावे की प्रतीक्षा किए बिना इसमें ऐसे हस्तक्षेप किया है जैसे कि केवल वह ही संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधि है। अब उसने संयुक्त राष्ट्र के झंडे के साथ-साथ अपना झंडा फहरा दिया है। क्या वह संयुक्त राष्ट्र की ओर से समूचे विश्व की जनता का संरक्षक है जो कि इस बारे में, क्या कार्यवाही की जाए और कुवैत से युद्ध के लिए किन देशों की जल सेना, थल सेना और गोला-बारूद भेजा जाए, इस बारे में

[प्रो० एन० जी० रंगा]

संयुक्त राष्ट्र के विचार जाने बिना वहां पहले ही पहुंच गया। क्या हमने इस रवैया का संयुक्त राष्ट्र में विरोध किया है ? देश के अनेक दलों ने हमके विरुद्ध अपनी आवाज उठायी है। अब हमें प्रतीत होता है कि सोवियत संघ के साथ सम्पर्क स्थापित किया गया है और इसके संबंध में हम दोनों कोई दृष्टिकोण अपना रहे हैं। वह दृष्टिकोण क्या है ? क्या हमें सोवियत संघ का इन्तजार करना पड़ेगा ? यह मानते हुए कि हम सोवियत संघ के साथ चलना चाहते हैं तो क्या इन दोनों राष्ट्रों के लिए यह संभव नहीं है कि वे अमरीका के साथ सम्पर्क स्थापित करें और उसे विरोध के रूप में चाहे अपनी सलाह दें अथवा चेतावनी दें तथा यह सुनिश्चित करें कि हम भी वहां पहुंच सकते हैं। हमें गुट निरपेक्ष आन्दोलन के नेताओं में से एक नेता समझा जाना चाहिए। वास्तव में कल तक, जब हमारे ये साथी सत्ता में आए तब तक हम गुट निरपेक्ष आन्दोलन के प्रमुख नेता थे। अब हम क्या भूमिका निभा रहे हैं ? हम नहीं जानते कि हम क्या करना चाहते हैं ? आज समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार की खबरें प्रकाशित हो रही हैं। प्रधान मन्त्री और विदेश मन्त्री को सभा का विश्वास प्राप्त करना चाहिए।

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : अध्यक्ष महोदय, मैं छोटी-छोटी दो बातें कहना चाहता हूं। पहली, मेरा सरकार से अनुरोध है कि कुवैत घटनाओं के संबंध में हमें वस्तुपरक और स्पष्ट जानकारी दी जाए। मुझे भय है तथा मैंने नोटिस किया है कि कुवैत की स्थिति को जानबूझ कर गम्भीरता पूर्वक नहीं लिया गया है। मेरी किसी जानकारी से स्पष्ट होता है कि कुवैत की स्थिति सरकार द्वारा बतायी गयी स्थिति से अधिक बुरी और गम्भीर है। मेरे विचार से अब समय आ गया है। सरकार को सभा का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार भय की भावना पैदा करना नहीं चाहती है। लेकिन फिर भी मेरे विचार से यह उचित है कि हमें स्थिति से अवगत कराया जाना चाहिए।

पाश्चात्य प्रचार माध्यमों ने इसे टेलीविजन पर दूसरे ढंग से बताया है कि बैंकें तथा दूकानें लूट ली गयी हैं इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि स्थिति सामान्य है क्योंकि हमारे जो लोग वहां हैं उन्हें अपनी दैनिक बुनियादी आवश्यकतायें पूरी करने में भी कठिनाई हो रही है। दीनार का अवमूल्यन हो गया है। वे इसका विनिमय नहीं कर सकते हैं। वे खाद्य सामग्री खरीदने नहीं जा सकते हैं। हमें उनकी सहायता और बचाव के बारे में गम्भीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा। मेरे विचार से सरकार इस समस्या को हल करने की जरूरत समझेगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार लोगों की वापसी और सहायता तथा बचाव के लिए जो कुछ कर रही है उससे अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।

और अन्त में, कल मैंने बगदाद को विशेष दूत भेजने के लिए बहुत अधिक अनुरोध किया था। ऐसे प्रतीत होता है कि इराक के विदेश मन्त्री ने हमारे विदेश मन्त्री से कहा है अथवा संदेश भेजा है इसलिए हमारे विदेश मंत्री के बगदाद जाने की आशा है परन्तु इसमें समय लग सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि एक विशेष दूत बगदाद भेजा जाए तथा बगदाद में हमारे मिशन को हमारे वहां फंसे लोगों को आवश्यक सहायता और राहत प्रदान करने के लिए सुदृढ़ बनाया जाए।

डा० तम्बि दुरै (करूर) : दो महत्वपूर्ण मामले हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने साथियों की बात से सहमत हूं क्योंकि आपने इस मामले को शुरू किया गया तथा हम अन्य साथियों की तरह जो बाहर धरना दे रहे हैं, हम भी चिंतित हैं तथा हमने इसके और अपने राज्य, तमिलनाडु के लोगों जो कुवैत

में फंसे पड़े हैं, के बारे में भी चिंता व्यक्त कर दी है। हाल ही की ब्रिटिश एयरवेज की उड़ान, जो मद्रास पहुंचने वाली थी, वहां नहीं पहुंची। हमें कुवैत में फंसे यात्रियों के बारे में पता नहीं है। यद्यपि सरकार प्रयास कर रही है परन्तु हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि भारतीयों विशेषत: हमारे तमिल लोगों को वहां से निकालने और उन्हें आवश्यक संरक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे।

दूसरा मामला— इसे हमारे नेता उठायेंगे—अधिक महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु में हमारे अनेक सांसदों को गिरफ्तार कर लिया गया है वे अपने राजनैतिक कार्य नहीं कर सकते हैं। हम अपने राजनैतिक मुख्यालयों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं क्योंकि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यह स्थिति है। महोदय जैसा कि आप भी जानते हैं कि हमारा देश विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमारी संसद इसकी सर्वोच्च संस्था है। आप इसके संरक्षक हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सभा के नियमों को जानते हैं।

डा० तम्बि दुरै : यहां विभिन्न राजनैतिक दल कार्यरत हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का मामला है।

डा० तम्बि दुरै : हमारे राज्य में राजनैतिक दल कार्य नहीं कर सकते हैं। ···(**व्यवधान**)··· महोदय, आप लोकतंत्र के संरक्षक हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। आप सभा के नियमों से भली-भांति परिचित हैं। आप इसे सभा में नहीं उठा सकते हैं। कृपया इस मामले को मत उठाइए।

डा० तम्बि दुरै : तमिलनाडु में तनाव फैला हुआ है। ···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : हम यहां तमिलनाडु राज्य से संबंधित किसी मामले पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। हम तमिलनाडु की कानून और व्यवस्था की भी चर्चा नहीं कर सकते हैं। कृपया, ऐसा मत कीजिए। कृपया, अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हमें श्री उन्नीकृष्णन की बात सुननी चाहिए।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : किस सम्बन्ध में ?

अध्यक्ष महोदय : कुवैत मामले के संबंध में।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री उन्नीकृष्णन कुवैत और अन्य देशों में फंसे अपने देश के नागरिकों के मामले के बारे में बोलेंगे।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं राज्यों के मामलों की चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु का मामला बड़ा गम्भीर मामला है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह तमिलनाडु राज्य की समस्या है। मैं इस बात की अनुमति नहीं दूंगा कि राज्य के मामलों की चर्चा यहां की जाए। हमें श्री उन्नीकृष्णन की बात सुननी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें कुवैत में फंसे अपने नागरिकों की चिंता है। मन्त्री महोदय कुछ कहेंगे। हमें उनकी बात सुननी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : कृपया हमें इस मामले को बाद में उठाने का अवसर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को पहले ही उठा चुके हो।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, इसके बाद दिल्ली का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसके बारे में मालूम है, अभी आप बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें श्री उन्नीकृष्णन की बात सुननी चाहिए।

जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : महोदय, मैंने सभी पक्षों के सदस्यों की टिप्पणियों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना है तथा मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार भी कुवैत में फंसे लगभग 2 लाख भारतीयों, जो बहुत अधिक नाजुक और संवेदनशील स्थिति में हैं, कल्याण के संबंध में व्यक्त की गई गहरी चिंता, व्यग्रता और व्यथा को समझती है। मुझे विश्वास है कि यह किसी की मंशा नहीं है कि जनता के कष्ट से समझौता किया जाए। परन्तु इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मामला ऐसा नहीं है जिसे केन्द्र अथवा राज्य सरकार इतनी जल्दी निपटाये जैसे कि दो दिन पहले केरल में किया गया था, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कुमारमंगलम, हमें उनकी बात सुननी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मुझे अपनी बात कहनी है···(व्यवधान) आप राजनीति को बीच में ला रहे हैं। (व्यवधान) यह नहीं समझिये कि आप इस तरह बच कर निकल सकते हैं। मैं तथ्यों को यथावत् स्पष्ट करूंगा। उदाहरणार्थ, मैं आपका और इस सभा का ध्यान आज के समाचार पत्र में कुवैत और अम्मान से आए यात्रियों की प्रकाशित बातचीत के अंश की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। (व्यवधान) श्री फैलीरो जैसे सुविख्यात वकील से मैं बहस के लिए तैयार नहीं हूं। समाचार प्राप्त करने के उनके अपने स्त्रोत होंगे। लेकिन यह भी सही है कि उनके बगदाद पहुंचने के लिए हमारे मिशन द्वारा किए गए प्रयासों की उन्होंने सराहना की है···(व्यवधान) मैं उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं। केवल संकट से निपटने के मौके पर ही नहीं बल्कि कई अवसरों पर मैंने मिशन को मजबूत बनाने पर बल दिया है। विदेशों में भारतीयों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अभी ही नहीं बल्कि बहुत दिनों से मिशन को सुदृढ़ बनाने की मांग होती रही है। इसलिए वहां समस्या है। लेकिन, हम आपको उस स्थिति से अवगत करा दें, जैसाकि मैंने इसके बारे में समझा है। जहां तक भारतीय समुदाय की विदेशों में संख्या का प्रश्न है, साथ ही वापस लौटना चाहते हैं उन्हें लाने की व्यवस्था का प्रश्न है, जैसाकि मैंने कहा है कि यह एक संवेदनशील मामला है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि विदेश मन्त्री की अनुपस्थिति में जहां तक सरकार और विदेश मन्त्रालय के प्रयासों का संबंध है, दोनों ही न केवल स्थिति के प्रति सजग थे बल्कि वे स्थिति की चौबीस घंटे अच्छी तरह निगरानी कर रहे थे····· (व्यवधान) यहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि उनसे किसी भी प्रकार संपर्क नहीं किया जा सकता था। हम जानते हैं कि उसके लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। कुवैत में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि वहां पूरी संचार व्यवस्था काट दी गई थी···

श्री वसंत साठे (वर्धा) : आपके जहाज वहां है···(व्यवधान)

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : मैं आपको उस बारे में भी बताऊंगा। (व्यवधान) वह मुझे मुद्दे से हटाना चाहते हैं परन्तु वह ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप तथ्यों को जानना चाहते हैं, तो आपको हमारी बात सुननी होगी। इसलिए ये इस स्थिति में जबकि संचार व्यवस्था पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गई थी, तो हम सूचना प्राप्त करने के लिए अन्य स्त्रोतों से प्रयास करना पड़ा जिसका बताना निश्चय ही जनहित में नहीं है। हमने हर हालत में यथासंभव प्रयास किए हैं। वहां फंसे विमान का जिक्र किया गया था। जहां कहीं भी उनके संबंधियों ने मन्त्रालय से सम्पर्क किया है, हमने उनकी सूचनाओं को गन्तव्य तक पहुंचाया है···(व्यवधान) यह भी जानकारी मिली थी कि पहले कुवैत में जल आपूर्ति और अन्य आवश्यक सेवाओं की कमी थी। अब हमें जो सूचना मिली है, उसके अनुसार स्थिति में परिवर्तन हुआ है और सुधार हुआ है। ऐसी भी सूचना मिली है कि कुछ विदेशियों द्वारा जैसे पाकिस्तानी और फिलिस्तीनी और ऐसे ही कुछ अन्य लोगों द्वारा—भारतीय नहीं—लूटपाट की गई है। हमने उनकी कुशलता के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है। कुल मिला कर हमारा समुदाय वहां सुरक्षित है। जब कभी भी दूतावास से सम्पर्क किया गया, उन्हें हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। इसलिए सरकार ने हमारे प्रतिष्ठित सहयोगी श्री आरिफ मोहम्मद खान को वहां से आने के मार्गों का पता करने के लिए भेजा है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि 186000 लोगों को वहां से निकाल कर लाना कोई आसान काम नहीं था। सर्वप्रथम जो वहां से आना चाहते हैं, उन्हें निकाल कर लाना है। यह मामला जो आना चाहते हैं, उनकी इच्छा पर है और यह कार्य उन्हें करना है। यह भारत सरकार पर नहीं है कि समस्या का हल किसी पर लादे। यह केवल उन्हीं पर निर्भर करता है कि कौन यहां पर आना चाहते हैं।

दूसरा प्रश्न है वहां फंसे वृद्ध और अशक्त लोगों का, महिलाओं तथा बच्चों का और असहाय

[श्री के० पी० उन्नीकृष्णन]

हज तीर्थ यात्रियों का। इन सीमित मुद्दों पर हम बगदाद और अन्य देशों से निरन्तर संपर्क बनाए हुए हैं। कल हमने अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद जो यहां उपस्थित हैं, के साथ विभिन्न विकल्पों पर बैठक में विचार-विमर्श किया। अब, मैं यह भी बता दूं कि जहां तक कुवैत का संबंध है, वहां का हवाई अड्डा बन्द है। हवाई अड्डों पर उन्होंने सुरंगें बिछा रखी हैं और वहां से निकलने का रास्ता नहीं है···(व्यवधान)। निकास के दो ही संभव रास्ते हैं, वह है अकाबा बन्दरगाह या जार्डन का अम्मान हवाई अड्डा या इराकी प्रशासन की सहमति और सहयोग···(व्यवधान) वे हमारी बात सुनना नहीं चाहते ··(व्यवधान) विदेश मन्त्री संपर्क बनाए हुए हैं और आशा है कि कल वह बगदाद पहुंच जाएंगे। इस नाजुक स्थिति में हमारे प्रतिष्ठित सहयोगी यह महसूस करेंगे कि आर्थिक दृष्टि से, और सुरक्षा के माहौल की दृष्टि से, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए विदेश मन्त्री को सोवियत संघ भेजा गया जहां उन्होंने वहां के विदेश मन्त्री और अन्य सहयोगियों से लम्बी बातचीत की और अब वह वाशिंगटन पहुंचे हैं और वाशिंगटन में वह वहां के विदेश मन्त्री से मिले हैं और अब वह बगदाद पहुंचेंगे। उन बैठकों में जहां भारत ने पहल की है, क्या विचार-विमर्श हुआ, इस बारे में उनकी अनुपस्थिति में कुछ भी कहना अनुचित होगा। जैसा कि मैंने कहा है कि विभिन्न आकस्मिक योजनाओं पर विचार-विमर्श हुआ है जैसे वायुयानों से इराकी प्रशासन की सहायता से बसरा जैसे बन्दरगाह से लोगों को निकालना (व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : थोड़ी देर के लिए क्या आप हमारी बात सुनेंगे ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं आपकी बात नहीं मान सकता···

अध्यक्ष महोदय : श्री वसंत साठे, वह आपकी बात नहीं सुन रहे हैं।

···(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : आप इस सदन के सदस्यों की भावना को नहीं समझ रहे हैं। आप उन्हीं बातों को दोहरा रहे है, जो कुछ समाचार पत्रों में दिया गया है···(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : कृपया इन्हें यह बताएं कि सदन केवल उनका नहीं है···(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : जहां तक जहाजों का संबंध है, हमारे पास बड़े पैमाने पर चलाने के लिए ही जहाज है जिसकी क्षमता 15,00 लोगों की है और वह हज यात्रियों को लाने का कार्य पहले से ही कर रहा है। मैंने उनसे निवेदन किया है कि वे जहाज में ही रहें। मैं फिर कह रहा हूं कि जब तक इराकी प्रशासन बसरा के पत्तन का उपयोग करने की अनुमति नहीं देता, हम वहां नहीं जा सकते। हम न तो कुवैत जा सकते हैं और न अकाबा। इसलिए, अब तक की जो स्थिति है, जब तक हवाई अड्डों और बन्दरगाह सुविधा की बात तय नहीं हो जाती, हम उनका उपयोग नहीं कर सकते। हमने जहाजों को किराये पर भी लेने का प्रयास किया लेकिन दुर्भाग्यवश हमें इसमें सफलता नहीं मिली है चूंकि बड़ी संख्या में ऐसे जहाज उपलब्ध नहीं हैं और जो हैं उनमें से अधिकतर पहले से अनुबंधित है। जैसाकि मैंने कहा है जलमार्ग या हवाई मार्ग द्वारा उस क्षेत्र से निकलने के लिए हमने कुछ आकस्मिक योजनाएं तैयार की हैं, और यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इराक, संयुक्त राज्य

अमरीका और जार्डन को भी इस बात के लिए राजी करें कि वह हमें इस स्थिति से निकलने में सहायता दें। इसलिए, हम फिर माननीय सदस्यों से कहना चाहेंगे कि हमारा यह इरादा कतई नहीं है कि सदन को अन्धेरे में रखा जाए लेकिन, कुछ भी तो ऐसा हो जिसे हम बता सकें। हमारे पास उपलब्ध सीमित संचार व्यवस्था के तहत जो भी केन्द्र खोले गए, उनके माध्यम से हमने लोगों को सहायता देने का प्रयास किया है और आपके द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखकर उनमें सुधार लाया जाएगा··· (व्यवधान)

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) : महोदय, मैं कहना चाहता हूं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाएं। श्री हरि किशोर सिंह कुछ और कहना चाहते हैं···

(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : अमरीका द्वारा सऊदी अरब में भेजी गयी सेना के मामले में भारत की क्या प्रतिक्रिया है ?···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री लोकनाथ चौधरी, आपने अपनी बात कह दी है, कृपया बैठ जाइए।

श्री हरि किशोर सिंह : महोदय, हम आशा करते हैं कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री इंद्र कुमार गुजराल कल अम्मान पहुंचेंगे और फिर वह वहां से बगदाद जाएंगे (व्यवधान)

श्री के० राममूर्ति (कृष्णगिरि) : हम श्री इंद्र कुमार गुजराल के दौरे का कार्यक्रम नहीं जानना चाहते।

अध्यक्ष महोदय : वह उनके दौरे का कार्यक्रम नहीं बता रहे हैं।

श्री हरि किशोर सिंह : महोदय, सदस्यों की चिंता और पूरे राष्ट्र की चिंता उचित ही है। हम भी उस चिंता में शामिल हैं। हम वह सब कुछ उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहें हैं, जो कुछ भी इस परिस्थिति में किया जा सकता है और इसीलिये श्री गुजराल वहां जा रहे हैं। श्री आरिफ मोहम्मद खान वहां पहले से ही हैं। उन्होंने परेशान हो रहे लोगों को कुछ राहत देने का प्रयास किया है ·· (व्यवधान) लेकिन महोदय, इराकी अधिकारियों के सहयोग के बिना कुछ भी करना संभव नहीं है··· (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, हम लोग पश्चिमी संचार माध्यमों को बहुत पसंद करते हैं। हम उन पर ज्यादा निर्भर करते हैं और उनमें अधिक विश्वास करते हैं। इसलिये आप क्यों नहीं प्रतिदिन उनमें दी गई सूचनाओं का खंडन अथवा उनकी सत्यता के बारे में कुछ नहीं कहते।

श्री हरि किशोर सिंह : महोदय, पूरी जानकारी मिलने पर हम कल दोपहर बाद वक्तव्य देने का विचार कर रहे हैं।

———

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री खुराना ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए ...

(व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै (करूर) : महोदय, आप लोकतंत्र के संरक्षक हैं...(व्यवधान) मैं अपनी राजनीतिक पार्टी के कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता। महोदय, आप हमारे संरक्षक हैं। आप गृह मंत्री को इस संबंध में कुछ कहने का निर्देश दें। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे (वर्धा) : महोदय, वे इसका भी उसी तरह जवाब क्यों नहीं दे रहे ? उस तरफ से सी० पी० आई० (एम) के हमारे मित्रों द्वारा उठाए गए त्रिपुरा सम्बन्धी मामलों का उन्होंने जवाब दिया है। जबकि सी० आर० पी० एफ० उनके मातहत हैं, तो वे उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं।

डा० तम्बि दुरै : महोदय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को तमिलनाडु में हमारी पार्टी के मुख्यालय में तैनात किया गया है। हम संसद सदस्यों को वहां पर किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां जारी रखने की अनुमति नहीं दी गयी है। महोदय, आप प्रजातंत्र के संरक्षक हैं। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : महोदय, जिस समय त्रिपुरा के बारे में मुद्दा उठाया गया था, उस समय आपने उसका उत्तर दिया था। आप तमिलनाडु के इन सदस्यों की बात का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस मामले पर यहां विचार नहीं कर सकते। यह एक राज्य का मामला है।

(व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै : महोदय, यदि हम यहां पर संसद सदस्यों के रूप में कार्य नहीं कर सकते तब हम तमिलनाडु में कार्य कैसे कर सकते हैं ? माननीय गृह मंत्री जी इस मामले पर अपना वक्तव्य दें। (व्यवधान)

(इस समय श्री आर० मुथिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये तथा सभा पटल के निकट आकर खड़े हो गए)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया है कि संसद सदस्य श्री पी०जी० नारायणन को पीटा गया है। मैं उन्हें सुन सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सब अपना-अपना स्थान ग्रहण करें तो मैं श्री नारायणन की बात

सुनने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार से नहीं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री के ऊपर जो हमला हुआ है···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अपने स्थान पर जाकर बैठते हैं, तब मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाकर बैठें। मैं आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन (तिरूनेलवेली) : केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को हमारे पार्टी कार्यालय में प्रातः 6.00 बजे क्यों बुलाया गया। उन्होंने हमारे पार्टी कार्यालय को सील कर दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थानों पर जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नारायणन जी, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें सुनने के लिए तैयार हूं। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचैट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु में प्रजातंत्र खतरे में है। (व्यवधान)

रविवार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविण मुनेत्र कषगम् दल के पास उनकी पार्टी के कार्यालय का कानूनी रूप से कब्जा था। जब हम कार्यालय में बैठे हुए थे तब केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की मदद से कुछ उपद्रवी व्यक्ति घातक हथियारों सहित कार्यालय परिसर के अन्दर आ गए। वे पूरी पुलिस सुरक्षा में आए थे तथा उनके पास घातक हथियार थे। हमने उन्हें रोका परन्तु उन्होंने हम पर आक्रमण कर दिया तथा उसके पश्चात् वे पार्टी कार्यालय के परिसर में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे थे। तमिलनाडु सरकार पार्टी के निष्कासित सदस्यों के सहयोग से स्थिति का राजनैतिक फायदा उठा रही है, तमिलनाडु सरकार उपद्रवी तत्वों की सहायता कर रही है। वे उपद्रवी तत्वों, अर्थात् दल के निष्कासित सदस्यों की मदद कर रहे हैं। वे हमारे पार्टी के नेताओं तथा ध्वज पर आक्रमण करके तथा हमारी

[श्री पी० जी० नारायणन]

पार्टी के कार्यालय का ताला बन्द करके, वे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का दुरुपयोग कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : यह एक राज्य का विषय प्रतीत होता है। उनका कहना है कि संसद सदस्यों को धमकी दी गयी है तथा उनसे चाबियां ले ली गयी हैं। मैं सोचता हूं कि आप उन्हें लिखें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी आपकी बात सुनता हूं। आप कृपया बैठिए ?

(व्यवधान)

श्री डी० पंजियन (मद्रास उत्तर) : महोदय, यह प्रश्न किसी दलगत झगड़े से संबंधित नहीं है। (व्यवधान) हम इससे संबंधित नहीं हैं तथा वे उस समस्या का समाधान करने में सक्षम हैं। हम सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहते हैं कि जिस केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को तमिलनाडु में समुद्र तट की सुरक्षा करने के लिए तथा तमिलनाडु में अस्त्र-शस्त्रों की तस्करी रोकने के लिए भेजा गया था। उसका अब सरकार द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। (व्यवधान) जनता के प्रजातांत्रिक अधिकारों पर यह एक अलोकतांत्रिक तथा निरंकुश प्रहार है तथा संसद सदस्यों को जेल में रखा गया एवं जब हम संबंधित अधिकारियों के नोटिस में यह बात लाने का प्रयत्न कर रहे थे तब हमें इसकी अनुमति नहीं दी गयी तथा धारा 144 लागू कर दी गयी। इस समय पूरी सड़क तथा पूरे क्षेत्र में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तैनात है तथा हम उस सड़क पर नहीं जा सकते। यह स्थिति है, उस सम्बन्ध में क्या किया गया है ? (व्यवधान) हम आपके माध्यम से संसद सदस्यों की रक्षा के लिए, इस सभा के नोटिस में इस मुद्दे को लाना चाहेंगे। (व्यवधान) क्या आप हमें कुछ करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं ? कृपया ऐसा मत कीजिए। (व्यवधान)

1.00 म० प०

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : पाइंट आफ आर्डर। अध्यक्ष जी, आपने एक दफा जिस सदस्य का नाम लिया जायेगा बोलने के लिए उसे बोलने का मौका दिया जायेगा, ऐसा कहा था। आपने एक सदस्य को बुलाया···

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं। आपको भी बुलाऊंगा।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : एक घंटा हो गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसीलिए कहा है कि मैंने उनको बुलाया है, उन्हें बोलने दें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के० राममूर्ति (कृष्णागिरि) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को 'लिट्टे' की गतिविधियों को रोकने तथा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में होने वाली तस्करी को रोकने के लिए तथा वहां पर कानून और व्यवस्था की तेजी से बिगड़ती हुई स्थिति पर काबू पाने के लिए भेजा था। परन्तु, अब राज्य सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है जिससे कि सभी राजनैतिक दल

पूरी तरह से अपंग बनकर रह जायें तथा तमिलनाडु से चुने हुए, संसद सदस्यों को पीटा जाये।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने सही मुद्दे पर आयें।

श्री के० राममूर्ति : मैं अपने विषय पर ही आ रहा हूं। इसी कारण हम गृह मंत्री से इस पर वक्तव्य चाहते हैं। उन्होंने त्रिपुरा के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया था। अब वह तमिलनाडु के सम्बन्ध में वक्तव्य क्यों नहीं दे सकते ?

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : महोदय, माननीय सदस्यों ने तमिलनाडु की स्थिति का उल्लेख किया है। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कषगम में कुछ अन्दरूनी दलगत विवाद भी है। सभा में उन्होंने जो कुछ कहा है उसके अनुसार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ उनकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता ···(व्यवधान)···

श्री पी० जी० नारायणन : निष्कासित सदस्यों को पार्टी कार्यालय में प्रवेश करने का कोई हक नहीं है। (व्यवधान)

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : पार्टी कार्यालय के कब्जे के सम्बन्ध में कुछ विवाद है। (व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै : कोई विवाद नहीं है। यह गलत बात है।

अध्यक्ष महोदय : तम्बि दुरै जी, आप चाहते थे कि वह उत्तर दें तथा अब आप पुन: उन्हें बीच में टोक रहे हैं। इस सम्बन्ध में कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाए। वह अभी बोल रहे हैं।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : अत: यह आरोप लगाया गया है कि पार्टी कार्यालय को कब्जे में कर लिया गया है तथा उसके लिए पुलिस की सहायता ली गई है। (व्यवधान) जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, जहां तक कानून और व्यवस्था का सवाल है, यह राज्य का विषय है तथा केन्द्र सरकार को उससे कोई सरोकार नहीं है। यह अत्यन्त स्पष्ट है। (व्यवधान) आपको मेरी बात सुननी होगी क्योंकि आपने मुझ से इस बारे में बोलने को कहा है। हम राज्य सरकार के नियंत्रण में अर्द्ध-सैनिक बलों को वहां भेज रहे हैं। अर्द्ध-सैनिक बलों को वहां तैनात करने के मामले में हम कुछ नहीं कह सकते। यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। (व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मुझे बताया गया है कि उस दिन कुछ संसद सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। नियम 229 में कहा गया है :

> "229. जब कोई सदस्य किसी आपराधिक आरोप या, किसी दंडापराध के लिए बन्दी किया जायेगा, उसे किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया जाए या किसी कार्यपालिका के आदेश के अन्तर्गत निरुद्ध किया जाए,····· अब, मुझे बताया गया है कि इस सभा के हमारे कुछ माननीय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हमारे कार्यालय को तार मिला है तथा उसके बारे में भी संसदीय समाचार भाग—दो में घोषणा की जाएगी।

श्री जनार्दन पुजारी : हमें कोई सूचना नहीं मिली है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें सूचना मिल गयी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

श्री जनार्दन पुजारी : क्या आप और कुछ भी जानते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता। मैंने श्री नारायणन को वक्तव्य देने की अनुमति दी थी तथा उन्होंने अपना वक्तव्य दे दिया है। अब आप क्या चाहते हैं ? कोई व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें श्री इन्द्रजीत गुप्त को सुनना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : आपकी अनुमति से मैं समझता हूं कि इस मामले में थोड़ा स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है। मैं शायद नहीं बोलता परन्तु गृह मन्त्री महोदय की इन टिप्पणियों के बाद, मैं महसूस करता हूं कि कुछ स्पष्टीकरण दिये जाने की आवश्यकता है। यह सही है कि यदि कोई राज्य सरकार एक विशेष उद्देश्य हेतु वहां पर केन्द्रीय अर्द्ध-सैन्य बलों को तैनात करने के लिए केन्द्र से अनुरोध करती है तो उस राज्य में ये बल तैनात किए जा सकते हैं। यह सच है। जब ये बल उस राज्य में भेजे जाते हैं तो जैसा कि गृह मंत्री ने कहा, यह सच है कि राज्य सरकार जैसे आवश्यक समझे इन्हें तैनात कर सकती है और केन्द्र उन पर दैनिक आधार पर नियंत्रण नहीं रख सकता।

मैं यह जानना चाहता हूं और मेरे विचार से अन्य सदस्य भी यही जानना चाहते हैं कि तमिलनाडु में केन्द्रीय आरक्षी पुलिस तैनात की गई है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। मैं मद्रास में 10 दिन रहकर कल रात ही लौटा हूं। मैंने वहां की गलियों में केन्द्रीय आरक्षी पुलिस के काफी कर्मी देखे। लेकिन आप देखिए, यही माननीय सदस्य अन्य अवसरों पर तमिलनाडु में कथित लिट्टे की गतिविधियों से अत्यधिक व्यथित थे और उन्होंने कहा था कि सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर रही है बल्कि उनसे गांठगांठ कर रही है। ऐसी बातें यहां पर कही गई हैं। अतः प्रथम दृष्टि में यदि राज्य सरकार के अनुरोध पर तमिलनाडु में केन्द्रीय आरक्षी पुलिस तैनात हुई है तो मैं एकदम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि कुमारी जयललिता के कार्यालय को बन्द करने के लिए ही उनको तैनात किया गया है।

मैं नहीं जानता कि वहां पर केन्द्रीय आरक्षी पुलिस क्या कर रही है। यह अलग मामला है। वे स्पष्ट कर सकते हैं कि तमिलनाडु में केन्द्रीय आरक्षी पुलिस का क्या काम है। मैं मद्रास गया था। जहां तक उस कार्यालय को ताला लगाने और फिर बाहर से कार्यालय की सुरक्षा करने का संबंध है, मैं उस मार्ग से गुजरा था। मैंने अपनी आंखों से यह देखा है। कार्यालय को ताला लगाने के बाद वहां पर पुलिस काफी तादाद में कार्यालय की सुरक्षा में तैनात थी। वे केन्द्रीय आरक्षी पुलिस के नहीं थे। वे तमिलनाडु पुलिस के थे। मैं नहीं समझता कि केन्द्रीय आरक्षी पुलिस कर्मियों को इन पार्टी झगड़ों या गुटों के झगड़ों में इस्तेमाल किया जा रहा है। तमिलनाडु पुलिस का उपयोग किया गया है। वहां केन्द्रीय आरक्षी पुलिस क्या कर रही है, यह तो उन्हें ही स्पष्ट करना है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने गृह मन्त्री को सुना, श्री इन्द्रजीत गुप्त को सुना।

अब श्री मदन लाल खुराना बोलें।

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : वह तमिलनाडु पुलिस और केन्द्रीय आरक्षी पुलिस में भेद नहीं कर सकते। यह उनकी गलती नहीं है। लेकिन कम से कम गृह मन्त्री तो केन्द्रीय आरक्षी पुलिस और तमिलनाडु पुलिस के बीच अन्तर बताएं। मैं हैरान हूं कि केन्द्रीय आरक्षी पुलिस को राजनैतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गृह मन्त्री द्वारा दिया गया यह वक्तव्य अत्यधिक विस्मयकारी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै : हम अपने माननीय मन्त्री के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं। हम वाक आउट कर रहे हैं। (व्यवधान)

(इस समय डा० तम्बि दुरै और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : साठे जी, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। कृपया बैठ जाइये।

श्री मदन लाल खुराना बोलें।

श्री वसंत साठे : हम भी सभा-भवन से बाहर जा रहे हैं।

(इस समय श्री वसंत साठे और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये)

1.12 म० प०

14 अगस्त, 1990 को दिल्ली में हुए बम विस्फोट के बारे में

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, 14 अगस्त की रात्रि को 11.15 बजे जबकि लोग जन्माष्टमी मना रहे थे, उस समय केशवपुरम, लारेंस रोड, जोकि नॉर्थ दिल्ली के अन्दर है, में एक बम फेंका गया और वह फटा जिसमें 5 बेगुनाहों की हत्या हो गई और लगभग 24 व्यक्ति जख्मी हुए। मैं खुद अध्यक्ष महोदय, अपने लोगों को साथ लेकर मौके पर गया और मैंने वहां का निरीक्षण किया।

अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष जनवरी से लेकर परसों तक दिल्ली के अन्दर 10 बम काण्ड हो चुके हैं। संसद भवन की दीवार के निकट 7 जनवरी, 1990 को पहला बम काण्ड हुआ, उसके बाद 14 जनवरी, 19 मार्च, 10 अप्रैल, 13 अप्रैल, 25 अप्रैल, 30 मई को दो और परसों 14 अगस्त को, इस प्रकार से 10 जगह पर बम काण्ड हो चुके हैं। परसों का जो बम काण्ड था वह एक अजीब किस्म का था। पिछले जो 9 बम कांड दिल्ली में हुए हैं उनसे यह बिलकुल अलग तरह का था। इसकी शक्ल लकड़ी के गोल हैंडल की तरह थी। इसको फेंका गया और इसके कारण लोग मरे।

[श्री मदन लाल खुराना]

अध्यक्ष महोदय, जब भी दिल्ली में बम काण्ड हुए तभी दिल्ली पुलिस कह देती है कि हमने रैड अलर्ट कर दिया है और हमने मामला पकड़ लिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ज्यों-ज्यों दिल्ली में "रैड अलर्ट" करती है त्यों-त्यों बम काण्ड होते रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस बारे में गुप्तचर एजेंसियों ने यह कह दिया था कि जुलाई के आखिरी सप्ताह में, पंजाब, कश्मीर या श्रीलंका के आतंकवादी स्वतन्त्रता दिवस के आसपास दिल्ली में वारदात करेंगे। जब यह मालूम पड़ चुका था, तब भी दिल्ली पुलिस ने कोई विशेष पग नहीं उठाए। इन दस बम-कांडों में 21 लोग मरे हैं और दो कांडों को छोड़कर बाकी 8 कांड पश्चिम और उत्तर दिल्ली में हुए हैं। इस संबंध में मेरा यह कहना है कि पुलिस को जब यह मालूम था कि नॉर्थ दिल्ली एरिया आतंकवादियों का अड्डा बना हुआ है, वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई ? पुलिस कह सकती है कि इतने बड़े एरिया में चप्पे-चप्पे पर तो पुलिस नहीं बैठा सकते हैं, मैं मान लेता हूं, लेकिन जो परसों की घटना हुई है और जो लोकल दिल्ली पुलिस का रवैया रहा है, वह शर्मनाक है। वहां पर 3 पुलिस वाले थे, लेकिन जब बम फटा, तो एक भी पुलिस का आदमी फटे हुए बम के नजदीक आने को तैयार नहीं हुआ, बल्कि वे पुलिस वाले दूर भाग गए। स्थानीय लोगों ने, जनता ने उन लोगों को उठाया, जख्मियों को उठाकर हास्पिटल ले गए। एक घण्टे बाद पुलिस के सीनियर आफिसर मौके पर आए। मेरा यह कहना है कि यदि पुलिस के स्थानीय लोग, थाने के लोग उन जख्मियों को ठीक टाइम पर यदि हास्पिटल ले जाते तो कम से कम दो केस जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उनकी जानों को बचाया जा सकता था। मेरा यह कहना है कि दिल्ली जिस तरह से आतंकवाद की चपेट में आ रही है, पंजाब के बाद दिल्ली में भी आतंकवाद फैल रहा है, उसके बारे में होम मिनिस्टर बयान दें। (व्यवधान) एक तो परसों के कांड की न्यायिक जांच हो, मैं न्यायिक जांच इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि लोकल पुलिस की क्रिमिनल नैगलीजैंस के कारण कुछ मौतें हुई हैं। यदि ठीक टाइम पर ऐक्शन लेते तो कुछ जानें बच सकती थीं। दूसरा निवेदन है कि जो बेगुनाह लोग मर गए हैं उनको एक लाख रुपए दिए जाएं। यदि पंजाब में एक लाख रुपया मिलता है तो दिल्ली के लोगों के खून क्या अलग-अलग है ? एक लाख रुपया दिया जाए और जख्मियों की राशि भी बढ़ाकर 50 हजार की जाए और उनके आश्रितों को रोजगार दिया जाए। मैं इस संबंध में होम मिनिस्टर से ऐश्योरेंस चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि दिल्ली में इस तरह के भय, असुरक्षा या आतंकवाद का वातावरण नहीं फैलेगा। दिल्ली पुलिस के जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, यह मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : महोदय, श्री जे० पी० अग्रवाल भी दिल्ली से हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, अभी जिसका जिक्र हुआ है, मुझे आशा थी कि इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद होम मिनिस्टर साहब को सुओ-मोटो स्वयं आकर हाउस में बयान देंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे बम कांडों की जो राजधानी में हो जाते हैं उसे होम मिनिस्टर या दूसरे इतना कैजुअली लेते हैं और कोई भी बयान स्वयं आकर यहां नहीं दिया जाता है। इस मामले में एक नया डाईमेंशन क्रीऐट हुआ है कि इसके बारे में जे० के०एल० एफ० ने, जो बम फटा है और जो लोग मारे गए हैं, उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। इससे पहले की बम घटनाओं से थोड़ा

अन्तर भी है। जिस तरह का यह बम आया है, यह कहा जा रहा है कि वह पंजाब के आतंकवादियों द्वारा प्रयुक्त बम से शायद कुछ अलग है। हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के आतंकवादी या पाकिस्तान से ट्रेंड जो लोग आ रहे हैं, उनके माध्यम से यह बम कांड हुआ हो। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर जब बम फेंका गया उसके बाद एक आदमी ने उनको पहचान लिया और रोकने की कोशिश की। उसे छुरा मारकर वे लोग भाग गए। यह तो समझ में आता है कि कोई भी आतंकवादी इस प्रकार की घटना कर सकता है। परन्तु दिल्ली पुलिस कितनी इल-इक्विप्ड है, उसके पास कितने कम साधन हैं, सैकड़ों लोग वहां खड़े थे, जो लोग रोकने लगे उसे छुरा मारकर वे लोग निकल जाते हैं। दिल्ली पुलिस की अजीब रैंड ऐलर्ट है। यह कहा गया था कि इनफार्मेशन मिलने पर एकदम से दिल्ली पुलिस के लोग पहुंच जाएंगे, मैं होम मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि उनकी सारी ऐश्योरेंस के बाद भी दिल्ली पुलिस टोटली इल-इक्विप्ड है, उसके पास आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं। इतने बड़े जन्माष्टमी के कार्यक्रम में तीन पुलिस के आदमी डंडा लेकर खड़े थे, उनके पास कोई वाकी-टाकी नहीं थी। सहायता बुलाने का कोई साधन नहीं था, घण्टों तक बड़े अफसर के पास इनफार्मेशन नहीं पहुंचा सकते। यदि दुर्भाग्य से एक-दो जगह ऐसी दुर्घटना हो जाए तो दिल्ली पुलिस की क्या हालत होगी, इसका अन्दाजा लगाना चाहिए। दिल्ली पुलिस अधिकांशतः वी० आई० पीज० या दूसरी चीजों में लगी हुई है। होम मिनिस्टर को इस बात को देखना चाहिए कि जो आपस के जनता दल के झगड़े हैं, उनमें लगे रहने की बजाए वे ठीक ढंग से शासन करना शुरू करें, आतंकवादियों को पकड़ने के लिए या रोकने के लिए ठीक ढंग से पूरी तैयारी करें। यह तो बार-बार हो रहा है और आतंकवादियों को लग रहा है कि बाद में शायद हमें छोड़ दिया जाएगा या किसी का अपहरण करके हमें छुड़ा लिया जाएगा। किसी को डर नहीं रहा है कि राजधानी दिल्ली में आकर ऐसी घटना करके आराम से निकल जाएं और बाद में उनको पकड़ा न जा सके।

अध्यक्ष महोदय, यह जो मुआवजे की बात आई है, उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। सदर बाजार में जब बम फटा और उसमें जो तीन आदमी मर गये, उनको ढाई लाख रुपये देने की बात वहीं एनाउन्स कर दी गई थी। आज रुपये बांटने में भी भेदभाव होता है। किसी को 50 हजार रुपये, किसी को 2 हजार रुपये और किसी को 75 हजार रुपए और किसी को एक लाख रुपये दिए जाते हैं। पंजाब में अगर कोई घटना हो जाए तो ऐसे में एक लाख रुपये दिए जाते हैं और अगर कोई बस के नीचे आ जाए तो उसे पांच लाख रुपये दिए जाते हैं।

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : हिमाचल प्रदेश में तो आप लोग पांच हजार रुपये देते हैं।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : यह सवाल नहीं है कि किसी जगह पर कितना देते हैं? सारे हिन्दुस्तान में अगर किसी भी जगह बम फट जाता है तो ऐसे में एक जैसा मुआवजा आप क्यों नहीं देते हैं। मेरा कहना यह है कि सब को एक जैसा रुपया मिलना चाहिए और इसके बारे में एक नीति बनानी चाहिए। जे० के० एल० एफ० ने कहा है कि उसने शहीदी जत्थे सारे हिन्दुस्तान में भेज दिये हैं। अगर ऐसा है तो आप उसका मुकाबला किस प्रकार करना चाहते हैं। इसके बारे में सदन को विश्वास में लेना चाहिए और इसकी जानकारी सदन को देनी चाहिए।

श्री जे० पी० अग्रवाल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले गृह राज्य मन्त्री के यहां से एक टेलीफोन आया था कि वह दिल्ली के लॉ एण्ड आर्डर के बारे में एक मीटिंग बुलाना चाहते हैं। इस मीटिंग में जन्माष्टमी और 15 अगस्त के सिलसिले में भी बात करनी थी। अफसोस की बात है कि वह मीटिंग तय नहीं हुई। इसके बावजूद भी हमसे बात नहीं की गई। पहले कायदा यह था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सबको बुलाते थे, बात करते थे और सबकी सलाह लेकर वह आगे काम करते थे।

[श्री जे० पी० अग्रवाल]

आज ये सब नहीं हो रहा है। दिल्ली की पुलिस के साथ ज्यादती हो रही है। बी० जे० पी० और जनता दल वाले इस बात को लेकर आपस में लड़ रहे हैं कि डी० सी० पी० को यहां लगाओ और फलां आदमी को यहां लगाओ। (व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (अध्यक्ष महोदय, यह गलत बात कह रहे हैं। जो मर गए हैं, उनकी इनको फिक्र नहीं है। जो बम फटने से मर गए हैं, उनकी आप बात करें। ((व्यवधान)

श्री जे० पी० अग्रवाल : आज दिल्ली की जो हालत हो रही है, उसको देखकर बहुत दुःख होता है। आज दिल्ली की पुलिस के पास पूरी इंटैलिजैंस नहीं है। हर दो दिन के बाद रेड एलर्ट कर दिया जाता है। ऐसा वह अपनी जान बचाने के लिए करते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अग्रवाल जी, आप स्पीकर को एड्रैस करो।

श्री जे० पी० अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, 2-3 दिन बाद रैड एलर्ट हो जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। जब कुछ हो जाता है तो वह कुछ करने को तैयार नहीं होते हैं। मैं यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर साहब इस सम्बन्ध में स्टेटमेंट दें। जिस जगह कमजोरी है, उस कमजोरी को दूर करें और दिल्ली वालों को कोई कष्ट न होने दें। (व्यवधान)

श्री तारीफ सिंह (बाह्य दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में जिस जगह बम कांड हुआ, वह मेरे क्षेत्र में आता है। जब रात को वहां बम फटा तो वहां के लोगों ने कहा कि घायलों को नजदीक के सुन्दर लाल जैन अस्पताल में ले जाया जाये लेकिन पुलिस उनको वहां ले जाने की बजाय हिन्दू राव अस्पताल ले गई। वहां उन घायल लोगों ने दम तोड़ दिया। कानून यह बना हुआ है कि एक्सीडेंट होने पर उनको फस्ट-एड दी जाये और उन्हें नजदीक के अस्पताल में चाहे वह प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, वहां ले जाया जाए। इस हादसे में 5-6 लोग मरे हैं। जो लोग इस हादसे में मारे गए हैं, उनकी विधवाओं के पास आय का दूसरा कोई साधन नहीं है। उनका परिवार भूखों मर रहा है। दिल्ली में रैड एलर्ट बार-बार होता है। इसके अलावा दिल्ली में जगह-जगह बैरियर्स लगाए हुए हैं। ऐसा आतंकवादियों को पकड़ने के लिए लगाया गया है। आम आदमी जो स्कूटर में जाते हैं, उनके स्कूटर को रास्ते में रोक कर उनका लाइसैंस चैक किया जाता है। 50 रुपये रिश्वत के रूप में देने के बाद ही उन्हें छोड़ा जाता है। पुलिस का रवैया दिल्लीवासियों के साथ ठीक नहीं है। अग्रवाल जी से मैं कहना चाहता हूं कि ज्यादातर दिल्ली की पुलिस कांग्रेसियों की रक्षा के लिए ही लगी हुई है—(व्यवधान)।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : दिल्ली में वही डी०सी०पी० हैं और वही दूसरे अफसर हैं। इनको वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

श्री तारीफ सिंह : मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारे दिल्ली के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका अपना जमीन का झगड़ा था, लेकिन वहां के डी०सी०पी०··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर न जायें।

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : होम मिनिस्टर साहब को कहिए कि बयान दें। इतना बड़ा काण्ड हुआ है, होम मिनिस्टर को कुछ कहना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : देश में ला एण्ड आर्डर की हालत और खासकर दिल्ली की, जो देश की राजधानी है, उसमें ऐसी हो जायेगी तो इस देश का क्या बनेगा, यह बहुत चिन्ता का विषय है। इस पर बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है। इसके साथ ही मैं गृहमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता था कि हरियाणा में एक हरिजन नौजवान को हरियाणा पुलिस ने पीट-पीट कर मार दिया···(व्यवधान)···30 साल के नौजवान को आज से सात दिन पहले पुलिस ने पीट कर मार दिया···(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : भजन लाल जी, आप बैठ जायें। मैंने आपको हरियाणा का मामला उठाने की इजाजत नहीं दी। अभी दिल्ली का मामला चल रहा है। आप बैठ जायें।

*(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई उत्तर पूर्व) : 900 बम पड़े हुए हैं, उसके बारे में बात करना चाहती हूं। अध्यक्ष जी बहुत गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, अभी तो दिल्ली का मामला है।

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता : तारापुर औद्योगिक स्थान के ऊपर तीन महीने से 900 बम पड़े हुए हैं और उनमें से एक बम फट चुका है। लेकिन उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है; मैं बम्बई के पास महाराष्ट्र में बम के बारे में बताना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : अभी महाराष्ट्र के बम के बारे में नहीं, दिल्ली के बारे में बताइए। आप बैठ जायें।

गृह मंत्री (**श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद**) : जैसा कि यहां आनरेबिल मैम्बर्स ने कह दिया कि 14 और 15 अगस्त के बारे में यह खबर थी कि आतंकवादी इस पर कोई स्पैक्टेकुलर बात करना चाहते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली की पुलिस का जहां तक ट्रेनिंग मोटीवेशन और माडर्नाईजेशन का ताल्लुक है, यह हमारे देश की सबसे बेहतरीन पुलिस है। इसमें सरकार की तरफ से··· (व्यवधान)·· मैं कहना चाहता हूं कि कोई कमी नहीं है और जो भी माडर्नाईजेशन के मैजर्स हैं, वह दिल्ली में लिए गए हैं···(व्यवधान)···कोई इंसीडैंट होती है तो क्या करें, वह तो इंग्लैंड में भी होती हैं जहां इतना कुछ है। मैं यह कहना चाहता हूं···(व्यवधान)·· मैं उस बात की तरफ भी आ रहा हूं। हमारी तरफ से जितनी भी पुलिस है वह टोटली एलर्ट थी, अपनी तरफ से उसने सारे एकदामात किये लेकिन इतना फूल प्रूफ अरेंजमैंट नहीं हो सकता है कि हर जगह की रखवाली हो सके। जितना भी ह्यूमनली पोसीबल है, किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिसकी तरफ खुराना जी ने भी, तारीफ सिंह जी ने भी इशारा किया अगर पुलिस की तरफ से, वहां एक फंक्शन था, वहां कोई तीन

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद]

के करीब पुलिस वाले थे लेकिन जो लोग जख्मी हुए हैं, अगर उनकी जान बचाई जा सकती थी, नजदीक हस्पताल में ले जाकर या कोई व्यवस्था करके तो मैं इस बारे में पूरा एक्शन ले लूंगा और इसकी पूरी इंक्वायरी करूंगा कि जो जख्मी हुए थे, उनको वक्त पर हस्पताल ले जाया गया या नहीं। जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा···(व्यवधान)···अगर पुलिस के अच्छे इन्तजाम की वजह से कोई, जो जख्मी हुए थे···(व्यवधान)···वहां भी एक्शन लिया गया था। हमें बोलने दीजिए, आपने ऐसा ही म्यूनिसिपल कारपोरेशन पर किया, बात भी नहीं करने देते हैं। जब आप कहते हैं तो हम खामोशी से बैठे रहते हैं···(व्यवधान)···मेरा कहना यह है कि अगर पुलिस के तगाफल, नेग्लीजेंसी की वजह से कुछ लोग जो वहां पर जख्मी हुए, उनकी जानें बच सकती थीं लेकिन नहीं बच सकी, इसकी मैं तहकीकात करूंगा। (व्यवधान) कम्पनसेशन के बारे में हमारी पालिसी यह रही है कि जो भी व्यक्ति आतंकवादियों की वजह से मारा जाएगा, उसके लिए हमारी केन्द्रीय सरकार की तरफ से पचास हजार रुपये रखे हैं क्योंकि पहले 20-25 हजार रुपये थे। अपने-अपने हालात के मुताबिक जैसे जम्मू-काश्मीर में पहले गवर्नर ने एक लाख रुपये रखे थे। (व्यवधान) इसमें जनरल पालिसी पचास हजार रुपये देने की है लेकिन मैं यह एग्री करता हूं कि जो लोग मारे गये हैं उनको भी एक-एक लाख दिया जायेगा और जो जख्मी हुए हैं उनको 10 हजार रुपये दिए जाएंगे, जो डिपेंडेंट हैं उनको रोजगार जरूर दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री कृपाल सिंह (अमृतसर) : अध्यक्ष महोदय, सैकड़ों लोग टेरेरिस्ट होने के इल्जाम में पकड़े जाते हैं उनके बालिदान को कई-कई महीने तक बताया ही नहीं जाता है कि उनका बच्चा कहां है। यह सुक्सिस का काम है कि कई जगह फेक एन-काउण्टर भी करते हैं। यह सारा काम एंटी टेरेरिस्ट के स्कीम के तहत किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिनको यह शक हो कि उनके बच्चे को नाजायज तरीके से पकड़ा गया है, उनकी बात को सुनने के लिए कोई जज, कमिश्नर नियुक्त हो, जिसके पास जाकर वे अपने इन्साफ की पुकार कर सकें और टेरेरिस्ट के नाम पर जिस तरह भाई मंजित सिंह सिख स्टूडैण्ट फेडरेशन के प्रधान हैं, वे पकड़े गए हैं··· (व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : भारत सरकार ने भारतवर्ष में जो एयरपोर्ट्स हैं, इनके नाम बदलने शुरू किए हैं और इसके अनुसार कलकत्ता के एयरपोर्ट का नाम सुभाषचन्द्र बोस के नाम से रखा गया, यह आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि सुभाषचन्द्र बोस बंगाल से संबंधित थे। मद्रास एयरपोर्ट का नाम आपने कामराज जी के नाम से रखा, वे तमिलनाडु से संबंधित थे, यह भी आपने बहुत अच्छा काम किया है। वहीं पर जो दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका नाम आपने अन्नादुरई के नाम से रखा, यह भी आपने बहुत अच्छा काम किया क्योंकि वे भी तमिलनाडु से संबंधित थे। लेकिन हमारे मुम्बई शहर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम आपने पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाम से रखा है। महाराष्ट्र के लोगों ने मांग की है कि इस एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी होना चाहिए। (व्यवधान) सहार इंटरनेशनल हवाई अड्डे का नाम छत्रपति शिवाजी हो और शांताक्रुज डोमेस्टिक हवाई अड्डे का नाम डा० बाबा साहेब अम्बेडकर या देश के हवाई उड्डाण के प्रणेता जे०आर०डी० टाटा हो। (व्यवधान)···

श्री कालका दास (करोलबाग) : डा० अम्बेडकर भी तो महाराष्ट्र के हैं ? (व्यवधान)

श्री वसंत साठे (वर्धा) : इस तरह से एक बार नाम रखने के बाद, उसको बदलने की बात मत कीजिए। (**व्यवधान**)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लखनऊ एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी के नाम पर रख दिया जाए, हमें शिवाजी के नाम से कोई विरोध नहीं है। जिस तरह से माननीय सदस्य पोलीटिक्स कर रहे हैं, यह अनुचित है।

श्री राम नाईक : मेरा जवाहरलाल जी के नाम से कोई विरोध नहीं है, मगर सवाल यह है कि महाराष्ट्र के लोगों की भावनाओं को इससे ठेस लगी है।

श्री वसंत साठे : इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : साठे जी, आप बैठ जाइए।

(**व्यवधान**)

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, मैंने 11 मई को नियम 377 के अन्तर्गत सूचना देकर यह सवाल उठाया था कि मुंबई में आंदोलन होगा और दिनांक 9 अगस्त, क्रांति दिन पर मुंबई के महापौर, मेयर, विधानसभा में विपक्ष के नेता, 70 विधायकों और 2000 सत्याग्रहियों ने इस सिलसिले में गिरफ्तारियां दी थीं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(**व्यवधान**)

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, यह आंदोलन गंभीर रूप ले रहा है। 15 अगस्त को इस आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दी गई है। हमारा पंडित नेहरू के नाम से कोई विरोध नहीं है। पहले भी वहां पर न्हावाशेवा बंदरगाह को नेहरू पोर्ट नाम दिया गया। मुंबई में नेहरू साइंस सेन्टर और प्लेनेटेरियम भी है, जवाहर आइलैंड भी है। नेहरू जी इलाहाबाद से बहुत संबंधित रहे हैं, इसलिए इलाहाबाद एयरपोर्ट का नाम नेहरू जी के नाम से दिया जा सकता है, लेकिन मुंबई के सहार एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी के नाम से होना चाहिए। महाराष्ट्र की जन-भावनाओं का आदर करते हुए केन्द्र सरकार इस बारे में क्या करने जा रही है? (**व्यवधान**) यह सदन को बताया जाये।

श्री वसंत साठे : आप पंडित नेहरू के नाम का विरोध कर रहे हैं। (**व्यवधान**) महाराष्ट्र के लोग इतने संकुचित नहीं हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : साठे जी, आप बैठ जाइए।

(**व्यवधान**)

श्रीमती सुमाखिनी अली (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महीने की पहली तारीख को हिमाचल प्रदेश गई थी। वहां पर कोटगढ़ इलाके में घूमने के बाद यह पता चला कि वहां के जो सेब उत्पादक हैं, उनको पिछले साल जो सेब का समर्थन मूल्य दिया गया था···।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : यह स्टेट सब्जेक्ट है, अगर यह मामला यहां उठाया

[श्री मदन लाल खुराना]

गया तो कलकत्ता कारपोरेशन के चुनावों की बात भी यहां पर उठाई जा सकती है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ दाम के बारे में अनुमति दी गई है।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : दाम का क्या ताल्लुक है, दाम क्या सेंटर तय करता है, दाम तो हिमाचल सरकार ने तय करने हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्टेट का मसला नहीं उठाने दिया जाएगा, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : अध्यक्ष महोदय, आप एक महिला सदस्य को इस प्रकार चुप कैसे करा सकते हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको चुप नहीं किया है। मैंने किसी भी व्यक्ति को चुप नहीं किया है।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम् : उन्होंने उनको दबा लिया है। यह सही तरीका नहीं है। उन्होंने तो अभी अपनी बात कही भी नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुमारमंगलम जी बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं इस सभा के औचित्य का प्रश्न कर रहा हूं। आपके पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने अनेक बार यह विनिर्णय दिया है और टिप्पणी की है कि जब सभा का सत्र चल रहा हो तो कोई नीति संबंधी घोषणा संसद से बाहर नहीं की जानी चाहिए।

उद्योग मंत्री श्री अजित सिंह ने इस सत्र के दौरान संसद से बाहर एक घोषणा की थी कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम शेयर जारी करेंगे और सार्वजनिक भागीदारी के तहत अपने हिस्से में वृद्धि करेंगे। यह तो सरकारी क्षेत्र का निजीकरण करने के लिए सरकार की नीति की खुली स्वीकृति है। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : यह घोषणा कब की गई थी ?

श्री बसुदेव आचार्य : यह घोषणा चार दिन पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक में की गई थी। आपके पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने यह विनिर्णय दिया था कि जब सभा का सत्र चल रहा हो तो संसद से बाहर कोई भी नीति संबंधी घोषणा नहीं होनी चाहिए। अतः मैं चाहता हूं कि आप भी इस

बारे में अपनी अप्रसन्नता प्रकट करें या इस बारे में टिप्पणी करें। सत्र के दौरान संसद से बाहर नीति संबंधी घोषणा नहीं की जानी चाहिए। कोई भी घोषणा करनी हो, वह सभा के अन्दर की जानी चाहिए। मैं इस बारे मे आपका विनिर्णय अथवा टिप्पणी चाहता हूं···(व्यवधान)···

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष जी, यह परम्परा रही है कि संवेदनशील इलाकों में और सीमान्त इलाकों में विदेशी नागरिक और विदेशी नागरिकों में किसी देश के राजनयिक बिना केन्द्रीय सरकार की इजाजत के नहीं जा सकते। पिछले दिनों एक ऐसी घटना घटित हुई है अमेरिकी दूतावास में कार्यरत एंडरसन नाम के व्यक्ति पंजाब के दौरे पर गए। उन्होंने वहां पर जितने आतंकवादी गिरोह या उनके साथ सिम्पैथी रखने वाले लोग थे उनके साथ सम्पर्क किया। उसके बाद 6 तारीख से 9 तारीख तक अमेरिकी राजदूत पंजाब के दौरे पर गए। अध्यक्ष जी, वहां पर उन्होंने उन सारे लोगों से सम्पर्क करने की कोशिश की। जो लोग वहां पर या तो आतंकवाद की वकालत कर रहे हैं या जिनका आतंकवादी गिरोह का सरगना होने का सन्देह है। उन्होंने जालन्धर में यहां तक कहा कि भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा पंजाब में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। अध्यक्ष जी, यह सरकार अमेरिकी सरकार के प्रेशर में आकर कई प्रकार के कदम उठा रही है। लेकिन आज हमारी सम्प्रभुता का सवाल है। इस पर कोई अंगुली उठाने की कोशिश करेगा तो हाउस चुप नहीं रह सकता। अध्यक्ष जी, हम आपका प्रोटैक्शन चाहते हैं। ऐसे मामलों में हाउस में डिस्कशन होनी चाहिए। आपके द्वारा गृह मंत्री और विदेश मंत्री को डायरैक्शन दी जानी चाहिए कि इस मामले में बयान दें। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है। इससे हमें तकलीफ पहुंची है। इस पर भारत सरकार को विचार करना चाहिए। यह एक प्रकार से सीधे हमारे देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप है और इसकी निन्दा की जानी चाहिए। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस मामले पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।

दूसरा इतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण फैसला है।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप एक ही उठा सकते हैं और दूसरी बात नहीं। आप बैठ जाएं।

श्री हरीश रावत : मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हमने इस पर कालिंग अन्टेशन का नोटिस दिया है, उस पर आप डिसकशन करवाइए।···(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : अध्यक्ष महोदय, पहले आप एजेन्डा देख लीजिए। जीरो-ऑवर भी है और मिनिस्टर्स यहां बैठे हुए हैं, इनको दूसरे हाऊस में भी जाना है।···(व्यवधान)

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख (परभनी) : अध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त पर माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो भाषण दिया है, उस संबंध में दो बातें कहना चाहता हूं।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मैंने एक सूचना दी है···

अध्यक्ष महोदय : आपने सूचना दी है, यह ठीक है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : उन्होंने कहा कि राम-जन्म भूमि के बारे में अदालत पर फैसला छोड़ दिया है। इससे हिन्दुओं की भावना का समाधान नहीं किया है। इससे हिन्दुओं की भावना को दुख पहुंचाया है। उन्होंने पैगम्बर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर छुट्टी दी है, वह सरासर मुस्लिम तुष्टीकरण है। इस्लामिक राष्ट्रों में उनकी छुट्टी और जन्म दिवस आमतौर पर मनाया जाता है यहां छुट्टी देने की जरूरत नहीं है। यह सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की ओर जा रही है।

आपको यह तुष्टीकरण छोड़ना होगा। राम जन्म भूमि के बारे में सहयोग देकर सभी मुसलमानों की भावना को जन-भावना दे दी है। उन्होंने हिन्दुओं की भावना के बारे में नहीं सोचा।··· (व्यवधान)

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : अध्यक्ष महोदय, कम्युनल थीम की बातें इस हाऊस में कैसे कह सकते हैं। प्रधान मंत्री जी ने जो भाषण दिया है तो इस तरह एक सवाल उठाना कहां तक उचित है और कैसे उठाया जा सकता है।

श्री सत्यपाल मलिक : अध्यक्ष महोदय, अदालत के फैसले को नहीं मानेंगे तो यह सदन में नहीं कहा जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री के भाषण को अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना। यह भाषण अत्यंत सुन्दर हिन्दी भाषा में था, लेकिन दुर्भाग्य से, चाहे जानबूझ कर या अनजाने में एक शब्द उपयोग किया गया, स्वतन्त्रता दिवस का उल्लेख करते हुए पुण्य तिथि कहा गया, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि क्या ·· (व्यवधान) दुर्भाग्य से, मैं जानता हूं कि यह बोलते समय अचानक हो गया और इस बारे में शुद्धि हो जानी चाहिए थी ·· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम यह मान लेते है कि वह अनजाने में ऐसा कह गए।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : लेकिन मैं समझता हूं कि जब आप लाल किले की प्राचीर से देश को सम्बोधित कर रहे हैं तो इसे इतने हल्के रूप में नहीं लेना चाहिए। यह, लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को सम्बोधन है··· (व्यवधान) इसका क्या अभिप्राय है ? वह किसकी पुण्य तिथि की बात कर रहे हैं। वह बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोलते··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी हिन्दुस्तानी जानते हैं।

———

1.50 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अन्तर्गत अधिसूचना; विदेश संचार निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार दूसरा (संशोधन) नियम, 1990, जो 15 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 574 (अं) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1206/90]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) विदेश संचार निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) विदेश संचार निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० —1207/90]

लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : चौ० जगदीप धनखड की ओर से मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) विवरण संख्या 28 — पांचवां सत्र, 1986

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1208/90]

(दो) विवरण संख्या 25 — छठा सत्र, 1986

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1209/90]

[श्री सत्यपाल मलिक]

(तीन) विवरण संख्या 23 — सातवां सत्र, 1986

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1210/90]

(चार) विवरण संख्या 23 — आठवां सत्र, 1987

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1211/90]

(पांच) विवरण संख्या 20 — आठवें सत्र का भाग-2, 1987 आठवीं लोक सभा

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1212/90]

(छह) विवरण संख्या 19 — नौवां सत्र, 1987

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1213/90]

(सात) विवरण संख्या 17 — दसवां सत्र, 1988

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1214/90]

(आठ) विवरण संख्या 13 — ग्यारहवां सत्र, 1988

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1215/90]

(नौ) विवरण संख्या 10 — बारहवां सत्र, 1988

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1216/90]

(दस) विवरण संख्या 9 — तेरहवां सत्र, 1989

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1217/90]

(ग्यारह) विवरण संख्या 6 — चौदहवां सत्र, 1989

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1218/90]

(एक) विवरण संख्या 4 — पहला सत्र, 1989 नौवीं लोक सभा

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1219/90]

(दो) विवरण संख्या 3 — दूसरा सत्र, 1990

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1220/90]

———

1.50½ म० प०

प्राक्कलन समिति

आठवां और दसवां प्रतिवेदन

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(एक) सूचना और प्रसारण मंत्रालय—आकाशवाणी और दूरदर्शन के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति (आठवीं लोक सभा) के 82वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सूचना और प्रसारण मन्त्रालय—फिल्म प्रभाग के संबंध में प्राक्कलन समिति (आठवीं लोक सभा) के 83वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्यवाही के बारे में समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

———

1.51 म० प०

समिति के लिए निर्वाचन

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की 30 अप्रैल, 1991 को समाप्त होने वाली अवधि के शेष भाग के लिए इस समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए श्री वीरेन्द्र वर्मा के राज्यपाल नियुक्त होने के कारण इस सभा का सदस्य न रहने तथा डा० जी० विजय मोहन रेड्डी, जिन्होंने समिति से त्याग-पत्र दे दिया है, के स्थान पर राज्य सभा से दो सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की 30 अप्रैल, 1991 को समाप्त होने वाली अवधि के शेष भाग के लिए इस समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए श्री वीरेन्द्र वर्मा के राज्यपाल नियुक्त होने के कारण इस सभा का सदस्य न रहने तथा डा०जी० विजय मोहन रेड्डी जिन्होंने समिति से त्याग-पत्र दे दिया है, के स्थान पर राज्य सभा से दो सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

[हिन्दी]

श्री वसंत साठे (वर्धा) : सैयद मोदी हत्याकाण्ड में सी० बी० आई० के बारे में कब देखेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : कल देखेंगे।

1.52 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय, पीठासीन हुए]

श्री हुकमदेव नारायण यादव (सीतामढ़ी) : श्रीमान, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय चले गये। यह नियम बना था शून्यकाल में कि लिखकर लोग देंगे, उसमें से नाम को पुकारा जायेगा। मुझे आप यह बता दीजिए कि यह सदन कार्य संचालन नियमावली से चलता है, कार्य मंत्रणा समिति के आदेश से चलता है या बिना नियम के चलता है। मैं इतने दिनों से सदन का सदस्य हूं और तीसरी बार चुनकर आया हूं। लगातार नियम 184, नियम 193 और ध्यानाकर्षण के तहत 1500 करोड़ रुपये इस देश के बोरिंग पम्पिंग सेट्स घोटाले में किसानों को लूटकर खा गये बैंक के अधिकारी, यह मामला मैं इतने दिनों से लगातार कार्य संचालन के तहत और हर नियमावली के तहत उठाता हूं, लेकिन न इसे 193 में लेंगे, न 184 में लेंगे तो कैसे लेंगे। 1982 में यह घोटाला हुआ, मैं इसको उठाना चाहता हूं, मेरे पास इस 1500 करोड़ रुपये के घोटाले के पेपर्स हैं और बैंक के 6 अधिकारी डिसमिस हो चुके हैं···(व्यवधान) पाइंट आफ आर्डर के माध्यम से ही मैं पूछना चाहता हूं कि इस मामले को उठाने की अनुमति कैसे मिलेगी। आखिर हम लोग जो लिखकर देते हैं तो किस नियम के तहद दें और किस नियम के तहत उठायें। इस सदन में सत्याग्रह करके उठायें या जब तक सदन की कार्यवाही चले तब तक खड़े रहें। अभी कुमारमंगलम् जी और साठे साहब कह रहे थे, इससे भी कम महत्वपूर्ण मामले को वे घंटो तक खींच सकते हैं, लेकिन इस मामले को सदन में उठाने की अनुमति नहीं दे सकते। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले को किस नियम के तहत उठाऊं। मैं अध्यक्ष महोदय को लिख-लिखकर थक गया। जो कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य हैं वे नियम 184 और नियम 193 के तहत अपनी बात को पास करवा लेते हैं और सदन में बहस कराते हैं। जो कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य नहीं हैं वे क्या करें, वे तो हमारी तरह ही रहेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : डाक-तार विभाग के लाखों कर्मचारी जो दूर-दराज में काम करते हैं वे प्रधान मंत्री के निवास पर अपनी समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : यह खत्म हो गया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : हमने सामान्य भोजन अवकाश अवधि बहुत पहले ही पार कर ली है। हमने कार्य मंत्रणा समिति में पहले ही सहमति व्यक्त की है कि जहां तक हो सके हम भोजनावकाश को समाप्त नहीं करेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भोजनावकाश के लिए सभा स्थगित की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप क्या कहना चाहते हैं ?

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : उपाध्यक्ष जी, हम तो बार-बार रोज चेयर से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सारी चीजें ठीक से चलें।

[अनुवाद]

मैं यह आप पर छोड़ता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम मध्याह्न भोजन के लिए सभा स्थगित करते हैं। हम मध्याह्न भोजन के पश्चात् 3 म० प० पर पुन: समवेत होते हैं।

1.56 म० प०

[तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3.00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।]

3.04 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 3.04 म० प० पर पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेगी जो पिछले दिन अर्थात 10 अगस्त, 1990 को पूरा नहीं हुआ।

प्रो० यदुनाथ पाण्डेय—उपस्थित नहीं हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त—उपस्थित नहीं हैं।

श्री राम बहादुर सिंह—उपस्थित नहीं हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम।

3.05 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कर्मचारियों के आंदोलन से उत्पन्न स्थिति

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से, मंत्री जी का वक्तव्य बहुत असंतोषजनक है और कई महत्वपूर्ण सूचनाएं जिन्हें सरकार निश्चित रूप से जानती है, उन्हें वक्तव्य में से बहुत आसानी से निकाल दिया गया है। उसके अतिरिक्त जान बूझ कर, भ्रमित करने वाले कुछ वक्तव्य रखे गए हैं। महोदय, मुझे दुख होता है क्योंकि मैं जानता हूं कि मंत्री जी साधारणत: कर्मचारियों से बहुत सहानुभूति रखते हैं, किन्तु ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री बनने के पश्चात् उन्हें अपने मूल विचार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है और यह एक ऐसा मामला है जो एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें यह सिद्ध हो गया है कि अधिकारी वर्ग ही इस देश पर शासन करता है और उनके कहे शब्द ही कानून है। वह सभी मामलों में जनता से संसद से ऊपर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में हमें आमतौर पर भाषण देने की अनुमति नहीं होती। मुझे इसका ज्ञान है। इससे पहले कि आप मुझे याद दिलाएं, मैं इसे स्वीकार करता हूं। किन्तु इस समय मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं माननीय मंत्री से कुछ विशेष सूचना चाहता हूं जो मैं एक अकेले प्रश्न के रूप में पूछूंगा, किन्तु वास्तव में वे प्रश्न एक शृंखला में होंगे। क्योंकि, एक अकेला प्रश्न अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की घटनाओं के बारे में सम्पूर्ण प्रश्न होगा। इसमें कुछ विशेष तथ्य हैं। पहला प्रश्न मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एक विधान द्वारा बनाया गया था और क्या यह एक स्वायत्त संस्था है; और क्या इस संस्था के निर्माण का उद्देश्य यह था कि एक राष्ट्रीय महत्व की एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो अनुसंधान, प्रशिक्षण और चिकित्सा में सर्वश्रेष्ठ हो। इसका उद्देश्य व्यापक स्तर पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने का नहीं था बल्कि विशिष्ट चिकित्सा सहायता देने का था जहां अनुसंधान कार्य किया जाए और यह सारे भारत में जाना जाए। ऐसे लोग जिन्हें असाध्य रोग है वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रवेश लेने के लिए एक दूसरे की होड़ करते हैं।

यह एक सुविख्यात तथ्य है कि इस संस्था ने सर्वाधिक महत्व की संस्था होने की प्रतिष्ठा प्राप्त की है। फिर भी, मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ऐसा मानती है, चाहे जनता ऐसा मानती हो और क्या आप इसे दूसरे अस्पतालों के समान मानते हैं अथवा यह सिर्फ एक अस्पताल की अपेक्षा एक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्था अधिक है।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि 1984 में, उन सभी कर्मचारियों को जिन्होंने 8 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया था, उन्हें पदोन्नति दी गयी थी और क्या इसी प्रकार की सहायता, जैसा कि मैं समझता हूं, सिर्फ स्नातकोत्तर संस्थाओं में ही दी गई थी और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत किसी अन्य अस्पताल को नहीं दी गई।

मैं यह भी जानना चाहूंगा की क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में, एक स्वायत्त संस्था होने के कारण चतुर्थ वेतन आयोग के वेतनमान एक संकल्प द्वारा लागू करने की जरूरत होती है या ये वेतनमान अपने आप ही लागू हो जाते है ?

और, मैं माननीय मन्त्री से इन विशेष प्रश्नों का उत्तर भी चाहूंगा जो कुछ ऐसे तथ्यों के बारे

में है जो छिपाए गए हैं। इन तथ्यों को प्रकाश में लाना होगा। अन्यथा, हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जब सदन को सूचना उपलब्ध नहीं होगी और मंत्री एक तथ्य विहीन वक्तव्य दे कर काम चला सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह जानते हैं कि चतुर्थ वेतन आयोग में किसी भी कैरियर विकास योजना या पदोन्नति नीति की व्यवस्था नहीं है? क्या मंत्री जी को पता है कि वेतनमान और पदोन्नति दो अलग चीजें हैं? या वे इससे अनजान हैं क्योंकि उनके वक्तव्य से पता चलता है कि वह इन दोनों स्पष्टत: भिन्न मुद्दों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और इनको अलग करके पहचान नहीं पा रहे? क्या मन्त्री जी जानते हैं कि सरकार की पदोन्नति योजनाएं एक स्वायत्त संस्था में अपने आप ही लागू नहीं हो सकती जब तक कि वह स्वायत्त संस्थान, प्रबंध संकाय, इस बारे में निर्णय नहीं लेती? क्या मन्त्री जी को यह भी पता है कि कई संस्थान, विशेषकर वित्त क्षेत्र में—क्योंकि वित्त मन्त्री उपस्थित हैं इसलिए मैं कहना चाहूंगा—यहां तक कि बैंकिंग उद्योग में भी, हर संस्थान में पदोन्नति की राहें और अवसर भिन्न होतें हैं वे संस्थान की प्रकृति, काम के स्वरूप और इसकी पृष्ठभूमि पर निर्भर करते हैं?

मैं जल्दी ही अपनी बात खत्म कर रहा हूं। यह प्रश्न तो करना ही होगा। दुर्भाग्य से ये मूलभूत मुद्दे नहीं उठाए गए।

1988 में, बी० एन० टंडन समिति का गठन किया गया था जिसका उद्देश्य—पदोन्नति के अवसरों की सिफारिश करना तथा कैरियर विकास के लिए एक योजना बनाना था। इसने अपनी सिफारिशें दी। 7 सितम्बर 1989 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रबंध संकाय द्वारा इस पर विचार किया गया, जिसमें अध्यक्ष स्वास्थ्य मन्त्री थे। क्या यह भी सत्य नहीं है कि वित्त समिति ने जिसमें अध्यक्ष स्वास्थ्य सचिव थे उसने अनुमति दे दी पर अपने निर्देशों से यह भी सिफारिश थी कि पांच वर्षों की अपेक्षा, आठ वर्ष की अवधि पर विचार करना चाहिए?

1 अप्रैल, 1990 को वर्तमान स्वास्थ्य सचिव ने स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव, श्री आहूजा, के द्वारा यह प्रस्ताव भेजा कि संवर्ग पुनरावलोकन का लाभ, 1984 के संवर्ग पुनरावलोकन में जो कर्मचारी छूट गए थे, उनके लिए 1.4.85 ले कल्पित वेतन निर्धारित करके और 1.1.90 से बकाया राशि का भुगतान किया जाए और इस संवर्ग पुनरावलोकन में 1.4.1992 तक के सभी कर्मचारी आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त, क्या बी० एन० टंडन समिति की सिफारिशें जल्दी ही लागू की जाएगी? क्या यह प्रस्ताव उक्त संयुक्त सचिव के द्वारा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को भेजा गया था अथवा नहीं? क्या स्वास्थ्य राज्य मन्त्री ने 15.4.90 को कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया था कि 19 मई, 1990 तक वह उनकी इच्छानुसार मामले को निपटा देंगे? क्या मंत्री जी को पता है कि दोनों मांगों पर कुल व्यय 20 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा?

6-8-90 को 'हिंदुस्तान टाइम्स' में एक लेख छपा था जिसमें मन्त्री जी ने कहा है कि वास्तविक मुद्दे विशेषकर इन दोनों मामलों को सुलझा लेंगे। क्या यह सत्य नहीं है कि मन्त्री जी का रुख पहले सहानुभूति पूर्ण था और जब वित्त मन्त्रालय में नौकरशाहों ने उनकी बात नहीं मानी तभी उनका यह रुख सामने आया? किन्तु, दुर्भाग्य से, उसी दिन जब आपके विचार 'हिंदुस्तान टाइम्स' में छपे थे, उस प्रचार सूचना अधिकारी ने एक पत्र दिया, जिसे छापा भी गया था, जो लगभग उसी वक्तव्य का मूलरूप है जो इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में सभा पटल पर गया था। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस सरकार का यह विचार है कि पदोन्नति के मामलों में भी यह स्वायत संस्थानों, शासक बोर्ड, और प्रबंध समिति

[श्री पी० आर० कुमारमंगलम]

के निर्णयों और अपने स्वास्थ्य मन्त्रालय के निर्णयों को भी अस्वीकार कर सकती है। और क्या आप सब में कोई वास्तविक सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना हैं। या क्या ऐसा है कि वित्त मंत्रालय शासन करता है और अन्य सेवा करते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो प्रस्ताव पहले रखा गया था उसे भी वापस ले लिया गया है। यह ऐसा ही है जैसे एक हाथ से देना और दूसरे से छीनने की कोशिश करना। मैं सोचता हूं, कि माननीय मन्त्री जी सुन रहे हैं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : वह सुन रहे हैं पर समझ नहीं रहे।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : वे अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी समस्या कम भाग में है। और वह मुख्य मुद्दा है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद) : समस्या मेरे सामने है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : वास्तविक स्थिति यह है कि कई कर्मचारी आठ से दस सालों से, और कहीं कहीं पंद्रह वर्षों से एक ही पद पर कार्य कर रहे हैं। अपने मित्र श्री रावत की बात मैं समझ सकता हूं कि उनमें से कुछ 18 वर्षों से एक ही पद पर हैं। और अभी भी आप उस योजना को मानने को तैयार नहीं है जो कर्मचारियों द्वारा नहीं बल्कि प्रबंध संकाय द्वारा नियुक्त समिति ने बनाई है और आप इसे यह कहकर ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी राष्ट्रीय प्रतिक्रिया होगी। इसका राष्ट्रीय प्रभाव कैसे हो सकता है जबकि अ० भा० आ० स० जैसा कोई संस्थान नहीं है। आप इसे जे० आई० पी० एम० ई० आर० कह सकते हैं, आप इसे पी० जी० आई० चण्डीगढ़ कह सकते हैं.....

अध्यक्ष महोदय : आप 15 मिनट बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : आप जो बोल रहे हैं, वह समझ रहे हैं?

श्री पी० आर० कुमार मंगलम् : आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं क्या करूं। आप अनुवाद के लिए थोड़ा हैड फोन लगा लें। तकलीफ यह है कि आप लोग मजदूरों का दिल नहीं समझते, उनकी आवाज नहीं समझते।...(व्यवधान)...हो सकता है, मुलायम सिंह जी ने कहा हो कि और किसी भाषा में समझना मत। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको ध्यानाकर्षण करना है और एक स्पष्टीकरण प्रश्न पूछना है। एक निर्धारित चर्चा में भी आप 15 मिनट तक नहीं बोल सकते।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैं सिर्फ इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यह संस्था राष्ट्रीय महत्व की है। इस संस्था को बलपूर्वक बन्द किया गया है। श्रमिकों के विरुद्ध झूठे मामले वर्ग किए

गए हैं। उन्हें उनके घरों से गिरफ्तार किया गया है। संस्था को दिन प्रतिदिन तोड़ा जा रहा है।

एक आरोप यह लगाया गया था कि निदेशक का समय बढ़ाए जाने में कांग्रेस के लोग शामिल थे। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि कांग्रेस दल के दो संसद सदस्य प्रबन्ध निकाय में हैं। 15 जून को जब समय बढ़ाये जाने सम्बन्धी निर्णय लिया गया था तो दोनों ही उस बैठक में उपस्थित नहीं थे। यह इस आरोप की कोई आवश्यकता नहीं है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि सरकार ऐसा चाहती है, सभी निवासी चिकित्सक, फैकल्टी चिकित्सक, छात्र चिकित्सक और कर्मचारी संघ संघ महसूस करते हैं कि अवधि बढ़ाए जाने की प्रक्रिया उचित नहीं है। मैं किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। किन्तु जब अवधि बढ़ाए जाने का कोई प्रावधान ही नहीं है तो मैं सोचता हूं, कि अवधि बढ़ाने की इस व्यवस्था का बिलकुल पालन ही नहीं किया जाना चाहिए।

मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन और अपील करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि वे अधिकारियों के कहने में आकर श्रमिकों के विरुद्ध कोई सख्त कदम न उठाएं। श्रमिकों का पक्ष उचित है। उन्होंने कुछ नहीं किया है। मैं केन्द्रीय मंत्री महोदय से यह निवेदन कर रहा हूं कि वे श्रमिकों के साथ बैठें और इसका फैसला करें और वित्त मंत्रालय को समझाएं कि उनके द्वारा की गई आपत्ति अनुचित है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : सबसे पहले, मैं इस बात के लिए क्षमा मांगता हूं कि जब मुझे बुलाया गया तो मैं यहां नहीं था। मुझे गलत सूचना दी गई थी। मुझे बताया गया था कि मध्यान्तर के तुरन्त बाद नियम 377 के अधीन विषय लिए जाएंगे··· (व्यवधान)।

महोदय, मेरे विचार से इस चिकित्सकीय संस्थान के दुर्भाग्यपूर्ण बन्द किए जाने की बात लम्बे समय से चल रही है। अब समय आ गया है कि कोई पहल की जाए, इन झगड़ों का समाधान करने के लिए कोई कदम उठाया जाए। यह सत्य है कि ऐसी किसी गतिरोध में, जैसे इस चिकित्सकीय संस्था में है, अन्त में मरीज ही कष्ट पाते हैं। यह देश में इस प्रकार की प्रमुख या सबसे अधिक प्रतिष्ठापूर्ण संस्था है, जो केवल अस्पताल ही नहीं, अपितु यह मरीजों की देखभाल और चिकित्सकीय अनुसंधान के लिए भी बनाया गया है। मुझे माननीय मन्त्री के सम्भाषण में ऐसा कुछ आरम्भिक या मित्रतापूर्ण आवाज सुनाई नहीं देती जिससे जल्दी समाधान हो सके। मैं कहूंगा, वे उन लोगों के प्रति, जिन्होंने हड़ताल की है, उनके रवैये में काफी हठधर्मी है।

जहां तक श्रमिकों का प्रश्न है, मैं जानना चाहूंगा कि क्या उनका ध्यान उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जो आज प्रेस में छपी है, यह हड़ताली श्रमिकों की ओर से है जिसमें उन्होंने चिकित्सकों को बाहर काम शुरू करने के लिए, मरीजों को बाहर चिकित्सकीय सुविधा दिलाने के लिए इमारतों के बाहर तम्बू लगाकर और अस्पताल में कमरों की सफाई में मदद करने की पेशकश की है। किन्तु इसके लिए मन्त्री महोदय को स्वयं वहां आकर उसका निरीक्षण करना होगा। कमरों में सफाई का काम किया जाएगा और बाहर तम्बुओं में बहिरंग रोगी विभाग का काम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हड़ताली श्रमिक मरीजों के कष्ट के प्रति संवेदनारहित है, किन्तु मैं कहता हूं कि यह बहुत खेदजनक बात है कि इतने लम्बे समय तक इस प्रकार काम रुके जाए और इससे वास्तव में बहुत कष्ट हो रहा है। अब, मेरे पास उस वक्तव्य की मूल है, मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री ने इसे देखा है या नहीं, जिसे जारी किया गया है ; यह विभिन्न दलों के संसद सदस्य द्वारा, दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर, हस्ताक्षर की गई जनता की एक अपील है जिसमें लोगों ने कर्मचारियों से बीमार जनता इत्यादि के भले के लिए अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को समाप्त करने के लिए अपील की है। उन्होंने सरकार

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

से और विशेष तौर पर मन्त्री से अपना कठोर, जिद्दी और कड़ा रुख, जो उन्होंने अपनाया है, समाप्त करने की अपील की है। उन्होंने निदेशक और अन्य लोगों से भी अपील की है। ऐसे समय में, मैं निदेशक या निदेशक की भूमिका को इन सारे मामलों में नहीं घसीटना चाहता। इसलिए, मैं एक बात अवश्य कहूंगा यदि हर बात नियमों के अनुसार की जाती है और सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को भी यह याद दिलाया जाता है कि उन्हें नियमों का पालन करना है, तो यही प्रक्रिया हर सम्बन्धित व्यक्ति पर लागू की जानी चाहिए। जहां तक निदेशक का प्रश्न है क्या यह सत्य नहीं है कि अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान विधेयक, के विशेष रूप से नियम 7 के खण्ड 4 के पदों और नियुक्तियों की रचना सम्बन्धी नियमों का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया है।

इस खण्ड के अनुसार :

> "निदेशक के छुट्टी पर जाने, इस्तीफा देने या अवकाश ग्रहण के मामले में, किसी भी स्थिति में पद के रिक्त हो जाने से, राष्ट्रपति सबसे वरिष्ठ प्राध्यापक को नए निदेशक की नियुक्ति होने तक निदेशक का कार्यभार सम्भालने के लिए, छः महीने से अनाधिक की अवधि के लिए नियुक्त कर सकता है।"

नियम इस प्रकार का है। किन्तु क्या वर्तमान निदेशक की समयावधि बढ़ाते समय इस नियम का पालन किया गया है ? इसलिए, मैं इस मुद्दे पर जोर नहीं डालना चाहता। मेरे कहने का अर्थ है कि जब आप नियमों की बात करते हैं तो आपका एक समान मापदण्ड, एक समान मानक होना चाहिए।

खैर, मन्त्री जी का मुख्य तर्क दो विषयों से सम्बन्धित है। एक यह कि यदि उनकी मांगें मान ली जाती हैं तो इसके अन्य सरकारी विभागों और सरकारी श्रमिकों पर कई प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे, और यह एक उदाहरण बन जाएगा। दूसरे, चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग ने इस विषय पर पहले ही विचार कर लिया है, इसलिए, एक बार जब वे वेतनमान सम्बन्धी वेतन आयोग के निष्कर्ष को स्वीकार कर लेते हैं तो संवर्ग पदोन्नति के लागू किए जाने का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या यह सत्य नहीं है वेतनमानों का संशोधन और पदोन्नति के अवसरों का प्रावधान एक ही बात नहीं है। वे एक समान नहीं हैं वे दो अलग विषय हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अब क्योंकि वेतन आयोग ने ठहराव के प्रश्न पर विचार नहीं किया और वेतन आयोग ने वर्ग पदोन्नति के प्रश्न पर भी विचार नहीं किया, तो क्या इस सम्बन्ध में वेतन आयोग का हवाला देना ठीक है ? इसमें वेतन आयोग को घसीटने की क्या आवश्यकता है ? वेतन आयोग को वर्ग पदोन्नति से कुछ लेना देना नहीं था, और न ही इसका उसके ठहराव से कोई सम्बन्ध था। इसलिए, यह बहुत अजीब बात है कि यह समिति—बी०एन० टण्डन समिति—को 1988 में बनाया गया था। इसे 1988 में क्यों बनाया गया है ? मैं मंत्री महोदय से अपने इस प्रश्न का उत्तर चाहूंगा कि यदि वेतन आयोग ने हर विषय निबटा लिया था तो वेतन आयोग के बाद 1988 में इस बी०एन० टण्डन समिति को बनाने की क्या आवश्यकता थी ? किस प्रयोजन के लिए ? और इस समिति ने 1989 में अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसे संस्थान की वित्त समिति ने मान लिया था। इस रिपोर्ट को संस्थान के प्रबन्ध संकाय ने भी मान लिया था। इन प्रक्रियाओं की क्या आवश्यकता थी ? उन्हें कहना चाहिए था कि वेतन आयोग ने इस विषय को निपटा दिया है और, इसलिए, अब इस समिति की रिपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है।

महोदय, भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री- श्री मसूद के पूर्ववर्ती—ने भी आश्वासन दिया था—या उन्होंने नहीं दिया था ?—कि बचे हुए 1400 श्रमिकों का संवर्ग पुनरावलोकन किया जाएगा। इसलिए, यह ऐसा विषय नहीं है जो आज अचानक रातोंरात उत्पन्न हो गया है··· (व्यवधान)।

श्री रशीद मसूद : यह आश्वासन कहां दिया गया था ? क्या यह सदन के बीच दिया गया था अथवा निजी बातचीत में दिया गया था ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं नहीं जानता कि इसे निजी बैठक में दिया गया था या सदन के बीच सार्वजनिक रूप से दिया गया था।

श्री रशीद मसूद : क्योंकि मैं स्वयं इस आश्वासन के विषय में नहीं जानता इसलिए मैं जानना चाहता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ठीक है, यह हो सकता है। किन्तु मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि इस कर्मचारी संघ के नेताओं का यह कहना है कि उनकी मन्त्री महोदय के साथ कई बैठकें हुईं— वे अवश्य निजी बैठकें रही होंगी—और इन बैठकों के दौरान मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि टण्डन समिति की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों वर्ग पुनरावलोकन और अन्य अनुशंसाओं को जल्दी लागू कर दिया जाएगा। यदि इन आश्वासनों का पालन नहीं किया जाना था तो इन्हें देने की क्या आवश्यकता थी ? इसलिए, जो मैं कह रहा हूं वह यह है कि यह सब बहुत सम्भ्रमित है क्योंकि या तो आप कहें कि वेतन आयोग ने जो किया है आप उसको स्वीकार करते हैं और बात यहीं समाप्त हो जाती है, इस पर कोई और चर्चा नहीं होगी, अथवा, आप एक और समिति का गठन कर लें। समिति रिपोर्ट देती है। संस्थान के प्रबन्ध द्वारा रिपोर्ट को मान लिया जाता है, अनुशंसाओं को मान लिया जाता है, जिसमें संस्थान के वित्त सचिव के अलावा स्वास्थ्य सचिव और अन्य कई व्यक्ति शामिल होते हैं, और अब यह कहा जा रहा है कि इसकी आवश्यकता नहीं है और इसलिए इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान संपादक के नाम एक पत्र की ओर दिलाना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने इसे पढ़ लिया है। यह श्री भीष्म पाल, भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालय तथा पत्र सूचना कार्यालय के उप प्रमुख सूचना अधिकारी, द्वारा लिखा गया है जो 6 अगस्त के हिन्दुस्तान टाइम्स में छपा है।

यह हड़तालियों को प्रति उत्तर है जिसमें उन्होंने कठोरता से उनकी मांगों को अस्वीकार कर दिया। लेकिन मन्त्री द्वारा सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य में भीष्म पाल के प्रेस में छपे हुए पत्र के कई वाक्यों और पैराओं को शब्दशः देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। यह कैसे हुआ ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्रालय के सचिव, अधिकारीगण और नौकरशाह मन्त्री महोदय को गलत सलाह देकर गुमराह कर रहे हैं। और उनकी सलाह से ही उन्होंने यह वक्तव्य सदन में दिया है। यह कार्य करने का बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। वह अपने वक्तव्य का हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे पत्र के साथ मिलान कर सकते हैं और वह पाएंगे कि दोनों में वही शब्द, वही वाक्य और पैराग्राफ है। अतः इसका क्या निष्कर्ष निकलता है ? मैं अब यह कहना चाहूंगा कि अन्ततः एक दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है कि वह पहले हड़ताल वापस लें तभी हम उनके साथ बातचीत को तैयार हैं। यहां तक की अब तक यह दृष्टिकोण भी नहीं अपनाया गया कि पहले वह हड़ताल वापस लें और फिर हम उनके साथ बैठकर उनकी मांगों पर विचार करने को तैयार हैं क्योंकि इस समय यह कहा जा रहा है कि मांग विचारणीय

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

नहीं हैं मांगें असंगत हैं, और मांगों का वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं है। अभी तक यह भी नहीं कहा गया है कि यदि हड़ताल वापिस ले ली जाती है तो हम उनके साथ बातचीत करेंगे या फिर किसी मध्यस्थ को नियुक्त किया जायेगा और विवादास्पद मुद्दों पर दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय देगा जो कि दोनों पक्षों के लिए मान्य होगा। इस लंबे विवाद में वह कहते हैं कि पहले हमारी मांगें पूरी कीजिए फिर हम हड़ताल वापिस लेंगे। अधिकारी कहते हैं कि पहले हड़ताल वापस लीजिए तब हम आपकी मांगों को स्वीकार करेंगे। इससे समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इससे दोनों पक्षों का रवैया कठोर हुआ है। इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए इसका कोई हल निकाला जाना चाहिए। मुझे कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि ने बताया कि हड़तालियों को पुलिस बहुत परेशान कर रही है उन्हें धमकाया और परेशान किया जा रहा है। संघ के अधिकारियों और पदाधिकारियों सहित अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ को जमानत पर छोड़ा जा चुका है कुछ को नहीं, वह परिसर में प्रवेश करके घरने पर बैठे लोगों को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मन्त्री ने अपने वक्तव्य में बहुत सख्त बातें कही हैं। उनके अनुसार कर्मचारियों को जिस तरह पेश आना चाहिये वह उस तरह पेश नहीं आ रहे हैं और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। मैं इसका समर्थन नहीं करता। लेकिन इससे पुलिस की दमनकारी कार्यवाही का औचित्य सिद्ध नहीं होता। इससे कोई हल नहीं निकलता है। इस तरह पुलिस के दमन से समस्याएं हल नहीं होती। हम इसे राष्ट्र के भिन्न-भिन्न हिस्सों में अलग-अलग तरह से देख रहे है। अतः यह अच्छा होगा कि पुलिस के तरीके, डण्डा राज का इस्तेमाल न किया जाये। आखिरकार वह आपके कर्मचारी हैं। आपको उनके साथ भविष्य मे काम करना है, आपको उनके साथ काम करना ही होगा। इसलिये यह उचित होगा कि लचीला, उचित और सहयोगपूर्ण रुख अपनाया जाये और मिल बैठकर बातचीत से मसले को हल किया जाये। वेतन आयोग को बीच में लाकर मामले को उलझा दिया गया। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वेतन आयोग से इसको अलग करें क्योंकि वेतन आयोग का मुख्य कार्य वेतनमानों में संशोधन से है और इसका पदोन्नति के अवसरों से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह हमारी मुख्य मांग है जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि उनके सेवाकाल में कुछ समयबद्ध पदोन्नतियां तो होनी ही चाहिये। चाहे वह 15 साल में 3 पदोन्नतियां या 8 वर्ष में एक हो। मैं समझता हूं कि श्री दण्डवते यह अच्छी तरह जानते हैं कि सभी सरकारी विभागों में समयबद्ध पदोन्नति की मांग आज एक सामान्य बात है।

श्री शरद दवे (द्यो० अमृ दण्डवते) : यह मामला जे० सी० एम० के सामने है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी हां, यह मामला जे० सी० एम० के सामने है। लेकिन जे० सी० एम० इस योजना के विस्तृत स्वरूप पर कार्य कर रही है। समयबद्ध पदोन्नति का सिद्धान्त स्वीकारा जा चुका है क्योंकि यह न्यायसंगत है। एक व्यक्ति जो अपने पूरे जीवन के 25 से 30 वर्ष गुजार देता है उसे कभी पदोन्नति नहीं मिलती। अतः उन्होंने समयबद्ध पदोन्नति की मांग की है। माननीय मंत्री जी को इस सिद्धान्त को स्वीकारना चाहिये। इसके सभी पहलुओं पर बातचीत हो सकती है और इसका हल निकाला जा सकता है। इस संकट में, मैं नहीं समझता कि कठोर रवैया अपनाना या बातचीत करने से इन्कार करना सही है। इस तरह से हड़ताल नहीं टूटने वाली है।

मंत्री महोदय मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हड़ताल नहीं टूटने वाली है। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि 20 अन्य अस्पतालों के कर्मचारियों ने बैठक करके प्रस्ताव पारित करके और वक्तव्यों द्वारा

आयुर्विज्ञान संस्थान के लोगों को समर्थन देते हुये कहा है कि यदि आपकी हड़ताल को तोड़ने के तरीके अपनाये गये तब हम आपका समर्थन करेंगे और आपका साथ देंगे। इससे क्या लाभ होगा ? इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। अतः मैं समझता हूं, कि यह सभी के हित में होगा कि मंत्रालय यह नौकरशाही रवैया छोड़ दे। मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें। मन्त्री का यह वक्तव्य भी नौकरशाहों की भाषा और शैली में है। यह नौकरशाही रवैया है।

मुझे हैरानी नहीं हुई है क्योंकि यही भाषा प्रेस सूचना ब्यूरो के अफसर ने हिन्दुस्तान टाइम्स को लिखे पत्र में इस्तेमाल की है और अपने पुराने मित्र श्री रशीद मसूद जो पहले इस ओर बैठा करते थे मैं उनको बड़े नौकरशाहों, अफसरों से सचेत रहने को कहूंगा। मैं नहीं जानता इस सबके पीछे वह कौनसा खेल खेल रहे हैं। लेकिन उन्हें सचेत रहना चाहिये और उनकी हर सलाह को नहीं मानना चाहिये। उन्हें स्वयं इस दिशा मे पहल करनी चाहिये और अपने कर्मचारियों से सम्पर्क करना चाहिए। मुझे विश्वास है। यदि उन्हें यह विश्वास हो जाये कि मन्त्री महोदय हमारे साथ सहानुभूति रखते हैं हमारे साथ बैठकर वह गुण दोष के आधार पर हमारी मांग पर विचार करने को तैयार हैं तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा।

मुझे आशा है कि इस संबंध में वह कुछ करेंगे।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : उपाध्यक्ष महोदय, आल इंडिया मेडिकल इंस्टीच्यूट कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में छुट्टियों से पहले कालिंग अटेन्शन मंजूर हुआ था। पाण्डेय जी व अन्य सदस्य बोल रहे थे और आज दो माननीय सदस्य बोले हैं। कर्मचारियों को कितनी सहूलियतें दी जा सकती हैं, इस पर हमारे साथियों को बहुत ज्यादा गंभीरता से सोचना चाहिए। इन कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से और मेडिकल बन्द होने से जो मरीज परेशान हैं और मर जायेंगे, उनकी जिन्दगी और बीमारी के बारे में किसी को कोई चिंता नहीं है। मेरे दोस्त कुमार मंगलम जी ने इन कर्मचारियों के लिए हमदर्दी की बात की है और कहा कि हमें हमदर्दी नहीं थी। मैं जो हमदर्दी करता हूं, करता था और करता रहूंगा। लेकिन जो लोग मर रहे हैं, उनको बचाना मेरा कर्तव्य है।

जिनको दो वक्त रोटी मिल रही है तो उनके ऊपर दूसरे नम्बर पर ध्यान देना है। मैंने कर्मचारियों से मुस्तकिल बहुत गुजारिश की है और उनसे हमदर्दी रही है लेकिन कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। सन् 84 में जो कुछ दिया गया था तो उन्हें उसी तरीके से आठ साल में टाइम बाउन्ड प्रमोशन मिलना था यह उनका कहना था। सन् 56 में इंस्टीच्यूट की स्थापना हुई और सन् 84 तक किसी को कोई प्रमोशन नहीं मिला। जब स्टेगनेशन हो गया तो यह कहा गया कि टाइम बाउन्ड प्रमोशन दिया जाए। यह सिलसिला हुआ कि उनको प्रमोशन दिया जाए और टाइम बाउन्ड लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। उस वक्त यह फैसला हुआ कि सन् 76 से लेकर सन् 84 तक जिनकी आठ साल की सर्विस है तो उससे ज्यादा सर्विस वालों को एक प्रमोशन दिया जाए। यह एग्रीमेंट उस वक्त नहीं था कि टाइम बाउंड प्रमोशन दिया जायेगा। उस वक्त कोई कर्मचारी ऐसा नहीं रहा जिसकी आठ साल की कम से कम सर्विस हो गयी हो और उसको एक भी प्रमोशन न मिला हो। आज यह दुबारा मसला उठा है। मसला यह उठा है कि 1अप्रैल,1976 के बाद जो कर्मचारी हैं उनको भी टाइम बाउंड आठ साल का प्रमोशन दिया जाये। अभी कुमारमंगलम साहब ने कहा कि 18-20 साल के कर्मचारी हैं जिनको प्रमोशन नहीं मिला।

[श्री रशीद मसूद]

लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आल इंडिया मैडीकल इंस्टीट्यूट में एक भी ऐसा कर्मचारी 18-20 साल की सर्विस वाला नहीं है जिसे प्रमोशन न मिला हो। यह बात एक तरीके से सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब 1992 तक आठ साल का प्रमोशन आया और कहा गया कि एक स्कीम 1992 तक लगाई जाये, यह एक डिमांड मौजूदा वर्कर्स की है। 1962 की बात जब हो जायेगी तो यह कवर करेगा 1984 तक, फिर 1992 के बाद फौरन आठ साल की मांग आ जायेगी कि 1 अप्रैल 1984 के बाद जिनको आठ साल हो गये हैं उनको प्रमोशन देने का काम शुरू किया जाना चाहिए। हम लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। कर्मचारियों को प्रमोशन मिले, उनकी जो सहूलियतें हैं वे मिलें, इसके लिए बैठकर बातचीत कर सकते हैं, उससे हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे अस्पतालों के अन्दर मुस्तकिल हड़तालें चलें यह नहीं हो सकता है। मैंने बातचीत के दरवाजे बन्द नहीं किए हैं मैंने हमेशा कहा है कि बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। गुप्ता जी ने एक पाइंट आउट किया है कि 16 साल के बाद एक प्रमोशन जरूर मिलना चाहिए, हम भी इसको मानते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जे० सी० एम० एग्रीमेंट हो रहा है, बातचीत चल रही है उसमें भी प्रमोशन की बात है, जब उनको दिया जायेगा तो इनको भी दे दिया जायेगा।

ऐसा नहीं है कि हम प्रमोशन के खिलाफ हैं। लेकिन अभी जैसा कुमारमंगलम साहब ने सवाल पूछा था कि पे कमीशन की रिपोर्ट लागू हो जाती है खुद ब खुद या नहीं। खुद ब खुद लागू नहीं होती है। लेकिन इन्हीं कर्मचारियों की यूनियन के लोगों ने एग्रीमेंट किया था कि एग्री हैं कि पे कमीशन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। देहाती में एक मिसाल है :—

"चित भी मेरी, पट भी मेरी
अण्डा मेरे बाप का।"

यानि आपने प्रमोशन भी ले लिया जो एग्रीमेंट हुआ आठ साल का उसके बाद पे कमीशन से जो बेनिफिट्स मिले वे भी ले लिये। अब फिर वही होने वाला है। आप प्रमोशन करने की बात कह रहे हैं और जो सहूलियतें मिलनी होंगी वे भी आप लेंगे। हमने कहा है कि प्रमोशन होना चाहिए, समय के बारे में हमारी राय अलग हो सकती है। आठ साल का टाइम बाउंड प्रमोशन हम स्वीकार नहीं कर पायेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि इसका रिपरकशन सब जगह पर होने वाला है। मुझे मालूम हुआ है कि जे० सी० एम० में इसको.....

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : पिछली बार कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी।

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद : लास्ट टाइम और अब इसमें फर्क आ गया है। लास्ट टाइम में फोर्थ पे कमीशन की रिपोर्ट पर इम्प्लीमेंटेशन का इंतजार कर रहे थे। इन लोगों ने उस वक्त यह नहीं कहा था कि हम भी पे कमीशन की रिपोर्ट को मान लेंगे। अब लोगों को पता चला है कि पे कमीशन के तहत तमाम हिन्दुस्तान के कर्मचारी हैं उनके साथ अपने को एक साथ खड़ा कर दिया है, इनके पे स्केल भी उन्हीं के बराबर हैं जो भारत सरकार के सी एण्ड डी स्टाफ के पे स्केल्स हैं।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के वेतन-मानों से सारे भारत पर असर पड़ेगा ? क्या विशेष अधिनियम के अधीन विशेष संस्थान होने के कारण यह भिन्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रसीद मसूद : आपने ठीक कहा सी एण्ड डी स्टाफ के एक ही पे स्केल्स हैं इसलिए जो उधर होगा उसका सब जगह पर रिपरकशन हो सकता है।

[अनुवाद]

श्री लोक नाथ चौधरी : उस मसले से बचने के लिए आप इससे उसे जोड़ रहे हैं।

श्री रसीद मसूद : लेकिन यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रतिक्रिया न हो।

[हिन्दी]

आपने कहा कि इंस्टीट्यूशन की टण्डन कमीशन की रिपोर्ट के बारे में। यह संस्थान एक आटोनामस बाडी है इसमें दो राय नहीं हैं, लेकिन फाइनेंशियल मैटर्स में आटोनामस नहीं है। रूल 29 इस मामले में बिलकुल साफ है, उसमें साफ लिखा हुआ है। जब भी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होते हैं तो मंत्रालय से, सरकार से उसकी इजाजत लेनी पड़ती है, यह पोजिशन है।

ओटोनोमस बौडी होने के नाते, उन्होंने एक "टण्डन कमेटी" बिठा दी उसके बाद टण्डन कमेटी की रिपोर्ट भी आ गयी और इंसटीट्यूट की बौडी ने उसे पास कर दिया लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो भी कमेटी बिठायी जाती है, यहां भी पार्लियामैंटरी कमेटीज हर साल बनती हैं, यह जरूरी नहीं कि उनकी तमाम रिकमैण्डेशन्स को मान ही लिया जाये, बाजदफा कई उनकी रिकमैण्डेशन्स को माना नहीं जाता है। कमेटीज की जितनी रिकमैण्डेशन्स होती हैं, वे मैन्डेटरी नहीं होतीं, ऐसा नहीं कि वे जो भी रिकमैण्डेशन सरकार को दें, उन्हें मान ही लिया जाये। सरकार को यह अधिकार है कि वह अपनी गुंजाइश और अपने हदूद में रहकर, जितनी भी अधिक से अधिक रिकमैण्डेशन्स को मान सकती है, उस सीमा तक माने। किसी कमेटी की रिकमैण्डेशन्स मैन्डेटरी नहीं होती हैं। जितना सरकार मंजूर कर सकती है, उतनी चीज को मंजूर कर लिया जाता है। जो मंजूर नहीं किया जा सकता, उसमें हमारी असमर्थता होती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : आप पिछली सरकार के गलत कामों का क्यों बराबर समर्थन करते चले जा रहे हैं, उसी की वजह से आज यह सब गोलमाल और सारी काम्पलीकेशन्स पैदा हो रही हैं।

श्री रसीद मसूद : यहां पर पिछली सरकार के कामों को जस्टिफाई करने का सवाल नहीं है, और न उन्हें रिजैक्ट करने का सवाल है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, उन्हीं को मैं हाउस के सामने रख रहा हूं। यहां एक सवाल आया कि वह एक ओटोनोमस बौडी है, उसने एक कमेटी बनायी, मैंने कहा कि हां, उन्हें अख्तयार था कि वे एक कमेटी बना सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी जो रिपोर्ट आये, वह भी मैन्डेटरी हो जायेगी, रूल 29 के अन्तर्गत उसे मान लिया जाये, ऐसा जरूरी नहीं है। सरकार को अख्तयार है कि वह जितना सम्भव हो, उतना माने और जो सम्भव न हो, उसे न माने।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मगर उन्हें एश्योरैंस तो दिया गया था कि उसको माना जायेगा ।

श्री रसीद मसूद : मैं अभी उस पर आ रहा हूं ।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, उन्होंने हम सबको सम्बोधित करके यह कहा है कि हम में से किसी को भी मरीजों की चिन्ता नहीं है। पिछली बार वाद-विवाद में भाग लेते हुए जो मैंने कहा था मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगी :

"आखिर में, मैं कर्मचारियों से अपने वर्तमान व्यवहार में बदलाव लाने की अपील करूंगी । लेकिन विशेष अपील को विशेष महत्व दिया जाना भी आवश्यक है। मुझे आशा है कि उत्तर देते समय वह उस विशेष व्यवहार के विषय में बतायेंगे जो हमारे द्वारा की गई विशेष अपील के बदले में वह देंगे जिससे हड़ताल समाप्त हो सके और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नेतृत्व की प्रतिष्ठा पुन:स्थापित हो सके ।"

यही मैंने कहा था ।

मैं चाहूंगी कि मंत्री महोदय यह अच्छी तरह जान लें । आज हमने सभी कर्मचारियों से अपील की है जिसका की उन्होंने उल्लेख भी किया है जिसमें हमने अपनी गंभीर चिन्ता व्यक्त की है और वर्तमान मसले के हल के लिए कुछ विचार भी रखें हैं ।

[हिन्दी]

श्री रसीद मसूद : किसी के दिल को चोट पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था, वही मैं आपसे कह रहा था, अगर गीता बहन को मेरी बातें बुरी लगी हों तो मैं उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं । मेरा कोइ मतलब उनकी दिल-आजारी से नहीं था ।

एक माननीय सदस्य : अब आपके क्या इरादे हैं ।

श्री रशीद मसूद : इरादे तो नेक हैं ।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : अब आप क्या चाहते हैं कि ए० आई० आई० एम० एस० परमानैंटली बंद हो जाये ?

श्री रसीद मसूद : हम तो चाहते हैं कि ए० आई० आई० एम० एस० खुले और हम आप से अपील करते हैं कि इस काम में आप हमारी मदद करें । हम बार-बार यही कहते आये हैं कि बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं लेकिन जैसा अभी गुप्त जी ने कहा, यह नहीं हो सकता कि ऐसा फिक्स कर दिया जाये कि आठ ही साल में प्रमोशन मिलेगी। एक प्रमोशन मिलनी चाहिये, वह कितने साल में मिले, किस तरीके से मिले उसे पूरे परिप्रेक्ष्य को सामने रखकर देखा जायेगा । हम चाहते हैं कि कोई रिपरकशन न हो । इसके अलावा दो-तीन बातें यहां पर और माननीय सदस्यों ने उठायीं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने ऐसा नहीं कहा, शायद आप समझे नहीं। मैंने ऐसा नहीं कहा कि सारी जिन्दगी में केवल एक प्रोमोशन ही दी जाये ।

श्री रसीद मसूद : आपका मतलब टाइम-बाउण्ड प्रोमोशन से है, वही मैं कहना चाहता हूं, मगर

वक्त का इख्तलाफ है। ऐसा कोई एग्रीमैंट नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ऐसा तो कोई नेगोशियेटिंग प्रोसीजर ही नहीं है, अब किस के पास जायेंगे वे लोग, बताइये।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अभी मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम सब लोगों को इस काम में उनकी सपोर्ट करनी चाहिये, हम आपको पूरी सपोर्ट देंगे लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि जो टण्डन कमेटी बनायी गयी थी··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रशीद मसूद : महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं किस नियम के अन्तर्गत वह मुझसे जानना चाहते हैं ?

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : जिस रूल के तहत आपने पहले इजाजत दी, उसी के तहत मैं भी जानना चाहता हूं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : रावत जी, ये आपके हक में हो रहा है। जैसा अभी कहा गया कि सरकार टाइम बाउण्ड प्रिंसिपल को एक्सैप्ट करती है परन्तु प्रोमोशन की अवधि क्या हो, उसके बारे में चर्चा हो सकती है।

श्री रशीद मसूद : वही मैं कह रहा हूं कि टाइम बाउण्ड प्रोमोशन को हम मानते हैं लेकिन वह टाइम क्या हो, इस पर बातचीत की जा सकती हैं।

श्री हरीश रावत : टण्डन कमेटी की रिकमैण्डेशन्स वहां की गवर्निंग बौडी में आयीं तो उस समय भी कर्मचारी यूनियन के लोगों ने इनके सामने पीरियड के विषय में डिस्प्यूट रेज किया था। उन्होंने कहा कि इसे रिजौल्व किया जा सकता है। अभी भी उनका एटीट्यूड ऐसा नहीं है कि जो हम कह रहे हैं, उसे ही आप मानिये। मगर मुश्किल यह हो रही है कि न तो इंस्टीट्यूट की तरफ से, न गवर्नमेण्ट की तरफ से, बल्कि इनकी मिनिस्ट्री की तरफ से, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से उस पाइंट पर हार्ड एण्ड फास्ट एटीट्यूड अपनाया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि आप पहले माफी मांगिए, हड़ताल खत्म कीजिए, तब आपसे बात की जाएगी।

श्री रशीद मसूद : ऐसा बिलकुल नहीं है और न ऐसा हो रहा है। शायद आपको तजुर्बा हो, शायद आप पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी के कहने पर चलते रहे हों, लेकिन हम वे लोग हैं जो जिन्दगी में संघर्ष कर के आए हैं और ब्यूरोक्रेसी के जितने भी काम आप करते रहे हैं, उनको हम क्रिटिसाइज करते रहे हैं। हम ब्यूरोक्रेसी की हद को जानते हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : आप कितने साल चाहते हैं, यह बता दीजिए ?

श्री रशीद मसूद : यहां दो बातें बहुत गम्भीर कही गयी हैं—एक यह एलीगेशन लगाया गया है कि एन० एम० आर० की जो फेसिलिटी है और जो कम्प्यूटराइजेशन किया गया है, उसके अन्दर 25 करोड़ रुपया कमीशन खाया गया है। मुझे इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं है अगर कोई गड़बड़ी

[श्री रशीद मसूद

होती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मैं इसके लिए तैयार हूं, अगर कोई भी प्राइमाफेसी केस आप देंगे, तो उसमें इन्क्वायरी की जाएगी। जिसको भी आप कहें, उसके खिलाफ इन्क्वायरी की जाएगी, चाहे वह मैं ही हूं, मेरे खिलाफ भी इन्क्वायरी हो सकती है, लेकिन जिन चीजों के बारे में इल्जाम लगाया गया है, यह बहुत अफसोसनाक है ? एन० एम० आर० की फेसिलिटी के लिए कोई आर्डर प्लेस ही नहीं किया गया है। इसमें कौन, कैसे और कहां से पैसे खा लेगा। (व्यवधान)

दूसरी बात कम्प्यूटराइजेशन की कही गयी है। वह पब्लिक सैक्टर से खरीदा गया है। इसलिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं हो सकती है। मेरा कहना यह है कि इल्जाम लगाने से पहले हमें सोचना चाहिए। जो मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको बहुत जिम्मेदारी से बात कहनी चाहिए। अगर कोई ऐसी बात कही जाती है, तो जो खराब काम करने वाला है, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर उसके खिलाफ कोई बात नहीं हुई, तो फिर जिसने इल्जाम लगाया है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए इसलिए बिला वजह किसी के ऊपर, बाई नेम एलीगेशन लगाना, जो यहां अपने को आकर डिफेण्ड नहीं कर सकता, ऐसे लोगों के खिलाफ किसी किस्म के एलीगेशन लगाए जाने ठीक नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद पहली मर्तबा, आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मैडीकल साइंसेस में, हमने रूल को स्ट्रिक्टली इम्पलीमेण्ट किया है। हम डेमोक्रेसी की बात बहुत करते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर आती है, तो हम डैमोक्रेसी को उठाकर ताक पर रख देते हैं। लेकिन हमने यह किया है। अभी तक के इतिहास में यह पहली मर्तबा हुआ है कि इंस्टीट्यूट की बॉडी ने जो फैसला किया है, उसको ईमानदारी से इम्पलीमेण्ट कर दिया गया है और यह अंडर रूल्स किया गया है, रूल्स की कोई डेविएशन नहीं की गयी है। मैं आपको उस रूल को पढ़कर सुनाता हूं :—

[अनुवाद]

"निदेशक के अवकाश पर चले जाने, त्यागपत्र देने, सेवा निवृत्ति के पश्चात् और इस तरह की किसी और स्थिति में जब तक की नया निदेशक नियुक्त नहीं होता राष्ट्रपति वरिठष्ठतम प्रोफेसर को छह महीने तक कार्य देखने के लिए नियुक्त कर सकते हैं।

परन्तु कि संस्थान किसी अन्य व्यक्ति को छह महीने के लिए नियुक्त कर सकता है और नियुक्ति के कारण लिखित में दर्ज किये जाएं।"

नियम के अनुसार संस्थान का मण्डल सबसे ऊपर है।

[हिन्दी]

छः महीने की एक्सटेंशन प्रजेण्ट डायरेक्टर को दी है। गवर्नमेण्ट आफ इंडिया ने उसको एप्रूवल दे दी है और यह शर्त इसमें एड कर दी है कि डायरेक्टर की अपाइन्टमेण्ट या छः महीने जो भी पहले, हो, उस समय तक इनको रखा जायेगा।

मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी साथी इस सिलसिले में हमारी मदद करेंगे ताकि हम इंस्टीट्यूट को जल्दी से जल्दी खुलवा सकें। और मरीजों को दवाइयों तथा इलाज की सहूलियत पहुचा सकें। जहां तक बातचीत का सवाल है, हमारे दरवाजे हड़ताली कर्मचारियों से बातचीत के लिए हमेशा खुले

हैं।···(व्यवधान)···जब कर्मचारी हमारे पास आए, कर्मचारियों ने हमसे यह बात की कि हम पीसफुल अपने घरने पर बैठना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि हमें आपसे कोई इख्तलाफ नहीं है, आप बैठ जाइए, आपका डैमोक्रेटिक राइट है कि आप किसी चीज को मांगने के लिए हड़ताल पर जाते हैं तो जाएं। लेकिन कोई काम ऐसा न करें जिससे मरीजों को असुविधा हो या कोई दिक्कत या परेशानी की बात हो जाए। उस ऐशयोरैंस से एक भी पुलिस का आदमी कैम्पस में नहीं गया। लेकिन पहले ही दिन उन्होंने ऐशयोरैंस की कद्र नहीं की, पहले ही दिन उन्होंने नालियां बन्द कर दीं, मरीजों से कार्ड छीन लिए, नर्सों को धक्के देने शुरू किए, लोगों को अन्दर दाखिल होने से मना कर दिया। नतीजा यह हुआ कि नालियां बन्द होने से पानी सब जगह इकट्ठा हो गया और इस बात का डर हो गया कि ऐपीडेमिक फैल जाएगी और लोगों को इनफैक्शन हो जाएगा। इस वजह से हमें अस्पताल भी बन्द करना पड़ा वर्ना हम अस्पताल बन्द नहीं करते। यह लिखा हुआ है कि यदि कोई भी कर्मचारी काम करने से एक बार बाहर हो जायेगा तो हम उनको अन्दर नहीं जाने देंगे। इस ऐटीट्यूट पर मैं नहीं समझता कि पुलिस इस वक्त हटाई जा सकती है। लेकिन हमारी हमदर्दी उनके साथ है। मैं खुद गया हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहां पर क्या हालत है।

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : क्या स्वयंसेवी संगठनों की मदद से आप अस्पताल खोल रहे है? उस स्थिति में मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं।

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद : मैंने यह भी कहा है यदि जरूरत पड़ेगी तो हम बौलंट्री औरगनाईजेशन्स से मदद लेंगे क्योंकि हम कर्मचारियों की हड़ताल से मरीजों की मरसी पर नहीं छोड़ सकते हैं। हम उनकी मदद लेंगे और जरूरत पड़ेगी तो खुद भी जाकर हम सफाई करने का काम करेंगे, यह मैंने कहा है। यह इसलिए कहा है कि यदि कोई न कोई काम में लगा होगा तो दूसरे बौलंट्री औरगनाईजेशन्स भी आएंगे और काम करेंगे। लेकिन बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, वे आएं और रीजनेबल बातचीत होगी। हम कर्मचारियों के दुश्मन नहीं हैं लेकिन मरीज और इस मुल्क के करोड़ों अवाम के दोस्त जरूर हैं, उनके साथ दुश्मनी नहीं कर सकते हैं।

3.57½ म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1990-91

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दंडवते) : महोदय, मैं वर्ष 1990-91 के लिए बजट (सामान्य) के सन्दर्भ में अनुपूरक अनुदानों की मांगों से सम्बन्धित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1227/90]

3.58 अ० प०

संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक*

(नौवीं अनुसूची में संशोधन)

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद यादव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्था पित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप दोनों विधेयकों को पुर:स्थापित किये जाने का विरोध कर रहे हैं ?

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : हां, मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा विधेयक प्रस्तुत किया गया है ? मैं एक-एक करके विधेयकों पर चर्चा करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : संविधान (संशोधन) विधेयक श्री शरद यादव द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ विधायी सक्षमता के बारे में कह सकते है। मुझे यह मालूम करने दीजिए कि किस प्रकार से यह सभा विधायी रूप से सक्षम नहीं है ?

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मेरा कहना सिर्फ यह है कि इससे संविधान की मूल अवधारणा प्रभावित होती है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी मूल अवधारणा क्या है ?

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैं उसी बात पर आ रहा हूं। मूल रूप से यह संविधान (संशोधन) विधेयक नौवीं सूची के अन्तर्गत हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 को संरक्षण देने हेतु लाया गया है। यह 1985 का एक अधिनियम है। वर्ष 1990 में नौवीं सूची के अन्तर्गत रखकर इसे वे न्यायिक सीमा क्षेत्र से बाहर रखना चाहते हैं। इसका उद्देश्य निर्धन हथकरघा बुनकरों की जीविका पर विद्युत करघा और संगठित मिल सेक्टरों द्वारा किये गये अतिक्रमण से उनकी रक्षा करना है। मूल रूप से इसके उद्देश्यों और कारणों के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य में कुछ मिलती है।

*दिनांक 16-8-1990 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड-2, में प्रकाशित।

4.00 म० प०

क्योंकि विद्युत करघा बुनकर विशेषकर छोटे विद्युत करघा बुनकर और कोई नहीं बल्कि हथकरघा बुनकर ही हैं। आवश्यक नहीं है कि यह बड़ा विद्युत करघा ही हो। अतः जब कोई ऐसा समझता है और हथकरघा उद्योग के लिए 22 किस्म के वस्त्र उत्पाद आरक्षित कर देता है तो ऐसा करके वह इसे न्यायिक सीमा क्षेत्र से बाहर रखते हुए प्रभावपूर्ण तरीके से यह सुनिश्चित करता है कि समानता के मौलिक अधिकार समेत कानूनी अधिकार चुनौती के दायरे से बाहर है। मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी कानून को नौवीं अनुसूची में रखने का अधिकार इस संसद को है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों के साथ सीधा सम्बन्ध बनाये रखना है। जब तक कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों के साथ वे एक प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं दर्शाते हैं···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपका आशय यह है कि संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है ?

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : बिल्कुल नहीं। इसकी मौलिक अवधारणा को प्रभावित करने वाला कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। यही विनिर्णय है···(व्यवधान) मैं यह स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि इसकी मौलिक अवधारणा को प्रभावित नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर कि इस सभा में कोई अन्तिम निर्णय दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मुझे दुःख है, मैं एक बुनियादी मुद्दा उठा रहा हू। इस पर एक विनिर्णय दिया जा सकता है। यदि मैं यह स्पष्ट करूं कि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि यदि आप अनुच्छेद 358 के अन्तर्गत संविधान में संशोधन लाते हैं तो आप इस हद तक संशोधन नहीं कर सकते हैं कि इसकी मौलिक अवधारणा प्रभावित हो।

उपाध्यक्ष महोदय : वह मौलिक अवधारणा क्या है ?

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : स्वयं उच्चतम न्यायालय ने भी संविधान की मौलिक संरचना के सम्बन्ध में उतने स्पष्ट रूप से प्रकाश नहीं डाला है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कहां ? संविधान में तो यह नहीं है।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : आप कृपया मेरी बात सुनें। मेरी बात सुनने के बाद आप (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात जल्द समाप्त करें। हम यह चर्चा अधिक समय तक नहीं चला सकते है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैं इस चर्चा को बढ़ा नहीं रहा हूं। जब मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय मुझे चुनौती दे रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं हमेशा सही बात कहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय मेरी बात सुनने के पश्चात् अपना निर्णय दे सकते हैं। निश्चित रूप से मौलिक संरचना का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास अनेक कार्य हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैं समय नहीं ले रहा हूं। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा था। आप मुझे वक्तव्य जारी करने की भी अनुमति नहीं दे रहे हैं। विनम्रतापूर्वक मैं यह निवेदन करता हूं कि मैं अभी तुरन्त अपनी बात समाप्त करता हूं और इस पर निर्णय लेने का भार सभा पर छोड़ता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय आप लम्बा भाषण नहीं दे सकते हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैं लम्बा भाषण नहीं दे रहा हूं। आपके द्वारा जिरह करने के कारण मुझे बाध्य होकर अपना भाषण लम्बा करना पड़ रहा है। मैं यह कह रहा हूं कि आप किसी भी विधान पर न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार को छीन नहीं सकते हैं। आप ऐसा सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आप यह सिद्ध कर सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के साथ इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। यही कारण है कि मैं यह कहता हूं कि इसके उद्देश्य और कारणों से सम्बन्धित वक्तव्य से ऐसा प्रतीत नहीं होता है। इसलिए, मैं कहता हूं कि यह दर्शाना आपके लिए आवश्यक है। यही मेरा तर्क है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस सभा को विधायी सक्षमता प्राप्त है और विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जायेगी।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

4.03 म० प०

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक*

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री कुमारमंगलम जी को भाषण देना है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : मैं अपना नाम वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

4.04 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कश्मीर घाटी से आए विस्थापितों को समुचित सुविधाएं प्रदान किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री जनक राज गुप्त (जम्मू) : अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण भारी संख्या में लोग कश्मीर घाटी से पलायन कर जम्मू, दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर शिविरों में या अन्य प्रकार से रह रहे हैं। लेकिन उनकी जीविका के लिए सरकार द्वारा कोई भी उचित व्यवस्था नहीं की गई है। उन्हें कोई आवासीय या अन्य सुविधाएं प्रदान नहीं की गई है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जब तक वे अपने घरों को वापस न लौट जायं उनकी जीविका, निवास स्थान और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए उचित प्रबन्ध किया जाये।

---

*दिनांक 16-8-1990 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खंड-2, में प्रकाशित।

4.05 म०प०

(डा० लम्बि वुर पीठासीन हुए)

(दो) चक्रवातों के बारे में अध्ययन करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने हेतु विशाखापत्तनम में एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाने की मांग

श्रीमती उमा गजपति राजू (विशाखापट्टनम) : आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र में अक्सर भयंकर समुद्री चक्रवात आते हैं। यद्यपि मौसम की अग्रिम चेतावनी देने वाली प्रणाली में काफी सुधार हुआ है फिर भी, हाल ही में आंध्रप्रदेश में आये चक्रवात के दौरान कृषि भूमि, सम्पत्तियों और लोगों की जानों को नुकसान पहुंचा है। चक्रवात व बाढ़ से सिंचाई व्यवस्था तथा कृषि भूमि के नष्ट होने से दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव पड़ा है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि नुकसान को कम करने तथा पुनर्वास संबंधी प्रक्रिया के लिए चक्रवातों के अध्ययन के लिए कोई कारगर वैज्ञानिक पद्धति लागू की जाए। सरकार को वहां एक एडवांस प्लानिंग संस्थान की स्थापना करनी चाहिए। यह संस्थान सूचनाएं एकत्र करके तथा सिंचाई व्यवस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके उसके परिणामों का प्रचार करें। यह संस्थान प्राकृतिक आपदाओ से निपटने के लिए उपयुक्त ढांचे का विकास कर सकता है और चक्रवात व बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नष्ट हुई भूमि के उपयोग के बारे में भी बता सकता है। विशाखापट्टनम में चक्रवात की चेतावनी देने वाला एक केन्द्र पहले ही से स्थापित है तथा वहां मूलभूत ढांचा भी उपलब्ध है। इसलिए, इस प्रकार के राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने के लिए यह सबसे उपयुक्त स्थान है।

(तीन) आंध्र प्रदेश के मेडक जिले में सिद्दीपेट में एक कम शक्ति वाला टी वी ट्रांसमीटर लगाये जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री नन्दी येल्लैया (सिद्दीपेट) : उपाध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश के मेडक जिले में सिद्दीपेट महत्वपूर्ण वाणिज्यिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र है। यह हैदराबाद से लगभग 104 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और मेडक, करीमनगर, निजामाबाद और वारंगल जिलों के बीचो-बीच स्थित है। अनेक प्रसिद्ध चित्रकार, कवि, विद्वान तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति इस क्षेत्र से सम्बन्ध रखते हैं।

इस समय सिद्दीपेट में कम शक्ति का रिले-स्टेशन नहीं है। चूंकि यह शहर हैदराबाद से 104 किलोमीटर दूरी पर स्थित है इसलिए दूरदर्शन के कार्यक्रम यहां पर अच्छी तरह दिखाई नहीं देते। टेलीवीजन पर चित्र हिलते रहते हैं और स्वर भी अच्छी तरह से सुनाई नहीं देता। यह बड़ी अजीब बात है कि स्थानीय जनता के अनेक अनुरोधों के बावजूद एक कम शक्ति का ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। तेलंगाना में यह बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है और यहां पर दूरदर्शन का कम शक्ति का रिले स्टेशन स्थापित करने में पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार को अनेक ज्ञापन दिये जा चुके हैं और इस मामले को इस सदन में भी उठाया जा चुका है।

इसलिए मैं सूचना और प्रसारण मंत्री से अपील करता हूं कि वह सिद्दीपेट शहर में कम शक्ति का ट्रांसमीटर शीघ्र लगाने के लिए कदम उठायें।

(चार) मध्य प्रदेश के रीवा जिले में डाकुओं द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को जलाया जाना

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : उपाध्यक्ष महोदय, रीवा जिले के खम्हरा ग्राम में 16 जुलाई, 1990 की रात में दो हरिजन महिलाओं को जिन्दा जला दिया गया। 60 वर्षीय वृद्धा जगरनिया घटनास्थल पर ही जल-जल कर मर गई। उसकी पुत्रवधू रनिया अधजली स्थिति में जवा अस्पताल में मौत की अन्तिम घड़ियां गिन रही है। जलती हुई स्थिति में ही उसने एक बालिका को जन्म दिया है. इस हृदय विदारक घटना से रीवा संभाग के जन की आत्मा दहल उठी है। अभी तक शासन के द्वारा समुचित आर्थिक सहायता मृतक महिला के आश्रितों को नहीं दी गई है। समूचे भूभाग में अभूतपूर्व आतंक व्याप्त है। इस पैशाचिक कृत्य के लिए जिम्मेदार डाकू हनुमान को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस विषय में उचित कदम उठायें।

(पांच) कोटा होते हुए इटावा और भिण्ड-ग्वालियर-शिवपुर सैक्शन के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाई जाने की मांग

श्री छविराम अर्गल (मुरैना) : सभापति महोदय, चम्बल संभाग मुरैना मध्य प्रदेश का अंचल डाकू ग्रस्त होने से इस क्षेत्र का विकास संभव नहीं हो सका है। चम्बल बीहड़ों की वजह से आवागमन के मार्ग भी संक्षिप्त हैं।

भिण्ड श्योपुर नैरोगेज लाइन इस क्षेत्र के आवागमन का प्रमुख साधन है। भिण्ड श्योपुर लाइन को वृद्धि कर इटावा-भिण्ड तथा श्योपुर से कोटा तक मिलाया जाए तथा इटावा से भिण्ड, ग्वालियर, श्योपुर बाया कोटा तक ब्रोडगेज लाइन डाली जाए जिससे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान का आवागमन तथा व्यापार का सीधा मार्ग प्रशस्त होगा। आवागमन के साथ-साथ व्यापार धंधे में तथा दूरी कम होने से यात्रियों को समय व पैसे की बचत होगी। मैं शासन से पुरजोर मांग करता हूं कि इटावा से भिण्ड, ग्वालियर, श्योपुर बाया कोटा जिसका सर्वे का काम चल रहा है ब्रोडगेज रेलवे लाइन डाली जाये।

(छः) ग्वार और मोठ के समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की मांग

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : सभापति महोदय, देश में किसानों को उसकी उपज का उचित दाम मिले, इस दृष्टिकोण से भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने रबी तथा खरीफ के करीब सभी उत्पादों के समर्थन मूल्य तय किए जिससे देश के किसानों को लाभ मिलना स्वाभाविक था। व्यापारियों के साथ-साथ केन्द्रीय व राज्य सरकारों की एजेंसियों ने भी किसानों के उत्पादों की खरीद शुरू कर दी।

मगर राजस्थान में विशेष तौर पर तथा उत्तरी भारत के अन्य प्रांतों में पैदा होने वाले ग्वार व मोट के समर्थन मूल्य का कृषि मंत्रालय ने फैसला नहीं किया। जिसके कारण व्यापारियों ने खुले बाजार में ग्वार व मोठ की फसल बहुत सस्ते दामों में खरीदी। बिजाई के समय जो मोठ व ग्वार का बीज किसानों ने 20 और 12 रु० प्रति किलो खरीदा, वह फसल निकालने के बाद 3 रु० व 2 रु० प्रति किलो के हिसाब से बिका। ऐसे हालात में लाखों किसानों को उसकी फसल के उचित दाम मिले, इसके लिए कृषि मंत्रालय को ग्वार व मोठ के समर्थन मूल्य की शीघ्र घोषणा करनी चाहिए।

(सात) नीलकंठ और ऋषिकेश में भू-स्खलन की घटना की जांच किए जाने और उसमें मारे गए लोगों के परिवारों को दिये जाने वाले मुआवजे की राशि बढ़ाये जाने तथा ऐसी दुर्घटनाओं की आवृत्ति रोकने हेतु स्वर्गाश्रम से नीलकंठ तक पक्की सड़क बनाये जाने की मांग

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख (परभनी) : सभापति महोदय, विगत 9 जुलाई को उ०प्र० के ऋषिकेश के पास नीलकंठ महादेव के दुर्गम पहाडी रास्ते के बीच पहाड़ों के टूटने के कारण लगभग एक हजार से लेकर डेढ़ हजार (1500) तक तीर्थयात्री मारे गये और लापता हैं। सैकड़ों घायल यात्रियों ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। हजारों यात्रियों की लाशें पानी के तेज बहाव में बह गयीं।

दुर्घटना पीड़ित गांव भादसी (बनटोला) तल्ली तलाई और मल्ली तलाई में ग्रामवासियों के पक्के मकान बह गए और दो परिवारों के 11 सदस्य मारे गए।

मृतकों के आश्रितों को मुआवजे के रूप में 5 हजार रु० दिए जा रहे हैं। पशुओं के लिए 2000 और मकान के लिए 1000 रु० दिए जा रहे हैं। इसे कम से कम एक लाख तथा 50,000 किया जाना चाहिए।

दुर्घटना की रोकथाम के लिए स्वर्गाश्रम (ऋषिकेश) से नीलकंठ तक 16 कि०मी० का पहाड़ी मार्ग पक्का किया जाए। इस पूरी दुर्घटना की निष्पक्ष जांच उच्चतम न्यायालय के जज से कराई जाए और नीलकंठ के आसपास के गांवों के विकास के लिए विशेष योजना बनायी जाए।

(आठ) पुणे स्थित रजनीश आश्रम को बंद किए जाने की मांग

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—

स्वास्थ्य चिकित्सा वैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट रूप से ठहराया है कि एड्स एक अत्यंत खतरनाक रोग है और इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रीय यौन संबंध और अत्याधिक व्याभिचार है। इस रोग से बचने के लिए समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिकित्सा वैज्ञानिकों ने राष्ट्र और नागरिकों को सचेत किया है।

आचार्य रजनीश नाम के स्वर्गवासी कथित बाबा ने अपने कर्मों और लेखों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय जगत में यौन संबंधों को बढ़ाने और उनमें लिप्त रहने का घृणित प्रचार किया है। परिणामस्वरूप अमरीका जैसे देश ने भी उनके अनुयायियों के कर्मों एवं शिक्षाओं के कुप्रभाव से बचने के लिए अपने देश की धरती पर रजनीश और उनके अनुयायियों को ठहरने पर भी प्रतिबंध लगा दिया और देश की धरती पर रहने से वंचित कर दिया, परन्तु धार्मिकता से ओतप्रोत और सामाजिक परिसभ्य संस्कृतियों की धनी भारत की सरकार न तो कथित बाबा रजनीश पर कोई प्रतिबंध लगा पाई और न उन्हें भारत की धरती पर कुकर्मों का अड्डा खोलने के लिए रोक पाई और आज भी उनके मरने के बाद उनके कथित अनुयायी पुणे में कथित भगवान रजनीश के नाम पर ही पुणे में देहव्यापार जैसा अड्डा चला रहे हैं और स्वछंद रूप में सैक्स संबंधों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय जगत के भटके हुए लोगों, धनाढ्य घरानों के वयस्कों, बच्चों को अड्डे में प्रवेश के लिए करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं तथा ऐश का संस्थान जैसा स्थापित कर दिया है। हमारे देश में एड्स जैसे भयंकर महामारी के पैदा होने, फैलने का इसी

अड्डे से खतरा है और समय रहते यदि सरकार न चेती, समय रहते इस अड्डे को समाप्त न किया तो यही अड्डा एक भयंकर बीमारी देगा तथा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भयानक खतरा बन जाएगा। हमारी सरकार से मांग है कि तत्काल इस बिन्दु की तरफ केन्द्रित हो व्यापक रूप से जांच करे तथा हर हाल में इस अड्डे को तथा उनके सैक्सी क्रिया-कलापों को भारत भूमि पर कतई न होने दें।

(नौ) सकरी-हसनपुर रेल लाइन, जिसका सर्वेक्षण 1975-76 में हुआ था, का निर्माण किए जाने की मांग

श्री दसई चौधरी (रोसेड़ा) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बिहार राज्य के सकड़ी-हसनपुर रेल लाइन के निर्माण हेतु वर्ष 1975-76 में सर्वेक्षण कराए गए थे विभाग में जिसकी रिपोर्ट लंबित है। उक्त रेल लाईन का निर्माण नहीं होने स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश एवं क्षोभ है तथा उक्त इलाका अत्यंत ही पिछड़ा है जहां आवागमन की कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। उक्त रेल लाइन के निर्माण से रेलवे को काफी मुनाफा भी प्राप्त होगा तथा जनता को आवागमन की सुविधा होगी।

अत: इस लोकमहत्व के विषय पर सकड़ी-हसनपुर रेल लाइन के निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूं।

———

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, हम मद संख्या 11, 12 और 13 ले रहे हैं। मेरे विचार से, सभा तीनों मदों को साथ-साथ लेने की स्वीकृति प्रदान कर देगी।

श्री जसवंत सिंह (जोधपुर) : जी हां, हमें स्वीकार है। **(व्यवधान)**

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : बशर्ते हमें पर्याप्त समय मिले··· **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (बिजनौर) : सभापति महोदय, यह नहीं होगा। पहले 8 अगस्त को अट्टा-सिटीज पर 193 लिया गया था, जो अधूरा पड़ा हुआ है। आगरा 11 अगस्त को पार्लियामेंटरी कमेटी गई थी, जिसके अन्दर मैं भी गई थी। अभी भी आगरा के पनवारी, अकोला के लोग धनोला आकर पड़े हुए हैं। काफी लोगों के हाथ-पैर टूटे हुए हैं और लोग बेघर हो गए हैं। पहले मुफ्ती मोहम्मद साहब यहां पर जवाब दें कि सरकार द्वारा क्या एक्शन लिया गया, इसके बिना हम सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। दोषियों के खिलाफ गृह मंत्री महोदय ने क्या कार्यवाही की। अभी भी धनोला के अन्दर लोग वापिस जाने के लिए तैयार नहीं हैं, लोग अपने गांव छोड़कर बेघर पड़े हुए हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : पहले, पीठासीन अधिकारी की बात सुनिये।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : इस समय 4 बजकर 20 मिनट होने वाले हैं, 6 बजे सदन की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी, गृहमंत्री महोदय चुप बैठे हुए हैं। आगरा के अन्दर हजारों लोग गांव छोड़कर पड़े हुए हैं, बेघर हो गए हैं। मंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि दोषियों के विरुद्ध क्या एक्शन लिया गया, सरकार ने क्या एक्शन लिया है। लोगों की हड्डी-पसली टूट गई है, एक-एक आदमी को 10-10 फ्रैक्चर हैं, ऐसे लोगों के संरक्षण के लिए क्या कार्यवाही की गई है। (व्यवधान)

सभापति जी, 11 अगस्त को मैं आगरा गयी थी पार्लियामेंटरी कमेटी लेकर। मैं जानना चाहती हूं कि होम मिनिस्टर साहब ने क्या एक्शन लिया। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जब आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं तो मेरे बोलने का फायदा क्या है ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : चार बज चुके हैं, 6 बजे पार्लियामेंट समाप्त हो जाएगी। क्या आप इस मसले को दबाना चाहते हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपकी व्यथा समझ सकता हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जी नहीं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : हम कार्यवाही नहीं चलने देंगे। लोग धनोला के अन्दर घर से बेघर हुए पड़े हैं। पहले 193 को लिया जाए और होम मिनिस्टर जवाब दें। वहां लोग बेघर पड़े हुए हैं, आसमान के नीचे बरसात में पड़े हुए हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप पीठासीन अधिकारी की बात सुनेंगे ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : मैंने पहले ही स्टेटमेंट दी है। 193 के अन्तर्गत डिस्कशन रखी है। अगर चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : महोदया, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए मेरी बात सुनिए और फिर आप अपना मुद्दा उठा सकती हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : आगरा में लोग आसमान के नीचे पड़े हैं। बरसात का मौसम है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप यह मांग कर रही हैं कि नियम 193 के अधीन मामलों पर चर्चा पहले की जाए। आम तौर पर, जब हम इस प्रकार की चर्चा करते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि चर्चा उसी दिन समाप्त हो जाए। इस चर्चा में और समय भी लग सकता है। अभी हाल ही में आपने मांग की थी कि इस पर चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन कुछ अन्य सदस्यों को भी बोलना है, उनके बोलने से पहले मंत्री जी उत्तर कैसे दे सकते हैं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : इस पर बहस करायी जाए। होम मिनिस्टर साहब इसमें क्या फैसला लेते हैं। जो लोग घर से बेघर हो गए हैं। उसके लिए क्या कार्यवाही करते हैं। आपकी सरकार ने केवल २ हजार दिया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जब कुछ और सदस्य बोलना चाहते हैं तो मंत्री जी उत्तर कैसे दे सकते हैं ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : वह आपको उत्तर देंगे। आप इस पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं··· (व्यवधान)···इस मद पर चर्चा समाप्त होने के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : आपकी सरकार ने 2 हजार रुपये की सहायता दी है। उनकी 20 हजार से ज्यादा की सम्पत्ति नष्ट हुई है। उनकी सम्पत्ति लोग लूट कर ले गए हैं। उनके लिए सरकार ने 5-6 हजार की सहायता दी है। ऐसे लोगों को कम से कम 50 हजार की मदद मिलनी चाहिए। सात-आठ से ज्यादा लोग मर गए हैं और आपने केवल 5 हजार की सहायता दी। जो लोग मर गए हैं उनको कितना मिला ? जिन लोगों के हाथ पैर टूट गए हैं, वे बाहर पड़े हैं। उनके परिवार के लोगों को रोजी-रोटी का साधन मिलना चाहिए। (व्यवधान)

पहले 19 पर चर्चा पूरी हो। होम मिनिस्टर साहब जवाब दें। इसके बाद सदन की कार्यवाही चलेगी। होम मिनिस्टर साहब यह गरीबों और मजलूमों के हितों का मामला है। आपका मजहब सिखाता है कि गरीबों की मदद की जाए। यह उनके हितों का मामला है। मैं आपसे रिक्वैस्ट करती हूं कि जो लोग घर से बेघर पड़े हैं, वहां 1। अगस्त को पार्लियामेंटरी कमेटी गई है। मैं बताना चाहती हूं कि वहां के डी०एम० और एस०पी० ने अपनी रिपोर्ट के अन्दर लिखित रूप में पार्लियामेंटरी कमेटी को कहा है कि 13 जून को झगड़ा होने की सम्भावना थी। तो फिर 22 जून को झगड़ा क्यों हुआ ? डी०एम० और एस०पी० ने 13 जून से लेकर 21 जून तक दोषी लोगों को क्यों अरैस्ट नहीं किया ? एक-एक आदमी को दस-दस फ्रैक्चर आए हैं। माताओं-बहनों की इज्जत लुटी पड़ी है। मैं गरीबों और मजलूमों द्वारा चुनकर आती हूं और धन्ना सेठों द्वारा चुनी नहीं जाती। मैं यह बात पार्लियामेंट में नहीं रखूंगी तो कहां रखूंगी। होम मिनिस्टर जवाब दें कि वे क्या एक्शन ले रहे हैं।··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप जो कुछ कहना चाहते हैं, कह चुके हैं। आप मुझ पर या पूरे सदन पर दबाव नहीं डाल सकते। वह इस पर पहले ही एक वक्तव्य दे चुके हैं।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : अभी चर्चा अधूरी है और चर्चा होने के बाद होम मिनिस्टर बतायेंगे कि क्या एक्शन लेते हैं। उसके बाद हम कार्यवाही चलने देंगे···(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : दिल्ली के लोगों को आप पचास हजार रुपया देते हैं और गरीब लोगों पर एट्रोसिटीज होती रहती हैं। गरीब लोगों की तरफ पहले आपको ध्यान देना चाहिए·· (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप इस पर एक और वक्तव्य देने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : बेकसूर लोग मारे गए हैं। उनके लिए सरकार को एक-एक लाख रुपया देना चाहिए। उनकी संपत्ति, मकान, बहनों और बच्चों को लूटा गया। 14 अप्रैल, 1990 को सामाजिक न्याय का वर्ष प्रधान मंत्री जी घोषित करते हैं और पिटेन्शन आफ एट्रोसिटीज एक्ट भी लाते हैं।

एस०सी०एस०टी० पार्लियामेंटरी कमेटी आगरा में जाती है और दूसरी तरफ गरीब लोगों को मरवाने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह तरीका नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप इस तरह हमें बाध्य नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री दसई चौधरी (रोसेड़ा) : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है कि रूल-193 पर दो दिन डिसकशन हुआ और बाद में उसको पीछे कर दिया जाता है और उस पर डिसकशन नहीं होता। मेरा निवेदन यह है कि उसको आगे कर दिया जाए जिससे डिसकशन खत्म हो जाए।···(व्यवधान)

कुमारी मायावती : मैंने सात अगस्त को एट्रोसिटीज का मामला उठाया था तो कांग्रेस के नेता श्री राजीव गांधी ने महंगाई के मुद्दे को लेकर मेरी बात को रोकने की कोशिश की थी। मैंने राजीव गांधी को बोलने नहीं दिया था। मैंने यह कहा था कि एट्रोसिटीज के ऊपर फैसला पहला हो। मैंने राजीव गांधी जी को बोलने नहीं दिया था तो आपको कैसे बोलने दूंगी। होम मिनिस्टर जवाब दें कि क्या एक्शन ले रहे हैं।···(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा हूं। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं कीजिए।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : कार्य मंत्रणा समिति के द्वारा जो विधेयक आज के लिए निर्धारित हैं वे लिए जाने चाहिए उसके बाद आगे सदन का समय बढ़ा दें और इस पर चर्चा पूरी करवा लें।

कुमारी मायावती : गरीबों और मुजलिमों के लिए चर्चा चलने दीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मेरा पाइंट आफ आर्डर है कि यह परम्परा सदन में कायम नहीं होगी। सदन एक गरिमा के तहत चलता रहा है, आप एक गरिमा के तहत सदन में अपनी भावना को रखें।

कुमारी मायावती : आप अपने वी०पी० सिंह से पूछो, मेरे समाज के लोग मारे गए हैं, मेरा खून खौल रहा है।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सब कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री सरवर हुसैन (बुलंदशहर) : मायावती जी के जज्बात की हम कद्र कर रहे हैं, यह सही कह रही हैं, लेकिन यह वक्त ठीक नहीं है कि यह प्रधान मंत्रीजी के खिलाफ आरोप लगायें, कभी किसी पर लगायें और सदन की कार्यवाही में बाधा पड़े।

कुमारी मायावती : आप आगरा कांड को दबाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सरवर हुसैन : यह इनकी बपौती नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया, आप सब अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कुमारी मायावती, आप पहले ही यह मामला उठा चुकी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : 193 पर चर्चा के सिवा कोई काम होगा तो हम हाउस नहीं चलने देंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप मुझे इस तरह बाध्य कैसे कर सकती हैं ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते। यदि सभा इसका निर्णय लेती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : हमें नियम 193 के अन्तर्गत इसे आज ही समाप्त कर देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : सभापति महोदय, आगरा कांड का मुद्दा पिछले सप्ताह उठाया गया था। यह एक गम्भीर मामला है। इस पर आंशिक रूप से चर्चा की गई थी। मैं समझता हूं कि पहले इस गम्भीर विषय पर विचार करना उचित होगा। तत्पश्चात कश्मीर का विषय लिया जा सकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि इस सभा को पहले उस अधूरी चर्चा को पूरा कर लेना चाहिए। मैं अध्यक्षपीठ के माध्यम से सदन से आगरा पर नियम 193 के अन्तर्गत उस चर्चा को पूरा करने की अपील करता हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : कश्मीर आगरा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत : जी हां, कश्मीर भी महत्वपूर्ण है परन्तु इस पर विचार एक या दो घण्टे के बाद किया जा सकता है।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : आगरा में आज भी लोग आसमान के नीचे पड़े हुए हैं, वहां लोग मर रहे हैं, उनकी हालत बुरी है, इसलिए पहले उनके सम्बन्ध में सदन में चर्चा चलनी चाहिए। हम किसी और बिजिनैस को हाउस में चलने नहीं देंगे। क्या आप गरीब और मजलूमों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, उनकी जान पर बन आयी है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

हम अन्य किसी बिजिनैस को चलने नहीं देंगे।

[हिन्दी]

कानून को तो मानना चाहिए। (व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं इसका समर्थन करता हूं, परन्तु कश्मीर की कीमत पर नहीं। कश्मीर जल रहा है।

कुमारी मायावती : जम्मू कश्मीर से पहले, आगरा में जो लोग बरसात के मौसम में दुखी हो रहे हैं, पीड़ित हैं, जिन लोगों के हाथ पैर टूटे हुए हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। राहत न मिलने से उनके घाव बढ़ते ही जा रहे हैं। उन्हें अभी तक किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिली है। आज भी वे बरसात के मौसम में खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। ऐसी लोगों की समस्या पर आपको तुरन्त ध्यान देना चाहिए। यह गरीब और मजलूमों के हितों का मामला है। (व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कानून को तो मानना चाहिए, उस मामले में हम अपनी बहन को सपोर्ट करते हैं।

[अनुवाद]

नियम 376 के अन्तर्गत मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। सर्वप्रथम आप इसे सुनिए। हमें सदस्य को यह बताना है कि यहां कुछ नियम भी है। मैं इनका समर्थन करता हूं परन्तु कृपया मेरे व्यवस्था के प्रश्न को सुनिए।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : आगरा में लोगों की हालत बहुत बुरी है। (व्यवधान)

श्री छविराम अर्गल (मुरैना) : सभापति महोदय, आपने मुझे इजाजत दी है, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। (व्यवधान) अभी कुमारी मायावती ने जो कुछ कहा, उन्होंने इस हाउस के मूल्यवान समय को व्यर्थ गंवाया है, उन्होंने जो कुछ कहा है, उसे सदन की कार्यवाही में से निकाल दिया जाना चाहिए।

कुमारी मायावती : लगता है कि आपके आंख या कान नहीं हैं तभी आपको कुछ दिखाई-सुनाई नहीं देता । आप मेरे वाक्यों को कार्यवाही में से निकालने वाले कौन होते हैं। (व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : इस तरह सदन का समय जाया हो रहा है। (व्यवधान)

कुमारी मायावती : इनका कोई लीडर नहीं है, ये बिना लीडर के ही सदन में बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री छविराम अर्गल : सभापति जी, मैं मांग करता हूं कि कुमारी मायावती ने सदन का समय जिस तरह से जाया किया है, यह सदन लोक सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत ही चल सकता है, इसलिए उन्होंने जो कुछ कहा है, उसे कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यदि आपने मुझे बुलाया है तो आपको मेरी बात अवश्य सुननी चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय, आज की कार्यसूची में कश्मीर की स्थिति से संबंधित तीन विषय हैं।

अत: मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अब जबकि आपने सम्बन्धित व्यक्ति को बोलने के लिए कहकर इस कार्य को आरम्भ कर दिया है तो आप किसी अन्य विषय पर वापिस नहीं आ सकते।

जहां तक मायावती जी का संबंध है, आगरा की स्थिति के लिए उनकी चिन्ता से मैं सहमत हूं। आगरा की स्थिति पर चर्चा कब की जाएगी यह आप निर्णय करें। परन्तु अभी आप कृपया राष्ट्रपति की डिक्री से आरम्भ करें। तत्पश्चात सांविधिक संकल्प और सशस्त्र बल विशेष शक्तियां विधेयक ले। आपको कार्यसूची के आधार पर विषय लेने चाहिएं।

[हिन्दी]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : यह कैसे हो सकता है, अभी तो अनफिनिश्ड बिजिनैस भी बाकी है।

कुमारी मायावती : सदन के सामने जितने अधूरे मामले पड़े हैं, पहले उनको लिया जाना चाहिए, उन पर पहले चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान) आगरा में बहुत बुरी हालत में लोग आज भी खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। इस बिजिनेस को बनाने वाले ये ही राष्ट्रीय मोर्चा के लोग हैं। ये नहीं चाहते कि आगरा कांड पर बहस हो। ये उसे दबाना चाहते हैं। मेरी मांग है कि 193 नियम के अन्तर्गत चर्चा पहले की जानी चाहिए। (व्यवधान) आगरा के एम० पी० आपके हैं, विधायक आपकी पार्टी के हैं, उत्तर प्रदेश में आपके दल की सरकार है, केन्द्र में आपकी सरकार है, फिर आगरा में कांड क्यों हो गया। उसमें इन लोगों का ही दोष है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाएं रखें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुमारी मायावती, जब भी आप बोलना चाहें तो कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें। आप इस तरह नहीं बोल सकतीं।

(व्यवधान)

डा० वेंकटेश काबडे (नान्देड) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस सभा में यह प्रक्रिया और पूर्व उदाहरणों की समस्या है। माननीय सदस्यों की इच्छानुसार दो बार— एक बार 2.00 बजे और दूसरी बार 4.00 बजे इस सभा ने चर्चा आरम्भ की। चर्चा जारी रही। यहां तक की उस समय भी सभा की सहमति यह थी कि इसे आरम्भ न किया जाए। (व्यवधान) परन्तु माननीय सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ये ठीक 2.00 बजे और 4.00 बजे आरम्भ की गई। (व्यवधान) तीसरी बार हम उसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। हमें उनसे पूरी सहानुभूति है और हम चिन्तित भी हैं। यह केवल एक सदस्य का एकाधिकार नहीं है कि वह इस तरीके से अपने विचार प्रकट करे। (व्यवधान) इसका यह अर्थ नहीं है कि एक सदस्य विशेष ही सभा पर अपना आधिपत्य जमाए रख सकता है। अतः एक बार यह निर्णय करना होगा कि क्या सदन सर्व सत्ता सम्पन्न है अथवा कोई व्यक्ति विशेष। (व्यवधान) हमें इस समस्या का एक समाधान निकालना है। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : मैं सत्ता पक्ष के सदस्यों से इस बारे में सहमत होने की अपील करता हूं। (व्यवधान) आप सहमत क्यों नहीं होते ? वे पहले ही बोल चुकी हैं। दो अन्य वक्ताओं को अभी बोलना है। हमें चर्चा को आज ही समाप्त करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : इनकी बात में दम है (व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कश्मीर जल रहा है। (व्यवधान) क्या कोई वहां गया ? क्या आपने वहां कोई संसदीय प्रतिनिधिमण्डल भेजा है ? (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वे जो कहती हैं, उनकी बात में दम है। कार्यसूची के आधार पर न चलने और इसे गम्भीरता से न लेना गलत बात है। आगरा का विषय और कश्मीर का विषय—ये दोनों विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। मैं इसके बारे में नहीं जानता। नियमों का पालन किया जाना है। यदि कश्मीर पर चर्चा आरम्भ हो चुकी है तो इसे जारी रखा जाना चाहिए। (व्यवधान) सारी सभा और प्रत्येक सदस्य इसके प्रति गम्भीर है। हम देर तक बैठने और दोनों विषयों पर चर्चा समाप्त करने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : हम इसके विरुद्ध हैं (व्यवधान) केवल चर्चा करने के लिए ही हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते। जब सदन में कोई नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : चर्चा के अतिरिक्त, आप और क्या चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : खाली सदन में हम इस पर विचार नहीं कर सकते। इसके खिलाफ हैं। (व्यवधान) हम मन्त्री महोदय कहां हैं ? (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वे आएंगे।

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। जैसे कि आप सब दोनों विषयों—आगरा और कश्मीर के प्रति चिन्तित हैं, तो मेरा सुझाव है कि 6.00 बजे तक हम कश्मीर विषय लेंगे और 6.00 बजे के बाद हम आगरा की घटना पर विचार कर इसे समाप्त कर देंगे।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : पहले आगरा को लीजिए, हम छः बजे के बाद भी बैठने के लिए तैयार हैं।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : आप चर्चा अधूरी नहीं छोड़ सकते। प्रत्येक चर्चा एक दिन आरम्भ होती है और दस दिनों तक लम्बित रहती है। ये किस प्रकार की सरकार चला रहे हैं और हम किस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं ? प्रत्येक चर्चा अधर में लटकती रहती है। हमें एक चर्चा समाप्त करने के बाद दूसरी चर्चा आरम्भ करनी चाहिए। पिछली बार नागालैंड और श्रीलंका पर चर्चा अधूरी रही और अब प्रत्येक चर्चा को अधर में लटकाए रखना चाहते है। हमने जो चर्चा आरम्भ की है, पहले उसे समाप्त करना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत : सर्वप्रथम हमें आगरा पर चर्चा समाप्त करनी चाहिए। मेरा विचार है कि ऐसा न करना पूर्णतः गलत है। हम आगरा विषय पर चर्चा अनिश्चितकाल के लिए अधर में नहीं छोड़ सकते। गम्भीर समस्याओं के प्रति इस प्रकार का दृष्टिकोण हमारी सभा को शोभा नहीं देता।

सभापति महोदय : गृह मन्त्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं। हमें उन्हें सुनना चाहिए।

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : सदन के कार्य के बारे में कार्य मन्त्रणा समिति निर्णय लेती है। मेरा विचार है कि कांग्रेस (आई) समेत सभी दलों का उसमें प्रतिनिधित्व है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा व्यवस्था निश्चित की जाती है न कि समय। मैं इस समिति का सदस्य हूं। आप मुझसे पूछिए।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : नियम 193 के अन्तर्गत आगरा घटना पर विचार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु तब सदन का समय 9 बजे या 10 बजे तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि हम कश्मीर विषय और आगरा की घटना दोनों पर विचार कर सकें। अतः मैं यह मानने के लिए तैयार हूं। हमें 9.00 बजे तक समय बढ़ाने के लिए सहमत होना चाहिए। अन्यथा अधिकतर समय ऐसे ही व्यर्थ हो जाता है और यहां तक कि हम नियमित कार्यसूची से एक भी विधेयक पारित नहीं कर पाएंगे। अतः यदि ये सदन का समय तीन घण्टे अर्थात 9.00 बजे तक बढ़ाने को सहमत हैं, तो मैं तैयार हूं। मुझे यह मंजूर है। हमें इसे नियम 193 के अन्तर्गत लेना चाहिए।

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) : कार्य मन्त्रणा समिति क्या निश्चित करती है, मैं उसमें नहीं पड़ना चाहता। सशस्त्र बल (जम्मू एवं कश्मीर) विशेष शक्तियां अध्यादेश, 1990 को अस्वीकृत करने वाला सांविधिक संकल्प मेरे नाम में है। यदि सदन इसे स्थगित करता है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसे स्थगित करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है। मैं आप सबसे एक अपील करना चाहता हूं कि यह निश्चित करने में कि कौन-सा विषय पहले लिया जाए, हमने 45 से 50 मिनट व्यर्थ गवां दिए हैं। मैं समझता हूं कि सदन की कुछ परम्पराओं पर आक्षेप किया गया है कि हमें इनके बारे में क्या करना है। कुछ भी हो, इस बात पर जोर देकर कहा गया है कि सभा की कार्यवाही भी आगे

चलायी जानी चाहिए। आप उसी मुद्दे को ले सकते हैं जिसे आप पहले लेना चाहते हैं। यदि सदस्यगण सहमत हैं, यदि कोई चर्चा अधूरी है, तो निश्चित रूप से आगे बहस करने से पूर्व हर प्रकार से उसे पूरा किया जाना चाहिए। परन्तु आज की कार्यवाही में जो कुछ सम्मिलित है, उसे भी आज ही पूरा कीजिये, इस बात की कोई चिन्ता नहीं है कि हमें कितनी देर तक सदन की बैठक जारी रखनी पड़ेगी। यह कोई नई बात नहीं है जिसे सभा आज ही कर रही है, जिसे पहले कभी नहीं किया गया है। इस बात के पूर्व उदाहरण मौजूद हैं। सभा देर रात तक चलती रही है। हमने जो कुछ किया है, आज उसे साकार कर दिया है और हम देर रात तक सभा की कार्यवाही जारी रखेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि इस बात की कोई चिन्ता नही है कि मैं अपना प्रस्ताव 9 बजे प्रस्तुत करूंगा, मैं इसे प्रस्तुत अवश्य करूंगा। यदि सभा की सहमति है, तो पहले आगरे पर हुई चर्चा को पूरा कर लीजिए। आज की कार्यवाही को आज ही पूरा करना है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : श्री जसवन्त सिंह ने जो कहा है, जो कुछ भी मुद्दे हैं, यदि सभा इन्हें स्वीकार करती है और हम सभी मुद्दों को पूरा करना चाहते हैं,और यदि आप सभी सदन का समय बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें ऐसा करने में कोई ऐतराज नहीं है। कश्मीर मामले पर चर्चा के लिए छः घण्टे का समय दिया गया है। मैं नहीं जानता कि कश्मीर का मुद्दा अब पूरा किया जा सकेगा। मैं सुझाव देता हूं कि छः बजे तक एक मद पर चर्चा की जा सकती है। इसके बाद हम अगला मुद्दा, जिसे भी आप चाहते हैं, अर्थात नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा, ले सकते हैं। अतः यदि कश्मीर का मुद्दा लिया भी जाता है, यदि हम देर तक भी बैठते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम इसे आज ही पूरा कर सकेंगे। ये मेरे अपने विचार हैं। अर्थात आप पहले एक मद लीजिए। इसके बाद आप अगली मद लीजिए। जहां तक समय का संबंध है, सर्वप्रथम कश्मीर मामले पर एक घंटे चर्चा की जा सकती है, इसके बाद अगली मद पर दो घण्टे अथवा तीन घण्टे, जो भी आवश्यक समझा जाए, बहस की जा सकती है।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : आगरा का पहले होना चाहिए, कश्मीर का बाद में होना चाहिए। (व्यवधान) हम देर तक बैठने के लिए तैयार हैं। आप जम्मू कश्मीर के मामले को बाद में लीजिए। आगरा कांड पर शुरू की गई चर्चा जो कि अधूरी पड़ी हुई है, आप पहले उसको पूरा कीजिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : सभापति महोदय, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। माननीय मन्त्री महोदय ने कार्य-मन्त्रणा समिति का हवाला दिया है। कार्य-मन्त्रणा समिति में हमने जम्मू और कश्मीर मुद्दे पर चर्चा के लिए 6 घण्टे का समय निर्धारित किया है और यह बात तय की गयी है कि हम इस मुद्दे को सोमवार अथवा मंगलवार को पूरा करने का प्रयास करेंगे और पूरा कर देंगे। यह बात बिल्कुल साफ है कि इसे आज अथवा कल भी पूरा करना सम्भव नहीं है, क्योंकि कार्य-सूची में गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य शामिल है। यदि हम जम्मू और कश्मीर मुद्दे पर अब चर्चा करते हैं, तो कुछ भी पूरा नहीं होगा। अब मुश्किल से एक घण्टे का समय शेष है। हमें नियम 193 के अधीन चर्चा आरम्भ करके इसे पूरा करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम् : हम नियम 193 के अधीन चर्चा आरम्भ करके इसे पूरा करते हैं। हम आगरे की घटना के बारे में मन्त्री महोदय का उत्तर सुनने के लिए अत्यधिक इच्छुक हैं। हमें कुछ

[श्री पी० चिदम्बरम]

न कुछ आरम्भ करके उसे पूरा करने दीजिए। हमें प्रत्येक बहस के टुकड़े-टुकड़े मत करने दीजिए। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम पहले अत्याचारों के संबंध में चर्चा करते हैं। सदन का समय 8 बजे तक बढ़ाने दीजिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : नियम 193 के अधीन होने वाली चर्चा में भाग लेने वालों की सूची में अनेक वक्ताओं के नाम हैं। इस मद पर चर्चा के लिए केवल दो घण्टे का समय दिया गया था। हमने इस पर तीन घण्टे से अधिक का समय पहले ही ले लिया है। श्री अमर राय प्रधान खड़े हुए हैं। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। उसके बाद मन्त्री महोदय जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वे मन्त्री महोदय के जवाब के बारे में अधिक चिन्तित हैं। हमें वक्ताओं की संख्या कम करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : कृपया नियम 193 के अधीन होने वाली चर्चा के लिए एक घण्टे का समय और दीजिए। (व्यवधान)

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : यदि आप नियम 193 के अधीन चर्चा करना चाहते हैं, तो सभा का समय 8 बजे तक बढ़ाना होगा। आप इस पर चर्चा के लिए एक घण्टा अथवा डेढ़ घण्टे का समय ले सकते हैं और शेष समय में जम्मू और कश्मीर विधेयक पर बहस हो सकती है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, होम मिनिस्टर साहब ने अभी कहा कि पहले यह तय हो जाये कि हाउस 8 बजे तक बैठेगा। यह बात जब पिछले हफ्ते उठी थी तो उस समय पार्लियामेंटरी अफेयर्स के मिनिस्टर साहब ने कहा था कि लिस्ट आफ बिजनेस के अरेंजमेंट की सिक्वेंस तय करने का काम पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्ट्री का है। 193 जो कि हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के संबंध में है, इसको आप पहले प्राथमिकता दें और आप ऐसा अरेंजमेंट रखें जिससे कि यह पहले पूरा हो जाये। इसको दो बजे के आसपास भी टेकअप किया जा सकता है या फिर कॉलिंग अटेंशन या 377 के बाद भी टेकअप किया जा सकता है। अनफोरच्यूनेटली हम यह देख रहे हैं कि आज के लिस्ट आफ बिजनस में इसको लास्ट आइटम में रख दिया गया है जिससे कि इस पर डिसकशन न हो सके। इसलिए मायावती जी और सदन के दूसरे सदस्य इस बारे में चिन्तित हैं। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, यह जो कह रहे हैं वह गलत कह रहे हैं। यह इस हाउस के बहुत पुराने सदस्य हैं और सदन के नियमों के बारे में मालूम नहीं इन्हें जानकारी है या नहीं ; इनको यह मालूम होना चाहिए कि पहले लैजिस्लेटिव बिजनस होता है और उसके बाद दूसरी डिसकशन होती है।···(व्यवधान)···यह बात सच है कि कांग्रेस (आई) ने यह तय कर लिया है कि इस हाउस का कोई बिजनस चलने नहीं देना है। वरना क्या कारण है कि 5 बज गए और अभी तक कोई बिजनेस ही नहीं लिया जा सका। टाइम यह बढ़ाने देंगे नहीं और हाउस को चलने नहीं देंगे···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस बात को और आगे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : यह हाऊस चलने नहीं दे रहे और टाइम बढ़ाने नहीं देंगे तो मेरा यह मोशन है कि हाऊस को रात के 10 बजे तक बढ़ाया जाये।

श्री हरीश रावत : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं निवेदन यह कर रहा था, जैसा मेरे मित्र इन्द्रजीत जी ने और दूसरे सदस्यों ने मजेस्ट किया है कि 193 पर डिस्कशन अभी टेक अप कर लिया जाए और जिस समय 6 बजेंगे तो फिर हाऊस डिसाइड करेगा कि हमको लेट बैठना है या नहीं। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : मेरा प्रस्ताव रखा हुआ है कि हाऊस को रात के 10 बजे तक चलने दिया जाए। (व्यवधान)

चौधरी मुख्तान सिंह (जलेसर) : मैं एक मिनट लूंगा। मेरा एक सुझाव है। पहले तो मायावती जी ने यह कहा कि धनौला गांव में सब आदमी पड़े हैं। धनौला नाम का कोई गांव आगरा जिले में नहीं है···(व्यवधान)···आप सुन लो नहीं तो हम भी आपको नहीं बोलने देंगे। (व्यवधान)

कुमारी मायावती : आगरा के बारे में एस० सी०, एस० टी० पार्लियामेंटरी कमेटी की रिपोर्ट देखो कि आगरा में धनौला गांव है या नहीं। (व्यवधान)

चौधरी मुख्तान सिंह : आगरा के पनवारी कांड की न्यायिक जांच हाई कोर्ट के जज द्वारा करा ली जाए और कि आगरा जिले में धनौला गांव है या नहीं। आप वहां गई थीं, बहन जी मुझे वहां मिली थीं। (व्यवधान)

कुमारी मायावती : चेयरमैन आपकी सरकार का है, उससे पूछ लो, एस० सी०, एस० टी० पार्लियामेंटरी कमेटी 11 अगस्त को वहां गई है, आप उससे पूछ लो, रिपोर्ट मंगा लो। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : आपको नियमों के बारे में अच्छी जानकारी है। सामान्यतः नियम 193 के अधीन होने वाली चर्चा के लिए 2 घंटे का समय नियत किया जाता है। इस मामले में, हमने तीन घण्टे और चार मिनट का समय पहले ही ले लिया है···

[हिन्दी]

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यहां कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं आपको बोलने के लिए बाद में बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री राम लाल राही : सुन तो लीजिए मुझे। अभी आप स्वयं हाऊस के अन्दर सारे दलों के नेताओं से परामर्श कर चुके हैं और यह तय कर चुके हैं कि 193 लिया जायेगा तो फिर मन्त्री जी को बोलने की क्या जरूरत है ? (व्यवधान)

5.00 म० प०

अभी हाऊस में आपने कहा है कि अब 193 लिया जायेगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, जब मैंने माननीय सदस्या श्रीमती मायावती जी के साथ इस विषय में बातचीत की थी··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : मैं एक सम्मानित सदस्या हूं। माननीय मन्त्री जी को यहां आये हुए इतने दिन हो गये हैं और मैं बहुजन समाज पार्टी की लीडर भी हूं। मन्त्री जी को इतना भी मालूम नहीं है कि मैं कुमारी मायावती हूं, श्रीमती नहीं हूं। इनको अपने शब्द वापस लेने चाहिएं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, उनकी भावनाओं को आघात पहुंचाने के लिए मुझे खेद है। मुझे याद है कि मैंने 'कुमारी मायावती' कहा था। मैंने 'श्रीमती' नहीं कहा। क्या आप इस बात को जानते हैं कि सरकार में 'श्रीमती' शब्द दोनों के लिए आता है। परन्तु, इसके बावजूद मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूं। मैं 'कुमारी मायावती' शब्द दोहराता हूं। मैंने जब उनके साथ बातचीत की थी तो वे चाहती थी कि इस विषय पर आज ही चर्चा हो और माननीय गृह मन्त्री के उत्तर के बाद इसे समाप्त कर दिया जाये क्योंकि वे माननीय गृह मन्त्री के उत्तर के बारे में मुख्य रूप से चिन्तित हैं। इसलिए, मैं नहीं समझता कि इस पर आगे और चर्चा करने की कोई आवश्यकता है। जैसा कि तय किया गया है, माननीय गृह मन्त्री महोदय को पहले उठाये गये मुद्दों का जवाब देने दीजिए। (व्यवधान) मैं औपचारिक रूप से प्रस्ताव करता हूं कि अब चर्चा समाप्त की जाए और माननीय गृह मन्त्री को उसका जवाब देने दीजिए। (व्यवधान) एक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हैं। उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिए। माननीय गृह मन्त्री उत्तर देंगे और उसके बाद हम बहस को आज ही समाप्त कर देंगे। मैं औपचारिक रूप से यह प्रस्ताव भी करता हूं कि सभा 8 बजे तक चलेगी और जम्मू और कश्मीर मामले पर चर्चा की जायेगी। (व्यवधान)

5.05 म०प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर निरन्तर हो रहे अत्याचार -- (जारी)

सभापति महोदय : अब श्री अमर रायप्रधान अपना भाषण जारी करें।

श्री अमर रायप्रधान (कूच बिहार) : सभापति महोदय, गत शुक्रवार को जब मैं बोल रहा था, तो मैंने कहा था कि हमने स्वतन्त्रता प्राप्ति के गत 42 वर्षों में इन बातों को गम्भीरता से नहीं लिया है। वास्तव में, अब मुझे कहना होगा कि हमारी स्वतन्त्रता प्राप्ति के 43 वर्षों में हम अनुसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों की समस्याओं का समाधान करने में गम्भीर नहीं रहे हैं। हम इस मूद्दे को केवल स्वीकार करने का प्रयास करते हैं, परन्तु इस बुराई को देश से समाप्त करने के प्रयास कभी नहीं करते हैं। कांग्रेस दल के मेरे मित्र अब इस सभा में काफी शोर शराबा कर रहें हैं, परन्तु उन्हें यह बात नोट करनी चाहिए कि 7 अगस्त, 1989 को इसका जवाब इस पुनीत सदन में दिया गया था और यदि आप आंकड़ों पर दृष्टि डालें, तो देखेंगे कि 1980 से 1989 तक अपराधों की संख्या 2,000 तक हो गयी है, हत्याओं की संख्या बढ़कर 200 और बलात्कार के मामलों की संख्या बढ़कर 300 हो गयी है।

मैं उनकी बात से सहमत हूं और कहना चाहता हूं कि आगरा में जो जघन्य अपराध हुआ है, हम सभी को मिलकर उसकी भर्त्सना करनी चाहिए, परन्तु हमें इस बात को भी जानना चाहिए कि ऐसा केवल आगरा में ही नहीं हुआ है, बल्कि ठीक अभी कुछ मिनट पहले जब श्री यमुना प्रसाद शास्त्री नियम 377 के अधीन एक मामले के बारे में बोल रहे थे, तो उन्होने हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया था कि वहां दो आदिवासी महिलाओं को जला कर मार दिया गया। ऐसा केवल हिमाचल प्रदेश में ही नहीं हुआ, बल्कि बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और त्रिपुरा में भी हुआ था। श्री संतोष मोहन देव यहां सदन में उपस्थित हैं।

वे अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार त्रिपुरा में 31 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : कांग्रेस से ईक्कीस थे।

श्री अमर राय प्रधान : चाहें जो कुछ भी हो, लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लोग अपने भद्दे तर्कों द्वारा त्रिपुरा में हुए इन बलात्कारों को न्यायोचित ठहराने का प्रयास नहीं करेंगें।

मुझे एक रिपोर्ट मिली है। आन्ध्र और कर्नाटक में भी ये अत्याचार हो रहे हैं। हम कर्नाटक के मामले की चर्चा करें। कर्नाटक के मेरे मित्र इसे भली भांति जानते है। दिनांक 27 मई, 1990 के हिन्दू समाचार पत्र में यह प्रकाशित हुआ था। इसमें कहा गया है : "गुलबरगा जिले के कुदलहनगर का गांव और बेल्लारी जिले के सगनाकल्लू गांव में हरिजनों के विरुद्ध अत्याचार के दो मामले हैं जिसमें बीस व्यक्ति मारे गये और 145 से अधिक परिवार बेघर हो गये थे। संयोग ऐसा है कि ये दोनों मामले गुलबरगा मंडल से सम्बन्धित हैं जहां से कि मुख्य मन्त्री श्री वीरेन्द्र पाटिल सहित मंत्रि मंडल में तीन प्रतिनिधि हैं।" वे जो आगरा के बारे में कह रहे हैं कि इसके जिम्मेवार आगरा के डी० एम० थे, यू० पी० के सी० एम० थे, प्रधान मन्त्री थे वे स्वयं ही इसके जिम्मेवार हैं। क्या कांग्रेस के सदस्यगण यह कहना चाहेंगे कि कर्नाटक के मुख्य मंत्री इस घटना के जिम्मेवार हैं जिसमें कि 20 व्यक्ति मारे गये हैं और 142 परिवार बेघर हो गये हैं ?

हम समाधान की ओर कभी नहीं देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था। यदि हम पहले से आठवें प्रतिवेदन का अध्ययन करें तो हम यह देखेंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की समस्याओं के समाधान हेतु भूमि सुधार, इनके लिए नौकरियों में आरक्षण और आदिवासी लोगों की परम्परागत संस्कृति को बनाये रखने के

[श्री अमर राय प्रधान]

सम्बन्ध में तीन ठोस सुझाव दिये गये हैं। लेकिन हमने कहां तक यह सब किया है ? अपने 40 वर्षों के शासन में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया ? महोदय, अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग कौन है ? वे दलित लोग हैं, वे अभावग्रस्त लोग है। वे बिल्कुल ही निर्धन लोग है। भूमि सुधार और भूमि वितरण के सम्बन्ध में कितना कुछ किया गया है ? प्रो० महाननोबीस रिपोर्ट के अनुसार 6.3 करोड़ एकड़ भूमि को अतिरिक्त भूमि घोषित किया गया था। उस समय भी तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री ने 1960 में संसद में यह वक्तव्य दिया था कि कम से कम 40 करोड़ एकड़ भूमि अतिरिक्त भूमि के रूप में उपलब्ध है। हाल ही में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मार्च 1989 तक सिर्फ 76.5 लाख एकड़ भूमि अतिरिक्त भूमि के रूप मे उपलब्ध है और इसमें से 44.1 लाख एकड़ भूमि मार्च तक वितरित की गयी है और इसमें से एक तिहाई भूमि सिर्फ पश्चिम बंगाल मे वितरित की गयी है। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं ? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सम्पूर्ण समुदाय ही भूमिहीन है और हमारे देश के सामन्तवादी समुदाय अपनी अतिरिक्त भूमि त्यागने को कभी तैयार नहीं होते हैं। इन भू-स्वामियों के विरुद्ध सरकार कभी कार्रवाई नहीं करती है और यही मुख्य कारण है कि अतिरिक्त भूमि का वितरण नहीं हो पाता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की रिपोर्ट के अनुसार, यदि आप इसका अध्ययन करें तो आप पायेंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार होने का मुख्य कारण जमीन ही है। हम इस बात को खुल कर कहना चाहेंगे।

यह बिल्कुल सत्य है। यदि आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास का अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि कांग्रेस ने ही 1939-40 में 'कृषकों के लिए भूमि' का नारा दिया था। लेकिन इसके बाद कुछ भी नहीं किया गया।

यह बिल्कुल सच है कि 50 के दशक में आपने भूमि सुधार के सम्बन्ध में कुछ पहल की। लेकिन इसके पश्चात 1960 में नागपुर में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में आपने यह मुद्दा उठाया कि कृषकों को भूमि दी जायेगी। लेकिन अनन्त: आप प्रभावपूर्ण तरीके से उस सम्मेलन में यह मुद्दा पारित नहीं करा पाये थे। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधान मन्त्री थे। प्रो० रंगा सदस्य तो नहीं थे लेकिन निश्चित रूप से वे स्वतन्त्र दल में थे। स्वभावत: उस सम्मेलन में कांग्रेस की कार्य-वाही के बारे में वे कुछ अधिक नहीं जानते थे। लेकिन कांग्रेस दल के सामन्तवादी लोग इसके बहुत ही विरुद्ध थे। अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की वही दशा है। वे अभी तक भूमिहीन हैं।

महोदय, जहां तक नौकरियों में आरक्षण का सम्बन्ध है, इसकी क्या स्थिति है ? श्री चिदम्बरम जी यहां उपस्थित हैं। उन्होंने चुनाव के समय यह घोषणा की थी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 45000 लोगों को नौकरियां दी जायेगी। उस घोषणा का क्या हुआ ? वे सिर्फ कागज पर ही हैं।

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : ऐसा किया गया था। (व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान : बाकी बचे हुए लोगों की संख्या क्या है ? (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, उन्होंने मेरे नाम का उल्लेख किया है। उन्हें अपनी बात समाप्त

कर लेने दें ताकि मैं स्थिति स्पष्ट कर सकूं।

श्री अमर राय प्रधान : आपको बोलने का अवसर दिया जायेगा।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, गत वर्ष की हमारी घोषणा के पश्चात अक्टूबर, 1989 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का चयन कर वास्तव में पूर्ति की गयी नौकरियों के सम्बन्ध में सरकार एक वक्तव्य सभापटल पर प्रस्तुत करे और आप देखेंगे कि 47,000 लोगों का चयन किया गया है और उनकी नियुक्ति की गयी है। 47,000 पदों को भरा गया है। यदि यह वक्तव्य गलत है तो श्री रायप्रधान जी को अपना आरोप वापस लेना चाहिए···(व्यवधान)

श्री अमर रायप्रधान : पीछे की पड़ी हुई आरक्षित रिक्तियों की संख्या कितनी है जो अभी तक भरी नहीं गयी हैं ?

श्री पी० चिदम्बरम : मैं आपको उन नियुक्तियों का विवरण दे सकता हूं। मैं आपको उनके नाम बता सकता हूं जिनकी नियुक्ति की गयी है।

श्री अमर रायप्रधान : आपने कहा है कि आपने 47,000 नियुक्तियां की हैं। उस समय पीछे की बच रही रिक्तियां कितनी थी ? इस पीछे की बच रही रिक्तियों का जिम्मेदार कौन हैं ? इन बाकी पड़ी रिक्तियों के लिए आपकी सरकार जिम्मेदार थी। (व्यवधान) कांग्रेस की सरकार इन सबके लिए जिम्मेदार थी। संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए बताये गये निदेशों का पालन उन्होंने नहीं किया। (व्यवधान)

जनजातीय लोगों की संस्कृति को उचित रूप बरकरार नहीं रखा गया है। (व्यवधान) अक्सर ऐसा कहा जाता था कि आदिवासी लोग पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं और पर्यावरण में असंतुलन पैदा कर रहे हैं। यहां मैं कहना चाहूंगा कि आदिवासी लोग नहीं बल्कि अन्य लोग अर्थात जंगलों के ठेकेदार हैं जो ये सब समस्यायें पैदा कर रहे हैं। लेकिन इन जनजातीय लोगों की संस्कृति को उचित रूप से बनाये रखा जाना चाहिए।

पुन: मैं यह कहूंगा कि कांग्रेस के लोग समस्यायें उत्पन्न कर रहे हैं और आरक्षण-विरोधी आन्दोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। वे समस्या उत्पन्न कर रहे हैं और इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि यह जनजाति और जनजातीय लोगों की समस्या है। मैं समझता हूं कि यह ब्राह्मण, राजपूत और अन्य हिन्दू जाति के विरुद्ध यह कोई समस्या नहीं है। वे इस प्रकार का वातावरण बना रहे हैं जिससे कि ब्राह्मण, राजपूत और अन्य जाति के हिन्दू यह समझने लगे हैं कि यदि आरक्षण को उचित रूप से लागू किया जाए तो वे नौकरियों से, भूमि आदि से वंचित हो जायेंगें। लेकिन यह समस्या तब तक नहीं सुलझायी जा सकती है जब तक कि अन्य लोग भी दूसरों के स्तर पर नहीं आ जायें। इस प्रकार आप विगत 40 वर्षों में उचित रूप से कार्य नहीं कर पाये हैं, यह बात आपको स्वीकार करनी चाहिए। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। हम सभी को विभिन्न जातियों और धर्मों का ख्याल किये बिना मिल जुल कर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, वे कांग्रेस पार्टी को ही सत्तारूढ़ दल समझ रहे हैं और इसलिए वे हमें सम्बोधित कर रहे हैं; वे आपको भी सम्बोधित नहीं कर रहे हैं। वे सत्तारूढ़ दल के रूप में हमें संबोधित कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप अपने आप को दोषी क्यों समझ रहे हैं ?

श्री पी० चिदम्बरम : मैं नहीं मान रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अमर रायप्रधान : सभापति महोदय, मैं अपनी बात संक्षेप में कहना चाहूंगा। मैं आशा करता हूं कि वर्तमान सरकार निश्चित रूप से रोजगार, जमीन आदि उपलब्ध करा कर अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रही है। संविधान की नौवीं अनुसूची में संशोधन लाने का प्रस्ताव वे पहले ही रख चुके हैं जो कि उचित भूमि सुधार और भू-वितरण में सहायक होगा। लेकिन महोदय मैं वर्तमान सरकार से अनुरोध करूंगा : अपने पूर्ववर्ति कांग्रेस सरकार की तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए झूठे आंसू मत बहाईये। (व्यवधान) आप हंस क्यों रहे हैं ?

श्री पी० चिदम्बरम : आप कहते हैं, "झूठे आंसू मत बहाइये।" (व्यवधान)

श्री अमर रायप्रधान : आपने अत्याचार किया है। (व्यवधान) पश्चिम बंगाल में हम भूमि सुधार का काम करीब-करीब पूरा कर चुके हैं। सभा को यह जान कर आश्चर्य होगा कि पश्चिम बंगाल में एक-तिहाई भू-वितरण किया जा चुका है। (व्यवधान) क्या आप अनुसूचित जनजाति के लोगों की संस्कृति को उचित रूप से सुरक्षित रख पाये हैं ? नहीं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? लेकिन पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार जनजातीय लोगों की संस्कृति को बनाये रखने का प्रयास कर रही है··· (व्यवधान)

स्वामी विवेकानंद की उक्ति हमें याद रखनी चाहिए :

"ओ भारत के लोगो, इन दलित लोगों को मत भूल जाओ, ये मोची और सफाई करने वाले तुम्हारे भाई और बहने हैं और तुम्हारा ही खून है। ये भी भारतीय हैं।"

वे आपके निकट के सम्बन्धी है। यदि हम भारतीय हैं तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। यही स्वामी विवेकानन्द के विचार हैं।

महाकवि रवीन्द्रनाथ टैगौर ने बंगला में कहा है :

"पोश्चाते फेलिहो जारे

से तोमारे पोश्चाते टानिबे।"

इसका अर्थ है :

आप अन्य लोगों को पीछे धक्का दे कर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन वे आपको और भी पीछे खींच लेंगे।

इसलिए मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की समस्या सुलझाने हेतु नीति बनाने का और इन जनजातीय लोगों की संस्कृति सुरक्षित रखने का भी अनुरोध करूंगा।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय के बोलने से पहले एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं यह समझता था कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के

तहत आगरा के मामले में एक गहन जांच करवाने के आदेश दिए जा सकते हैं। लेकिन जब मैंने हाल ही में श्री रामधन से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि अध्यक्ष के रूप में उनके पास यह शक्ति नहीं है कि वह आगरा में घटी घटनाओं पर व्यापक जांच के लिए कार्यवाही कर सकें। इसलिए, मैं गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह श्री रामधन को पर्याप्त शक्तियां देंगे या अपराधियों की शिनाख्त करने और आवश्यक कार्यवाही करने के लिए स्वयं ही एक जांच आयोग नियुक्त करने पर विचार करेंगे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : यह हमेशा गवर्नमेंट बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन अपने सदस्यों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और विरोधी दल से कहते हैं कि आप हमारे साथ सहयोग नहीं करते हैं, जबकि हमको बोलने का मौका नहीं देते हैं।

श्री चांद राम (हरदोई) : मैं आजादी से पहले लाहौर में पढ़ता था। जब हम यहां आये तो 15 अगस्त, 1947 को हमने लालकिले से पण्डित जवाहरलाल नेहरू की तकरीर सुनी। उन्होंने उस समय कहा था कि जब आजादी आयेगी तो उसके सूरज की किरण हर घर में पहुंचेगी। लेकिन आज मुझे बहुत अफसोस है कि हमें इस सदन में अनुसूचित जाति और जनजातियों पर अत्याचार के मामले पर चर्चा करनी पड़ रही है और इसमें भी गुटबंदी और राजनीति हो रही है। मुझे याद है जब मैं आठ बरस का था तो सन् 1932 में पूना एक्ट हुआ था। डा० अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी की जान उन्होंने बचाई थी और राष्ट्र की धारा के साथ हमने अपनी आवाज लगाई थी। अगर आप पूना एक्ट को पढ़ें कि उसमें जो वचन दिया था वह क्या था। वह यह था, हिन्दुस्तान के लोगों की तरफ से, विशेष तौर से हिन्दुओं की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि 10 साल में हम अछूतों को राष्ट्र की मुख्य धारा में मिला लेंगे और देश से छुआछूत का अंत हो जायेगा।

लेकिन कल हमने स्वतंत्रता का 4 .वां वर्ष मनाया तो स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया है। डा० अम्बेडकर ने कहा था कि कुछ आदमी हैं जो अछूतों पर गरजते-बरसते हैं, कुछ आदमी हैं जो गांव छोड़कर जंगल में चले गये और उनको आदिवासी कहा गया।

एक-तिहाई हिन्दुस्तान की आबादी आज भी क्यों गुरबत में रह रही है, लाचारी में जी रही है, मजबूर होकर अपना जीवन व्यतीत कर रही है ? आज भी क्यों उनमें आतंक है।

जैसा यहां अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, चाहे आगरा में कोई इस तरह का काण्ड हुआ, या मध्य प्रदेश के एक गांव में हुआ, आज भी वहां एक जाति विशेष के लोग, एक महीने के बाद भी, क्यों रुके हुए हैं, क्या वह हम सब के लिये शर्म की बात नहीं है। क्या हमारा उनके प्रति कुछ दायित्व नहीं है। (व्यवधान)

मायावती जी, अब तो हमें बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री राम धन (लालगंज) : यह आप अपनी पार्टी के मैम्बरों से पूछो।

5.26 म० म०

[श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं]

कुमारी मायावती (बिजनौर) : आगरा काण्ड के लिये आप दोषी हैं, आपकी सरकार दोषी है। (व्यवधान)

श्री राम धन : आप पहले जाकर कांशीराम से पूछो। (व्यवधान)

जिन जाटों ने आगरा में हरिजनों को मारा, आपके कांशीराम जी ने वहां जाकर उनके साथ समझौता कर लिया। आपका कांशीराम उन्हीं लोगों के साथ जाकर मिल गया। अब तुम क्या बोल सकती हो। पहले अपने घर में झांक कर देखो, फिर सदन का समय लो, ऐसे ही सदन का समय जाया मत करो। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आनरेबल मैम्बर्स, चांद राम जी को बोलने दीजिये, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिये।

(व्यवधान)

श्री चांद राम : हमने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, इसलिये आप पहले मुझे बोलने दीजिये। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठिये।

श्री चांद राम : मैं यहां किसी वादविवाद के इरादे से इस प्रश्न को उठाना नहीं चाहता। मेरे विचार में अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार का मामला एक राष्ट्रीय सवाल है और इस सवाल पर यदि राष्ट्रीय दृष्टि से नहीं देखा जायेगा तो इसे हम हल नहीं कर सकते। आज भी क्यों हमारे देश में आजादी के 44 साल बाद इन लोगों पर अत्याचार होते हैं, इसके क्या कारण हैं, मैं इसकी तह में जाना चाहता हूं। मैं किसी व्यर्थ के वाद-विवाद में नहीं जाना चाहता। आज यदि अत्याचारों के किसी साल एक लाख मामले सामने आये, किसी साल डेढ़ लाख सामने आये तो हमें उसकी तह में जाना होगा।

आज हिन्दुस्तान का हर गरीब सम्मान के साथ जीना चाहता है क्योंकि उसे भी राय देने का संविधान के अंतर्गत अधिकार प्राप्त है। वह चाहता है कि वह भी सत्ता में भागीदार हो, उसकी भी सुनवाई होनी चाहिये। वह देखता है कि उसके वोट के कारण ही आज हिन्दुस्तान में सरकारें बनती हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार बने या किसी अन्य दल की सरकार बने, वोट देने के साथ ही सबसे पहले उसे आशा बंधती है कि वह सरकार हमारे लिये कुछ न कुछ अवश्य करे। मैंने जैसा पहले कहा, अत्याचारों की कहानी में यदि जायेंगे, गांव गांव में जाकर देखेंगे, आज हर गांव का आदमी सम्मान के साथ जीना चाहता है सम्मान प्राप्त करना चाहता है, तो उन लोगों के मन में डर की भावना बैठेगी, इसलिये आज हमें उनके आंकड़ों में नहीं जाना चाहिये।

मैं कहना चाहता हूं कि आजादी मिलने के 44 साल बाद भी यदि आज इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हम पार्लियामैंट के मैम्बर्स को और हिन्दुस्तान की जनता को, हमारी हुकूमत को, शासन को, यह सोचना होगा कि ये अत्याचार होते क्यों हैं, इन अत्याचारों का आधार क्या है। इस पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है कि किस तरह से इस समस्या को हल किया जा सकता है। यह कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि इतने समय बाद भी कुछ लोग गरीब रहें, लाचार रहें, डिपैन्डैंट रहें, वीक रहें, प्रताड़ित रहें, पीड़ित रहें।

यदि ऐसा होगा तो निश्चित है कि सशक्त लोग उन्हें दबायेंगे क्योंकि समाज ही हमारा इस तरह का बना है। आज हमारे समाज की रचना कुछ ऐसी बन गयी है कि जो लोग गांव में ज्यादा तादाद में रहते हैं, उनके पास जमीन भी है, जायदाद भी है, धन भी है, उन्हीं के पास हथियार हैं, लाइसेंस भी उन्हीं लोगों को मिलते हैं, अधिकारी भी उन्हीं लोगों के ज्यादा आपको मिलेंगे। इसलिये जब हमारे समाज की रचना कुछ ऐसी बन गयी है तो उस हालत में क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बन जाता। हमें देखना होगा कि क्या हमने अपनी पांच साला योजनाओं में इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त धन की व्यवस्था की है, क्या हमने उनको जमीनें दीं।

पहली पांच साला योजना में जमीनों से सम्बन्धित चैप्टर में लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जमीनें दी जायेंगी लेकिन उन जमीनों का सोश्यल स्टेटस होगा, सामाजिक स्टेटस मिलेगा, इससे आमदनी नहीं होगी, लेकिन मुझे याद है जब आल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जनवरी, 1958 में नागपुर में अधिवेशन हुआ था, तो पं० जवाहर लाल नेहरू ने एक रिजोल्यूशन पास किया कि भूमिहीनों को जमीनें एक साल के अन्दर देंगे। मैं उन आदमियों में से हूं जो उस समय इस बात पर बोला और मैंने पंडित जी से कहा था कि आपने जो प्रस्ताव पास किया है कि दिसम्बर, 1958 तक आप भूमिहीनों को जमीन तकसीम कर देंगे, इसमें मुझे शक है।

आप एक साल की बात करते हैं, यह जो रूढ़िवादी समाज है और जो यहां लैंडलॉर्डिज्म है, इसके चलते यह सम्भव नहीं हो पाएगा। मैंने कहा था कि इसको आप मामूली न समझें। कहानी यही हुई कि चोर को कहो लगो और शाह को कहो जगो। हम इस तरह के लैंड रिफॉर्म की बात करते रहे और जमीन इधर-उधर बिकती रही और कुत्ते-बिल्ली के नाम होती रही। कमीशन के चेयरमैन, रामधन जी यहां बैठे हुए हैं। मैं उनके सामने कहना चाहता हूं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप यह देखें कि आजादी के पहले कितने शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग कास्तकार थे, चाहे वे गिरदावरी के खाने में मुजारे नहीं थे, लेकिन असल में वे कास्तकारी करते थे। आज वे 30 प्रतिशत भी नहीं रहे हैं। हमने सुझाव दिया था कि जैसे पंजाब और हरियाणा में किया, वैसे करो। पंजाब और हरियाणा में जितनी भी सरकारी जमीन थी, नजूल की, ग्राम सभा की वह सन् 1953 में शेड्यूल्ड कास्ट्स को देने की बात कह दी थी।

सभापति महोदय : चांद राम जी, माफ कीजिए, आपका टाइम ओवर हो गया है। मैं आपसे अर्ज करती हूं कि आप समाप्त कीजिए।

श्री चांद राम : जो बड़े बड़ लैंड रिफार्म्स की बात सरकार कर रही है, उससे सरकार को कुछ नहीं मिलेगा। अगर सरकार चाहे, तो जिस प्रकार से बड़े-बड़े कारखानों के लिए सरकार जमीन एक्वीजीशन करती है, उसी प्रकार से जमीन एक्वायर कर के इन भूमिहीनों को दे दी जाए। आज भी बहुत से ऐसे लैंड लॉर्ड हैं, जिनके पास जमीन है।

दूसरी बात यह है कि पी० ए० सी० ने आगरा में इंकार कर दिया यह बात आपका जो स्टेटमेंट है, होम मिनिस्टर साहब का जो स्टेटमेंट है, इसमें भी लिखी है कि जो हमला करने आए थे उनके पास हैंड-ग्रेनेड थे, उनके पास हथियार थे। यह गवर्नमेंट का अपना बयान है। इसलिए जो लोग यह कहते हैं कि वहां जाटों ने हमला किया, शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों ने हमला किया, मैं समझता हूं इस बयान के पेशे-नजर, यह बात तथ्यों से दूर है। मैं कहता हूं कि क्यों नहीं आप पुलिस के अन्दर शेड्यूल्ड कास्ट्स के लड़कों को भरती करते हैं। इनके लिए तो कोई हायर एजुकेशन की जरूरत भी नहीं है। आठवीं-दसवीं पास शेड्यूल्ड कास्ट्स के बहुत लड़के मिल जाएंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने आपसे अनुरोध किया है कि आपका समय समाप्त हो चुका है।

[हिन्दी]

श्री चांद राम : मैं पंजाब में था, तो मुझे मालूम है, बंटवारे के बाद बहुत से लोग पाकिस्तान से आए थे जिनको रिफ्यूजी कहते थे, लेकिन उनमें से आज कोई आदमी रिफ्यूजी कहलवाना पसन्द नहीं करता है। इन लोगों की अच्छी हालत कैसे हुई ? इसलिए कि इनके लिए एक अलग से पुनर्वास मंत्रालय बनाया गया। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इनके लिये एक सैपरेट मिनिस्ट्री बना दीजिए। इनको उन्नति का सब काम एक ही छत के नीचे हो, तब इनकी उन्नति देखिए कितनी तेजी से होगी। आज यहां पर मेरे भाई खुराना जी बैठे हैं। आजादी के बाद इनको रिफ्यूजी बना दिया गया, हालांकि ये अच्छे-खासे थे, लेकिन हालत ऐसी हो गई, लेकिन मंत्रालय के प्रयास से सभी रिफ्यूजी आज अच्छी हालत में हैं और अपने को रिफ्यूजी कहलवाना पसन्द नहीं करते हैं। मनुष्यवृत्ति ने इन्हें रिफ्यूजी बना दिया। आज जितने भी आदिवासी लोग हैं, वे आज भी इतने जुल्म होने के बावजूद हिन्दुस्तान की, अपने देश के प्रति देश-भक्ति से भरे हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि अलग मंत्रालय बनाने से इसका कोई हल नहीं है। दस साल के बाद खुद शैडयूल कास्ट/शैडयूल ट्राइब्स के लोग कह देंगे कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, यह दस साल का समय मिल जाए, काम आहिस्ता में हो जाए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया सीट लीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप बैठ जाएं। अब मैं श्री राम लाल राही को बुला रही हूं। आप सब को अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करना चाहिए। आप अत्यन्त संक्षेप में बोलें।

[हिन्दी]

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : सभापति महोदय, यह सही है कि इस देश में वर्तमान समय में शैडयूल कास्ट/शैडयूल ट्राइब्स पर सारे देशभर में अन्याय और उत्पीड़न हो रहा है, यह भी सही है कि आज इस सदन में तीन दिन से लगातार बहस कर रहे हैं। लेकिन जब बहस करने का समय आता है तो हम लोग ऐसा मानकर चलते है कि अभी कुछ और कहना बाकी रह गया है और इसी ऊहापोह में लगता है कि यह बहस समाप्त नहीं होनी चाहिए, इसको आगे समय तक चलना चाहिए। मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहना चाहूंगा कि इस देश में कांग्रेस का राज बहुत समय तक रहा इसमें दो राय नहीं है। यह बात भी सही है कि जो आज सत्ता में बैठे हैं, वे चाहे आज जनता दल के रूप में बैठे हों या इससे पहले सन् 1977 के जनता पार्टी के रूप में बैठे हों, उनका भी राज किसी समय रहा है।

जनता दल या जनता पार्टी वा यह कहना चाहिए जो हमारे सामने सीट पर बैठे हैं, जब-जब ये सत्ता में आए तब-तब इस सदन में और सदन के बाहर, गांव से लेकर शहरों तक यह आवाज सुनाई पड़ी कि हरिजनों पर उत्पीड़न, अत्याचार और अन्याय हो रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा

सन् 1977 में कांग्रेस को हराकर जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस वक्त मैं जनता पार्टी में था। मैं स्वयं इस बात का साक्षी हूं कि उस समय बहुत अत्याचार बढ़े थे।

उस समय के गृहमंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वे इस दुनिया में नहीं है, से जब हमने कहा कि राज बदलने के बाद भी हरिजनों पर उत्पीड़न बढ़ गया है लगता है कि लोगों के मन में एक धारणा बैठ गई है कि जो सरकार आई है वह हरिजनों की रक्षक नहीं है, शोषक है, भक्षक है। लेकिन यह बात नहीं मानी गई और जब नहीं मानी गई तो हम लोगों को मुखर होकर इस सदन में आवाज लगानी पड़ी थी, कहना पड़ा था कि सरकार कमजोर है, सरकार में हरिजनों का विश्वास नहीं है, गरीब मजदूरों का विश्वास नहीं है और विश्वास जीतने की जरूरत है और यदि यह सरकार विश्वास नहीं जीत पाएगी तो रह नहीं पाएगी।

परिणाम आपने देखा कि यह सरकार तीन साल भी नहीं चल पाई, गरीबों की, हरिजनों की आह लगी और टूट गई। आज फिर वही स्थिति है चाहे हरियाणा ले लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश लीजिए, चाहे राजस्थान, चाहे बिहार ले लीजिए, जहां-जहां जनता दल और इनके सहयोगी दल जो केन्द्र में सरकार चला रहे हैं, जन मोर्चा में शामिल है, जहां-जहां इनकी सरकारें बनी हैं वहां हरिजनों पर उत्पीड़न और अन्याय बढ़ा हुआ है।

अभी राजस्थान में वहां के कंजरों को डायनामाइट लगाकर गांव के गांव उड़ाने की घटना आपने देखी। आगरा में आपने देखा, मायावती जी कितनी उत्तेजित हैं, पूरा सदन उत्तेजित है लेकिन ये उत्तेजित नहीं हैं, ये दबाना चाहते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि समय नहीं है इसलिए आप कह देंगी कि आप रुक जाइए। हमारे गृहमंत्री जी बैठे हैं, प्रधान मंत्री जी नहीं हैं, दूसरे मंत्री लोग बैठे हुए हैं। हमारे यहां लोकतंत्र है, सरकारें आती-जाती रहती हैं और बदलती रहती हैं, लेकिन दुख है कि आप आज तक हरिजनों का मन अपने कर्मों से जीत नहीं पाये हो। इसलिए आप कृपा करके अपने कर्मों को सुधारिए, नहीं तो मालूम नहीं कितने आगरा कांड होंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि गरीब की आह जब आग का एक बड़ा गुब्बारा बनकर आएगी तो आपको भस्म कर देगी और आप बच नहीं पायेंगे व आप राज नहीं चला पायेंगे।

अब मैं अपने क्षेत्र की एक-आध घटनाओं की तरफ आपका ध्यान करना चाहूंगा। हमारे यहां एक गांव वजीराबाद है। वहां पांच बार डकैतों ने हरिजनों को लूटा और पांचों बार एक रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई : एक गांव है, शाहपुर, वहां डकैतों ने लूट की, सामूहिक लूट की, बलात्कार किया। उस घटना को दबाया गया, छिपाया गया। मालूम नहीं ऐसी कितनी घटनायें दबायी जाती हैं। आप अपनी कमजोरी की वजह से सत्ता बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप कुर्सी बचाने की ही फिराक में रहते हैं। इस कारण आप प्रशासन को देख नहीं पा रहे हैं। जिन-जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं—चाहे बी०जे०पी० की सरकार हो और चाहे वहां जनता दल की सरकार हो, वहां इसी तरीके के झगड़े हो रहे हैं। कुर्सी बचाओ की राजनीति वहां चल रही है। इसकी वजह से प्रशासन आपकी पकड़ में नहीं है। गांवों में जो डकैतियां पड़ रही हैं उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। अगर कहीं कोई हरिजन मारा जाता है तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। हरिजनों के घरों को जलाने पर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। मुझे यह कहते हुए शर्म आती है, मालूम नहीं आपको उससे शर्मिन्दगी महसूस होगी या नहीं, मैं एक नए किस्म की घटना आपको सुनाना चाहता हूं।

हमारे यहां अभी एक गोसाइन पुरवा गांव में डकैती पड़ी। यह पहली घटना प्रकाश में आई

[श्री राम लाल राही]

है। पांच घर लूटे गए और लूटने के बाद डकैतों ने औरतों को नंगा किया और नंगा करने के बाद नीचे फूस रख कर उसके ऊपर दियासलाई लगा कर आग लगा दी। ऐसे में उनका पूरा शरीर नीचे से जल गया। इस घटना की रिपोर्ट थाने में सही नहीं लिखी गई। इसका परिणाम यह हुआ कि उसके चार दिन बाद उस गांव को फिर लूटा गया। एक औरत को नंगा किया गया, उसको चूल्हे पर बैठाया गया और फूस नीचे रखकर उसको जला दिया गया। मैंने इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा, गृह मंत्री को लिखा और उसकी कापी प्रधान मंत्री जी तक को भेजी। मैं ऐसा समझता हूं कि आपने उसको देखा तक नहीं! आप तो एक बड़े चक्कर में फंसे हुए हैं और केवल अपनी सत्ता को बचाये रखना चाहते हैं, देवीलाल जी का हमला भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपके जो भाई लोग हैं, वे भी यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं किस दिन आपका पत्ता साफ हो जाए। आप टेलीफोन के ऊपर ये सब काम करते हैं और टेलीफोन से उनको जवाब देते है। आपके पक्ष के लोग जब भी कोई काम आपसे कहते हैं तो आप उसे करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप राजनीति का खेल खेल रहे हैं। आपको इस देश के प्रति, देश की जनता के प्रति, गरीबों के प्रति और हरिजनों के प्रति कोई लगाव नहीं रह गया है।

5.44 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आज आपके राजा साहब प्रधान मंत्री बन गए हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे जिससे वह देश की जनता का मन जीते और बहुत दिनों तक यहां राज करें। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि अगर आप जातीय घृणा या धार्मिक घृणा रख कर राज करना चाहोगे तो राज नहीं कर पाओगे। यह चीज अभी भी आप लोगों के बीच में हैं।

हर रोज आप नई-नई घोषणायें कर रहे हैं और कहते हैं कि हमने यह दिया और वह लिया। लेकिन उन घोषणाओं को अमल में लाते नहीं हैं।

कई मित्रों ने कहा कि 42 सालों में हरिजनों के लिये कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने इन 6—8 महीने मे क्या किया है? मैं कांग्रेस के बारे मैं उन्हें बता सकता हूं। आरक्षण की शुरूआत कांग्रेस ने ही की। उसने हजारों-हजार और लाखों-लाख हरिजनों को राज्य सेवाओं में भर्ती करा दिया।

आर्थिक आरक्षण भी दिया, बैंकों से कर्ज भी दिलाया, आवासीय व्यवस्था भी उनके लिए की और पढ़े-लिखे नौजवानों को पढ़ने के अच्छे अवसर भी दिये, आर्थिक मदद भी की। मैं कहना चाहता हूं, आपने प्लान ही नहीं बनाया होगा, आप चले जाइये, देख आइए मैं उत्तर प्रदेश को तो जानता हूं लेकिन दूसरे प्रदेशों को भी जानता हूं, कोई जिला ऐसा नहीं है जहां हरिजन छात्रों के लिए पढ़ने के लिए होस्टलों की व्यवस्था न की हो, किसने किया है, यह आपने कुछ किया है? आप बता सकते हैं, कहीं कुछ किया है? बैंक से कर्जा मिलता था, करीब 5-5 हजार रुपया, जो आठवीं सातवीं पास हरिजन थे, स्वतः रोजगार के अन्तर्गत, वह पैसा पाकर वह कुछ औजार ले लेते थे लेकिन मुझे खेद है और आपको शर्म आनी चाहिए, आपने उसको भी रुकवा रखा है।

आपके राज में इस समय किसी बेकार को, किसी एक गरीब गुरबा को बैंक कर्जा नहीं दे रहे

हैं, कोई स्वत: रोजगार नहीं पा रहा है। यह तो छोड़ दीजिए, आपने तो कहा था, जो बरीबी की रेखा के नीचे के लोग हैं, आप उनको बड़ा काम देंगे, मैं पूछना चाहता हूं, गृह मंत्री जी पता लगाइये कि आप के उत्तर प्रदेश में जब से आपका राज आया है, क्या एक भी नौकरी दी गयी है ? प्रतिबन्ध लगा है, पहले दिसम्बर तक लगाया, फिर मार्च तक लगाया, फिर अगस्त तक लगाया गया है, एक व्यक्ति नौकरी नहीं पा रहा है।

बेरोजगारी की स्थिति आपने पैदा की है तो आरक्षण कहां से पूरा होगा, कैसे जो राज्य सेवा में हरिजन बच्चे लिये जाने हैं, जब प्रतिबन्ध लगा है तो कैसे लिये जायेंगे, कहां से लिये जायेंगे, एक बच्चा भी अभी तक नहीं लिया गया है, इसका मुझे अफसोस है। बैंक से एक कर्जा नहीं मिल पा रहा है, इसका मुझे अफसोस है तो मेरा कहना है कि आप घोषणा से राज चला रहे हैं, बड़ा कोई काम का राज, गरीब की मदद करने का राज नहीं चला रहे है और अगर यह ऐसे ही चला तो मैं कहना चाहता हूं, आज इस सदन से आह्वान करूंगा, इस लोक सभा से देश की जनता का कि यह वही लोग हैं, जिन्होंने 1977 से 1979 तक राज किया था, अन्याय और उत्पीड़न बढ़ा था, शोषण बढ़ा था, इनको तीन साल पहले मौका दिया, अब इनको साल भर भी मौका नहीं मिलना चाहिए नहीं तो पता नहीं देश के अन्दर कितनी अराजकता फैलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : आप 1977 वाली लोक सभा में भी चुनकर आये थे तब वहां से खड़े होकर आप जो भाषण कर रहे थे, आज भी वही भाषण कर रहे हैं।

श्री राम लाल राही : वही है, वही भाषण आज भी कर रहा हूं। आप अपनी जुबान दबाये हुए हैं। वही मैंने कहा कि मैंने वही बात बोली थी, अब फिर वही बोल रहा हूं। आप में यह हिम्मत नहीं हो सकती कि बोलें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरीश रावत, संक्षेप में बोलें।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मैं इस गम्भीर और दुखद विषय पर किसी पार्टी या सरकार को दोष देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, क्योंकि, मैं एस०सी० और एस०टी० पर अत्याचार के मामले को किसी सरकार और व्यक्ति से सम्बद्ध करके नहीं देखता हूं। यह समाज की मानसिकता का सवाल है। वर्षों से हिन्दू समाज के साथ एक मानसिकता जुड़ी है, जिसको हम वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : रावत जी, आप कितना समय चाहते हैं ?

श्री हरीश रावत : 5 मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आज इस विषय को खत्म कर देंगे और एक दो मैम्बर को और बोलना है तो बोलकर इसे फिनिश कर देंगे।

श्री हरीश रावत : 3-4 मैम्बर्स और हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आपने ही कहा था कि एक ही मैम्बर है।

श्री हरीश रावत : यदि 6 बजे एडजर्न हो रहा है तो मैम्बर्स और बोल लें।

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : हम कुछ देर और बैठेंगे और फिर उत्तर देना शुरू करेंगे।

श्री पी० चिदम्बरम : हमें इसे आज समाप्त कर देना चाहिए।

श्री पी० उपेन्द्र : वह इसके बाद उत्तर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः यह सहमति हुई है कि हम इसे आज समाप्त करेंगे।

श्री हरीश रावत : यदि आप सभा का समय बढ़ा रहे हैं तो अन्य सदस्यों को भी बोलने के लिए कहा जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अनेक सदस्य बोल चुके हैं। आपकी पार्टी के सदस्यों ने अपनी बात बहुत ही जोर देकर कही है।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : यह वर्ण व्यवस्था आज हमारी मानसिकता का अंग हो गयी है और समय की आवश्यकता है कि बजाय हम एक दूसरे पर चोट करें, हमको इस मानसिकता पर चोट करनी पड़ेगी और इस मानसिकता पर चोट हम सब को मिल जुलकर करनी पड़ेगी···

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश के स्वाधीनता के दिनों से ही गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में "हरिजनोद्धार" देश की आजादी का जो आन्दोलन था, उसका एक अनिवार्य अंग रहा है और अभी मेरे मित्र रामलाल राही जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल को उठाया।

उन्होंने कहा कि आखिर यदि श्रेय देना है तो हरिजन के अन्दर आत्मविश्वास भरने का काम, हरिजन को यह अहसास कराने का काम कि वह भी इस समाज का अंग है, उतना ही महत्वपूर्ण अंग है, जितना कि किसी दूसरी जाति का व्यक्ति है। इस काम को किसने किया ? इसमें मेरे मित्र चाहे अमर राय प्रधान हों या कोई भी व्यक्ति हो, जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के हों।

उन सबको गंभीरता के साथ समाज के इस इतिहास में जाना पड़ेगा। हमारे देश के इस राजनीतिक इतिहास में जाना पड़ेगा और उसका अध्ययन करना पड़ेगा। उनको उन पन्नों को खोजना पड़ेगा जिन पन्नों में यह इतिहास लिखा हुआ है, जिसकी शुरूआत गांधी जी के समय में हुई थी। उस समय के समाज की कल्पना मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन जो मुझ से पुराने लोग हैं जैसे यहां पर रामधन जी हैं वह उसका जीता-जागता नमूना आपके सामने रख सकते हैं।

मैंने तो आजाद भारत में जन्म लिया, मैं इस समय के समाज का चित्रण कर सकता हूं जिस समय को मैंने देखा है। उस समय के समाज में भी हरिजन को किस नजर से देखते थे और उस समय जिन कांग्रेस की सरकारों ने आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया, जिस कांग्रेस की सरकार ने जमींदारी उन्मूलन के नारे को दिया और उसको क्रियान्वित किया, उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा कितनी दिक्कत और रेसीसटेंस का सामना करना पड़ा होगा।

इसकी कल्पना वही व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति ने उस कठिनाई, दिक्कत और रेसीसटेंस

का सामना किया होगा। इसको आज हमारे उधर बैठे हुए मित्र केवल आज के समाज और आज की बात को देख कर कह रहे हैं जो केवल राजनीतिक चश्मे से इस बात को देखने की चेष्टा कर रहे हैं, वे इसको नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमको कोशिश करनी होगी और इस दिशा में कोशिश की भी गई है कि हरिजनों के अन्दर आत्मविश्वास पैदा हो, वह उसका गौरव महसूस करे।

उसके अन्दर एक सेंस आफ पार्टिसिपेशन पैदा हो और यह इसी का कारण है कि क्यों यह विश्वास, यह धारणा उसके मन में पैदा हुई है कि आज हरिजनों के ऊपर कहीं पर कोई अन्याय होता है, उसके हक के ऊपर कहीं पर कोई चोट होती है तो वह उसका जम कर मुकाबला करता है। उपाध्यक्ष जी, मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस के समय में हरिजनों पर अत्याचार नहीं हुए हैं। उस समय भी अत्याचार होते थे लेकिन उस समय में और आज के समय में बहुत अन्तर है। उस समय भी अत्याचार होते थे लेकिन इसमें अन्तर है, उस समय जब हरिजनों पर अत्याचार होता था तो हरिजनों को इस बात का विश्वास होता था कि सरकार उसके साथ खड़ी होगी, सरकार की मशीनरी उसके साथ खड़ी होगी, उसकी रक्षा के लिये कोई आगे आयेगा।

आज मुझे दुख इस बात का है कि हमारी वर्तमान सरकार में ऐसी कौन सी कमी आ गयी है, एक गुणात्मक परिवर्तन आ गया कि हरिजन यह महसूस करने लग गया है, गरीब तबका यह महसूस करने लग गया है कि उसकी रक्षा के लिये जिनको उठना चाहिये था, जिन हाथों को उठना चाहिये था, वह उसकी रक्षा के लिये नहीं उठ रहे हैं।

पिछले दिनों आपने अखबारों में पढ़ा होगा और यह सब ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में कई जिलों में चाहे वे फतेहपुर, जसवंत नगर, शाहजहांपुर, आगरा या आजमगढ़ हो, हर जगह पर हरिजनों पर अत्याचार की घटनायें हुई हैं। उन हरिजनों के ऊपर अत्याचार की घटनाओं में किस का नाम आया, किस का नाम इसमें जुड़ा है, किस की तरफ अखबारों ने इंगित करने की कोशिश की है, किस के खिलाफ लोगों ने कहा है। इस तरह के अत्याचार जब कांग्रेस के समय में होते थे तो उस समय लोग कहते थे, हरिजन कहता था कि कांग्रेस का अमुक-अमुक व्यक्ति मेरी रक्षा के लिये उस समय खड़ा हुआ, चाहे वह उस समय मेरी रक्षा कर पाया या नहीं कर पाया। माननीय मंत्री जी, आज मैं आप से गंभीरता पूर्वक निवेदन करूंगा कि आप भी उसी संस्कृति में पल कर बड़े हुए हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आज क्या कारण है जहां पर हरिजनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है वहां पर कहीं न कहीं आपके छुट भईया नेताओं का नाम क्यों जोड़ा जाता है ?

इस सवाल का जवाब आपको मुझे नहीं देना है, सदन को भी आप मत दीजिये लेकिन इस देश को इसका जवाब देना पड़ेगा और अपनी पार्टी के अन्दर आपको गंभीरता से इसका मंथन करना पड़ेगा कि क्या कारण है कि आज छुट भईया नेताओं की तरफ लोगों की उंगलियां उठ रही हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस के किसी व्यक्ति के ऊपर यदि इस तरीके का आक्षेप लगता तो यकीनन कांग्रेस पार्टी ने उसके खिलाफ कार्यवाही की होती। लेकिन आज यह कहते हुए तकलीफ है, दुख है कि जब इस तरह से किसी आसन पर उंगली उठ रही है तो सारे के सारे पार्टी के लोग उसकी रक्षा के लिए उठ खड़े हुए हैं।

यह करने से देश का काम चलने वाला नहीं है। डा० अंबेडकर का चित्र आपने सेंट्रल हाल में लगा दिया, अच्छा कदम है, अंबेडकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय बना दिया; यह अच्छा कदम है,

[श्री हरीश रावत]

लेकिन आज से वर्षों पहले इसी संसद के प्रांगण में उनका स्टेचू लगाया गया था, उस काम में छोटे-छोटे पैचवर्क लगाने से अंबेडकर जी के अनुयायियों, उनमें आस्था रखने वालों में विश्वास जमाने की बात नहीं सोचनी चाहिए। इसी तरह से आपने एस० सी० एस० टी० कमीशन बना दिया, लेकिन उससे भी आप अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विश्वास नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि उस कमीशन के पास कोई पावर्स नहीं हैं, जैसा कि अभी इन्द्रजीत जी ने बताया, उस समय तो पास करने की जल्दी थी, प्रचार की आवश्यकता थी, लेकिन आज दो महीने होने के बाद भी उस कमीशन को संविधान के अनुसार री-कांस्टीट्यूट नहीं किया गया है, ताकि उसको पावर्स मिल सकतीं, लेकिन उस दिन कहा जा रहा था कि इस काम को शीघ्र किया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, ये छोटी-छोटी बातें इस बात को दर्शाती हैं कि आज जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उन लोगों की मानसिकता हरिजन को एक चश्मे से देखना चाहती है, राजनीतिक वोट-बैंक के चश्मे से देखना चाहती है। अखबारों और दूसरे माध्यमों से यह छनकर सामने आ रहा है कि वोट बैंक कल्टीवेट करने के लिए कुछ कदम उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हरिजन कोई वोट बैंक नहीं हैं, वे समाज का अनिवार्य अंग हैं।

यदि समाज को पनपना है, देश को आगे बढ़ना है, स्वस्थ रूप में देश को आगे बढ़ना है तो हमें हरिजनों के साथ चलना होगा। जिस तरह से शरीर के एक अंग में चोट लगने पर शरीर के दूसरे सभी अंग उसकी रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से यदि हरिजन को चोट पड़ती है तो सभी वर्गों को उसके लिए सक्रिय होना होगा, सारे समाज को उसके लिए आवाज उठानी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आंकड़ों से किसी बात को सिद्ध नहीं किया जा सकता। जिस तरह से श्री अमर राय प्रधान जी कोशिश कर रहे थे, आंकड़े कभी कभी भ्रामक भी हो सकते हैं। मेरे पास आंकडे मौजूद हैं।

1989 में उत्तर प्रदेश में हरिजनों पर अट्रासिटीज के 2700 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, जबकि 1990 में अब तक 4200 केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। यही हालत बिहार की है, वहां पर 1989 में 3165 केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं और यह संख्या तब है जबकि पुलिस की मानसिकता हरिजनों के खिलाफ हो रही है, केसस रजिस्टर्ड नहीं किए जा रहे हैं। इसलिए श्री अमर राय प्रधान तथा अन्य मित्रों ने आंकडे प्रस्तुत किए हैं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार के मामलों को आंकड़ों के जाल में न लें। इन अत्याचारों को समाज के कलंक के रूप में लें, खासकर जो सवर्ण लोग हैं, वे इसको कलंक के रूप में देखें और सोचें कि वर्षों से जो कलंक हमारे समाज पर लगा हुआ है, इसको कैसे धोया जा सकता है।

इसी तरह से हरिजन पर आदिवासी पर, कमजोर पर जहां भी अत्याचार होता है, चाहे जनता दल का व्यक्ति हो या कांग्रेस का या किसी अन्य दल का, हमें उस कमजोर के साथ खड़ा होना है, तभी हम उसके साथ न्याय कर सकेंगे।

इन शब्दों के साथ जो माननीय सदस्य इस चर्चा को सदन में लाए हैं उनको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर 2 घंटे का समय दिया गया था, करीब करीब 6 घंटे इस पर हो जाएंगे। 3 घंटे पहले और 2 घंटे अब तथा मंत्री महोदय ने भी अभी जवाब देना है, उसमें समय लगेगा। इसलिए दो सदस्यों को मैं और चांस दे रहा हूं, 2-2 मिनट में वे अपनी बात क

उसके बाद मैं मंत्री महोदय को बुलाऊंगा। श्री राम कृष्ण यादव। (व्यवधान)

6.00 म० प०

श्री रामकृष्ण यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अन्याय क्यों होता है, यह मुख्य विषय है। कौन लोग अन्याय करते हैं, यह मुख्य विषय है। मेरी समझदारी साफ है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को इस देश में नीच समझा जाता है, अछूत समझा जाता है और दास समझा जाता है। यह हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था है। नीच समझे जाने के कारण, अछूत समझे जाने के कारण, गया-गुजरा समझे जाने के कारण उन पर अत्याचार होता है। जो लोग हमारे देश में अपने को सबल कहते हैं, सामंती कहते हैं, बड़ी बिरादरी का कहते हैं, उनके द्वारा अत्याचार होता है। हमें इस बात को आईडेंटीफाई करना पड़ेगा। मेरी जानकारी में हमारे समाज में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको सारे अधिकारों से मनुवादी व्यवस्था ने वंचित कर दिया था। उनके राजनीतिक अधिकार ले लिए थे, आर्थिक अधिकार ले लिए थे, सामाजिक अधिकार ले लिए थे और सारे के सारे अधिकार ले लिए थे। आज भीमराव अम्बेडकर की वजह से संविधान में सारे के सारे अधिकार देने का प्रयास किया गया। वे अपने स्वाभिमान और सम्मान के आधार पर उठकर खड़े होना चाहते हैं अपने आर्थिक अधिकारों को लेने के लिए, सामाजिक अधिकारों को लेने के लिए। जिन ताकतों ने हमारे सारे अधिकारों को छीना था वे सारी सामंती ताकतें आज एकजुट होकर फिर हमें पीछे धकेलना चाहती हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को पीछे धकेलना चाहती है, ताकि इन जातियों को कोई राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार न मिलें। आगरा की घटना, पनवारी गांव की घटना हिन्दुस्तान में जाति उन्माद और सरकार की लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत है। (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में जब तक सामंती व्यवस्था समाप्त नहीं होगी, जात-बिरादरी की भावना समाप्त नहीं होगी, जब तक यह नहीं समझा जाएगा कि हिन्दुस्तान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग भी इस देश के नागरिक हैं, भीम राव अम्बेडकर की वजह से उनको भी वोट देने का अधिकार मिला है तब तक उन पर अत्याचार होते रहेंगे। आज राजनैतिक अधिकार की बात आती है तो सारे के सारे अनुसूचित जाति के लोगों की बड़ी बिरादरी के लोग बूथ-कैपचरिंग करते हैं। यह कौन करता है ? बड़ी बिरादरी के लोग करते हैं, सामंतवादी व्यवस्था के लोग करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब भी हमारे समाज के लोग, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए, अपने आर्थिक अधिकारों के लिए, सामाजिक अधिकारों के लिए, सांस्कृतिक अधिकारों के लिए खड़े होने का प्रयास करते हैं और राज-पाट में साझीदारी लेने का प्रयास करते हैं तो सारी सामंतवादी ताकतें मिल कर उन्हें पीछे धकेलने का प्रयास करती हैं।

मैं सरकार से चाहूंगा कि भाषणों के माध्यम से नहीं, केवल कानून बना देने से नहीं बल्कि नीयत साफ करके हमारे समाज के लोगों को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सारे अधिकार दीजिए ताकि वे अपने स्वाभिमान और सम्मान के आधार पर खड़े हो सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, मैं इस मुद्दे की गहराई में नहीं जा रहा। (व्यवधान) मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचारों के सम्बन्ध में बोलने वा

[श्री संतोष मोहन देव]

माननीय सदस्यों के मत से पूर्णतया सहमत हूं। राज्य या केन्द्र में सरकार चाहे कांग्रेस (आई) या गैर कांग्रेसी हो, व्यक्त विचार सर्वसम्मत हैं। कानून और व्यवस्था तन्त्र को निष्पक्ष होना चाहिए और उन्हें अपराधियों को पकड़ना चाहिए। दुर्भाग्य से गत 15 दिनों के दौरान वामपंथी पार्टियों के सदस्यों ने तथा आज भी श्री अमर राय प्रधान तथा पहले श्री सैफुद्दीन चौधरी, श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य और श्री सोमनाथ चटर्जी ने इस सभा में एक आंकड़ा उद्धृत करते हुए कहा है कि त्रिपुरा में आदिवासियों पर बलात्कार के 131 मामले हुए हैं। यह टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है।

मुख्य मंत्री से बातचीत करने के बाद मैं कहता हूं कि गृह मंत्री अथवा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री रामधन अथवा प्रस्तावित महिला आयोग को, जिसका एक अध्यक्ष होगा और जो शीघ्र ही एक कानून बनने जा रहा है, इस बारे में जांच करे और इस सभा और देश के सम्मुख तथ्य पेश करे। उन्हें इसे सिर्फ इसलिए ही उद्धृत नहीं करना चाहिए कि दुर्भाग्य से यह एक गलत बयान है। या तो निहित स्वार्थों द्वारा उनको गलत जानकारी दी गई है अथवा वे एक प्रेरित वक्तव्य दे रहे हैं। मैं नहीं जानता कि इनमें से क्या सही है। मैं इस सम्बन्ध में विस्तार में नहीं जाना चाहता। मेरा यह सविनय अनुरोध है। मुझे आपमें पूर्ण विश्वास है और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने तन्त्र के माध्यम से इसकी जांच करें और पता लगाएं कि क्या यह सच है या नहीं। यदि यह सच है तो मैं संसद सदस्य के नाते इसे राज्य सरकार के सम्मुख रखूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हो। मेरा यही अनुरोध है।

[हिन्दी]

श्री हरि शंकर महाले (मालेगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, आगरा में जो कांड हुआ और लोक सभा की माननीय सदस्या कुमारी मायावती जी ने जो सवाल उठाया है, उसके ऊपर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बारे में बहस तो हो गई है और अभी-अभी जो सदन में शुरू हुआ है, वह जरा बताने की कोशिश करूंगा। मायावती जी ने जोर से बोलना शुरू किया तो गृह मंत्री जी खड़े हो गए। मायावती जी इतने जोर से न बोलती तो गृह मंत्री जी सुनने के लिए आते नहीं। तीन-चार दिन से इस पर चर्चा चल रही है। मेरी प्रार्थना है कि इस बहस को पहले ही रखना चाहिए था, लेकिन मंत्री जी ने इसको दिया नहीं तो यह खेद की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, आप बहुत मशहूर आदमी है, मुझे मालूम है। रासू ने 1977 में एक बार अनशन किया था तो उस समय मोरारजी भाई भूतपूर्व प्रधान मंत्री थे, हम उनसे मिले तो एक संसद सदस्य ने उनसे कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोग ऐसे ही जोर से बोलते हैं। मोरारजी भाई ने कहा कि हम उनका राम-राम लेते हैं, इस प्रकार से हमको रोने-हंसने का भी अधिकार नहीं था। जोर से बोलने पर मायावती जी को धन्यवाद देता हूं और दूसरी बार फिर धन्यवाद देता हूं। मेरे सरीके जैसा आदमी रोने की कोशिश नहीं करेगा। यह अच्छा है कि हरिजनों के ऊपर बहस चल रही है इसलिए मैं ठीक से बोलता हूं। मायावती जी गुस्से में नहीं बोलती। प्रधान मंत्री जी और उनका मंत्रिमंडल और अच्छी तरह निर्णय ले रहे हैं जो राज्य चिल्लाए तो मोर्चा सरकार को उनकी उपेक्षा हो रही है। जो बड़े-बड़े आदमी मरते हैं तो उनको ज्यादा मदद मिलती है और अनुसूचित जाति के लोगों को दो-दो हजार रुपए मिलते हैं जबकि ज्यादा मदद मिलनी चाहिए। भागु जी नायक, उमा जी नायक और तंटया भेल ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बाद में जिन्होंने लड़ाई लड़ी तो उनके नाम हिस्ट्री शीटर की तरह ही लाए गए। पंडित मोतीलाल नेहरू और पं० जवाहर लाल नेहरू ने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और

इसी तरह इंदिरा जी और राजीव जी प्रथम प्रधान मंत्री बन गए। अनुसूचित जाति के बच्चों के नाम और उनके नाम हिस्टरी शीटर्स की तरह रखे हैं। मेरा निवेदन है कि आप सभी अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी हिन्दी भाषा, मराठी शब्दों से अधिक समृद्ध हो जाती है।

श्री दसई चौधरी (रोसेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस देश की अजीब विडम्बना है कि जितनी हरिजनों, आदिवासियों पर अत्याचार के ऊपर बहस होती है उतना ही इस देश में हरिजन-आदिवासी लोगों पर अत्याचार बढ़ता है। आज हम लोगों की सोच का यही नतीजा है कि कानून तो बनते रहते हैं, कांग्रेस की सरकार भी कानून बनाती थी उनकी सुरक्षा के लिए और राष्ट्रीय मोर्चा की हमारी सरकार भी चाहती है कि हरिजनों को सुरक्षा दी जाये, लेकिन उस पर लगातार इन लोगों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। जिसका एकमात्र कारण यह है कि जो सुरक्षा देने वाले लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं उन लोगों की मंशा साफ नहीं है। जो सरकार की तरफ से मुफ्त कानूनी सलाहकार की व्यवस्था है वह ऐसी है कि जो वकील रहते हैं वे कभी कचहरी में नहीं जाते, जिनको वकालत से कोई मतलब नहीं है, जिनको क, ख, ग का ज्ञान नहीं है। ऐसे वकील हरिजनों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ हरिजनों को दिये जाते हैं ताकि वे मुकदमा हार जायें और 90 प्रतिशत लोग इसीलिए मुकदमा हार जाते हैं। मेरा अनुरोध है कि जो जिले के सबसे अच्छे वकील हों उनको हरिजनों की मदद के लिए रखा जाये ताकि हरिजनों को मुकदमा लड़ने और जीतने में आसानी हो सके।

मैं हरिजन थानों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। हरिजन थाना पांच-छः जिलों पर एक होता है। उस थाने में जीप नहीं होती है, केवल एक मोटर साइकल होती है और ऐसे पदाधिकारियों को वहां दिया जाता है जो हरिजन विरोधी हो। वह 6 साल जिले में घूमकर मोटर साइकल पर अत्याचारों के बारे में अध्ययन करता है, निरीक्षण करता है। जो जिला पदाधिकारी होता है वह एस० पी० होता है और उसके पास 5-6 गाड़ियां होती हैं तथा उनका थाना सुसज्जित होता है, लेकिन हरिजन थाने में कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में अगर सरकार की मंशा है कि हरिजनों पर जो अत्याचार होते हैं उनको रोका जाए और उनको सुरक्षा दी जाए तो पहले हरिजन थानों को सुसज्जित किया जाए और एक जिले में एक थाना बनाएं तथा वहां डी० एस० पी० रैंक के अधिकारी की नियुक्ति करें। हमारे कल्याण मन्त्री हैं रामविलास पासवान जी। वे बार-बार स्पेशल कोर्ट की बात करते हैं, लेकिन मैं उन्हें चुनौती देना चाहता हूं कि आज एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां स्पेशल कोर्ट की स्थापना हुई हो और उसमें हरिजनों के मुकदमें चल रहे हों और उसकी सुनवाई की जाती हो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा। भाषण तो बहुत लोगों ने हरिजनों के बारे में दिए हैं, लेकिन हरिजनों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूं आज आप अम्बेडकर जन्म शताब्दि वर्ष मना रहे हैं और आपने हरिजनों के लिए सात कमेटीज बनाई हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि गांव के ऐसे कितने हरिजन हैं जिनको आपने ऊंचा पद दिया है और इन कमेटीज में रखा है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि केवल सम्मेलन करके, उसका सिंहनाद करके या भाषण करके और टी० वी० में फोटो के कारण ही हरिजनों का उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए रामविलास पासवान जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो गांव में रहने वाला दलित है, उसको बड़े-बड़े स्थानों पर लगाएं और उन कमेटीज के सदस्य बनाएं तो जो हरिजन पिछड़ा हुआ है उसके बारे में विस्तृत चर्चा हो सकती है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की दोहरी नीति नहीं चलेगी। एक तरफ जम्मू-कश्मीर और पंजाब में लोग मारे जाते हैं तो उनको एक-एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है और अगर हरिजन को मारा जाता है तो दो हजार,

(श्री बसई चौधरी]

पांच सौ या दो सौ रुपये मुआवजे के दिए जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का एक नम्बर का अगर कोई नागरिक है तो वह हरिजन-आदिवासी है। उसके साथ इस तरह का भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए और हरिजन की मृत्यु होती है या उसको मारा जाता है तो उसे भी एक लाख रुपये देने की घोषणा गृह मन्त्री को करनी चाहिए ताकि जो भेदभाव है उसे खत्म किया जा सके।

चौथी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, अभी यहां उत्तर प्रदेश और बिहार के संबंध में माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे कि आज जितना भी झंझट होता है, हरिजनों की हत्याएं होती हैं, आदिवासियों को मारा जाता है, उसका एक-मात्र कारण जमीनों के झगड़े हैं। हर जगह आपको इसकी जड़ में यही कारण मिलेगा। हमारे राम विलास जी बार-बार इस हाऊस में बोलते हैं, अपने भाषणों में बोलते हैं कि हम नौवीं अनुसूची में इसकी व्यवस्था करेंगे, परन्तु इसे कब किया जाएगा, वह अभी तक नहीं हो पाया है। मैं जानना चाहता हूं कि वे इसे कब तक पूरा कर देंगे, कब तक लागू करेंगे। यदि हमारे मन्त्री जी वास्तव में चाहते हैं कि हरिजनों को और आदिवासियों को जमीन का हक मिले तो शीघ्र ही उन्हें इसकी व्यवस्था संविधान में करनी होगी, इस विषय में गम्भीरता से कार्यवाही करनी होगी। इन शब्दों के साथ, समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेडा (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक-दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। सबसे पहले, मैं समय देने के लिए आपका आभारी हूं। मैं सदन का ध्यान राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के गांव मंडावरी की ओर दिलाना चाहता हूं। चित्तौड़गढ़ के मंडावरी गांव में पिछले दिनों जो कांड हुआ, वहां जिन लोगों की हत्याएं हुई, अनुसूचित जाति के लोगों की सामूहिक हत्या की गयी, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि किन लोगों के कारण वहां ये हत्याएं हुयीं। वहां जो कुछ हुआ, वह वास्तव में हम सब के लिए शर्मनाक है और वह हादसा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसके पीछे एक विशेष कारण था, जब तक हम उस कारण की ओर ध्यान नहीं देंगे, हमें हकीकत मालूम नहीं होगी। मंडावरी कांड को लेकर हमारे विपक्ष के साथियों ने और स्वयं विपक्षी दल के नेता ने जिस तरह से राजस्थान सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, जिस तरह से हमारे प्रधानमन्त्री के ऊपर छींटाकशी करने की कोशिश की, उसे मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। उस छोटे से गांव में कंजर जाति के लोग रहते हैं। वे जरायम पेशा लोग हैं। वैसे तो वे हमारे भाई हैं लेकिन जरायम पेशा होने के कारण आसपास के अनेक गांवों पर उनका आतंक था। वे लोग चोरियां करते थे, डकैतियां डालते थे, और औरतों की इज्जत लूटने का काम करते थे। इन सब के प्रति वहां की स्थानीय पुलिस मौन रहती थी। पुलिस के मौन रहने के कारण, जब आसपास के गांव के लोगों को उनकी वजह से भारी कष्ट उठाना पड़ा, जब उनकी पीड़ा असहनीय हो गयी तो मंडावरी के आसपास के लोगों ने यह निश्चय किया कि इस कंजर जाति के सरगना को सबक सिखाना चाहिए। मैं आपको वास्तविक जानकारी देना चाहता हूं कि जब इस उद्देश्य से अनेक लोग जमा हो गए तो उस भीड़ में जहां सवर्ण जातियों के लोग थे वहीं उस भीड़ में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोग भी शामिल थे। वे लोग मिलकर कंजर जाति के सरगना का घेरा डालने के उद्देश्य से वहां गए थे, यह हकीकत है परन्तु गलती से वहां गोली चल गयी और इस कारण कुछ लोग मौत का शिकार हो गए। मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि इसके बाद जब हमारे सदन के विपक्षी दल के नेता, माननीय राजीव गांधी जी, वहां गए तो उनके पीछे सौ कारों का काफिला था, जिसके साथ वे मंडावरी गांव में गए। उसके एक हफ्ते के

पश्चात··· (व्यवधान)

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी सदन में जो कुछ कहा है, वह ओब्जेक्शनेबल है, उसे सदन की कार्यवाही में से निकाला जाना चाहिए।

[अनुवाद]

यह अत्यन्त आपत्तिजनक है (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा : मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा जो ओब्जेक्शनेबल हो, मैं तो बड़े ही संतुलित ढंग से बोलता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा कुछ कहा गया है तो

[अनुवाद]

यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेडा : मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि उस घटना को ले राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार पर किस तरह से दोषारोपण किया गया। हमारे प्रधानमन्त्री श्री विश्वन प्रताप सिंह ने जब से केन्द्र में शासन की बागडोर सम्भाली है, उसी समय से, हमारे अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों में पहले जो अविश्वास का वातावरण पैदा हो गया था, वह विश्वास में बदल लगा और उसे देखते हुए ही विपक्षी लोगों द्वारा इस तरह का षडयन्त्र रचा जा रहा है। मंडावरी का के बाद इन लोगों ने जिस तरह से राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश की, वह निन्दनीय है।

यहां पर कहा जा रहा है कि हरिजनों के मारे जाने पर उन्हें दो हजार या पांच हजार रुपये सहायता ही दी जाती है, कुछ राहत नहीं दी जाती, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि इस में मारे गए लोगों के परिवारों को राजस्थान सरकार ने एक-एक लाख रुपया पांचों परिवारों को दि है। इसके अतिरिक्त उनके पुनर्वास के लिए और सहायता की व्यवस्था की जा रही है। अब तक परिस्थिति का नाजायज फायदा उठाया जाता है, तो उसका क्या परिणाम होता है, वह मैं आ सामने रखना चाहता हूं। इस कांड के बाद मेरे गांव के 5 हिस्ट्रीशीटर मेरे पास आए और यह रखी कि उनको हिस्ट्री-शीटर की लिस्ट में से निकाल दिया जाए। यह हिम्मत उनकी इसलिए बढ़ है कि वहां पर विपक्ष के नेता माननीय राजीव गांधी ने जाकर अनुसूचित जाति और जनजातिय नाम पर उन लोगों के हौसले बुलंद कर दिए हैं और वे इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। (व्यवधा

आप हमारे ऊपर मेहरबानी कीजिए, ऐसी परिस्थिति का लाभ न उठाएं। हमारी सरक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रति ईमानदारी से समर्पित होकर काम कर उनको ऊपर उठा रही है और उनका विश्वास प्राप्त कर रही है, कृपया आप इसमें हमारा साथ दी

डा० बंगाली सिंह (हाथरस) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया और मैं इस सदन में पहली बार बोल रहा हूं। आप लोगों ने मुझ

[डा० बंगाली सिंह]

बहुत सुने और बहुत सी बातें यहां कही गयीं। मैं अपनी बात कहते हुए सिर्फ दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, 43 वर्ष की आजादी के बाद भी आज हरिजन और सवर्णों की लड़ाई होती है और लोग मारे जाते हैं। इसके पीछे दो-तीन कारण हैं—नाम के आगे जाति सूचक शब्द हैं वे हटा दिए जाएं। इसी प्रकार से संस्थाओं के नाम के आगे जाति सूचक शब्द हटाए जाएं। माननीय चौधरी चरण सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे, उन्होंने सारे जाति-सूचक शब्द, जो नाम और संस्थाओं के आगे थे वे हटा दिए थे। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि नाम के आगे से जाति सूचक हटा दिए जाएं, तो जो छुआछूत, भेद-भाव और ऊंच-नीच की खाई बढ़ रही है, वह मिटेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार में काफी बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनके पास खेती के बड़े-बड़े फार्म हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसे बड़े-बड़े फार्मों का बंटवारा किया जाए। क्योंकि यह हरिजन और सवर्ण की लड़ाई गांवों में होती है। अभी बहन मायावती ने बताया कि आगरा के पास एक गांव की वह लड़ाई थी। जब तक खेती का बंटवारा नहीं होगा, तब तक यह लड़ाई बन्द नहीं होगी।

आपके माध्यम से माननीय गृह मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि जितने भी थाने हैं, उनको निर्देश दें कि इस प्रकार की लड़ाई न हों। क्योंकि जितने भी दरोगा, डी० एस० पी० और पुलिस के लोग हैं ये ही लड़ाई कराते हैं। जब तक ये चारों सुझाव मेरे नहीं माने जाएंगे, तब तक इस प्रकार की लड़ाई बन्द नहीं होगी। मैं कौम से धोबी हूं और इतने बड़े क्षेत्र से जीतकर आया हूं क्या मेरे जीतने से सारे धोबियों का उद्धार हो गया? कभी नहीं। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सम्मान-जनक जीवन जीना चाहते हैं। हम रोजी-रोटी सम्मानजनक तरीके से चलाना चाहते हैं। हमें आरक्षण नहीं चाहिए। आरक्षण की आड़ में सदियों तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें संरक्षण मिले आरक्षण नहीं। आरक्षण से हमारा नुकसान हो रहा है। आपको याद होगा जब से आरक्षण बढ़ा है तब से अत्याचार बढ़ रहे हैं। जगह-जगह आंदोलन हो रहे हैं। हमारे प्रधानमन्त्री चाहते हैं कि आरक्षण हो, परन्तु हमारे साथी उसको दूसरी तरफ मोड़ देते हैं। हमें आरक्षण नहीं, संरक्षण चाहिए। हमें रोजी-रोटी, मकान और जीविका चलाने का सम्मानपूर्ण साधन चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र सिकन्दराराऊ में दस सरकारी बसें जला दी हैं और एक औरत को मार दिया गया। मेरा माननीय गृह मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वे थानों को सतर्क करें। यदि थानेदार सतर्क होता तो मेरे इस क्षेत्र में दस औरतें और दो आदमियों की मौत नहीं होती।

[अनुवाद]

श्री गोपी नाथ गजपति (बरहामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जून, 1990 में आगरा जिले के पनवारी गांव में घटी घटना से हम सब की आंखें खुल जानी चाहिएं। इस दुर्भाग्य-पूर्ण और भर्त्सना योग्य घटना से बिना शक यह सिद्ध हो गया है कि कमजोर वर्गों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर यह अत्याचार किये गये हैं। हमें अपने राजनैतिक और निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर हरिजनों की रक्षा करनी चाहिए।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों पर कई सदियों से अत्याचार होते आये हैं। आजादी के 43 वर्षों के पश्चात् भी इस गैर तर्कसंगत रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है।

जब-जब कमजोर वर्ग के लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े हुये, तब-तब वह अत्याचारों के शिकार हुये। जबकि महिलाओं पर भी गंभीर अत्याचार किये गये और हम राजनैतिक स्वार्थों के लिये उनका शोषण करते आये हैं। यहां तक कि हरिजनों पर किये गये अत्याचारों को राजनैतिक रंग भी दिया गया आगरा जिले में दंगो से पीड़ित हरिजनों के पुनर्वास के हर संभव उपाय किये जाने चाहिएं, चाहे इस योजना पर कितना भी खर्च आए। राज्य सरकार को उनके प्रति सहानुभूति का रुख अपनाना चाहिये और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृति न होने देने के लिए उन्हें सभी आवश्यक रियायतें दी जानी चाहिएं।

यदि मैं मंडल कमीशन रिपोर्ट पर सरकार के निर्णय पर टिप्पणी करूं तो यह विषय से परे न होगा। दिनांक 7 अगस्त, 1990 को सदन के दोनों सदनों में माननीय प्रधानमंत्री श्री वी० पी० सिंह ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी। इसमें केन्द्रीय सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों की सेवाओं में कार्यरत सामाजिक और शैक्षणिक वर्ग के विषय में कहा गया है। इससे निश्चय ही एक अजीब सी स्थिति पैदा होती है। एक तरफ हम उनके लिए नौकरियां सुरक्षित कर रहें हैं, दूसरी ओर शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी गयी है। अत: सरकार के लिए यह अच्छा होगा यदि पिछड़े वर्ग के लिए वह आवश्यक शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करे।

वास्तव में पिछड़ा वर्ग सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित है। सामान्यतया गांवों में मूलभूत आवश्यकताएं जैसे उचित दर की दुकानें, जो आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करती हों, पीने के पानी की सुविधाएं, बिजली की सप्लाई, मकानों के निर्माण की सहायता और महत्वपूर्ण स्थानों पर शिक्षा संस्थानों आदि की कमी है। वास्तव में यह स्थिति मेरे उड़ीसा राज्य के बरहामपुर निर्वाचन क्षेत्र के रामगढ़ी और अन्य विधानसभाई क्षेत्रों की भी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों पर किए जाने वाले निर्मम अत्याचारों का रोकना सुनिश्चित करने के साथ-साथ, पूरे बरहामपुर क्षेत्र के वंचित वर्ग की दयनीय अवस्था की ओर भी केन्द्र और राज्य सरकार को तुरन्त ध्यान देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रेम प्रधान (नवादा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों पर बहस चली है तो मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि जब-जब हरिजनों पर अत्याचार होता है उनका खून इतना सस्ता होता है कि उनके खून का कोई मोल नहीं होता है।

और जगह जब हत्याएं होती हैं तो मरने वाले के परिवार को लाख रुपया मिलता है और जब हरिजन का खून होता है तो सब जानते हैं कि लाख रुपये तक तो उसके पास जाता नहीं है क्योंकि उसका खून सस्ता है।

जो लोग घायल होते हैं, उनके अंग भंग हो जाते हैं, जिन्दगीभर उन्हें काम नहीं मिल सकता है तब साथ-साथ सरकार की ओर से उसके जीवनयापन के लिए भरपूर व्यवस्था होनी चाहिए। साथ-साथ ये जो समस्यायें हैं, उनको दूर करने के लिये बातें तो बहुत की जाती हैं लेकिन उनको हमेशा के लिये रोका कैसे जा सकता है, इसलिये सोचा नहीं जाता है। इसकी तह में जाने की आवश्यकता है।

जिन की वजह से ये सब होता है उनको दूर करने की जरूरत है। वे आज अशिक्षित हैं, बेकार हैं, उनके पास सम्पत्ति नाम की कोई चीज नहीं है। अगर उनके पास कोई सम्पत्ति है तो वह श्रम

[श्री प्रेम प्रदीप]

शक्ति है। इसी के बल पर वह जीवित रहते हैं।

हरिजन बेचारे की जो लाचारी होती है, उसको ही राजनीति का हथकंडा बनाया जाता है। मेरे पास बहुत से आंकड़े हैं लेकिन उन पर जाने का समय नहीं है। केवल दो मिनट का ही समय मुझे दिया गया है। आगरा कांड होने के बाद आगरा या दूसरी किसी जगह में कोई ऐसी घटना नहीं घटेगी, ऐसी बात नहीं है। त्रिपुरा में ये सब कुछ हो रहा है। वहां के मुख्यमंत्री जी ने एक प्रश्न के जवाब में बताया कि वहां 282 मर्डर हुए, 131 रेप हुए जिस में ट्राइबल जाति की महिलाओं पर ही रेप हुआ।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की एक बात आपको बताना चाहता हूं। हमारे एक साथी ने हरिजन थाने की बात बतायी और बताया कि किस तरह से हरिजनों के खून का मखौल उड़ाया जाता है। तमाम मिनिस्टर लोग यहां बैठे हुए हैं। वहां एक पासी की हत्या इसलिये कर दी गयी कि उसने मुफ्त में एक गुंडे को ताड़ी नहीं दी।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर बोलने का अभी समय नहीं है। आप इसके बारे में मंत्री जी को लिख कर दें।

श्री प्रेम प्रदीप : ऐसे में उसने उसका हंसुवा छीन कर उसकी गर्दन काट दी। एक कमजोर वर्ग की नाई जाति का एक व्यक्ति जो वहां से जा रहा था उसने जब शोर मचाया तो उसकी गर्दन को भी काट दिया गया। जब उसकी बाडी पोस्टमार्टम के लिये गयी तो डाक्टर ने कहा कि उन दोनों ने ताड़ी इतनी ज्यादा पी ली थी कि वह उनकी हल्क तक पहुंच गयी जिस की वजह से उसकी मौत हो गयी। गर्दन काटने की जब बात आयी तो कहा गया कि जिस ने केस किया है, उसी ने उसकी गर्दन को काटा है।

उस पर झुठा इलजाम लगाया गया। मैं इस संबंध में दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई तरल पदार्थ चाहे वह ताड़ी हो, दूध हो या पानी हो जब वह जरूरत से ज्यादा पी लिया जायेगा तो उल्टी आयेगी और ऐसे में वह तब तक मर नहीं सकता है जब तक कि उसमें विष न डाला जाये। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उस डाक्टर को पुलिस रिमांड पर बुलायें।

अगर किसी हरिजन की हत्या हो जाये तो अलग से मेडिकल बोर्ड बैठे जो कि उसका पोस्टमार्टम करे। किसी एक डाक्टर के हाथ में उसको न दिया जाये। इस संबंध में एस० पी० साहब से मैंने बात की तो उसने बताया कि यह केस डाक्टर का है, उसके ऊपर दफा 211 चलना चाहिए। एस० पी० ने कहा कि मैं सच्चाई को जानता हूं इसलिये मैं उसपर दफा 211 नहीं लगा सकता हूं। मैं नवादा से जीतकर आया हूं। वहां और भी घटनायें घटी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह फैसला कोर्ट में हो जायेगा, आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रेम प्रदीप : वहां तो पोस्टमार्टम देखेंगे। ऐसे में उसको न्याय नहीं मिलेगा। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।··· (व्यवधान)

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े आश्चर्य की बात है कि आजादी के 40-42 वर्षों के बाद भी हम लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर हो रहे अत्याचार

पर चर्चा कर रहे हैं। जितनी इस पार्लियामैण्ट में चर्चा होती है, उतने ही और अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट आपका समय लूंगा।

खासकर के यह जो वर्तमान सरकार है, भूमि सुधार कानून को संविधान की नवीं अनुसूची में इसने शामिल किया है, सिर्फ नवीं अनुसूची में शामिल करने से ही हरिजनों का कल्याण नहीं होगा, इसके लिए उदाहरण के तौर पर मैं बता देना चाहता हूं, सिर्फ बिहार के बारे में बता देना चाहता हूं कि करीब 70 हजार एकड़ जमीन जो कि कोर्ट में लम्बित पड़ी हुई है, इसके लिए उन सारे मामलों को समाप्त करके उन सारी जमीनों को हरिजनों के बीच बांटने का बन्दोबस्त किया जाय और आजादी के बाद 42 वर्षों से जो आरक्षण की बात उठाई जा रही है कि हम लोग हरिजनों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो आरक्षण की सुविधा दी हुई हैं, यह टोटल मखौल है और बेबुनियाद बात है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को आरक्षण लाभ की सुविधा मात्र 5 प्रतिशत मिली हुई है। 19 प्रतिशत आरक्षण लोग आज भी बाकी है।

मैं अपनी सरकार से निवेदन करूंगा कि सिर्फ अम्बेडकर जन्म शताब्दी मनाने से काम चलने वाला नहीं है बल्कि जो हरिजनों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का कोटा शेष रह गया है, उस बकाया कोटे को भरा जाय और मैं खासकर बहुत मजबूती से मांग करना चाहता हूं कि दिल्ली नगर के आसपास जितने भी प्राइवेट फार्म्स बने हुए हैं, उनकी सारी जमीनों को झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों में बांटने का बन्दोबस्त किया जाय।

इस बात की बहुत मजबूती से मैं सरकार से मांग करता हूं। इसी तरह पुलिस में हमारा जो आरक्षण का कोटा शेष रह गया है, उसे भी भरने का यह सरकार काम करे।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री राम धन (लालगंज) : मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप लोग यह समझ नहीं पाते हैं कि मैं संसद सदस्य पहले हूं और उसके बाद यह जो काम है, यह बेगार का है···(व्यवधान)··· वह मैं कररहा हूं।

श्री छेदी पासवान : एक बात मैं भूल गया था। जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग बना है, उसमें मात्र तीन सदस्यों को रखा गया है, उसमें देहाती सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए।

श्री राम धन : यह तो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से आप कहें। यह जो सारी बहस हुई है उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण बात छूट गई है, जो देश के लिए सबसे खतरनाक बात है और उसकी ओर मैं गृह मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब पनवारी गांव में आगरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट औ वहां के एस० एस० पो० शादी कराने गए, बारात लेकर तो वहां पर जब जाट लोगों ने उस गांव को घेर रखा था तो दोनों ने आदेश दिया, पी० ए० सी० को, कि तुम भीड़ पर फायर करो, क्योंकि, भीड़ की ओर से पथराव हो रहा था और उधर से कट्टे से गोलियां चलाई जा रही थीं, आपको आश्चर्य होगा कि पी० ए० सी० के जाट सिपाहियों ने उस आदेश का पालन नहीं किया और

[श्री राम धन]

एस० एस० पी० को बन्दूक छीनकर फायर करना पड़ा, जिसमें एक आदमी मरा तब जाकर रुकावट पैदा हुई। साम्प्रदायिक दंगों में उत्तर प्रदेश में पी० ए० सी० की भूमिका के बारे में बराबर यह शिकायत रही है और इस प्रकार की शिकायत जब जातीय दंगे हो रहे हैं, जातीय आधार पर अगर फोर्स बंट जाएगी तो यह देश कहां जाएगा, यही मैं पूछना चाहता हूं। इस ओर गृह मन्त्री और भारत सरकार का ध्यान जाना चाहिए। आगरा में जो काण्ड हुआ, सभी राजनीतिक दल जातिगत आधार पर बंट गए, यह इस देश में सबसे खतरनाक बात हुई। सबके सब जातिगत आधार पर बंट गए। इस नाते इस समस्या की ओर गृह मंत्री महोदय का ध्यान जाना चाहिए। हमारी जो फोर्सेज हैं, चाहे राज्य की हों, या केन्द्र की हों, वे सचमुच सैक्युलर हों। जो जातिगत भावना, धार्मिक भावना या साम्प्रदायिक भावना उनमें उठ रही है, उस पर प्रतिबन्ध होना चाहिए। भारत सरकार से यह बार-बार निवेदन किया गया है कि 'रॉयट फोर्सेज' बनाई जाएं। दंगों को शांत करने के लिए, फसाद को खत्म करने के लिए ऐसी फोर्स बनाई जाए, जिसमें शैड्यूल कास्ट्स और माइनोरिटीज आदि सारे लोगों का रिप्रजेंटेशन हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर रॉयट फोर्सेज नहीं बनती हैं, तो हम समझते हैं कि जातिगत आधार पर यह भावना बनी रहेगी और देश के सामने एक जबरदस्त खतरा पैदा हो जाएगा।

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : डिप्टीस्पीकर, हरिजनों पर अत्याचार और जुल्म हो रहा है। इसके बारे में सदन में कई बार चर्चा और बहस हुई है। कुछ साथियों ने इस तरफ इशारा किया कि मौजूदा सरकार इसके बारे में क्या कर रही है और हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जो कदम हम उठा रहे हैं, चाहे वह डा० अम्बेडकर को सम्मान देने का सवाल हो, चाहे वह शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन को स्टैचूटरी पावर देने का सवाल हो, चाहे हरिजनों और दूसरे फिरकों के लिए रिजर्वेशन के बैकलॉग को क्लीयर करने के कानून का सवाल हो, जो कानून हम बनाने जा रहे हैं, कानूनी तौर पर जो जगहें होंगी, वे उनके लिए मुखतस होंगी। इसी तरह से स्पेशल कोट्स का मामला है, हमने फैसला किया है कि 333 स्पेशल कोट्स होंगी, जिसमें हरिजन लोगों की फ्री लीगल एड मुहैया कराएंगे। कुछ ऐसे वैलफेयर मेजर्स लिए जा रहे हैं, फिर भी हम दावा नहीं कर सकते हैं, जैसे आगरा की घटना है कि यह चीज़ खत्म हो गई। अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, कभी-कभी जो धार्मिक रस्म होती है, जुलूस निकलते हैं, उसमें रास्तों का झगड़ा होता है। एक हरिजन लड़की की शादी है और उसमें बारात आनी है, तो कुछ लोगों ने एतराज किया कि हमारे घर से यह बारात न गुजरे। इस बात का इतना ज्यादा तनाव है, सामाजिक तनाव, सोशियल टेंशन, कि उसमें डिप्टी कमिश्नर और एसपी को मुदाखिलत करनी पड़ी। इस बात का झगड़ा कि हमारे घर से बारात का जलूस नहीं आना चाहिए। ···(व्यवधान)···घर के पास से नहीं आना चाहिए। उसमें डिप्टी कमिश्नर और एस०पी० मुदाखिलत करके रास्ते को तय करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि लोगों के जहन में नफरत का कितना ज़हर भरा हुआ है। यह सरकार का काम नहीं है, यह लोगों को देखना चाहिए कि आज 20वीं सदी में आजादी के 43 सालों के बाद भी यह बर्दाश्त नहीं हो सकता है कि किसी हरिजन की लड़की की शादी में दूल्हा घोड़े पर सवार होकर बारात न ले जाए। इससे कितना तनाव है और कितना जुल्म है, इस बात में सरकार क्या करेगी, हमें इस पर पब्लिक ओपिनियन मोबिलाईज़ करने की जरूरत है कि हमारे देश में यह जुल्म क्यों है, सामाजिक तनाव क्यों है। मैं कहना चाहता हूं कि वहां की स्टेट सरकार तुरन्त एक्शन में आ गई। जैसा कि राम धन जी ने कहा है, यह बात सही है कि हर जगह पुलिस के बारे में, खासकर चुप्पी के बारे में, शिकायत आ रही है। पुलिस का रोल कहीं भी ऐसी कोई चुनौती है, उसमें ठीक चलता है, लेकिन इसमें मैं मान लेता हूं और हम

स्टेट सरकार के चीफ मिनिस्टर से कह देंगे कि इस बात की इन्क्वायरी की जाए कि ऐसा माहौल क्यों पैदा हुआ? वहां पर ऐसा माहौल क्यों पैदा हुआ, इतने लोग गोली से क्यों मारे गये, क्या मसला हुआ, इसके बारे में कहेंगे? लेकिन सरकार ने वहां तुरन्त एक्शन लिया है। ऐसे 848 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जितने भी लोग मरे हैं···(व्यवधान)···8 के करीब लोग वहां मरे हैं और उनको दो लाख दस हजार रुपये की मदद दी गई है, लेकिन इसमें उनका कहना यह है, इस बात को आज हम दिल्ली में भी कहेंगे कि जो डिपेंडेंट्स हैं उनको एक-एक लाख रुपया मिलना चाहिए। वहां के मुख्य मन्त्री जी को भी हम कह देंगे कि उनको एक-एक लाख रुपया मिलना चाहिए।

दूसरा सवाल हमारा यह है कि जो लोग जख्मी हुए हैं उनकी संख्या 18 के करीब है, जो लोग गोली लगने से डिसएबिल या जख्मी होकर बेकार हो गए हैं उनको परमानेंट कम्पन्सेशन मिलना चाहिए या उनके जो नवाजगिन हैं उनको सरकारी रोजगार मिलना चाहिए, जो कि दूसरे लोगों को भी दिये गये हैं। लेकिन सबसे बड़ा और ज्यादा तनाव इस बात का है कि जो लोग उस गांव के रहने वाले हैं वे लोग उस गांव में वापस जाना नहीं चाहते, उनको सेंस आफ इनसिक्योरिटी है। दूसरी बात यह है कि जो लोग गांवों में वापस जाना नहीं चाहते, वे लोग बाहर बैठे हैं। हम मुख्य मन्त्री जी से कह देंगे कि उनके रिहेबिलीटेशन के लिए कहीं और जगह देकर उनको बसाया जाए। इसी तरह से इनके रहने के मकान जो खराब हो गये हैं, तो इसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि इसमें भी इस समय तक की डिटेल दी गई है, डिपेंडेंट्स जो है उसको दो लाख दस हजार दिये गए हैं। 18 व्यक्ति जो इन्जर्ड हुए हैं उनको 90 हजार रुपये, पांच हजार रुपए परहेड तक दिये गये हैं।

[अनुवाद]

18 गम्भीर रूप से घायल लोगों के लिए मुआवजे की राशि 90,000 रुपये है अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति को 5000 रुपये दिये गये हैं। जिन व्यक्तियों को मामूली चोट आई है ऐसे 162 लोगों को 3,14,000 रुपये मुआवजे के रूप में दिये गये हैं; 220 लोगों, जिनकी सम्पत्ति को क्षति पहुंची है, उनको 2,96,515 रुपये का मुआवजा दिया गया है; ऐसे 146 व्यक्तियों जिनके मकानों को क्षति पहुंची है, दी गई मुआवजे की राशि 52,000 रुपये है; सात लोगों को उनके मकानों के निर्माण, मरम्मत के लिए प्रत्येक को 14,000 रुपये प्रति व्यक्ति दिये गये हैं।

[हिन्दी]

रिहेबिलिटेशन का जो काम है, जिन लोगों के वहां पर घर खराब हो गये हैं, उनकी तरफ भी हम ध्यान देंगे। अभी माननीय सदस्य ने बहुत मजबूर किया कि इस पर आज ही बहस होनी चाहिए, नहीं तो जो हमारी पार्लियामेंटरी टीम यहां से गई थी उसकी रिपोर्ट भी मेरे पास आ जाती और उन्होंने जो मौके पर देखा, उसकी रिपोर्ट भी हम देख लेते।

मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उनकी रिपोर्ट जो होगी उस पर पूरी तरह से अमल किया जायेगा और हम राज्य सरकार को भी इस बात के लिए कह देंगे, जो लोग सेंस आफ इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, जो अपने आपको महफूज नहीं समझते हैं और वापस अपने गांव नहीं जाना चाहते, उनके रिहेबिलिटेशन का अलहदा से इन्तजाम किया जायेगा।

श्री राम धन (लालगंज) : प्राइममिनिस्टर फण्ड से जो दिया गया उसका जिक्र आपने नहीं किया।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : नहीं, वह भी है।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत : दोषी व्यक्तियों को सजा देने के विषय में क्या किया गया है ? क्या आप दोषियों का पता लगाकर उन्हें सजा देंगे ? कमिश्नर द्वारा जांच की मांग के बारे में क्या निर्णय लिया गया है। केवल मुआवजा देना ही पर्याप्त नहीं है। दोषियों का पता लगाकर, उन्हें सजा दी जानी चाहिए।

श्री पी० चिदम्बरम : आपने कहा है कि आप 347 न्यायालय स्थापित करने जा रहे हैं। क्या राज्य सरकार इन न्यायलयों को स्थापित करने जा रही है या पिछली लोक सभा द्वारा पारित नये अधिनियम के अन्तर्गत यह न्यायालय स्थापित किये जा रहे हैं। 347 न्यायालय स्थापित किए जा रहे हैं। यह वक्तव्य देने का कोई औचित्य नहीं है कि कोई भी राज्य इन न्यायालयों को स्थापित करने का इच्छुक नहीं है।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : राज्य सरकारें इन्हें स्थापित करगी।

श्री पी० चिदम्बरम : यदि वह स्थापित नहीं करते हैं तो क्या आप स्थापित करेंगे?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : जी नहीं हम उन्हें स्थापित करने के लिए कहेंगे।

श्री पी० चिदम्बरम : यदि वह स्थापित नहीं करते हैं, तो क्या आप स्थापित करेंगे ?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : हम स्थापित करेंगे।

श्री पी० चिदम्बरम : आप स्थापित करेंगे, ठीक है।

[हिन्दी]

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : जैसे मैंने अभी एक इंसीडेंट बताया कि इसमें गांवों के इर्द-गिर्द के जितने भी लोग थे वे सब इकट्ठे हुए, जिन्होंने बारात और इन लोगों पर पथराव किया। जहां तक आइडेंटीफाइ करने का सवाल है कि इसमें कितने लोग हैं, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें दोनों तरफ के बहुत सारे सबूत हैं। हम चीफ मिनिस्टर से कहेंगे कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिये कि इसमें कौन लोग जिम्मेदार हैं, किस का क्या रोल रहा है, पुलिस का इसमें क्या रोल रहा है और कलप्रिट कितने लोग हैं, कितने लोग इसमें आज तक पकड़े गये हैं।

श्री इन्द्रजीत : लेकिन इन्क्वायरी इंपार्शल हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी भी हो।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : इंपार्शल ही होगी।

कुमारी मायावती (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मन्त्री जी को बताना चाहती हूं कि 11 अगस्त को पार्लियामेंट्री कमेटी आगरा गई और पनवारी तथा आसपास के देहातों का उसने दौरा किया तो वहां के डी० एम० और एस० पी० ने बताया कि असली मुलजिम एक्स ब्लाक प्रमुख था, जिसका नाम बाबूलाल है। वह जाट बिरादरी का है और पनवारी का निवासी है, यह बात डी० एम० और एस० पी० ने बताई है। 13 जून से लेकर 20 जून तक 35000 के करीब जाट उसके यहां इकट्ठे हुए और चौधरी बाबूलाल ने उनको मुर्ग-मुस्सल्लम खिलाया।

उपाध्यक्ष महोदय 11 अगस्त को कमेटी वहां गई, 22 जून को कांड हुआ, पार्लियामेंट में चर्चा हुई और मालूम हुआ कि 11 अगस्त को कमेटी आ रही है तो उस असली मुलजिम को 10 अगस्त को पकड़ा गया और 11 अगस्त छोड़ दिया गया। इसके बाद वही असली मुलजिम कमेटी के सामने भी आया, अपनी गलती को छिपाने के लिए। इसलिए मेरा गृह मंत्री महोदय से निवेदन है कि असली दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राम धन : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री महोदय ने बार-बार यह कहा है कि स्टेट के चीफ मिनिस्टर को लिखेंगे, मैं गृह मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह कांस्टीट्यूशनल सेफ गार्ड का मामला है और इसमें सेंटर की भी पूरी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी से सेंटर बरी नहीं हो सकता। इसलिए इस सम्बन्ध में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ऐसे मेजर्स उठाने चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं न हो सकें। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : क्या उनके आयोग ने इसकी जांच की है ?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : इसके लिए यहां संवैधानिक सुरक्षोपाय हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : आपके आयोग का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। आपके आयोग का उत्तरदायित्व है अथवा नहीं ?

श्री राम धन : मेरे आयोग का गठन कांग्रेस सरकार के अन्तर्गत वर्ष 1987 में एक संकल्प द्वारा किया गया था। इसके पास कोई अधिकार नहीं रह गये हैं। यह अब केवल एक अनुसंधान स्कंध ही रह गया है।

6.54 म०प०

जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प तथा सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प और सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कार्य सूची की मद संख्या 11, 12 और 13 पर एक साथ विचार करेंगे, जैसाकि पहले निर्णय लिया गया था। मैं यह भी सुझाव देता हूं कि गृह मन्त्री पहले सांविधिक संकल्प प्रस्तुत करेंगे और मद संख्या 13 पर विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव उसके बाद

प्रस्तुत करेंगे। यदि वह चाहें तो इन दोनों मदों पर बोल सकते हैं। मन्त्री महोदय के बोलने के बाद, श्री जसवन्त सिंह संकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं जोकि मद संख्या 12 पर उनके नाम में है और यदि वे चाहें तो उस पर बोल सकते हैं।

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं.....

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर): मैं प्रक्रिया संबंधी मुद्दे पर दृढ़ रहना नहीं चाहता हूं, लेकिन, मैं यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि केन्द्रीय गृह मन्त्री इन दो प्रस्तावों को विचार के लिए एक साथ प्रस्तुत करेंगे।

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई, 1990 को जारी की गयी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल की रिपोर्ट की प्रतियां और उद्घोषणा सभा पटल पर रखी गयी हैं।

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने भारत के राष्ट्रपति की सहमति से जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 92 की उपधारा (5) के अन्तर्गत 19.1.1990 को एक उद्घोषणा जारी की थी, जिनके अनुसार उन्होंने सरकार और राज्य विधान मण्डल के कार्य अपने पास ले लिए और कुछ आनुषंगिक और अनुवर्ती व्यवस्थाएं कीं। राज्य विधान सभा जिसे शुरू में स्थगित रखा गया था, उसे राज्यपाल द्वारा 19.2.1990 को भंग कर दिया गया था। राज्यपाल द्वारा 19.1.1990 को जारी की गयी उद्घोषणा छः महीने पश्चात, 18.7.1990 को समाप्त होनी थी। जम्मू-कश्मीर के संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा जारी की गई उद्घोषणा की तारीख से छः महीने की समाप्ति के बाद, उद्घोषणा के और जारी रखने की कोई व्यवस्था नहीं है।

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने 3 जुलाई, 1990 को राष्ट्रपति को भेजी गयी अपनी रिपोर्ट में बताया था कि आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर अपने हमले बढ़ा दिये हैं और वह निर्दोष लोगों पर बड़े पैमाने पर हिंसा पर उतारू हो गए हैं। आतंकवादियों द्वारा अति आधुनिक हथियारों का प्रयोग करके अधिकतम क्षति और नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

राज्यपाल ने यह भी बताया है कि आतंकवादियों को विघटनकारी और अलगाववादी तत्वों को सीमा पार की शक्तियों से समर्थन मिल रहा है।

राज्यपाल ने आगे बताया है कि राज्य में इस समय ऐसी स्थिति नहीं है कि राज्य विधान सभा के चुनाव शीघ्र कराए जा सकें। राज्य में व्याप्त असुरक्षा और भय के वातावरण में, परम्परागत दल और अन्य राजनीतिक तत्व व्यापक रूप से सक्रिय नहीं हैं और लोग स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। क्योंकि राज्य विधान सभा को भंग कर दिया गया है, इसलिए निर्वाचित सरकार बनाना संभव नहीं है।

राज्यपाल इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि राज्यपाल द्वारा जारी की गई उद्घोषणा की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर के संविधान के उपबंधों के अनुसार राज्य में सरकार को चलाना संभव नहीं है। अत: राज्यपाल ने राष्ट्रपति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत एक उद्घोषणा जारी करने की सिफारिश की है।

केन्द्रीय सरकार ने राज्यपाल की रिपोर्ट और जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर विचार किया और यह महसूस किया कि राज्य सरकार पर लागू होने वाले भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू करने की उद्घोषणा जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई, 1990 को संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी की गई थी।

इन परिस्थितियों को देखते हुए जिन्हें मैंने अभी बताया है, महोदय, मैं सिफारिश करता हूं कि जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 18-7-1990 को जारी की गई उद्घोषणा का इस महान सदन द्वारा अनुमोदन किया जाए।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि जम्मू-कश्मीर राज्य के विक्षुब्ध क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के सदस्यों को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अलगाववादी और उग्रवादी तत्वों की भड़काने वाली गतिविधियों की वजह से, जिन्हें सीमा पार की शक्तियों से सहायता मिल रही है, जम्मू-कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त बढ़बड़ा गई है। यह अलगाववादी आन्दोलन जिसने अप्रैल, 1988 से हिंसक रूप ले लिया है, प्रशासन से पर्याप्त प्रतिक्रिया व्यक्त न किए जाने की वजह से 1990 के शुरू में पर्याप्त रूप से बढ़ गया था। जनवरी, 1990 में राज्यपाल के शासन के अन्तर्गत की गई कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप राज्य-प्रशासन को काफी मदद मिली है। गत कुछ महीनों में राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा लिए गए संगठित और समन्वित प्रयासों से जम्मू-कश्मीर में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। उग्रवादियों को पकड़ने के लिए व्यापक रूप से खोज करने और सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने के ऐसे संकेत मिले हैं कि इन कार्यवाहियों से उग्रवादियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

7.00 म०प०

हालांकि, हाल ही में सुरक्षा बलों पर हमलों और निर्दोष नागरिकों की चुन-चुन कर हत्या किए जाने के मामलों में वृद्धि हुई है। गर्मी के आगमन और बर्फ के पिघलने से, ऐसी आशा की गई थी कि उग्रवादी और विघटनकारी तत्वों द्वारा सशस्त्र, गोला-बारूद और विस्फोटक पदार्थों के साथ सीमा पार करने की घटनाओं में भरपूर वृद्धि होगी। ऐसी भी सूचना थी कि सीमा के उस पार प्रशिक्षित उग्रवादी काफी संख्या में जमा हो गए हैं, तथा वह हिंसक गतिविधियों में भाग लेने और कानून और व्यवस्था की स्थिति में और बाधा पहुंचाने के लिए घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं।

इन परिस्थितियों में, घुसपैठियों को रोकने और अलगाववादी तत्वों के षडयन्त्रों को विफल

[श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद]

करने तथा हथियारों के जमाव रोकने के लिए राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा संगठित और समन्वित प्रयास बहुत ही आवश्यक हो गए थे। नियन्त्रण रेखा, सेना के नियन्त्रण में है। राज्य पुलिस की सुरक्षा क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए, यह भी आवश्यक समझा गया कि उन्हें अतिरिक्त अधिकार और हथियार दिए जाएं। क्योंकि संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा था, राष्ट्रपति द्वारा 5 जुलाई, 1990 को एक अध्यादेश 'सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अध्यादेश' जारी किया गया।

स्थिति पहले जैसी बनी हुई है और उग्रवादी तथा अलगाववादी तत्वों के विरुद्ध सफलतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए सुरक्षा बलों को इस अध्यादेश के अन्तर्गत उपलब्ध अधिकारों को अभी भी जारी रखने की आवश्यकता है।

संविधान के अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित विधान 'सशस्त्र बल पंजाब एवं चण्डीगढ़ विशेष शक्तियां अधिनियम, 1983 के आधार पर, उसमें उचित संशोधन करके बनाया गया है। जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने राज्य की पुलिस को विशेष शक्तियां प्रदान करने के लिए राज्य में विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम पहले ही लागू कर दिया है।

प्रस्तावित विधान सदन के समक्ष विचारार्थ और पारित करने के लिए रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

"कि जम्मू-कश्मीर राज्य के विक्षुब्ध क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के सदस्यों को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जसवन्त सिंह अब अपना संकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री जसवंत सिंह (जोधपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 जुलाई, 1990 को प्रख्यापित सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेष शक्तियां अध्यादेश, 1990 (1990 का अध्यादेश संख्या 3) का निरनुमोदन करती है।"

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : महोदय, हम इस संकल्प का समर्थन करते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मेरा यह निरनुमोदन का प्रस्ताव श्री चिदम्बरम के कारणों से बिल्कुल अलग है।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, अगर निष्कर्ष एक ही है, तो हम उनके अलग कारणों का भी स्वागत करते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, क्या मैं कल अपनी बात जारी रख सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, आप अपनी बात कल जारी रख सकते हैं ।

— —

7.03 म० प०

कार्य मंत्र

चौदहवां प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय, मैं कार्य मन्त्रणा समिति का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

———

7.04 म० प०

सदस्यों की गिरफ्तारी, रिमांड और उन्हें बन्दी बनाए जाने के बारे में सूचना

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि लोक सभा अध्यक्ष को सम्बोधित पुलिस अधीक्षक धर्मपुरी, तमिलनाडु के दिनांक 14 और 15 अगस्त, 1990 के निम्नलिखित 'टेलीप्रिंटर' सन्देश 14 और 15 अगस्त, 1990 को प्राप्त हुए :—

"श्री एम० जी० शेखर, संसद सदस्य तथा 14 अन्य व्यक्ति आज (14-8-1990) को 11.10 बजे धर्मपुरी कस्बा, तमिलनाडु में राजगोपाल पार्क के समीप पुलिस नियामक आदेशों का उल्लंघन करने के लिए गैर-कानूनी रूप में एकत्र हुए और उन्होंने एक जुलूस निकाला तथा तमिलनाडु के मुख्य मंत्री और अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक दल के नेता के मिट्टी के तेल में भिगोए हुए पुतलों को भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर जलाने का प्रयास किया। उक्त संसद सदस्य तथा 14 अन्य व्यक्तियों को 14-8-90 को 11.10 बजे गिरफ्तार किया गया। उनके विरुद्ध बी-1 पुलिस थाना धर्मपुरी में दंड विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7(1)(क) के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 188, 285 के अन्तर्गत अपराध संख्या 769/90 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया।"

"श्री एम० जी० शेखर, संसद सदस्य को आज 14-8-1990 को रिमांड पर न्यायिक हिरासत में रखा गया गया।"

अधीक्षक केन्द्रीय कारागार सलेम, तमिलनाडु से 16-8-1990 को प्राप्त दूर-मुद्रक सन्देश

"श्री एम० जी० शेखर, संसद सदस्य को धर्मपुरी के न्यायिक मजिस्ट्रेट सं० 1 द्वारा

धर्मपुरी पुलिस थाना अपराध संख्या 769/90 के संबंध में दण्ड विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 (1) (क) के साथ पठित भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा 147, 188 और 285 के अधीन 14-8-1990 को 21.20 बजे केन्द्रीय कारागार सलेम, तमिलनाडु में भर्ती किया गया।"

मुझे सभा को यह भी सूचित करना है कि लोक सभा अध्यक्ष को सम्बोधित 14 तथा 15 अगस्त, 1990 के निम्नलिखित पत्र 15 अगस्त, 1990 को प्राप्त हुए :—

पुलिस अधीक्षक, डिन्डीगुल टाऊन, तमिलनाडु से प्राप्त दूर मुद्रक संदेश

"श्री सी० श्रीनिवासन, संसद सदस्य को अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक के 74 सदस्यों समेत, तमिलनाडु के मुख्य मंत्री का पुतला जलाने और सार्वजनिक शान्ति को भंग करते हुए वाहनों के यातायात में बाधा डालने आदि के लिए, दण्ड विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7(1) (क) के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143, 188 तथा 285 के अन्तर्गत डिन्डीगुल टाऊन नार्थ पुलिस स्टेशन अपराध संख्या 1276/90 के अधीन आज (14-8-1990) 15.55 बजे गिरफ्तार किया गया और रिमांड के लिए भेजा गया।"

अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, मदुरै से प्राप्त दूर मुद्रक संदेश

"श्री सी० श्रीनिवासन, संसद सदस्य को न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1 डिन्डीगुल, द्वारा दंड विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 (1) (क) के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 188 तथा 285 के अन्तर्गत, डिन्डीगुल नार्थ पुलिस स्टेशन अपराध संख्या 1276/90 के संदर्भ में, राजनैतिक रिमांड कैदी के रूप में 15-8-1990 को 01.50 बजे कारागार में भर्ती किया गया है।"

मुझे सभा को यह भी सूचित करना है कि लोक सभा अध्यक्ष को सम्बोधित पुलिस अधीक्षक उदमाल्पेट का 15 अगस्त, 1990 का निम्नलिखित टैलेक्स सन्देश 16 अगस्त, 1990 को प्राप्त हुआ :—

"श्री बी० राजरवि वर्मा, संसद सदस्य को प्रख्यापनात्मक आदेश का उल्लंघन करने, विधि विरुद्ध जमाव तथा तमिलनाडु के माननीय मुख्य मन्त्री का पुतला जलाने के प्रयास करने के लिए दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम की धारा 7 (1) (क) के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143 तथा 188 के अन्तर्गत उदमाल्पेट पुलिस स्टेशन अपराध संख्या 346/90 के संबंध में 15 अगस्त, 1990 को 18.45 बजे उदमाल्पेट कस्बे में मेरे द्वारा गिरफ्तार किया गया।"

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : दण्डविधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 (1) (क) के साथ पठित धारा 147, 188 के अन्तर्गत मामला दर्ज करना एक आम प्रथा है। यह एक गैर जमानती अपराध है। मेरे सहित तमिलनाडु के प्रत्येक संसद के विरुद्ध इस तरह का मामला दर्ज किया जाता है।

श्री उपेन्द्रजी और गृह मंत्री महोदय को सभा को यह आश्वासन देना चाहिए कि कल वे अपनी

जन मोर्चा सरकार के भागीदार दल से बात करेंगे और उन सदस्यों को कल छोड़ देंगे। आपको कल उन्हें अवश्य छोड़ देना चाहिए। वे अपराधी नहीं हैं। वे राजनीतिक प्रदर्शनकारी और विरोध करने वाले हैं। यह सब क्या है ? उन्होंने किसी वस्तु को क्षति नहीं पहुंचायी। उन्होंने शान्तिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। हमें इस संबंध में आश्वासन दिया जाना चाहिए। अन्यथा हम जम्मू कश्मीर मूद्दे पर कल विचार नहीं करेंगे। आपको वहां के मुख्य मंत्री से बात करनी चाहिए और सभी सदस्यों को रिहा करने के लिए कहना चाहिए। उन्हें यहां कल सत्र के समय अवश्य उपस्थित होना चाहिए। (व्यवधान)

पांच सदस्यों की सभा, शान्तिपूर्ण विरोध, उपवास या पुलिस स्टेशन की ओर मार्च करना या धरना देने पर आप उन्हें गिरफ्तार करें और छोड़ दें। आपको उनके विरुद्ध धारा 147, 188 या दण्ड विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 (1) (क) के अन्तर्गत मामले दर्ज नहीं करने चाहिएं। मद्रास के उच्च न्यायालय ने दो बार यह निर्णय दिया है : "तमिलनाडु सरकार और कार्यपालिका द्वारा अपनाई जाने वाली यह बर्बर प्रथा है। प्रत्येक को गैर जमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और पन्द्रह दिनों के लिए जेल में डाल दिया जाता है।

गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री को हमें यह आश्वासन देना चाहिए कि वे मुख्य मंत्री से बात करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ये तीनों सांसद कल यहां पहुंच जाएं। (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यह बात सभा के ध्यान में सुबह लाई गई थी। यह बात गृह मंत्री महोदय के ध्यान में भी लाई गई थी। हमें आशा थी कि कम से कम शाम को वे इस बारे में वक्तव्य देंगे। ऐसा लगता है कि वे पहले ही मुख्य मंत्री से बात कर चुके हैं। इसके बावजूद भी यदि वे इस बारे में वक्तव्य नहीं देंगे, तो हम सभा की कार्यवाही नहीं चलने देंगे।

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : मैं भी माननीय सदस्यों की चिन्ता में भागीदार हूं। हमारे साथियों को नजरबन्द किया गया है। मैं मुख्य मंत्री से वस्तुस्थिति का पता लगाऊंगा। जिस भी जानकारी की आवश्यकता है, मैं मुख्य मंत्री से प्राप्त करूंगा कि उन्हें किस प्रकार और क्यों गिरफ्तार किया गया।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : आपको उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए मुख्य मंत्री से बात करनी चाहिए।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैं अवश्य ही बात करूंगा।

श्री पी० चिदम्बरम : तमिलनाडु के मुख्य मंत्री गृह मंत्री से सदा डरते हैं!

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : क्यों ?

श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : इन सांसदों को कल छोड़ा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि जो कुछ आपने कहा है, वह गृह मंत्री ने नोट कर लिया है। सभा कल 11.00 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

7.11 म० व०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 17 अगस्त, 1990/ 26 श्रावण, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिन्ग, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-53